सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार

आर्थिक समीक्षा

2022-23

आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय
सांख्यिकी विभाग, राजस्थान, जयपुर।

सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

आर्थिक समीक्षा
2022—23

आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय,
सांख्यिकी विभाग, राजस्थान, जयपुर।

सत्यमेव जयते

मुख्यमंत्री
राजस्थान

संदेश

राज्य सरकार ने बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाते हुए राज्य की अर्थव्यवस्था की मजबूत नींव बनाने के लिए हर संभव कदम उठाया है। राजस्थान सरकार आमजन के प्रति "जिम्मेदार–पारदर्शी–जवाबदेही" के मूलभूत सिद्धांतों पर काम कर रही है, जिसके परिणामस्वरूप अर्थव्यवस्था के कई क्षेत्रों में विकास के सकारात्मक संकेत मिले हैं। भौगोलिक चुनौतियों और विविधताओं के बावजूद, राजस्थान प्रत्येक क्षेत्र में देश के लिए एक मॉडल राज्य के रूप में उभरा है चाहे वह बिजली हो, पानी हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो या सामाजिक सुरक्षा हो।

"आर्थिक समीक्षा 2022–23" कई सांख्यिकीय तथ्यों और आंकड़ों के साथ अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में राज्य की बढ़ती प्रवृत्तियों और उपलब्धियों की एक व्यापक तस्वीर दिखाता है।

मुझे विश्वास है कि यह प्रकाशन राज्य के सामाजिक–आर्थिक विकास में रुचि रखने वाले सभी हितधारकों के लिए उपयोगी होगा।

(अशोक गहलोत)

सत्यमेव जयते

मंत्री
सांख्यिकी विभाग
राजस्थान सरकार

प्राक्कथन

राजस्थान सरकार गरीबों, निराश्रितों, असहायों और जरूरतमंदों हेतु विशेष प्रयास कर रही है। सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े और वंचित वर्गों के उत्थान के लिए राज्य में विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का पुरजोर संचालन हो रहा है।

"आर्थिक समीक्षा 2022–23" राज्य में अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों जैसे निवेश, सूचना प्रौद्योगिकी, एमएसएमई, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य आदि में हुई प्रगति पर प्रकाश डालती है। यह प्रकाशन राज्य के सामाजिक–आर्थिक परिदृश्य का विस्तृत विवरण भी प्रदान करता है।

मैं उन सभी व्यक्तियों का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ जिन्होंने इस प्रकाशन को प्रकाशित करने में योगदान दिया है। मुझे विश्वास है कि यह प्रकाशन राज्य की सामाजिक–आर्थिक स्थिति का विश्लेषण करने में सभी पाठकों, अर्थशास्त्रियों और नीति निर्माताओं के लिए सहायक होगा।

(गोविन्द राम मेघवाल)

सत्यमेव जयते

राज्य मंत्री
सांख्यिकी विभाग
राजस्थान सरकार

प्रस्तावना

राजस्थान ने पिछले कुछ वर्षों के दौरान सामाजिक–आर्थिक विकास की दिशा में सराहनीय प्रगति की है। राज्य की अर्थव्यवस्था की विश्वसनीय और व्यापक तस्वीर इसलिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पर्याप्त और समावेशी विकास की योजना निर्माण के लिए आवश्यक आधार बनाती है।

"आर्थिक समीक्षा 2022–23" राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए लागू की जा रही योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति का विवरण प्रदान करती है। इस प्रकाशन के वर्णनात्मक भाग में कार्यक्रमों/योजनाओं में रही उपलब्धियों की व्यापक समीक्षा की गई है और सांख्यिकीय भाग में राजस्थान की अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित समंको को सम्मिलित किया गया है।

मैं इस प्रकाशन को समय पर प्रकाशित करने के लिए सभी संबंधित व्यक्तियों का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ।

(अशोक चांदना)

सत्यमेव जयते

मुख्य सचिव
राजस्थान सरकार

आभार

राजस्थान सरकार **"जवाबदेही, प्रभावशीलता और समावेशिता"** के बुनियादी सिद्धांतों की पालना करते हुए राज्य में सुशासन की दिशा में लगातार सुदृढ़ प्रयास कर रही है। राज्य सरकार हर सम्भव प्रयास कर रही है कि प्रदेश में सुशासन के माध्यम से जनकल्याणकारी योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ समय से जनता तक पहुँचे।

आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय द्वारा प्रकाशित **"आर्थिक समीक्षा 2022–23"** न केवल विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं के व्यापक दृष्टिकोण को चित्रित करता है अपितु तथ्यों और आंकड़ों के साथ योजनाओं का विश्लेषण भी प्रदान करता है।

मैं इस प्रकाशन के लिए पूरी टीम के प्रयासों की सराहना करती हूँ एवं आशा करती हूँ कि यह प्रकाशन नीति निर्माताओं, सरकारी अधिकारियों और नागरिक संगठनों के लिए सहायक होगा।

उषा

(उषा शर्मा)

सत्यमेव जयते

प्रमुख शासन सचिव
सांख्यिकी विभाग
राजस्थान सरकार

प्रस्तावना

आर्थिक समीक्षा का प्रकाशन आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय द्वारा प्रतिवर्ष किया जाता है, जिसे राज्य के बजट की प्रस्तुति के समय राज्य विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है।

"आर्थिक समीक्षा 2022–23" राज्य का एक प्रमुख प्रकाशन है, जो राज्य की अर्थव्यवस्था का एक विश्वसनीय और व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। इसमें राज्य की आर्थिक स्थिति, सामाजिक–आर्थिक विकास में हुई प्रगति, बुनियादी सामाजिक सेवाएं और राज्यवार महत्वपूर्ण आर्थिक संकेतक शामिल हैं।

मुझे आशा है कि यह प्रकाशन राज्य के सामाजिक–आर्थिक विकास में रूचि रखने वाले सभी योजनाकारों, नीति निर्माताओं और शिक्षाविदों के लिए लाभप्रद होगा।

(भवानी सिंह देथा)

सत्यमेव जयते

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव
आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय,
राजस्थान

भूमिका

आर्थिक समीक्षा, राज्य विधान सभा में प्रतिवर्ष प्रस्तुत किया जाने वाला एक दस्तावेज है जो राज्य की अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति और विकास को दर्शाता है।

"आर्थिक समीक्षा 2022–23" अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों यथा मैक्रो–इकोनॉमिक रुझानों का अवलोकन, कृषि और संबद्ध क्षेत्र, ग्रामीण विकास और पंचायती राज, औद्योगिक विकास, बुनियादी ढांचा विकास, सेवा क्षेत्र, शहरीकरण और शहरी विकास, बुनियादी सामाजिक सेवाएं– शिक्षा और स्वास्थ्य, और अन्य सामाजिक सेवाएं/कार्यक्रम में रुझानों का विश्लेषण करता है। यह दस्तावेज़ राज्य सरकार की उन प्रमुख योजनाओं को भी सूचीबद्ध करता है जो 2030 तक सतत् विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक हैं। इसमें एक सांख्यिकीय परिशिष्ट भी शामिल है जो प्रमुख सामाजिक–आर्थिक संकेतकों पर डेटासेट प्रदान करता है।

मैं इस प्रकाशन को समय पर प्रकाशित करने के लिए आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रयासों की एवं मूल्यवान इनपुट और जानकारी प्रदान कराने हेतु अन्य सभी विभागों की सराहना करता हूँ।

इस प्रकाशन में सुधार हेतु आपके सुझावों का स्वागत है।

(डॉ. ओम प्रकाश बैरवा)

अध्याय	पृष्ठ	विवरण
	i	**आर्थिक विकास के मुख्य सूचक**
	iv	**सारांश**
1.	1	**वृहद् आर्थिक प्रवृत्तियों का परिदृश्य**
		राज्य घरेलू उत्पाद
		प्रति व्यक्ति आय
		सकल स्थाई पूंजी निर्माण
		थोकमूल्य सूचकांक
		उपभोक्ता मूल्य सूचकांक
2.	15	**कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र**
		कृषि परिदृश्य
		भू–उपयोग
		प्रचालित जोत धारक
		मानसून
		कृषि उत्पादन
		उद्यानिकी
		कृषि विपणन
		जल संसाधन
		उपनिवेशन
		सिंचित क्षेत्र विकास
		इंदिरा गांधी नहर परियोजना
		भू–जल
		जल ग्रहण विकास
		राज्य भण्डारण निगम
		पशुपालन
		गोपालन विभाग
		डेयरी विकास
		मत्स्य पालन
		वानिकी
		पर्यावरण विभाग
		सहकारिता
3.	53	**ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज**
		ग्रामीण विकास
		पंचायती राज
		ग्रामीण आधारभूत संरचना
		ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण (रूडा)
4.	69	**औद्योगिक विकास**
		औद्योगिक परिदृश्य
		उद्योग एवं वाणिज्य विभाग
		निवेश संवर्धन ब्यूरो (बी.आई.पी)
		राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड (रीको)
		राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड (राजसीको)
		राजस्थान वित्त निगम (आर.एफ.सी)
		दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कोरिडोर (डी.एम.आई.सी.)
		खादी एवं ग्रामोद्योग
		कारखाना एवं बॉयलर्स
		राजस्थान में खनन क्षेत्र
		तेल एवं प्राकृतिक गैस
		श्रम
		रोजगार विभाग
		राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम (आर.एस.एल.डी.सी.)

विवरणिका

अध्याय	पृष्ठ	विवरण
5.	101	**आधारभूत संरचना का विकास**
		ऊर्जा
		सड़क
		परिवहन
		रेलवे
		डाक एवं दूर संचार सेवाएं
		आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा
6.	115	**सेवा क्षेत्र**
		राजस्थान में सेवा क्षेत्र का परिदृश्य
		पर्यटन
		संस्कृति
		पुरातत्व एवं संग्रहालय
		देवस्थान विभाग
		वित्तीय सेवाऐं
		सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार
		राजस्थान जन आधार योजना
		विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी
		राजस्थान फाउण्डेशन
		आयोजना (जनशक्ति) विभाग
		मूल्याकंन संगठन
7.	133	**शहरीकरण और शहरी विकास**
		राजस्थान में शहरीकरण
		राजस्थान में शहरी विकास
		राजस्थान आवासन मण्डल
		नगर नियोजन विभाग
		स्वायत्त शासन विभाग
		शहरी जलापूर्ति
8.	155	**बुनियादी सामाजिक सेवाएं –शिक्षा एवं स्वास्थ्य**
		शिक्षा
		चिकित्सा एवं स्वास्थ्य
		मुख्यमंत्री चिंरजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना
		राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना (आर.जी.एच.एस.)
		आयुर्वेद एवं अन्य चिकित्सा पद्धतियाँ
		कर्मचारी राज्य बीमा योजना (ई.एस.आई.)
		परिवार कल्याण
		राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एन.एच.एम.)
9.	189	**अन्य सामाजिक सेवाएं/ कार्यक्रम**
		जलापूर्ति
		मिड–डे मील योजना (एम.डी.एम.एस.)
		समेकित बाल विकास सेवाएं (आई.सी.डी.एस.)
		बाल अधिकारिता
		खाद्य एवं उपभोक्ता मामलात्
		समाजिक न्याय एवं अधिकारिता
		विशेष योग्यजन
		अल्पसंख्यक मामलात
		महिला अधिकारिता
		बीस सूत्री कार्यक्रम
10.	213	**राज्य वित्त एवं विकास के अन्य संसाधन**
		राजकोषीय प्रबन्धन
		स्कीमवार बजट परिव्यय
		बाह्य सहायतित परियोजनाएं
		सार्वजनिक निजी सहभागिता
11.	231	**सतत् विकास लक्ष्य**
	प1–प44	**सांख्यिकीय परिशिष्ठ**

आर्थिक विकास के मुख्य सूचक

क्र.सं.	विवरण	इकाई	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	सकल राज्य घरेलू उत्पाद (अ) स्थिर (2011-12) मूल्यों पर (ब) प्रचलित मूल्यों पर	₹ करोड़	643278 911519	676785 998679	663515 1019442	738922 1218193	799449 1413620
2.	सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि दर (अ) स्थिर (2011-12) मूल्यों पर (ब) प्रचलित मूल्यों पर	प्रतिशत	2.43 9.49	5.21 9.56	-1.96 2.08	11.36 19.50	8.19 16.04
3.	सकल राज्य मूल्य वर्धन स्थिर (2011-12) बुनियादी मूल्यों का क्षेत्रवार योगदान (अ) कृषि (ब) उद्योग (स) सेवाएं	प्रतिशत	26.08 27.65 46.27	27.77 27.38 44.85	30.28 28.02 41.70	29.22 28.17 42.61	28.50 27.76 43.74
4.	सकल राज्य मूल्य वर्धन प्रचलित बुनियादी मूल्यों का क्षेत्रवार योगदान (अ) कृषि (ब) उद्योग (स) सेवाएं	प्रतिशत	25.85 26.27 47.88	27.61 25.87 46.52	30.56 26.31 43.13	29.39 27.45 43.16	28.95 27.31 43.74
5.	शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद (अ) स्थिर (2011-12) मूल्यों पर (ब) प्रचलित मूल्यों पर	₹ करोड़	568452 819185	596689 898116	576789 907861	642668 1084845	694771 1259527
6.	प्रति व्यक्ति आय (अ) स्थिर (2011-12) मूल्यों पर (ब) प्रचलित मूल्यों पर	₹	73975 106604	76643 115360	73140 115122	80545 135962	86134 156149

टिप्पणी: वर्ष 2020-21- संशोधित अनुमान II, वर्ष 2021-22- संशोधित अनुमान I एवं वर्ष 2022-23- अग्रिम अनुमान (अ.)

चित्र 1

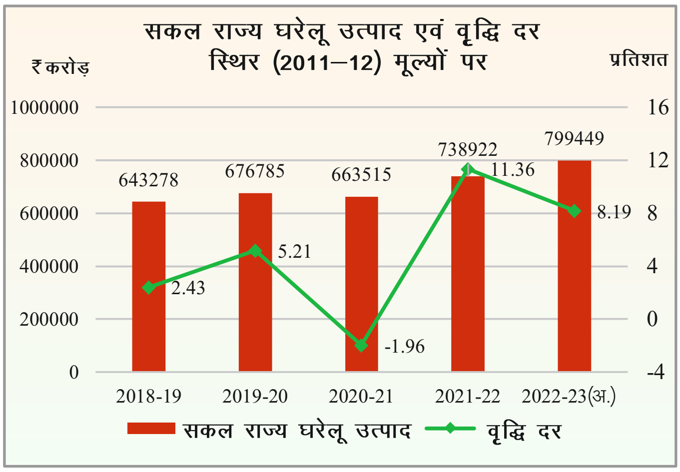

अ.–अग्रिम अनुमान

चित्र 2

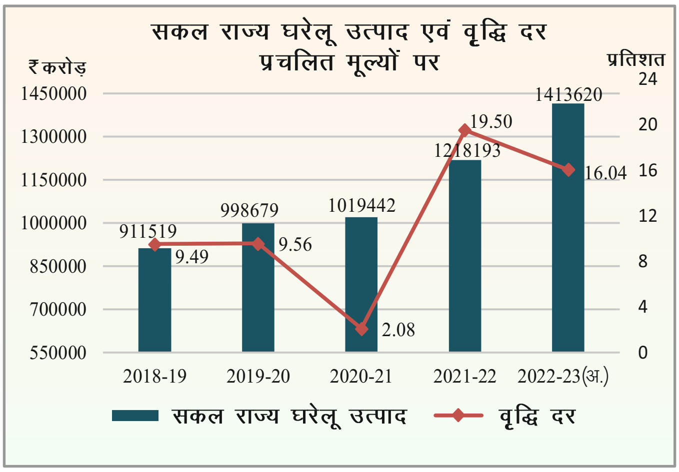

अ.–अग्रिम अनुमान

चित्र 3

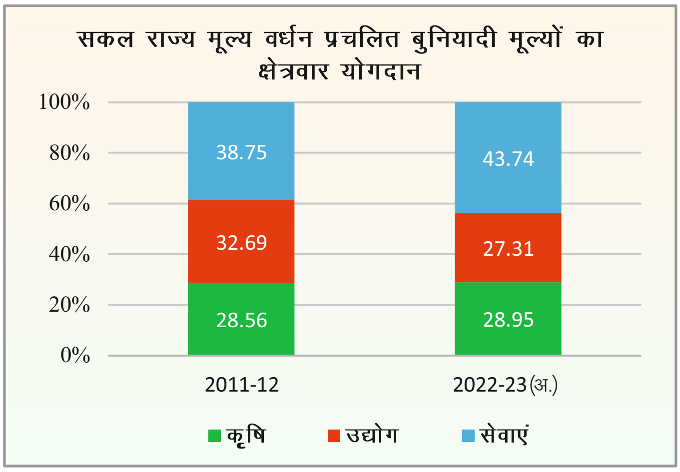

अ.–अग्रिम अनुमान

चित्र 4

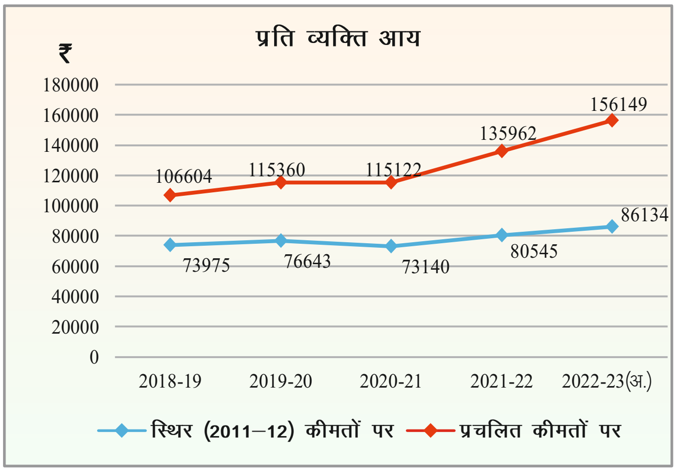

अ.–अग्रिम अनुमान

चित्र 5

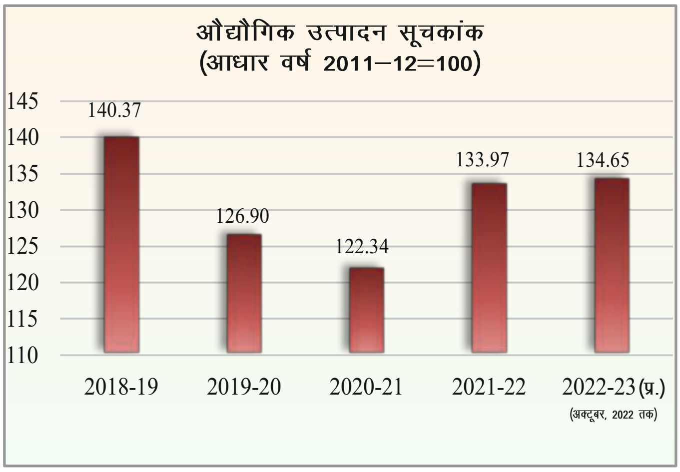

प्र.–प्रावधानिक

चित्र 6

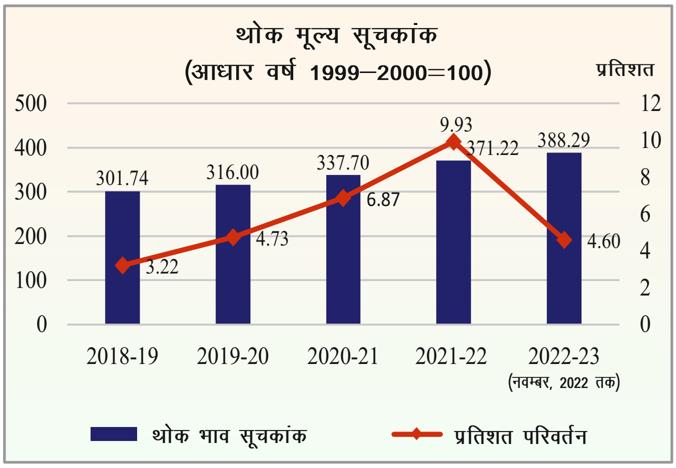

क्र.सं.	विवरण	इकाई	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
1	2	3	4	5	6	7	8
7.	सकल स्थाई पूंजी निर्माण प्रचलित मूल्यों पर@ सकल राज्य घरेलू उत्पाद का प्रतिशत	₹ करोड	265128 29.09	278112 27.85	273910 26.87	346844 28.47	-
8.	कृषि उत्पादन सूचकांक * (आधार वर्ष 2005-06 से 2007-08=100)		183.07	202.56	207.85	201.40+	-
9.	कुल खाद्यान्न उत्पादन*	लाख मै. टन	231.60	266.35	273.24	231.52+	253.99~
10.	औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आधार वर्ष 2011-12=100)		140.37	126.90	122.34	133.97	134.65@@
11.	थोक मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 1999-2000=100) प्रतिशत परिवर्तन		301.74 3.22	316.00 4.73	337.70 6.87	371.22 9.93	388.29$ 4.60
12.	अधिष्ठापित क्षमता (ऊर्जा)	मेगावाट	21078	21176	21979	23452	23487$
13.	वाणिज्यिक बैंक साख (सितम्बर)	₹ करोड़	267523	315149	343406	375030	441569

* कृषि वर्ष से संबंधित है।
\+ अन्तिम
~ अग्रिम
@ प्रावधानिक
@@ प्रावधानिक अक्टूबर, 2022 तक
$ नवम्बर, 2022 तक

सारांश

राजस्थान की रूपरेखा

राजस्थान, जिसे "राजाओं की भूमि" भी कहा जाता है, उसका भौगोलिक क्षेत्रफल 3.42 लाख वर्ग कि.मी. है, जो कि 7 संभागों और 33 जिलों में विभक्त है। यह देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 10.41 प्रतिशत है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के अनुसार वर्ष 2022 में राजस्थान की जनसंख्या लगभग 8.01 करोड़ अनुमानित है। जनसंख्या के आधार पर यह देश का सातवां सबसे बड़ा राज्य है। यह देश के उत्तर–पश्चिम भाग में स्थित है और पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात राज्यों से घिरा हुआ है। इसकी पाकिस्तान के साथ एक लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा भी है। राजस्थान की आकृति विषम चतुष्कोणीय है। इसका विस्तार पश्चिम से पूर्व की ओर 869 कि.मी. और उत्तर से दक्षिण की ओर 826 कि.मी. है। राज्य का दक्षिणी भाग कच्छ की खाड़ी से लगभग 225 कि.मी. एवं अरब सागर से लगभग 400 कि.मी. दूर है।

राजस्थान की राजधानी जयपुर है, जिसे गुलाबी नगर के नाम से भी जाना जाता है। यह राजस्थान राज्य का सर्वाधिक आबादी वाला जिला है। राज्य में 4 स्मार्ट सिटी जयपुर, उदयपुर, कोटा व अजमेर हैं।

भौगोलिक रूप से राज्य को 4 प्रमुख क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है, (1) पश्चिमी रेगिस्तानः जिसमें बंजर पहाड़ियाँ, चट्टानी व रेतीले मैदान हैं, (2) अरावली पहाड़ियाँः जो कि दक्षिण–पश्चिम में गुजरात से प्रारम्भ होकर उत्तर–पूर्व में दिल्ली में समाप्त होती हैं, (3) पूर्वी मैदानः जलोढ़/कछारी मिट्टी से समृद्ध, (4) दक्षिणी–पूर्वी पठार।

राज्य अपने आलीशान/राजसी किलों, महलों, स्मारकों, चहल–पहल भरे बाजारों और राजस्थान के असली रंगों को दर्शाने वाले जीवंत मेलों और त्योहारों के लिए जाना जाता है।

भारत की तुलना में राज्य के प्रमुख संकेतक तालिका 0.1 में दिये गये है :–

तालिका 0.1: राज्य के प्रमुख संकेतकों का अखिल भारत से तुलनात्मक विवरण

सूचक	वर्ष	इकाई	राजस्थान	भारत
भौगोलिक क्षेत्र	2011	लाख वर्ग कि.मी.	3.42	32.87
जनसंख्या	2011	करोड़	6.85	121.09
दशकीय वृद्धि दर	2001–2011	प्रतिशत	21.3	17.7
जनसंख्या घनत्व	2011	जनसंख्या प्रति वर्ग कि.मी.	200	382
कुल जनसंख्या से शहरी जनसंख्या का प्रतिशत	2011	प्रतिशत	24.9	31.2
अनुसूचित जाति की जनसंख्या	2011	प्रतिशत	17.8	16.6
अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या	2011	प्रतिशत	13.5	8.6
लिंगानुपात	2011	महिलाएं प्रति हजार पुरूष	928	943
बाल लिंगानुपात (0–6 वर्ष)	2011	बालिकाएं प्रति हजार बालक	888	919
साक्षरता दर	2011	प्रतिशत	66.1	73.0
साक्षरता दर (पुरूष)	2011	प्रतिशत	79.2	80.9
साक्षरता दर (महिला)	2011	प्रतिशत	52.1	64.6
कार्य सहभागिता दर	2011	प्रतिशत	43.6	39.8
अशोधित जन्म दर	2020*	प्रति हजार मध्य–वर्ष जनसंख्या	23.5	19.5
अशोधित मृत्यु दर	2020*	प्रति हजार मध्य–वर्ष जनसंख्या	5.6	6.0
शिशु मृत्यु दर	2020*	प्रति हजार जीवित जन्म	32	28
मातृ मृत्यु अनुपात	2018–20*	प्रति लाख जीवित जन्म	113	97
जन्म के समय जीवन प्रत्याशा	2016–20*	वर्ष	69.4	70.0

*एस.आर.एस. बुलेटिन : भारत का महारजिस्ट्रार कार्यालय

राज्य की अर्थव्यवस्था

अर्थव्यवस्था के विकास की व्याख्या विभिन्न आर्थिक संकेतकों जैसे सकल राज्य घरेलू उत्पाद, शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय आदि के माध्यम से की जाती है। ये संकेतक राज्य की अर्थव्यवस्था की समग्र प्रगति को प्रदर्शित करते हैं।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.) एक निश्चित समयावधि के दौरान राज्य के आर्थिक निष्पादन के आंकलन का एक प्रमुख साधन है। यह आर्थिक विकास के स्तर में आए परिवर्तन व इसकी दिशा को इंगित करता है। प्रति व्यक्ति आय (पी.सी.आई.), शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद (एन.एस.डी.पी.) को राज्य की मध्यवर्षीय कुल जनसंख्या से विभाजित कर आंकलित की जाती है। प्रति व्यक्ति आय, लोगों के जीवन स्तर एवं सम्पन्नता की सूचक है। जी.एस.डी.पी., एन.एस.डी.पी. और प्रति व्यक्ति आय के अग्रिम अनुमान प्रचलित व स्थिर (2011–12) मूल्यों पर नीचे दर्शाये गये हैं। इसके साथ ही, सकल घरेलू उत्पाद एवं प्रति व्यक्ति आय में गत वर्ष की तुलना में हुई वृद्धि तथा राजस्थान और भारत के तीन व्यापक क्षेत्रों का क्षेत्रवार योगदान (प्रचलित मूल्यों पर) चित्र 0.1 में दर्शाया गया है।

चित्र 0.1 जी.एस.डी.पी., एन.एस.डी.पी. एवं प्रति व्यक्ति आय के अग्रिम अनुमान

सकल राज्य घरेलू उत्पादः

(अ) प्रचलित मूल्यों परः
₹14.14 लाख करोड़
(ब) स्थिर (2011–12) मूल्यों परः
₹7.99 लाख करोड

शुद्ध राज्य घरेलू उत्पादः

(अ) प्रचलित मूल्यों परः
₹12.60 लाख करोड़
(ब) स्थिर (2011–12) मूल्यों परः
₹6.95 लाख करोड़

प्रति व्यक्ति आय

(अ) प्रचलित मूल्यों परः
₹1,56,149
(ब) स्थिर (2011–12) मूल्यों परः
₹86,134

सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर व प्रति व्यक्ति आय वृद्धि दर की गत वर्ष से तुलना तथा राजस्थान और भारत के तीन व्यापक क्षेत्रों का क्षेत्रवार योगदान

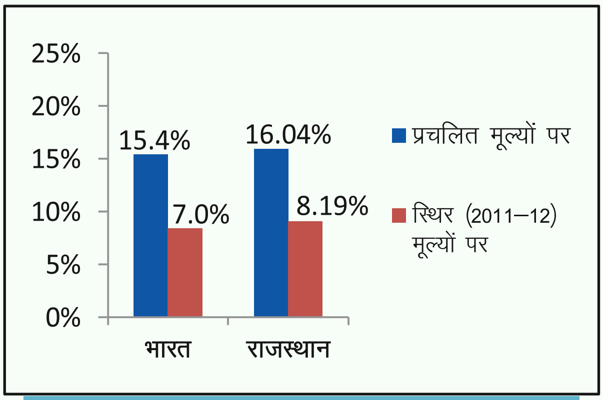

2021–22 की तुलना में 2022–23 की जी.डी.पी. वृद्धि दर

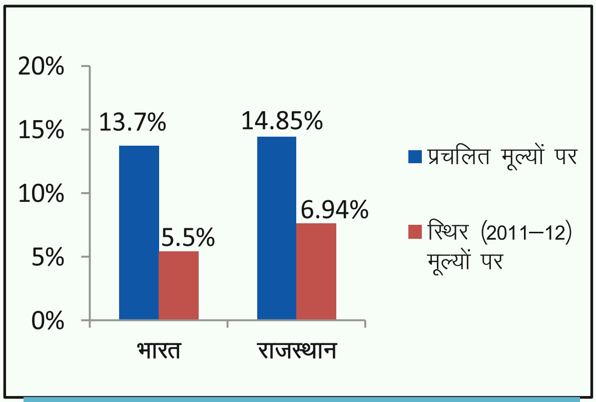

2021–22 की तुलना में 2022–23 की प्रति व्यक्ति आय वृद्धि दर

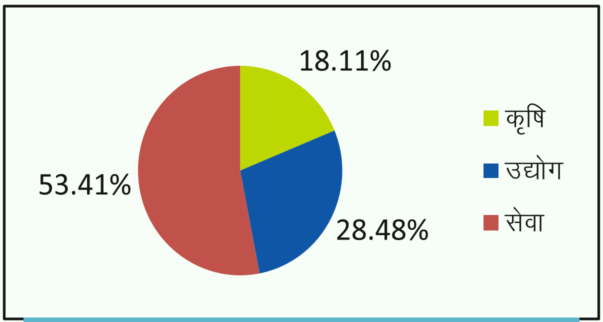

2022–23 में भारत का क्षेत्रवार योगदान

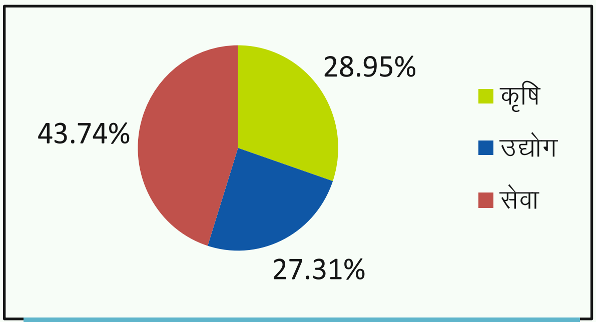

2022–23 में राजस्थान का क्षेत्रवार योगदान

थोक एवं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यू.पी.आई.) समग्र आर्थिक स्तर पर व्यापक रूप से कीमतों में परिवर्तन को व्यक्त करने वाला सामान्य सूचकांक है और सभी व्यापार व लेनदेनों में वस्तुओं की कीमतों में उतार–चढ़ाव का एक संकेतक है।

राज्य का सामान्य थोक मूल्य सूचकांक का (आधार वर्ष 1999–2000=100) वर्ष 2021 में 363.23 से बढ़कर वर्ष 2022 (नवम्बर, 2022 तक) में 385.45 हो गया, जिसमें 6.12 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। प्राथमिक वस्तुओं, ईंधन, शक्ति, प्रकाश एवं उपस्नेहक एवं विनिर्मित उत्पाद समूह के सूचकांक में गत वर्ष की तुलना में नवम्बर, 2022 तक क्रमशः 9.92, 1.20 तथा 5.90 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। दूसरी ओर, अखिल भारतीय स्तर पर, थोक मूल्य के सामान्य सूचकांक (आधार वर्ष 2011–12=100) में गत वर्ष की तुलना में वर्ष 2022 में 12.07 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई), उपभोग के उद्देश्य से परिवार द्वारा खरीदी गयी चयनित वस्तुओं और सेवाओं की खुदरा कीमतों के सामान्य स्तर में समय के साथ परिवर्तन को मापने के लिए तैयार किया गया है।

गत वर्ष की तुलना में माह नवम्बर, 2022 के लिए सामान्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (औद्योगिक श्रमिक आधार वर्ष 2016=100) में अलवर केंद्र में 4.38 प्रतिशत, भीलवाड़ा केंद्र में 6.92 प्रतिशत, जयपुर केंद्र में 6.04 प्रतिशत तथा अखिल भारत में 5.66 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी है।

बैंकिंग एवं वित्त

बैंकिंग देश के साथ–साथ राज्य की सम्पूर्ण लेन–देन व्यवस्था का एक अभिन्न अंग है। राजस्थान में बैंकिंग और वित्तीय तंत्र का एक बड़ा नेटवर्क है जो मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करता है और राज्य में आवश्यक आर्थिक विकास प्राप्त करता है।

सितम्बर, 2022 के अनुसार, राज्य में कुल 7,987 बैंक कार्यालय/शाखाएं हैं, जिनमें से 4,195 सार्वजनिक क्षेत्र, 1,590 क्षेत्रीय ग्रामीण, 1,688 निजी क्षेत्र, 9 विदेशी, 469 लघु वित्त और 36 भुगतान बैंक शाखाएं/कार्यालय हैं।

राजस्थान राज्य में गत वर्ष की इसी अवधि की तुलना में सितंबर, 2022 में जमा राशियों में 12.51 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जबकि अखिल भारतीय स्तर पर यह वृद्धि 9.78 प्रतिशत थी। सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का ऋण–जमा अनुपात सितंबर, 2022 तक राजस्थान में 79.04 प्रतिशत तथा अखिल भारतीय स्तर पर 74.77 प्रतिशत है, जबकि सितंबर, 2021 में यह राजस्थान में 75.53 प्रतिशत तथा अखिल भारतीय स्तर पर 70.01 प्रतिशत था।

कृषि एवं सम्बद्ध गतिविधियां तथा सिंचाई

राजस्थान में कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र अभी भी मौजूदा कीमतों पर वर्ष 2022–23 में राज्य के कुल जी.एस.वी.ए. में 28.95 प्रतिशत का योगदान देकर राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बना हुआ है। राजस्थान, विविध जलवायु परिस्थितियों वाला राज्य होने से, विभिन्न प्रकार की फसलों की खेती, जैविक खेती का समर्थन करने तथा पशुपालन क्षेत्र को ओर मजबूत करने में सक्रिय है। राज्य में 1 जून से 30 सितम्बर, 2022 की अवधि में वास्तविक वर्षा 594.20 मिमी. दर्ज की गई जो सामान्य वर्षा 430.80 मिमी. से 37.93 प्रतिशत अधिक है।

कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र के सकल राज्य मूल्य वर्धन (जी.एस.वी.ए.) में स्थिर मूल्य के साथ–साथ प्रचलित मूल्य में भी निरन्तर वृद्धि हुई है। स्थिर (2011–12) मूल्यों पर यह वर्ष 2011–12 के ₹1.19 लाख करोड़ से बढ़कर वर्ष 2022–23 में ₹2.09 लाख करोड़ हो गया, जो कि 5.24 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सी.ए.जी.आर.) दर्शाता है, जबकि प्रचलित मूल्यों पर कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का जी.एस.वी.ए. वर्ष 2011–12 के ₹1.19 लाख करोड़ से बढ़कर वर्ष 2022–23 में ₹3.79 लाख करोड़ हो गया, जो कि 11.11 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सी.ए.जी.आर.) दर्शाता है। प्रारंभिक पूर्वानुमान के अनुसार राज्य में वर्ष 2022–23 में खाद्यान्न का कुल उत्पादन 253.99 लाख मैट्रिक टन होने का अनुमान है, जो गत वर्ष के 231.52 लाख मैट्रिक टन उत्पादन की तुलना में 9.71 प्रतिशत अधिक है।

राजस्थान में उद्यानिकी के विकास की अपार सम्भावनाएं हैं। उद्यानिकी कृषि एवं आर्थिक विविधता के मुख्य स्रोत के रूप में कार्य करता है। यह किसानों के मुनाफे को बढ़ाकर उनकी आजीविका में सुधार करता है। वर्ष 2022–23 के लिए राज्य योजना (केंद्रीय अंश सहित) के तहत ₹1,439.49 करोड़ का बजट अनुमान रखा गया है, जिसके विरुद्ध नवम्बर, 2022 तक ₹273.78 करोड़ की राशि का उपयोग किया जा चुका है।

''राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना'' वित्तीय वर्ष 2022–23 (नवम्बर, 2022 तक) के दौरान 1,405 किसानों को ₹21.63 करोड़ की वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाकर लाभान्वित किया गया है।

वर्ष 2002–03 से 2006–07 की औसत उत्पादकता की तुलना में वर्ष 2021–22 में उत्पादकता में प्रतिशत वृद्धि

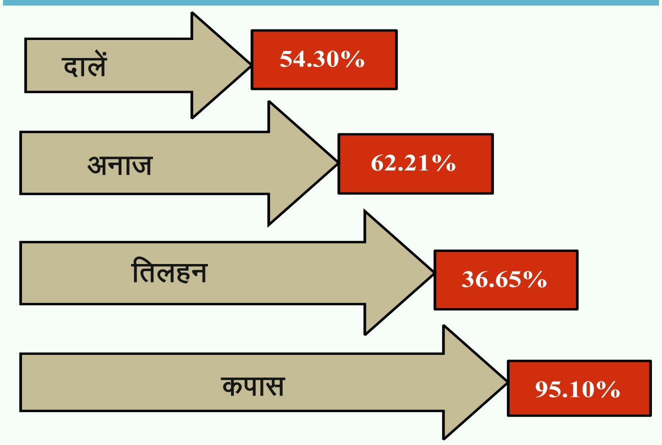

वृहद, मध्यम एवं लघु सिंचाई परियोजनाओं से कुल 39.07 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है। वित्तीय वर्ष 2022–23 में (दिसम्बर, 2022 तक) 710 हैक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का सृजन किया गया है।

राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना (आर. डबल्यू.एस.एल.आई.पी.) को 27 जिलों में 137 सिंचाई परियोजनाओं के पुनर्वास एवं नवीनीकरण के लिए जापान इन्टरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी (जे.आई.सी.ए.) से ऋण सहायता स्वीकृत की गई है, जिससे 4.70 लाख हैक्टेयर सिंचित क्षेत्र के किसान इस परियोजना के क्रियान्वयन से लाभान्वित होंगे। परियोजना की अनुमानित लागत ₹2,348.87 करोड़ है।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना –सूक्ष्म सिंचाई (पी.एम.के.एस. वाई.–एम.आई.) सूक्ष्म सिंचाई की ड्रिप एवं फव्वारा तकनीक तक पहुंच सुनिश्चित करने वाली योजना है जो कि कुशल जल प्रबंधन की पद्धती हैं। इस योजना के अन्तर्गत केंद्र व राज्य का वित्त पोषण अनुपात 60:40 है। वर्ष 2022–23 के दौरान, नवम्बर, 2022 तक ₹63.97 करोड़ (₹38.38 करोड केन्द्रीय अंश तथा ₹25.59 करोड़ राज्य अंश) व्यय किये गये हैं। नवम्बर, 2022 तक ड्रिप एवं मिनी स्प्रिंकलर और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली के तहत क्रमशः 25,620 हेक्टेयर और 32,468 हेक्टेयर क्षेत्र को सम्मिलित किया गया है।

अटल भू–जल योजना – यह योजना भारत सरकार द्वारा विश्व बैंक (50:50) की सहायता से भू–जल के बेहतर प्रबंधन के साथ–साथ इसके घटते स्तर को रोकने के लिए चलाई जा रही है। राजस्थान राज्य के लिए 5 वर्षों के लिए कुल बजट राशि ₹1,189.65 करोड़ अनुदान रूप में स्वीकृत है। इस योजना के तहत राजस्थान राज्य के 17 जिलों की 38 पंचायत समितियों की 1,139 ग्राम पंचायतों को चिन्हित किया गया है।

राजस्थान राज्य में पहली बार "समृद्ध किसान–खुशहाल राजस्थान" के विचार के साथ पृथक से "कृषि बजट 2022–23" प्रस्तुत किया गया है। विभिन्न कृषि सेवाओं के लिए कुल कृषि बजट आवंटन को नीचे दिये गये चित्र 0.2 में दर्शाया गया है।

चित्र 0.2 : कृषि बजट 2022–23

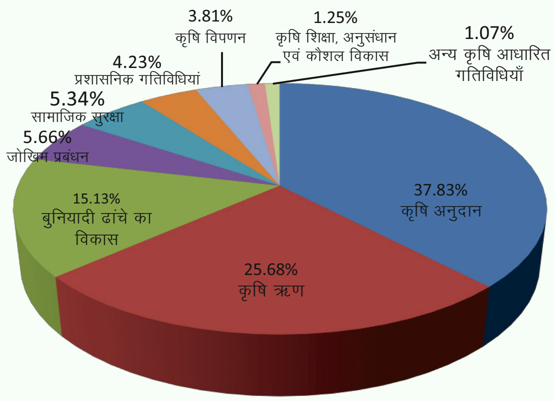

उद्योग, खान एवं खनिज तथा तेल एवं गैस

कृषि एवं उद्योग क्षेत्र राज्य की अर्थव्यवस्था के महत्त्वपूर्ण अंग है। उद्योग क्षेत्र में वर्ष 2022–23 के लिए स्थिर (2011–12) मूल्यों पर 6.32 प्रतिशत की वृद्धि देखी गयी है। वित्तीय वर्ष 2022–23 में राज्य के कुल सकल राज्य मूल्य वर्धन (जी.एस. वी.ए.) में उद्योग क्षेत्र का योगदान प्रचलित मूल्यों पर 27.31 प्रतिशत रहा है।

अपने गठन के समय से, एम.एस.एम.ई. राज्य अर्थव्यवस्था का अत्यधिक गतिशील क्षेत्र है जो न केवल रोजगार के अवसर सृजित करता है बल्कि पिछड़े और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास की दिशा में भी कार्य करता है। सभी श्रेणी के उद्योगों को विकसित करने, रोजगार के अवसरों में वृद्धि करने, बुनियादी ढांचे और एम.एस.एम.ई. क्लस्टर विकसित करने आदि की दृष्टि से राजस्थान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम नीति–2022 (एम.एस. एम.ई. नीति 2022) का शुभारंभ 17 सितंबर, 2022 को किया गया है। वित्तीय वर्ष 2022–23 (दिसम्बर, 2022 तक) के दौरान उद्यम पंजीकरण पोर्टल पर कुल 3,11,495 एम.एस.एम. ई. औद्योगिक इकाइयां पंजीकृत की गई हैं। इन इकाइयों ने 17,33,426 व्यक्तियों के लिए प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित किये हैं।

राज्य के हस्तशिल्पियों और बुनकरों को उन्नत तकनीक और आवश्यक वित्तीय और विपणन सहायता प्रदान करके प्रोत्साहित करने के लिए राजस्थान हस्तशिल्प नीति–2022 17 सितंबर, 2022 से लागू की गई है। यह शिल्प गांवों में बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ाएगा। इसके तहत विलुप्त होती पारंपरिक हस्तकलाओं को पुनर्जीवित करने के लिए प्रतिवर्ष हस्तशिल्प सप्ताह, विभिन्न राज्य स्तरीय पुरस्कार आयोजित करने का प्रावधान किया गया है।

राजस्थान में उत्पादित खनिज

17 धात्विक खनिज

एकमात्र उत्पादकः सीसा अयस्क, जस्ता अयस्क

अग्रणी उत्पादकः चांदी

39 अधात्विक खनिज

एकमात्र उत्पादकः सेलेनाइट, वोलास्टोनाइट

अग्रणी उत्पादकः सीमेन्ट ग्रेड एवं स्टील ग्रेड लाइमस्टोन

3 ईंधन खनिज

कच्चे तेल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक

22 गौण खनिज

अग्रणी उत्पादकः मार्बल, ग्रेनाइट, सेण्डस्टोन

निवेश संवर्द्धन ब्यूरो (बी.आई.पी.) के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022–23 (दिसम्बर, 2022 तक) के दौरान ₹1,50,082.69 करोड़ के प्रस्तावित निवेश एवं 31,823 व्यक्तियों हेतु रोजगार संभावनाओं से युक्त 36 प्रस्तावों की अनुशंषा की गई। राजस्थान सरकार द्वारा 7–8 अक्टूबर, 2022 को जयपुर में निवेश राजस्थान शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस शिखर सम्मेलन ने राज्य में निवेश को बढ़ावा दिया है, जिसके अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा ₹10.44 लाख करोड़ के 4,192 एम.ओ.यू. / एल.ओ.आई. पर हस्ताक्षर किए गए हैं। साथ ही राज्य में तीव्र, स्थायी एवं संतुलित औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने व वर्तमान रिप्स–2019 को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से इस शिखर सम्मेलन में राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना (रिप्स)–2022 का शुभारंभ किया गया है।

राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड (रीको), राज्य में औद्योगीकरण के विकास को गति देने वाली शीर्ष संस्था है। रीको द्वारा वित्तीय वर्ष 2022–23 (दिसम्बर, 2022 तक) के दौरान 2,212.04 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया, 270.03 एकड़ भूमि का विकास एवं 975 भूखण्ड (औद्योगिक, वाणिज्यिक, आवासीय तथा अन्य भूखण्ड सहित) आवंटित किए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2022–23 (दिसम्बर, 2022 तक) के दौरान रीको द्वारा राज्य में 8 नए औद्योगिक क्षेत्र का विकास किया है।

मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना 18 से 45 वर्ष आयु वर्ग के आवेदकों ₹15 लाख तक के वाणिज्यिक वाहन की खरीद पर आवेदक को वाहन की ऑन–रोड कीमत का 10 प्रतिशत अथवा ₹60,000 (जो भी कम हो) का अनुदान प्रदान करने के उद्देश्य से 11 अक्टूबर, 2022 को अधिसूचित की गई।

डॉ. भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित, आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना–2022 दिनांक 08 सितम्बर, 2022 को

अधिसूचित की गयी है। योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति/अनूसूचित जनजाति वर्ग के आवेदक उद्यमियों को 25 लाख रूपये से कम के ऋण पर 9 प्रतिशत, 25 लाख से 5 करोड रूपये तक के ऋण पर 7 प्रतिशत, 5 करोड रूपये से 10 करोड रूपये तक के ऋण पर 6 प्रतिशत तक ब्याज अनुदान उपलब्ध करवाया जा रहा है व परियोजना लागत का 25 प्रतिशत अथवा 25 लाख रूपये (जो भी कम हो) का मार्जिन मनी अनुदान राशि देय होगी।

राजस्थान देश के उन राज्यों में से एक है जो खनिजों का भण्डार है। यहां 81 विभिन्न प्रकार के खनिजों के भण्डार हैं। जिनमें से वर्तमान में 58 खनिजों का खनन किया जा रहा है। राज्य में प्रधान खनिजों के 169 खनन पट्टे, अप्रधान खनिजों के 15,759 खनन पट्टे एवं 17,462 खदान लाईसेन्स जारी हैं। वित्तीय वर्ष 2022—23 के दौरान खान एवं भू—विज्ञान विभाग को ₹8,000 करोड़ का राजस्व अर्जित करने का लक्ष्य दिया गया था। जिसके विरूद्व दिसम्बर, 2022 तक कुल ₹4,880.00 करोड़ का राजस्व अर्जित किया गया है।

राजस्थान, भारत में कच्चे तेल का महत्वपूर्ण उत्पादक राज्य है। राज्य में पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र 4 पेट्रोलीफेरस बेसिन के अन्तर्गत लगभग 1,50,000 वर्ग कि.मी. (14 जिले) क्षेत्र में फैला हुआ है। वित्तीय वर्ष 2022—23 (नवम्बर, 2022) के दौरान ₹3,603.38 करोड़ का राजस्व अर्जित किया गया है। राज्य सरकार द्वारा 30 नवंबर, 2022 को बाड़मेर बेसिन से तेल और गैस की खोज के लिए एक नया ब्लॉक गेल इण्डिया लिमिटेड को स्वीकृत किया गया है और जैसलमेर बेसिन से तेल और गैस उत्पादन के लिए एक नया ब्लॉक ऑयल इण्डिया लिमिटेड को 08 सितंबर, 2022 को एम.ओ.पी. एंड एन.जी. द्वारा डी.एस.एफ.—तृतीय के तहत दिया गया है एवं पी.एम.एल. की मंजूरी प्रक्रिया में है।

निर्यात

निर्यात विकासशील देशों के लिए निश्चित रूप से महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि यह व्यक्तियों व फर्मों को अधिक बाजार और माल/सामान प्रदान करता है। राजस्थान जैसा राज्य, जो संसाधनों और संभावनाओं से समृद्ध है उसे निर्यात, अधिक प्रतिस्पर्द्धा व बाजार हिस्सेदारी में वृद्धि, विक्रेताओं के लिए बेचने और उपभोक्ताओं को खरीदने के लिए असीमित विपणन अवसर, वृहत्तर प्रौद्योगिकी समावेशन आदि जैसे लाभ प्रदान करता है।

नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 के अनुसार, राजस्थान ने देश में कुल 11वीं रैंक हासिल करते हुए 47.13 का निर्यात तैयारी स्कोर तथा 6वीं रैंक हासिल करते हुए 40.23 का निर्यात प्रदर्शन स्तंभ स्कोर दर्ज किया है।

राजस्थान से निर्यात होने वाली शीर्ष पांच वस्तुओं के अन्तर्गत इंजीनियरिंग वस्तुएं, कपड़ा, धातु हस्तशिल्प और रसायन एवं सम्बद्ध शामिल हैं जिनका राज्य से होने वाले निर्यात में 60 प्रतिशत से अधिक योगदान है। वर्ष 2021—22 के दौरान राज्य का कुल निर्यात मूल्य ₹71,999.72 करोड़ रहा है।

एक जिला एक उत्पाद की शुरूआत 33 जिलों में से प्रत्येक से निर्यात क्षमता वाले उत्पादों और सेवाओं की पहचान कर उन्हें बढ़ावा देने तथा प्रत्येक जिले को एक संभावित निर्यात केंद्र के रूप में परिवर्तित/विकसित करने के उद्देश्य से की गयी है। जयपुर की ब्लू पॉटरी और रत्न व आभूषण, अजमेर का ग्रेनाइट/ मार्बल, कोटा का कढ़ाई का कपड़ा— कोटा डोरिया, अलवर का ऑटोमोबाइल पार्ट्स आदि कुछ जिलों के लक्षित उत्पादों में शामिल हैं।

वर्ष 2021—22 में राजस्थान से निर्यात में विभिन्न उत्पादों के योगदान को चित्र 0.3 में दर्शाया गया है।

चित्र 0.3 : वर्ष 2021—22 में राजस्थान से निर्यात

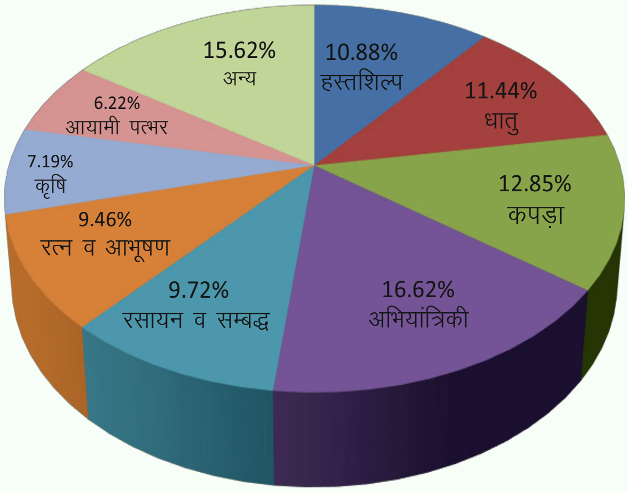

श्रम और रोजगार

रोजगार–बेरोजगारी और श्रम आंकड़े अर्थव्यवस्था की प्रगति के रोडमैप पर नजर रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए असंगठित श्रमिकों का डेटाबेस तैयार करने के लिए 26 अगस्त, 2021 को ई–श्रम पोर्टल की शुरुआत की गई। राजस्थान में नवंबर, 2022 तक इस पोर्टल पर कुल 1,27,11,351 असंगठित श्रमिकों को पंजीकृत किया गया है। राज्य सरकार द्वारा दिनांक 28 जून, 2022 को अधिसूचना जारी कर 1 जुलाई, 2021 से अकुशल, अर्द्धकुशल, कुशल एवं उच्च कुशल श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी की दरों को संशोधित कर क्रमशः ₹259, ₹271, ₹283 व ₹333 प्रतिदिन कर दिया गया है।

श्रम और रोजगार क्षेत्र के तहत राज्य की महिलाओं और युवाओं को ध्यान में रखते हुए आय के स्रोत तथा रोजगार के अवसरों का सृजन करने में मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना और प्रसूति सहायता योजना जैसी उपयोगी योजनाओं की श्रृंखला शुरू कर राजस्थान सरकार ने हमेशा एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किया है।

मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत, पात्र बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता पुरुषों के लिए ₹4,000 तथा महिला, ट्रांसजेंडर और विशेष योग्यजन व्यक्तियों के लिए ₹4,500 प्रति माह अधिकतम दो साल या जब तक वे नियोजित /स्व–नियोजित नहीं हो जाते, जो भी पहले हो, दिया जा रहा हैं।

राजस्थान सरकार ने खादी श्रमिकों को पर्याप्त पारिश्रमिक प्रदान करने और राज्य में खादी के उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 13 जुलाई 2022 से खादी कामगार आर्थिक प्रोत्साहन योजना शुरू की है। दिसंबर 2022 तक 1,054 श्रमिकों को ₹11.50 लाख की राशि का भुगतान किया जा चुका है।

ऊर्जा

राजस्थान में ऊर्जा उत्पादन के प्रमुख स्रोत ताप विद्युत परियोजनाएँ, जल विद्युत परियोजनाएँ, सौर व पवन ऊर्जा परियोजनाएँ, बायोमास परियोजनाएँ, कैप्टिव विद्युत संयंत्र परियोजनाएँ, अंतर्राज्यीय भागीदारी परियोजनाएँ और राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजनाएँ हैं। राज्य में 30 नवम्बर, 2022 तक विद्युत की अधिष्ठापित क्षमता 23,487.46 मेगावॉट हो गई है।

मार्च, 2019 तक राज्य का कुल अतिरिक्त उच्च वोल्टेज (ईएचवी) प्रसारण तंत्र 41,104.39 सर्किट किमी था, जो मार्च, 2022 तक बढ़कर 43,484.743 सर्किट किमी (पीपीपी के साथ) हो गया है। सम्पूर्ण प्रसारण तंत्र में 2018–19 से 2021–22 तक 5.79 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वित्तीय वर्ष 2022–23 (नवंबर, 2022 तक) के दौरान, कुल 120.20 सर्किट किमी को प्रसारण तंत्र में जोड़ा गया है।

राज्य में मार्च, 2019 से मार्च, 2022 तक ऊर्जा की उपलब्धता 8,116.73 करोड़ यूनिट से बढ़कर 9,080.92 करोड़ यूनिट हो गई हैं। 2018–19 से 2021–22 तक कुल ऊर्जा उपलब्धता में 11.90 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसी तरह कुल शुद्ध ऊर्जा उपभोग में भी 15.53 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

राज्य में शत–प्रतिशत ग्रामीण विद्युतीकरण को प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार ने नवम्बर, 2022 तक 43,965 गांवों का विद्युतीकरण किया है। इसके साथ ही नवंबर, 2022 तक 1.14 लाख ढाणियों और 97.05 लाख ग्रामीण घरों का भी विद्युतीकरण किया गया है।

भारत सरकार के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) के आंकलन के अनुसार, राजस्थान में सौर ऊर्जा से 142 गीगावाट बिजली उत्पादन की क्षमता है। शुष्क मरूस्थल के लिए जाना जाने वाला यह राज्य अब तेजी से हरित ऊर्जा के सबसे बड़े केंद्र के रूप में उभर रहा है। सोलर रूफ टॉप परियोजनाओं के अलावा, राज्य में दिसम्बर, 2022 तक कुल 13,531 मेगावाट (ग्राउण्ड माउन्टेड) क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्रों को स्थापित कर दिया गया है। इसके अलावा, राज्य सरकार ने निवेशकों के अनुकूल एक राजस्थान सौर ऊर्जा नीति, 2019 जारी की है।

आधारभूत संरचना (सड़क एवं परिवहन), सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार

राज्य के समग्र विकास के लिए एक ठोस भौतिक बुनियादी ढांचे की आवश्यकता होती है। वास्तव में निर्बाध सड़कों के साथ परिवहन क्षेत्र में विकास रोजगार के अवसर सृजित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

वर्ष 2022–23 में (नवम्बर, 2022 तक), कुल 9,39,513 मोटर वाहनों को पंजीकृत किया जा चुका है।

विगत अनेक वर्षों से राज्य के सड़क तंत्र को बेहतर बनाने के लिए महत्त्वपूर्ण प्रयास किए जा रहे हैं, फिर भी राज्य के सड़क तंत्र पर कार्य करने की आवश्यकता है। राज्य में वर्ष 1949 में सड़कों की लम्बाई सिर्फ 13,553 किलोमीटर थी, जो मार्च, 2022 तक बढ़कर 2,78,813.23 किलोमीटर हो गयी है। मार्च, 2022

तक, राज्य मे प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर सड़कों का घनत्व 81.47 किलोमीटर है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर सड़क घनत्व 165.23 किलोमीटर है।

डिजिटलीकरण के इस युग में, आईटी और संचार क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि राज्य की समग्र अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के साथ ऑनलाइन सूचना प्रवाह को एक नई दिशा प्रदान कर रही है।

आई स्टार्ट राजस्थान राज्य में नवाचार को बढ़ावा देने और निवेश को सुविधाजनक बनाने के लिए लागू किया गया राजस्थान सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है। आई स्टार्ट प्लेटफॉर्म 100 प्रतिशत ऑनलाइन सार्वजनिक या निजी स्टार्टअप की पहचान, स्टार्टअप प्रमोशन, स्टार्टअप फंडिंग आदि वाला प्लेटफॉर्म है, जो आज देश में राज्य द्वारा संचालित और प्रबंधित सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम में से एक है।

राजस्थान सम्पर्क पोर्टल एड–ऑन मॉड्यूल्स तथा एप्लिकेशन्स के साथ नागरिकों के लिए केन्द्रीयकृत शिकायत निवारण का मंच है। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के लिए एक नया टोल फ्री नम्बर (181) प्रारम्भ किया गया है। 1.12 करोड़ से अधिक शिकायतें/समस्याएं प्राप्त हुई जिनमें से लगभग 1.1 करोड़ शिकायतें/समस्याओं का समाधान किया जा चुका है।

राज–काज भावी पीढ़ी के लिए एक केन्द्रीयकृत आईटी प्लेटफॉर्म है, जो कार्यालय की उत्पादकता को बढ़ाता है और सेवा वितरण से जुड़ी आंतरिक प्रक्रियाओं को अंतिम उपयोगकर्ताओं के लिए कारगर बनाता है। सभी कर्मचारियों से संबंधित सेवाओं और कार्यालय प्रबंधन से संबंधित सभी प्रक्रियाओं को इलेक्ट्रॉनिक रूप से संपादित किया जा रहा है। 50,000 से अधिक क्षेत्रीय कार्यालयों में तैनात 9 लाख से अधिक कर्मचारी राज–काज एप्लिकेशन का उपयोग कर रहे हैं।

माननीय मुख्यमंत्री द्वारा राज्य के पूर्व स्नातक/स्नातक/स्नातकोत्तर विद्यार्थियों के लिए रोजगार के अवसरों को बढ़ाने की दृष्टि से 20 अगस्त, 2022 को राजीव गांधी सेंटर ऑफ़ एडवांस टेक्नोलॉजी (R-CAT) का उद्घाटन किया गया। इसके अंतर्गत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग, बिग डेटा, ब्लॉकचैन आदि विभिन्न लक्षित तकनीक हैं। वर्ष 2022–23 के दौरान आर–कैट के तहत 320 उम्मीदवारों को लाभान्वित किया गया है।

ग्रामीण शहरी विकास

ग्रामीण और शहरी विकास सम्बन्धित प्रक्रियाएं विभिन्न आधारभूत और विकासात्मक कार्यक्रमों को लागू कर अर्थव्यवस्था के साथ–साथ ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की जीवन शैली में सकारात्मक बदलाव लाने की प्रक्रिया हैं। शहरीकरण से तात्पर्य बेहतर जीवन एवं अधिक रोजगार के अवसरों की तलाश में आबादी का ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन से है। राजस्थान और भारत दोनों की कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत हिस्सा जनगणना 1961, 2001, 2011 और अनुमानित जनसंख्या 2021, 2031 के अनुसार नीचे चित्र 0.4 में दर्शाया गया है।

चित्र 0.4 : राजस्थान और भारत में शहरी जनसंख्या

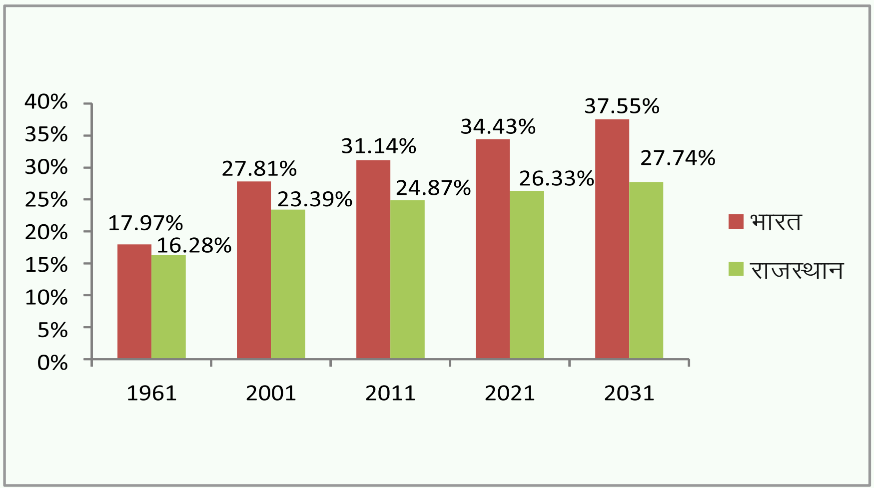

अति शहरीकृत जिले

कोटा (60.31 प्रतिशत)
जयपुर (52.40 प्रतिशत)
अजमेर (40.08 प्रतिशत)

न्यूनतम शहरीकृत जिले

डूंगरपुर (6.39 प्रतिशत)
बाड़मेर (6.98 प्रतिशत)
बांसवाड़ा (7.10 प्रतिशत)

ग्रामीण विकास से संबंधित कार्यक्रम

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) को ग्रामीण गरीबों के गरीबी उन्मूलन के लिए लागू किया गया है। वित्तीय वर्ष 2022–23 (नवंबर, 2022 तक) के दौरान इस परियोजना पर ₹412.40 करोड़ के बजट प्रावधान के विरुद्ध ₹209.34 करोड़ का व्यय किया गया है।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) ग्रामीण लोगों को रोजगार प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रही है। यह "काम के अधिकार" की गारंटी देती है। वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान (नवंबर, 2022 तक), ₹6,250.77 करोड़ का व्यय किया गया है तथा 51.41 लाख परिवारों को रोजगार प्रदान करके 2,079.11 लाख मानव दिवस सृजित किए गए हैं। साथ ही, राज्य बजट 2022–23 में 25 दिनों के अतिरिक्त रोजगार की घोषणा की गई है।

प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण– (पीएमएवाई–जी) ग्रामीण लोगों को बुनियादी सुविधाओं के साथ पक्का घर उपलब्ध कराने और "सभी के लिए आवास" के लक्ष्य को पूरा करने पर केंद्रित है। योजना के तहत लाभार्थियों का चयन सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना–2011 (एसईसीसी– 2011) के आंकड़ों के आधार पर किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान (दिसम्बर, 2022 तक) ₹2,49,732.03 लाख व्यय किए गए हैं तथा 2,38,379 नए आवासों का निर्माण किया गया है।

प्रशासन गांव के संग अभियान 2021 ग्रामीण क्षेत्र के मुद्दों का मौके पर समाधान के लिए राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया एक अभियान है। इस अभियान के अन्तर्गत बकाया कार्यों को पूर्ण करने हेतु पंचायत समिति मुख्यालय में 15 मई 2022 से 30 जून 2022 तक अनुसरण शिविर का आयोजन किया गया। नवम्बर, 2022 तक अभियान में पंचायती राज विभाग की प्रगति इस प्रकार है:

- अभियान में कुल 74,160 पट्टे जारी किए गए हैं।
- नाम हस्तान्तरण/उप–मंडल/पट्टों के पुनर्वैधीकरण/भूमि परिवर्तन के कुल 2,536 कार्य निष्पादित किए जा चुके हैं।
- पेयजल योजना से संबंधित कुल 7,634 शिकायतों का निराकरण किया गया।
- कुल 57,962 जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किए गए।
- स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजना के तहत 23,387 परिवारों को शौचालय निर्माण के लिए राशि प्रदान की गई।

शहरी विकास से संबंधित कार्यक्रम

राजस्थान आवासन मण्डल (आर.एच.बी.) का ध्येय बड़े पैमाने पर समाज व मुख्य रूप से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को किफायती दर पर आवास उपलब्ध कराने पर केन्द्रित है। आरएचबी द्वारा ई–बिड सबमिशन द्वारा बुधवार नीलामी उत्सव, अपनी दुकान अपना व्यवसाय, मुख्यमंत्री शिक्षक आवास योजना और मुख्यमंत्री प्रहरी आवास योजना, मानसरोवर, जयपुर में "सिटी पार्क" का विकास, जो जयपुर के सबसे बड़े पार्कों में से एक है, आदि जैसी विभिन्न योजनाओं की शुरुआत की गयी है। नवम्बर, 2022 तक, आरएचबी ने 2,59,682 आवासीय इकाइयों का निर्माण शुरू किया है, जिनमें से 2,52,572 आवासीय इकाइयां पूर्ण हो चुकी हैं, 2,51,646 आवासीय इकाइयों को आवंटित किया गया है और 2,40,529 आवासीय इकाइयां आवेदकों को सौंपी जा चुकी हैं। बोर्ड द्वारा निर्मित सभी घरों में से 60 प्रतिशत से अधिक इकाइयां आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) और अल्प आय वर्ग (एलआईजी) के लिए हैं।

प्रशासन शहरो के संग 2021 अभियान की शुरुआत आम नागरिकों की नगरीय निकायों से संबंधित समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए की गई है। अभियान के दौरान 30 नवम्बर, 2022 तक विभाग के 3 विकास प्राधिकरण एवं 14 नगर विकास न्यासों द्वारा कुल 1,66,307 पट्टों (1,00,590 कृषि भूमि पर, 1,509 कच्ची बस्तियों का विनियमन, 4,229 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा अल्प आय वर्ग (ईडब्ल्यूएस/एलआईजी) एवं पूर्व में जारी 59,979 पट्टों के समर्पण के पश्चात् पुनः जारी) का वितरण किया गया।

जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) जयपुर क्षेत्र के आधारभूत विकास के लिए उत्तरदायी है। यह रिंग रोड, फ्लाईओवर, पुल, पार्किंग स्थल, पार्क, सामुदायिक केंद्र आदि के निर्माण कार्य

करवाता है। वर्ष 2022–23 के दौरान (नवम्बर, 2022 तक) जयपुर विकास प्राधिकरण की कुल प्राप्तियां ₹1,007.03 करोड़ है जिसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रीय योजना बोर्ड (एन.सी.आर. पी.बी.) से 126.68 करोड़ का ऋण शामिल है तथा ₹1,058.49 करोड़ का व्यय किया गया है, जिसमें से ₹726.78 करोड़ पूंजीगत व्यय था।

जोधपुर विकास प्राधिकरण : जोधपुर विकास प्राधिकरण की वर्ष 2022–23 (नवम्बर, 2022 तक) में कुल प्राप्तियाँ ₹154.03 करोड़ हैं, जिसमें से ₹168.75 करोड़ सड़क फ्लाईओवर, पुल, विद्युतीकरण, सीवरेज कार्य, सड़कों के निर्माण/रखरखाव, पार्कों के विकास, अन्य नए निर्माण और रखरखाव कार्य पर व्यय किए गए।

इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना : शहरी क्षेत्रों में निवास करने वाले परिवारों को प्रतिवर्ष 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराने के लिये इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना लागू की गयी है। इस योजना के अन्तर्गत 213 निकायों में 9593 कार्यों की ₹675.80 करोड़ राशि चिन्हित की गयी, 3,67,816 जॉब कार्ड जारी किए गए तथा 30 नवम्बर, 2022 तक कुल 17,61,760 मानव दिवस सृजित किए जा चुके हैं।

पर्यटन

राजस्थान देश का एक ऐसा राज्य है जो ऐतिहासिक किलों, महलों, अद्वितीय हस्तशिल्प, समृद्ध संस्कृति और परंपराओं की वजह से पर्यटकों को आकर्षित करता है। यह पूरे देश में अपने बेहतरीन अतिथि–सत्कार के लिए जाना जाता है। राजस्थान में पर्यटन में पर्याप्त रोजगार के अवसर व आय के स्रोत सृजित करने की अपार क्षमता है, जो एक राज्य के समग्र विकास के लिए महत्वपूर्ण है। वर्ष 2022 (नवम्बर, 2022 तक) के दौरान, 986.32 लाख (983.24 लाख स्वदेशी तथा 3.08 लाख विदेशी) पर्यटकों ने राजस्थान में भ्रमण किया। राजस्थान में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची नीचे दर्शायी गई है :–

राजस्थान में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल

पहाड़ी किले	संरक्षित क्षेत्र	वेधशाला
• चित्तौड़गढ़ किला • कुम्भलगढ़ किला • रणथंभौर का किला • जैसलमेर का किला • आमेर का किला • गागरोन का किला	• सिटी वॉल परकोटा, जयपुर	• जंतर मंतर

राजस्थान में यूनेस्को विश्व धरोहर शहरः जयपुर

शिक्षा

राज्य सरकार शिक्षा के बेहतर विकास और बेहतर शैक्षिक आधारभूत संरचना उपलब्ध करवाकर लोगों की सामाजिक–आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए ठोस प्रयास कर रही है। राज्य द्वारा समग्र शिक्षा अभियान, सतत शिक्षा कार्यक्रम और नव भारत साक्षरता कार्यक्रम जैसे विभिन्न कार्यक्रमों/योजनाओं के माध्यम से पूर्ण साक्षरता और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है।

निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण योजना के अन्तर्गत राज्य

राजस्थान में शिक्षण संस्थान

35,963 राजकीय प्राथमिक विद्यालय

15,522 प्रारम्भिक कक्षाओं वाले राजकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय

19,839 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय

डाईस रिपोर्ट 2021–22 के अनुसार राजकीय विद्यालयों में कुल नामांकन 71.79 लाख है।

माध्यमिक शिक्षा के तहत राजकीय विद्यालयों (कक्षा 1 से 12वीं) में 58.62 लाख नामांकन है।

माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत 17,365 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं 134 स्वामी विवेकानन्द मॉडल विद्यालय राज्य में संचालित है।

सामान्य शिक्षा के 2,531 महाविद्यालय, जिनमें से 474 राजकीय महाविद्यालय, 16 राजकीय विधि महाविद्यालय, 2,033 निजी महाविद्यालय, 2 स्ववित्तपोषी संस्थाएं तथा 6 निजी सहभागिता से स्थापित महाविद्यालय हैं।

राज्य में कुल 82 अभियांत्रिकी महाविद्यालय हैं, इनमें से 17 राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय हैं तथा 65 निजी महाविद्यालय हैं, जिनमें कुल वार्षिक प्रवेश क्षमता लगभग 29,087 विद्यार्थी है।

प्रबंधन शिक्षा में पीजी स्तर पर 49 संस्थान (7 सरकारी और 42 निजी) हैं, जिनमें कुल वार्षिक प्रवेश क्षमता लगभग 3,282 विद्यार्थी है।

राज्य में 1,484 शिक्षक–प्रशिक्षण महाविद्यालय, 28 राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालय, 52 निजी विश्वविद्यालय तथा 8 डीम्ड विश्वविद्यालय हैं।

राज्य के जोधपुर जिले में एक भारतीय तकनीकी संस्थान (आई.आई.टी.), आईआईआईटी कोटा, एमएनआईटी जयपुर तथा एक भारतीय प्रबन्धन संस्थान (आई.आई.एम.) उदयपुर में संचालित हैं।

राज्य में 30 नवंबर, 2022 तक 30 मेडिकल कॉलेज हैं, इनमें से 6 राजकीय क्षेत्र के हैं। एक राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (आर.यू.एच.एस.) का संघटक कॉलेज, 12 मेडिकल कॉलेज, राजस्थान मेड़िकल एज्यूकेशन सोसायटी (राज–मेस) के तहत, एक ई.एस.आई. कॉलेज, अलवर, एक अखिल भारतीय मीराबाई आयुर्विज्ञान संस्थान, जोधपुर व शेष 9 निजी क्षेत्र में हैं।

सरकार राज्य पाठ्यपुस्तक मण्डल, जयपुर के माध्यम से सभी सरकारी विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध करवा रही है। वर्ष 2022–23 में ₹90 करोड़ की राशि प्राप्त हुई है तथा नवम्बर, 2022 तक राज्य के सभी राजकीय विद्यालयों में ₹50.53 करोड़ की पाठ्यपुस्तकें सफलतापूर्वक वितरित की गई।

प्री–मेट्रिक छात्रवृत्ति एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी., एस.बी.सी. और डी.टी.एन.टी सीमान्त क्षेत्र (ओ.बी.सी.) के छात्रों को प्रदान की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2022–23 में, इस योजना के अन्तर्गत ₹2,927.45 लाख आवटंन के विरूद्व (नवम्बर, 2022 तक) ₹305.08 लाख खर्च किए गए है।

निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009: यह अधिनियम राज्य में दिनांक 1 अप्रैल, 2010 से लागू किया गया है। इस अधिनियम के तहत निजी विद्यालयों में कमजोर वर्ग और वंचित वर्ग के बालक/बालिकाओं के लिए 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित है। राज्य सरकार ने निजी विद्यालयों में 25 प्रतिशत निःशुल्क प्रवेश (राज्य के नियमों के आधार) की प्रभावी निगरानी एवं समय पर पुनर्भरण के लिए एक वेबपोर्टल www.rajpsp.nic.in विकसित किया है। राज्य सरकार द्वारा इन विद्यालयों को वर्ष 2021–22 (नवंबर, 2022 तक) की प्रथम एवं द्वितीय किस्त के लिए ₹416 करोड़ राशि की प्रतिपूर्ति की गई है।

राज्य में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 316 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (के.जी.बी.वी.) कार्यरत हैं और इन स्कूलों में 40,460 बालिकाएं पढ़ रही हैं। इसके लिए स्वीकृत राशि ₹20,578.45 लाख के विरूद्ध जिलों को ₹16,585.09 लाख आवंटित किये गये हैं।

राज्य में कार्यरत सभी यूजी, पीजी तथा एमबीए स्तर के स्वायत्त/निजी अभियांत्रिकी महाविद्यालय राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा, बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय, बीकानेर, एमबीएम विश्वविद्यालय, जोधपुर, मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर, महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर, कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर एवं गोविंद गुरू जन जाति विश्वविद्यालय, बांसवाड़ा से सम्बद्ध हैं।

वर्ष 2022–23 में केन्द्रीय प्रवर्तित योजना (सीएसएस) के द्वितीय चरण के तहत मेडिकल कॉलेज, धौलपुर तथा सीएसएस के तृतीय चरण के तहत मेडिकल कॉलेज, श्री गंगानगर, चित्तौड़गढ़ और सिरोही में प्रति कॉलेज 100 एमबीबीएस सीट क्षमता के साथ शैक्षणिक सत्र शुरू किया गया है। केन्द्रीय प्रवर्तित योजना के तृतीय चरण के अन्तर्गत 15 नये मेड़िकल कॉलेज यथा अलवर, बांरा, बांसवाड़ा, बून्दी, चित्तौड़गढ़, जैसलमेर, करौली, नागौर, श्रीगंगानगर, सिरोही, दौसा, झुन्झुनूं, हनुमानगढ़, टोंक एवं सवाईमाधोपुर में खोले जाने की स्वीकृति भारत सरकार से वर्ष 2019–20 के दौरान प्राप्त हो चुकी है। राज्य द्वारा कुल ₹4,875.00 करोड़ की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है।

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

राज्य सरकार समाज के सभी वर्गों, विशेष रूप से गरीब और कमजोर वर्गों के हित में स्वास्थ्य और देखभाल सेवाओं की गुणवत्ता बेहतर बनाने के लिए भरपूर प्रयास कर रही है।

शिशु मृत्यु दर और प्रसव के दौरान उच्च मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए राज्य में ''राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना'' संचालित की जा रही है जिसमें गर्भवती महिलाओं और शिशुओं को निःशुल्क चिकित्सा एवं अन्य सुविधाऐं भारत सरकार के सहयोग से उपलब्ध करायी जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत निःशुल्क दवाएं और उपभोग्य वस्तुएं, प्रयोगशाला जाँच, भोजन, रक्त तथा यातायात की सुविधाएं आदि प्रदान की जा रही हैं। वित्तीय वर्ष 2022–23 (नवम्बर, 2022) में 23.60 लाख गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क दवा, 9.16 लाख गर्भवती महिलाओं को जांच, 6.39 लाख गर्भवती महिलाओं को ताजा पका हुआ भोजन, 4.22 लाख गर्भवती महिलाओं को घर से अस्पताल तक परिवहन, 27,463 गर्भवती महिलाओं को चिकित्सालय से उच्च चिकित्सा संस्थान तक परिवहन, 4.72 लाख गर्भवती महिलाओं को चिकित्सा संस्थान से घर तक परिवहन एवं 48,574 गर्भवती महिलाओं को रक्त सुविधा प्रदान की गई है। नवंबर, 2022 तक कुल 3,03,955 बच्चों ने निःशुल्क दवा, 1,19,656 प्रयोगशाला परीक्षण, 2,713 रक्त संचार सेवाएं एवं 70,978 परिवहन सेवाओं का लाभ उठाया।

होम्योपैथी
333

आधुनिक चिकित्सा
17,796

आयुर्वेद
3,783

राजस्थान में राजकीय स्वास्थ्य संस्थान (30 नवम्बर, 2022 तक)

प्राकृतिक चिकित्सा
39

यूनानी
273

राजस्थान और भारत दोनों की कुल प्रजनन दर, शिशु मृत्यु दर और संस्थागत जन्म

कुल प्रजनन दर
(प्रति महिला बच्चे)

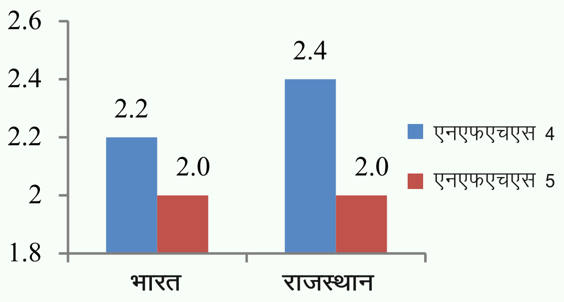

शिशु मृत्यु दर
(प्रति हजार पर जीवित जन्म)

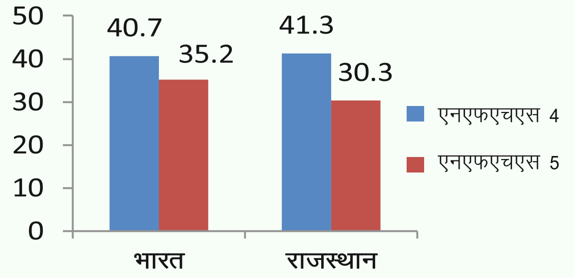

संस्थागत जन्म
(स्वास्थ्य सुविधाओं में होने वाले जन्म का प्रतिशत)

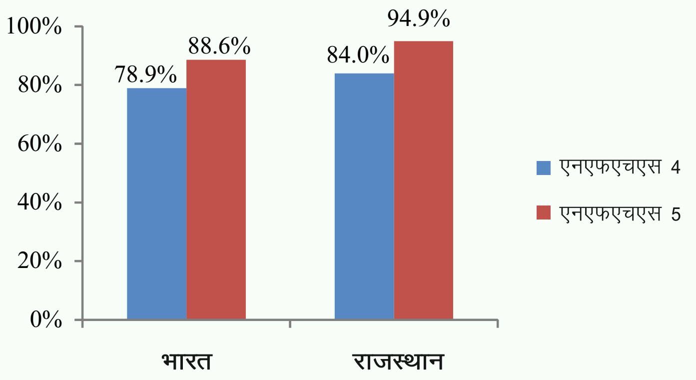

सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) में परिभाषित सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ते हुए, राजस्थान राज्य ने 1 मई, 2021 से मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना (एम.एम.सी.एस.बी.वाई.) शुरू करके स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में एक नई पहल की है, जो राज्य की पूरी आबादी को स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करता है।

मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत उपचारित मरीज (वित्तीय वर्ष 2022–23 में नवम्बर, 2022 तक)

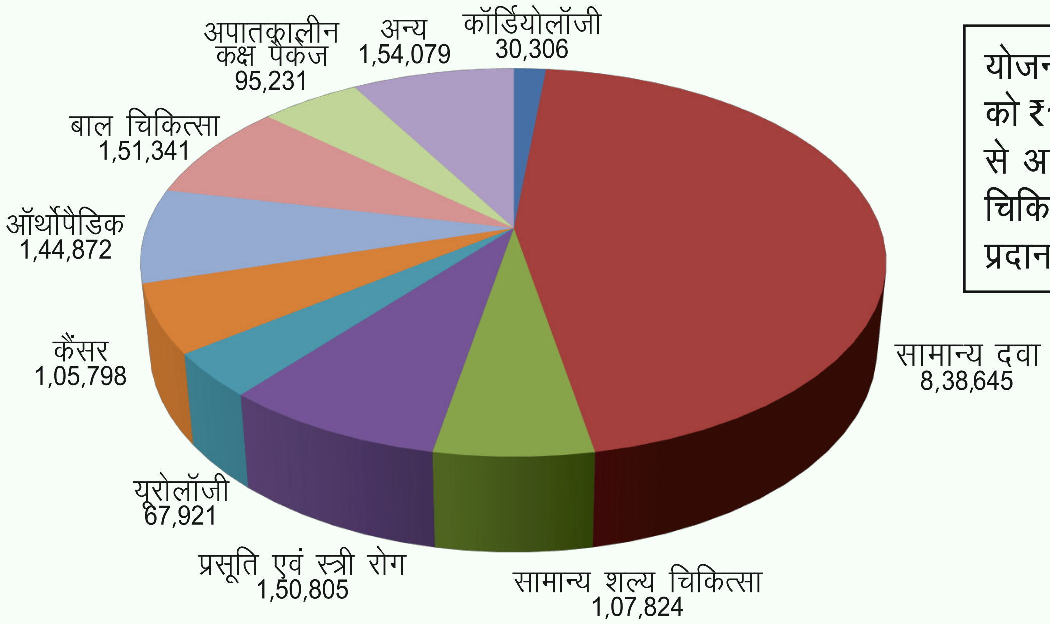

योजनान्तर्गत मरीजों को ₹1,998.77 करोड़ से अधिक की चिकित्सा सुविधा प्रदान की गई।

जलापूर्ति

क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य होने के बावजूद राजस्थान में जल संसाधन बहुत अल्प मात्रा में हैं। रुक–रुक कर होने वाली वर्षा, घटते जल स्तर और विशाल पशुधन ने पीने योग्य पानी की उपलब्धता के कार्य को और भी चुनौतीपूर्ण बना दिया है। इसे ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार द्वारा शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए विभिन्न पेयजल योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। राज्य सरकार के अथक प्रयासों से पेयजल समस्या का धीरे–धीरे समाधान किया जा रहा है। राज्य में 1 अप्रैल, 2022 की स्थिति के अनुसार कुल 1,21,979 बस्तियों में से 53,172 को पूर्ण रूप से, 58,379 को आंशिक रूप से पेयजल उपलब्ध कराया गया है तथा शेष 10,428 बस्तियां स्वच्छ पेयजल गुणवत्ता से प्रभावित हैं।

जल जीवन मिशन को वर्ष 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन (एफ.एच.टी.सी.) के माध्यम से पीने योग्य पानी उपलब्ध करवाने हेतु क्रियान्वित किया जा रहा है। जल जीवन मिशन के अन्तर्गत अब तक ₹69,940 करोड़ की स्वीकृति जारी की जा चुकी है, जिसमें 10,655 एकल जल प्रदाय योजनाएँ एवं 133 वृहद पेयजल परियोजनाएँ शामिल है। घरेलू कनेक्शन से 32.06 लाख से अधिक ग्रामीण परिवार लाभान्वित हुए हैं। इसके तहत दिसम्बर, 2022 तक ₹11,407.25 करोड़ का संचयी व्यय किया गया है।

31 मार्च, 2022 तक 25.24 लाख कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन और 2022–23 के दौरान (दिसम्बर, 2022 तक) 6.78 लाख नये कनेक्शन प्रदान किये जा चुके हैं।

सतत् विकास लक्ष्य (एसडीजी)

एसडीजी, जिन्हें वैश्विक लक्ष्यों के रूप में भी जाना जाता है, को संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों द्वारा गरीबी को समाप्त करने, ग्रह की रक्षा करने और वर्ष 2030 तक सभी लोगों की समृद्धि और शांति सुनिश्चित करने के लिए एक सार्वभौमिक आह्वान के रूप में अपनाया गया है। इन 17 लक्ष्यों एवं 169 टार्गेट्स को वर्ष 2030 तक अर्जित किया जाना है।

एस.डी.जी. 2030 एजेण्डा

"हमारी दुनिया को बदलना: सतत् विकास के लिए एजेण्डा–2030"

नीति आयोग द्वारा जारी एस.डी.जी. इंडिया इंडेक्स व डेशबोर्ड के तृतीय संस्करण में भारत के समग्र स्कोर में सुधार हुआ है जो कि वर्ष 2019–20 के 60 से बढ़कर वर्ष 2020–21 में 66 हो गया है, जो यह दर्शाता है कि देश एस.डी.जी. को अर्जित करने की अपनी यात्रा में समग्र रूप से आगे बढ़ा है। **राजस्थान ने भी अपने समग्र एस.डी.जी. स्कोर में सुधार किया है, यह वर्ष 2019–20 के 57 से बढ़कर वर्ष 2020–21 में 60 हो गया है।**

राज्य में एस.डी.जी. के प्रभावी क्रियान्वयन एवं मॉनिटरिंग हेतु राज्य की प्राथमिकताओं के अनुरूप **राज्य संकेतक फ्रेमवर्क (एस.आई.एफ.)** विकसित किया गया है। **एस.आई.एफ. वर्जन–2.0 में कुल 330 संकेतक सम्मिलित हैं।**

जिला स्तर पर एस.डी.जी. की प्रगति मापने तथा मॉनिटरिंग करने हेतु **जिला संकेतक फ्रेमवर्क (डी.आई.एफ.)** विकसित किया गया है। **डी.आई.एफ. के वर्जन–2.0 में कुल 226 संकेतक सम्मिलित हैं।**

राजस्थान एस.डी.जी. इंडेक्स का तृतीय संस्करण मार्च–2022 में जारी किया गया, जिसकी गणना 14 सतत् विकास लक्ष्यों के 75 संकेतकों पर की गई है। राजस्थान एस.डी.जी. इंडेक्स–3.0 में जिला जयपुर सूची में शीर्ष पर है, जबकि जिला बारां, राजस्थान के 33 जिलों में सबसे अंतिम स्थान पर है।

राज्य के सतत् विकास के लिये राज्य सरकार पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है और एस.डी.जी. को अर्जित करने वाले अपने प्रयासों को राज्य सरकार ने गति प्रदान की है। राज्य में एस.डी.जी. के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, योजना भवन, जयपुर में एक सेल/केन्द्र स्थापित किया गया है। जिला स्तर पर जिला कलक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय सतत् विकास लक्ष्य कार्यान्वयन एवं निगरानी समितियों का गठन किया गया है।

मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद (सी.एम.आर.ई.टी.ए.सी.)

राज्य के आर्थिक–वित्तीय परिदृश्य में सुधार के लिए थिंक–टैंक के रूप में कार्य करने हेतु मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद (CMRETAC) का गठन

किया गया। परिषद निम्नलिखित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कार्य कर रही हैं:–

- राज्य की आर्थिक वृद्धि एवं विकास में आ रही चुनौतियों की पहचान कर विशिष्ट कार्यवाही योग्य सलाह देना।
- राज्य के विशिष्ट आर्थिक एवं वित्तीय नीतिगत विषयों के गहन विश्लेषण हेतु अध्ययन करना।
- राज्य में की जा रही नवीन पहल को चिन्हित कर, उनकी मध्य अवधि प्रगति को सुनिश्चित करना तथा इनके क्रियान्विति के विभिन्न स्तरों की समीक्षा करना।
- राज्य की विकास योजनाओं में आने वाली मध्यम अवधि की चुनौतियों के सम्बन्ध में समुचित समाधान देने एवं इनके प्रभावी क्रियान्वयन हेतु सुझाव देना।
- परिषद की सिफारिशों को लागू करने के लिए संबद्ध विभागों को समय–समय पर मार्गदर्शन प्रदान करना और आवश्यकता अनुसार मध्य अवधि सुधार/ संशोधन के सुझाव देना।
- राज्य की आर्थिक विकास एवं वृद्धि पर प्रभाव डालने वाले विषयों पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठित वक्ताओं के व्याख्यान आयोजित करना।

परिषद द्वारा राज्य के सामाजिक–आर्थिक विकास से जुड़े निम्नलिखित विषयों पर अध्ययन पत्र तैयार कराये जा रहे है, जो इन क्षेत्रों के लिए भावी नीति–निर्धारण हेतु उपयोगी होगें:–

- शहरी अनौपचारिक क्षेत्र का प्रबंधन
- सतत् कृषि
- ग्रामीण क्षेत्रों में एकीकृत कृषि व्यवसाय बुनियादी ढांचे का विकास
- अर्थव्यवस्था में अमूर्त सांस्कृतिक संपत्ति के योगदान की मात्रा निर्धारित करना
- शिक्षा और नए प्रतिमान
- चिकित्सा सेवाएं
- व्यवसाय करना
- बुनियादी ढाँचे में सार्वजनिक–निजी भागीदारी
- राज्य का राजकोषीय प्रबंधन

कार्य योजना 2022–23 के अनुसार निम्न विषयों पर अध्ययन पत्र तैयार किये जा रहे हैं:

- बेहतर नीति निर्माण और साक्ष्य आधारित निर्णय लेने के लिए डेटा का उपयोग करना।
- एनर्जी ट्रांजिशन रोडमैप बनाना।
- ग्रामीण क्षेत्रों का शहरीकरण।
- ई–कॉमर्स के युग में व्यापार को नया स्वरूप देना।
- लचीली अर्थव्यवस्था के सार्वजनिक व्यय की गुणवत्ता में सुधार के लिए एक विश्लेषणात्मक ढांचा विकसित करना।
- जलवायु चुनौतियों का सामना करने के लिए संस्थानों को पुनर्गठित करना।

फ्लेगशिप योजनाएं

राज्य सरकार द्वारा समाज के वंचित वर्गों के सशक्तिकरण तथा उन्हें विकास की मुख्य धारा में लाने के उद्देश्य से अंतर्निहित 33 योजनाओं/कार्यक्रमों को स्टेट फ्लेगशिप कार्यक्रम में घोषित करने का निर्णय लिया गया है।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति

₹1 प्रति किलोग्राम गेहूं : 1 मार्च, 2019 से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत ए.ए.वाई. परिवारों को प्रति राशन कार्ड 35 किग्रा. गेहूं और बी.पी.एल. और स्टेट बी.पी.एल. को प्रति इकाई प्रतिमाह 5 किग्रा. गेहूं ₹2 प्रति किलोग्राम के स्थान पर ₹1 प्रति किलोग्राम में उपलब्ध करवाया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2022–23 के दौरान नवम्बर, 2022 तक औसतन 1.38 करोड़ व्यक्तियों को प्रतिमाह कुल 6.11 लाख मैट्रिक टन गेहूँ उपलब्ध कराया गया।

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

शुद्ध के लिए युद्ध अभियान : राज्य के सभी उपभोक्ताओं को शुद्ध खाद्य वस्तुएं उपलब्ध कराने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा 26 अक्टूबर, 2020 से ''शुद्ध के लिए युद्ध'' अभियान चलाया जा रहा है। एक टीम का गठन किया गया है जिसमें प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस अधिकारी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, प्रर्वतन अधिकारी, कानूनी मेट्रोलॉजी अधिकारी तथा डेयरी प्रतिनिधि शामिल हैं। खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के लिए राज्य स्तरीय और जिला स्तरीय गुणवत्ता नियंत्रण समिति का गठन किया गया है। इस अभियान के तहत नवम्बर, 2022 तक 13,166 निरीक्षण कर 13,066 नमूने लिए गए।

निरोगी राजस्थान अभियान : यह अभियान राजस्थान के सभी नागरिकों की स्वास्थ्य समस्याओं और उनके निवारण के लिए 18 दिसंबर, 2019 को शुरू किया गया। इस योजना के तहत मौसमी संचारी रोग, असंक्रामक रोग, प्रदुषण आदि पर नियंत्रण के प्रयास किये जा रहे है।

मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना : "मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना" और "मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना" की सीमाओं का विस्तार करने के लिए 1 मई, 2022 से "मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना" की शुरूआत की गयी।

- **मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना :** इस योजना के तहत राजकीय चिकित्सा देखभाल संस्थानों में आने वाले सभी इनडोर और आउटडोर रोगियों को आवश्यक दवा निःशुल्क प्रदान की जा रही है। वर्तमान में, आवश्यक दवा सूची के अनुसार, 1,594 दवाईयां, 928 सर्जिकल आइटम और 185 सूचर्स सूचीबद्ध हैं। वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान ₹854.40 करोड़ का व्यय कर 7.48 करोड़ रोगीयों को निःशुल्क दवा दी गई।

- **मुख्यमंत्री निःशुल्क जाँच योजना :** इस योजना के तहत राजकीय चिकित्सा देखभाल संस्थानों में आने वाले सभी इनडोर और आउटडोर रोगियों को आवश्यक जाँच की सुविधाए निःशुल्क प्रदान की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान 8.10 करोड़ से अधिक निःशुल्क जांच कर 2.55 करोड़ लोगों को लाभान्वित किया गया हैं।

मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना (एम.एम.सी.एस.बी.वाई.) : 1 मई, 2021 से मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना (एम.एम.सी.एस.बी.वाई.) शुरू कर राजस्थान राज्य द्वारा स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र में एक और पहल की गयी, जो राज्य की पूरी आबादी को स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करती है। 899 निजी और 834 राजकीय अस्पतालों को इस योजना के तहत सेवाएं प्रदान करने हेतु पैनलबद्ध किया गया है। वित्तीय वर्ष 2022–23 में नवम्बर, 2022 तक 18.25 लाख रोगियों के लिए ₹1,998.77 करोड़ के 35.96 लाख दावे प्रस्तुत किए गए हैं।

स्वायत्त शासन

इंदिरा रसोई योजना : राजस्थान सरकार ने 20 अगस्त, 2020 को राज्य के सभी 213 नगरीय स्थानीय निकायों में 358 स्थायी रसोई के माध्यम से "इंदिरा रसोई योजना" का शुभारम्भ किया, जिसमें आम जनता को ₹8 प्रति थाली में शुद्ध व पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाया जा रहा है। इसके अन्तर्गत नवंबर, 2022 तक 8.36 करोड़ भोजन थाली परोसकर जरूरतमन्दों को लाभान्वित किया जा चुका है।

इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना : इस योजना के तहत शहरी क्षेत्र के 5 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को ₹50,000 का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। 30 नवम्बर, 2022 तक 1,76,849 लाभार्थियों के आवेदन बैंकों को भेजे जा चुके हैं और 43,220 लाभार्थियों को ₹160 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है।

स्कूल शिक्षा

महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय : राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर राज्य सरकार द्वारा सत्र 2019–20 से कक्षा 1 से 12वीं तक के राजकीय विद्यालयों को महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम) में परिवर्तित कर राजकीय विद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम में अध्ययन का प्रावधान शुरू किया गया है। वर्तमान में राज्य में कुल 1,639 महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम) संचालित हैं। इन विद्यालयों में 3,03,146 विद्यार्थियों का नामांकन है।

मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना : मिड–डे–मील योजना के तहत राजकीय विद्यालयों, मदरसों और विशेष प्रशिक्षण केंद्रों के विद्यार्थियों को सप्ताह में दो दिन (मंगलवार और शुक्रवार) मिल्क पाउडर से तैयार दूध उपलब्ध करवाया जाएगा। राजस्थान सहकारी दुग्ध संघ द्वारा 1 किग्रा पैकिंग का दूध पाउडर ₹400 प्रति किग्रा. की दर से विद्यालयों में उपलब्ध करवाया जाएगा। इस योजना में ₹47,644 लाख का बजट प्रावधान किया गया है तथा प्रथम तिमाही में जिलों को ₹24,582.58 लाख जारी किए गए।

मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना : यह योजना 1 से 8वीं कक्षा तक के राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत समस्त विद्यार्थियो को यूनिफॉर्म फैब्रिक के दो सेट निःशुल्क प्रदान करती है। सभी विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म सिलाई हेतु राज्य सरकार ₹94.61 करोड़ उपलब्ध करवा रही है। इस प्रकार राज्य सरकार द्वारा कक्षा 1 से 8वीं तक राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत समस्त विद्यार्थियों को निःशुल्क यूनिफॉर्म के 2 सैट वितरण हेतु कुल राशि ₹500.10 करोड़ में से राशि ₹325.87 करोड़ राज्य मद से वहन किया गया है।

कृषि

राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति, 2019 : यह नीति किसान की आय बढ़ाकर किसानों और उनके संगठनों की भागीदारी बढ़ाने पर केंद्रित है। इस नीति में किसानों और उनके संगठन को अधिकतम ₹100 लाख के अधीन परियोजना लागत के 50 प्रतिशत तक कृषि–प्रसंस्करण अवसंरचना स्थापित करने के लिए पूंजीगत अनुदान का प्रावधान है। कृषि प्रसंस्करण नीति, 2019 के अन्तर्गत कृषि प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना हेतु ₹1,670.36 करोड़ का निवेश किया गया है तथा नवम्बर, 2022 तक 880 उद्यमियों एवं कृषकों को ₹282.09 करोड़ का अनुदान स्वीकृत किया जा चुका है।

उद्योग

राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना–2022 : राज्य में तीव्र, स्थायी एवं संतुलित औद्यााेगिक विकास को बढ़ावा देने हेतु राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना–2019 को और अधिक व्यापक बनाते हुए राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना–2022 को 07 अक्टूबर, 2022 से लागू किया गया है। योजना के मुख्य उद्देश्य 15 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर से विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों का विकास, संतुलित और समावेशी क्षेत्रीय विकास, वर्ष 2027 तक 10 लाख लोगों के लिए रोजगार के अवसरों का सृजन, हरित हाइड्रोजन, वैकल्पिक ऊर्जा, चिकित्सा उपकरणों आदि जैसे नवीन क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन और पर्यावरण सरंक्षण के प्रयासों को बढ़ावा देना है।

इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022–23 में दिसम्बर, 2022 तक ₹7,762.15 करोड़ के निवेश प्रस्ताव के साथ कुल 605 पात्रता प्रमाण पत्र जारी किये गये हैं।

सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम (एम.एस.एम.ई.)

मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना (एम.एल.यू.पी.वाई.) : इस योजनान्तर्गत छोटे पैमाने के उद्यमियों को विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए ₹25 लाख तक के ऋण पर 8 प्रतिशत, ₹5 करोड़ तक के ऋण पर 6 प्रतिशत तथा ₹10 करोड़ तक के ऋण पर 5 प्रतिशत ब्याज पर अनुदान प्रदान किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2022–23 (दिसम्बर, 2022 तक) के दौरान 6,566 उद्यमियों को ₹1,200.47 करोड़ की राशि का ऋण वितरित किया गया।

राजस्थान सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम (फैसिलिटेशन ऑफ एस्टेबलिशमेंट एण्ड ऑपरेशन) अधिनियम–2019 : राजस्थान सरकार ने इस अधिनियम के कार्यान्वयन हेतु 12 जून, 2019 को एक वेब पोर्टल लॉन्च किया, जिस पर आवेदन दर्ज किए जाते हैं। एमएसएमई इकाई को, इलेक्ट्रॉनिक या भौतिक रूप से 'डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट' नोडल एजेंसी को प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है, जो एक 'पावती प्रमाण–पत्र' जारी करती है। पावती प्रमाण–पत्र जारी होने से लेकर 3 साल तक एक एमएसएमई को राज्य के सभी कानूनों के तहत अनुमोदन और निरीक्षण से छूट दी जाएगी। वित्तीय वर्ष 2022–23 (दिसम्बर, 2022 तक) में 2,694 डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट प्राप्त हुए एवं उनको तुरंत प्रभाव से पावती प्रमाण–पत्र जारी किए जा चुके हैं। इनमें से 1,511 सूक्ष्म (माइक्रो) श्रेणी, 762 लघु श्रेणी और 421 मध्यम श्रेणी के प्रमाण–पत्र जारी किए गए हैं।

कौशल, रोजगार व उद्यमिता

मुख्यमंत्री युवा संबल योजना : इस योजना के तहत बेरोजगारी भत्ता पुरुष के लिए ₹4,000 तथा महिला, ट्रांसजेंडर और विशेष रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए ₹4,500 प्रति माह पात्र बेरोजगार युवाओं को अधिकतम दो साल या जब तक वे नियोजित/स्व–नियोजित नहीं हो जाते, जो भी पहले हो, दिया जा रहा था। इस योजना को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए आवेदकों को बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के लिए अनिवार्य रूप से विभिन्न सरकारी विभागों में कम से कम तीन महीने के लिए कौशल प्रशिक्षण के बाद प्रतिदिन चार घंटे के लिए इंटर्नशिप करनी होगी। कैलेंडर वर्ष 2022 के दौरान, (दिसम्बर, 2022 तक) 1,66,565 उम्मीदवारों को इंटर्नशिप प्रदान की गई हैं तथा 25,368 उम्मीदवारों को कौशल प्रशिक्षण के लिए भेजा गया है।

आयोजना

राजस्थान जन–आधार योजना : जन आधार कार्ड को परिवार एवं उसके सदस्यों की ''एक कार्ड, एक नम्बर और एक पहचान'' की विचारधारा के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए बनाया गया है। इस योजना के तहत 31 दिसम्बर, 2022 तक नामांकित परिवारों की संख्या 1.94 करोड़, नामांकित व्यक्तियों की संख्या 7.57 करोड़, कुल ट्रांजेक्शन (नकद व गैर–नकद) ₹127.62 करोड़ और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण द्वारा कुल नकद लाभ हस्तांतरण ₹52,445 करोड़ है।

सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार

जन सूचना पोर्टल : सरकार द्वारा क्रियान्वित सभी योजनाओं की जानकारी एक ही जगह पर सुलभ, पारदर्शी और विश्वसनीय तरीके से उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से जन सूचना पोर्टल विकसित किया गया है। पोर्टल पर 331 राजकीय योजनाओं से संबंधित 115 विभागों की 690 बिन्दुओं की जानकारी दर्शाते हुए रीयल टाइम डाटा प्रदर्शित किया जा रहा है।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना : सहयोग एवं उपहार योजना को परिवर्तित कर मुख्यमंत्री कन्यादान योजना कर दिया गया हैं। इस योजना के अन्तर्गत लड़कियों को विभिन्न चरणों में लाभान्वित किया जा रहा हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक वर्ग के बी.पी.एल. परिवारों की 18 वर्ष या इससे अधिक आयु की लड़कियों के विवाह पर ₹31,000 उपहार स्वरूप दिए जा रहे हैं। इस योजना के तहत वर्ष 2022–23 में (माह दिसम्बर, 2022 तक) 19,629 लड़कियों को ₹7,109.03 लाख की राशि से पुरस्कृत किया गया है।

सिलिकॉसिस पॉलिसी : खदानों, कारखानों, पत्थर तोड़ने, पत्थर की घिसाई इत्यादि कार्यों से धूल के सम्पर्क में आने से सिलिकॉसिस एक लाइलाज बीमारी बन गयी है। इस नीति में सिलिकॉसिस पीड़ित व्यक्ति को आर्थिक मदद के साथ–साथ ऐसे कार्य स्थल एवं श्रमिकों की पहचान, पुनर्वास, बीमारी की रोकथाम व नियन्त्रण के उपाय भी अपनाए जाते हैं। इसमें अंतिम संस्कार के लिए ₹10,000 की आर्थिक सहायता देने का प्रावधान है। दिसम्बर, 2022 तक ₹33,407.40 लाख व्यय कर 11,050 सिलिकॉसिस पीड़ितों / परिवारों को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवायी गयी है।

मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना : इस योजना के अन्तर्गत विधवाओं, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता महिलाओं को पेंशन प्रदान की जा रही है। वर्ष 2022–23 के दौरान दिसम्बर, 2022 तक इस पेंशन योजना के तहत 18,20,248 लाथार्थियों को कुल ₹1,72,262.24 लाख की राशि वितरित की जा चुकी है।

मुख्यमंत्री वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना : वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना के तहत, 55 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिलाएं और 58 वर्ष और उससे अधिक आयु के पुरुष ₹750 प्रति माह पाने के पात्र हैं। 75 वर्ष और उससे अधिक आयु के बाद, वृद्धावस्था पेंशनभोगी ₹1,000 प्रति माह पाने के पात्र हैं। वर्ष 2022–23 के दौरान दिसम्बर, 2022 तक ₹4,24,611.58 लाख की राशि व्यय की जा चुकी है, जिससे 53,96,466 वृद्धजन लाभान्वित हुए हैं।

मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना : इस योजना में राज्य सरकार विभिन्न विशेष योग्यजनों को ₹750 से ₹1500 प्रतिमाह की पेंशन प्रदान कर रही है। वर्ष 2022–23 में (दिसम्बर, 2022 तक) कुल ₹47,260.18 लाख की राशि उपलब्ध करवाकर 6,19,320 विशेष योग्यजनों को वितरित करवाई जा चुकी है।

पालनहार योजना : इस योजना का उद्देश्य उन बच्चों की देखभाल करना है जिनके माता–पिता दोनों की या तो मृत्यु हो गई है, या वे आजीवन कारावास या मौत की सजा काट रहे हैं या माता की मृत्यु हो गई है और पिता आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं या इसके विपरीत। वर्ष 2022–23 के दौरान (माह दिसम्बर, 2022 तक) ₹57,931.19 लाख व्यय कर 6,75,292 बच्चों को लाभान्वित किया गया है।

मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना : यह योजना, योग्य आबादी को नौकरियों के लिए विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रमों और प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु मुफ्त कोचिंग प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। वर्ष 2022–23 में मेरिट के आधार पर चयन कर 12,952 अभ्यर्थियों की मेरिट सूची जारी की जा चुकी है तथा योजनान्तर्गत सूचीबद्ध कोचिंग संस्थानों में दिसम्बर, 2022 तक 8,450 अभ्यर्थियों ने अपनी उपस्थिति दी है।

महिला एवं बाल विकास

इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना (आई.जी.एम.पी.वाई.) : गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं और 3 वर्ष तक के बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति में सुधार लाकर जन्म के समय कम वज़न और दुर्बलता की घटनाओं को कम करने के उद्देश्य से वर्ष 2020 में यह योजना कुछ ही जिलों में लागू की गई थी लेकिन वर्ष 2022–23 में इसे राज्य के सभी 33 जिलों में लागू किया गया है। इस योजना के तहत नवम्बर, 2022 तक कुल 71,735 लाभार्थियों को पांच किश्तों के माध्यम से भुगतान किया जा चुका है।

उच्च शिक्षा

काली बाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना : इस योजना के अंतर्गत राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (आर.बी.एस.ई.) द्वारा आयोजित उच्च माध्यमिक परीक्षा में न्यूनतम 65 प्रतिशत या केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सी.बी.एस.ई.) में न्यूनतम 75 प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण वे छात्राऐं पात्र हैं, जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय ₹2.5 लाख तक है। इसके साथ ही इस योजना हेतु आवेदन करने के लिए छात्राओं को राजस्थान के किसी भी महाविद्यालय से स्नातक की डिग्री (तकनीकी / गैर–तकनीकी) में नियमित छात्रा होना चाहिए। बजट घोषणा के अनुसार वर्ष 2022–23 से 17,537 पात्र आवेदकों को नियमानुसार स्कूटी निःशुल्क वितरित की जायेगी जिसके लिये आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। वर्ष 2022–23 (दिसम्बर, 2022 तक) के दौरान ₹4,464.89 लाख व्यय किए जा चुके हैं।

देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना : राजस्थान के अति पिछड़े वर्ग की वे छात्राऐं योग्य है, जिन्होंने आरबीएसई / सीबीएसई द्वारा आयोजित उच्च माध्यमिक परीक्षा 50 प्रतिशत या अधिक अंकों के साथ उत्तीर्ण की है तथा जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय ₹2.5 लाख तक है, इसके साथ ही इस योजना में आवेदन करने के लिए, छात्राओं को राजस्थान के किसी भी राजकीय महाविद्यालय, राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों में स्नातक की डिग्री के प्रथम वर्ष में एक नियमित छात्रा होना आवश्यक है। उच्च माध्यमिक परीक्षा की वरीयता के आधार पर आवेदकों को प्रति वर्ष 1,500 स्कूटी निःशुल्क वितरित की जा रही है। शेष आवेदक जो स्कूटी प्राप्त नहीं कर सके उन्हें निर्धारित पात्रता मानदंड के अनुसार प्रोत्साहन राशि दी जाती है। बजट घोषणा वर्ष 2022–23 की अनुपालना में इस वर्ष 2,463 स्कूटी का वितरण किया जायेगा। इस योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022–23 (दिसम्बर, 2022 तक) में ₹1,102.47 लाख का व्यय किया जा चुका है।

राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना : इस योजना के तहत हर साल 200 मेधावी विद्यार्थियों को विश्व के शीर्ष 150 विश्वविद्यालयों / संस्थानों में पढ़ने के लिए स्पॉन्सर किया जाता है। सम्पूर्ण ट्यूशन फीस व अन्य खर्चे राजस्थान सरकार द्वारा वहन किये जाते है। नवम्बर, 2022 तक कुल 244 विद्यार्थियों का चयन किया गया है एवं 154 विद्यार्थियों के लिए ₹30 करोड़ की राशि जारी की जा चुकी है।

वन

घर–घर औषधि योजना : तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा एवं कालमेघ के औषधीय पौधों के संरक्षण और प्रसार को बढ़ावा देने के लिए व राज्य के प्रत्येक परिवार को घर–घर जाकर इन औषधीय पौधों के वितरण हेतु राजस्थान में 1 अगस्त, 2021 को "घर–घर औषधि योजना" शुरू की गई। इस योजनान्तर्गत दिसम्बर, 2022 तक 126.51 लाख के लक्ष्य के विरूद्ध 127.00 लाख पौधे वितरित किये जा चुके हैं।

ऊर्जा

मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना : यह योजना मीटर्ड कृषि उपभोक्ताओं को बिजली बिलों पर ₹1,000 प्रति माह और अधिकतम ₹12,000 प्रति वर्ष का अनुदान प्रदान करती है। इस योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2022–23 (नवंबर, 2022 तक) में अब तक लगभग 12.82 लाख किसानों को ₹867.57 करोड़ (प्रावधानिक) का अतिरिक्त अनुदान प्रदान किया जा गया है, तथा 8.87 लाख किसानों को शून्य राशि बिल जारी किया गया है।

पर्यटन

पर्यटन को पूर्ण उद्योग का दर्जा : राज्य बजट 2022–23 में पर्यटन व हॉस्पिटेलिटी सेक्टर को उद्योग के दर्जे का पूर्ण लाभ प्रदान किया गया है। औद्योगिक मापदण्डों के अनुसार ही अब इस सेक्टर पर भी गवर्नमेंट टैरिफ व लेवी देय हैं। इस संबंध में पर्यटन व हॉस्पिटेलिटी को पात्रता प्रमाण पत्र 18 मई, 2022 को जारी कर दिया गया है। दिसम्बर, 2022 तक 679 पर्यटन इकाइयों को पात्रता प्रमाण–पत्र जारी किये गये हैं। विद्युत शुल्क एवं यू.डी. टैक्स समान औद्योगिक दरों पर ही उपलब्ध हैं।

राजस्थान की महत्वपूर्ण उपलब्धियां एवं पुरस्कार

- इण्डिया इन्टरनेशनल ट्रेवल मार्ट द्वारा बैंगलूरू में 31 जुलाई, 2022 को ''कल्चरल डेस्टीनेशन ऑफ द ईयर'' अवार्ड।
- आउटलुक ट्रेवलर अवार्ड 2022 में 23 अगस्त, 2022 को नई दिल्ली में कुम्भलगढ़ व चित्तौड़गढ़ किलों को ''हेरिटेज डेस्टीनेशन इन इण्डिया'' सिल्वर अवार्ड।
- इण्डिया इन्टरनेशनल ट्रेवल मार्ट द्वारा चैन्नई में 07 अगस्त, 2022 को ''बेस्ट डेकोरेटेड स्टैण्ड–नेशनल'' अवार्ड।
- इंडिया ट्रेवल एण्ड टूरिज्म फेयर (टी.टी.एफ.), अहमदाबाद में 08 सितम्बर, 2022 को ''बेस्ट डिजाइन एण्ड डेकोरेशन'' अवार्ड।
- टी.टी.एफ. एण्ड ओ.टी.एम., मुम्बई में 15 सितम्बर, 2022 को ''बेस्ट डिजाइन एण्ड डेकोरेशन'' अवार्ड।
- राजस्थान पर्यटन को कोन्डेनास्ट रीडर्स ट्रेवल अवार्ड, 2022 में 15 नवम्बर, 2022 को ''फेवरेट लेजर डेस्टीनेशन इन इण्डिया'' अवार्ड व ''फेवरेट इण्डियन स्टेट फॉर रोड ट्रिप्स'' अवार्ड।
- रीडर्स च्वॉइस ट्रेवल प्लस लेजर इण्डियाज बेस्ट अवार्ड के 11वें संस्करण, नई दिल्ली में 16 नवम्बर, 2022 को डोमेस्टिक डेस्टीनेशन श्रेणी में राजस्थान पर्यटन को ''बेस्ट स्टेट अवार्ड'' 2022।
- इण्डिया इन्टरनेशनल ट्रेवल मार्ट (आई.आई.टी.एम.) द्वारा, हैदराबाद में 03 दिसम्बर, 2022 को ''डेस्टीनेशन मार्केटिंग कैम्पेन'' अवार्ड।
- स्कॉच स्टार ऑफ गवर्नेंस अवार्ड 2022 राजस्थान राज्य को आवास क्षेत्र में अग्रणी के रूप में 18 जून, 2022 को दिया गया।
- राजस्थान बेस्ट एम्प्लॉयर ब्रांड अवार्ड 2022 आवासन मंडल को मानव संसाधन प्रबंधन को अभिनव तरीकों से अपने व्यवसाय में मिश्रित करने के लिए 22 जून, 2022 को वर्ल्ड एच.आर.डी. कांग्रेस जूरी द्वारा प्रदान किया गया।
- ''सुशासन सप्ताह–प्रशासन गांवों की ओर 2022'' अभियान के अन्तर्गत जन अभाव अभियोग निराकरण में राजस्थान देश में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाला राज्य रहा है। राजस्थान में 23 लाख से अधिक जन अभाव अभियोगों का निराकरण वर्ष 2022 में किया गया।
- ''सुशासन सप्ताह–प्रशासन गांवों की ओर 2022'' अभियान के अन्तर्गत सर्विस डिलीवरी प्रकरणों के निस्तारण में राजस्थान देश में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाला राज्य रहा है। राजस्थान में 149 लाख से अधिक सर्विस डिलीवरी प्रकरणों का निस्तारण वर्ष 2022 में किया गया।
- राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड को ब्यूरो ऑफ एफिसिएन्सी विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ''स्टेट परफोर्मेन्स श्रेणी में नेशनल एनर्जी कन्जर्वेशन अवार्ड (एन.ई.सी.ए.)–2022'' में सर्टिफिकेट अवार्ड से सम्मानित किया।

अध्याय 01

वृहद् आर्थिक प्रवृत्तियों का परिदृश्य

वृहद् आर्थिक समूह

राज्य घरेलू उत्पाद अनुमान, राज्य में उत्पादित समस्त अन्तिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य को प्रदर्शित करता है, जो कि राज्य की अर्थव्यवस्था के विकास को मापने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले महत्वपूर्ण सूचकों में से एक है। ये अनुमान राज्य में किए गए नीतिगत निर्णयों, निवेश तथा उपलब्ध कराए गए अवसरों के परिणामों की वृहद् तस्वीर प्रस्तुत करते हैं। राज्य घरेलू उत्पाद राज्य के आर्थिक विकास का प्रतिबिम्ब है तथा इससे तैयार की गई प्रति व्यक्ति आय, जन समूह के कल्याण का उपयुक्त मापदण्ड है।

राजस्थान के राज्य घरेलू उत्पाद अनुमान प्रचलित एवं स्थिर, दोनों कीमतों पर तैयार किए जाते हैं। राज्य घरेलू उत्पाद अनुमान अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों के लिए सकल एवं शुद्ध, दोनों आधार पर तैयार किए जाते हैं। सकल अनुमानों में से स्थायी पूंजी का उपभोग (सी.एफ.सी.), जो कि उत्पादन की प्रक्रिया में प्रयुक्त होती है, घटाया नहीं जाता है, जबकि शुद्ध अनुमानों के लिए सकल मूल्यों के समंकों में से स्थायी पूंजी का उपभोग (सी.एफ.सी.) घटाया जाता है।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.)

राज्य अर्थव्यवस्था के अन्तर्गत बिना दोहरी गणना किए हुए एक निश्चित अवधि में उत्पादित समस्त वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्यों के योग को सकल राज्य घरेलू उत्पाद कहा जाता है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुमानों को प्रचलित एवं स्थिर दोनों कीमतों पर अनुमानित किया जाता है।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद प्रचलित कीमतों पर

प्रचलित कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुमान ज्ञात करने के लिए वर्ष के दौरान उत्पादित विभिन्न उत्पादों को प्रचलित मूल्यों के आधार पर मूल्यांकित किया जाता हैं। प्रचलित कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुमान, समय के साथ वास्तविक आर्थिक विकास को प्रकट नहीं करता है क्योंकि इसमें निम्न का सामूहिक प्रभाव सम्मिलित हैं– (i) वस्तुओं एवं सेवाओं की मात्रा में परिवर्तन तथा (ii) वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य में परिवर्तन।

अग्रिम अनुमानों के अनुसार, सांकेतिक अथवा प्रचलित कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्ष 2022–23 में ₹14.14 लाख करोड़ सम्भावित है, जोकि वर्ष 2021–22 में ₹12.18 लाख करोड़ था। यह वर्ष 2021–22 के 19.50 प्रतिशत वृद्धि की तुलना में वर्ष 2022–23 में 16.04 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

अग्रिम अनुमानों के अनुसार, सांकेतिक अथवा प्रचलित मूल्यों पर अखिल भारत का सकल घरेलू उत्पाद वर्ष 2022–23 में ₹273.08 लाख करोड़ सम्भावित है जो 15.4 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है। इसी अवधि के दौरान राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अंश, अखिल भारतीय सकल घरेलू उत्पाद से 5.18 प्रतिशत तक पहुँचने की सम्भावना है। प्रचलित कीमतों पर राजस्थान के सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुमान तथा अखिल भारतीय सकल घरेलू उत्पाद अनुमान तथा इनकी वृद्धि तालिका–1.1 एवं राजस्थान की जी.एस.डी.पी. चित्र–1.1 में दर्शाए गए हैं।

तालिका 1.1 राजस्थान का सकल राज्य घरेलू उत्पाद एवं भारत का सकल घरेलू उत्पाद (प्रचलित मूल्यों पर)

(₹ *करोड़*)

वर्ष	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
जी.एस.डी.पी.–राजस्थान	911519	998679	1019442	1218193	1413620
वृद्धि दर (%)	9.49	9.56	2.08	19.50	16.04
जी.डी.पी.–अखिल भारत	18899668	20074856	19800914	23664637	27307751
वृद्धि दर (%)	10.6	6.2	-1.4	19.5	15.4

राजस्थान के लिए वर्ष 2020–21– संशोधित अनुमान– II, वर्ष 2021–22–संशोधित अनुमान– I और वर्ष 2022–23 अग्रिम अनुमान
अखिल भारत के लिए वर्ष 2021–22 प्रावधानिक अनुमान और वर्ष 2022–23 प्रथम अग्रिम अनुमान

चित्र 1.1

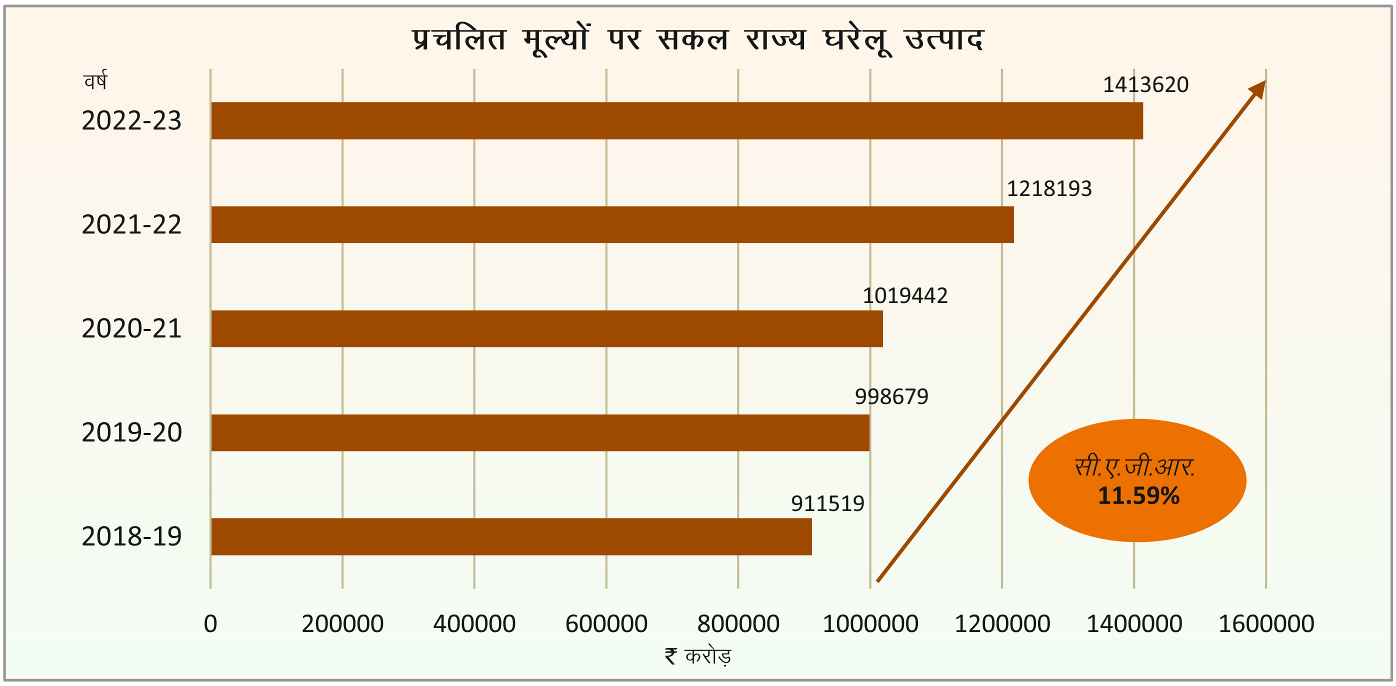

प्रचलित बुनियादी मूल्यों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन

प्रचलित मूल्यों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन वर्ष 2021–22 में ₹11.34 लाख करोड़ की तुलना में वर्ष 2022–23 में ₹13.11 लाख करोड़ रहने का अनुमान है, जो वर्ष 2021–22 में 18.57 प्रतिशत वृद्धि की तुलना में वर्ष 2022–23 में 15.57 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। वर्ष 2022–23 में वर्ष 2021–22 की तुलना में क्षेत्रवार प्रतिशत विचलन कृषि क्षेत्र में 13.84 प्रतिशत, उद्योग क्षेत्र में 15.02 प्रतिशत तथा सेवा क्षेत्र में 17.11 प्रतिशत है।

प्रचलित बुनियादी मूल्यों पर अर्थव्यवस्था के वृहद् क्षेत्रों द्वारा सकल राज्य मूल्य वर्धन की संरचना को चित्र 1.2 में तथा मूल्यों को तालिका–1.2 में दर्शाया गया हैं।

चित्र 1.2

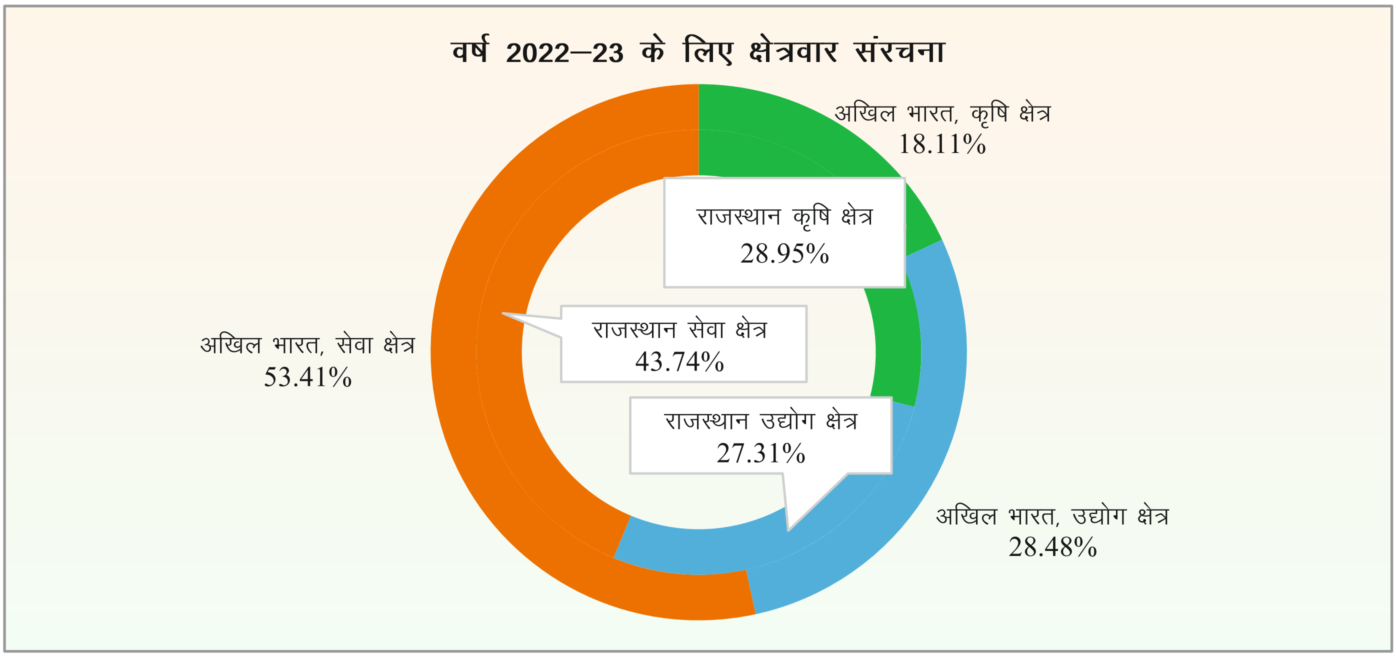

तालिका–1.2 प्रचलित बुनियादी मूल्यों पर क्षेत्रवार सकल राज्य मूल्य वर्धन

(₹ करोड़)

वर्ष	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23 (अ.)
कृषि क्षेत्र	222061	260732	292349	333313	379439
उद्योग क्षेत्र	225713	244278	251652	311283	358034
सेवा क्षेत्र	411317	439188	412491	489518	573277

वर्ष 2020–21– संशोधित अनुमान– II, वर्ष 2021–22–संशोधित अनुमान– I और वर्ष 2022–23 अग्रिम अनुमान

कृषि (जिसमें फसल, पशुपालन, वानिकी तथा मत्स्य) क्षेत्र का योगदान वर्ष 2022–23 में 28.95 प्रतिशत सम्भावित है। उद्योग क्षेत्र, जिसमें खनन, विनिर्माण, विद्युत, गैस तथा जलापूर्ति एवं उपचारात्मक सेवाएं तथा निर्माण क्षेत्र सम्मिलित हैं, का सकल राज्य मूल्य वर्धन में योगदान वर्ष 2022–23 में 27.31 प्रतिशत सम्भावित है। सेवा क्षेत्र जिसमें व्यापार, होटल एवं रेस्टोरेन्ट, परिवहन, भण्डारण एवं संचार, वित्तीय सेवाएं, स्थावर सम्पदा, गृह स्वामित्व, पेशेवर सेवाएं, लोक प्रशासन, रेलवे तथा अन्य सेवाएं सम्मिलित हैं, का राजस्थान की अर्थव्यवस्था में प्रमुख योगदान है। सेवा क्षेत्र का सकल राज्य मूल्य वर्धन में वर्ष 2011–12 में 38.75 प्रतिशत था, जो कि वर्ष 2022–23 में 43.74 प्रतिशत सम्भावित है।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर (2011–12) कीमतों पर

सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुमानों में मूल्य परिवर्तन/मुद्रास्फीति के प्रभाव को शून्य करने के लिए, वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य की गणना हेतु आधार वर्ष के रूप में निश्चित वर्ष की कीमतों का उपयोग करके स्थिर मूल्यों पर जी.एस.डी.पी की गणना की जाती है।

अग्रिम अनुमानों के अनुसार वर्ष 2022–23 में वास्तविक/स्थिर (2011–12) कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद ₹7.99 लाख करोड़ होने का अनुमान है, जो वर्ष 2021–22 में ₹7.39 लाख करोड़ था, जो कि वर्ष 2022–23 में 8.19 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

अग्रिम अनुमानों के अनुसार भारत का सकल घरेलू उत्पाद वर्ष 2022–23 में वास्तविक/स्थिर (2011–12) कीमतों पर ₹157.60 लाख करोड़ होने का अनुमान है, जो 7.0 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। इसी वर्ष में राजस्थान का सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अंश, अखिल भारतीय सकल घरेलू उत्पाद से 5.07 प्रतिशत तक पहुँचने की सम्भावना है।

राजस्थान का सकल राज्य घरेलू उत्पाद एवं भारत का सकल घरेलू उत्पाद (स्थिर 2011–12 कीमतों पर) के अनुमान एवं इनकी वृद्धि तालिका 1.3 में एवं राजस्थान का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स्थिर 2011–12 कीमतों पर) चित्र 1.3 में दर्शाए गए है।

तालिका 1.3 राजस्थान का सकल राज्य घरेलू उत्पाद एवं भारत का सकल घरेलू उत्पाद (स्थिर 2011–12 मूल्यों पर)

(₹ करोड़)

वर्ष	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23 (अ.)
जी.एस.डी.पी.–राजस्थान	643278	676785	663515	738922	799449
वृद्धि दर (%)	2.43	5.21	-1.96	11.36	8.19
जी.डी.पी.–अखिल भारत	13992914	14515958	13558473	14735515	15760363
वृद्धि दर (%)	6.5	3.7	-6.6	8.7	7.0

राजस्थान के लिए वर्ष 2020–21– संशोधित अनुमान– II, वर्ष 2021–22–संशोधित अनुमान– I और वर्ष 2022–23 अग्रिम अनुमान
अखिल भारत के लिए वर्ष 2021–22 प्रावधानिक अनुमान और वर्ष 2022–23 प्रथम अग्रिम अनुमान

चित्र 1.3

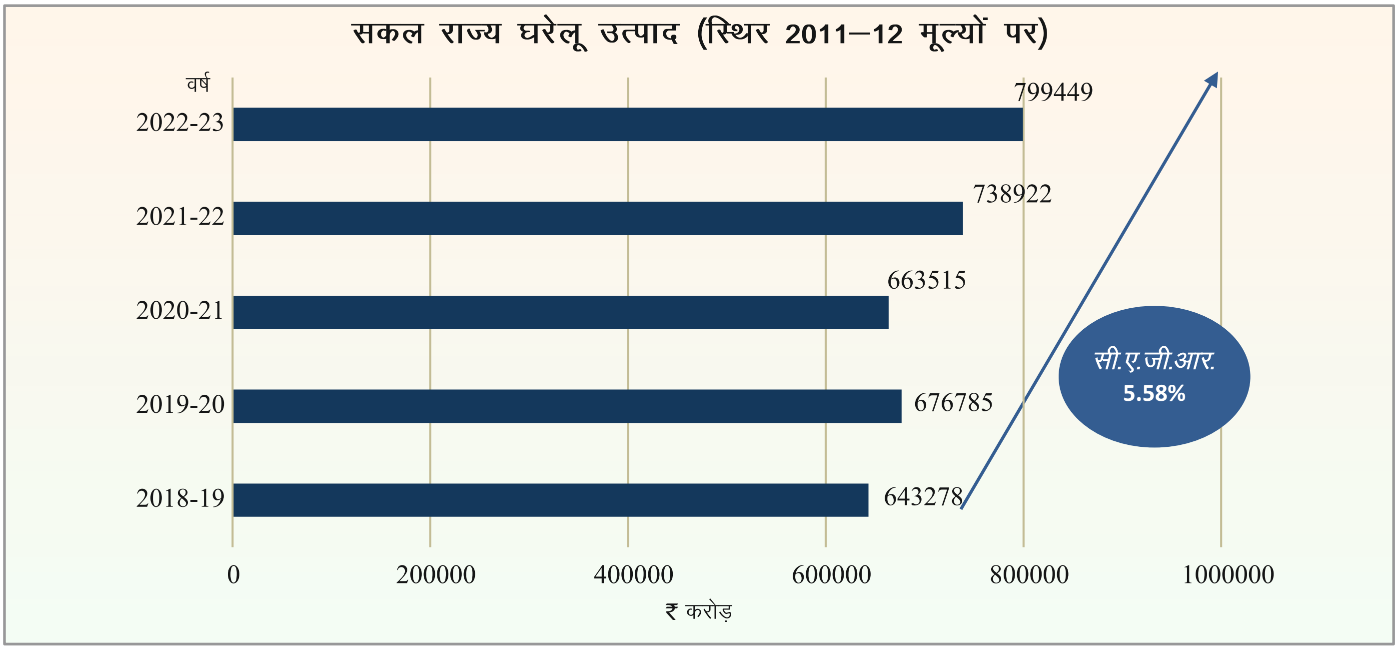

सकल राज्य मूल्य वर्धन स्थिर (2011–12) बुनियादी मूल्यों पर

वास्तविक सकल राज्य मूल्य वर्धन स्थिर (2011–12) बुनियादी मूल्यों पर वर्ष 2021–22 में ₹6.80 लाख करोड़ की तुलना में वर्ष 2022–23 में ₹7.33 लाख करोड़ रहने का अनुमान है, जो कि वर्ष 2022–23 में 7.88 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है।

कृषि क्षेत्र, जिसमें फसल, पशुपालन, वानिकी तथा मत्स्य क्षेत्र सम्मिलित हैं, का सकल राज्य मूल्य वर्धन में वर्ष 2022–23 में 28.50 प्रतिशत रहने की संभावना है। वर्ष 2022–23 में इस क्षेत्र का सकल राज्य मूल्य वर्धन ₹2,08,989 करोड़ अनुमानित किया गया है, जो गत वर्ष से 5.22 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

उद्योग क्षेत्र में खनन, विनिर्माण, विद्युत, गैस, जलापूर्ति एवं उपचारात्मक सेवाएं तथा निर्माण क्षेत्र सम्मिलित हैं, का सकल राज्य मूल्य वर्धन में वर्ष 2011–12 से योगदान 32.69 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2022–23 में 27.76 प्रतिशत रह गया है। वर्ष 2022–23 में इस क्षेत्र का सकल राज्य मूल्य वर्धन ₹2,03,576 करोड़ अनुमानित किया गया है, जो गत वर्ष से 6.32 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

सेवा क्षेत्र जिसमें व्यापार, होटल एवं रेस्टोरेन्ट, परिवहन, भण्डारण एवं संचार, वित्तीय सेवाएं, स्थावर सम्पदा, गृह स्वामित्व, पेशेवर सेवाएं, लोक प्रशासन, रेलवे तथा अन्य सेवाएं सम्मिलित हैं, का सकल राज्य मूल्य वर्धन में वर्ष 2011–12 से योगदान 38.75 प्रतिशत से बढकर वर्ष 2022–23 में 43.74 प्रतिशत हो गया है। वर्ष 2022–23 में इस क्षेत्र का सकल राज्य मूल्य वर्धन ₹3,20,708 करोड़ अनुमानित किया गया है, जो गत वर्ष से 10.74 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

वर्ष 2018–19 से स्थिर (2011–12) बुनियादी मूल्यों पर अर्थव्यवस्था के वृहद् क्षेत्रों द्वारा सकल राज्य मूल्य वर्धन की संरचना को तालिका–1.4 पर तथा स्थिर (2011–12) बुनियादी मूल्यों पर क्षेत्रवार विकास दर को चित्र 1.4 में दर्शाया गया है।

तालिका–1.4 स्थिर (2011–12) बुनियादी मूल्यों पर क्षेत्रवार सकल राज्य मूल्य वर्धन

(₹ करोड़)

वर्ष	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23 (अ.)
कृषि क्षेत्र	156615	175872	185879	198614	208989
उद्योग क्षेत्र	165998	173352	172034	191470	203576
सेवा क्षेत्र	277849	283993	255996	289602	320708

वर्ष 2020–21– संशोधित अनुमान– II, वर्ष 2021–22–संशोधित अनुमान– I और वर्ष 2022–23 अग्रिम अनुमान

चित्र 1.4

स्थिर (2011–12) बुनियादी मूल्यों पर क्षेत्रवार विकास दर

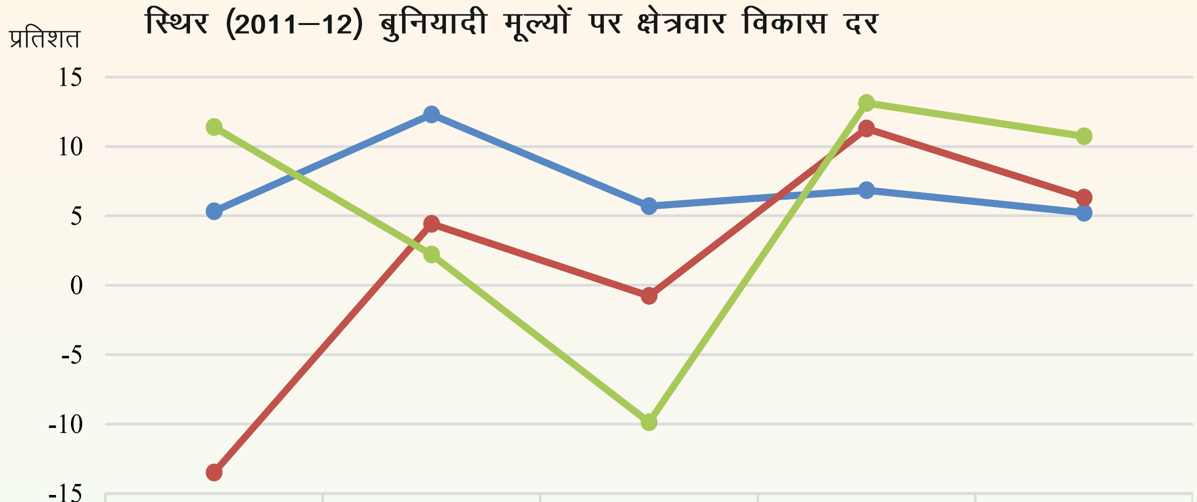

	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23 (अ.)
कृषि क्षेत्र	5.33	12.30	5.69	6.85	5.22
उद्योग क्षेत्र	-13.49	4.43	-0.76	11.30	6.32
सेवा क्षेत्र	11.39	2.21	-9.86	13.13	10.74

शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद (एन.एस.डी.पी.)

सकल घरेलू उत्पाद समंको में से स्थाई पूंजीगत उपभोग को घटाकर शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद का अनुमान प्राप्त किया जाता है। स्थाई पूंजी उपभोग, पूंजीगत स्कन्ध के उस हिस्से के प्रतिस्थापन मूल्य को मापता है, जिसका उपयोग वर्ष के दौरान उत्पादन प्रक्रिया में किया जाता है।

शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद प्रचलित कीमतों पर

अग्रिम अनुमानों के अनुसार, प्रचलित कीमतों पर शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद वर्ष 2022–23 में ₹12.60 लाख करोड़ रहने का अनुमान है, जो वर्ष 2021–22 में ₹10.85 लाख करोड़ था। यह वर्ष 2022–23 में 16.10 प्रतिशत वृद्धि को दर्शाता है।

शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर (2011–12) कीमतों पर

वर्ष 2022–23 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार, शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर (2011–12) कीमतों पर वर्ष 2022–23 में ₹6.95 लाख करोड़ रहने का अनुमान है, जो वर्ष 2021–22 में ₹6.43 लाख करोड़ था। यह वर्ष 2022–23 में 8.11 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है।

राजस्थान के शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद के अनुमान तालिका–1.5 में दर्शाए गए हैं।

तालिका–1.5 राजस्थान का शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद

(₹ *करोड़*)

वर्ष	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23 (अ.)
प्रचलित कीमतों पर	819185	898116	907861	1084845	1259527
वृद्धि दर (%)	9.45	9.64	1.09	19.49	16.10
स्थिर (2011-12) कीमतों पर	568452	596689	576789	642668	694771
वृद्धि दर (%)	1.94	4.97	-3.34	11.42	8.11

वर्ष 2020–21– संशोधित अनुमान– II, वर्ष 2021–22–संशोधित अनुमान– I और वर्ष 2022–23 अग्रिम अनुमान

प्रति व्यक्ति आय

प्रति व्यक्ति आय की गणना शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद को राज्य की मध्यवर्षीय कुल जनसंख्या से विभाजित कर प्राप्त की जाती है। प्रति व्यक्ति आय लोगों के जीवन स्तर एवं कल्याण का सूचक है।

प्रति व्यक्ति आय प्रचलित कीमतों पर

प्रचलित कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2021–22 में ₹1,35,962 की तुलना में अग्रिम अनुमानों के अनुसार, वर्ष 2022–23 में ₹1,56,149 अनुमानित है, जो गत वर्ष 2021–22 की तुलना में वर्ष 2022–23 में 14.85 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है। राजस्थान एवं अखिल भारत की प्रति व्यक्ति आय प्रचलित कीमतों पर चित्र–1.5 में दर्शाई गई है।

चित्र 1.5

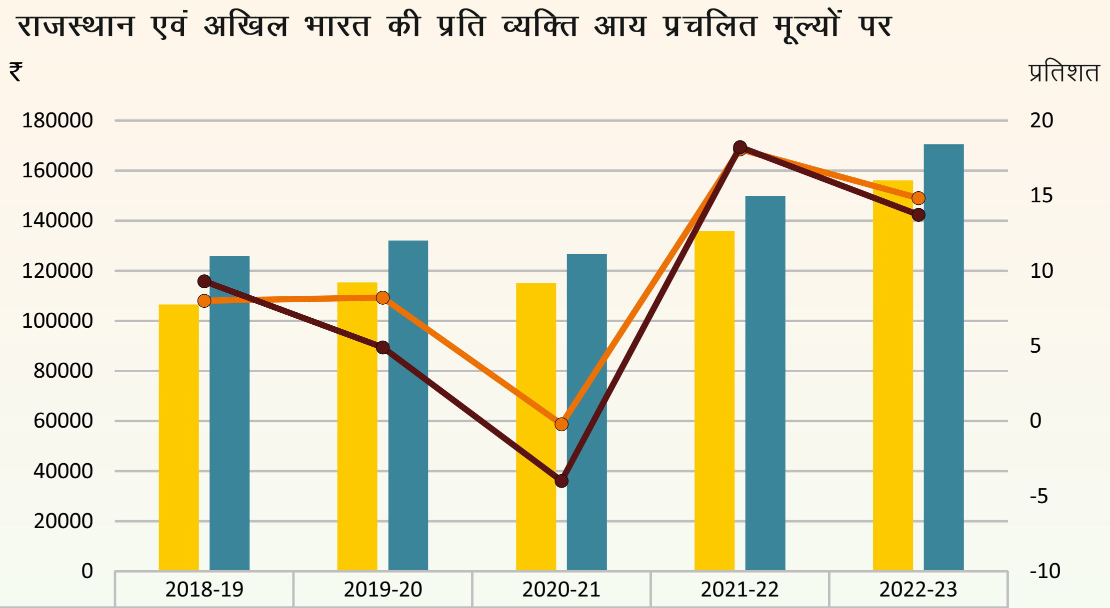

	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
राजस्थान	106604	115360	115122	135962	156149
अखिल भारत	125946	132115	126855	150007	170620
वृद्धि दर राजस्थान	8.01	8.21	-0.21	18.10	14.85
वृद्धि दर अखिल भारत	9.3	4.9	-4.0	18.3	13.7

प्रति व्यक्ति आय स्थिर (2011–12) कीमतों पर

स्थिर (2011–12) कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2021–22 में ₹80,545 की तुलना में अग्रिम अनुमानों के अनुसार, वर्ष 2022–23 में ₹86,134 अनुमानित है, जो गत वर्ष 2021–22 की तुलना में वर्ष 2022–23 में 6.94 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाती है। राजस्थान एवं अखिल भारत की प्रति व्यक्ति आय स्थिर (2011–12) कीमतों पर चित्र–1.6 में दर्शाई गई है।

सकल स्थाई पूंजी निर्माण

सकल स्थाई पूंजी निर्माण को वर्ष के दौरान उत्पादनकर्ता द्वारा सृजित की गई परिसम्पत्तियों में से निस्तारित सम्पत्तियों को घटाने के बाद तथा गणना अवधि में गैर उत्पादित परिसम्पत्तियों को उत्पादन गतिविधियों में उपयोग की कीमत के आधार पर मापा जाता है।

प्रचलित कीमतों पर वर्ष 2021–22 के अन्त में कुल सम्पत्तियाँ ₹3,46,844 करोड़ अनुमानित की गई हैं, जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹12,18,193 करोड़) का 28.47 प्रतिशत है। वर्ष 2021–22 में सकल स्थाई पूंजी निर्माण में गत वर्ष 2020–21 की तुलना में 26.63 प्रतिशत की वृद्धि हुई। सकल स्थाई पूंजी निर्माण में निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र का योगदान वर्ष 2021–22 में क्रमशः 76.19 एवं 23.81 प्रतिशत रहा है। राज्य में निर्मित सकल स्थाई पूंजी निर्माण वर्ष 2017–18 से चित्र–1.7 तथा क्षेत्रवार सकल स्थाई पूंजी निर्माण तालिका–1.6 में दर्शाया गया है।

चित्र 1.6

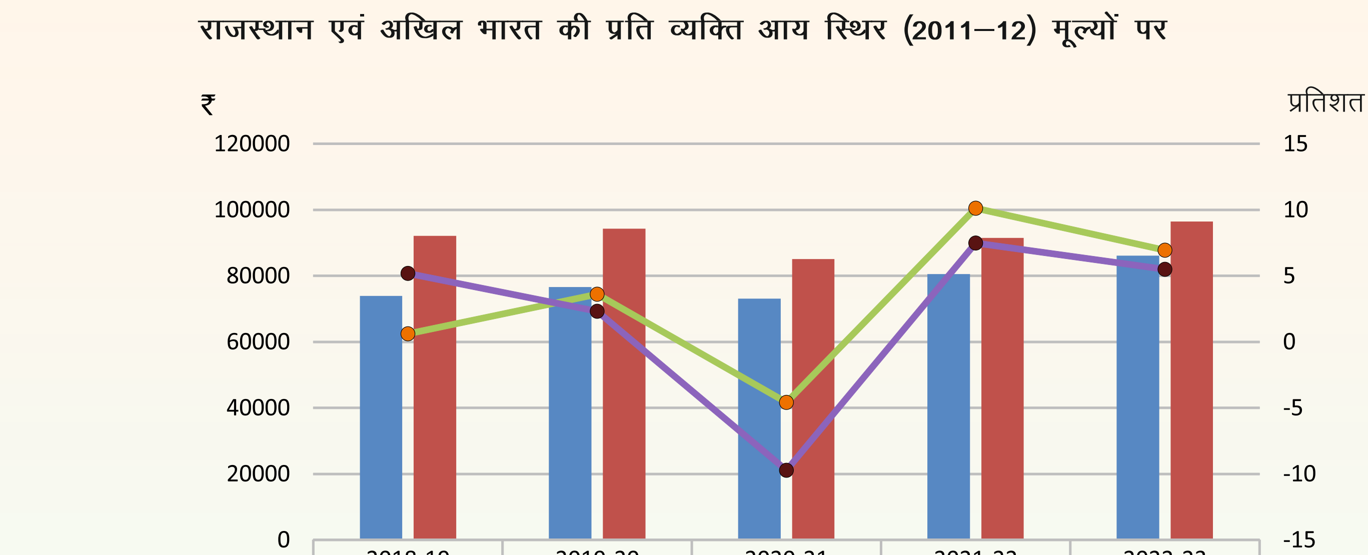

	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
राजस्थान	73975	76643	73140	80545	86134
अखिल भारत	92133	94270	85110	91481	96522
वृद्धि दर राजस्थान	0.61	3.61	-4.57	10.12	6.94
वृद्धि दर अखिल भारत	5.2	2.3	-9.7	7.5	5.5

चित्र 1.7

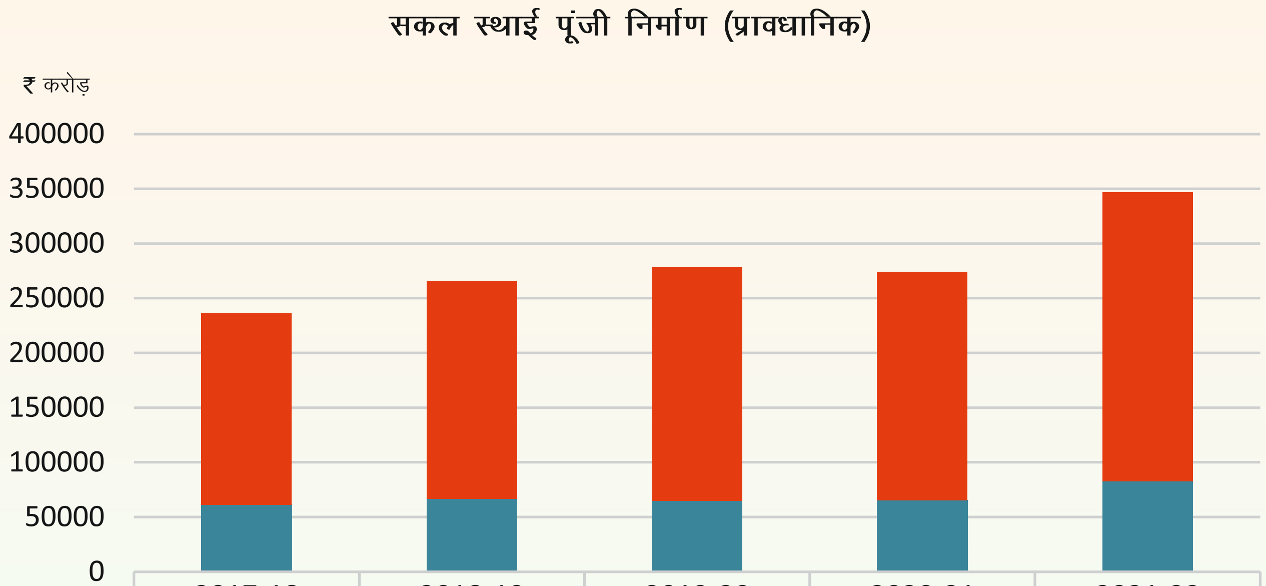

	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
निजी	174901	198583	213329	208552	264269
सार्वजनिक	61168	66545	64783	65358	82576

तालिका 1.6 क्षेत्रवार सकल स्थाई पूंजी निर्माण (प्रावधानिक)

(₹ करोड़)

क्र.सं.	क्षेत्र/वर्ष	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
1	2	3	4	5	6	7
1	कृषि	10260	8686	9095	9892	11816
2	वानिकी	177	112	98	131	363
3	मत्स्य	4	2	2	1	4
4	खनन	2728	2717	2613	2630	2629
5	पंजीकृत विनिर्माण	14327	13768	15701	15601	19419
6	निर्माण	77603	94164	105530	104585	137180
7	विद्युत, गैस एवं जलापूर्ति	14826	16947	16159	17901	20930
8	रेलवे	1185	1295	1222	296	1051
9	संचार	14981	17308	15136	15002	15815
10	अपंजीकृत विनिर्माण, ट्रेड, होटल एवं रेस्टोरेंट, अन्य यातायात एवं अन्य सेवा	11089	10451	10903	10523	13983
11	वित्तीय सेवाएं	400	1415	1731	1322	1489
12	आवासीय भवन	57908	63322	66405	62869	80868
13	लोक प्रशासन	30581	34942	33518	33157	41296
योग		**236069**	**265128**	**278112**	**273910**	**346844**

योग का मिलान पूर्णांकन के कारण नहीं है।

मूल्य सांख्यिकी

कीमतों में विभिन्न आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक कारणों से समय के साथ–साथ भौगोलिक क्षेत्रों के आधार पर परिवर्तन होता हैं। चूंकि कीमतें विभिन्न आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करती हैं, विशेष रूप से मूल्य परिवर्तन की वित्तीय निगरानी अत्यन्त महत्वपूर्ण है क्योंकि इनका सीधा असर आर्थिक नीति एवं नियोजन पर पड़ता हैं। इनमें होने वाले परिवर्तनों के पर्यवेक्षण के लिए प्राथमिक उपकरण मूल्य सूचकांक हैं। किसी निश्चित समयावधि के दौरान किसी क्षेत्र में वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य स्तरों मे होने वाले सापेक्ष परिवर्तन मूल्य सूचकांक के द्वारा मापा जाता हैं। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और थोक मूल्य सूचकांक दो महत्वपूर्ण संकेतक हैं, जो क्रमशः खुदरा एवं थोक स्तर के मूल्यों को मापते हैं।

राजस्थान में मूल्य सांख्यिकी

आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय के द्वारा साप्ताहिक आधार पर वस्तुओं के थोक एवं खुदरा भावों का सन् 1957 से राज्य के

चयनित केन्द्रों से नियमित संग्रहण किया जा रहा है। इसके साथ ही पशुधन उत्पाद, उप उत्पाद, भवन निर्माण हेतु भवन सामग्री एवं मजदूरी दरों के भाव राज्य के सभी जिलों से प्राप्त कर संकलित किये जा रहे हैं। थोक मूल्यों के आधार पर राज्य के मासिक थोक मूल्य सूचकांक तैयार किए जाते हैं। औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक श्रम ब्यूरो, शिमला के द्वारा तैयार कर जारी किए जा रहे हैं।

राजस्थान के थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यू.पी.आई.) (आधार वर्ष 1999–2000=100)

थोक मूल्य सूचकांक एक ऐसा सामान्य सूचकांक है जो व्यापक रूप से मूल्यों के उतार–चढ़ाव को व्यक्त करता है और सभी प्रकार के व्यापार एवं लेनदेनों में वस्तुओं के मूल्य के परिवर्तन को व्यक्त करने का संकेतक है। सरकार के द्वारा व्यापार, राजकोषीय, मौद्रिक और अन्य आर्थिक नीतियों के निर्माण में थोक मूल्य सूचकांक की एक महत्वपूर्ण भूमिका हैं तथा वित्तीय संस्थानों, उद्योगों तथा व्यापार मण्डलों के द्वारा भी उपयोग में लिया जाता हैं। यह विभिन्न वस्तु समूहों जैसे–प्राथमिक वस्तुएं, कृषि वस्तुएं, कच्चे माल, औद्योगिक उत्पाद, खाद्य व अखाद्य वस्तुओं के मूल्यों में होने वाले सापेक्ष परिवर्तनों के पर्यवेक्षण में भी सहायक हैं। राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तर के मूल्यों में होने वाले परिवर्तनों के तुलनात्मक अध्ययन में भी मूल्य सूचकांक सहायक हैं।

राजस्थान सरकार द्वारा थोक मूल्य सूचकांक को मासिक आधार पर जारी किया जाता है। इसमें 154 वस्तुओं को सम्मिलित किया गया है, जिसमें से 75 प्राथमिक वस्तु समूह में, 69 विनिर्मित उत्पाद समूह में तथा 10 ईंधन, शक्ति, प्रकाश एवं उपस्नेहक समूह में सम्मिलित हैं। प्राथमिक वस्तु समूह को 33.894, विनिर्मित उत्पाद समूह को 49.853 तथा ईंधन, शक्ति, प्रकाश एवं उपस्नेहक वर्ग को 16.253 भारांकन दिया गया है।

राज्य का सामान्य थोक मूल्य सूचकांक वर्ष 2021 में 363.23 से बढ़कर वर्ष 2022 (नवम्बर माह तक) में 385.45 रहा है, जो कि 6.12 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है। वर्ष के दौरान इसी अवधि में वार्षिक आधार पर प्राथमिक वस्तु समूह का सूचकांक 378.22 से बढकर 415.73, ईंधन, शक्ति, प्रकाश एवं उपस्नेहक समूह का सूचकांक 569.93 से बढकर 576.77 एवं विनिर्मित उत्पाद समूह का सूचकांक 285.65 से बढ़कर 302.49 रहा है। गत वर्ष की तुलना में माह नवम्बर, 2022 तक प्राथमिक वस्तु समूह, ईंधन, शक्ति, प्रकाश एवं उपस्नेहक समूह एवं विनिर्मित उत्पाद समूह के सूचकांक में क्रमशः 9.92,1.20 एवं 5.90 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। अखिल भारतीय थोक मूल्य सूचकांक वर्ष 2021 में 135.0 से बढकर वर्ष 2022 (नवम्बर माह तक) में 151.3 हो गया, जिसमें 12.07 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। वर्ष 2018 से वर्ष 2022 के दौरान वृहद् वस्तु समूहवार थोक मूल्य सूचकांक एवं उनका गत वर्ष से प्रतिशत परिवर्तन क्रमशः तालिका 1.7, 1.8 तथा चित्र 1.8 व 1.9 में दर्शाया गया हैः–

तालिका 1.7 राजस्थान का थोक मूल्य सूचकांक

(आधार वर्ष 1999–2000=100)

वृहद्–समूह		वार्षिक औसत सूचकांक				
		2018	2019	2020*	2021	2022**
1	प्राथमिक वस्तुएं	299.08	317.48	331.49	378.22	415.73
(अ)	कृषि वस्तुएं	295.87	314.89	328.58	377.10	414.82
(ब)	खनिज	323.29	337.05	353.47	386.65	422.64
2	ईंधन, शक्ति, प्रकाश व उपस्नेहक	463.78	461.22	509.26	569.93	576.77
3	विनिर्मित उत्पाद	247.78	256.74	272.27	285.65	302.49
समस्त वस्तुऐं		**300.27**	**310.56**	**330.86**	**363.23**	**385.45**

*(माह अप्रेल एवं मई, 2020 का थोक मूल्य सूचकांक कोरोना–19 महामारी के कारण जारी नहीं किया जा सका)
**(जनवरी से नवम्बर, 2022) औसत सूचकांक

तालिका 1.8 राज्य के समूहवार थोक मूल्य सूचकांक में प्रतिशत परिवर्तन

(आधार वर्ष 1999–2000=100)

वृहद्–समूह		वार्षिक औसत प्रतिशत परिवर्तन (वर्ष दर वर्ष आधारित)				
		2018	**2019**	**2020***	**2021**	**2022****
1	प्राथमिक वस्तुएं	1.71	6.15	4.41	14.10	9.92
(अ)	कृषि वस्तुएं	1.19	6.43	4.35	14.77	10.00
(ब)	खनिज	5.46	4.26	4.87	9.39	9.31
2	ईंधन, शक्ति, प्रकाश व उपस्नेहक	8.18	-0.55	10.42	11.91	1.20
3	विनिर्मित उत्पाद	1.71	3.62	6.05	4.91	5.90
समस्त वस्तुऐं		**3.26**	**3.43**	**6.54**	**9.78**	**6.12**

*(माह अप्रेल एवं मई, 2020 का थोक मूल्य सूचकांक कोरोना–19 महामारी के कारण जारी नहीं किया जा सका)
**(जनवरी से नवम्बर, 2022) औसत सूचकांक

चित्र 1.8

(आधार वर्ष 1999–2000=100)

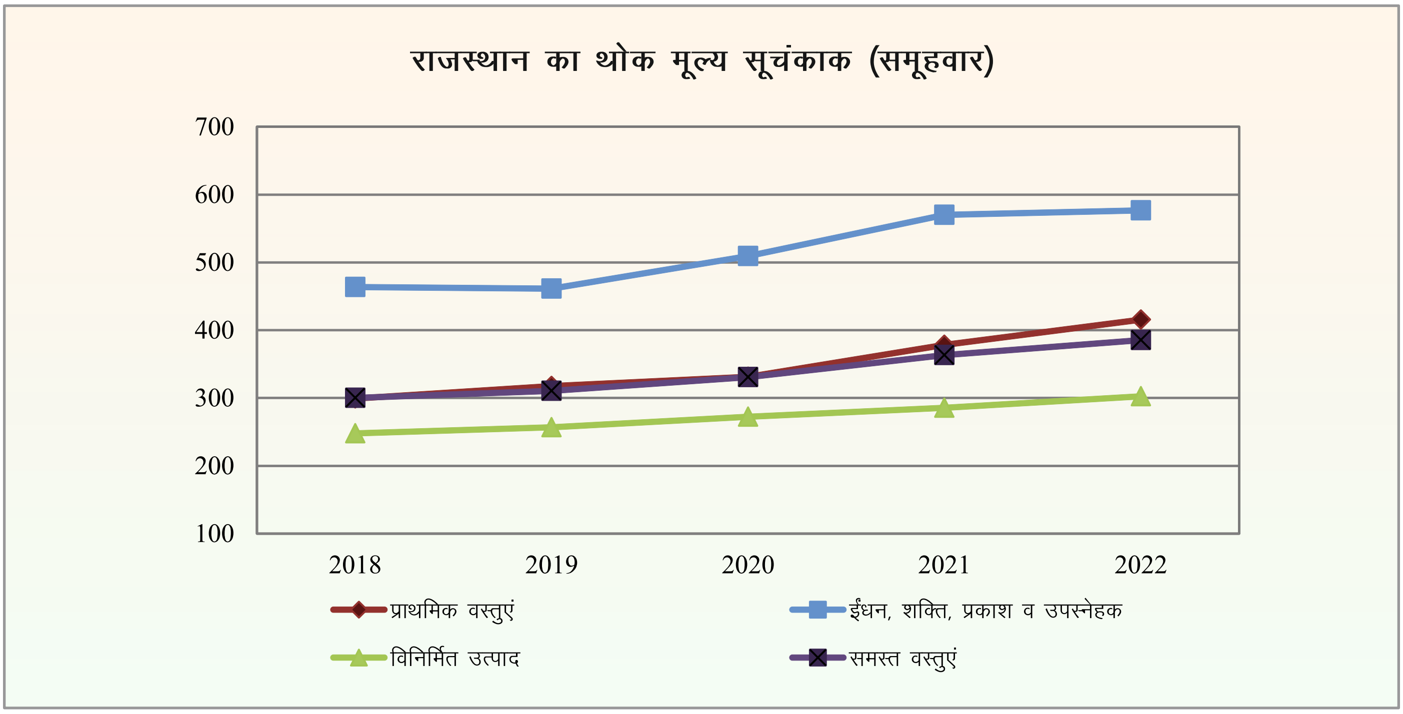

*(माह अप्रेल एवं मई 2020 का थोक मूल्य सूचकांक कोरोना–19 महामारी के कारण जारी नहीं किया जा सका)
**(जनवरी से नवम्बर, 2022) औसत सूचकांक

चित्र 1.9

(आधार वर्ष 1999–2000=100)

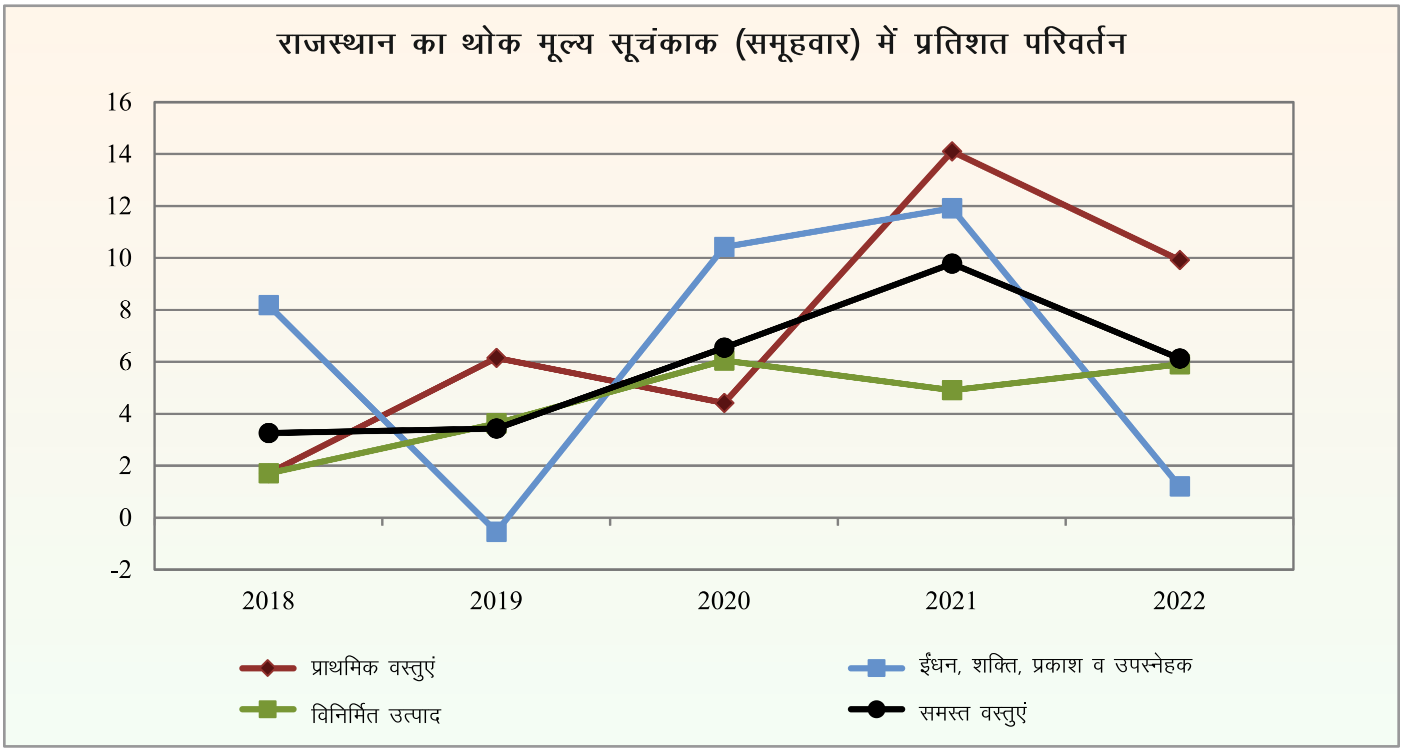

*(माह अप्रेल एवं मई, 2020 का थोक मूल्य सूचकांक कोरोना–19 महामारी के कारण जारी नहीं किया जा सका)
**(जनवरी से नवम्बर, 2022) औसत सूचकांक

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सी.पी.आई.)

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक एक समयावधि के अन्तर्गत उन चुनिंदा वस्तुओं एवं सेवाओं के खुदरा मूल्यों के सामान्य स्तर में परिवर्तनों के मापन हेतु तैयार किया गया हैं, जिसमें उपभोक्ता द्वारा उपभोग हेतु क्रय किया जाता है। इस तरह के बदलाव उपभोक्ताओं की आय और उनके कल्याण की वास्तविक क्रय शक्ति को प्रभावित करते हैं। चूंकि यह सूचकांक प्रत्येक उपभोक्ता के लिए कीमतों में उतार–चढ़ाव को सम्मिलित करता है, इसलिए सरकार मुद्रास्फीति के लिए थोक मूल्य सूचकांक की तुलना में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर अधिक ध्यान केन्द्रित करती है। प्रतिमाह चार विभिन्न प्रकार के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक तैयार किये जा रहे हैं – (अ) औद्योगिक श्रमिकों हेतु (सी.पी.आई–आई.डब्ल्यू) (ब) कृषि श्रमिकों हेतु (सी.पी.आई–ए.एल.) (स) ग्रामीण श्रमिकों हेतु (सी.पी.आई–आर.एल.) (द) ग्रामीण, शहरी एवं संयुक्त हेतु (सी.पी.आई–आर. यू. एण्ड सी.)। प्रथम तीन प्रकार के सूचकांक श्रम ब्यूरो, शिमला तथा चतुर्थ सूचकांक राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय (एन.एस.ओ.), नई दिल्ली द्वारा तैयार एवं जारी किये जाते हैं।

औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सी.पी.आई.– आई.डब्ल्यू.)

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक किसी भी देश में औसत औद्योगिक मजदूर परिवार द्वारा उपभोग की जा रही वस्तुओं एवं सेवाओं की स्थाई बास्केट के खुदरा मूल्यों में होने वाले सामयिक परिवर्तनों को मापने का महत्वपूर्ण कारक है और इस प्रकार यह देश के औद्योगिक श्रमिकों के उपभोग स्तर पर होने वाले परिवर्तन हेतु महत्वपूर्ण सूचक है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक–आई.डब्ल्यू का लक्षित समूह कारखाना, खनन, वृक्षारोपण, मोटर परिवहन, पोर्ट एवं डॉक, रेलवे एवं विद्युत (उत्पादन व वितरण) में नियोजित श्रमिक हैं। यह सूचकांक मुख्य रूप से सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्तें के निर्धारण के लिए उपयोग किया जाता है।

औद्योगिक श्रमिकों हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक – (सी.पी.आई.–आई.डब्ल्यू.) (आधार वर्ष 2016=100):

औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई–आईडब्ल्यू) (आधार वर्ष 2016=100) श्रम ब्यूरो, शिमला द्वारा तैयार और जारी किए जा रहे है। अजमेर,

भीलवाड़ा और जयपुर को औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की पुरानी श्रृंखला (आधार वर्ष 2001=100) में शामिल किया गया था। वर्तमान में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की नई श्रंखला में श्रम ब्यूरो शिमला द्वारा माह सितम्बर 2020 से नवीन आधार वर्ष 2016=100 के अनुसार जारी किया जा रहा है, जिसमें राज्य में अजमेर केन्द्र के स्थान पर अलवर केन्द्र को सम्मिलित किया गया है। राष्ट्रीय स्तर पर, केंद्रीय श्रृंखला के लिए सी.पी.आई.(औघोगिक श्रमिक) का निर्माण देश भर में 88 चयनित औद्योगिक रूप से विकसित केंद्रों से लिये गये समकों के आधार पर किया जाता है, जिनमें से तीन केंद्र राजस्थान (अलवर, भीलवाड़ा और जयपुर) में स्थित हैं। वर्ष 2022 में उपभोक्ता कीमतों में निरन्तर वृद्धि का रूझान जारी रहा। वर्ष 2022 के माह नवम्बर तक उपभोक्ता मूल्य के सामान्य सूचकांक में गत वर्ष, 2021 की तुलना में अलवर केंद्र पर 4.38 प्रतिशत, भीलवाड़ा केंद्र पर 6.92 प्रतिशत, जयपुर केंद्र पर 6.04 प्रतिशत तथा अखिल भारत पर 5.66 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। अलवर, भीलवाड़ा और जयपुर केंद्रों के लिए सभी वस्तु समूहों के वर्ष, 2022 के माह नवम्बर तक गत वर्ष, 2021 से उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की मुद्रास्फिति तालिका 1.9 में दर्शाए गये हैं।

तालिका 1.9 औद्योगिक श्रमिकों के समूहवार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

(आधार वर्ष 2016=100)

क्र. सं.	समूह	अलवर केन्द्र		% विचलन	भीलवाड़ा केन्द्र		% विचलन	जयपुर केन्द्र		% विचलन
		वर्ष 2022*	वर्ष 2021		वर्ष 2022*	वर्ष 2021		वर्ष 2022*	वर्ष 2021	
1	खाद्य एवं पेय पदार्थ	127.1	121.4	4.70	123.5	113.5	8.81	130.3	117.5	10.89
2	पान, सुपारी, तम्बाकू एवं मादक पदार्थ	144.8	141.6	2.26	144.5	132.9	8.73	122.2	128.9	-5.20
3	वस्त्र एवं जूते	114.7	115.1	-0.35	137.0	124.4	10.13	127.3	115.7	10.03
4	आवास समूह	113.2	112.0	1.07	115.0	113.8	1.05	111.2	109.6	1.46
5	ईंधन एवं प्रकाश	170.2	151.3	12.49	164.2	148.0	10.95	153.5	135.2	13.54
6	विविध समूह	124.2	118.2	5.08	127.0	120.1	5.75	116.2	113.6	2.29
सामान्य सूचकांक		126.2	120.9	4.38	126.7	118.5	6.92	122.8	115.8	6.04

*औसत सूचकांक (जनवरी से नवम्बर, 2022)

उपरोक्त तालिका से ज्ञात होता है कि तीनों केन्द्रों पर वर्ष 2021 की तुलना में वर्ष 2022 (जनवरी से नवम्बर, 2022 तक) में सामान्य सूचकांक में वृद्धि दर्ज की गई है। वर्ष 2020 (सितंबर 2020 से दिसंबर 2020) से अलवर, भीलवाड़ा, जयपुर और अखिल भारत के लिए वर्षवार औसत सामान्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 2016 = 100) तालिका 1.10 में दिए गए हैं।

तालिका 1.10 औद्योगिक श्रमिकों का वर्षवार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

(आधार वर्ष 2016=100)

वर्ष	अलवर		भीलवाडा		जयपुर		अखिल भारत	
	सूचकांक	पिछले वर्ष से प्रतिशत परिवर्तन	सूचकांक	पिछले वर्ष से प्रतिशत परिवर्तन	सूचकांक	पिछले वर्ष से प्रतिशत परिवर्तन	सूचकांक	पिछले वर्ष से प्रतिशत परिवर्तन
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2020#	118.1	-	116.2	-	114.3	-	119.1	-
2021	120.9	2.37	118.5	1.98	115.8	1.31	122.0	2.43
2022*	126.2	4.38	126.7	6.92	122.8	6.04	128.9	5.66

*औसत (माह नवम्बर, 2022 तक)
#सितम्बर से दिसम्बर, 2020

कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सी.पी.आई.–ए.एल.) (आधार वर्ष 1986–87=100)

श्रम ब्यूरो, शिमला द्वारा कृषि श्रमिकों एवं ग्रामीण श्रमिकों के लिए भी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार वर्ष 1986–87=100 पर तैयार किए जाते हैं। राजस्थान राज्य एवं अखिल भारत स्तर पर वर्ष 2018–19 से कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक तालिका 1.11 तथा चित्र 1.10 में दर्शाए गए हैं:

तालिका 1.11 कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

आधार वर्ष 1986–87=100 (कृषि वर्ष–जुलाई से जून)

वर्ष	राजस्थान		अखिल भारत	
	खाद्य समूह	सामान्य सूचकांक	खाद्य समूह	सामान्य सूचकांक
2018-19	951	997	863	920
2019-20	1058	1083	955	999
2020-21	1038	1087	994	1042
2021-22	1108	1151	1026	1092
2022-23*	1219	1237	1079	1149

*माहवार औसत (जुलाई से नवम्बर, 2022)

चित्र 1.10

आधार वर्ष 1986–87=100 (कृषि वर्ष–जुलाई से जून)

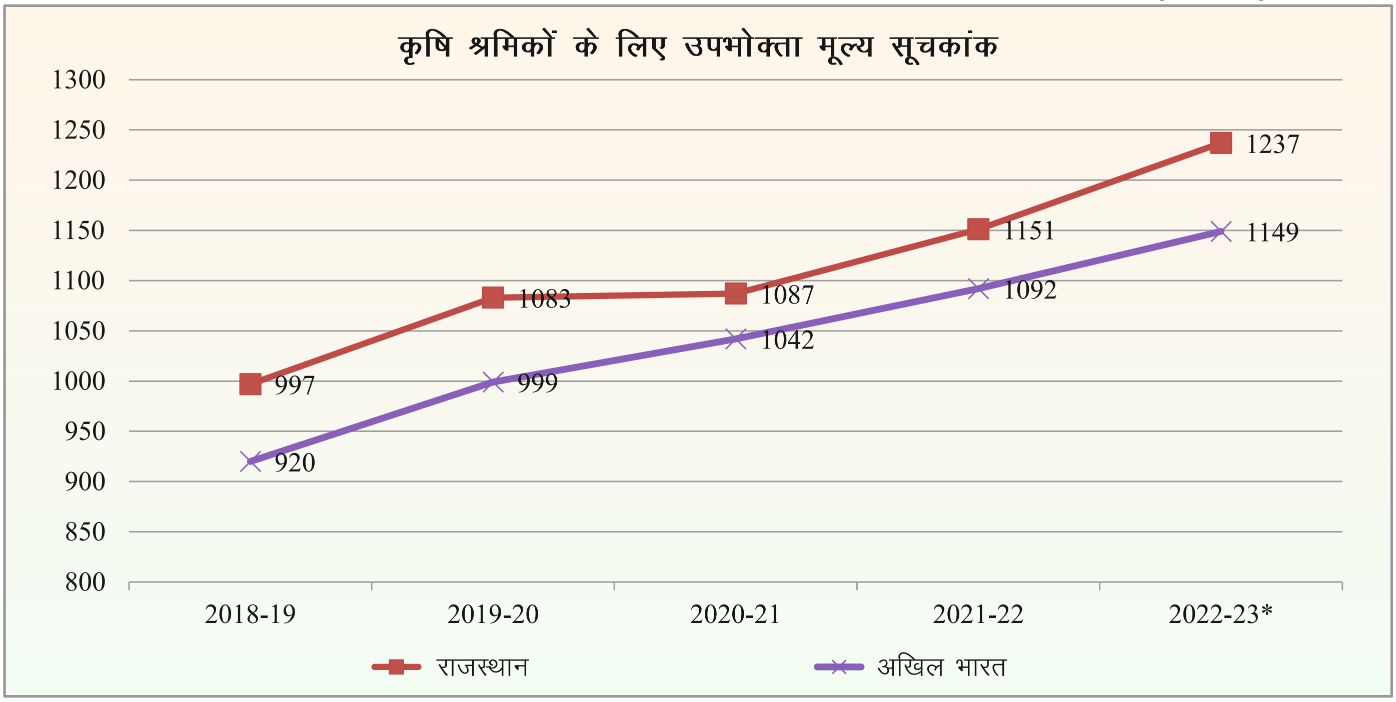

*औसत पर आधारित (जुलाई से नवम्बर, 2022)

सामान्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (ग्रामीण, शहरी एवं संयुक्त) (आधार वर्ष 2012=100)

राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय (एन.एस.ओ), सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा ग्रामीण, शहरी तथा संयुक्त के लिए अखिल भारत तथा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिए अलग–अलग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक नवीन आधार वर्ष 2012 के आधार पर माह जनवरी, 2011 से जारी किए जा रहे हैं। सामान्य सूचकांक वर्ष 2018 से वर्ष 2022 का विवरण तालिका 1.12 में अंकित है:–

तालिका 1.12 ग्रामीण, शहरी एवं संयुक्त के लिए सामान्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

(आधार वर्ष 2012=100)

वर्ष	राजस्थान			अखिल भारत		
	ग्रामीण	शहरी	संयुक्त	ग्रामीण	शहरी	संयुक्त
2018	139.33	138.56	139.05	140.73	136.50	138.77
2019	145.33	144.11	144.91	144.89	142.82	143.93
2020$	153.11	152.38	152.84	154.54	152.27	153.47
2021	157.85	157.73	157.81	161.89	160.73	161.35
2022*	168.71	167.69	168.35	172.76	170.75	171.83

$ राजस्थान का माह अप्रेल एवं मई, 2020 का सूचकांक कोविड महामारी के कारण जारी नहीं किया गया।

*नवम्बर 2022 तक का औसत)

अध्याय 02 कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र

कृषि परिदृश्य

राज्य की अर्थव्यवस्था में कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका है। कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र की गतिविधियों में प्राथमिक रूप से फसल, पशुधन, वानिकी एवं मत्स्य सम्मिलित हैं। जीविकोपार्जन हेतु अधिकांश जनसंख्या कृषि एवं सम्बद्ध गतिविधियों पर निर्भर रहती है। राजस्थान में कृषि मूलतः वर्षा पर आधारित है। राज्य में मानसून की अवधि कम है। राज्य में मानसून अन्य राज्यों की तुलना में विलम्ब से आता है एवं जल्दी ही वापसी हो जाती है। वर्षा की अवधि में भी उतार–चढ़ाव रहता है, जो अपर्याप्त, कम एवं अनिश्चित रहती है। राज्य में भूमिगत जल स्तर तेजी से गिरता जा रहा है। इसके बावजूद कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र राज्य की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है एवं सकल राज्य घरेलू उत्पाद में इसका प्रमुख योगदान है।

कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र का सकल राज्य मूल्य वर्धन (जी.एस.वी.ए.) स्थिर (2011–12) मूल्यों पर वर्ष 2018–19 में ₹1.57 लाख करोड़ से बढ़कर वर्ष 2022–23 में ₹2.09 लाख करोड़ हो गया, जो कि 7.48 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि (सी.ए.जी.आर.) दर्शाता है, जबकि प्रचलित मूल्यों पर कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र का सकल राज्य मूल्य वर्धन (जी.एस.वी.ए.) वर्ष 2018–19 में ₹2.22 लाख करोड़ से बढ़कर वर्ष 2022–23 में ₹3.79 लाख करोड़ हो गया, जो कि 14.33 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि (सी.ए.जी.आर.) दर्शाता है। चित्र 2.1 कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का प्रचलित एवं स्थिर (2011–12) मूल्यों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन (जी.एस.वी.ए.) एवं वृद्धि दर दर्शाता हैं।

चित्र 2.1

कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र का प्रचलित एवं स्थिर (2011–12) मूल्यों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन (जी.एस.वी.ए.) एवं वृद्धि दर

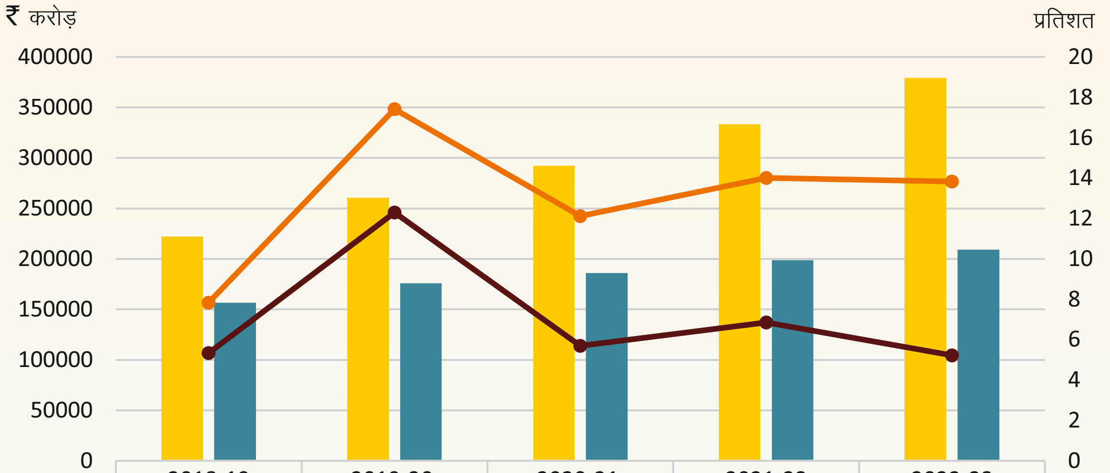

	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
जी.एस.वी.ए. प्रचलित मूल्यों पर	222061	260732	292349	333313	379439
जी.एस.वी.ए. स्थिर मूल्यों पर	156615	175872	185879	198614	208989
वृद्धि दर प्रचलित मूल्यों पर	7.84	17.41	12.13	14.01	13.84
वृद्धि दर स्थिर मूल्यों पर	5.33	12.30	5.69	6.85	5.22

नोटः–वर्ष 2020–21 संशोधित अनुमान द्वितीय, वर्ष 2021–22 संशोधित अनुमान प्रथम, वर्ष 2022–23 अग्रिम अनुमान

राजस्थान के जी.एस.वी.ए. में कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र का योगदान और इसके उप क्षेत्रों की संरचना

राजस्थान के सकल राज्य मूल्य वर्धन (जी.एस.वी.ए.) में प्रचलित मूल्यों पर वर्ष 2011–12 में कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र का योगदान 28.56 प्रतिशत था, जो कि बढकर वर्ष 2022–23 में 28.95 प्रतिशत हो गया। कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र के उप क्षेत्रों में फसल, पशुधन, मत्स्य तथा वानिकी एवं लॉगिंग है। वर्ष 2022–23 में फसल क्षेत्र का अंश 46.00 प्रतिशत, पशुधन क्षेत्र का अंश 46.41 प्रतिशत, वानिकी क्षेत्र का अंश 7.20 प्रतिशत और मत्स्य क्षेत्र का अंश 0.39 प्रतिशत हैं। कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र के विभिन्न उप क्षेत्रों के योगदान को चित्र–2.2 में दर्शाया गया है।

चित्र–2.2

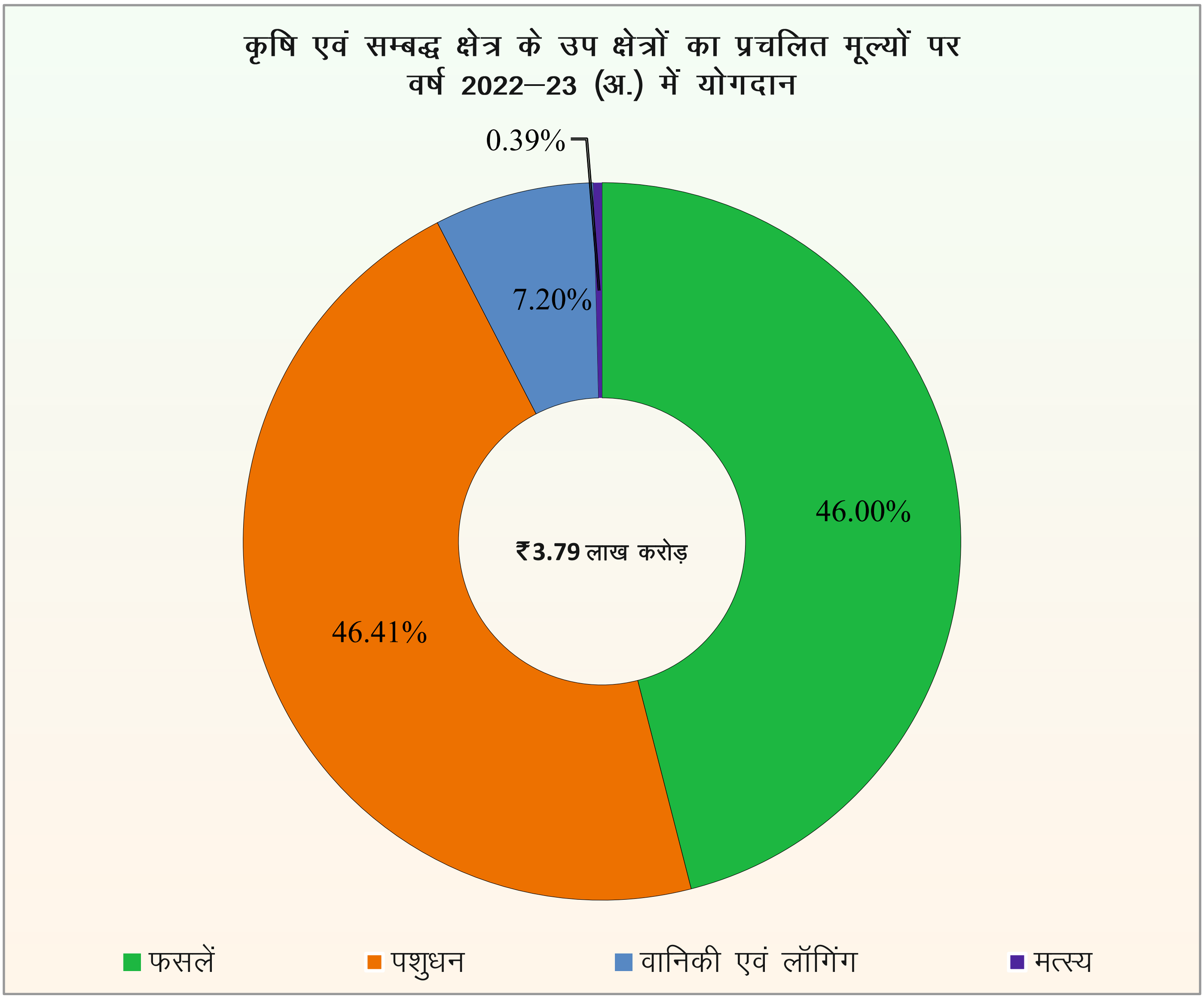

अ. – अग्रिम अनुमान

विकास के सन्दर्भ में कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र में स्थिर (2011–12) मूल्यों पर वर्ष 2022–23 में वर्ष 2021–22 की तुलना में 5.22 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। फसल, पशुधन, वानिकी एवं लॉगिंग तथा मत्स्य क्षेत्र में क्रमशः 6.39 प्रतिशत, 3.91 प्रतिशत, 5.18 प्रतिशत एवं 17.65 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि होने का अनुमान है। चित्र 2.3 स्थिर (2011–12) और प्रचलित मूल्यों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन (जी.एस.वी.ए.) 11 वर्षों की अवधि में क्षेत्रवार सी.ए.जी.आर. दर्शाता है।

चित्र–2.3

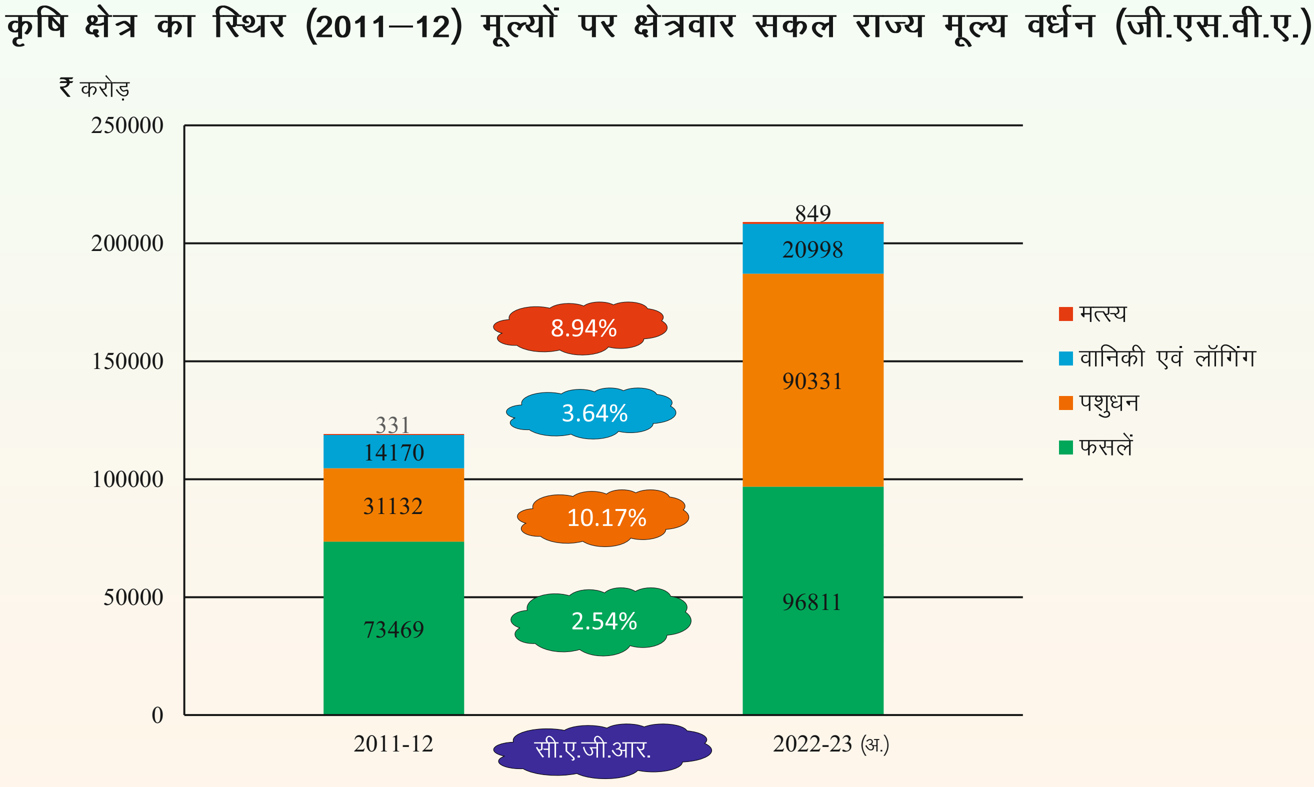

अ. – अग्रिम अनुमान

वर्ष 2022–23 में फसल क्षेत्र का प्रचलित मूल्यों पर सकल मूल्य वर्धन ₹1.83 लाख करोड़ अनुमानित है। राजस्थान राज्य के फसल क्षेत्र की आय में खरीफ में बाजरा, मूंगफली और मूंग एवं रबी में गेहूं, सरसों और चना फसलों का प्रमुख योगदान है। पिछले पांच वर्षों के लिए इन फसलों के सकल मूल्य उत्पाद को चित्र 2.4 एवं 2.5 में दर्शाया गया है।

चित्र–2.4

प्रचलित मूल्यों पर खरीफ फसलों का सकल मूल्य उत्पाद (जी.वी.ओ.)

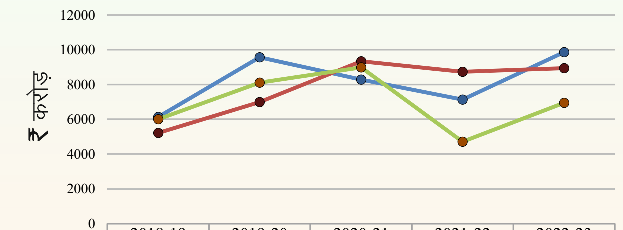

	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
बाजरा	6141	9566	8280	7134	9866
मूंगफली	5214	6996	9336	8736	8943
मूंग	6007	8105	8983	4707	6943

चित्र–2.5

प्रचलित मूल्यों पर रबी फसलों का सकल मूल्य उत्पाद (जी.वी.ओ.)

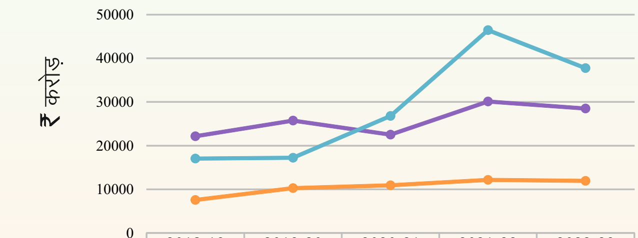

	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
गेहूं	22139	25741	22499	30089	28503
सरसों	17040	17218	26792	46424	37751
चना	7547	10295	10943	12146	11929

वर्ष 2022—23 में प्रचलित मूल्यों पर पशुधन क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धन 1.76 लाख करोड़ अनुमानित है। राजस्थान राज्य में पशुधन क्षेत्र से होने वाली आय में दूध, अण्डे और मांस का प्रमुख योगदान है। प्रचलित मूल्यों पर वर्ष 2022—23 में पशुधन क्षेत्र के सकल मूल्य उत्पाद (जी.वी.ओ.) में पशुधन उत्पादों के योगदान को चित्र 2.6 में दर्शाया गया है।

चित्रः 2.6

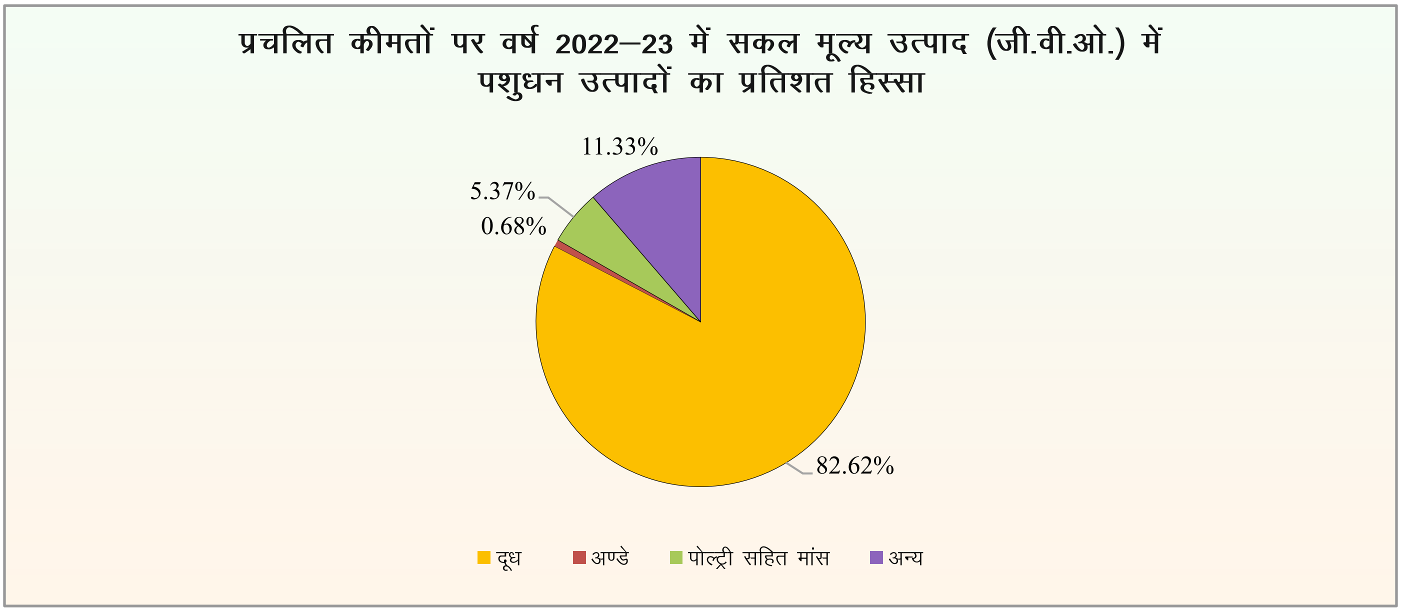

भू—उपयोग

राज्य का कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल वर्ष 2020—21 में 342.89 लाख हैक्टेयर है। इसमें से 8.08 प्रतिशत क्षेत्रफल (27.72 लाख हैक्टेयर) वानिकी के अन्तर्गत, 5.86 प्रतिशत क्षेत्रफल (20.10 लाख हैक्टेयर) कृषि के अतिरिक्त अन्य उपयोग भूमि के अन्तर्गत, 6.91 प्रतिशत क्षेत्रफल (23.67 लाख हैक्टेयर) ऊसर तथा कृषि अयोग्य भूमि के अन्तर्गत, 4.86 प्रतिशत क्षेत्रफल (16.67 लाख हैक्टेयर) स्थायी चारागाह तथा अन्य गोचर भूमि के अन्तर्गत, 0.09 प्रतिशत क्षेत्रफल (0.30 लाख हैक्टेयर) वृक्षों के झुण्ड तथा बाग के अन्तर्गत, 10.87 प्रतिशत क्षेत्रफल (37.27 लाख हैक्टेयर) बंजर भूमि के अन्तर्गत, 6.10 प्रतिशत क्षेत्रफल (20.93 लाख हैक्टेयर) अन्य चालू पड़त भूमि के अन्तर्गत, 4.89 प्रतिशत क्षेत्रफल (16.75 लाख हैक्टेयर) चालू पड़त के अन्तर्गत एवं 52.34 प्रतिशत (179.48 लाख हैक्टेयर) शुद्ध बोये गये क्षेत्रफल को चित्र 2.7 में दर्शाया गया है।

चित्रः 2.7

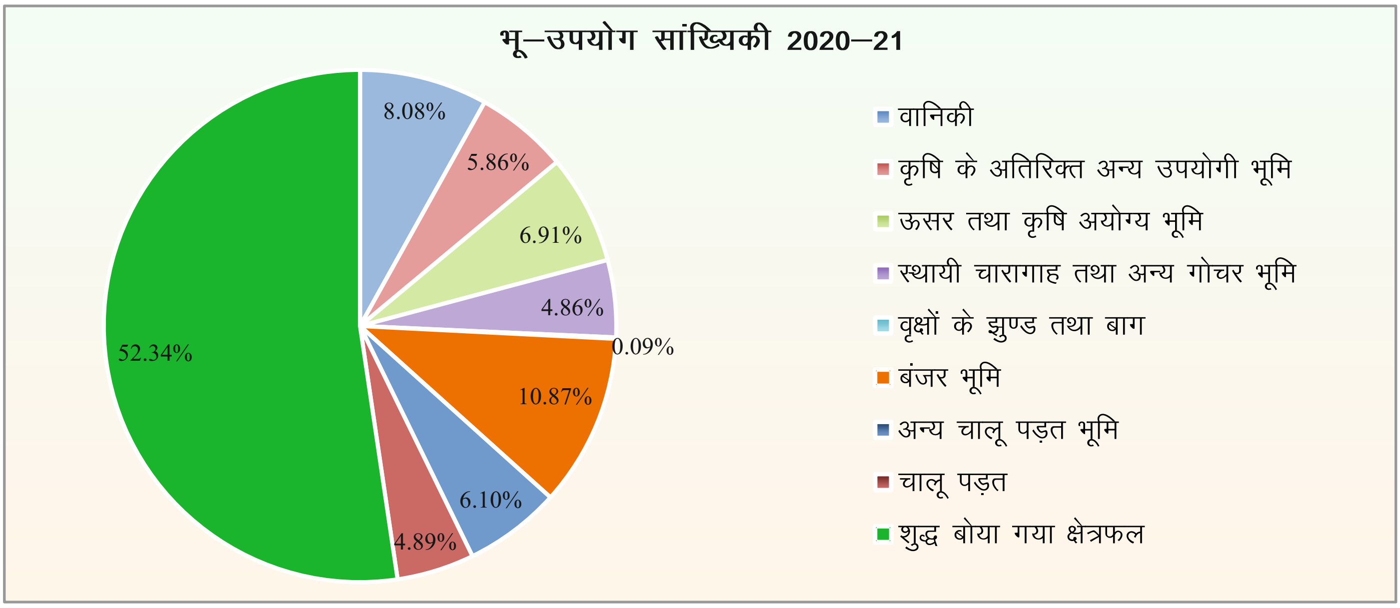

प्रचालित जोत धारक

राज्य में कृषि गणना, 2015–16 के अनुसार कुल प्रचालित भूमि जोतों की संख्या 76.55 लाख है, जबकि वर्ष 2010–11 में यह संख्या 68.88 लाख थी, अर्थात् भूमि जोतों की संख्या में 11.14 प्रतिशत की वृद्धि हुई (तालिका–2.1)। सीमान्त, लघु, अर्द्ध मध्यम, मध्यम एवं बड़े आकार की वर्गीकृत जोत, कुल जोतों का क्रमशः 40.12 प्रतिशत, 21.90 प्रतिशत, 18.50 प्रतिशत, 14.79 प्रतिशत एवं 4.69 प्रतिशत है। वर्ष 2010–11 की तुलना में वर्ष 2015–16 में सीमान्त, लघु, अर्द्ध मध्यम, एवं मध्यम आकार वर्गों की जोतों में वृद्धि हुई है व बड़े आकार वर्गों की जोतों में कमी हुई है। बड़े आकार की भू–जोतों की संख्या में 11.14 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है। इससे यह प्रतीत होता है कि संयुक्त परिवारों के विघटन के कारण भूमि नामान्तरण में वृद्धि हुई है।

वर्ष 2010–11 में कुल जोतों का क्षेत्रफल 211.36 लाख हैक्टेयर था, जो वर्ष 2015–16 में घटकर 208.73 लाख हैक्टेयर हो गया, अर्थात् जोतों के कुल क्षेत्रफल में 1.24 प्रतिशत की कमी दर्ज हुई है।

वर्ष 2010–11 की तुलना में वर्ष 2015–16 में क्षेत्रफल की दृष्टि से सीमान्त, लघु व अर्द्ध मध्यम आकार की जोतों के क्षेत्रफल में क्रमशः 19.79 प्रतिशत, 10.50 प्रतिशत व 5.67 प्रतिशत की वृद्धि हुई है (तालिका–2.1)। इसके विपरीत बड़े आकार एवं मध्यम आकार की जोतों के कुल क्षेत्रफल में क्रमशः 13.20 प्रतिशत एवं 0.27 प्रतिशत की कमी दर्ज हुई है। कृषि गणना, 2015–16 के अनुसार राज्य में भूमि जोतों का औसत आकार 2.73 हैक्टेयर रहा है, जो वर्ष 2010–11 में 3.07 हैक्टेयर था, जो 11.07 प्रतिशत की कमी दर्शाता है।

महिला प्रचालित जोत धारक

राज्य में कृषि गणना, 2015–16 के अनुसार कुल महिला प्रचालित भूमि जोतों की संख्या 7.75 लाख है, जबकि वर्ष 2010–11 में यह संख्या 5.46 लाख थी, अर्थात् महिला भूमि जोतों की संख्या में 41.94 प्रतिशत की वृद्धि हुई (तालिका–2.1)। सीमान्त, लघु, अर्द्ध मध्यम, मध्यम एवं बड़े आकार की वर्गीकृत महिला जोत धारकों का कुल जोतों से क्रमशः 49.55 प्रतिशत, 20.77 प्रतिशत, 14.97 प्रतिशत, 11.74 प्रतिशत एवं 2.97 प्रतिशत है। वर्ष 2010–11 की तुलना में वर्ष 2015–16 में सभी आकार वर्गों की जोतों में वृद्धि हुई है।

राज्य में वर्ष 2010–11 में महिला भूमि जोतों का क्षेत्रफल 13.30 लाख हैक्टेयर था, जो वर्ष 2015–16 में बढ़कर 16.55 लाख हैक्टेयर हो गया, अर्थात् महिला भूमि जोतों के कुल क्षेत्रफल में 24.44 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है (तालिका–2.1)।

मानसून

राजस्थान में कृषि मुख्य रूप से वर्षा पर निर्भर है, जो प्राकृतिक रूप से अनियमित है तथा मानसून की अवधि भी कम है। अस्थिर मौसम की स्थिति एवं अनिश्चित जल व्यवस्था होने के कारण किसानों को कृषि हेतु वर्षा और भूमिगत जल दोनों पर निर्भर रहना पड़ता है। वर्षा की प्रवृत्ति यह स्पष्ट करती है कि राज्य में मानसून के पहुँचने की सामान्य तिथि 15 जून है, जबकि इस वर्ष राज्य में मानसून 5 दिन पूर्व 10 जून से प्रारम्भ होकर जुलाई, 2022 के प्रथम सप्ताह तक सम्पूर्ण राज्य में सक्रिय हुआ।

राज्य में 1 जून से 30 सितम्बर, 2022 तक की समयावधि में वास्तविक वर्षा 594.20 मिमी. दर्ज की गई, जो कि सामान्य वर्षा 430.80 मिमी. की तुलना में 37.93 प्रतिशत अधिक रही है।

राजस्थान के अधिकांश जिलों में पूरे मानसून सत्र 2022 में असामान्य, सामान्य से अधिक या सामान्य वर्षा हुई है।

कृषि उत्पादन

राज्य में कृषि का उत्पादन मुख्यतः मानसून के उचित समय पर आने पर निर्भर करता है। खरीफ फसलों का उत्पादन एवं उत्पादकता केवल वर्षा की मात्रा पर ही निर्भर नहीं है, अपितु पर्याप्त समयावधि में वर्षा के उचित एवं समान वितरण और सघनता पर भी निर्भर करता है।

गत तीन वर्षों की खरीफ और रबी फसलों के उत्पादन का विस्तृत विवरण तालिका–2.2 एवं खाद्यान्न एवं तिलहनों के उत्पादन को चित्र–2.8 में दर्शाया गया है।

प्रारम्भिक पूर्वानुमान के अनुसार राज्य में वर्ष 2022–23 में खाद्यान्न का कुल उत्पादन 253.99 लाख मैट्रिक टन होने की सम्भावना है, जो कि गत वर्ष के 231.52 लाख मैट्रिक टन की तुलना में 9.71 प्रतिशत अधिक है।

वर्ष 2022–23 में खरीफ खाद्यान्न का उत्पादन 97.98 लाख मैट्रिक टन होने की सम्भावना है, जो कि गत वर्ष के 85.82 लाख मैट्रिक टन की तुलना में 14.17 प्रतिशत अधिक है। वर्ष 2022–23 में रबी खाद्यान्न का उत्पादन 156.01 लाख मैट्रिक टन होना अनुमानित है, जो कि गत वर्ष 2021–22 में 145.70 लाख मैट्रिक टन की तुलना में 7.08 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

तालिका 2.1 कृषि गणना 2015–16

लिंगानुसार जोतों के मुख्य आकार वर्ग के अनुसार प्रचालित जोतों की संख्या एवं क्षेत्रफल का प्रतिशत विचलन (समस्त सामाजिक वर्ग)

क्र.स.	आकार वर्ग (हैक्टेयर में)	लिंग	जोतों की संख्या (000)			जोतों का क्षेत्रफल (000 हैक्टेयर)		
			2010-11	2015-16	% विचलन	2010-11	2015-16	% विचलन
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	सीमान्त (1.0 हैक्टेयर से कम)	पुरूष	2268	2683	18.30	1120	1304	16.43
		स्त्री	239	384	60.67	116	177	52.59
		संस्थागत	4	4	0.00	2	2	0.00
योग			**2511**	**3071**	**22.30**	**1238**	**1483**	**19.79**
2	लघु (1.0–2.0 हैक्टेयर)	पुरूष	1389	1514	9.00	1988	2158	8.55
		स्त्री	120	161	34.17	171	227	32.75
		संस्थागत	2	2	0.00	3	4	33.33
योग			**1511**	**1677**	**10.99**	**2162**	**2389**	**10.50**
3	अर्ध–मध्यम (2.0–4.0 हैक्टेयर)	पुरूष	1240	1297	4.60	3509	3655	4.16
		स्त्री	92	116	26.09	258	325	25.97
		संस्थागत	3	3	0.00	7	8	14.29
योग			**1335**	**1416**	**6.07**	**3774**	**3988**	**5.67**
4	मध्यम (4.0–10.0 हैक्टेयर)	पुरूष	1051	1038	-1.24	6459	6334	-1.94
		स्त्री	74	91	22.97	445	549	23.37
		संस्थागत	2	3	50.00	14	16	14.29
योग			**1127**	**1132**	**0.44**	**6918**	**6899**	**-0.27**
5	बड़े (10.0 हैक्टेयर एवं अधिक)	पुरूष	381	334	-12.34	6621	5657	-14.56
		स्त्री	21	23	9.52	340	377	10.88
		संस्थागत	2	2	0.00	83	80	-3.61
योग			**404**	**359**	**-11.14**	**7044**	**6114**	**-13.20**
समस्त		पुरूष	6329	6866	8.48	19697	19108	-2.99
		स्त्री	546	775	41.94	1330	1655	24.44
		संस्थागत	13	14	7.69	109	110	0.92
योग			**6888**	**7655**	**11.14**	**21136**	**20873**	**-1.24**

तालिका–2.2 राज्य में खरीफ और रबी फसलों का क्षेत्रफल एवं उत्पादन

फसल	क्षेत्रफल (लाख हैक्टेयर में)			उत्पादन (लाख मैट्रिक टन में)		
	2020-21	2021-22 (अंतिम)	2022-23 (अग्रिम)	2020-21	2021-22 (अंतिम)	2022-23 (अग्रिम)
(अ) अनाज	96.38	91.00	97.54	233.58	191.00	206.57
खरीफ	61.36	60.58	63.61	97.62	72.74	77.84
रबी	35.02	30.42	33.93	135.96	118.26	128.73
(ब) दलहन	59.14	64.57	57.14	39.66	40.52	47.42
खरीफ	39.95	41.23	36.16	19.29	13.08	20.14
रबी	19.19	23.34	20.98	20.37	27.44	27.28
(अ+ब) खाद्यान्न	155.52	155.57	154.68	273.24	231.52	253.99
खरीफ	101.31	101.81	99.77	116.91	85.82	97.98
रबी	54.21	53.76	54.91	156.33	145.70	156.01
(स) तिलहन	52.90	69.17	63.77	80.54	102.68	99.78
खरीफ	24.72	23.80	24.21	34.41	28.92	33.64
रबी	28.18	45.37	39.56	46.13	73.76	66.14
(द) गन्ना	0.05	0.04	0.04	3.94	3.21	2.18
(य) कपास (रूई) *	8.08	7.56	7.77	32.07	24.82	25.53

* उत्पादन लाख गांठों में (प्रत्येक गांठ में 170 किलो)।

वर्ष 2022–23 में खरीफ अनाज का उत्पादन 77.84 लाख मैट्रिक टन होना अनुमानित है, जो कि गत वर्ष के खरीफ उत्पादन 72.74 लाख मैट्रिक टन की तुलना में 7.01 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। वर्ष 2022–23 में रबी अनाज का उत्पादन 128.73 लाख मैट्रिक टन होने की सम्भावना है, जो कि वर्ष 2021–22 के 118.26 लाख मैट्रिक टन की तुलना में 8.85 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

वर्ष 2022–23 में खरीफ दलहन का उत्पादन 20.14 लाख मैट्रिक टन होने की सम्भावना है, जो कि वर्ष 2021–22 के 13.08 लाख मैट्रिक टन उत्पादन की तुलना में 53.98 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। वर्ष 2022–23 में रबी दलहन का उत्पादन 27.28 लाख मैट्रिक टन होने की सम्भावना है, जो कि वर्ष 2021–22 के 27.44 लाख मैट्रिक टन की तुलना में 0.58 प्रतिशत की कमी दर्शाता है।

तिलहन के अन्तर्गत खरीफ फसलों में मूंगफली, तिल, सोयाबीन व अरण्डी तथा रबी फसलों में राई व सरसों, तारामीरा एवं अलसी सम्मिलित है। तिलहन का उत्पादन वर्ष 2022–23 में 99.78 लाख मैट्रिक टन होने का अनुमान है, जो कि वर्ष 2021–22 के 102.68 लाख मैट्रिक टन की तुलना में 2.82 प्रतिशत की कमी दर्शाता है।

खरीफ तिलहन का वर्ष 2022–23 में 33.64 लाख मैट्रिक टन उत्पादन होने की सम्भावना है, जो कि वर्ष 2021–22 में 28.92 लाख मैट्रिक टन की तुलना में 16.32 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। रबी तिलहन का उत्पादन वर्ष 2021–22 के 73.76 लाख मैट्रिक टन की तुलना में वर्ष 2022–23 में 66.14 लाख मैट्रिक टन होने की सम्भावना है, जो कि 10.33 प्रतिशत की कमी दर्शाता है।

चित्र 2.8

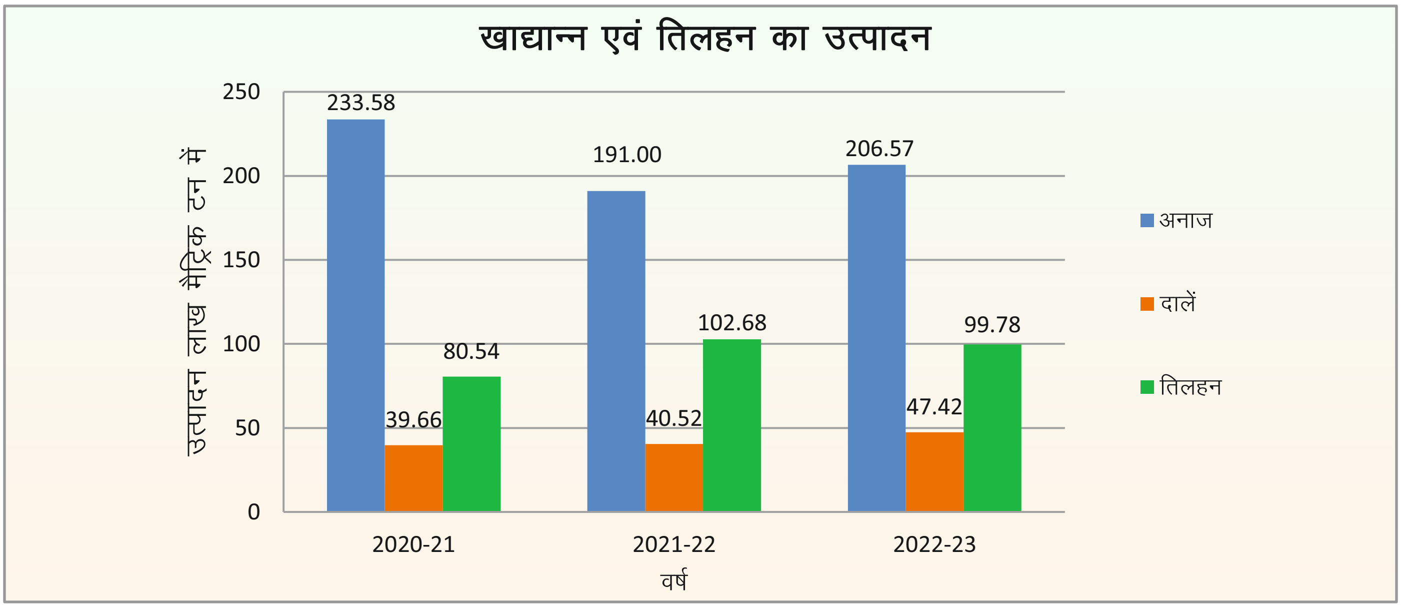

गन्ने का उत्पादन वर्ष 2021–22 के 3.21 लाख मैट्रिक टन की तुलना में वर्ष 2022–23 में 2.18 लाख मैट्रिक टन होने की सम्भावना है, जो कि 32.09 प्रतिशत की कमी दर्शाता है। वर्ष 2022–23 में कपास का उत्पादन 25.53 लाख गाँठें उत्पादित होने की सम्भावना है, जबकि वर्ष 2021–22 में यह उत्पादन 24.82 लाख गाँठें था, जो कि 2.86 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

विभिन्न कृषि फसलों में राजस्थान का स्थान

वर्ष 2020–21 में राजस्थान देश में बाजरा, सरसों, पोषक अनाज, कुल तिलहन एवं ग्वार फसलों के उत्पादन में प्रथम स्थान, कुल दलहन एवं मूंगफली के उत्पादन में द्वितीय स्थान एवं चना, ज्वार व सोयाबीन के उत्पादन में तृतीय स्थान पर रहा है। राजस्थान का उत्पादन में अन्य राज्यों के साथ तुलनात्मक विवरण तालिका 2.3 में निम्नानुसार है।

तालिका 2.3 प्रमुख फसलो के उत्पादन में तुलनात्मक विवरण

क्र.सं.	फसल	प्रथम स्थान	द्वितीय स्थान	तृतीय स्थान	राजस्थान का देश के कुल उत्पादन में योगदान (प्रतिशत में)
1	बाजरा	राजस्थान	उत्तर प्रदेश	हरियाणा	41.71
2	सरसों	राजस्थान	मध्य प्रदेश	हरियाणा	44.57
3	पोषक अनाज	राजस्थान	कर्नाटक	महाराष्ट्र	16.30
4	कुल तिलहन	राजस्थान	महाराष्ट्र	मध्य प्रदेश	22.00
5	कुल दलहन	मध्य प्रदेश	राजस्थान	महाराष्ट्र	16.75
6	मूंगफली	गुजरात	राजस्थान	तमिलनाडु	18.91
7	चना	मध्य प्रदेश	महाराष्ट्र	राजस्थान	19.37
8	ज्वार	महाराष्ट्र	कर्नाटक	राजस्थान	12.35
9	सोयाबीन	महाराष्ट्र	मध्य प्रदेश	राजस्थान	8.49
10	ग्वार*	राजस्थान	–	–	84.60

स्त्रोतः– भारत सरकार द्वारा प्रकाशित कृषि सांख्यिकी एक नजर में वर्ष 2021 के आधार पर।
*ग्वार फसल में वर्ष 2019–20 की स्थिति।

कृषि जलवायुवीय क्षेत्रवार मुख्य फसलें

राज्य का उत्तरी–पश्चिमी भाग जो कुल क्षेत्रफल का लगभग 61 प्रतिशत मरूस्थलीय या अर्द्ध मरूस्थलीय है, जो वर्षा पर निर्भर है। राज्य का दक्षिणी–पूर्वी क्षेत्र, जो कुल क्षेत्रफल का लगभग 39 प्रतिशत है, उपजाऊ है। राज्य को जलवायु के आधार पर 10 कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, जिनमें बोई जाने वाली मुख्य फसलों का विवरण तालिका 2.4 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.4 राज्य के कृषि जलवायुवीय क्षेत्र

क्र. स.	जलवायु क्षेत्र	सम्मिलित जिलें	मुख्य फसलें	
			खरीफ	रबी
1	शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र (I-A)	बाड़मेर एवं जोधपुर	बाजरा, मोठ एवं तिल	गेहूं, सरसों एवं जीरा
2	उत्तरी पश्चिमी सिंचित मैदानी क्षेत्र (I-B)	श्रीगंगानगर एवं हनुमानगढ़	कपास एवं ग्वार	गेहूं, सरसों एवं चना
3	अति शुष्क आंशिक सिंचित पश्चिमी मैदानी क्षेत्र (I-C)	बीकानेर, जैसलमेर एवं चुरू	बाजरा, मोठ एवं ग्वार	गेहूं, सरसों एवं चना
4	अन्तः स्थलीय जलोत्सरण के अन्तवर्ती मैदानी क्षेत्र (II-A)	नागौर, सीकर, झुन्झुनू एवं चुरू जिले का भाग	बाजरा, ग्वार एवं दलहन	सरसों एवं चना
5	लूनी नदी का अन्तवर्ती मैदानी क्षेत्र (II-B)	जालौर, पाली, सिरोही एवं जोधपुर जिलें का भाग	बाजरा, ग्वार एवं तिल	गेहूं एवं सरसों
6	अर्द्ध शुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र (III-A)	जयपुर, अजमेर, दौसा एवं टोंक	बाजरा, ग्वार एवं ज्वार	गेहूं, सरसों एवं चना
7	बाढ सम्भाव्य पूर्वी मैदानी क्षेत्र (III-B)	अलवर, धौलपुर, भरतपुर, करौली एवं सवाईमाधोपुर	बाजरा, ग्वार एवं मूंगफली	गेहूं, जौ, सरसों एवं चना
8	अर्द्ध आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र (IV-A)	भीलवाड़ा, राजसमन्द, चित्तौड़गढ, उदयपुर एवं सिरोही जिलें का भाग	मक्का, दलहन एवं ज्वार	गेहूं एवं चना
9	आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र (IV-B)	डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ एवं उदयपुर जिलें का भाग	मक्का, चावल, ज्वार एवं उड़द	गेहूं एवं चना
10	आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी क्षेत्र (V)	कोटा, झालावाड़, बून्दी, बारां एवं सवाई माधोपुर जिले का भाग	ज्वार एवं सोयाबीन	गेहूं एवं सरसों

कृषि बजट 2022–23

राज्य में पहली बार पृथक से कृषि बजट को 'समृद्ध किसान–खुशहाल राजस्थान' विचार के साथ प्रस्तुत किया गया। वर्ष 2022–23 के लिए कुल कृषि बजट प्रावधान ₹78,938.68 करोड़ था । घटकवार बजट तालिका 2.5 व चित्र 2.5 में दर्शाया गया है।

तालिका–2.5 कृषि बजट प्रावधान (बी.ई.) 2022–23

क्र. सं.	घटक	₹ करोड़ में	कुल कृषि बजट का प्रावधान प्रतिशत में
1	कृषि अनुदान	29862.09	37.83
2	कृषि साख	20270.00	25.68
3	आधारभूत संरचना विकास	11946.31	15.13
4	जोखिम प्रबन्धन	4465.18	5.66
5	सामाजिक सुरक्षा	4217.25	5.34
6	प्रशासनिक गतिविधियां	3334.97	4.23
7	कृषि विपणन	3007.95	3.81
8	कृषि शिक्षा, अनुसंधान तथा कौशल विकास	988.92	1.25
9	कृषि आधारित अन्य गतिविधियां	846.01	1.07
योग		78938.68	100.00

चित्र–2.5

कृषि बजट 2022–23

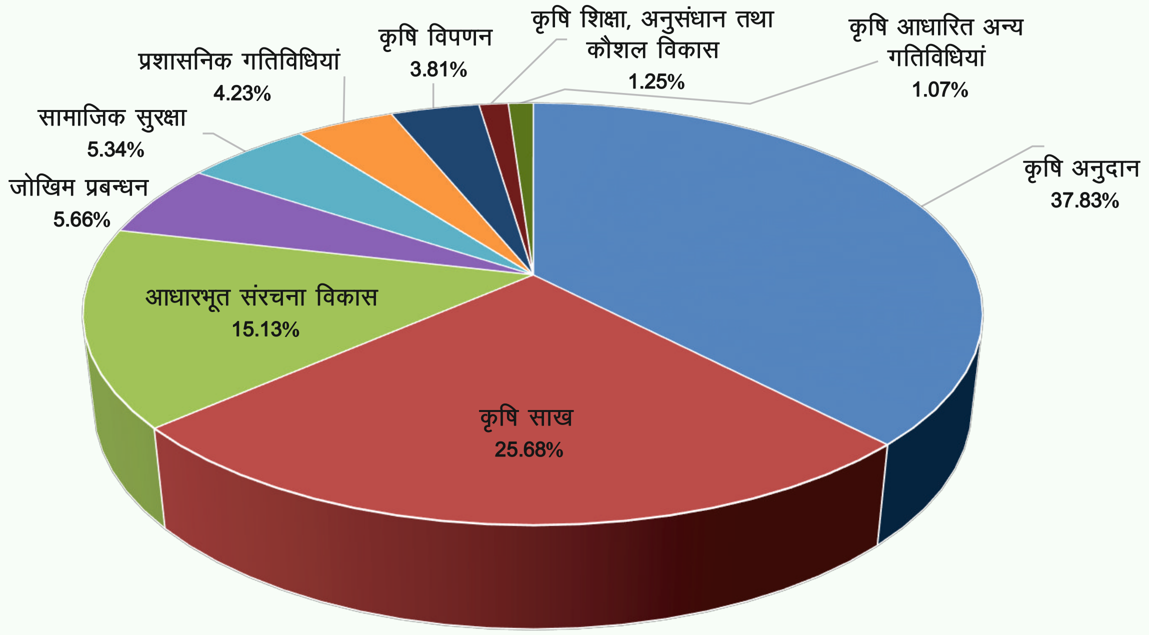

कृषि विभाग द्वारा संचालित प्रमुख योजनाएं एवं कार्यक्रमः

मुख्यमंत्री बीज स्वावलम्बन योजनाः इस योजना का प्रमुख उद्देश्य कृषकों द्वारा स्वयं के खेतों में अच्छी किस्म के बीज निर्माण को बढ़ावा देना है। प्रारम्भ में इस योजना का क्रियान्वयन राज्य के तीन कृषि जलवायुविक खण्डों यथा–कोटा, भीलवाड़ा तथा उदयपुर में किया गया। वर्ष 2018–19 से योजना राज्य के समस्त 10 कृषि जलवायुविक खण्डों में क्रियान्वित की जा रही है। इस योजनान्तर्गत गेहूं, जौ, चना, ज्वार, सोयाबीन, मूंग, मोठ मूंगफली एवं उड़द की 10 वर्ष से कम अवधि तक की पुरानी किस्मों का बीज उत्पादन को शामिल किया गया है।

वर्ष 2022–23 के खरीफ मौसम के दौरान उन्नत बीज उत्पादन हेतु विभिन्न फसलों का कुल 2,924 क्विंटल बीज कृषकों को वितरण किया गया। रबी में कृषकों को गेहूं, जौ एवं चना का 34,317.50 क्विंटल के लक्ष्य के विरुद्ध 28,483.10 क्विंटल बीज का वितरण किया गया।

गैर–स्थानिक क्षेत्रों में कीट और रोगों का उन्मूलनः उत्पादन के लिए इकॉनोमिक थ्रेसहोल्ड लेवल (ई.टी.एल.) से नीचे के जीवों को रखने के लिए फसलों को कीड़ों, कीटों और बीमारी के संक्रमण से बचाना अत्यन्त आवश्यक है, इसलिए स्थानिक/गैर–स्थानिक क्षेत्रों में टिड्डी एवं कीटों/रोगों के उन्मूलन के लिए पौध संरक्षण रसायन के अनुदान का प्रावधान रखा गया है।

महिला प्रशिक्षणः इस योजना के अन्तर्गत ग्राम पंचायत स्तर पर महिला कृषकों हेतु एक दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया जाता है जिसमें 30 महिला कृषकों को प्रति प्रशिक्षण हेतु सहायता राशि ₹3,000 देने का प्रावधान है। साथी किसानों को कृषि तकनीक का प्रसार करने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। इस योजनान्र्तगत माह नवम्बर, 2022 तक 3,075 प्रशिक्षण सत्रों में 92,250 महिलाओं को प्रशिक्षित किया गया।

कृषि शिक्षा में अध्ययनरत् छात्राओं को प्रोत्साहन राशिः लड़कियों को औपचारिक रूप से कृषि का अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके लिए कृषि विभाग, उच्च माध्यमिक, स्नातक (कृषि), स्नातकोत्तर और पीएचडी करने में प्रोत्साहन राशि प्रदान कर रहा है। राज्य सरकार द्वारा उच्च माध्यमिक (कृषि) के लिए प्रति वर्ष ₹5,000 प्रति छात्रा, स्नातक (कृषि) एवं स्नातकोत्तर (कृषि) के लिए प्रति वर्ष ₹12,000 प्रति छात्रा और पीएचडी के लिए प्रति वर्ष ₹15,000 प्रति छात्रा को प्रोत्साहन राशि प्रदान की जा रही है। इस योजनान्र्तगत माह नवम्बर, 2022 तक 8,621 लड़कियों को ₹597.53 लाख की प्रोत्साहन राशि प्रदान की गयी।

कृषि प्रदर्शनः "देखकर विश्वास करने" के कृषि के सिद्धान्त पर कृषि तकनीक को प्रसारित करने हेतु कृषकों के खेतों पर फसल प्रदर्शन आयोजित किये जा रहे हैं। नई उन्नत एवं नवोन्मेषी कृषि तकनीक का हस्तान्तरण करने के लिए फसल प्रदर्शन का आयोजन कृषि विस्तार का एक महत्वपूर्ण साधन है।

बीज मिनिकिटः विभिन्न फसलों की नवीन किस्मों को लोकप्रिय करने के लिए महिला कृषकों के मध्य निः शुल्क बीज मिनिकिट कृषकों को उपलब्ध कराए जा रहे हैं। वर्ष 2022–23 में खरीफ तथा रबी में कुल 10,46,795 बीज मिनीकिट वितरित किये गए।

सूक्ष्म पोषक तत्व मिनिकिटः फसल उत्पादन के लिये सूक्ष्म पोषक तत्वों के उपयोग को बढ़ाने के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड/पी.ओ.पी. की अनुशंषा पर किसानों को 90 प्रतिशत अनुदान पर सूक्ष्म पोषक तत्व मिनिकिट उपलब्ध कराए जा रहे हैं। वर्ष 2022–23 में माह नवम्बर, 2022 तक कुल 94,000 सूक्ष्म पोषक तत्व किट वितरित किए गए।

ग्राह्य परीक्षण केन्द्रों का संचालन एवं आर्गेनिक फार्मिंग हेतु सहायता : ग्राह्य परीक्षण केन्द्रों का मुख्य उद्देश्य राज्य के कृषि विश्वविद्यालयों के अधीन कार्यरत कृषि अनुसंधान केन्द्रों से प्राप्त नवीनतम कृषि तकनीकी अनुसंधान सिफारिशों का विभिन्न कृषि जलवायुवीय क्षेत्रों में अग्रिम सत्यापन करना है, जिससे इनकी अधिकतम ग्राह्यता तथा कृषकों को अधिक से अधिक आर्थिक लाभ मिल सके। इन केन्द्रों पर परीक्षण के माध्यम से उपयोगिता के आधार पर विस्तार कार्मिकों की प्रतिक्रिया के आधार पर मौजूदा सिफारिशों का नवीनीकरण किया जाता है। संशोधन यदि क्षेत्र स्तर पर अनुकूल हो तो इन्हे विशेष जोन के अभ्यास पैकेज में शामिल किये जाते है। किसानों की विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक अवलोकन परीक्षण का सुझाव दिया जाता है। इन केन्द्रों पर आयोजित मुख्य गतिविधियां निम्नानुसार है–

- कृषकों एवं विस्तार कार्यकर्ताओं को नवीन तकनीकी ज्ञान देने एवं उनकी समस्या–समाधान हेतु प्रशिक्षण आयोजित किए जाते हैं।
- किसान मेला एवं प्रदर्शन आयोजित कर नई तकनीक प्रसार हेतु परीक्षणों को सीधे ही किसानों को दिखा कर लाभान्वित किया जाता है।

- निजी क्षेत्र की संकर/उन्नत किस्म के बीज एवं अन्य आदानों की ग्राह्यता की जांच ग्राह्य परीक्षण केन्द्रों पर की जाती है।
- इन केन्द्रों पर मॉडल जैविक फार्म विकसित किए जाकर केन्द्र एवं कृषक क्षेत्र पर परीक्षणों व प्रदर्शनों का आयोजन कर जैविक खेती की उन्नत तकनीक विकसित की जा रही है।
- समन्वित कीट–व्याधि प्रबन्धन हेतु जैव–कारकों का उत्पादन, केचुआ संवर्धन व वर्मीकम्पोस्ट सहित जैव आदानों के उत्पादन की ईकाईयां स्थापित की गई है।
- मौसम में बदलाव के साथ क्षेत्र में सम्भाव्य कीट–व्याधि प्रकोप की वस्तुस्थिति जानने हेतु विस्तार अधिकारियों के साथ नियमित सर्वे किया जाता है।
- राजस्थान राज्य बीज निगम के माध्यम से बीज उत्पादन का कार्यक्रम भी लिया जाता है।

ऑर्गेनिक फार्मिंग हेतु सहायता : राज्य योजना में प्रतिवर्ष जैविक खेती अपनाने वाले 3 कृषकों को लाभान्वित किया जाता है। वर्ष 2015–16 से 2021–22 तक जैविक खेती में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 21 कृषकों को पुरस्कृत किया गया है। किसानों को जैविक खेती के लिए राज्य स्तर पर ₹1.00 लाख की राशि दी जाती है।

तारबन्दी द्वारा फसल सुरक्षा हेतु अनुदान : नीलगाय व आवारा पशुओ से फसलों को होने वाले नुकसान से बचाने के लिए व्यक्तिगत कृषक व कृषक समूह के लिये राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन के तहत राज्य योजना एवं मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना/नेशनल मिशन ऑन इडिबल ऑइलसीडस/एन.एफ.एस.एम.–न्यूट्रीसीरियल अन्तर्गत तारबन्दी कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया है। तारबन्दी हेतु लघु एवं सीमान्त कृषकों को लागत का 60 प्रतिशत अथवा अधिकतम राशि ₹48,000 जो भी कम हो एवं अन्य कृषकों को लागत का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम राशि ₹40,000 जो भी कम हो, प्रति कृषक 400 रनिंग मीटर की सीमा तक अनुदान देय है। अनुदान राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डी.बी.टी.) के माध्यम से कृषकों को देय हैं।

भूमिहीन श्रमिकों को सहायता : बजट घोषणा वर्ष 2022–23 के अनुसार ''राजस्थान कृषि श्रमिक संबल मिशन'' के अन्तर्गत प्रदेश में कृषि कार्यों में लगे हुए 2 लाख भूमिहीन श्रमिकों को हस्तचालित कृषि यंत्र खरीदने के लिए ₹5,000 प्रति परिवार अनुदान दिया जाना प्रस्तावित किया गया है जिसके लिए राज्य योजना में राशि ₹100 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। योजना की क्रियान्विति हेतु सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, राजस्थान से कोविड–19 एक्सग्रेसिया प्राप्त महिला भूमिहीन कृषि श्रमिकों की जिलेवार सूची उपलब्ध करवायी हैं।

भूमिहीन कृषि श्रमिकों की कृषि मे महत्ता को देखते हुए कौशल विकास एवं क्षमता निर्माण हेतु दो दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किये जा रहे हैं। माह नवम्बर, 2022 तक 447 प्रशिक्षण आयोजित कर 13,410 भूमिहीन कृषि श्रमिकों का कौशल विकास एवं क्षमता वर्धन किया गया।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एन.एफ.एस.एम.)

केन्द्रीय सरकार द्वारा केन्द्र प्रवर्तित योजना के रुप में वर्ष 2007–08 से राज्य में गेहूं एवं दलहन पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन प्रारम्भ किया गया है। केन्द्रीयांश एवं राज्यांश का वित्त पोषण अनुपात 60:40 है।

गेहूं एवं दलहन पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एन.एफ.एस.एम.) के अन्तर्गत प्रमाणित बीजों का वितरण, उन्नत उत्पादन तकनीक का प्रदर्शन, जैविक खाद, सूक्ष्म तत्वों, जिप्सम, समन्वित कीट प्रबन्धन (आई.पी.एम.), कृषि यंत्रो, फव्वारा, पम्प सेट, सिंचाई जल हेतु पाइप लाईन एवं फसल तंत्र आधारित प्रशिक्षण द्वारा किसानों को सहयोग देना आदि महत्वपूर्ण कार्यक्रम हैं।

राज्य में एन.एफ.एस.एम. गेहूं 14 जिलों यथा– बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, बीकानेर, जयपुर, झुन्झुनूं, जोधपुर, करौली, नागौर, पाली, प्रतापगढ़, सवाई माधोपुर, सीकर, टोंक एवं उदयपुर में क्रियान्वित किया जा रहा है। वर्ष 2010–11 से राज्य के सभी 33 जिलों को एन.एफ.एस.एम. दलहन में शामिल कर लिया है।

राज्य में एन.एफ.एस.एम. मोटा अनाज मक्का 5 जिलों यथा– बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, तथा उदयपुर में क्रियान्वित किया जा रहा है। एन.एफ.एस.एम. मोटा अनाज जौ के लिए 7 जिलों यथा– अजमेर, भीलवाड़ा, हनुमानगढ़, जयपुर, नागौर, श्रीगंगानगर तथा सीकर में क्रियान्वित किया जा रहा है।

एन.एफ.एस.एम.न्यूट्रिसीरियल मिशन केन्द्रीय प्रवर्तित योजना के रूप में राज्य में वर्ष 2018–19 से प्रारम्भ की गई। इस योजना में प्रमाणित बीज का वितरण एवं उत्पादन, उत्पादन तकनीक में सुधार का प्रदर्शन, जैव उर्वरकों को बढ़ावा देना, सूक्ष्म तत्वों का प्रयोग, समन्वित कीट प्रबन्धन और फसल

प्रदर्शन पर किसानों को प्रशिक्षण देना है। इस मिशन के तहत जिलों को फसलवार बांटा गया है। फसल ज्वार हेतु 10 जिलों यथा– अजमेर, अलवर, भरतपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, जयपुर, जोधपुर, नागौर, पाली व टोंक तथा बाजरा फसल हेतु 21 जिलों यथा– अजमेर, अलवर, बाड़मेर, भरतपुर, बीकानेर, चूरू, दौसा, धौलपुर, हनुमानगढ़, जयपुर, जैसलमेर, जालौर, झुन्झुनूं, जोधपुर, करौली, नागौर, पाली, सवाई माधोपुर, सीकर, सिरोही व टोंक को सम्मिलित किया गया हैं।

एन.एफ.एस.एम.–वाणिज्यिक फसलोंः वाणिज्यिक फसलों के अन्तर्गत कपास के लिए अग्रिम प्रदर्शन और पौध संरक्षण रसायन सम्मिलित है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन–दलहन, गेहूं, कोर्ससिरियल, न्यूट्रीसिरियल तथा वाणिज्यक फसल योजनान्तर्गत वर्ष 2022–23 में नवम्बर, 2022 तक ₹23.41 करोड़ व्यय किये गये।

एन.एफ.एस.एम. तिलहन विशेष कार्यक्रम एवं वृक्ष जनित तिलहन (टी.बी.ओज.)ः इस मिशन की मुख्य गतिविधियां आधारभूत एवं प्रमाणित बीज का उत्पादन, विशेष कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रमाणित बीज का वितरण व फसल प्रदर्शन, समन्वित जीवनाशी प्रबन्धन, पौध संरक्षण रसायन, पौध संरक्षण उपकरण वितरण, जैव उर्वरक, जिप्सम, जल संवहन के लिए पाइन लाईन, कृषक प्रशिक्षण, कृषि उपकरण, तारबंदी, बीज मिनी किट वितरण तथा बीज आधारभूत विकास आदि हैं। केन्द्रीयांश एवं राज्यांश का वित्त पोषण पैटर्न का अनुपात 60:40 है। विशेष कार्यक्रम का सम्पूर्ण वित्त पोषण केन्द्र सरकार द्वारा वहन है।

ट्री बोर्न तिलहन (टी.बी.ओज.) के अन्तर्गत 6 टीबीओज यथा जैतून, महुआ, नीम, जोजोबा, करूंजा एवं जटरोपा के लिए सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष 2022–23 के लिए जैतून और जोजोबा वृक्षारोपण कार्यक्रम किया जा रहा है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में वर्ष 2022–23 के अन्तर्गत ₹85.25 करोड़ के प्रावधान के विरुद्ध माह नवम्बर, 2022 तक ₹3.92 करोड़ व्यय किए गए हैं।

राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं तकनीकी मिशन (एन.एम.ए.ई.टी.)

इस मिशन का उद्देश्य कृषि विस्तार का पुनर्गठन एवं सशक्तिकरण करना है, जिसके द्वारा किसानों को उचित तकनीक एवं कृषि विज्ञान की अच्छी पद्धतियों का हस्तांतरण किया जा सके। केन्द्रीयांश एवं राज्यांश का वित्त पोषण पैटर्न का अनुपात 60:40 है। ''राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं तकनीकी मिशन'' के अन्तर्गत चार उप मिशन सम्मिलित किए गए हैं–

- कृषि विस्तार पर उप मिशन (एस.एम.ए.ई.)
- बीज एवं रोपण सामग्री पर उप मिशन (एस.एम.एस.पी.)
- कृषि यंत्रीकरण पर उप मिशन (एस.एम.ए.एम.)
- कृषि में ई–गवर्नेन्स स्कीम

राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं तकनीकी मिशन में वर्ष 2022–23 के अन्तर्गत ₹137.22 करोड़ के प्रावधान के विरुद्ध माह नवम्बर, 2022 तक ₹21.49 करोड़ व्यय किए गए हैं।

राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन (एन.एम.एस.ए.)

पूर्व में संचालित योजनाओं– राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई मिशन, राष्ट्रीय जैविक खेती परियोजना, राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता प्रबन्ध परियोजना तथा वर्षा आधारित क्षेत्र विकास कार्यक्रम जलवायु परिवर्तन को केन्द्रित करते हुए पुनर्गठन कर एक नया कार्यक्रम राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन क्रियान्वित किया जा रहा है। केन्द्रीयांश एवं राज्यांश का वित्त पोषण पैटर्न का अनुपात 60:40 है। राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन के अन्तर्गत चार सब–मिशन सम्मिलित किए गए हैंः–

(अ) वर्षा आधारित क्षेत्र विकास (आर.ए.डी.)ः राज्य के विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों में विशिष्ट क्षेत्र के विभिन्न प्रकार की समन्वित कृषि पद्धति यथा– पशुपालन आधारित, उद्यानिकी आधारित और कृषि वानिकी (वृक्ष आधारित) कृषि प्रणालियों की परिकल्पना की गई है। कृषकों को समन्वित कृषि पद्धति एवं सहायक गतिविधियों हेतु सहायता प्रदान की जाती है। कृषि पद्धति के साथ वर्मी कम्पोस्ट इकाईयों की स्थापना की गतिविधियां की जाती है।

(ब) मृदा स्वास्थ्य प्रबन्धन एवं मृदा स्वास्थ्य कार्ड : यह योजना मृदा परीक्षण सेवाओं को बढ़ावा देने, मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करने और विभिन्न फसलों के लिए विवेकपूर्ण पोषक तत्व प्रबन्धन तकनीकी के विकास की परिकल्पना करती है। संतुलित पोषक तत्व प्रबंधन को बढावा देने के उद्देश्य से राज्य के सभी 352 ब्लॉक से कुल 1,760 गांवों का चयन किया गया है एवं प्रत्येक गांव से 89 मृदा नमूनों का संग्रहण करवाया जा रहा है। इस प्रकार कुल 1,56,600 मृदा नमूने एकत्रित किए गए। नवम्बर, 2022 तक 17,000 मृदा नमूने एकत्रित किए गए और कृषकों को 1,300 मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए गए।

(स) कृषि वानिकी पर उप मिशन (एस.एम.ए.एफ.): राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन के तहत वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करने और विस्तार करने के उद्देश्य से कृषि वानिकी पर एक उप मिशन वर्ष 2017–18 में प्रारम्भ किया गया, जिसके अन्तर्गत गुणवत्तापूर्ण पौधरोपण सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करना, विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों के लिए विभिन्न कृषि–वानिकी डेटाबेस को समर्थ बनाने के लिए भूमि की स्थिति और कृषि वानिकी के क्षेत्र में सुधार करना है।

राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन के अन्तर्गत वर्ष 2022–23 में ₹26.00 करोड़ प्रावधान के विरुद्ध माह नवम्बर, 2022 तक ₹15.02 करोड़ व्यय किए गए हैं।

परम्परागत कृषि विकास योजना (पी.के.वी.वाई.): जैविक खेती में पर्यावरण अनुकूल न्यूनतम लागत तकनीकों के प्रयोग से रसायनों एवं कीटनाशकों का प्रयोग कम करते हुए कृषि उत्पादन किया जाता है। परम्परागत कृषि विकास योजना के अन्तर्गत क्लस्टर एवं पी.जी.एस. प्रमाणन के माध्यम से जैविक खेती को प्रोत्साहित किया जाता है एवं पी.के.वी.वाई कार्यक्रम के तहत सहभागिता गारण्टी प्रणाली (पी.जी.एस.) के तहत गुणवत्ता में विश्वास प्रमुख दृष्टिकोण है। किसानों के पास पी.जी.एस.–भारत मानकों के अनुपालन में जैविक खेती के किसी भी रूप को अपनाने का विकल्प है।

परम्परागत कृषि विकास योजना के अन्तर्गत वर्ष 2022–23 में ₹70.97 करोड़ प्रावधान के विरुद्ध माह नवम्बर, 2022 तक ₹51.72 करोड़ व्यय किए गए हैं।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.वी.वाई.)

कृषि और सम्बद्ध क्षेत्रों में निवेश में लगातार कमी को देखते हुए, केन्द्र सरकार ने वर्ष 2007–08 के दौरान कृषि जलवायु, प्राकृतिक संसाधन मुद्दों और प्रौद्योगिकी को दृष्टिगत रखते हुए कृषि क्षेत्र की योजनाओं को अधिक व्यापक रूप से तैयार करने के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की शुरुआत की। इस योजना में कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, बागवानी, डेयरी और कृषि विश्वविद्यालयों एवं अन्य संगठन/विभाग आदि के क्षेत्र में एकीकृत जिला कृषि योजना तैयार करने हेतु परियोजना आधारित सहायता प्रदान की जा रही है। केन्द्र और राज्य सरकार का वित्त पोषण पैटर्न क्रमशः 60:40 अनुपात में है। वर्ष 2022–23 में ₹350.00 करोड़ प्रावधान के विरुद्ध माह नवम्बर, 2022 तक ₹65.30 करोड़ व्यय किए गए हैं।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पी.एम.के.एस.वाई.)

इस योजना का नोडल विभाग उद्यानिकी विभाग है। कृषि एवं उद्यानिकी विभाग द्वारा फार्म पोण्ड के निर्माण की विभिन्न गतिविधियां क्रियान्वित की जा रही है। केन्द्रीयांश एवं राज्यांश का वित्त पोषण अनुपात 60:40 है। वर्ष 2022–23 में ₹90.00 करोड़ प्रावधान के विरुद्ध माह नवम्बर, 2022 तक ₹12.41 करोड़ व्यय किए गए हैं।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पी.एम.एफ.बी.वाई.)

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ, 2016 से प्रारम्भ की गई है। इस योजना में खाद्यान्न फसलों (अनाज, मोटा अनाज और दालें), तिलहन और वाणिज्यिक/बागवानी फसलों को शामिल किया गया है। कृषक से प्रीमियम राशि के अन्तर्गत खरीफ फसल में 2 प्रतिशत, रबी में 1.5 प्रतिशत एवं वाणिज्यिक/बागवानी फसलों के लिए 5 प्रतिशत लेकर फसल का बीमा किया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा जारी संशोधित निर्देशानुसार मौसम खरीफ 2020 में असिंचित क्षेत्रों के लिये 30 प्रतिशत एवं सिंचित क्षेत्रों के लिये 25 प्रतिशत की अधिकतम प्रीमियम का अनुदान ही केन्द्रीयांश द्वारा वहन किया जायेगा। फसल कटाई प्रयोग करने वाले प्राथमिक कार्मिकों को प्रीमियम अनुदान एवं प्रोत्साहन राशि के भुगतान के लिए राज्य निधि योजना संचालित है।

वर्ष 2022–23 के दौरान कृषि विभाग के द्वारा संचालित प्रमुख गतिविधियों की भौतिक प्रगति तालिका–2.6 में दर्शाई गई है।

उत्पादकता

कृषि विभाग प्रमुख फसलों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए निरन्तर प्रयास कर रहा है। राज्य सरकार के सतत् प्रयासों एवं केन्द्र सरकार की वित्तीय सहायता से बड़े पैमाने पर कृषि उत्पादकता के परिणामों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। कृषि उत्पादकता का तुलनात्मक विवरण तालिका–2.7 में दर्शाया गया है।

उपरोक्त तालिका–2.7 से स्पष्ट है कि वर्ष 2002–03 से 2006–07 की औसत उत्पादकता की तुलना में वर्ष 2021–22 में अनाज की उत्पादकता में 62.21 प्रतिशत, दलहनों में 54.30 प्रतिशत, एवं तिलहनों में 36.65 प्रतिशत वृद्धि हुई है। कपास (रूई) की वर्ष 2002–03 से 2006–07 की औसत उत्पादकता 286 किलोग्राम/हैक्टेयर थी, जो कि बढ़कर वर्ष 2021–22 में 558 किलोग्राम/हैक्टेयर हो गई है, जो कि 95.10 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है।

उद्यानिकी

राजस्थान में उद्यानिकी विकास की विपुल सम्भावनाएं हैं। यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कृषि प्रसंस्करण एवं अन्य गौण

तालिका–2.6 वर्ष 2022–23 के दौरान प्रमुख गतिविधियों की भौतिक प्रगति

कार्यक्रम	इकाई	लक्ष्य	उपलब्धियां*
पाइप लाईन	किमी.	8017	3064
डिग्गी	संख्या	5000	961
फार्म पोन्ड	संख्या	15000	3204
कृषि यंत्र	संख्या	30000	1412
पौध संरक्षण यंत्र	संख्या	16543	1239
जिप्सम वितरण	मैट्रिक टन	72600	515
फसल प्रदर्शन	संख्या	206572	192539
फसल मिनी किट वितरण	संख्या	2963690	2716871
समन्वित कीट प्रबन्धन प्रदर्शन	संख्या	55	24
कृषक प्रशिक्षण (1 व 2 दिवसीय)	संख्या	6116	4521
पौध संरक्षण रसायन/जैविक कीट नियंत्रण	हैक्टेयर	226310	114673
मृदा स्वास्थ्य कार्ड	संख्या	720000	270520
कांटेदार तारबंदी	मीटर	6000000	128608

* नवम्बर, 2022 तक

तालिका–2.7 कृषि फसलों की उत्पादकता (किलोग्राम/हैक्टेयर)

फसल	2002-03 to 2006-07 (औसत)	2007-08 to 2011-12 (औसत)	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22 अंतिम
अनाज	1294	1617	2013	2134	2248	2423	2099
दलहन	407	481	620	636	709	671	628
खाद्यान्न	1058	1291	1470	1544	1646	1757	1488
तिलहन	1086	1144	1473	1593	1257	1523	1484
गन्ना	51707	61432	70365	83448	73055	79111	75845
कपास (रूई)	286	428	551	552	623	675	558
ग्वार	277	409	369	334	452	458	419

गतिविधियों के माध्यम से ग्रामीण लोगों को अतिरिक्त रोजगार के अवसर उपलब्ध कराती है। बजट प्रावधान वर्ष 2022–23 में राज्य आयोजना मद में स्वीकृत ₹1,439.49 करोड़ (केन्द्रीयांश सहित) के प्रावधान की तुलना में नवम्बर, 2022 तक ₹273.78 करोड़ व्यय किए गए हैं।

राज्य में उद्यानिकी विकास के लिए निम्नलिखित योजनाएं भी संचालित की जा रही हैं:–

राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एन.एच.एम.)

राज्य के चयनित 24 जिले क्रमशः जयपुर, अजमेर, अलवर, चित्तौड़गढ़, कोटा, बारां, झालावाड़, जोधपुर, पाली, जालौर, बाड़मेर, नागौर, बांसवाड़ा, टोंक, करौली, सवाई माधोपुर, उदयपुर, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, बून्दी, झुन्झुनूं, सिरोही, जैसलमेर एवं श्रीगंगानगर में विभिन्न उद्यानिकी फसलों यथा– फल, मसाला एवं फूलों के क्षेत्रफल, उत्पादन व उत्पादकता में वृद्धि की गई है। इस योजना में बजट प्रावधान वर्ष 2022–23 में ₹104.25 करोड़ (₹62.55 करोड़ केन्द्रीय अंश तथा ₹41.70 करोड़ राज्य अंश के रूप में) के विरूद्व नवम्बर, 2022 तक ₹22.00 करोड़ (₹13.20 करोड़ केन्द्रीयांश तथा ₹8.80 करोड़ राज्यांश के रूप में) व्यय किए गए हैं। इसी अवधि में 2,898 हैक्टेयर में फलों के बगीचे स्थापित किए गए हैं। वर्ष 2022–23 में नवम्बर, 2022 तक 2.8 लाख वर्गमीटर क्षेत्र में ग्रीन हाऊस, 1.07 लाख वर्गमीटर क्षेत्र में प्लास्टिक टनल, 189.10 हैक्टेयर क्षेत्र में प्लास्टिक मल्चिंग, 87 वर्मी कम्पोस्ट इकाई स्थापित, 1,268 कम लागत के प्याज भण्डारणों का निर्माण, 9 पैक हाउस एवं 58 जल संग्रहण स्त्रोतों का विकास किया जा चुका है।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना–सूक्ष्म सिंचाई (पी.एम. के.एस.वाई.–एम.आई.)

राज्य में जल एक सीमित एवं बहुमूल्य संसाधन है। इस दृष्टि से फसल उत्पादकता बढ़ाने एवं पानी को बचाने के लिए लघु सिंचाई पद्धति में ड्रिप एवं फव्वारा सिंचाई पद्धति, प्रभावी जल प्रबन्धन की व्यवस्था है। इसमें सभी श्रेणी के कृषकों के लिए केन्द्र एवं राज्य सरकार का अनुपात 60:40 है। इन पद्धतियों के समुचित उपयोग को बढावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा वर्ष 2022–23 में विभिन्न श्रेणी के कृषकों को सूक्ष्म सिंचाई संयंत्रों पर अनुदान दिया जा रहा है, इसके साथ ही राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त अनुदान भी दिया जा रहा है।

वर्ष 2022–23 के लिए ₹261.81 करोड़ (केन्द्रीयांश ₹157.06 करोड़ व राज्यांश ₹104.75 करोड़) का प्रावधान किया गया है। ड्रिप एवं फव्वारों द्वारा सिंचाई के लिए राज्य निधि में अतिरिक्त अनुदान के रूप में ₹500.00 करोड़ रखे गए है। वर्ष 2022–23 में नवम्बर, 2022 तक ₹63.97 करोड़ (केन्द्रीयांश ₹38.38 करोड़ एवं राज्यांश ₹25.59 करोड़) व्यय किए गए हैं। नवम्बर, 2022 तक राज्य का 25,620 हैक्टेयर क्षेत्र ड्रिप, मिनी फव्वारा संयंत्रों एवं 32,468 हैक्टेयर क्षेत्र फव्वारा सिंचाई के अन्तर्गत आता है।

सौर ऊर्जा आधारित पम्प परियोजना (प्रधानमंत्री 'कुसुम' योजना कम्पोनेंट 'बी')

वर्ष 2019–20 से भारत सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा पी.एम. कुसुम (प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महा–अभियान) कम्पोनेन्ट–बी स्टैण्ड अलोन सौर ऊर्जा पम्प संयंत्र योजना क्रियान्वित की जा रही है। जिसमें 3 एचपी से 10 एचपी क्षमता तक के सौर ऊर्जा पम्प संयंत्रों की स्थापना के प्रावधान के साथ अधिकतम 7.5 एचपी क्षमता तक के पम्प हेतु अनुदान देय है। जिन कृषकों के पास सिंचाई हेतु कृषि विद्युत कनेक्शन नही है एवं डीजल आधारित पम्प सेट पर निर्भर है, ऐसे कृषक इस योजना के तहत सौर ऊर्जा पम्प सयंत्र लगाने के पात्र है। राज्य में वर्ष 2010–11 से नवम्बर, 2022 तक 92,845 सौर ऊर्जा पम्प संयंत्र स्थापित करवाये जा चुके है।

इस योजनान्तर्गत कुल 60 प्रतिशत (केन्द्रीयांश 30 प्रतिशत, राज्यांश 30 प्रतिशत) अनुदान देय है। वर्ष 2022–23 में इस योजनान्तर्गत राज्य मद से कुल प्रावधान ₹300.18 करोड़ के विरूद्व ₹166.20 करोड़ व्यय कर नवम्बर, 2022 तक 18,737 सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना हो चुकी है।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.वी.वाई.)

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत वर्ष 2021–22 में ₹55.96 करोड़ नवीन एवं पूर्व अनुमोदित योजनाओं के लिये अनुमोदित किये गये है। इसके अन्तर्गत खजूर की खेती, राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन से वंचित जिलों में उद्यानिकी विकास कार्यक्रम, शहरी क्षेत्रों में वेजिटेबल क्लस्टर, झालावाड़, धौलपुर, टोंक, बूंदी, चित्तौड़गढ़ एवं सवाई माधोपुर में उत्कृष्टता केन्द्र की स्थापना, उत्कृष्टता केन्द्र बस्सी (जयपुर) व नान्ता (कोटा) का सुदृढ़ीकरण, संरक्षित खेती के अन्तर्गत नर्सरियों के विकास आदि पर नवम्बर, 2022 तक ₹15.88 करोड़ प्रावधान के विरूद्व ₹10.38 करोड़ व्यय किए गए हैं।

फर्टिगेशन, फोलियर फर्टिलाईजेशन एवं ऑटोमेशन योजना

कृषि में उच्च गुणवत्ता युक्त उत्पादन प्राप्त करने तथा पोषक तत्वों की दक्षता बढाने हेतु बूंद–बूंद सिंचाई के साथ फसलों को महत्वपूर्ण अवस्थाओं पर फर्टिगेशन तकनीक से आवश्यक जल घुलनशील पोषक तत्व उपलब्ध कराये जाते हैं। इससे पौधों को उचित समय पर उचित मात्रा में पोषक तत्व उपलब्ध होने के कारण उनका समुचित विकास होता है फलस्वरूप उच्च गुणवत्ता युक्त उत्पादन प्राप्त होता है। ऑटोमेशन

बूंद–बूंद सिंचाई तकनीक से इरिगेशन शिड्यूलिंग सुनिश्चित करने तथा सिंचाई जल उपयोग की उच्चतम दक्षता प्राप्ति की महत्वपूर्ण तकनीक है। विभाग द्वारा वर्ष 2019–20 में इस योजना का क्रियान्वयन शुरू किया गया। वित्तीय वर्ष 2022–23 में इस योजनान्तर्गत ₹5.22 करोड़ का बजट प्रावधान रखा गया है। इस कार्यक्रम के लिए खरीद की कार्यवाही प्रगति पर है।

फल, सब्जियों और मसालों का क्षेत्रफल, उत्पादन और उत्पादकता का विवरण तालिका–2.8 में दर्शाया गया है।

तालिका–2.8 फल, सब्जियों और मसालों का क्षेत्रफल, उत्पादन एवं उत्पादकता

वर्ष	फल			सब्जियां			मसालें		
	क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	उत्पादन (मैट्रिक टन में)	उत्पादकता (किग्रा./हैक्टेयर में)	क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	उत्पादन (मैट्रिक टन में)	उत्पादकता (किग्रा./हैक्टेयर में)	क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	उत्पादन (मैट्रिक टन में)	उत्पादकता (किग्रा./हैक्टेयर में)
2002-03 से 2006-07 (औसत)	24503	297563	12144	115388	606632	5257	453719	416021	917
2007-08 से 2011-12 (औसत)	31936	473238	14818	145183	890147	6131	668692	653742	978
2012-13 से 2016-17 (औसत)	41726	712658	16987	160320	1450711	8870	891384	916568	1006
2017-18	54207	736350	13584	166234	1699584	10224	902650	1392301	1542
2018-19	57933	956430	16509	166175	1663007	10008	916848	1096838	1196
2019-20	62328	997948	16011	178961	1885210	10534	1013343	1097801	1083
2020-21	68883	906739	13163	189387	2185865	11542	962367	1180477	1227
2021-22	78137	956442	12241	204005	2374806	11641	811797	1044880	1287

कृषि विपणन

राज्य के कृषकों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने हेतु अच्छी विपणन की सुविधा उपलब्ध कराने तथा राज्य में मण्डी नियामक एवं प्रबन्धन को प्रभावी ढंग से लागू करने हेतु कृषि विपणन निदेशालय कार्यरत है।

''राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना'' के अन्तर्गत कृषि विपणन सहित कृषि कार्य के दौरान दुर्घटना के मामलें में कृषकों, खेतिहर मज़दूरों एवं हम्मालों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवायी जाती है। वर्ष 2022–23 में 1,405 किसानों को नवम्बर, 2022 तक ₹21.63 करोड़ से लाभान्वित किया

गया है। राज्य में 'सुपर', 'अ' एवं 'ब' श्रेणी की कृषि उपज मण्डी समितियों एवं राज्य की अन्य सभी वित्तीयरूप से व्यवहार्य मंडियों (फल और सब्जी मंडियों के यार्डों के अतिरिक्त) के प्रांगण में अपनी उपज विक्रय करने हेतु आने वाले कृषकों को अनुदानित दर पर गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ''किसान कलेवा योजना'' प्रारम्भ की गई है। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2022–23 में माह नवम्बर, 2022 तक ₹6.34 करोड़ व्यय कर 26.21 लाख कृषकों एवं मज़दूरों को मण्डी प्रांगण में अनुदानित दरों पर भोजन उपलब्ध कराया गया।

राज्य में ''महात्मा ज्योतिबा फूले मण्डी श्रमिक कल्याण योजना–2015'' लागू की गयी है। इस योजना की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:–

- **प्रसूति सहायता**: महिला अनुज्ञप्तिधारी श्रमिकों को अधिकतम दो प्रसूति अवधि के लिए राज्य सरकार द्वारा अकुशल श्रमिक के रूप में निधारित प्रचलित मजदूरी दर के अनुसार 45 दिवस की मजदूरी के समतुल्य सहायता राशि का भुगतान किया जाता है। पितृत्व अवकाश के रूप में शिशु के पिता को राज्य सरकार द्वारा अकुशल श्रमिक के रूप में निर्धारित प्रचलित मजदूरी दर के अनुसार 15 दिन की मजदूरी के समतुल्य राशि का भुगतान किया जाता है। वर्ष 2022–23 में माह नवम्बर, 2022 तक 49 महिला श्रमिकों को ₹2.25 लाख से लाभान्वित किया गया है।

- **विवाह के लिये सहायता**: अनुज्ञप्तिधारी महिला श्रमिकों को स्वयं के विवाह के लिए ₹50,000 की सहायता राशि देय होगी। अनुज्ञप्तिधारी महिला श्रमिक को अपनी पुत्री के विवाह के लिये ₹50,000 की सहायता राशि देय होगी। यह सहायता अधिकतम 2 पुत्रियों के लिये ही देय होगी। वर्ष 2022–23 में माह नवम्बर, 2022 तक 450 अनुज्ञप्तिधारी महिला श्रमिकों को ₹225.50 लाख से लाभान्वित किया गया है।

- **छात्रवृत्ति/मेधावी छात्र पुरस्कार योजना**: मण्डी में ऐसे अनुज्ञप्तिधारी श्रमिक, जिसके पुत्र/पुत्री, जो 60 प्रतिशत एवं उससे अधिक अंक प्राप्त करता है, को इस योजना के अन्तर्गत छात्रवृत्ति दी जाएगी। वर्ष 2022–23 में माह नवम्बर, 2022 तक 127 छात्रों को ₹4.74 लाख से लाभान्वित किया गया है।

- **चिकित्सा सहायता**: अनुज्ञप्तिधारी हम्माल को गम्भीर बीमारी (केन्सर, हार्ट अटैक, लीवर, किडनी आदि) होने की दशा में सरकारी अस्पताल या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी भी अस्पताल में भर्ती रहने पर चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति अधिकतम ₹20,000 की राशि वित्तीय सहायता के रूप में दी जाएगी। वर्ष 2022–23 में माह नवम्बर, 2022 तक 3 मण्डी श्रमिक को इस योजना में ₹0.46 लाख से लाभान्वित किया गया है।

- **पितृत्व अवकाश**: पुरूष अनुज्ञप्तिधारी श्रमिक को दो प्रसुति अवधि के लिए राज्य सरकार द्वारा अकुशल श्रमिक के रूप में निर्धारित प्रचलित मजदूरी दर के अनुसार 15 दिवस की मजदूरी के समतुल्य राशि का पितृत्व अवकाश के रूप में सहायता राशि का भुगतान किया जाता है। इस योजना में वर्ष 2022–23 में माह नवम्बर, 2022 तक 48 पुरूष श्रमिकों को ₹1.83 लाख से लाभान्वित किया गया है।

वर्ष 2022–23 के अन्तर्गत इन योजनाओं में माह नवम्बर, 2022 तक 677 मण्डी श्रमिकों को ₹234.78 लाख से लाभान्वित किया गया है।

कृषक उपहार योजना: कृषि उपज का अधिकतम मूल्य प्रदान करने के लिए ई–नाम पोर्टल 1 जनवरी, 2022 को शुरू किया गया है। यह योजना राज्य के उन सभी व्यक्तियों पर प्रभावी होगी जो अपनी कृषि उपज को ई–नाम के माध्यम से बेचते हैं प्रत्येक ₹10 हजार (या इसके गुणक) की बिक्री पर एक कूपन है जो ई–भुगतान पर जारी किया गया। कूपन विक्रेता को ऐसी वस्तु की बिक्री पर जारी किया जाता है जिस पर मंडी शुल्क वसूल किया जाता है। इस योजना में, मण्डी एवं जिला स्तर पर पुरस्कार के लिए नवम्बर, 2022 तक 900 लॉटरी में कुल ₹1.55 करोड़ वितरित किए गए हैं ।

कृषि विपणन बोर्ड

राज्य में एक व्यापक नीति ''राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति–2019'' दिनांक 12 दिसम्बर, 2019 को जारी की गयी।

इस नीति की मुख्य विशेषताएं निम्न प्रकार है:–

- समूह आधारित कार्य प्रणाली द्वारा फसल कटाई के बाद की हानियों को कम करना।
- कृषकों एवं उनके संगठनों की सहभागिता बढाना।
- कृषकों की आपूर्ति एवं मूल्य संवर्धन श्रृंखला में प्रत्यक्ष भागीदारी बढ़ाते हुए उनकी आय मे वृद्धि के उपाय करना।

- राज्य की उत्पादन बहुलता वाली विशिष्ठ फसलों मूल्य संवर्धन तथा निर्यात को प्रोत्साहन देना।
- खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के द्वारा कौशल विकास कर रोजगार का सृजन करना।

वित्तीय सहायता के प्रावधानः

- किसानों और उनके संगठन के लिए कृषि–प्रसंस्करण और अवसंरचना विकास के लिए पूंजीगत अनुदान के रूप में परियोजना लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम ₹100 लाख और अन्य सभी पात्र उद्यमियों के लिए परियोजना लागत का 25 प्रतिशत अधिकतम ₹50 लाख का प्रावधान है।
- केन्द्र सरकार की योजना में परियोजना प्राप्त पूंजी अनुदान पर 10 प्रतिशत अधिकतम ₹50 लाख से 100 लाख टॉप–अप अनुदान देय है।
- सभी पात्र परियोजनाओं की परिचालन लागत को कम करने के लिए टर्म लोन पर 5 प्रतिशत की ब्याज सब्सिडी दी जाएगी। जनजाति उप–योजना क्षेत्र या पिछड़े जिलों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति किसानों के 100 प्रतिशत स्वामित्व वाली इकाइयां या महिला उद्यमी और युवा उद्यमी, जिनकी आयु 35 वर्ष से कम हो, को ब्याज पर 1 प्रतिशत अतिरिक्त सब्सिडी देय है। किसानों और उनके संगठनों के लिए ब्याज सब्सिडी की अधिकतम सीमा ₹100 लाख है तथा अन्य उद्यमियों के लिए अधिकतम ब्याज सब्सिडी ₹50 लाख है।
- 5 वर्ष की अवधि के लिए प्रतिवर्ष ₹2 लाख की अधिकतम सीमा के साथ ₹1 प्रति यूनिट (के.डब्ल्यू.एच.) की दर से बिजली दर अनुदान तथा ₹10 लाख की अधिकतम सीमा के साथ सौर ऊर्जा संयंत्र पर लागत का 30 प्रतिशत अनुदान का प्रावधानहै।
- राज्य के फल, सब्जियों और फूलों को अन्य राज्यों के बाजारों में ले जाने के लिए 300 कि.मी. से अधिक परिवहन के लिए (जैविक उत्पादन हेतु ₹20 लाख 5 साल की अवधि के लिए) ₹10 लाख तक एवं जैविक के लिए ₹15 लाख 3 वर्ष तक अनुदान का प्रावधान है।
- कच्चे कृषि उत्पाद के निर्यात के किराए में तीन वर्षों की अवधि के लिए प्रतिवर्ष अधिकतम ₹10 लाख का अनुदान देय है। जैविक उत्पादों की गुणवत्ता उत्पादन और निर्यात बाजारों का उपयोग करने के लिए 5 साल की दीर्घावधि हेतु अधिकतम ₹20 लाख प्रतिवर्ष के परिवहन अनुदान का प्रावधान किया गया है।
- प्रसंस्कृत कृषि उत्पाद के निर्यात पर 3 वर्ष के लिए ₹15 लाख तक अनुदान देय हैं। प्रसंस्कृत जैविक उत्पाद के निर्यात पर 5 वर्ष के लिए ₹20 लाख तक अनुदान देय हैं।
- 30 प्रतिशत की सोलर सब्सिडी (अधिकतम ₹10 लाख) या ₹1.0 प्रति किलो वाट घण्टा की इलेक्ट्रिक टैरिफ सब्सिडी (अधिकतम ₹10 लाख) परियोजनाओं को पांच वर्ष के लिए पूंजीगत अनुदान के तहत स्वीकृत किया गया है।

योजना की प्रगति

कृषि प्रसंस्करण नीति, 2019 के अन्तर्गत कृषि प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना हेतु ₹1,670.36 करोड़ का निवेश हुआ है। नवम्बर, 2022 तक 880 उद्यमियों एवं कृषकों को ₹282.09 करोड़ का अनुदान स्वीकृत किया जा चुका हैं।

कृषक कल्याण कोष का गठन

"किसानों को व्यापार व खेती करने में आसानी के लिए प्रमुख पहल करते हुए ₹1,000 करोड़ की राशि से दिनांक 16 दिसम्बर, 2019 को कृषक कल्याण कोष' का गठन किया गया है। तत्पश्चात राशि ₹1,000 करोड़ का अतिरिक्त ऋण लिया गया। इस राशि का उपयोग किसानों को उपज का उचित दाम दिलाने में किया जायेगा। इस प्रकार कुल राशि ₹2000 करोड़ में से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत राज्यांश प्रीमियम के रूप में फसल बीमा कम्पनियों को भुगतान हेतु कृषि विभाग को ₹1,750 करोड़ एवं शेष राशि ₹250 करोड़ मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के अंतर्गत कृषि व उद्यानिकी विभाग को जारी किये गये। राजस्थान कृषि प्रसंस्करण योजना 2019 का संचालन एवं फूड पार्कों हेतु भी कृषक कल्याण कोष से राशि जारी की गई।

प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग उन्नयन योजना (पी.एम.–एफ.एम.ई.)

पी.एम.–एफ.एम.ई. योजना को भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा देश में असंगठित खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के उन्नयन के लिए शुरू किया गया है। राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड को राज्य में इस योजना को लागू करने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। केन्द्रीयांश एवं राज्यांश का अनुपात 60:40 है। इस योजना में अगले पांच साल की अवधि वर्ष 2020–21 से

2024–25 तक ₹10,000 करोड़ के परिव्यय की परिकल्पना की गई है।

योजना के प्रमुख उद्देश्य निम्नानुसार हैं–

- मौजूदा सूक्ष्म प्रसंस्करण उद्यमियों, एफपीओ, स्वयं सहायता समूहों और सहकारी समितियों द्वारा ऋण की पहुंच में वृद्धि।
- ब्रांडिंग और विपणन को मजबूत करके संगठित आपूर्ति श्रृंखला के साथ एकीकरण।
- मौजूदा 2 लाख उद्यमों को औपचारिक ढ़ांचे में लाने हेतु सहायता।
- आम प्रसंस्करण सुविधा, प्रयोगशालाओं और भंडारण, पैकेजिंग, विपणन और इन्युवेशन सेवाओं तक पहुंच बढ़ाना।
- खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में संस्थानों, अनुसंधान और प्रशिक्षण को मजबूत बनाना।
- उद्यमों के वृद्धि हेतु पेशेवर और तकनीकी सहायता।

प्रधानमंत्री सूक्ष्म उद्योग योजना (पी.एम.–एफ.एम.ई.) योजनान्तर्गत माह नवम्बर, 2022 तक स्वंय सहायता समूहों के 3,078 सदस्यों को सीड केपिटल के रूप में ₹11.06 करोड़ का अनुदान दिया जा चुका हैं। इस योजनान्तर्गत राज्य के 8 जिलों में इनक्यूबेशन संेटर स्वीकृत किए गए हैं। इस हेतु केन्द्र सरकार से ₹23.11 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई हैं।

वर्ष 2022–23 में मण्डी यार्डों, उप यार्डों एवं सड़क निर्माण कार्यों पर ₹200.32 करोड़ व्यय किए गए हैं। कृषि उपज मण्डी समितियों में नवम्बर, 2022 तक 90.59 किमी. सड़कों का निर्माण किया गया है।

जल संसाधन

राज्य की अर्थव्यवस्था में जल संसाधन विभाग का वृहद, मध्यम एवं लघु सिंचाई परियोजनाओं के माध्यम से राज्य के अल्प जल संसाधनों के दोहन, उपयोग एवं प्रबंधन में महत्वपूर्ण योगदान है। विभाग के सतत प्रयासों से वृहद, मध्यम एवं लघु सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण कर कुल 39.07 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाई गयी है। वित्तीय वर्ष 2022–23 में दिसम्बर, 2022 तक 710 हैक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई सुविधाओं का सृजन किया गया है।

कृषि सिंचित प्रबन्धन के अतिरिक्त महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण कार्य सम्पादित किए गए। सिंचाई परियोजनाओं के महत्व को ध्यान में रखते हुए वित्तीय वर्ष 2022–23 (इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अलावा) में विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण, जल दक्षता सुधार और सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली की नई योजनाओं को लागू करने के लिए ₹5,009.42 करोड़ का प्रावधान रखा गया है, जिसमे से दिसम्बर, 2022 तक ₹1,429.40 करोड़ व्यय किये जा चुके है।

वर्ष 2022–23 में 8 वृहद् (नर्मदा नहर परियोजना, परवन, धौलपुर लिफ्ट, राजस्थान के मरू क्षेत्र हेतु जल पुनर्गठन परियोजना (आर.डबल्यू.एस.आर.पी.डी.) एवं नवनेरा बांध (ई.आर.सी.पी.), ऊपरी उच्च स्तरीय नहर एवं पीपलखूंट एवं कालीतीर लिफ्ट 5 मध्यम परियोजनाएं (गरड़दा, ताकली, गागरिन, ल्हासी एवं हथियादेह) तथा 41 लघु सिंचाई परियोजनाओं का कार्य प्रगति पर है।

परवन वृहद् परियोजनाः 'परवन' वृहद बहुउद्देश्यीय सिंचाई परियोजना झालावाड़ के निकट परवन नदी पर निर्माणाधीन है। राज्य सरकार द्वारा परवन परियोजना की संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति राशि ₹7,355.23 करोड़ की जारी की गई। परियोजना के अर्न्तगत 1,821 गांवों में पेयजल उपलब्ध करवाने के साथ–साथ झालावाड़, बारां एवं कोटा जिले के 637 गांवों की 2,01,400 हैक्टेयर में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई गई है। यह परियोजना तापीय विद्युत परियोजना हेतु 79 मिलियन घनमीटर जल भी उपलब्ध करवाएगी, जिससे कुल 2,970 मेगावाट विद्युत उत्पादन किया जा सकेगा। इस परियोजना पर वित्तीय वर्ष 2022–23 में दिसम्बर, 2022 तक ₹229.64 करोड व्यय किये जा चुके हैं और अब तक ₹4,761.59 करोड़ व्यय किए जा चुके हैं।

धौलपुर लिफ्टः धौलपुर जिले में 39,980 हैक्टेयर कृषि योग्य कमाण्ड क्षेत्र में सिंचाई प्रदान करने के लिए सहभागिता के आधार पर सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली पर एक पूर्ण लिफ्ट सिंचाई सह पेयजल परियोजना है। परियोजना के पूरे कमांड में अनिवार्य सूक्ष्म सिंचाई के अतिरिक्त वार्षिक बिजली की आवश्यकता को पूरा करने के लिए 30 मेगावाट सौर उर्जा उत्पादन संयत्र की स्थापना परियोजना की मुख्य विशेषताओं में से एक हैं। परियोजना पर वर्ष 2022–23 हेतु ₹250.00 करोड़ का बजट प्रावधान है जिसके विरूद्ध माह दिसम्बर, 2022 तक ₹51.51 करोड़ व्यय किये जा चुके हैं तथा परियोजना पर अब तक कुल ₹570.22 करोड़ खर्च किये जा चुके हैं। परियोजना के वर्ष 2023–24 तक पूर्ण होने की संभावना है।

नर्मदा नहर परियोजनाः भारत में पहली बडी सिंचाई

परियोजना है जिसमें जालोर एवं बाडमेर जिलों के 2.46 लाख हैक्टेयर के पूरे कमांड क्षेत्र में स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली अनिवार्य रखी गयी है। इस परियोजना की संशोधित लागत ₹3,221.48 करोड़ है। दिसम्बर, 2022 तक 2.46 लाख हैक्टेयर सिंचाई क्षमता सृजित की गयी है। इस परियोजना पर वित्तीय वर्ष 2022–23 में दिसम्बर, 2022 तक ₹16.31 करोड़ व्यय किए गए हैं तथा अब तक कुल ₹3,242.04 करोड़ व्यय किये जा चुके हैं।

नवनेरा बैराज (ई.आर.सी.पी.): यह परियोजना पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ई.आर.सी.पी.) का एक अभिन्न हिस्सा होगी। प्रथम चरण हेतु ₹1,316.32 करोड़ की संशोधित स्वीकृति जारी की गई है। इस परियोजना पर वित्तीय वर्ष 2022–23 में दिसम्बर, 2022 तक ₹354.08 करोड़ के प्रावधान के विरूद्व ₹84.09 करोड़ व्यय किये गए हैं तथा अब तक कुल ₹809.62 करोड़ व्यय किये जा चुके हैं।

राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना (आर.डबल्यू.एस.एल.आई.पी.)

राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना को जापान इन्टरनेशनल कॉपरेशन एजेंसी (जायका) द्वारा वित्त पोषित है। परियोजना की अनुमानित लागत ₹2,348.87 करोड़ एवं समयावधि 8 वर्ष है। जायका परियोजना को दो चरणों में वित्त पोषित करेगा और प्रत्येक चरण के लिए दो अलग–अलग ऋण समझौते होंगे। प्रथम चरण की परियोजना लागत ₹1,069.40 करोड़ है जिसमें ₹908.94 करोड़ जायका द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा और ₹160.46 करोड़ राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। यह परियोजना 26 अक्टूबर, 2017 से प्रभावी है।

परियोजना के तहत 27 जिलों में 137 सिंचाई परियोजनाओं के पुनर्वास एवं जीर्णोद्वार का कार्य किया जाना है। परियोजना के क्रियान्वयन से 4.70 लाख हैक्टर सिंचित क्षेत्र के किसान लाभान्वित होंगे।

प्रथम चरण के अन्तर्गत राज्य के 21 जिले – अजमेर, अलवर, सीकर, सिरोही, करौली, टोंक, सवाई माधोपुर, धौलपुर, भरतपुर, बारां, झालावाड, बूंदी, कोटा, उदयपुर, प्रतापगढ, चित्तौडगढ, डूंगरपुर, भीलवाडा, पाली, हनुमानगढ एवं श्रीगंगानगर में 65 लघु तथा मध्यम सिंचाई परियोजनाओं का जीर्णोद्वार किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2022–23 में 65 उप–परियोजनाओं में से 36 उप परियोजनाओं के जीर्णोद्वार कार्य पूर्ण हो चुके हैं।

द्वितीय चरण के लिए 36 सिंचाई उप परियोजनाओं के 1.28 लाख हैक्टेयर सिंचित क्षेत्र में ₹481.00 करोड़ के जीर्णोद्वार कार्यों हेतु डी.पी.आर. बनाये जाने का कार्य प्रक्रियाधीन है। परियोजना पर वर्ष 2022–23 हेतु ₹350.14 करोड़ का बजट प्रावधान स्वीकृत है जिसके विरूद्व माह दिसम्बर, 2022 तक ₹68.88 करोड़ व्यय किये जा चुके हैं। इस परियोजना पर अब तक कुल ₹656.99 करोड़ व्यय किये जा चुके है।

राजस्थान के मरू क्षेत्र हेतु जल पुनर्गठन परियोजना (आर.डब्ल्यू.एस.आर.पी.डी.)

इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के प्रथम चरण के पुनर्वास और पुनर्गठन के लिए न्यू डवलपमेंट बैंक द्वारा इस परियोजना को वित्त पोषित किया गया है। इसका लाभ श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर, बीकानेर, झुन्झुनू, सीकर, जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर जिलों को मिलेगा। इस परियोजना की कुल लागत ₹3,291.63 करोड़ एवं समयावधि 7 वर्ष है। इसकी मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:–

- इन्दिरा गांधी फीडर आर.डी 496 से 671 (53.08 किमी.) तथा इन्दिरा गांधी मुख्य नहर आर.डी. 0 से 620 (126.46 किमी.), कुल 179.54 किमी. लम्बाई के जीर्णोद्वार कार्य।
- इन्दिरा गांधी मुख्य नहर के प्रथम चरण के अन्तर्गत वितरण प्रणाली के (2,498.69 किमी.) जीर्णोद्वार का कार्य।
- 33,312 हैक्टेयर जल भराव वाले क्षेत्र में सेम की समस्या से निजात मिलेगी।
- जल उपयोगिता संघों की क्षमता वर्द्धन, सिंचित क्षेत्र विकास गतिविधियों में सूक्ष्म सिंचाई, कृषि विविधीकरण आदि सम्मिलित हैं।

वित्तीय वर्ष 2022–23 में इस परियोजना हेतु ₹497.91 करोड़ का बजट प्रावधान है। जिसके विरूद्व माह दिसम्बर, 2022 तक ₹316.38 करोड़ व्यय किये जा चुके है। इस परियोजना पर अब तक कुल ₹1,548.10 करोड़ व्यय किये जा चुके हैं।

राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना

यह परियोजना जल संसाधन मंत्रालय, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, भारत सरकार (विश्व बैंक परियोजना) द्वारा वित्त पोषित है। परियोजना की कुल लागत ₹134.00 करोड़ (भारत सरकार से 100 प्रतिशत अनुदान) और समयावधि 8 वर्ष (2016–17 से 2023–24) है। राज्य भर में 153 स्वचालित

वर्षामापी, 115 स्वचालित नदी/बांध गेज संयंत्र एवं 150 स्वचालित भू–जल मापन संयंत्र स्थापित किये जा चुके हैं। इन उपकरणों की मदद से सैटेलाइट से निरन्तर और सटीक डेटा प्राप्त करने के बाद, ऑनलाइन डेटा जनता के लिए उपलब्ध होगा। इस ऑनलाइन जानकारी की मदद से जल प्रबन्धन में सुधार हो रहा है।

पारदर्शी जल प्रबंधन हेतु बांधों और नहर प्रणाली के लिए राज्य में सर्वप्रथम बीसलपुर, माही, गुढ़ा बांध और जंवाई बांध पर स्कॉडा (सुपरवाइजरी कंट्रोल एण्ड डेटा एक्जिविशन) प्रणाली को स्थापित किया जा चुका है। इसी क्रम में नर्मदा नहर परियोजना, सांचोर (जालोर), गंग नहर तथा भांखडा नहर एवं हनुमानगढ की नहरों पर पारदर्शी जल प्रबंधन हेतु स्कॉडा सिस्टम स्थापित करने हेतु कार्यादेश जारी किए जा चुके हैं।

राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022–23 में दिसम्बर, 2022 तक ₹11.69 करोड़ व्यय किये जा चुके है। अब तक इस परियोजना पर कुल ₹36.65 करोड़ व्यय किये जा चुके हैं।

इन्दिरा गांधी फीडर (पंजाब का भाग) और सरहिन्द फीडर की री–लाईनिंग

इन्दिरा गांधी फीडर (पंजाब का भाग) एवं सरहिन्द फीडर की री–लाइनिंग के लिए 23 जनवरी, 2019 को भारत सरकार और पंजाब सरकार के साथ एक अनुबन्ध पर हस्ताक्षर किए गए हैं। परियोजना की कुल लागत ₹1,976.00 करोड़ है। अनुबन्ध के अनुसार इन्दिरा गांधी फीडर की रि–लाईनिंग के लिए 60 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता प्राप्त होगी तथा 40 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। सरहिन्द फीडर की रि–लाईनिंग के लिए पंजाब व राजस्थान के मध्य क्रमशः 54. 15 व 45.85 प्रतिशत का अंशदान होगा, जिसमें राजस्थान को केन्द्र सरकार से 60 प्रतिशत हिस्सा राशि प्राप्त होगी। इस प्रकार परियोजना में राजस्थान की हिस्सा राशि ₹715.48 करोड़ है। इस परियोजना के अन्तर्गत इंदिरा गांधी फीडर (पंजाब भाग) की 97 किमी तथा सरहिन्द फीडर की 100 किमी लम्बाई में रि–लाईनिंग की जानी है।

राजस्थान फीडर में कुल 100 किमी लम्बाई में रि–लाईनिंग कार्य करवाए जाने प्रस्तावित थे। जिसके विरूद्व पंजाब द्वारा 85.00 किमी लम्बाई में रि–लाईनिंग कार्य निष्पादित करवाये गये। इस प्रकार अब तक राजस्थान फीडर में 97.00 किमी लम्बाई के विरूद्व 62.70 किमी लम्बाई में रिलाईनिंग कार्य निष्पादित करवाये जा चुके हैं। शेष रिलाईनिंग कार्य मार्च–मई 2023 तक पंजाब द्वारा किया जाना प्रस्तावित है।

बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना (डी.आर.आई.पी.)

माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा बजट 2020–21 में राज्य के बडे बांधों के जीर्णोद्वार, आधुनिकीकरण एवं सुरक्षा प्रबंधन हेतु ₹965.00 करोड़ की योजना आरम्भ करने की घोषणा की है। योजना के प्रथम चरण में 7 बांधों बीसलपुर, जवाई, सूकली सेलवाडा (सिरोही), माही, गंभीरी (चित्तौडगढ़), मातृकुण्डियां बांध (भीलवाडा) तथा सोम कमला अम्बा के ₹127.52 करोड़ की निविदाएं जारी की जा चुकी हैं तथा 2 बांध पांचना एवं रायपुर लूनी के लिए ₹20.77 करोड़ की निविदाएं प्रगतिरत है।

परियोजना हेतु विश्व बैंक से ऋण समझौता दिनांक 4 अगस्त, 2021 को किया जा चुका है। परियोजना के माध्यम से राज्य के बड़े बांधों का जीर्णोद्वार कर जल रिसाव रोका जायेगा जिससे बांधों की जलभराव क्षमता बढेगी और किसानों को सिंचाई के लिये तथा आमजन को पेयजल हेतु अधिक जल उपलब्ध होगा। आधुनिक उपकरणो के माध्यम से बांधों का आधुनिकीकरण किया जायेगा जिससे वर्षाकालीन/बाढ़ बचाव संबंधी आंकड़े तत्काल उपलब्ध होंगे। विभिन्न राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों के माध्यम से प्रशिक्षण/सेमिनार होंगे जिससे कार्य दक्षता में वृद्धि होगी। समयबद्ध प्रयासों द्वारा ड्रिप परियोजना में शामिल 18 राज्यों में राजस्थान प्रथम स्थान पर है।

परियोजना पर वर्ष 2022–23 हेतु ₹201.29 करोड़ का बजट प्रावधान स्वीकृत है जिसके विरूद्व माह दिसम्बर, 2022 तक ₹36.12 करोड़ व्यय किए गए एवं अब तक कुल ₹74.80 करोड़ व्यय किये जा चुके हैं।

पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ई.आर.सी.पी.): राजस्थान प्रदेश की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिसमें मानसून के दौरान चम्बल नदी के सहायक नदी बेसिनों (कुन्नू, कूल, पार्वती, कालीसिंध, मेज) में उपलब्ध अधिशेष जल को बनास, मोरेल, बाणगंगा, पार्वती, कालीसिल, गंभीर इत्यादि नदी बेसिनों में जल अपवर्तन हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की गई है। परियोजना द्वारा राजस्थान के 13 जिलों में वर्ष 2051 तक पेयजल उपलब्धता तथा 2.0 लाख हैक्टेयर नये क्षेत्र में सूक्ष्म सिंचाई पद्धति से सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराया जाना संभव हो सकेगा।

इसके अंतर्गत परियोजना के प्रथम चरण में नवनेरा–गलवा–बीसलपुर–ईसरदा लिंक, कूल नदी पर रामगढ बैराज (क्षमता 50.49 एमसीएम) एवं पार्वती नदी पर महलपुर बैराज (क्षमता

162.20 एमसीएम) के निर्माण कार्य हेतु अनुमानित लागत राशि ₹9,600 करोड़ का प्रावधान रखा गया हैं।

पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना निगम (ई.आर.सी.पी.सी.) के गठन के प्रस्ताव को मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से मंजूरी दे दी गई है एवं गठन के आदेश जारी हो चुके है।

परियोजना के विस्तृत भूगर्भीय सर्वेक्षण एवं विस्तृत तखमीना तैयार करने एवं वन, वन्यजीव एवं पर्यावरणीय स्वीकृतिया प्राप्त करने के लिये कन्सलटेन्सी सेवाएं प्राप्त करने हेतु मैसर्स वेप्कोस लिमिटेड गुरूग्राम को कार्यादेश जारी किया जा चुका हैं।

वर्तमान में रामगढ़ बैराज, महलपुर बैराज एवं नवनेरा–गलवा–बीसलपुर–ईसरदा लिंक में जल अपवर्तन हेतु हाईड्रोलोजिकल सिमुलेशन का कार्य किया जा चुका है। लिंक के संरेखण को अन्तिम रूप दिया जा चुका है। फील्ड सत्यापन, तकनीकी सर्वेक्षण एवं तखमीना तैयार करने की कार्यवाही प्रगतिरत है।

राजीव गांधी जल संचय योजना (आर.जी.जे.एस.वाई.)

राज्य में वर्षा जल के अधिकतम संग्रहण, संरक्षण एवं उपलब्ध जल का न्यायोचित उपयोग करने तथा अकाल की भीषण समस्या के समाधान हेतु राजीव गांधी जल संचय योजना वर्ष 2019 में प्रारम्भ की गई है। राजीव गांधी जल संचय योजना हेतु ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग को प्रशासनिक विभाग तथा जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है। योजनान्तर्गत जल संरक्षण के विभिन्न निर्माण कार्य एवं सुधार कार्य यथा एनीकट, तालाब, सबसरफेस बेरियर, रिचार्ज शाट, टांका पुराने टांके, तालाब, एनीकट की मरम्मत इत्यादि का सम्पादन किया जायेगा। योजनान्तर्गत चयनित निर्माण कार्यो को विभिन्न विभागों के समन्वय से सम्पादित किया जायेगा।

योजना के प्रथम चरण के अन्तर्गत ₹54.09 करोड़ के 491 कार्य अनुमोदित किये जा चुके हैं। 490 कार्यों की वित्तीय स्वीकृति राशि ₹51.01 करोड़ जारी की जा चुकी है। इन कार्यों में से अब तक 464 कार्य राशि ₹45.39 करोड़ के पूर्ण हो चुके हैं एवं शेष 26 कार्य राशि ₹5.62 करोड़ के प्रगतिरत हैं। पूर्ण कराये जा चुके 464 कार्यों में से अब तक 254 कार्यों के पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किये जा चुके हैं।

उपनिवेशन

उपनिवेशन विभाग का मुख्य कार्य इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र मे भूमि आवंटन करना है। उपनिवेशन विभाग द्वारा आरम्भ से नवम्बर, 2022 तक 14.70 लाख हैक्टेयर भूमि का आवंटन किया गया है। उपनिवेशन विभाग द्वारा वर्ष 2022–23 में ₹69.00 करोड़ के लक्ष्य के विरूद्व नवम्बर, 2022 तक ₹81.26 करोड़ का राजस्व अर्जित किया गया।

सिंचित क्षेत्र विकास

जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार के सिंचित क्षेत्र विकास एवं जल प्रबन्धन (सी.ए.डी.डबल्यू.एम.) कार्यक्रम के अन्तर्गत सिद्धमुख नोहर सिंचाई परियोजना, अमर सिंह उप शाखा परियोजना एवं गंग नहर प्रथम एवं द्वितीय चरण, भाखड़ा नहर परियोजना प्रथम चरण, बीसलपुर और चम्बल परियोजना क्षेत्र में भूमि विकास कार्यों के अन्तर्गत पक्के खालों का निर्माण कार्य करवाया जा रहा है। भारत सरकार ने दिनांक 1 अप्रेल, 2017 से गंग नहर परियोजना द्वितीय के अतिरिक्त, इसकी अन्य परियोजनाओं में वित्तीय सहायता रोक दी है। केन्द्र सरकार द्वारा गंग नहर परियोजना द्वितीय चरण का दायरा 44,875 हैक्टेयर से बढाकर 1,17,795 हैक्टेयर करने के कारण परियोजना की लागत ₹146.74 करोड़ से संशोधित कर ₹341.53 करोड़ कर दी गयी। परियोजना पर वर्ष 2022–23 के दौरान दिसम्बर, 2022 तक ₹40.01 करोड़ व्यय कर 10,087 हैक्टेयर में पक्का खालों का निर्माण पूर्ण किया जा चुका है।

नाबार्ड की वित्तीय सहायता से चम्बल नहर परियोजना का पुनर्विकास किया जा रहा है। वर्ष 2022–23 के अन्तर्गत दिसम्बर, 2022 तक ₹208.85 करोड़ व्यय कर 278.12 किमी लम्बाई की नहर प्रणाली की लाइनिंग की जा चुकी है।

सिद्धमुख नोहर सिंचाई परियोजना 19,778 हैक्टेयर एवं अमर सिंह उप शाखा परियोजना 5,211 हैक्टेयर में बचे हुए खालों को पक्का करने के कार्य की घोषणा की जाकर क्रमशः ₹69.19 करोड़ तथा ₹18.23 करोड़ की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी गई। उक्त कार्यो हेतु वित्तीय वर्ष 2022–23 में क्रमशः ₹24.50 करोड़ एवं ₹10.50 करोड़ का प्रावधान किया गया जिसके विरूद्व माह दिसम्बर, 2022 तक ₹7.47 करोड़ व्यय कर 3,138 हैक्टेयर में कार्य पूर्ण किया जा चुका हैं।

चम्बल कमांड क्षेत्र–कोटा, बूंदी व बारां के सिंचित क्षेत्र की दक्षता सुधार हेतु ड्रेनेज सिस्टम के जीर्णोद्धार, विभिन्न नहरों, वितरिकाओं व ब्रांच केनालों के कार्य करवाये जायेंगे। इसके अन्तर्गत ₹482.23 करोड़ की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गई। वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए ₹62.00 करोड़ का बजट प्रावधान रखा गया है। यह सभी कार्य प्रगतिरत है एवं वर्ष 2022–23 में माह दिसम्बर, 2022 तक 113 हेक्टेयर में कार्य पूर्ण किया जा चुका हैं।

इन्दिरा गांधी नहर परियोजना (आई.जी.एन.पी.)

इन्दिरा गांधी नहर परियोजना को पश्चिमी राजस्थान की जीवन रेखा के रूप में जाना जाता है। यह परियोजना प्रकृति की विषमताओं से मनुष्य के साहसपूर्ण संघर्ष का उत्कृष्ट उदाहरण है। इस अत्यन्त महत्वाकांक्षी परियोजना का उद्देश्य पश्चिमी राजस्थान की सदियों से प्यासी मरूभूमि को दूरस्थ हिमालय के जल से सिंचित और इस क्षेत्र के करोड़ों निवासियों को पीने का पानी उपलब्ध कराना है। इस परियोजना के उद्देश्यों में सूखा प्रभावित, पर्यावरण और वन सुधार, रोजगार सृजन, पुनर्वास भी सम्मिलित हैं। वर्ष 2005 में राज्य सरकार द्वारा लिए गए निर्णयानुसार, नहर का कार्य पूर्ण कर 16.17 लाख हैक्टेयर (प्रथम चरण में 5.46 लाख हैक्टेयर और द्वितीय चरण में 10.71 लाख हैक्टेयर) सिंचित क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाए जाने का लक्ष्य था। यह लक्ष्य नहर निर्माण कार्यों को पूरा करने के बाद हासिल किया गया है।

इन्दिरा गांधी नहर द्वितीय चरण के निरन्तर उपयोग एवं नहरों के क्षतिग्रस्त होने के कारण अत्यधिक जल का ह्रस हो रहा है। इन्दिरा गांधी नहर परियोजना में नहर प्रणालियों के नवीनीकरण और आधुनिकीकरण की दो परियोजनाएं– बीकानेर व जैसलमेर संभाग प्रत्येक में एक–एक वर्ष 2020–21 में नाबार्ड आर.आई.डी.एफ–XXV से वित्त पोषण के तहत शुरू की गई हैं। बीकानेर संभाग की परियोजना दातौर, नांचना, अवाई, सांकड़िया प्रणाली व मुख्य नहर की सीधी नहरों का आधुनिकीकरण और पुनरूद्धार की लागत ₹121.00 करोड़ और जैसलमेर संभाग की परियोजना ''शहीद बीरबल शाखा'' का आधुनिकीकरण और पुनरूद्धार की लागत ₹58.42 करोड़ है।

इसके अतिरिक्त इन्दिरा गांधी नहर परियोजना का द्वितीय चरण, बीसलपुर शाखा, भुटटोवाला व धोधा नहर प्रणाली के विस्तार, नवीनीकरण व आधुनिकीकरण कार्य हेतु नाबार्ड आर. आई.डी.एफ–XXV के अन्तर्गत मार्च, 2021 में ₹134.55 करोड़ स्वीकृत किये गये है। इन कार्यो पर वर्ष 2022–23 में नवम्बर, 2022 तक क्रमशः ₹13.25 करोड़, ₹15.59 करोड़ एवं ₹13.10 करोड़ व्यय किए जा चुके है।

वर्ष 2022–23 में माह नवम्बर, 2022 तक निर्माण एवं रखरखाव के अन्य कार्यो के अंतर्गत 22.64 कि.मी. नहर की लाईनिंग का कार्य किया गया, 10 स्ट्रक्चर्स का निर्माण किया गया, 258.67 हजार वर्ग मीटर नहरों की मरम्मत तथा 1,927.57 हजार घन मीटर मिट्टी का कार्य किया गया है।

वर्ष 2022–23 के बजट अनुमानों में विभाग को कुल ₹637.44 करोड का बजट आंवटित है। जिसमें से कंवरसेन लिफ्ट योजना हेतु ₹27.84 करोड तथा द्वितीय चरण की नहरों के संचालन, नये आवश्यक निर्माण कार्यों तथा उनके रखरखाव हेतु ₹609.60 करोड़ आंवटित किये गये है। माह नवम्बर 2022 तक कुल ₹199.69 करोड़ व्यय किये जा चुके है।

भू–जल

राज्य के भू–जल संसाधनों के विकास एवं प्रबन्धन हेतु भू–जल विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका है। राजस्थान में, जहां हर दूसरे वर्ष अकाल की स्थिति बन जाती है, पेयजल एवं सिंचाई की समस्या के समाधान हेतु भू–जल विभाग महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। राज्य में सतत् एवं सफल प्रयासों से रेगिस्तानी व पहाड़ी जिलों में सिंचाई के लिए अतिरिक्त भूमिगत जल जुटाने के साथ स्वच्छ पेयजल उपलब्धता बढी है। भू–जल विभाग मुख्यतः निम्नलिखित गतिविधियां संचालित करता है:–

- सर्वेक्षण एवं अनुसंधान कार्यक्रम के अन्तर्गत नलकूपों व पीजोमीटर की संरचना का निर्माण एवं जल संसाधनों की खोज, मूल्यांकन एवं विकास करना।
- पेयजल एवं अन्य उद्देश्य हेतु नलकूपों व हैण्डपम्पों का निर्माण करवाना।
- सरकार की विभिन्न व्यक्तिगत लाभार्थी योजनाओं के अन्तर्गत रॉक ड्रिलिंग और विस्फोटन द्वारा कुओं को गहरा करना।
- भू जल आंकलन रिपोर्ट 2021 के अनुसार, राज्य का 78 प्रतिशत क्षेत्र अतिदोहित श्रेणी के अंतर्गत आता है एवं राज्य के कुल भूजल दोहन की दर 150 प्रतिशत है।

वर्ष 2022–23 में किसानों के लिए 126 नलकूप, 192 हैण्डपम्प बोरवेल एवं 21 पिजोमीटर को स्थापित किया गया है। इसके अतिरिक्त सर्वेक्षण एवं अनुसंधान कार्यक्रम के अन्तर्गत 15,717 कुओं का सर्वेक्षण, 11,446 जल नमूनों का एकत्रीकरण, 7,189 जल नमूनों के रासायनिक विश्लेषण एवं 229 स्थानों पर भू–भौतिकीय सर्वेक्षण कार्य नवम्बर, 2022 तक पूर्ण हो चुके हैं।

राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना विश्व बैंक व केन्द्र सरकार (100 प्रतिशत अनुदान) द्वारा वित्त पोषित है। इस परियोजना

की अवधि वर्ष 2016–2024 तक है। परियोजना का नोडल विभाग जल संसाधन विभाग, राजस्थान है एवं भू–जल विभाग इसमें सहयोगी विभाग है। राजस्थान राज्य के लिए परियोजना की कुल लागत ₹140.33 करोड़ में से भू–जल विभाग को ₹22.94 करोड़ आवंटित किए जा चुके हैं।

इस योजना के अन्तर्गत विगत 3 वर्षों में 150 टेलीमैट्रिक डिजिटल वाटर लेवल रिकॉर्डर (टी.डी.डबल्यू.एल.आर.) स्थापित किए गए है। इससे भू–जल स्तर के रियल टाईम डाटा उपलब्ध हो रहे है। इस योजना में रसायन प्रयोगशालाओं हेतु उपकरण खरीदे गये है जिनसे भू–जल की गुणवता जांची जा रही है।

भू–जल संसाधनों का आंकलन

भू–जल संसाधनों का आंकलन एक सतत प्रक्रिया है जो प्रत्येक तीन वर्ष के अन्तराल पर किया जाता है। विभाग द्वारा राज्य के जिलेवार भू–जल संसाधनों का आंकलन भारत सरकार की ग्राउन्ड वाटर एस्टीमेशन कमेटी (जी.ई.सी.) द्वारा जारी दिशा निर्देश 2015 के अनुसार किया जाता है। भू–जल संसाधनों की आंकलन की नवीनतम रिपोर्ट राज्य स्तरीय समिति (एस.एल.सी.) व केन्द्र स्तरीय विशेषज्ञ समिति (सी.एल.ई.सी.) द्वारा 28 सितम्बर, 2022 को अनुमोदन किया गया है।

राज्य में भू–जल उपलब्धता के अनुसार विभिन्न श्रेणीयों में वर्गीकृत ब्लॉकों का विवरण तालिका 2.9 में निम्न प्रकार है।

तालिका–2.9 विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत ब्लॉकों का विवरण

क्र. सं.	वर्गीकरण	वर्ष 2020	वर्ष 2022
1	सुरक्षित	37	38
2	अर्द्ध विषम	29	20
3	विषम	23	22
4	अति दोहित	203	219
5	लवणीय	3	3
कुल		**295**	**302**

वर्ष 2022 में 302 ब्लॉकों में 7 शहरी ब्लॉक भी सम्मिलित है। वर्ष 2020 की तुलना में वर्ष 2022 में सुरक्षित एंव विषम श्रेणी के ब्लॉको की संख्या में ज्यादा अन्तर नहीं आया है। वर्ष 2020 की तुलना में वर्ष 2022 में अति दोहित श्रेणी ब्लॉको की संख्या में वृद्धि हुई है। जबकी अर्द्ध विषम श्रेणी के ब्लॉको की संख्या में कमी आई है।

अटल भूजल योजना

अटल भूजल योजना भारत सरकार एंव विश्व बैंक के सहयोग से (50:50 प्रतिशत) 1 अप्रेल, 2020 से लागू की गई है। इस योजना में भू–जल विभाग नोड़ल विभाग एवं कृषि, उद्यानिकी, जलग्रहण एवं भू–संरक्षण, जल संसाधन, पंचायतीराज एवं ग्रामीण विकास, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, ऊर्जा एवं वन विभाग मुख्य सहभागी विभाग हैं। यह योजना पांच वर्षो 2020–21 से वर्ष 2024–25 तक के लिये है। राजस्थान राज्य हेतु 5 वर्षो के लिये कुल बजट ₹1,189.65 करोड़ स्वीकृत है। परियोजना हेतु राज्य के 17 जिलों की 38 पंचायत समितियों के 1,139 ग्राम पंचायतों को चिन्हित किया गया है।

जलग्रहण विकास

राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 10.40 प्रतिशत है। राज्य के क्षेत्रफल में से 101 लाख हैक्टेयर भूमि बंजर है, जबकि राज्य में कुल स्त्रोतों से उपलब्ध जल की मात्रा 1.16 प्रतिशत ही है। इसके अतिरिक्त वर्षा की कम अवधि, वर्षा की उच्च तीव्रता एवं वर्षा पद्वति में हुए परिवर्तन के कारण वर्षा का एक बड़ा हिस्सा बर्बाद हो जाता है जिसके परिणामस्वरूप भू–जल स्तर लगातार गिरता जा रहा है साथ ही उपजाऊ भूमि भी बंजर भूमि में परिवर्तित हो रही है।

इस भीषण समस्या के समाधान हेतु राज्य सरकार द्वारा राज्य में वर्षा जल के अधिकतम संग्रहण, संरक्षण एवं उपलब्ध जल का न्यायोचित उपयोग करने के परिप्रेक्ष्य में "राजीव गांधी जल संचय योजना" प्रारम्भ करने का निर्णय लिया गया है।

"राजीव गाँधी जल संचय योजना" (आर.जी.जे.एस.वाई.) के अन्तर्गत राज्य में संचालित विभिन्न केन्द्रीय एवं राज्य की योजनाओं में उपलब्ध वित्तीय संसाधनों का प्रभावी कनवर्जेन्स, विभिन्न लाईन विभागों के समन्वय, कॉर्पोरेट जगत, धार्मिक ट्रस्टों एवं सामाजिक संगठनों, गैर सरकारी संगठनों एवं जनसहयोग एवं राज्य सरकार द्वारा पृथक से बजट उपलब्ध करवा कर जल संरक्षण एवं जल भराव संरचनाओं की गतिविधियों का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है।

राजीव गांधी जल संचय योजना के प्रथम चरण का सूत्रपात दिनांक 20 अगस्त, 2019 को राज्य के 33 जिलों के सभी 295 ब्लॉकों के लगभग 3,931 गावों में किया गया है। प्रथम चरण के अन्तर्गत विभिन्न संबंधित विभागों द्वारा लगभग 1.38 लाख कार्य प्रस्तावित किए गए हैं, जिनकी लागत लगभग ₹1,772 करोड़ है। जिसमें से ₹1,580.00 करोड़ की लागत के लगभग 1.32 लाख कार्य पूर्ण किए जा चुके है।

राजीव गांधी जल संचय योजना के द्वितीय चरण का सूत्रपात दिनांक 1 सितम्बर, 2022 को राज्य के 33 जिलों के सभी 352 ब्लॉकों के लगभग 4,500 गावों के 20 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में किया गया है। द्वितीय चरण के अन्तर्गत सभी लाईन विभागों द्वारा लगभग 4,949 गांवों के 1.92 लाख कार्य चिन्हित कर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनाने का कार्य प्रगतिरत है।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (वाटरशेड कम्पोनेंट 1.0) इस योजना में केन्द्रीयांश एवं राज्यांश का अनुपात 60:40 निर्धारित किया गया है। राज्य को कुल ₹4,474.73 करोड़ केन्द्रीयांश एवं राज्यांश के हिस्से के रूप में प्राप्त हुए हैं, जो कुल स्वीकृत राशि का लगभग 53.29 प्रतिशत है। इस योजना पर ₹4,351.27 करोड़ व्यय कर कुल 46.00 लाख हैक्टेयर क्षेत्र उपचारित किया गया।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना–वाटरशेड कम्पोनेंट 2.0 भारत सरकार द्वारा प्रारम्भ की गई और मार्च, 2022 में ₹1,857 करोड़ की लागत से 7.50 लाख हैक्टेयर भूमि उपचारित करने की 145 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। परियोजना हेतु ₹470.93 करोड़ प्राप्त हुए है जिसमें केन्द्रीय हिस्सा ₹282.56 करोड़ एवं राज्य हिस्सा ₹188.37 करोड़ है।

राज्य भण्डारण निगम

राजस्थान राज्य भण्डारण निगम (आर.एस.डबल्यू.सी.) का मुख्य कार्य किसानों, सहकारी समितियों, व्यापारियों, सरकार एवं अन्य संस्थाओं के कृषि उत्पादों, रासायनिक उर्वरक, बीज, खाद, कृषि यंत्र एवं अन्य निर्दिष्ट वस्तुओं के वैज्ञानिक पद्धति से भण्डारण हेतु राज्य में गोदामों एवं भण्डार गृहों का निर्माण करना है। निगम की अधिकृत अंश पूंजी ₹800.00 लाख तथा प्रदत्त अंश पूंजी ₹785.26 लाख है।

निगम राज्य के 31 जिलों में औसत भण्डारण क्षमता 16.08 लाख मैट्रिक टन के साथ 93 भण्डार गृह संचालित कर रहा है (जिसमें 15.92 लाख मैट्रिक टन निगम की स्वनिर्मित क्षमता भी सम्मिलित है) वर्ष 2022–23 के दौरान माह नवम्बर, 2022 तक औसत उपयोगिता भण्डारण क्षमता 6.76 लाख मैट्रिक टन रही है, जो कि भण्डारण क्षमता की कुल औसत उपयोगिता भण्डारण का 43.00 प्रतिशत है। निगम द्वारा भण्डारण शुल्क में अनुसूचित जाति/जनजाति के कृषकों को 70 प्रतिशत, अन्य कृषकों को 60 प्रतिशत एवं सहकारी समितियों को 10 प्रतिशत छूट प्रदान की जा रही है, जो कि केन्द्र और अन्य राज्यों के भण्डारण निगमों की तुलना में सर्वाधिक है। वर्ष 2022–23 के दौरान निगम द्वारा 2,38,500 मैट्रिक टन भण्डारण क्षमता का निर्माण कार्य किया गया एवं नवम्बर, 2022 तक 2.41 लाख मैट्रिक टन भण्डारण क्षमता निर्माणाधीन है। राजस्थान राज्य भण्डारण व्यवस्था निगम की उपलब्धियां तालिका– 2.10 में दर्शाई गई है।

तालिका–2.10 राजस्थान राज्य भण्डारण व्यवस्था निगम की उपलब्धियां

क्र.सं.	मद	उपलब्धियां				
		2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23*
1.	औसत भण्डारण क्षमता (लाख मैट्रिक टन)	14.84	14.69	15.89	14.71	15.90
2.	औसत उपयोगिता (लाख मैट्रिक टन)	15.36	14.63	14.73	10.31	6.76
3.	औसत उपयोगिता प्रतिशत में	103 %	100 %	93 %	70 %	43 %
4.	भण्डारण क्षमता का निर्माण (मैट्रिक टन)	21600	16350	32250	2.24 लाख	2.39 लाख
5.	भण्डार गृहों की संख्या	93	93	93	93	93
कुल आय (₹लाख में)		**20536.58**	**23443.32**	**29114.77**	**17025.18**	**7956.59 (अनुमानित)**

* नवम्बर, 2022 तक

पशुपालन

राजस्थान में पशुपालन, विशेषकर शुष्क व अर्द्ध शुष्क क्षेत्रों में कृषि की सहायक गतिविधि ही नहीं है, बल्कि एक प्रमुख आर्थिक गतिविधि है, जो कि अकाल की स्थिति में कृषक को अत्यधिक सुरक्षा प्रदान करती है। कृषि उत्पादन के साथ–साथ पशुपालन राजस्थान की एक महत्वपूर्ण गतिविधि है। पशुपालन शुष्क कृषि का एक महत्वपूर्ण अंग है। पशुपालन वर्षा आधारित क्षेत्र में कृषि प्रणाली की आर्थिक व्यवहार्यता और स्थायित्व को बढ़ाता है। शुष्क पश्चिमी क्षेत्र में पशुपालन, सूखे एवं अकाल की मार के विरूद्ध सुरक्षा कवच का काम करता है और गरीब ग्रामीणों को सतत् एवं स्थायी आजीविका प्रदान करता है।

राजस्थान पशु सम्पदा में समृद्ध राज्य है। देश के सर्वोत्तम नस्ल के गौवंश, भेड़, बकरी, घोड़ा व ऊँट राज्य में हैं। राज्य में शुष्क क्षेत्र में दूध देने वाली उन्नत नस्ल (राठी, गीर, साहीवाल तथा थारपारकर), दूध व खेती दोनों कार्य के लिए कांकरेज व हरियाणा नस्ल के गौवंश तथा नागौरी व मालवी की संकर नस्ल प्रचुर मात्रा में हैं।

पशु गणना–2019 के अनुसार, राज्य में कुल 568.01 लाख पशुधन एवं 146.23 लाख कुक्कुट हैं। देश के कुल पशुधन का 10.60 प्रतिशत राजस्थान में उपलब्ध है। यहाँ देश का 7.24 प्रतिशत गौवंश, 12.47 प्रतिशत भैंस, 14.00 प्रतिशत बकरियां, 10.64 प्रतिशत भेड़ तथा 84.43 प्रतिशत ऊँट उपलब्ध है। राष्ट्रीय उत्पादन में वर्ष 2020–21 में राज्य का योगदान दूध उत्पादन में 14.63 प्रतिशत एवं ऊन उत्पादन में 42.45 प्रतिशत है।

पशुपालन विभाग, पशुधन में नस्ल सुधार के साथ प्रभावी स्वास्थ्य देखभाल की समन्वित सेवाएं तथा पशुपालकों में जागरूकता कार्यक्रमों में सहभागिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दूरस्थ इलाकों तक पशु चिकित्सा तथा आधारभूत सुविधाएं पहुँचाने का प्रयास कर रहा है। राज्य में पशु चिकित्सा संस्थाओं के विस्तार की स्थिति उल्लेखनीय रही है जो तालिका–2.11 में दर्शाई गई है।

तालिका–2.11 राज्य में पशु चिकित्सा संस्थाएं

संस्थाएं	2019	2020	2021	2022*
बहुउद्देश्यीय पशु चिकित्सालय	35	35	35	38
प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय	786	786	786	813
पशु चिकित्सालय	1709	1709	1709	2095
पशु चिकित्सा उप केन्द्र	5467	5638	5667	6030
जिला चल पशु चिकित्सा इकाई	102	102	102	102

*नवम्बर, 2022 तक

तालिका–2.12 में विभिन्न पशुधन उत्पादों के उत्पादन स्तर को दर्शाया गया है। दूध का उत्पादन 2018–19 के 23,668 हजार टन से बढ़कर वर्ष 2021–22 में 33,265 हजार टन हो गया है, जो कि 40.55 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। इसी तरह अण्डों का उत्पादन वर्ष 2018–19 के 1,662 मिलियन से बढ़कर वर्ष 2021–22 में 2,688 मिलियन हो गया है।

तालिका–2.12 पशुधन उत्पाद उत्पादन

वर्ष	दुग्ध उत्पादन (हजार टन)	मांस उत्पादन (हजार टन)	अण्डा उत्पादन (दस लाख)	ऊन उत्पादन (लाख किग्रा.)
2018-19	23668	192	1662	145
2019-20*	26572	200	2698	144
2020-21*	30723	201	2488	157
2021-22*	33265	221	2688	156

*प्रावधानिक

मांस उत्पादन में यही प्रवृत्ति देखी गई है। वर्ष 2018–19 में मांस उत्पादन 192 हजार टन से बढ़कर वर्ष 2021–22 में 221 हजार टन हो गया है तथापि वर्ष 2018–19 में ऊन उत्पादन 145 लाख किग्रा. से बढ़कर वर्ष 2021–22 में 156 लाख किग्रा. हो गया है।

पशुओं में रोग नियन्त्रण हेतु वर्ष 2022–23 में 182.29 लाख टीकाकरण किए गए। पशुओं में उन्नत नस्लों के लिए दिसम्बर, 2022 तक 1.36 लाख बड़े पशुओं एवं 2.15 लाख छोटे पशुओं का बंध्याकरण तथा 19.31 लाख कृत्रिम गर्भाधान किए गए।

वर्ष 2022–23 के दौरान पशुपालन विभाग द्वारा उठाए गए प्रमुख कदम

- पशुधन निःशुल्क आरोग्य योजना के अन्तर्गत पशुपालकों को नियमित लाभान्वित किया जा रहा है। यह योजना समस्त विभागीय पशु चिकित्सा संस्थाओं एवं समस्त उपचार शिविरो में उपलब्ध है। वर्ष 2022–23 के दौरान योजनान्तर्गत पशुओं के उपचार हेतु ₹143.15 करोड़ का व्यय कर 138 प्रकार की औषधियां टीकें एवं 20 प्रकार के सर्जिकल कन्ज्यूमेबल्स निःशुल्क उपलब्ध करवाये गये है। इस योजनान्तर्गत गत तीन वर्षों में 10.98 करोड़ पशुओं की चिकित्सा करते हुए 3.22 करोड़ पशुपालकों को लाभान्वित किया गया।
- नस्ल सुधार कार्यक्रम का भी सुदृढीकरण किया गया है। निजी एकीकृत विकास केन्द्रों के माध्यम से भी प्रजनन सेवाऐं प्रदान की जा रही है।
- पशुपालक किसानों एवं कुक्कुट पालकों के लिए प्रशिक्षण सुविधाओं में सुधार कर विस्तार किया गया है।
- भारत सरकार के राष्ट्रीय पशुधन मिशन (एन.एल.एम.) अन्तर्गत राजस्थान में भेड़ व बकरी वंश की नस्ल सुधार योजना (जी.आई.जी.एस.) संचालित की जा रही है। योजनान्तर्गत बकरी पालकों के लिए प्रदर्शनी व प्रशिक्षण शिविर का आयोजन कर उच्च्य गुणवत्ता वाले नर एवं मादा बकरी का चयन किया जाता है। जिसमे केन्द्र एवं राज्य की हिस्सा राशि का प्रतिशत 60:40 है। यह परियोजना वर्तमान में राजस्थान के अजमेर, जयपुर, सीकर, नागौर, राजसमन्द, चित्तौडगढ, चुरू, सिरोही एवं कुचामनसिटी (नागौर) जिलों में संचालित है।
- पोल्ट्री पालकों के लिए राष्ट्रीय पशुधन मिशन अन्तर्गत इनोवेटिव पोल्ट्री प्रोडक्टिविटी प्रोजेक्ट (आई.पी.पी.पी.) वर्ष 2017–18 मे शुरू किया गया है। इस के अन्तर्गत ब्रायलर और एलआईटी लेयर उत्पादन परियोजनाएं राजस्थान राज्य के विभिन्न जिलों मे संचालित की जा रही है।
- वर्ष 2022–23 में उन ग्रम पंचायतो में जहां विभागीय पशु चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नही है 300 नवीन पशु चिकित्सा उपकेन्द्र खोले जाने प्रस्तावित है, जिसमें से 246 नवीन पशु चिकित्सा उपकेन्द्र खोले जा चुके है।
- वर्ष 2022–23 में तीन प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालयों चाकसू (जयपुर), कुचामन (नागौर), नवलगढ़ (झुंझुनू) को बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालयों में क्रमोंन्नत किया गया है।
- नाथद्वारा–राजसमंद में एक किसान प्रशिक्षण संस्थान स्वीकृत किया गया है।
- 15 पशु चिकित्सालयों को प्रथम श्रेणी के पशु चिकित्सालयों में क्रमोंन्नत किया गया है, और 4 नए पशु चिकित्सालय स्वीकृत किए गए हैं। 11 पशु चिकित्सा उपकेन्द्रों को पशु चिकित्सालय में क्रमोंन्नत किया गया है।
- राज्य की 352 पंचायत समितियों में ब्लॉक पशु चिकित्सा स्वास्थ्य कार्यालय (बी.वी.एच.ओ.) एवं प्राथमिक रोग निदान प्रयोगशाला (पी.डी.डी.एल.) की स्थापना की गई है, जिसमें प्रथम श्रेणी के पशु चिकित्सालय पहले से ही चल रहे हैं।
- वर्तमान में प्रदेश की 3000 पशु चिकित्सा संस्थाओं में संधारण एवं जीर्णोद्धार का कार्य प्रगति पर है, जिसके लिए ₹15 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं।
- पशु आहार की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए राज्य में नियामक अधिनियम बनाकर लागू किया जायेगा। इसके साथ ही पशु आहार की गुणवत्ता की जांच के लिए प्रत्येक जिले में 33 जांच प्रयोगशाला स्थापित की जा रही है।
- जयपुर में एक आधुनिक जैव सुरक्षा प्रयोगशाला–3 (बीएसएल–3 लैब) स्वीकृत की गई है।
- राज्य में पशु चिकित्सा संस्थानों के सुदृढ़ीकरण एवं पशु चिकित्सा सुविधाओं की बेहतरी के लिए 2,927 पशु चिकित्सा राहत समितियों का गठन किया गया है.।
- राज्य में ऊंट प्रजनन को बढ़ावा देने के लिए ऊँट प्रजनकों को वित्तीय सहायता के रूप में ₹10,000 दो किस्तों में

(0–2 माह की आयु के साथ–साथ 1 वर्ष की आयु में नवजात प्रत्येक बछड़े के लिए) प्रदान किए जाएंगे। ₹2.50 करोड़ के वित्तीय प्रावधान के साथ इस योजना में लगभग 5,000 ऊंट प्रजनकों को लाभान्वित किया जाएगा।

लम्पी स्किन डिजीज की रोकथाम हेतु पशुपालन विभाग द्वारा उठाएं गएं कदम

लम्पी स्किन डिजीज से गौवंश को बचाना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। इसके लिए पूरी सजगता और सतर्कता के साथ सुनिश्चित हरसंभव प्रयास राज्य सरकार द्वारा किए गए। दिनांक 31 दिसम्बर, 2022 को प्राप्त रिर्पोट के अनुसार राज्य में कुल 32 जिलों में 15,67,217 पशु इस रोग से प्रभावित हुए है, जिनमें से 14,91,187 पशु रोग से ठीक हो गए है तथा अब तक इस रोग से 76,030 पशुओं की मृत्यु हुई है। इस गंभीर बीमारी की रोकथाम के लिए औषधियों की पर्याप्त आपूर्ति के साथ गौवंश का तेजी से टीकाकरण पशुपालन विभाग द्वारा किया गया। इसके अतिरिक्त पशुपालन विभाग द्वारा निम्न कदम उठाएं गए।

- राज्य में लम्पी रोग की पुष्टि होने पर पशुपालन विभाग द्वारा 12 मई, 2022 को ही गाइड लाइन जारी कर बीमारी की रोकथाम एवं गौवंश को बचाने के प्रयास शुरू कर दिए गए।
- राज्य में पशु चिकित्सा कार्मिकों की कमी को दूर करने के लिए 200 पशु चिकित्सक व 300 पशुधन सहायकों अर्जेंट टेम्परेरी बेसिस (यू.टी.बी.) पर नियुक्ति किए गए।
- वर्तमान में राज्य के 32 जिलों में गौवंशीय पशुओं में "लम्पी स्किन डिजीज" रोग प्रकोप संसूचित किए गए है।
- राज्य में दिनांक 31 दिसम्बर, 2022 तक प्राप्त रिपोर्ट अनुसार 106.39 लाख पशुओं का टीकाकरण किया जा चुका हैं।
- निदेशालय स्तर से जिला, संभाग एवं प्रयोगशाला के अधिकारियों से निरन्तर सम्पर्क स्थापित रखा जा रहा है तथा रोग नियंत्रण एवं रोकथाम के कार्यों का नियमित पर्यवेक्षण किया जा रहा है। रोग प्रभावित क्षेत्र में रोग सर्वेक्षण, रोग निदान एवं उपचार हेतु दल नियोजित किए गए है। साथ ही जिला एवं ब्लॉक स्तर पर रोग नियंत्रण एवं रोकथाम की कार्यवाही त्वरित गति से निष्पादित किये जाने हेतु "त्वरित कार्यवाही दलों" का गठन किया गया है।
- गौशालाओं को वर्ष में मिलने वाले अनुदान को छः माह से बढ़ाकर नौ माह किया गया है, इससे गौशालाओं को संबल प्राप्त हो सकेगा।
- राजस्थान मुख्यमंत्री कोष के तहत लम्पी रोग नियंत्रण कोष खाता खोला जाकर प्राप्त राशि का उपयोग रोग नियंत्रण हेतु आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने पर किया गया।
- निदेशालय स्तर पर रोग के नियंत्रण आदि कार्यों के सम्बन्ध में समस्याओं के समाधान एवं सूचनाओं के त्वरित सम्प्रेषण हेतु राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष की स्थापना की जा चुकी है। जिला स्तर पर भी जिला स्तरीय नियंत्रण कक्ष स्थापित किए गए है। किसान कॉल सेन्टर (हेल्प लाईन 181) पर उक्त बीमारी की रोकथाम एवं नियंत्रण सम्बन्धित पशुपालकों/आमजन की समस्याओं/भ्रांतियों आदि के निराकरण हेतु दो विभागीय अधिकारियों को कॉल सेंटर पर ड्यूटी देने हेतु निर्देशित किया गया है।
- निदेशालय स्तर से रोग के नियंत्रण एवं रोकथाम से सम्बन्धित विभिन्न बिन्दुओं पर विस्तृत दिशा–निर्देश/मानक संचालन प्रक्रियाऐं (एस.ओ.पी.) जारी की गई है।
- राज्य सरकार द्वारा राज्य में पशु मेलों एवं पशु हाट पर रोक लगायी जा चुकी हैं।
- रोग के नियंत्रण हेतु जिलो को आवश्यक संसाधन उपलब्ध करवाये जा रहे है तथा समस्त आवश्यक सावधानियां रखते हुये पीड़ित पशुओं का उपचार एवं अन्य रोग से रोकथाम संबंधी गतिविधियां जारी है।

गोपालन विभाग

गोपालन निदेशालय का उद्देश्य राज्य में मवेशियों की देशी नस्लों के प्रसार, संरक्षण और विकास के लिए कार्य करना है। इस प्रयोजन के लिए, निदेशालय गोपालन गौवंश संरक्षण के सतत् विकास एवं समृद्धि निधि नियमों, 2016 के दृष्टिकोण के माध्यम से पशुपालन संस्थान जैसे गौशाला/कांजीहाउस और नंदीशाला का विकास किया जा रहा है। निदेशालय, जैविक खेती, चारा उत्पादन, और दूध, गाय के गोबर और गोमूत्र के मूल्य वर्धन पंचगव्य सहित एवं गौ पालक और राज्य के गौशाला प्रतिनिधियों के लिए जागरूकता और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है।

वर्ष 2022–23 के दौरान, गोशालाओं/कांजी हाउस आश्रय प्राप्त अनाथ घुमंतू और अनुत्पादक बूढ़े मवेशियों की आबादी को चारा, पानी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से, नवम्बर, 2022 तक ₹613.92 करोड़ वितरित किए गए है।

वध से बचाए गौवंश योजना के अन्तर्गत बड़े मवेशियों के लिए ₹40 प्रति दिन और छोटे मवेशियों के लिए ₹20 प्रति दिन की दर से, गौशाला में मवेशियों को रखने की अवधि या एक साल जो भी कम हो, तक सहायता देने का प्रावधान है। इस पर नवम्बर, 2022 तक ₹1.20 करोड़ व्यय किए गए।

निराश्रित नर गौवंश की समस्या के समाधान हेतु नंदीगौशाला जन सहभागिता योजना संचालित है। 16 नंदी गौशाला संचालित हो चुकी है। इसके अन्तर्गत नवम्बर, 2022 तक ₹7.20 करोड़ सम्बन्धित जिलों को आवंटित किये जा चुके है।

गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से गौशाला बायोगैस सहभागिता योजना संचालित है। इस योजना के तहत 1 गौशाला में 1 बायोगैस संयंत्र स्थापित हो चुका है।

गौशाला विकास योजना के तहत राज्य की पंजीकृत गौशालाओं जिसमें कम से कम 100 मवेशी हो, में बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए अधिकतम ₹10.00 लाख की सहायता दिए जाने का प्रावधान है। इसके अन्तर्गत 124 गौशालाओं की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जा चुकी हैं। इसके लिए ₹8.90 करोड़ का भुगतान की स्वीकृति जारी कर संबंधित जिलों को वितरित किए जा चुके है।

डेयरी विकास

राजस्थान में डेयरी विकास कार्यक्रम, सहकारी समितियों के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2022–23 में नवम्बर, 2022 तक 17,463 दुग्ध सहकारी समितियों को राज्य में 24 जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघों एवं राज्य स्तर पर शीर्षस्थ संस्थान, राजस्थान सहकारी डेयरी फैडरेशन (आर.सी.डी.एफ.) लिमिटेड, जयपुर से सम्बद्ध किया गया है।

विभिन्न योजनाओं में उपलब्ध वित्तीय सहायता एवं स्वयं के संसाधनों से जिला दुग्ध संघ संयंत्रों की दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता बढ़कर 51.20 लाख लीटर प्रतिदिन हो गई है। वित्तीय वर्ष 2022–23 में माह नवम्बर, 2022 तक आर.सी.डी.एफ. से सम्बद्ध सभी दुग्ध संघों ने प्रतिदिन औसतन 26.61 लाख किग्रा. दुग्ध संकलित किया गया है। वर्तमान में, राज्य भर में 8.59 लाख दुग्ध उत्पादक, सहकारिता पर आधारित डेयरी विकास कार्यक्रम से सम्बद्ध हैं एवं वर्ष पर्यन्त दुग्ध का पारिश्रमिक प्राप्त कर रहे हैं। दुग्ध संघों ने वर्ष 2022–23 के दौरान दुग्ध उत्पादकों को माह नवम्बर, 2022 तक ₹3,091.33 करोड़ का भुगतान किया है। डेयरी विकास क्षेत्र की मुख्य गतिविधियों की उपलब्धियां तालिका–2.13 में दर्शाई गई हैं।

तालिका–2.13 वर्ष 2022–23 के दौरान डेयरी गतिविधियां

मद	इकाई	लक्ष्य 2022–23	उपलब्धियां*
औसतन दुग्ध संकलन	लाख किग्रा. प्रतिदिन	34.32	26.61
औसतन दुग्ध विपणन	लाख लीटर प्रतिदिन	25.45	22.77
पशु आहार विक्रय (संघ)	000* मैट्रिक टन	272	215
पुनर्जीवित समितियां	संख्या	846	522
नई समितियां	संख्या	1822	585
कृत्रिम एवं प्राकृतिक गर्भाधान	000* संख्या	328	205

* नवम्बर, 2022 तक

राजस्थान सहकारी डेयरी फैडरेशन द्वारा पौष्टिक पशु आहार भी उपलब्ध कराया जा रहा है। वर्ष 2022–23 में नवम्बर, 2022 तक 3,15,667 मैट्रिक टन पशु आहार का उत्पादन किया गया है एवं राज्य के दुग्ध उत्पादकों को 3,14,792 मैट्रिक टन पशु आहार बेचा गया है। डेयरी फैडरेशन द्वारा घी, छाछ, लस्सी, श्रीखण्ड, पनीर, दही, चीज़ इत्यादि उत्पादों का उत्पादन भी किया जा रहा है। राजस्थान सहकारी डेयरी फैडरेशन द्वारा वर्ष 2022–23 के दौरान नवम्बर, 2022 तक लगभग 14,986 मैट्रिक टन घी का विपणन किया गया। सामाजिक दायित्वों को पूर्ण करने के उद्देश्य से राजस्थान सहकारी डेयरी फैडरेशन एवं इससे सम्बद्ध जिला दुग्ध संघ, दुग्ध उत्पादकों को बीमा उपलब्ध करवा रहे हैं।

राज सरस सुरक्षा कवच बीमा योजना (छठवां चरण): व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना 1 जनवरी, 2022 से लागू की

गई है। इस योजना में दुग्ध उत्पादक की दुर्घटना मृत्यु एवं पूर्ण स्थायी विकलांगता पर ₹5.00 लाख एवं आंशिक स्थायी विकलांगता होने पर ₹2.50 लाख की बीमा राशि देय है। इस योजनान्तर्गत नवम्बर, 2022 तक 1,55,239 दुग्ध उत्पादकों का बीमा किया गया है।

सरस सामूहिक आरोग्य बीमा: जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघों द्वारा सरस सामूहिक आरोग्य बीमा का 17 वां चरण दिनांक 15 अक्टूबर, 2022 से प्रारम्भ किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत माह नवम्बर, 2022 तक 38,529 दुग्ध उत्पादकों का बीमा किया गया हैं।

मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक सम्बल योजना: इस योजनान्तर्गत वर्ष 2022–23 में दुग्ध उत्पादकों को ₹5 प्रति लीटर की दर से अनुदान राशि स्वीकृति जारी की जा चुकी है। इस योजनान्तर्गत वर्ष 2022–23 के लिए ₹440 करोड़ का प्रावधान किया गया है। दुग्ध संघों को अप्रैल से नवम्बर, 2022 तक की अवधि के लिए ₹160.70 करोड़ की अनुदान राशि का भुगतान किया जा चुका है।

चारा बीज वितरण: आरसीडीएफ जिला दुग्ध संघों को उनकी मांग के अनुसार अनुदानित दर पर नवंबर, 2022 तक 5,806 क्विंटल उन्नत चारा बीज की आपूर्ति की गयी।

मत्स्य

मत्स्य क्षेत्र राज्य के जल संसाधनों में मत्स्य विकास के अलावा मछली के रूप में कम लागत में प्रोटीनयुक्त आहार तथा ग्रामीण एवं कमजोर वर्गों को रोजगार उपलब्ध करवा रहा है। राजस्थान में पर्याप्त मात्रा में जलस्रोत उपलब्ध हैं, जो जलाशयों एवं पॉण्ड एवं छोटे तालाबों के रूप में लगभग 4.23 लाख हैक्टेयर में फैला हुआ है। इस जल क्षेत्र में 3.29 लाख हैक्टेयर बड़े और मध्यम जलाशयों के रूप में एवं 0.94 लाख हैक्टेयर छोटे जलाशयों और तालाबों के रूप में उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त राज्य में लगभग 0.87 लाख हैक्टेयर नदियों एवं नहरों के रूप में जलमग्न क्षेत्र उपलब्ध है। जल संसाधनों के आधार पर राजस्थान देश में दसवें स्थान पर है। केन्द्रीय मत्स्यिकी शिक्षण संस्थान, मुम्बई (2010) द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार, राज्य में 80,000 मैट्रिक टन से अधिक वार्षिक मत्स्य उत्पादन क्षमता है, जो उपयुक्त तकनीक अपनाकर 1.25 लाख मैट्रिक टन बढाई जा सकती है। जबकि राज्य में वर्ष 2022–23 में मत्स्य उत्पादन का लक्ष्य 80,000 मैट्रिक टन वार्षिक लक्ष्य के विरूद्ध नवम्बर, 2022 तक 34,336.45 मैट्रिक टन उत्पादन हुआ है।

मत्स्य विभाग द्वारा आदिवासी मछुआरों के उत्थान हेतु महत्वाकांक्षी योजना 'आजीविका मॉडल', जो शून्य राजस्व मॉडल है, राज्य के तीन जलाशयों जयसमन्द (उदयपुर), माही बजाज सागर (बांसवाड़ा) एवं कडाना बैक वाटर (डूंगरपुर) में प्रारम्भ की गई है। इस नए मॉडल के अनुसार लिफ्ट अनुबन्ध सबसे अधिक बोलीदाता को दिया गया है। आदिवासी मछुआरों को मछली पकड़ने की सम्पूर्ण कीमत स्थानान्तरित करने एवं मछली पकड़ने की दर देश में सर्वाधिक होना एक महत्वपूर्ण स्थिति है। इस मॉडल के तहत 57 मछुआरा सहकारी समितियों के लगभग 6,218 मछुआरों को लाभान्वित किया गया हैं तथा नियमित आधार पर कार्य करने वाले आदिवासी मछुआरों की आमदनी में कई गुना बढ़ोतरी हुई है। इस प्रकार, विभाग राजस्व अर्जन करने के बजाय मछुआरों की आजीविका पर ध्यान केन्द्रित कर रहा है।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.वी.वाई.) के अन्तर्गत मत्स्य प्रसंस्करण से होने वाले नुकसान को कम करने के लिये रामसागर (धौलपुर), बीसलपुर (टोंक) एवं राणा प्रताप सागर (रावतभाटा), जवाई बांध (पाली) एवं जयसमन्द (उदयपुर) बांधों से मत्स्य लेण्डिंग केन्द्र स्थापित किये गये हैं।

उन्नत किस्म के मत्स्य बीज का संग्रहण तथा मत्स्य स्टॉक के संवर्द्धन हेतु जलाशय विकसित किए जा रहे हैं। राज्य में राजस्व प्राप्ति हेतु मछली उत्पादन के लिए जलाशय पट्टे (लीज) पर दिए गए। मत्स्य विभाग को जलाशयों के पट्टों से वर्ष 2022–23 के दौरान नवम्बर, 2022 तक ₹29.75 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ है।

नेशनल मिशन फोर प्रोटीन सप्लीमेन्ट योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा ₹3.44 करोड़ की केज कल्चर योजना बांध माही बजाज सागर (बांसवाड़ा) में आधुनिक मत्स्य तकनीकों के प्रोद्यौगिकी विस्तार एवं प्रदर्शन हेतु स्वीकृत की गई है और योजना के अनुसार 56 तैरते हुए पिंजरे स्थापित किए जा चुके हैं। बीसलपुर बांध (टोंक) में सजावटी मछली प्रजनन इकाई और एक्वारियम गैलरी के लिए ₹5.63 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं। इस परियोजना का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है तथा वर्तमान में सजावटी मछली प्रजनन इकाई कार्यरत है।

राज्य में उपलब्ध समस्त प्रभावी जल क्षेत्रों में वैज्ञानिक तरीकों से मत्स्य पालन के लिए संग्रहण हेतु प्रतिवर्ष 368.50 मिलियन फिंगर लिंग 1842.5 मिलियन फ्राई की प्रतिवर्ष आवश्यकता है। वर्ष 2022–23 में नवम्बर, 2022 तक 1,350 मिलियन फ्राई

मत्स्य बीज उत्पादन के लक्ष्यों के विरूद्व विभिन्न जलाशयों व तालाबों में 958.31 मिलियन फ्राई मत्स्य बीज उत्पादन/संग्रहित किया गया।

राज्य में विभिन्न वर्षों में मत्स्य उत्पादन को तालिका–2.14 में दर्शाया गया है।

तालिका –2.14 मत्स्य उत्पादन

क्र.सं.	वर्ष	मत्स्य उत्पादन (मैट्रिक टन)	मत्स्य बीज उत्पादन (मिलियन फ्राई)
1	2018-19	55848.99	1032.93
2	2019-20	58138.21	1226.41
3	2020-21	60163.50	1087.09
4	2021-22	65693.92	1181.40
5	2022-23*	34336.45	958.31

* नवम्बर, 2022 तक

राजस्थान कौशल विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत मत्स्य पालन से सम्बन्धित विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम नियमित रूप से आयोजित किये जा रहे है। राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड हैदराबाद की वित्तीय सहायता से वर्ष 2022–23 में नवम्बर, 2022 तक 1,411 मत्स्य कृषकों को विभिन्न मत्स्य तकनीकों के लिए प्रशिक्षित किया गया।

सामूहिक दुर्घटना बीमा योजना के अन्तर्गत सक्रिय मछुआरों का सामुहिक दुर्घटना बीमा कराया जाता है। वर्तमान में राज्य के लगभग 20,000 मत्स्य कृषक प्रत्यक्ष रूप से मत्स्य सेक्टर से आजीविका हेतु जुड़े हुए है। 4,857 सक्रिय मछुआरों का वर्ष 2022–23 में नवम्बर, 2022 तक सामुहिक दुर्घटना बीमा किया गया। मत्स्य, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पूर्व में संचालित नीली क्रान्ति योजना के सभी आयामों को समाहित करते हुए प्रधानमन्त्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी.एम.एम.एस.वाई.) वर्ष 2020–21 से संचालित की जा रही है। इसके लिए ₹495.73 करोड़ की पंचवर्षीय कार्य योजना तैयार कर भारत सरकार को प्रस्तुत की गई एवं 40.03 करोड़ की मत्स्य विकास परियोजना वर्ष 2020–21 से वर्ष 2022–23 (नवम्बर, 2022) तक स्वीकृत की गई है।

वानिकी

वन, जैव वानस्पतिक एवं पर्यावरणीय संतुलन की एक महत्वपूर्ण कड़ी है, जो राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। राज्य में कुल घोषित वन क्षेत्र 32,864.62 वर्ग किमी है जो कि राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का 9.60 प्रतिशत है। राज्य में वन आच्छादित क्षेत्र 4.87 प्रतिशत है जो कि वन क्षेत्र तथा उसके बाहर अवस्थित है। भारतीय वन सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार, द्विवर्षीय सर्वेक्षण अवधि 2019–21 में राज्य के वनाच्छादित क्षेत्र में 25.45 वर्ग किमी. की वृद्धि दर्ज की गई है। बेहतर प्रबन्धन से वन्यजीवों की संख्या में वृद्धि हुई हैं।

जैव विविधता, मृदा एवं जल के संरक्षण, ग्रामवासियों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने एवं वन सुरक्षा तथा वन संरक्षण एवं प्रबन्धन में जनता का सक्रिय सहयोग प्राप्त करने पर विशेष बल दिया गया है। राज्य में दूरस्थ क्षेत्रों में रोजगार प्रदान करना भी वन विभाग की एक महत्वपूर्ण गतिविधि है। संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम के तहत, 6,318 ग्राम वन संरक्षण और प्रबंधन समितियां (वी.एफ.पी.एम.सी.)/पारिस्थितिकी–विकास समितियां विभाग के मार्गदर्शन में 12.50 लाख हेक्टेयर वन भूमि की रक्षा और प्रबंधन कर रही हैं। इन 6,318 समितियों में से 770 पर्यावरण–विकास समितियों, अभ्यारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों के आसपास वन्यजीव प्रबंधन में स्थानीय लोगों की भागीदारी प्राप्त करने के लिए गठित किए गए हैं। पंचायती राज संस्थाओं को वन व गैर वन क्षेत्रों के लघु वन उत्पादों से राजस्व संग्रहण द्वारा आय प्राप्ति के लिए अधिकृत किया गया है। गैर वन भूमि पर वृक्षारोपण का कार्य भी पंचायती राज संस्थाओं को सौंपा गया है।

औषधीय पौधों, जो कि विलुप्त होने के कगार पर हैं, के संरक्षण हेतु राज्य में 17 औषधीय पौध संरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए हैं। वर्ष 2022–23 (दिसम्बर, 2022 तक) बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत 37,740 हैक्टेयर भूमि पर वृक्षारोपण के लक्ष्य की तुलना में दिसम्बर, 2022 तक 60,584.90 हैक्टेयर में वृक्षारोपण किया गया है।

विभिन्न विकास कार्यों पर ₹842.42 करोड़ के प्रावधान के विरूद्ध दिसम्बर, 2022 तक ₹415.60 करोड़ व्यय किए गए हैं। केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के अन्तर्गत विभिन्न विकास कार्य

करवाए जा रहे हैं, जिनमें पारिस्थितिक विकास, मृदा संरक्षण कार्य, अग्नि से बचाव, अभयारण्यों, राष्ट्रीय उद्यानों एवं चिड़ियाघर आदि का विकास सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त, विभिन्न कार्यों जैसे– नई वन सुरक्षा एवं प्रबन्धन समितियों के गठन, स्वयं सहायता समूहों, महिला स्वयं सहायता समूहों, सामुदायिक विकास तथा वन्य जीवों का संरक्षण आदि के विकास कार्य करवाए गए हैं।

राज्य में ईको–टूरिज़्म की विपुल सम्भावनाएं मौजूद हैं। राज्य में 3 राष्ट्रीय उद्यान, 27 वन्यजीव अभ्यारण्य और 18 संरक्षित क्षेत्र हैं, इसके अलावा 4 बॉयोलोजिकल पार्क भी जयपुर, उदयपुर, कोटा एवं जोधपुर में विकसित किए गए हैं।

राजस्थान में औषधीय पौधों के सरंक्षण और प्रसार को बढ़ावा देने के लिए घर–घर औषधि योजना शुरू की गई। यह विभाग की फ्लैगशिप योजना है। इस योजना के तहत तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा एवं कालमेघ के औषधीय पौधे विभागीय पौधशालाओं में विकसित किए गए है। इन औषधीय पौधों के 8 पौधे (प्रत्येक प्रजाति के 2–2) राज्य के प्रत्येक परिवार को घर–घर जाकर वितरित किया जाना है। स्वास्थ्य सुरक्षा की इस योजना का शुभारम्भ 1 अगस्त, 2021 को किया गया।

औषधीय पौध वितरण के प्रथम चरण का प्रारंभ 2 अक्टूबर, 2021 को किया जा चुका है। इस योजनान्तर्गत माह दिसम्बर, 2022 तक लक्ष्य 126.51 लाख पौधों के विरूद्ध 127.00 लाख पौधे वितरित किये जा चुके है।

विश्व वानिकी उद्यान (झालाना डूंगरी)–जयपुर की तर्ज पर जोधपुर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर, भरतपुर व अजमेर में बोटनीकल गार्डन स्थापित किये जा रहे हैं। इस हेतु ₹485.00 लाख की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है तथा संबंधित 6 वन मण्डलों को कुल ₹457.00 लाख का बजट आवंटन किया जा चुका है।

लव–कुश वाटिका : राज्य में इको–टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक जिले में ₹2.00 करोड़ की लागत से एक–एक इको–टूरिज्म लव कुश वाटिका विकसित की जा रही है। इन वाटिकाओं में मनोरंजन गतिविधियाँ, पैदल ट्रैक, जल निकाय, पक्षियों को देखने की सुविधा, जागरूकता के साइन–बोर्ड, बेंचें इत्यादि सुविधाएँ आगंतुकों के लिए उपलब्ध होगी। इसके लिए कुल ₹66.00 करोड़ जिसमें प्रथम वर्ष 2022–23 हेतु ₹36.30 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

पर्यावरण विभाग

पर्यावरण विभाग की स्थापना पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के मामलों, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (आर.एस.पी.सी.बी.) से सम्बन्धित मामलों से निपटने, आर.पी.सी.बी., जिला प्रशासन एवं अन्य सम्बन्धित विभागों व संगठनों की सहायता से प्रदूषण से सम्बन्धित सभी मामलों का समाधान एवं नियंत्रण हेतु एक नोडल विभाग के रूप में की गई। पर्यावरण विभाग राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड एवं अन्य सम्बन्धित विभाग तथा जिला प्रशासन के सहयोग से पारिस्थितिकी एवं जैव विविधता से सम्बन्धित मामलों को देखता है।

पर्यावरण विभाग द्वारा निम्नलिखित योजनाएं / कार्यक्रम क्रियान्वित किए जा रहे हैं:–

विभिन्न अधिनियमों, नियमों एवं न्यायालय आदेशों की पालना: पर्यावरण विभाग को पर्यावरण से सम्बन्धित विभिन्न अधिनियमों एवं नियमों की अनुपालना विभिन्न विभागों, मण्डलों एवं संस्थाओं के माध्यम से सुनिश्चित करने का काम सौंपा गया है। यह विभिन्न अदालती आदेशों (उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, एन.जी.टी. आदि) के क्रियान्वयन के लिए भी जिम्मेदार है।

पर्यावरणीय शिक्षा जागरूकता कार्यक्रम: पर्यावरण विभाग समय–समय पर शैक्षिक एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करवाता है। जिला पर्यावरण समितियों के माध्यम से विश्व पृथ्वी दिवस (22 अप्रैल), विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस (5 जून) एवं विश्व ओजोन परत संरक्षण दिवस (16 सितम्बर) को रैलियों, प्रश्नोत्तरी, निबन्ध प्रतियोगिताओं आदि का आयोजन कर मनाया जाता हैं। प्रत्येक कार्यक्रम के लिए ₹50,000 की राशि आर.एस.पी.सी.बी. द्वारा प्रत्येक जिले को उपलब्ध कराई गई।

संचार एवं प्रसार (प्रचार): विभाग की विभिन्न गतिविधियों, राज्य सरकार के निर्णयों, चल रही विभिन्न योजनाओं, पर्यावरण से सम्बन्धित तथ्यों की जानकारी समय–समय पर जनता तक प्रसारित की जाती है। तीन अन्तर्राष्ट्रीय दिवसों

यथा– विश्व पृथ्वी दिवस (22 अप्रैल), विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस (5 जून) तथा विश्व ओजोन परत संरक्षण दिवस (16 सितम्बर) के अवसर पर इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिन्ट मीडिया के माध्यम से सन्देश प्रकाशित एवं प्रसारित किए गए। वित्तीय वर्ष 2022–23 में ₹53.50 लाख के वित्तीय लक्ष्यों के विरूद्ध नवम्बर, 2022 तक ₹45.85 लाख व्यय किए गए है।

राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड

भारत सरकार द्वारा अधिसूचित जैविक विविधता अधिनियम, 2002 के प्रावधान के तहत राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड का गठन किया गया है। राजस्थान राज्य ने जैविक विविधता अधिनियम, 2002 की धारा–63(1) के तहत राजस्थान जैविक विविधता नियम, 2010 को अधिसूचित किया है। वर्ष 2022–23 का बजट प्रावधान ₹109.01 लाख है, राजस्थान को नवम्बर, 2022 तक ₹70.00 लाख की राशि जारी की गई है।

राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार

राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार को पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए सभी तीन श्रेणियों यथा संगठनों, व्यक्तिगत श्रेणी और नगर पालिका के लिए पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है (ये पुरस्कार विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून के अवसर पर दिए गए हैं) वर्ष 2022–23 के लिए ₹0.01लाख का प्रावधान रखा गया है।

सहकारिता

सहकारी साख संरचना

वर्तमान में, सहकारिता क्षेत्र में शीर्ष स्तर पर 29 केन्द्रीय सहकारी बैंक, 24 दुग्ध संघ, 38 उपभोक्ता थोक भण्डार, 36 प्राथमिक भूमि विकास बैंक, 7,523 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियां, 275 फल एवं सब्जी विपणन समितियां है। राज्य में 22 संघों सहित कुल 38,950 सहकारी समितियां प्रदेश में पंजीकृत हैं। राज्य के कृषकों को फसल उत्पादन हेतु दीर्घकालीन कृषि ऋण प्रदान किए जा रहे हैं। वर्ष 2022–23 के दौरान ₹170.00 करोड़ के लक्ष्य के विरूद्ध नवम्बर, 2022 तक ₹97.45 करोड़ के दीर्घकालीन ऋण वितरित किए गए है। वर्ष 2022–23 मे 26.98 लाख किसानों को नवम्बर, 2022 तक ₹203.53 करोड़ के मध्यकालीन एवं ₹13,223.84 करोड़ के अल्पकालीन कृषि एवं गैर–कृषि ऋण वितरित किए गए हैं।

शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर लघु अवधि के कृषि ऋण

राज्य के किसानों को राहत देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा वर्ष 2012–13 की पूर्व योजना जिसमें फसली ऋण निर्धारित समय सीमा में चुकाने वाले किसान के लिए सब्सिडी को जारी रखने की घोषणा की गई है। इस घोषणा के तहत, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों को सदस्यों से केवल मूल ऋण की वसूली करनी है और ब्याज राशि के लिए दावा राज्य और केंद्र सरकार द्वारा समायोजित किया जाना है। वर्ष 2021–22 के लिए, केंद्रीय सहकारी बैंकों ने सहकारी समितियों के माध्यम से 28.47 लाख किसानों के 31 मार्च, 2022 तक ₹18,101.68 करोड़ के कृषि ऋण वितरित किए गए है।

राजस्थान कृषक ऋण माफी योजना

राज्य सरकार ने राज्य के किसानों के हित में पात्रता मानदंडों के तहत पात्र ऋणी किसानों के 30 नवंबर, 2018 तक के बकाया सभी लघु अवधि के फसली ऋण माफ करने का एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। ऋण के प्रमाणीकरण के लिए अंगूठे के निशान के माध्यम से आधार आधारित प्रमाणीकरण की एक प्रक्रिया लागू की गई है। इस योजना के तहत नवम्बर, 2022 तक 20.77 लाख ऋणी किसानों को ₹7,854.34 करोड़ की राहत देकर लाभान्वित किया गया है।

उन लघु और सीमांत किसानों को राहत देने के लिए जो अपनी भूमि को बैंकों की गिरवी से मुक्त करने में असमर्थ हैं, राजस्थान कृषक ऋण माफी योजना 2019 (मध्यम अवधि/दीर्घकालिक साख संरचना) ₹2.00 लाख तक का 30 नवंबर, 2018 तक के अवधिपार ऋण बकाया की माफी के लिए मंजूरी दी गई है। इस योजना के तहत नवम्बर, 2022 तक 32,301 ऋणी किसानों को ₹361.40 करोड़ से लाभान्वित किया गया है।

राजस्थान फसल ऋण माफी योजना 2018 के तहत कुल 28.08 लाख किसानों को नवम्बर, 2022 तक ₹7,572.23 करोड़ के अल्पकालिक फसल ऋण माफी से लाभान्वित किया गया है।

एकमुश्त समझौता योजना वर्ष 2021–22

एकमुश्त समझौता योजना वर्ष 2021–22 वसूली हेतु प्रारम्भ की गई है। इस योजना की अवधि 30 जून, 2022 तक बढ़ा दी गई है। इस योजना के अन्तर्गत वसूली हेतु 42,161 पात्र ऋणियों में ₹753.44 करोड़ के मांग के विरूद्ध ₹47.31 करोड़ करोड़ की राहत प्रदान की गई है।

रहन से मुक्ति

प्राथमिक भूमि विकास बैंकों द्वारा 17 दिसम्बर, 2018 से 30 नवम्बर, 2022 तक 58,082 ऋणियों को उनके ऋण के पूर्ण भुगतान के बाद रहन मुक्ति प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं।

कृषि मांगों की वसूली

वर्ष 2021–22 में कुल कृषि ऋणों की मांग ₹20,262.50 करोड़ के मुकाबले केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा ₹18,396.62 करोड़ की वसूली की गई जो कुल कृषि ऋणों की मांग का 90.48 प्रतिशत है। वर्ष 2022–23 में कुल कृषि ऋणों की मांग ₹14,153.96 करोड़ के विरूद्ध केन्द्रीय सहकारी बैंको द्वारा नवम्बर, 2022 तक ₹3,646.42 करोड़ की वसूली की गई है। जो कुल कृषि ऋणों की मांग का 25.76 प्रतिशत है।

दीर्घकालीन ऋणों की वसूली

वर्ष 2021–22 में प्राथमिक भूमि विकास बैंकों द्वारा कुल मांग ₹1,062.18 करोड़ के मुकाबले ₹345.98 करोड़ की वसूली की गई है जो कुल मांग का 32.57 प्रतिशत है। वर्ष 2022–23 में नवम्बर, 2022 तक प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों द्वारा कुल मांग ₹750.88 करोड़ के मुकाबले ₹22.59 करोड़ की वसूली की गई जो कुल मांग का 3.01 प्रतिशत है।

पी.एम. किसान पोर्टल

राजस्थान सरकार के सूचना प्रोद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा किसान सम्मान निधि योजना के अन्तर्गत किसानों के पंजीकरण एवं सत्यापन हेतु किसान सेवा पोर्टल की शुरूआत की गई। इस पोर्टल का फरवरी 2019 से फरवरी 2021 तक उपयोग किया गया एवं इसके बाद भारत सरकार द्वारा पी.एम. किसान पोर्टल शुरू किया गया जिसका उपयोग किया जा रहा है। प्रधानमंत्री किसान निधि योजना का लाभ राज्य के किसानों को प्रदान करने में राजस्थान देश में अग्रणी राज्य है इसकी केन्द्र सरकार ने सराहना की है। इस योजना में 82.12 लाख किसानों के आवेदन पंजीकृत हो चुके हैं और पीएम किसान पोर्टल पर अग्रेषित किए गये। 78.53 लाख किसानों को ₹14,682.66 करोड़ की राशि विभिन्न किस्तों में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की गई। 77.72 लाख किसानों को नवम्बर, 2022 तक ₹14,567.22 करोड़ की राशि विभिन्न किस्तों में भारत सरकार द्वारा सीधे किसानों के खाते में हस्तांतरित की गई

राज सहकार पोर्टल

सहकारिता विभाग की विभिन्न योजनाओं यथा– अल्पकालिक फसल ऋण आवेदन, न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी) आवेदन, ऑनलाइन भुगतान, सोसायटी के पंजीकरण का नवीन आवेदन, गैर–सरकारी संगठन (एन.जी.ओ.) पंजीकरण, गेम्स फेडरेशन पंजीकरण, सहकारी संस्था की चुनाव प्रणाली, कोर्ट केश की स्थिति, ऑडिट रिपोर्ट, फसल ऋण और ऋण माफी की स्थिति आदि सुविधाओं के लिए एकीकृत प्लेटफॉर्म राज सहकार पोर्टल शुरू किया गया है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

राज्य में वर्ष 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की गई, जिसके अन्तर्गत सूचीबद्ध क्षेत्र में अधिसूचित फसल उगाने वाले किसानों की फसल का बीमा अनिवार्य रूप से किया जाता है। खरीफ 2022 में 47.46 लाख किसानों का बीमा किश्त के रूप में ₹83.60 करोड़ की राशि समस्त केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा बीमा कम्पनियों को नवम्बर, 2022 तक प्रेषित की गई।

स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड योजना

स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड योजना के अन्तर्गत गैर कृषि गतिविधियों हेतु ₹50,000 तक के ऋण 5 साल की अवधि तक के लिए उपलब्ध करवाए जाते हैं। वर्ष 2022–23 में नवम्बर, 2022 तक केन्द्रीय सहकारी बैंक द्वारा ₹1.29 करोड़ तथा प्राथमिक भूमि विकास बैंक द्वारा ₹1.23 करोड़ के ऋण वितरित किए गए है।

महिला विकास ऋण योजना

महिला विकास ऋण योजना के माध्यम से भूमि विकास बैंक

कृषि भूमि की सुरक्षा के बिना, 2 व्यक्तियों की गारंटी पर गैर–कृषि उद्देश्यों और डेयरी व्यवसाय के लिए ₹50,000 का ऋण महिलाओं को उपलब्ध करवा रहा हैं। वर्ष 2022–23 में, इस योजना के तहत 637 महिलाओं को ₹15.16 करोड़ का कुल ऋण वितरित किया गया है।

सहकारी किसान कल्याण योजना

किसानों की कृषि ऋण की आवश्यकताओं के साथ–साथ कृषि साख की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राज्य सरकार द्वारा सहकारी किसान कल्याण योजना शुरू की गई है। इस योजना के अनुसार, केन्द्रीय सहकारी बैकों (सी.सी.बी.) द्वारा कृषि से संबद्ध उद्देश्यों के लिए अधिकतम ₹10.00 लाख का ऋण प्रदान करते हैं। इस योजना के तहत वर्ष 2022–23 के दौरान नवम्बर, 2022 तक 3,079 किसानों को ₹83.21 करोड़ का ऋण वितरित किया गया है।

ब्याज अनुदान

बजट घोषणा वर्ष 2022–23 में राज्य सरकार द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि राज्य के किसानों को लघु अवधि फसली ऋण पर शून्य प्रतिशत की रियायती ब्याज दर पर अनुदान उपलब्ध होगा। इस हेतु सहकारी साख संस्थाओं की शून्य प्रतिशत ब्याज की लागत को ध्यान में रखते हुये राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय सहकारी बैंकों को क्षतिपूर्ति ब्याज अनुदान दिये जाने से संबंधित योजना स्वीकृत की गई है। वर्ष 2021–22 में ₹18,500.00 करोड़ के लघु अवधि फसली ऋण वितरण के लक्ष्य के विरूद्ध सहकारी बैंको द्वारा ₹18,101.68 करोड़ के फसली ऋण वितरित किए गए है। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2021–22 में वितरित ऋणों के पेटे केन्द्रीय सहकारी बैंकों को क्षतिपूर्ति ब्याज अनुदान पेटे ₹136.17 करोड़ दिए गए एवं कर्जदार कृषकों को ₹333.90 करोड़ की ब्याज अनुदान दिया गया जिन्होने देय तिथि पर या देय तिथि से पूर्ण अपने ऋण का भुगतान किया उनको कुल ₹470.07 करोड़ ब्याज अनुदान के रूप में उपलब्ध करवाये गये है।

कृषि उपज रहन ऋण योजना

कृषि उपज रहन के विरूद्ध काश्तकारों को मात्र 3 प्रतिशत की ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है। वर्ष 2022–23 में नवम्बर, 2022 तक 68 काश्तकारों को ₹105.01 लाख का ऋण वितरण किया गया है।

अरबन को–ऑपरेटिव बैंक

राज्य में वर्तमान में 37 अरबन को–ऑपरेटिव बैंक कार्यरत है। जिनमें से 3 बैंक रेलवे कर्मचारी सैलेरी अर्नर सहकारी बैंक है। 4 बैंक मल्टी स्टेट को–ऑपरेटिव एक्ट, 2002 में रजिस्टर्ड है। इन बैंकों में ₹7,786.96 करोड़ की अमानतें है तथा हिस्सा पूंजी ₹262.62 करोड़ है। अरबन बैंक लगभग 4.46 लाख लोगों को बैंकिंग सुविधा प्रदान कर रहे हैं। 31 मार्च, 2022 को इन बैंकों का ऋण बकाया ₹4,149.26 करोड़ एवं कार्यशील पूंजी ₹9,320.27 करोड़ है, इनका शुद्ध लाभ ₹73.79 करोड़ है।

सहकारी विपणन संरचना

राज्य में प्रत्येक मण्डी यार्ड 275 क्रय–विक्रय सहकारी समितियां कार्यरत हैं। ये समितियां राज्य में किसानों को उपज का उचित मूल्य दिलवाने, कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए उन्नत किस्म के प्रमाणित बीज, खाद, एवं कीटनाशक दवाईयां उचित मूल्य पर उपलब्ध कराने का कार्य कर रही हैं। राज्य में तहसील पर अपेक्स राजफैड कार्यरत है। वर्ष 2022–23 के दौरान नवम्बर, 2022 तक सहकारी विपणन समितियों द्वारा उपभोक्ता सामग्री, कृषि आदान एवं कृषि उपज पर क्रमशः ₹149.35 करोड़, ₹312.63 करोड़, एवं ₹1,504.26 करोड़ का विपणन किया गया है। राजफैड द्वारा किसानों को नवम्बर, 2022 तक 110 क्विंटल बीज वितरित भी किया गया हैं।

सहकारी उपभोक्ता संरचना

उपभोक्ताओं को कालाबाजारी और बाजार में कृत्रिम अभाव से बचाने के लिए सहकारी संस्थाएं प्रभावी रूप से कार्य कर रही हैं एवं उपभोक्ता उत्पादों को उचित मूल्य पर उपलब्ध करवाना। इस उद्देश्य के लिए जिला स्तर पर राज्य मे 38 सहकारी उपभोक्ता होलसेल भण्डार पंजीकृत तथा शीर्ष संस्था के रूप में राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड (कॉनफैड) कार्यरत हैं। उपभोक्ता क्षेत्र का व्यापार वर्ष 2022–23 में नवम्बर, 2022 तक ₹530.00 करोड़ हो गया है। अब तक कुल 127 ग्राम सेवा सहकारी समितियों में मिनी सुपरमार्केट खोले जा चुके है।

जन औषधि केन्द्र

प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना के अन्तर्गत कॉनफैड द्वारा 200 जन औषधि केन्द्रों की स्थापना की जाएगी। वर्तमान में जन औषधि केन्द्र– उदयपुर, जोधपुर, झुंझुनूं और डूंगरपुर जिलों में थोक उपभोक्ता भंडार द्वारा और जयपुर में कॉनफैड द्वारा संचालित किए जा रहे हैं। एक जन औषधि केन्द्र सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर में और एक केन्द्र संतोकबा दुर्लभजी मेमोरियल हॉस्पिटल (एस.डी.एम.एच.) जयपुर में कॉनफैड द्वारा संचालित किया जा रहा है।

राष्ट्रीय सहकार व्यापार एवं मसाला मेला 2022

इस वर्ष राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला दिनांक 30 अप्रेल, 2022 से 9 मई, 2022 तक जवाहर कला केन्द्र, जयपुर में आयोजित किया गया।

दीपोत्सव मेला 2022

कॉनफैड द्वारा जयपुर में नवजीवन सहकारी बाजार, मार्केटिंग अनुभाग के प्रांगण में दिनांक 15 अक्टूबर, 2022 से 24 अक्टूबर, 2022 तक आयोजित किया गया। इस वर्ष दीपोत्सव मेले में कुल ₹270 लाख की बिक्री की गई, जिसमें आतिशबाजी ₹133 लाख एमएमटीसी सिक्के ₹126 लाख का व्यवसाय किया गया है।

मिड डे मील को कॉम्बो आपूर्ति

कोविड–19 की अवधि में विद्यालय बन्द रहे, परिणामस्वरूप विधार्थियों को दोपहर का भोजन (मिड डे मील) उपलब्ध नहीं करवाया जा सका। राज्य सरकार द्वारा उक्त अवधि के लिए कुकिंग कन्वर्जन कॉस्ट में से दालें, मसाले, तेल आदि के कॉम्बो पैक प्रति विद्यार्थी को विद्यालय स्तर पर उपलब्ध करवाने का कार्य कॉनफैड द्वारा पूर्ण कर ₹1664.08 करोड की आपूर्ति की जा चुकी है।

समेकित बाल विकास योजना के अन्तर्गत पूरक पोषाहार सामग्री की आपूर्ति

कॉनफैड द्वारा व्यवसाय वृद्धि के क्रम में महिला एवं बाल विकास विभाग की समेकित बाल विकास परियोजना के अन्तर्गत राज्य के लगभग 61,843 आंगनबाड़ी केन्द्रों पर पूरक पोषाहार की आपूर्ति की जा रही है। माह नवम्बर, 2022 तक कुल ₹365.99 करोड की आपूर्ति आंगनबाड़ी केन्द्रों पर माह अप्रेल, मई, जून एवं अगस्त, 2022 के कार्यादेशों के तहत की जा चुकी है एवं शेष आपूर्ति जारी है।

लम्पी स्कीन डिजीज में दवाईयों की आपूर्ति

पशुपालन विभाग लम्पी स्कीन डिजीज के उपचार, बचाव, रोकथाम हेतु वांछित दवाईयाँ की आपूर्ति के आदेश की अनुपालना में कॉनफैड द्वारा राज्य के समस्त जिला स्तरीय औषधि भण्डारों पर उनकी मांग के अनुसार आपूर्ति की जा रही है। अब तक ₹19.00 करोड़ की औषधि आपूर्ति की जा चुकी है तथा शेष आपूर्ति प्रक्रियाधीन है।

सहकारी आवास योजना

इसके अन्तर्गत, गृह निर्माण समितियों/प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों (पैक्स) के सदस्यों को आवास निर्माण हेतु दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराना है। इस योजना में ₹20.00 लाख तक का ऋण 15 वर्ष तक की अवधि के लिए मकान बनाने/क्रय करने एवं मकान के विस्तार हेतु उपलब्ध कराया जाता है। वर्ष 1998 से मकान मरम्मत/रखरखाव हेतु बेबी ब्लेंकेट योजना प्रारम्भ की गई है। इस योजना में निर्मित भवनों की मरम्मत एवं रखरखाव हेतु ₹7.00 लाख तक का ऋण 7 वर्ष की अवधि के लिए उपलब्ध कराया जाता है। राजस्थान सहकारी आवासन संघ (आर.सी.एच.एफ.) की कुल हिस्सा पूंजी ₹252.15 लाख है। इसमें से ₹108.60 लाख हिस्सा राशि राज्य सरकार की हैं। वर्ष 2022–23 के दौरान नवम्बर, 2022 तक ₹9.00 लाख का ऋण वितरण किया जा चुका है।

महिला सहकारी समितियां

ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में सहकारिता गम्भीर प्रयास कर महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। 6,087 महिला सहकारी समितियां पंजीकृत है।

- स्वयं सहायता समूह के पदाधिकारियों को व्यवसायिक प्रशिक्षण हेतु वर्ष 2022–23 में ₹15.00 लाख का बजट आवंटित किया गया है।
- राज्य में 546 राजीविका महिला सर्वागीण विकास सहकारी समितियां पंजीकृत है। इन सहकारी समितियों

के द्वारा डिपार्टमेंटल स्टोर, कस्टम हायरिंग सेन्टर, मछली पालन, रंगाई एवं छपाई का कार्य किया जा रहा है। जिससे 8.50 लाख से अधिक महिलाएं लाभान्वित हो रही है।

भण्डारण

राज्य में सहकारी संस्थाओं/समितियों के अन्तर्गत 8,842 गोदाम निर्मित हैं। इन गोदामों का उपयोग कृषि उपज एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी.डी.एस.) तथा ग्रामीण विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत खाद्यान्न भण्डारण हेतु किया जाता है।

मुख्यमंत्री बजट घोषणा के अन्तर्गत वर्ष 2022–23 में 100 ग्राम सेवा सहकारी समितियों (जी.एस.एस.) में गोदाम निर्माण की कार्य योजना अनुमोदित की गई हैं एवं गोदामों के निर्माण हेतु ₹12.00 करोड़ प्राप्त हो चुके है।

विभाग का योजना प्रावधान

वर्ष 2022–23 के वार्षिक आयोजना के ₹2,257.54 करोड़ के प्रावधान के विरूद्ध नवम्बर, 2022 तक ₹9.82 करोड़ राज्य निधि से एवं ₹0.20 करोड़ केन्द्रीय सहायता के व्यय किए जा चुके हैं।

अध्याय 03

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज

ग्रामीण विकास

ग्रामीण विकास, अपेक्षाकृत मुख्य धारा से दूर और बिखरी आबादी वाले ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन की गुणवत्ता और आर्थिक स्थिति में सुधार की आवश्यक प्रक्रिया है। राज्य के नियोजित विकास के लिए क्रियान्वित लगभग सभी विकास गतिविधियों पर विशेष ध्यान देकर ग्रामीण क्षेत्रों व ग्रामीण आबादी को लाभान्वित किया जाता है। इस हेतु राज्य सरकार द्वारा पृथक से ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की स्थापना की गई है, जो ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से राज्य के ग्रामीण विकास हेतु विभिन्न स्तरों पर विशेष कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने का कार्य कर रहा है।

ग्रामीण विकास विभाग द्वारा राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में अनेक कार्यक्रम/योजनाएं संचालित की जा रही हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा मुख्य योजनाएं– आजीविका परियोजनाएं, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण एवं सांसद आदर्श ग्राम योजना प्रायोजित की जा रही हैं। सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा तथा सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम, गृह मंत्रालय द्वारा प्रायोजित किया जा रहा है। विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, मेवात क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम, महात्मा गांधी जन–भागीदारी विकास योजना (एम.जी.जे.वी.वाई), स्व–विवेक जिला विकास योजना, डांग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम, मगरा क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम एवं मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना (सीएम एरिया डवलमेन्ट स्कीम) आदि राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित किए जा रहे हैं।

इन योजनाओं का मूल उद्देश्य गरीबी को कम करना, ग्रामीण क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं में वृद्धि करना, मज़दूरी आधारित रोजगार व स्वरोजगार के अवसर बढ़ाना और विकास व ग्रामीण आवास में क्षेत्रीय असंतुलन को मिटाना है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में निम्नलिखित योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं:–

राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद (आर.जी.ए.वी.पी.) – राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद (राजीविका) की स्थापना राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण विकास विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में अक्टूबर, 2010 में एक स्वायत्त परिषद के रूप में की गई। यह परिषद सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत पंजीकृत है और इसे स्वयं सहायता समूह आधारित संस्थानिक अवधारणा के आधार पर समस्त ग्रामीण आजीविका कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने का कार्य सौंपा गया है।

इस सोसायटी का उद्देश्य ग्रामीण निर्धनों के लिए स्थाई वित्तीय और प्रभावी संस्थानिक आधार सृजित करना, सतत् आजीविका में वृद्धि के माध्यम से घरेलू आय में वृद्धि करना, वित्तीय व चिन्हित लोक सेवाओं तक उनकी पहुँच बढ़ाना और तेजी से बदलते बाहरी सामाजिक–आर्थिक एवं राजनैतिक परिदृश्य के अनुरूप उनकी व्यवहार क्षमता को बढ़ाना है। सभी ग्रामीण निर्धनों को सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना (एस.ई.सी.सी.) एवं सहभागिता पहचान प्रक्रिया द्वारा चिन्हित किया जाता है।

वर्तमान में भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित राजीविका द्वारा निम्नलिखित आजीविका परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं:–

- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन.आर.एल.एम.) सम्पूर्ण राज्य में क्रियान्वित किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2021–22 में कुल उपलब्ध राशि ₹412.30 करोड़ के प्रावधान के विरूद्ध ₹341.41 करोड़ व्यय किये गये हैं तथा वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान नवम्बर, 2022 तक ₹412.40 करोड़ बजट प्रावधान के विरूद्ध ₹209.34 करोड़ व्यय किये जा चुके हैं।
- राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक रूपान्तरण परियोजना (एन.आर.ई.टी.पी.) राज्य के 9 जिलों के 36 ब्लॉकों मे संचालित की

जा रही है। इस परियोजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021–22 में ₹57.34 करोड़ बजट प्रावधान के विरूद्ध ₹26.41 करोड़ व्यय किये गये हैं तथा वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान माह नवम्बर, 2022 तक ₹62.08 करोड़ बजट प्रावधान के विरूद्ध ₹26.16 करोड़ व्यय किये जा चुके हैं।

राजीविका के अन्तर्गत क्रियान्वित की जा रही मुख्य गतिविधियों में संगठन निर्माण, क्षमता संवर्द्धन, वित्तीय समावेशन, आजीविका विकास एवं कनवर्जेन्स सम्मिलित है।

मुख्य उपलब्धियां :–

- राज्य सरकार ने विभागीय उपयोग के लिये बिना किसी खरीद प्रक्रिया के ₹1.0 लाख तक के एसएचजी उत्पादों की सीधी खरीद की अनुमति दी।
- स्वयं सहायता समूहों की बिक्री को बढाने हेतु जयपुर में राजस्थली एवं अन्य जिलों मे 11 रिटेल स्टोर प्रारम्भ किये गये।
- कलेक्ट्रेट और पंचायत समितियों जैसे सरकारी परिसरों में एसएचजी उत्पादों की बिक्री के लिए कैंटीन और आउटलेट्स स्थापित करने के लिए राजीविका के तहत पदोन्नत सीबीओ को बुनियादी ढांचा प्रदान करने के लिए निर्देश जारी किए गए। 130 कैंटीन और रिटेल आउटलेट शुरू हुए।
- 12,500 स्वयं सहायता समूह की महिलाओं का सुरक्षा सखी में रजिस्ट्रेशन कराया गया।
- स्वयं सहायता समूहों के 750 उत्पादों को अमेजन पर बिक्री हेतु अपलोड किया गया।
- प्रचार सखी, ग्राम स्तर पर ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग की विभिन्न लाभकारी योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराने हेतु समूह सदस्यों का कम्युनिटी कैडर के रूप में चयन।
- महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने हेतु समूह सदस्यों की सुगमता से रोजमर्रा की आवश्यकता एवं स्वरोजगार हेतु ऋण उपलब्ध कराने की दृष्टि से राजस्थान महिला निधि क्रेड़िट को–ऑपरेटिव फेडरेशन लि. जयपुर का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा 26 अगस्त, 2022 को किया गया।
- दीपावली के अवसर पर स्वयं सहायता समूहों के उत्पादो की ब्रिकी बढ़ाने हेतु मेले का आयोजन किया गया।
- वनधन विकास योजना के अन्तर्गत 461 वनधन विकास केन्द्रों का गठन किया गया, जिनमें 1,39,329 सदस्यों को जोड़ा गया है।
- किसानों को कृषि आदान, बाजार लिंकेज एवं मूल्य संर्वद्धन गतिविधियों के द्वारा आत्म निर्भर बनाने हेतु 8 जिलों में 25 एफपीओं का गठन किया गया।
- पशुपालन एवं कृषि सम्बन्धित उत्पादों के मूल्य संवर्धन व विपणन हेतु गांव स्तर पर 2,017 उत्पादक समूहों का गठन किया गया है।
- दुग्ध उत्पादकों को बढ़ावा देने हेतु कोटा, बून्दी, बारां एवं झालावाड़ जिलें मे उजाला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड का गठन कर 17,209 परिवारों को लाभान्वित किया गया।
- कृषकों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से सोयाबीन व धनिया वैल्यूचैन विकसित करने हेतु कोटा एवं बांरा जिले में हाड़ौती महिला किसान प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड का गठन कर, 7,003 परिवारों को लाभान्वित किया गया।

राजीविका– संक्षिप्त प्रगति

इस परियोजना के अन्तर्गत नवम्बर, 2022 तक लगभग 36 लाख गरीब परिवारों को 2,87,092 स्वयं सहायता समूहों, 22,589 ग्राम संगठन (वी.ओ.) एवं 710 क्लस्टर लेवल फेडरेशन के रूप में संगठित किया गया है। 2,13,123 स्वयं सहायता समूहों को रिवॉल्विंग फण्ड द्वारा वित्तीय सहायता एवं 1,20,218 स्वयं सहायता समूहों को राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद द्वारा संवर्द्धन राशि उपलब्ध कराई गई है। राजीविका के अन्तर्गत क्रमोन्नत हुए स्वयं सहायता समूहों में से कुल 2,36,215 स्वयं सहायता समूहों के बचत खाते बैंक में खुलवाए गए हैं एवं बैंकों के माध्यम से राशि ₹3,903 करोड़ का ऋण उपलब्ध कराया गया है।

परियोजना क्रियान्वयन दृष्टिकोण

- केवल स्वयं सहायता समूहों पर ही केन्द्रित नहीं बल्कि उच्च स्तरीय सहयोग संरचना को भी विकसित करना।

- एक से अधिक बार वित्त उपलब्ध करवाना।
- बचत एवं साख (ऋण) मॉडल।
- आजीविका के स्रोतों का विविधीकरण।
- सामाजिक एवं आजीविका सुरक्षा।
- समुदाय से समुदाय को सीख (सी.आर.पी. मॉडल)।
- कौशल विकास एवं रोजगार।
- वैब बेस एम.आई.एस. प्रणाली, लेखा एवं वितरण सम्बन्धी प्रक्रिया की टेली सॉफ्टवेयर द्वारा प्रभावी मोनिटरिंग।

विभिन्न परियोजनाओं के अन्तर्गत वर्ष 2022–23 में नवम्बर, 2022 तक की उपलब्धियों की सूचना तालिका–3.1 में दर्शाई गई है।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना (एम.जी.एन.आर.ई.जी.एस.)

यह योजना ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराने एवं समावेशी विकास को बढ़ाने के उद्देश्य से सम्पूर्ण राज्य में संचालित है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका सुरक्षा में वृद्धि के लिए, ऐसे प्रत्येक परिवार को एक वित्तीय वर्ष के दौरान 100 दिन का सुनिश्चित रोजगार उपलब्ध कराना है, जिसके व्यस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने को तैयार है। योजना की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैः–

- ग्राम पंचायत के सभी स्थानीय निवासी इस योजना के अन्तर्गत पंजीकरण हेतु योग्य हैं।
- परिवार के सभी व्यस्क सदस्यों को पंजीकरण के 15 दिवस में फोटोयुक्त जॉबकार्ड निःशुल्क जारी किए जाते हैं।
- रोजगार हेतु आवेदन की प्राप्ति रसीद दिनांक सहित दी जाएगी।
- आवेदन की दिनांक से 15 दिवस में रोजगार उपलब्ध करवाने की गारण्टी है।
- आवेदन के 15 दिवस की अवधि में रोजगार उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा बेरोजगारी भत्ते का भुगतान किया जाता है।
- गांव से 5 किमी. की परिधि में ही कार्य उपलब्ध करवाया जाता है। 5 किमी. से अधिक दूरी होने पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त मज़दूरी देय होती है।
- किए गए कार्य के आधार पर मज़दूरी का भुगतान किया जाता है।

तालिका 3.1 वर्ष 2022–23 के दौरान विभिन्न परियोजनाओं के अन्तर्गत अर्जित उपलब्धियां

क्रम संख्या	गतिविधि	लक्ष्य (2022–2023)	प्रगति (अप्रैल, 2022 से नवम्बर, 2022)	कुल प्रगति
1	स्वयं सहायता समूह गठन	50000	30075	287092
2	स्वयं सहायता समूह के अंतर्गत कवर किए गए परिवारों की संख्या	1120723	713590	3617855
3	क्रमोन्नत ग्राम संगठनों की संख्या	4900	2871	22589
4	क्रमोन्नत क्लस्टर लेवल फेडरेशन की संख्या	250	149	710
5	रिवॉल्विंग फंड प्राप्त स्वयं सहायता समूह की संख्या (₹15000/SHG)	64399	22203	213123
6	आजीविका संवर्धन राशि प्राप्त स्वयं सहायता समूह की संख्या (Livelihood Fund ₹75000/SHG)	26000	11056	120218
7	बैक ऋण प्राप्त स्वयं सहायता समूह की संख्या	91000	54661	336388
8	एनआरएलएम व्यय (₹करोड मे)	412.40	209.34	1312.52

*नवम्बर, 2022 तक

- कार्यस्थल पर पीने के पानी, छाया, प्राथमिक चिकित्सा सुविधा एवं शिशु पालना गृह की व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।
- ग्राम सभा, कार्यों के चयन एवं वार्षिक कार्य योजना तैयार किए जाने हेतु मुख्य रूप से अधिकृत है।
- किसी भी ठेकेदार एवं श्रम विस्थापित मशीनों से कार्य की अनुमति नहीं है।
- ग्राम सभा द्वारा सामाजिक अंकेक्षण।
- सभी प्रकार की मज़दूरी का भुगतान केवल बैंक/डाकघरों के माध्यम से।
- ग्राम सभा को योजना की प्रगति एवं कार्य की गुणवत्ता के पर्यवेक्षण हेतु सशक्त किया गया है।
- प्रभावी जन अभाव अभियोग निराकरण प्रणाली।

वर्ष 2021–22 के दौरान माह मार्च, 2022 तक ₹10,462.60 करोड़ व्यय कर 4,243.15 लाख मानव रोजगार दिवसों का सृजन कर 70.81 लाख परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराया गया। 9.91 लाख परिवारों को पूर्ण 100 दिवसों का रोजगार प्रदान किया गया है। वर्ष 2022–23 के दौरान माह नवम्बर, 2022 तक ₹6,250.77 करोड़ व्यय कर 2,079.11 लाख मानव रोजगार दिवसों का सृजन कर 51.41 लाख परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराया गया। 1.01 लाख परिवारों को पूर्ण 100 दिवसों का रोजगार प्रदान किया गया है। वर्ष 2022–23 के दौरान माह नवम्बर, 2022 तक कुल 9.42 लाख कार्यो में से 2.70 लाख कार्य पूर्ण तथा 6.71 लाख कार्य प्रगतिरत है।

माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा बजट भाषण 2022–23 में महात्मा गांधी नरेगा योजनान्र्तगत 100 दिवस का रोजगार पूर्ण करने पर अतिरिक्त 25 दिवस का रोजगार राज्य मद से दिये जाने की घोषणा की गयी है। इसी प्रकार बारां जिले में निवासरत ''सहरिया एवं खैरूआ'' तथा उदयपुर जिले में निवासरत ''कथौडी'' जनजाति परिवारों तथा राज्य के विशेष योग्यजन श्रमिकों को 100 दिवस का अतिरिक्त रोजगार प्रदान करने हेतु बजट घोषणा की गई है। उक्त दोनों बजट घोषणाओं की पालना में राज्य मद से संचालित नवीन प्रस्तावित योजना को मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, राजस्थान के नाम से जाना जाएगा। मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गांरटी योजनान्तर्गत 27,103 परिवारो को जॉबकार्डस जारी किये जा चुके है, जिसमें सहरिया, खैरूआ एवं कथौडी परिवारों को 71 तथा विशेष योग्यजन श्रमिक परिवारों को 770 जॉबकार्डस जारी किये गये है। 4 जनवरी, 2023 तक 1,700 कार्यों पर कुल 13,107 श्रमिक नियोजित है।

मिशन अमृत सरोवर

मिशन अमृत सरोवर का उद्देश्य देश के प्रत्येक जिले में कम से कम 75 अमृत सरोवर (तालाबों) का निर्माण/विकास करना है, जिसके लिए राज्य का लक्ष्य 2,475 है। प्रत्येक अमृत सरोवर में लगभग 10,000 क्यूबीक मीटर की जल धारण क्षमता के साथ न्यूनतम एक एकड (0.4 हैक्टर) का तालाब क्षेत्र होगा। 22 दिसम्बर, 2022 तक सभी जिलों में अमृत सरोवर पोर्टल पर 5,199 कार्यों की पहचान की गई है, जिनमें से 3,329 कार्य (2,475 के लक्ष्य का 135 प्रतिशत) शुरू कर दिए गए है तथा 1,000 कार्य (2,475 के लक्ष्य का 40 प्रतिशत) पूर्ण किये गये है।

प्रधानमंत्री आवास योजना– ग्रामीण

प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण (पी.एम.ए.वाई.–जी.) योजना का शुभारम्भ भारत सरकार द्वारा 20 नवम्बर, 2016 को किया गया था। योजनान्तर्गत लाभार्थी के चयन का आधार सामाजिक, आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना–2011(एसईसीसी–2011) के समंको के आधार पर किया जाता है। सरकार द्वारा इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक लाभार्थी को सहायता राशि ₹1,20,000 देय है। प्रत्येक लाभार्थी को स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण हेतु अतिरिक्त राशि ₹12,000 देय है। मनरेगा योजना के अन्तर्गत लाभार्थी को दैनिक मज़दूरी (90 मानव दिवस तक) भी देय है। व्यय राशि केन्द्र व राज्य के मध्य 60:40 अनुपात में वहन की जाती है। वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान माह दिसम्बर, 2022 तक ₹2,49,732.03 लाख व्यय कर 2,38,379 नये आवासों का निर्माण किया गया।

विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एम.एल.ए.एल.ए.डी.)

इस योजना का उद्देश्य स्थानीय आवश्यकतानुसार आधारभूत संरचना का विकास, जनोपयोगी परिसम्पत्तियों का निर्माण और विकास के क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करना है। यह योजना राज्य के नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में क्रियान्वित की जा रही है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष में प्रति विधानसभा क्षेत्र के लिए ₹5 करोड़ का आवंटन निर्धारित किया गया है। कुल वार्षिक आवंटित राशि में से कम से कम 20 प्रतिशत राशि अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों के विकास पर अनुशंसित करना अनिवार्य है। माननीय विधायक द्वारा सार्वजनिक उपयोगिताओं के निर्माण एवं मरम्मत कार्यों के लिए वार्षिक आंवटन के 20 प्रतिशत तक की सिफारिश की जाती है।

पेयजल से सम्बन्धित कार्य, सम्पर्क सड़कें, आबादी क्षेत्र में जल निकासी प्रणाली, शहरी क्षेत्र में सीवरेज का कार्य, राजकीय शिक्षण संस्थाओं के भवन निर्माण, पानी के टेंकों की सफाई, पारम्परिक जल स्रोतों का विकास कार्य, पर्यटन स्थलों पर आधारभूत विकास, पशुओं के लिए पेयजल की सुविधा, पशुओं के स्वास्थ्य के लिए चिकित्सालय/औषधालयों के भवन निर्माण, राजकीय चिकित्सालयों के लिए चिकित्सा उपकरण, चिकित्सालय/औषधालय भवन निर्माण, बस स्टैण्ड, सामुदायिक केन्द्र, खेल मैदान, विद्युतीकरण, शैक्षणिक संस्थाओं में कम्प्यूटर्स एवं अदालत के भवन आदि कार्य इस योजना के अन्तर्गत रखे गए हैं।

वित्तीय वर्ष 2021–22 में कुल उपलब्ध राशि ₹2,014.63 करोड़ के विरूद्ध ₹435.64 करोड़ व्यय कर 9,930 कार्य पूर्ण किए गए हैं। योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022–23 में बजट प्रावधान राशि ₹1,000 करोड़ है। योजना में माह नवम्बर, 2022 तक उपलब्ध राशि ₹1,972.65 करोड़ के विरूद्ध ₹248.33 करोड़ व्यय कर 5,363 कार्य पूर्ण किए गए हैं।

सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एम.पी.एल.ए.डी.)

राजस्थान राज्य से 25 लोकसभा एवं 10 राज्यसभा सदस्य हैं। इस योजनान्तर्गत प्रत्येक लोकसभा सांसद अपने संसदीय क्षेत्र के लिए प्रतिवर्ष ₹5 करोड़ तक की राशि के कार्यों हेतु जिला कलेक्टर को अनुशंसा कर सकता है। सम्पूर्ण राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले राज्य सभा के निर्वाचित सांसद राज्य के किसी भी जिले में कार्यों की अनुशंसा कर सकते हैं। "गम्भीर प्राकृतिक आपदा" की स्थिति में सांसद अपने संसदीय क्षेत्र/राज्य के बाहर भी देश में पुनर्वास हेतु निर्धारित दिशा–निर्देश के अनुसार प्रत्येक आपदा के लिए अधिकतम ₹1.00 करोड़ तक की स्थाई सम्पत्ति का निर्माण करवा सकते हैं।

इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र के विकास के लिए सामाजिक एवं आधारभूत सुविधाओं तथा जनोपयोगी परिसम्पत्तियों का सृजन करना है, जो कि क्षेत्रीय विकास हेतु महत्वपूर्ण है। योजना में जन समूह द्वारा दीर्घ अवधि तक उपयोग में ली जाने वाली स्थायी/जनोपयोगी परिसम्पत्तियों के निर्माण पर विशेष ध्यान रखा जाता है। सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत सृजित परिसम्पत्तियों का स्वामित्व सरकार में निहित होता है।

कार्य हेतु चयनित क्षेत्र में परिवर्तन सांसद की सहमति के बिना नहीं किया जा सकता है। जहाँ तक सम्भव हो, सम्बन्धित सांसद से प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार कार्यों की सभी स्वीकृतियां प्रस्ताव प्राप्ति के 75 दिवस में प्रदान की जाती है।

इस योजनान्तर्गत वर्ष 2011–12 से प्रति सांसद प्रति वर्ष आवंटन ₹2.00 करोड़ से बढ़ाकर ₹5.00 करोड़ किया गया है। वित्तीय वर्ष 2021–22 में कुल उपलब्ध राशि ₹555.18 करोड़ के विरूद्ध ₹129.33 करोड़ व्यय कर 2,385 कार्य पूर्ण किए गए हैं। योजनान्तर्गत माह नवम्बर, 2022 तक उपलब्ध राशि ₹294.99 करोड़ के विरूद्ध ₹28.80 करोड़ व्यय कर 798 कार्य पूर्ण किए गए हैं।

मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम

मेव समुदाय मुख्यतः अलवर व भरतपुर जिले के 14 खण्डों में बहुलता से निवास करते हैं। इस मेव बाहुल्य वाले क्षेत्र को मेवात क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र के सम्पूर्ण विकास के लिए राजस्थान सरकार द्वारा वर्ष 1986–87 से मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य मेवात क्षेत्र के लोगों के लिए आवश्यक आधारभूत सुविधाओं तथा अतिरिक्त रोजगार के अवसरों का सृजन कर क्षेत्र के आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना तथा मेवात क्षेत्र में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार लाना है।

इस योजनान्तर्गत वर्ष 2022–23 के दौरान ₹25.00 करोड़ का प्रावधान किया गया है। वित्तीय वर्ष 2021–22 में कुल उपलब्ध राशि ₹43.68 करोड़ के विरूद्ध ₹13.63 करोड़ व्यय कर 356 कार्य पूर्ण किए गए हैं। माह नवम्बर, 2022 तक उपलब्ध राशि ₹32.86 करोड़ के विरूद्ध ₹1.72 करोड़ व्यय कर 37 कार्य पूर्ण किए गए हैं।

सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बी.ए.डी.पी.)

सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बी.ए.डी.पी.) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान एक केन्द्रीय प्रवर्तित कार्यक्रम के रूप में लागू किया गया। सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम आधारभूत ढांचे के विकास और सीमावर्ती आबादी के मध्य सुरक्षा की भावना को बढावा देने के माध्यम से सीमावर्ती क्षेत्रों में संतुलित विकास को सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया था। यह कार्यक्रम राज्य के चार सीमावर्ती जिलों– बाड़मेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर तथा जैसलमेर के 16 खण्डों में क्रियान्वित किया जा रहा है।

वित्तीय वर्ष 2021–22 में कुल उपलब्ध राशि ₹182.85 करोड़ के विरूद्ध ₹69.13 करोड़ व्यय कर 494 कार्य पूर्ण किए गए हैं। योजनान्तर्गत वर्ष 2022–23 में योजना की प्रावधान राशि ₹69.22 करोड़ रखी गयी हैं। योजना में माह नवम्बर, 2022 तक उपलब्ध राशि ₹126.36 करोड़ के विरूद्ध ₹54.19 करोड़

व्यय कर 297 कार्य पूर्ण किए गए हैं।

उल्लेखनीय है कि सीमा प्रबंधन विभाग, गृह मंत्रालय– भारत सरकार के पत्र 6 अप्रेल, 2022 के अनुसार योजना में नवीन स्वीकृतियों पर रोक लगाते हुये निर्देशित किया गया था कि सीमान्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम वर्तमान स्वरूप में माह सितम्बर, 2022 तक ही क्रियाशील रहेगी। योजना के नवीन स्वरूप के निर्धारण की कार्यवाही सीमा प्रबंधन विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के स्तर पर प्रक्रियाधीन है।

महात्मा गांधी जन–भागीदारी विकास योजना (एम.जी. जे.वी.वाई.)

माह फरवरी, 2020 में गुरू गोलवलकर जन–भागीदारी विकास योजना का नाम महात्मा गांधी जन–भागीदारी विकास योजना किया गया है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में विकास, रोजगार सृजन तथा सामुदायिक सम्पत्तियों के निर्माण एवं रख रखाव के लिए जन–भागीदारी सुनिश्चित करना है। यह योजना राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित है, जो केवल राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में लागू की गई है। इस योजना के अन्तर्गत शमशान/कब्रिस्तान की चारदीवारी के निर्माण के लिए 90 प्रतिशत राशि तथा अन्य सामुदायिक परिसम्पत्तियों के निर्माण हेतु 70 प्रतिशत (टी.एस.पी. क्षेत्र की स्थिति में 80 प्रतिशत) राशि राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है एवं शेष राशि का संकलन जनता से किया जाता है।

इस योजनान्तर्गत वर्ष 2022–23 के दौरान ₹25.00 करोड़ का प्रावधान किया गया है। वित्तीय वर्ष 2021–22 में कुल उपलब्ध राशि ₹75.03 करोड़ के विरूद्ध ₹29.65 करोड़ व्यय कर 253 कार्य पूर्ण किए गए हैं। वर्ष 2022–23 के दौरान माह नवम्बर, 2022 तक उपलब्ध राशि ₹48.01 करोड़ के विरूद्ध ₹5.93 करोड़ व्यय कर 60 कार्य पूर्ण किए गए हैं।

डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम

बीहड़ क्षेत्र तथा संकुचित घाटी युक्त दस्यु ग्रस्त क्षेत्र को 'डांग क्षेत्र' के नाम से जाना जाता है। ये पिछड़े हुए क्षेत्र हैं और इनमें विकास को गति प्रदान करने हेतु आधारभूत सुविधाओं को बढ़ाने के लिए निवेश की आवश्यकता है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम वर्ष 2005–06 में राज्य सरकार द्वारा पुनः प्रारम्भ किया गया। यह कार्यक्रम 8 जिलों (सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, बारां, झालावाड़, भरतपुर, कोटा एवं बून्दी) की 26 पंचायत समितियों में लागू है।

इस योजनान्तर्गत वर्ष 2022–23 के दौरान ₹25.00 करोड़ का प्रावधान किया गया है। वित्तीय वर्ष 2021–22 में कुल उपलब्ध राशि ₹34.50 करोड़ के विरूद्ध ₹5.45 करोड़ व्यय कर 181 कार्य पूर्ण किए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान (माह नवम्बर, 2022 तक) उपलब्ध राशि ₹24.94 करोड़ के विरूद्ध ₹2.49 करोड़ व्यय कर 49 कार्य पूर्ण किए गए हैं।

मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम

राजस्थान का दक्षिणी–मध्य भाग, जो कि पहाड़ी क्षेत्र से घिरा हुआ है, विशेषतः अजमेर, भीलवाड़ा, पाली, चित्तौड़गढ़, एवं राजसमन्द, जो जनजाति क्षेत्रीय विकास के अन्तर्गत नहीं आता है, मगरा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र में विकास के स्रोत यथा– भूमि, पानी एवं पशुधन कम होने के साथ–साथ यहाँ के निवासियों का भारी मौसमी पलायन होता है। यहाँ के निवासियों के आर्थिक एवं सामाजिक स्तर में सुधार हेतु मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम वर्ष 2005–06 में शुरु किया गया था। वर्तमान में यह कार्यक्रम 5 जिलों के 16 खण्डों में क्रियान्वित है। इस क्षेत्र के विकास के लिए जलग्रहण विकास, लघु सिंचाई, पशुपालन, पीने का पानी, विद्युतीकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सड़क निर्माण की गतिविधियों को सम्मिलित किया गया है।

इस योजनान्तर्गत वर्ष 2022–23 के दौरान ₹25.00 करोड़ का प्रावधान किया गया है। वित्तीय वर्ष 2021–22 में कुल उपलब्ध राशि ₹38.91 करोड़ के विरूद्ध ₹12.43 करोड़ व्यय कर 173 कार्य पूर्ण किए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान (माह नवम्बर, 2022 तक) उपलब्ध राशि ₹35.15 करोड़ के विरूद्ध ₹4.08 करोड़ व्यय कर 96 कार्य पूर्ण किए गए हैं।

स्व–विवेक जिला विकास

स्थानीय समुदाय की आवश्यकताओं के अनुसार कार्यों को पूर्ण करने के लिए न्यूनतम आवश्यकताओं एवं विद्यमान स्थितियों को ध्यान में रखकर यह योजना वर्ष 2005–06 में प्रारम्भ की गई। क्षेत्र के विकास के लिए जलग्रहण विकास, लघु सिंचाई, पशुपालन, पीने का पानी, विद्युतीकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सड़क निर्माण की गतिविधियों को सम्मिलित किया गया है। योजनान्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में कराए जाने वाले कार्यों के लिए जिला कलेक्टर अधिकृत है।

इस योजनान्तर्गत वर्ष 2022–23 के दौरान ₹15.00 लाख का प्रावधान किया गया है। वित्तीय वर्ष 2021–22 में कुल उपलब्ध राशि ₹5.40 करोड़ के विरूद्ध ₹0.47 करोड़ व्यय कर 14 कार्य पूर्ण किए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान (माह नवम्बर, 2022 तक) उपलब्ध राशि ₹5.09 करोड़ के विरूद्ध ₹0.20 करोड़ व्यय कर 13 कार्य पूर्ण किए गए हैं।

मुख्यमंत्री जिला नवाचार निधि योजना

राज्य के प्रत्येक जिले में जिला कलक्टर द्वारा क्षेत्र की स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप नवाचारों को समावेश करते हुए विकास में समरूपता प्राप्त करने एवं निवेश के विकेन्द्रीकरण की दृष्टि से मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा वर्ष 2019–20 के क्रम में ''मुख्यमंत्री जिला नवाचार निधि'' योजना का शुभारम्भ किया गया है। इस योजनान्तर्गत वर्ष 2022–23 के दौरान ₹8.25 करोड़ का प्रावधान किया गया है। वित्तीय वर्ष 2021–22 में कुल उपलब्ध राशि ₹24.81 करोड़ के विरूद्ध ₹0.92 करोड़ व्यय कर 36 कार्य पूर्ण किए गए हैं। माह नवम्बर, 2022 तक उपलब्ध राशि ₹33.42 करोड़ के विरूद्ध ₹4.39 करोड़ व्यय कर 126 कार्य पूर्ण किए गए हैं।

मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना

माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार की बजट घोषणा 2022–23 के अनुसरण में वर्ष 2022–23 में यह योजना प्रारंभ की गयी है। योजनान्तर्गत प्रदेश के दुर्गम, दूरस्थ एवं पिछड़े सहित राज्य के संपूर्ण क्षेत्र में व्यवस्थित आधारभूत सरंचना एवं ग्रामीण विकास के लिए प्रदेश की भौगोलिक–आर्थिक–सामाजिक स्तर पर क्षेत्रीय भिन्नताओं, आवश्यकताओं तथा संभावनाओं को ध्यान में रखते हुये समग्र विकास करना है। योजना में कुल बजट प्रावधान ₹100.00 करोड़ है।

बायो–फ्यूल प्राधिकरण

बायो–फ्यूल, ऊर्जा के वैकल्पिक स्त्रोत के रूप में ऊभर कर आया है। राज्य की ऊर्जा सुरक्षा के लिये जैव ईधन की क्षमता का दोहन किया जा सकता है। राजस्थान की बंजर भूमि में रतनजोत व अन्य समकक्ष तेलीय पौधों की खेती से जैविक ईंधन के उत्पादन की प्रबल संभावनाओं को देखते हुए वर्ष 2007 में राज्य सरकार द्वारा राज्य में बायोयूल नीति घोषित कर अलग से बायोयूल प्राधिकरण का गठन किया गया है। राज्य के 12 जिले (बारां, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, बून्दी, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, झालावाड़, कोटा, राजसमन्द, सिरोही, उदयपुर एवं प्रतापगढ़) रतनजोत एवं अन्य समकक्ष तेलीय पौधों के उत्पादन के लिए उपयुक्त पाए गए हैं। इसके अतिरिक्त राज्य के 8 पूर्वी जिले (अलवर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, जयपुर, करौली, सवाई माधोपुर एवं टोंक) करंज के पौधारोपण हेतु उपयुक्त पाए गए हैं।

मुख्य गतिविधियां

1. राज्य में गुणवत्तापूर्ण बायोडीजल की खुदरा बिक्री सुनिश्चित किये जाने के प्रयोजन से बायोडीजल (बी–100) विनिर्माता, आपूर्तिकर्ता एवं खुदरा विक्रेताओं का पंजीकरण।
2. राष्ट्रीय बायो एनर्जी कार्यक्रम 2021 एवं राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 के अर्न्तगत ''बायोगैस कार्यक्रम'' एवं अन्य वैकल्पिक ईंधनों का प्रसार।
3. बंजर भूमि एवं चारागाह विकास बोर्ड के निर्धारित कार्यो एवं उत्तरदायित्व हेतु संबंधित विभागो से समन्वय।
4. ग्रामीण एवं आदिवासी बहुल क्षेत्रो में आय के वैकल्पिक अवसर सृजित करने हेतु अखाद्य तैलीय पौधो (रतन जोत, करंज, महुआ एवं नीम) का महात्मा गाँधी नरेगा एवं अन्य विभागो के अभिसरण से पौधारोपण एवं क्षमतावर्धन एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन।

बायो–फ्यूल प्राधिकरण की उपलब्धियाँ (नवम्बर, 2022 तक)

- पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना 30 अप्रेल, 2019 की अनुपालना में राज्य में बायोडीजल (बी–100) की खुली बिक्री विनियमित करने के प्रयोजन से राजस्थान जैव ईधन नियम 2019 का निरूपण एवं इन नियमों के अन्तर्गत बायोडीजल विनिर्माताओं, आपूर्तिकर्त्ताओं एवं खुदरा विक्रेताओं के पंजीकरण की प्रक्रिया का निर्धारण।
- राजस्थान राज्य में परिवहन प्रयोजन के लिये हाई स्पीड डीजल में बायोडीजल (बी–100) के सम्मिश्रण हेतु राजस्थान जैव ईधन नियम–2019 लागू एवं पंजीकरण प्रक्रिया क्रियान्वित करने वाला देश में प्रथम राज्य बना।
- 12 बायोडीजल (बी–100) विनिर्माताओं के पंजीकरण के द्वारा राज्य में परिवहन प्रयोजन के लिये हाई स्पीड डीजल में बायोडीजल के सम्मिश्रण हेतु 4.20 लाख लीटर प्रतिदिन बायोडीजल (बी–100) की उपलब्धता सुनिश्चित की गयी है।
- राजस्थान जैव ईंधन नियम–2019 के अन्तर्गत 102 बायोडीजल (बी–100) मोबाईल रिटेल आउटलेट का पंजीकरण।
- बायोडीजल उत्पादकों/विक्रेताओं के पंजीयन प्रक्रिया को सरल, सुलभ एवं निश्चित समय अवधि में पूर्ण करने हेतु ऑनलाईन पंजीयन प्रणाली प्रारम्भ किया जाना प्रक्रियाधीन है।
- जैव ऊर्जा के दोहन, उत्पादन एवं उपयोग को बढावा देने

के उद्देश्य से राज्य का बायो एनर्जी रोडमैप तैयार किया जाना प्रस्तावित है।

- भारत सरकार के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की एक केन्द्रीय क्षेत्र की योजना, राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम के ''बायोगैस कार्यक्रम'' के तहत चालू वित्त वर्ष में लगभग 400 परिवारों के बायोगैस संयंत्रों का निर्माण प्रस्तावित है।
- नेशनल बायोएनेरी प्रोग्राम के तहत वेस्ट ऑफ एनर्जी एण्ड बायोमास प्रोग्राम, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार की एक केन्द्रीय क्षेत्र की योजना को लागू करने का प्रस्ताव है।

राजस्थान बंजर भूमि एवं चारागाह विकास बोर्ड

राजस्थान बंजर भूमि विकास बोर्ड को राज्य की बंजर भूमि और चारागाहों को विकसित करने के उद्देश्यों के साथ 22 दिसम्बर, 2016 को ''बंजर भूमि एवं चारागाह विकास बोर्ड'' के रूप में पुनर्गठित किया गया है। उक्त पुर्नगठित बंजर भूमि एवं चारागाह विकास बोर्ड का पुर्नगठन 11 फरवरी, 2022 को किया गया। राज्य के चिन्हित आठ जिलों–कोटा, बांरा, बून्दी, झालावाड, जैसलमेर, बाडमेर, जोधपुर एवं बीकानेर में आई.टी. सी. एवं एफ.ई.एस. के समन्वय से इन जिलों में गठित त्रि–स्तरीय बंजर भूमि एवं चारागाह विकास समितियों के सदस्यों एवं संबंधित भागीदारों की क्षमता अभिवर्द्धन एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों का निर्धारण किया जा रहा है।

सांसद आदर्श ग्राम योजना (एस.ए.जी.वाई.)

सांसद आदर्श ग्राम योजना का मुख्य उद्देश्य चयनित ग्राम पंचायतों के समग्र विकास में तेजी लाना है तथा अन्य उद्देश्यों में सभी वर्गों के निवासियों के जीवन स्तर और जीवन गुणवत्ता में पर्याप्त रूप में सुधार करना सम्मिलित है एवं गाँव और उसकी जनता के मन में कुछ स्पष्ट नैतिक भावनाएं उत्पन्न करना है ताकि वह अन्य ग्रामों के लिए आदर्श बन सके। इन ग्राम पंचायतों का चयन माननीय सांसदो द्वारा किया जाता है। सांसद आदर्श ग्राम योजना की चरणवार प्रगति तालिका 3.2 में दी गई है।

श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन (एस.पी.एम.आर.एम.)

श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन (एस.पी.एम.आर.एम.), हमारे ग्रामीण क्षेत्रों को सामाजिक, आर्थिक एवं भौतिक रूप से स्थायी क्षेत्र बनाने का प्रयास है। इस मिशन का उद्देश्य आर्थिक, सामाजिक और बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराकर ग्रामीण क्षेत्रों में सुधार करते हुए देश का स्थायी एवं संतुलित क्षेत्रीय विकास करना है।

राष्ट्रीय रूर्बन मिशन (एन.आर.यू.एम) का उद्देश्य अगले तीन वर्षो में देश भर में 300 ग्रामीण विकास क्लस्टरों का निर्माण करना है। राज्य में प्रथम चरण 2015–16 में भरतपुर, नागौर, बाड़मेर, जोधपुर और उदयपुर जिलों में पाँच क्लस्टरों का चयन किया गया है। द्वितीय चरण 2016–17 के लिए राज्य में अलवर, बीकानेर, जालोर, प्रतापगढ, बांसवाड़ा और जयपुर जिलों में छः क्लस्टरों का चयन किया गया है। तृतीय चरण

तालिका 3.2 सांसद आदर्श ग्राम योजना (एस.ए.जी.वाई.) की चरणवार प्रगति

फेज	चयनित ग्राम पंचायतों की संख्या	बेसलाईन सर्वे एवं वीडीपी पूर्ण कार्य	वी.डी.पी. में सम्मिलित कुल कार्य	कुल पूर्ण कार्य	प्रगतिरत कार्य
I	34	34	1443	1339	50
II	31	31	2039	1876	75
III	17	17	637	552	18
IV	30	30	1230	349	135
V	19	18	720	185	123
VI	14	14	718	75	53
VII	21	10	592	44	27
VIII	11	9	301	19	22

2017–18 के लिए राज्य में बांसवाडा, डूंगरपुर, प्रतापगढ और हनुमानगढ जिलों में चार क्लस्टरों का चयन किया गया है। वर्ष 2020–21 में जनजातिय क्षेत्र में एक अतिरिक्त क्लस्टर बड़ोदिया जिला बांसवाड़ा का चयन किया गया है।

योजनान्तर्गत वर्ष 2021–22 में उपलब्ध कुल राशि ₹83.25 करोड़ में से राशि ₹35.14 करोड़ का व्यय कर 394 कार्य पूर्ण कराये गये। वर्ष 2022–23 में माह दिसम्बर, 2022 तक उपलब्ध राशि ₹48.11 के विरूद्ध राशि ₹30.75 करोड़ का व्यय कर 264 कार्य पूर्ण कराये गये। इस प्रकार योजनान्तर्गत माह दिसम्बर, 2022 तक उपलब्ध राशि ₹196.97 करोड़ के विरूद्ध राशि ₹179.28 करोड़ व्यय कर 1,454 कार्य पूर्ण कराये जा चुके हैं।

पंचायती राज

राजस्थान, देश में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था को लागू करने में अग्रणी राज्य रहा है, जहाँ पंचायती राज व्यवस्था को नागौर जिले से 2 अक्टूबर, 1959 को देश के प्रथम प्रधान मंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू द्वारा आरम्भ किया गया था। 24 अप्रैल, 1993 को भारतीय पंचायती राज इतिहास में ऐतिहासिक दिन रहा है, जब पंचायती राज संस्थाओं को प्रशासन के तृतीय स्तर के रूप में संवैधानिक दर्जा प्रदान कर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धान्तों को पूर्ण करने के उद्देश्य से ग्राम पंचायतों को स्वायत्त इकाई के रूप में स्थापित करने हेतु पर्याप्त शक्तियां एवं अधिकार प्रदान किए गए। संविधान के अनुच्छेद–243(जी) में पंचायतों की शक्तियाँ, अधिकार और जिम्मेदारियों के महत्वपूर्ण मुद्दे समाहित हैं। संवैधानिक संशोधनों के अनुक्रम में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1953 को 1994 में संशोधित किया गया तथा पंचायती राज नियम, 1996 में लागू किए गए।

पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था:

ग्राम पंचायत– ग्राम पंचायत, प्रथम स्तर पर निर्वाचित निकाय है और लोकतंत्र की बुनियादी इकाई है, जो विशिष्ट उत्तरदायित्वों के साथ स्थानीय सरकार है। ग्राम पंचायत की भाँति ग्राम सभा, ग्राम के सम्पूर्ण नागरिकों की सामान्य सभा है।

पंचायत समिति– पंचायत समिति, एक स्थानीय निकाय है। यह ग्राम पंचायत एवं जिला परिषद के बीच की कड़ी है।

जिला परिषद– जिला परिषद, ग्रामीण आबादी के लिए आवश्यक सेवाएं एवं सुविधाएं प्रदान करने के लिए जिला स्तर पर एक स्थानीय निकाय है।

पंचायती राज विभाग/संस्थाओं के मूल कार्य हैं:–

- पंचायती राज संस्थाओं में 73वें संवैधानिक संशोधन की मूल भावना के अनुसार विकेन्द्रीकरण की व्यवस्था को सुनिश्चित करना।
- पेसा (पी.ई.एस.ए.) अनुसूचित क्षेत्रों में नियमों का प्रभावी क्रियान्वयन।
- पंचायती राज संस्थानों में कार्मिकों की भर्ती सहित सभी प्रशासनिक/संस्थापन कार्य।
- पंचायती राज संस्थाओं में संगठन क्षमता का निर्माण, निर्वाचित प्रतिनिधियों की व्यावसायिक क्षमता, विशेषतः निर्वाचित महिला जन–प्रतिनिधियों एवं कार्मिकों की क्षमता का संवर्द्धन करना ताकि वे अपनी भूमिकाओं का प्रभावी रूप से निर्वहन कर सकें।
- उपलब्ध विभिन्न संसाधनों और अनेक योजनाओं के समन्वयन में बेहतर परिणामों की प्राप्ति के लिए पंचायती राज संस्थाओं और जिला आयोजना समिति के माध्यम से एकीकृत विकेन्द्रीकृत सहभागितापूर्ण आयोजना निर्माण की व्यवस्था स्थापित करना।
- सामाजिक अंकेक्षण के लिए ग्राम सभाओं को मजबूत बनाना ताकि पंचायती राज संस्थाओं की पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके।
- पंचायती राज संस्थाओं द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीबों के जीवन से सीधी जुड़ी विभिन्न योजनाओं यथा– पन्द्रहवां वित्त आयोग, षष्टम राज्य वित्त आयोग, स्वच्छ भारत अभियान (ग्रामीण) एवं राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान सहित राज्य एवं केन्द्र द्वारा संचालित विभिन्न फ्लेगशिप कार्यक्रमों की निगरानी एवं प्रभावी क्रियान्वयन द्वारा समावेशी विकास सुनिश्चित करना।
- पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से क्षेत्रीय पिछड़ेपन को कम करना।
- ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन के लिए समयबद्ध तरीके से क्रियात्मक व्यवस्था के साथ सभी को स्वच्छता और स्वच्छ पर्यावरण सुविधा उपलब्ध कराना।
- सभी घरों, सरकारी स्कूलों एवं आँगनबाड़ी केन्द्रों में कार्यशील शौचालय एवं मूत्रालय की समुचित व्यवस्था कर सभी परिवारों के उपयोग हेतु योग्य बनाना।
- पंचायतों को ई–एनेबलमेंट के माध्यम से अपने कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही हेतु सहयोग प्रदान करना।

केन्द्र एवं राज्य द्वारा संचालित विभिन्न फ्लैगशिप एवं विकास कार्यक्रम, जो कि सीधे ही ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन से जुड़े हैं और समावेशी विकास को बढ़ाते हैं, उनका क्रियान्वयन राज्य स्तर पर ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा किया जाता है। वर्तमान में 33 जिला परिषद, 355 पंचायत समितियां और 11,266 ग्राम पंचायतें राज्य में अस्तित्व में हैं।

पंचायती राज संस्थाओं को अनुदान

पन्द्रहवां वित्त आयोग

पन्द्रहवें वित्त आयोग, की पंचाट अवधि वर्ष 2021–22 से 2025–26 तक (5 वर्ष) है। षष्टम राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार राशि पंचायती राज संस्थाओं यथा जिला परिषद्, पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत में क्रमशः 5:20:75 के अनुपात में वर्ष 2011 की जनसंख्या एवं प्रस्तावित जिलेवार भारांक के आधार पर वितरित की जायेगी।

15 वें वित्त आयोग, भारत सरकार की अन्तिम रिपोर्ट में अनुशंसित अनुदान का 40 प्रतिशत बेसिक अनटाईड अनुदान एवं 60 प्रतिशत बेसिक टाईड अनुदान के रूप में होगा। अनटाईड अनुदान का उपयोग वेतन एवं अन्य प्रशासनिक व्ययों को छोडकर स्थानीय आवश्यकताओं जैसे स्ट्रीट लाईट और प्रकाश व्यवस्था, सार्वजनिक परिसम्पत्तियों/भवनों जैसे प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों, स्वास्थ्य उप केन्द्रों, सहकारी बीज एवं उर्वरक भण्डारण केन्द्रों, सडकों की मरम्मत, फुटपाथ, उद्यान, खेल मैदान, शमशान स्थलों के रखरखावत की व्यवस्था को पूरा करने हेतु किया जा सकेगा। पंचायती राज मंत्रालय, वित्त मंत्रालय एवं व्यय विभाग भारत सरकार की सिफारिशों के अनुसार अनुदान 50–50 प्रतिशत की दो किश्तों में जारी किया जायेगा, जिसमें से 50 प्रतिशत टाईड अनुदान का उपयोग स्वच्छता, खुले में शौच से मुक्ति की स्थिति को बनाये रखने एवं शेष 50 प्रतिशत बुनियादी सेवाओं यथा पेयजल आपूर्ति, जल संचयन और जल पुनर्चक्रण के लिए किया जा सकेगा।

चालू वित्तीय वर्ष 2022–23 में वित्त विभाग द्वारा प्रावधित बजट प्रावधान ₹2,957.00 करोड के विरूद्ध राशि ₹2,333.72 करोड पंचायतीराज संस्थाओं को हस्तान्तरित की जा चुकी है। वित्तीय वर्ष 2022–23 में दिसम्बर, 2022 तक ₹1,976.66 करोड़ की राशि व्यय कर 65,552 कार्य पूर्ण करवाए गए हैं।

षष्टम राज्य वित्त आयोग

- षष्टम राज्य वित्त आयोग की पंचाट अवधि वर्ष 2020–2021 से 2024–2025 है। आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्य के स्वयं के शुद्ध कर राजस्व के 6.75 प्रतिशत हिस्से का वितरण पंचायती राज संस्थाओं एवं नगरीय स्थानीय निकायों के मध्य 75.10 एवं 24.90 के अनुपात में वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर किया जाना है तथा पंचायती राज संस्थाओं के मध्य राशि के वितरण का अनुपात 5:20:75 रहेगा।
- वर्ष 2020–21 एवं 2021–22 की सिफारिशों के अनुसार, अनुदान की 55 प्रतिशत राशि का उपयोग मूलभूत एवं विकास कार्यों के लिए, 40 प्रतिशत राशि का उपयोग राष्ट्रीय और राज्य प्राथमिकता योजनाओं को लागू करने के लिए एवं शेष 5 प्रतिशत राशि विभिन्न कार्यों एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के प्रोत्साहन के लिए है।

राज्य वित्त आयोग–षष्ठम योजना में वर्ष 2022–23 के बजट अनुमान में ₹7,113.00 करोड़ है। राशि ₹2,156.26 करोड पंचायतीराज संस्थाओं को हस्तान्तरित की जा चुकी है। इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2022–23 में माह दिसम्बर, 2022 तक ₹2,368.28 करोड़, व्यय कर 61,930 कार्य पूर्ण करवाए गए हैं।

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)

राजस्थान 31 मार्च, 2018 तक खुले में शौच से मुक्त (ओ.डी.एफ.) हो चुका है। भारत सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) का द्वितीय चरण वर्ष 2020–21 से प्रारम्भ किया गया है जो पांच वर्षो तक क्रियान्वित किया जावेगा। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेज–द्वितीय का मुख्य उदेश्य गांवों में ओ.डी.एफ. की स्थिति को बनाए रखना है और ग्रामीण क्षेत्रों में ठोस एवं तरल कचरा प्रबन्धन द्वारा स्वच्छता के स्तर में सुधार कर गांवों को ओ.डी.एफ.प्लस बनाना है।

वास्तविक प्रदर्शन एवं उपलब्धियां (दिसम्बर, 2022 तक) :

- **व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालय (आई.एच.एच.एल.):** व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालय की एक ईकाई के निर्माण एवं उपयोग के लिए गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों (बी.पी.एल.) एवं चिन्हित गरीबी रेखा के ऊपर के परिवारों (ए.पी.एल.) (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, लघु एवं सीमांत कृषक, भूमिहीन मजदूरों, शारीरिक रूप से विकलांग एवं महिला मुखिया वाले परिवारों) को राशि ₹12,000 तक की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान दिसम्बर, 2022 तक राशि ₹176.17 करोड़ व्यय की जाकर कुल 1,57,410 शौचालयों का निर्माण किया जा चुका है।

- **सामुदायिक स्वच्छता केन्द्र (सी.एस.सी.):** ग्राम पचांयत द्वारा ₹3.00 लाख की लागत से विशेष योग्यजन व्यक्ति के लिए विशेष प्रावधान के साथ सामुदायिक स्वच्छता परिसरों का निर्माण किया जा रहा है। जिसमें 30 प्रतिशत राशि 15वें वित्त आयोग से व्यय करने का प्रावधान है। वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान दिसम्बर, 2022 तक राशि ₹80.04 करोड़ व्यय की जाकर कुल 5,104 सामुदायिक स्वच्छता परिसरों का निर्माण किया गया है।

- **ठोस एवं तरल कचरा प्रबन्धन:** स्थानीय तौर पर उत्पन्न होने वाले ठोस एवं तरल कचरे का पर्याप्त प्रबंधन से, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता में सुधार कर समुदाय का सर्वागीण विकास किया जा सकता है। 13,078 गांवों में ठोस एवं तरल कचरा प्रबन्धन के कार्य किये जा रहे है। इन गांवों को खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) स्थिति को स्थाई रूप से बनाये रखने, ठोस एवं तरल कचरा प्रबन्धन सुनिश्चित करने एवं प्रत्यक्ष रूप से स्वच्छ दिखने वाले गांव के रूप में विकसित किया जाकर ओडीएफ प्लस बनाया जावेगा। इस वित्तीय वर्ष में दिसम्बर, 2022 तक राशि ₹27.41 करोड़ व्यय की जाकर 9,511 गांव ओडीएफ प्लस बनाये जा चुके है।

पंचायत पुरस्कार

73वें संविधान संशोधन के अनुसार भारत सरकार द्वारा यह योजना वर्ष 2010–11 में लागू की गई है। इसके तहत प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस पर पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निम्न श्रेणियों में पुरस्कार दिये जाते हैं:–

- **दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार (डी.डी.यू.पी.एस.पी.):** इस योजनान्तर्गत प्रत्येक वर्ष उत्कृष्ट कार्य करने वाली राज्य की एक जिला परिषद, दो पंचायत समितियों एवं पाँच ग्राम पंचायतों को पुरस्कृत किया जाता है। वर्ष 2022 में चयनित पंचायती राज संस्थाओं हेतु राज्य को ₹168 लाख की राशि पुरस्कार स्वरूप प्राप्त हुई, जिसे संबंधित पंचायती राज संस्थाओं को हस्तान्तरित किया गया। वर्ष 2022 में डी.डी.यू.पी.एस.पी. के अन्तर्गत पुरस्कृत पंचायती राज सस्थाओं का विवरण तालिका 3.3 में दर्शाया गया है।

- **नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार (एन.डी.आर.जी.जी.एस.पी.):** इसके अन्तर्गत पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा तय किए गए अधिनियमों, नियमों और प्रावधान के अनुसार

तालिका 3.3 वर्ष 2022 में दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार के अन्तर्गत पुरस्कृत पंचायती राज संस्थाओं का विवरण

क्रम संख्या	पुरस्कृत पंचायती राज संस्थाओं के नाम	राशि (₹लाखों में)
1	जिला परिषद–झुन्झुनू, जिला–झुन्झुनू	50.00
2	पं.स.–सलूम्बर, जिला–उदयपुर	25.00
3	पं.स.–चिडावा, जिला–झुन्झुनू	25.00
4	ग्रा.पं.–चितरी, पं.स.–गलियाकोट, जिला–डुंगरपुर	12.00
5	ग्रा.पं.–रेंन्दडी, पं.स.–सोजत, जिला–पाली	8.00
6	ग्रा.पं.–खाखद, पं.स.–झाडोल, जिला–उदयपुर	12.00
7	ग्रा.पं.–कतिसौर, पं.स.–आसपुर, जिला–डूंगरपुर	12.00
8	ग्रा.पं.–कुन्दनपुर, पं.स.–सांगोद, जिला–कोटा	12.00
9	ग्रा.पं.–बाकरा, पं.स.–झुन्झुनू, जिला–झुन्झुनू	12.00
कुल		**168.00**

ग्राम सभा के उत्कृष्ट आयोजन के लिए एक ग्राम पंचायत का चयन कर पुरस्कार दिया जाता है। वर्ष 2022 के लिये ग्राम पंचायत–बासथूनी, पंचायत समिति– किशनगंज, जिला–बारां को पुरस्कृत किया गया हैं। पुरस्कार राशि ₹10 लाख प्रदान की गई है।

- **बाल हितैषी ग्राम पंचायत पुरस्कार (सी.एफ.जी.पी.ए.)**: इसके अन्तर्गत सर्वश्रेष्ठ बाल हितैषी कार्य करने पर राज्य की एक ग्राम पंचायत को पुरस्कृत किया जाता है। वर्ष 2022 के लिये ग्राम पंचायत–दिलोई, पंचायत समिति– मण्डावा, जिला–झुन्झुनु को पुरस्कृत किया गया हैं। पुरस्कार राशि ₹5 लाख प्रदान की गई है।

- **ग्राम पंचायत विकास योजना (जी.पी.डी.पी.ए.) पुरस्कार**: यह पुरस्कार वर्ष 2019 से शुरू किया गया, जिसके अंतर्गत राज्य से एक ग्राम पंचायत को सहभागी नियोजन, गुणवत्ता पूर्ण नियोजन, संवहनीय विकास लक्ष्यों का समावेश, शून्य एवं कम लागत की गतिविधियों का समावेश, मॉनेटरिंग एवं सफल क्रियान्वयन का प्रभावी ढांचा, कर्न्वेजेन्स, निजी आय का नियोजन, दस्तावेजीकरण तथा योजना नियोजन में सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग इत्यादि के लिए पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ग्राम पंचायत–गंगचाना, पंचायत समिति–छीपाबडौद, जिला–बारां को पुरस्कृत किया गया है। पुरस्कार राशि ₹5.00 लाख प्रदान की गई है।

पंचायत विकास योजना (पी.डी.पी.)

पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार वर्ष 2015 से पंचायत विकास योजना (पी.डी.पी.) का निर्माण किया जा रहा है। ग्राम पंचायत विकास योजनाएं ग्राम सभा में प्रस्ताव लेकर भागीदारी मोड में तैयार की जाती है। सक्षम अधिकारियों से नियोजित गतिविधियों की व्यवहार्यता और तकनीकी पुष्टिकरण के पश्चात् ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित जी.पी.डी.पी. को ई–ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपलोड किया जाता है।

भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय द्वारा विकेन्द्रिकृत सहभागिता हेतु पंचायत विकास योजना (जी.पी.डी.पी.,बी.पी.डी.पी.,डी.पी.डी.पी.) 2022–23 के लिए ''सबकी योजना सबका विकास'' अभियान की शुरूआत की गई है। भारत के सभी राज्यों में 2 अक्टूबर, 2021 से 31 जनवरी, 2022 तक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने एवं आवश्यकता की पहचान कर योजना बनाने तथा ग्राम सभा में इसके अनुमोदन के लिए अभियान चलाया गया। जन अभियान ''सबकी योजना सबका विकास'' कार्यक्रम के अनुसार सहभागी और एकीकृत ग्राम पंचायत विकास योजनाएं तैयार कर ई–ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपलोड किए गए हैं।

विक्रेन्द्रीकृत सहभागिता हेतु पंचायत विकास योजना 2023–24 के लिए भारत के सभी राज्यों में 2 अक्टूबर, 2022 से 31 जनवरी, 2023 तक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने एवं आवश्यकता की पहचान कर योजना बनाने तथा ग्राम सभा में इसके अनुमोदन के लिए अभियान चलाया जा रहा है। जन अभियान ''सबकी योजना सबका विकास'' के विकास योजना 2023–24 में तहत गतिविधियों को सतत् विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण के 9 विषयों पर ग्राम पंचायतों द्वारा लिए गये संकल्पों को सम्मिलित करते हुए तथा सहभागी और एकीकृत ग्राम पंचायत विकास योजनाएं (जी.पी.डी.पी., बी.पी.डी.पी. एवं डी.पी.डी.पी.) तैयार कर ई–ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपलोड किए जा रहे हैं।

स्वामित्व योजना

- स्वामित्व योजना का शुभारंभ 24 अप्रैल, 2020 को पंचायत दिवस पर किया गया। उक्त कार्यक्रम पंचायती राज विभाग, भारतीय सर्वेक्षण विभाग एवं राजस्व विभाग द्वारा संयुक्त रुप से क्रियान्वित किया जा रहा है।

- योजना के तहत भारतीय सर्वेक्षण विभाग राज्य के सभी गांवों के आबादी क्षेत्रों का डिजीटल मानचित्र ड्रोन के माध्यम से तैयार करेगा एवं सम्बन्धित ग्राम पंचायत को प्रस्तुत करेगा।

- मानचित्र के आधार पर सम्बन्धित ग्राम पंचायत राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 के प्रावधान के तहत सम्बन्धित व्यक्ति को पट्टा जारी करेगी।

- स्वामित्व योजना के अन्तर्गत राज्य में अभी तक 17 ज़िलों के 9,285 गांवों में ड्रोन सर्वेक्षण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। राज्य में वर्तमान में 16 ज़िलों (जैसलमेर, जयपुर, जोधपुर, पाली, बूंदी, टोंक, अजमेर, श्रीगंगानगर, जालोर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सिरोही, हनुमानगढ़, डूंगरपुर, नागौर एवं झुझंनू) में ड्रोन सर्वेक्षण का कार्य प्रगतिरत है, जबकि दौसा ज़िले में पूर्ण हो गया है। ज़िले में नक्शों का कार्य अभी जारी है। इसके तहत अभी तक राज्य में 348 गांवों में 11,715 प्रोपर्टी पार्सल्स वितरित किये जा चुके हैं।

- जयपुर, दौसा व श्रीगंगानगर ज़िलों में प्रोपर्टी कार्ड वितरण हेतु Map-2 के ग्रामों में नोटिफिकेशन जारी किये जा चुके हैं।

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आर.जी.एस.ए.)

पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2018–19 में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (RGSA) प्रारंभ किया गया। जिसकी अवधि 31 मार्च, 2022 तक थी। वर्तमान में यह ''पुनरूत्थान राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (Revamped RGSA)'' के नाम से संचालित किया जा रहा है, जिसकी अवधि 31 मार्च, 2026 तक निर्धारित है। यह अभियान पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ करने एवं चुने हुये जनप्रतिनिधियों व कार्मिकों के क्षमतावर्द्धन एवं प्रशिक्षण प्रदान करने की केन्द्रीय प्रवर्तित योजना है। योजनान्तर्गत वित्तीय प्रावधान 60 प्रतिशत केन्द्रीयांश एवं 40 प्रतिशत राज्यांश के रूप में है।

योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022–23 के तहत 30 जून, 2022 को राशि ₹152.54 करोड़ की कार्य योजना का अनुमोदन किया जा चुका है।

विलेज मास्टर प्लान

भविष्य में शिक्षा, स्वास्थ्य, जनसंख्या विस्तार, खेल सुविधा, पार्क, शासकीय भवन, सड़क एवं अन्य विकास गतिविधियों के प्रावधान हेतु भूमि के मूल्यांकन के साथ प्रत्येक गांव का मास्टर प्लान बनाया जायेगा। आगामी 30 वर्षों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुये राजस्व विभाग और पंचायती राज विभाग के कार्मिकों द्वारा संयुक्त रूप से विलेज मास्टर प्लान तैयार किये जा रहे हैं। जन–प्रतिनिधि और अन्य नागरिकों को भी उनके सुझावों के लिए आमंत्रित किया जाता है। प्रथम चरण में प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय के लिए विलेज मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा। नगर नियोजन विभाग के अधिकारी जिला परिषद स्तर पर प्रशिक्षण आयोजित कर रहे हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रम के बाद ग्राम पंचायत विलेज मास्टर प्लान तैयार करेगी और ग्राम सभा से अनुमोदन प्राप्त करेगी। अंत में अनुमोदन के बाद विलेज मास्टर प्लान को ई–पंचायत पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।

- विलेज मास्टर प्लान 2050 अर्थात आगामी 30 वर्षों की आवश्यकताओं को मध्यनजर रखते हुए तैयार किया जावेगा।
- भूमि की उपलब्धता की गणना कर उसके अनुरूप सम्बन्धित ग्राम में सुविधाओं के लिए भूमि की चिन्हित की जावेगी।
- साईंस एण्ड टेक्नोलोजी विभाग, डीओआईटी, भू–प्रबन्धन विभाग के सहयोग से प्रथम चरण में 10,000 से अधिक आबादी के 110 (120.10 नगरपालिका क्षेत्र) गांवों के एकीकृत मेप तैयार कर विलेज मास्टर प्लान तैयार करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
- 7,775 गांवो का डाटा ई–पंचायत पोर्टल पर संकलित किया गया।

ग्राम पंचायत भवन निर्माण

ग्राम पंचायतों के भवनों का निर्माण कम से कम 5 बीघा भूमि में करने के लिए प्रस्तावित किया गया है, ग्रामीण सचिवालय की दृष्टि से और आम आदमी को सुविधा प्रदान करने के लिए एक परिसर में सभी कार्यालयों को ग्राम पंचायत स्तर पर लाने का प्रावधान है। इन ग्राम पंचायतों के मॉडल ड्रॉइंग और नक्शे पूर्व में ही स्वीकृत किए जा चुके हैं। प्रत्येक भवन की अनुमानित लागत ₹50 लाख है।

वर्ष 2014 में सृजित 723 ग्राम पंचायत में से 10 के कार्यालय भवन रिक्त विद्यालयों/अन्य भवन में संचालित हो रहे हैं। शेष 713 नवीन ग्राम पंचायत में कार्यालय भवन निर्माण हेतु अब तक 705 भवनों के लिए भूमि आवंटन हो चुका है तथा 702 ग्राम पंचायतों के लिए वित्तीय स्वीकृतियां जारी की जा चुकी हैं। 633 ग्राम पंचायत भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा 61 ग्राम पंचायतों में निर्माण कार्य प्रगतिरत हैं। 07 ग्राम पंचायतों में भूमि का चिन्हीकरण जारी है। ग्राम पंचायत भवन का मॉडल मानचित्र एवं परिसर में उपलब्ध करवायी जाने वाली सुविधाओं का निर्धारण मुख्यालय स्तर से किया जा चुका है।

वर्ष 2019 में सृजित 1,456 ग्रम पंचायत में से 1,428 ग्राम पंचायतों में भूमि का आंवटन हो चुका है तथा 1,406 कार्यों के लिए वित्तीय स्वीकृतियां जारी की जा चुकी हैं। 389 कार्य पूर्ण एवं 983 कार्य प्रगतिरत हैं। 13 ग्राम पंचायतें स्कूल भवन व अन्य रिक्त भवन/परिसर में संचालित हैं।

पंचायत समिति भवन निर्माण

वर्ष 2014 में, राज्य में 47 नवगठित पंचायत समितियों का गठन किया गया था। सभी 47 पंचायत समितियों को वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है। इनमें से 39 पंचायत समिति के भवनों के कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं एवं 07 पंचायत समितियों के कार्य प्रगति पर हैं। एक कार्य माननीय न्यायालय के आदेश के कारण रूका हुआ है। प्रत्येक पंचायत समिति के लिए भवन की अनुमानित लागत राशि ₹250 लाख है।

वर्ष 2019 में, राज्य में 57 नवगठित पंचायत समितियों का गठन किया गया था। 55 पंचायत समितियों को भूमि आवंटित कर दी गई है। शेष 1 स्थान जोबनेर (जयपुर) पर भूमि आवंटन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है व पंचायत समिति अजमेर ग्रामीण का कार्य प्रगतिरत है। वर्ष 2022–23 में 03 नवगठित पंचायत समिति सीकरी (भरतपुर), बगडी (पाली) एवं भनोखर (अलवर) बनाई गई हैं।

अम्बेडकर भवन

बजट घोषणा, वर्ष 2019–20 के अनुसार नगर निगम, नगर परिषद् एवं नगर पालिका मुख्यालयों को छोड़कर शेष सभी पंचायत समिति मुख्यालयों पर अम्बेडकर भवन का निर्माण किया जा रहा है। एक अम्बेडकर भवन की अनुमानित लागत राशि ₹50.00 लाख है।

परियोजना की कुल लागत राशि ₹70.00 करोड़ होगी। कुल 129 अम्बेडकर भवनों के लिये भवन निर्माण हेतु प्रति भवन राशि ₹25.00 लाख राज्य निधि से सितम्बर, 2022 में जिला परिषदों के निजी निक्षेप खाते में हस्तानान्तरित कर दी गई। शेष राशि की व्यवस्था अन्य योजनाओं के अभिसरण से की जायेगी। जिला परिषद् कार्यालयों द्वारा 129 भवनों की वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी गई हैं एवं 57 भवन निर्माण कार्य प्रगतिरत हैं।

प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 अन्तर्गत फोलोअप शिविर:

प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 के तहत लम्बित/शेष रहे कार्यो को पूर्ण करने के लिए दिनांक 15 मई, 2022 से 30 जून, 2022 तक फॉलोअप शिविर आयोजित किये गये। जिसमें आम जनता से जुड़े कार्यो यथा जन्म मृत्यु पंजीयन प्रमाण पत्र जारी करना/जनता जल योजना एवं सिंगल फेंस ट्यूब वेल के रख–रखाव की शिकायते का निस्तारण/लम्बित पट्टों का निस्तारण/परिसम्पत्ति रजिस्टरों का संधारण करना आदि कार्यो का निस्तारण किया गया। अभियान में राज्य स्तर पर संकलित की जाने वाली सूचनाऐं ऑनलाईन ई–पंचायत पोर्टल के माध्यम से प्राप्त की गई।

अभियान में पंचायती राज विभाग की प्रगति निम्नानुसार है (नवम्बर, 2022 तक) :

- शिविर में कुल 74,160 पट्टे जारी किये गये।
- कुल 2,536 नाम हस्तान्तरण/उपविभाजन/पट्टों को पुर्नवैध/भूमि संपरिवर्तन किये गये।
- पेयजल योजना की कुल 7,634 शिकायतों का निस्तारण किया गया।
- कुल 57,962 जन्म–मृत्यु के प्रमाण पत्र जारी किये गये।
- स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत 23,387 परिवारों को शौचालय निर्माण का भुगतान किया गया।

राजीव गाँधी जल संचय योजना (आर.जी.जे.एस.वाई.)

राजस्थान जल उपलब्धता की दृष्टि से काफी पिछड़ा राज्य है, जहाँ भू–जल उपलब्धता के गिरते स्तर एवं बारहमासी जलप्रवाह की कमी के कारण, स्थिति और विकट होती जा रही है। यहां के पर्यावरण, भौगोलिक स्थिति एवं बढ़ती जनसंख्या की आवश्यकता जल उपलब्धता की इस स्थिति को और अधिक विकट बना रही है। अधिकतम वर्षा जल संचयन, जल संरक्षण और उपलब्ध जल स्रोतों के विवेकपूर्ण उपयोग को सुनिश्चित करने, पानी की कमी के मुद्दे को हल करने और प्रभावी अभिसरण के माध्यम से राज्य में भू–जल और खेती योग्य क्षेत्र की स्थिति में सुधार करने के लिए राजीव गांधी जल संचय योजना (आर.जी.जे.एस.वाई.) 20 अगस्त, 2019 को शुरू की गई।

राजीव गांधी जल संचय योजना का प्रथम चरण 20 अगस्त, 2019 को राज्य के सभी 33 जिलों की 295 पंचायत समितियों में चयनित 3,931 गांवों के 15 लाख हैक्टेयर क्षेत्रफल में प्रारम्भ किया गया है। प्रथम चरण के अन्तर्गत सभी लाईन विभागों द्वारा लगभग राशि ₹1772 करोड के 1.38 लाख कार्य चिन्हित कर लगभग राशि ₹1580 करोड के 1.32 लाख कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं।

राजीव गांधी जल संचय योजना का द्वितीय चरण 01 सितम्बर, 2022 को राज्य के सभी 33 जिलों की 352 पंचायत समितियों में लगभग 4500 गांवों के 20 लाख हैक्टेयर क्षेत्रफल में प्रारम्भ किया गया है। कुल 4,949 गांवों में कुल 1.92 लाख कार्य चिन्हित कर डी.पी.आर. बनाने का कार्य प्रगतिरत है।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना–वाटरशेड कम्पोनेंट (पी.एम.के.एस.वाई.–डब्ल्यू.सी.)/इंटिग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम (आई.डबल्यू.एम.पी.):

जलग्रहण विकास कार्यों के माध्यम से भूमि के उपचार के लिए वर्ष 2009–10 में इंटिग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम (आई. डबल्यू.एम.पी.) शुरू किया गया था। आई.डबल्यू.एम.पी. के तहत स्वीकृत परियोजनाएं 2015–16 से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (वाटरशेड कम्पोनेंट) के तहत चल रहीं हैं। कुल ₹4,474.73 करोड़ की राशि केन्द्र और राज्य के अंश के रूप में प्राप्त हुई है, जो स्वीकृत राशि का 53.29 प्रतिशत और ₹4,351.27 करोड़ का व्यय कर कुल 46 लाख हैक्टेयर क्षेत्र उपचारित किया गया है। पी.एम.के.एस.वाई.–डब्ल्यू.सी. योजना 31 मार्च, 2022 को पूरी हो चुकी है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (वाटरशेड कम्पोनेंट) 2.0, भारत सरकार द्वारा 1 अप्रैल, 2022 से प्रारम्भ की गयी है, जिसके लिये राज्य को राशि ₹1,857 करोड से 7.50 लाख हैक्टेयर क्षेत्र के कुल 145 प्रोजेक्ट उपचारित करने हेतु स्वीकृत किया गया है। राशि ₹470.93 करोड़ प्राप्त हुए, जिसमें केन्द्रीय अंश ₹282.56 करोड़ एवं राज्यांश राशि ₹188.37 करोड़ है।

ग्रामीण आधारभूत संरचना

ग्रामीण सडकें

सड़कें आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं एवं सामाजिक हितों की पूर्ति करती है। देश के विकास और उन्नति में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। सड़क तंत्र रोजगार, स्वास्थ्य एवं शिक्षा सेवाएं उपलब्ध कराने के अतिरिक्त गरीबी के विरूद्व संघर्ष मे भी महत्वपूर्ण योगदान देता हैं।

सड़क तंत्र में एक्सप्रेस–वे के साथ पूरक स्थानीय सड़कें भी होनी चाहिए, जिससे तेज गति के वाहनों का बाधा रहित आवागमन हो सके। अच्छी स्थिति की पक्की सड़कें वाहन की परिचालन लागत में 15 से 40 प्रतिशत की कमी लाती है। राज्य में ग्रामीण सडकों की लम्बाई तालिका–3.4 में दी गई है।

तालिका– 3.4 राज्य में 31 मार्च, 2022 (प्रावधानिक) तक ग्रामीण सडकों की लम्बाई (कि.मी. में)

डामर	मैटल	ग्रेवल	मौसमी	योग
145049.14	5521.27	33534.37	2357.32	186462.10

राज्य में जनगणना 2011 के अनुसार 43,264 ग्राम हैं। वर्ष 2021–22 में तथा नवम्बर, 2022 (प्रावधानिक) तक विभिन्न आबादी–समूह के अनुसार डामर की सड़क से जुड़े गांवों का विवरण तालिका–3.5 में दर्शाया गया है।

तालिका–3.5 गांवों का सड़क संयोजन

क्र.सं.	आबादी समूह	कुल ग्रामों की संख्या (जनगणना 2011 के अनुसार)	सड़कों से जुड़े ग्रामों की संख्या मार्च, 2022 तक (प्रावधानिक)	सड़कों से जुड़े ग्रामों की संख्या दिसम्बर, 2022 तक (प्रावधानिक)	सड़कों से जुड़े ग्रामों का प्रतिशत
1	1000 व अधिक	17284	17255	17255	99.83
2	500-1000	12421	11970	12034	96.88
3	250-500	7638	6226	6226	81.51
4	100-250	3518	1820	1820	51.73
5	100 से कम	2403	904	904	37.62
योग		**43264**	**38175**	**38239**	**88.39**

वित्तीय वर्ष 2022–23 के अन्तर्गत सड़क विकास हेतु दिसम्बर, 2022 तक अर्जित उपलब्धियाँ निम्न है :–

- मिसिंग लिंक, राज्य सड़क निधि एवं ग्रामीण सड़क के अन्तर्गत 2,516 किलोमीटर डामर सड़कों का निर्माण किया गया है।
- गांवो को सड़कों से जोड़ने की राज्य सड़क निधि योजनान्तर्गत 2011 की जनगणना के आधार पर 500 से अधिक आबादी के 70 गांवों एवं 15 ग्राम पंचायत मुख्यालयों को 282 किमी. लंबी डामर सड़कों से जोड़ा गया।
- 5 किमी विकास पथ का निर्माण 5 ग्राम पंचायतों में किया गया।
- केन्द्रीय सड़क निधि, राज्य सड़क निधि, नाबार्ड और पीपीपी के अंतर्गत 1,530 कि.मी. राज्य राजमार्ग एवं मुख्य जिला सड़कों के चौड़ाईकरण, सुदृढीकरण एवं नवीनीकरण का कार्य पूर्ण किये गये।
- ग्रामीण सड़कें, राज्य सड़क निधि, नाबार्ड, शहरी सड़कें, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना–तृतीय और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत 6,045 किलोमीटर अन्य जिला और ग्रामीण सड़कों का सुदृढ़ीकरण और नवीनीकरण पूरा किया गया।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना–तृतीय

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना–तृतीय के तहत 8,662.50 कि. मी. लम्बाई की मुख्य ग्रामीण सड़कों का चयन कर उनका

उन्नयन और सदृढ़ीकरण किया जाएगा। जिसके तहत पहले चरण में ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ₹3,122 करोड़ की लागत से 5,821 कि.मी. ग्रामीण सड़कों को मंजूरी दी गई है। जिसके अन्तर्गत दिसम्बर, 2022 तक ₹2176.74 करोड़ का व्यय कर 5,530 कि.मी. सड़क उन्नयन का कार्य किया जा चुका है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना–तृतीय के तहत शेष लम्बाई के कार्यों के प्रस्ताव ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार में प्रक्रियाधीन है।

ग्रामीण विद्युतीकरण

राज्य में शत प्रतिशत ग्रामीण विद्युतीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, राज्य सरकार द्वारा नवम्बर, 2022 तक 43,965 गांवों तथा 1.14 लाख ढाणियों को विद्युतीकृत किया गया एवं 97.05 लाख ग्रामीण परिवारों को विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराये गये। वर्ष 2022–23 के दौरान माह नवम्बर, 2022 तक किसानों को 50,321 कृषि विद्युत कनेक्शन जारी किये गये हैं।

ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण (रूडा)

राजस्थान सरकार द्वारा ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण (रूडा) की स्थापना माह नवम्बर, 1995 में एक स्वतंत्र अभिकरण के रूप में राज्य में ग्रामीण गैर कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए एक स्वतंत्र एजेन्सी के रूप में की गई थी। रूडा, स्थायी आजीविका के व्यवहारिक मार्ग के रूप में दस्तकार परिवारों को स्वरोजगार प्रदान करने के अवसर को बढ़ावा देने के लिए उप क्षेत्रीय, एकीकृत एवं क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण का अनुसरण करता है। राज्य के दस्तकारों के विकास के लिए रूडा विभिन्न सुधारों को लागू करता है, जिसमें कौशल वृद्धि, तकनीकी विकास एवं प्रसार, डिजाइन एवं उत्पाद विकास, मेलों और प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन शामिल है। इन गतिविधियों के द्वारा बड़ी संख्या में दस्तकारों, बुनकरों, कुम्भकारों, मूर्तिकारों को स्थायी रोजगार प्रदान किया जा रहा है।

रूडा के इन क्रियाकलापों का प्रभाव राजस्थान जैसे सूखा प्रभावी राज्य में भाग लेने वाले दस्तकारों की ऊन, चर्म, लघु खनिज आदि उपक्षेत्रों में स्वरोजगार द्वारा अतिरिक्त सतत् आय तथा क्षमताओं में बढोतरी के रूप में देखा जा सकता है। भारत में यह संस्था गैर कृषि क्षेत्र को विकसित करने के क्षेत्र में अनोखी है।

भौगोलिक संकेतक (जी.आई.) पंजीकरणः– बौद्धिक सम्पदा अधिकार पहल के तहत पोकरण पोटरी, ब्ल्यू पोटरी, कोटा डोरिया तथा सांगानेर एवं बगरू हैण्ड ब्लॉक प्रिन्टिंग जैसे शिल्प के लिए रूडा ने जी.आई. (भौगोलिक संकेतक) पंजीकरण प्राप्त किया है।

रूडा प्रमुख रूप से तीन उप क्षेत्रों के अन्तर्गत अपनी गतिविधियां संचालित करता हैः–

- चमड़ा
- ऊन एवं वस्त्र
- लघु खनिज (एस.सी.पी.)

राज्य आयोजना मद रूडा की गतिविधियों के संचालन के लिए वित्त का मुख्य स्रोत है। इस मद में वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए ₹180.00 लाख का वित्तीय प्रावधान कर 1,500 दस्तकारों को लाभान्वित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया, जिसके विरूद्ध दिसम्बर, 2022 तक कुल ₹133.06 लाख व्यय करते हुये कुल 540 दस्तकारों को लाभान्वित किया गया।

मुख्य उपलब्धियॉः–

रूडा द्वारा वर्ष 2022–23 में ग्रीष्म महोत्सव माउन्ट आबू, ऑल इण्डिया मीट ऑफ स्टेट लीगल सर्विसेज ऑथरेटीज (एस.एल.एस.ए.) अधिवेशन, जयपुर, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, उदयपुर (डब्ल्यू.जेड.सी.सी.) एवं गोगामेडी मेले की अखिल भारतीय बैठक में 74 दस्तकारों को भाग दिलाया जाकर लाभान्वित कराया गया।

रूडा द्वारा शिल्पांगन क्राफ्ट बाजार–अलवर का आयोजन किया गया, जिसमें 126 दस्तकारों को उनके उत्पादों के विपणन हेतु सहायता कर लाभान्वित कराया गया। माह नवम्बर, 2022 में पुष्कर मेले में 20 दस्तकारों को प्रायोजित एवं स्टोन मार्ट, (शिल्पग्राम) जयपुर के माध्यम से 60 दस्तकारों को लाभान्वित कराया गया।

वित्तीय वर्ष 2022–23 में कुल 260 दस्तकारों को प्रशिक्षण एवं वर्कशॉप के माध्यम से लाभान्वित किया गया।

■ ■ ■ ■

अध्याय 04

औद्योगिक विकास

औद्योगिक परिदृश्य

राज्य प्रचुर भौतिक संसाधनों, समृद्ध खनिज सम्पदा, विश्व प्रसिद्ध हस्तशिल्प, हथकरघा और उत्कृष्ट कौशल से सम्पन्न है। ये सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम औद्योगिक (एम.एस.एम.ई.) इकाईयों के लिए लाभकारी विनिर्माण, प्रसंस्करण गतिविधियों और सेवाओं के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करते हैं, जो कि राज्य की ताकत रही है। राज्य के पास एम.एस.एम.ई. के लिए रत्न एवं आभूषण, हस्तशिल्प, खाद्य प्रसंस्करण, ऑटो कम्पोनेंट, वस्त्र, चमड़ा और आयामी पत्थरों के क्षेत्र में अत्यंत मजबूत आधार है। राज्य का प्रमुख ध्येय राज्य में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की स्थापना को बढ़ावा देना और उन्हें प्रोत्साहित करना तथा उद्यमों द्वारा उच्च क्षमता स्तर प्राप्त करने हेतु सक्षम एवं अनुकूल परिवेश का निर्माण करना है।

राज्य सरकार द्वारा आर्थिक विकास हेतु निर्यात को एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में पहचान दी गई है। राज्य से निर्यात की अत्यन्त सम्भावनाएँ हैं। राष्ट्रीय निर्यात में राज्य निर्यात की हिस्सेदारी को बढ़ाने के लिए, राज्य विभिन्न निर्यातोन्मुख सुधारों को लागू करने हेतु निरन्तर प्रयासरत है। राजस्थान निर्यात संवर्द्धन परिषद् और निर्यात संवर्द्धन औद्योगिक पार्क (ई.पी.आई.पी.) का विकास ऐसा ही महत्वपूर्ण उपाय हैं, जो राज्य से निर्यात को बढ़ावा देगा। राज्य द्वारा निरंतर किए गए समस्त प्रयास राजस्थान को भारत में समावेशी एवं संवहनीय औद्योगिक विकास के लिए अनुकूल इको–सिस्टम के साथ सर्वाधिक पसंदीदा निवेश स्थल बनाने पर केन्द्रित हैं।

राजस्थान में उद्योग क्षेत्र

उद्योग क्षेत्र में वर्ष 2022–23 के लिए स्थिर (2011–12) मूल्यों पर 6.32 प्रतिशत की वृद्धि देखी गयी है।

उद्योग क्षेत्र के अन्तर्गत खनन एवं उत्खनन, विनिर्माण, विद्युत, गैस, जलापूर्ति एवं अन्य उपयोगी सेवाएं तथा निर्माण क्षेत्र शामिल हैं। उद्योग क्षेत्र का स्थिर (2011–12) मूल्यों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन (जी.एस.वी.ए.) वर्ष 2011–12 में ₹1.36 लाख करोड़ से बढ़कर 2022–23 में ₹2.04 लाख करोड़ हो गया है, जो कि इस अवधि में वार्षिक 3.71 प्रतिशत (सी.ए.जी.आर.) की वृद्धि को दर्शाता है, जबकि प्रचलित मूल्यों पर जी.एस.वी.ए. वर्ष 2011–12 में ₹1.36 लाख करोड़ से बढ़कर 2022–23 में ₹3.58 लाख करोड़ हो गया है, जो कि इस अवधि में वार्षिक 9.18 प्रतिशत (सी.ए.जी.आर.) की वृद्धि दर्शाता है। प्रचलित मूल्यों एवं स्थिर (2011–12) मूल्यों पर उद्योग क्षेत्र का सकल राज्य मूल्य वर्द्धन (जी.एस.वी.ए.) के साथ वृद्धि दर को चित्र–4.1 में दर्शाया गया है।

चित्र 4.1

औद्योगिक क्षेत्र का राज्य मूल्य वर्धन (जी.एस.वी.ए.) एवं वृद्धि दर
प्रचलित एवं स्थिर (2011–12) मूल्यों पर

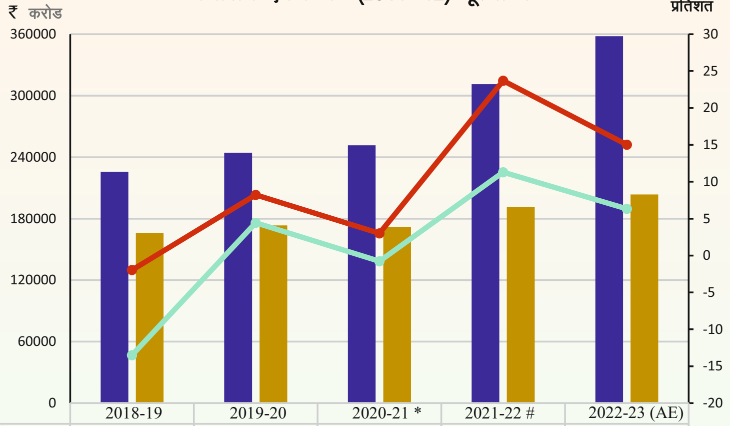

	2018-19	2019-20	2020-21 *	2021-22 #	2022-23 (AE)
जी.एस.वी.ए. प्रचलित मूल्यों पर	225713	244278	251652	311283	358034
जी.एस.वी.ए. स्थिर मूल्यों पर	165997	173352	172034	191470	203576
वृद्धि दर प्रचलित मूल्यों पर	-1.96	8.22	3.02	23.70	15.02
वृद्धि दर स्थिर मूल्यों पर	-13.49	4.43	-0.76	11.30	6.32

* संशोधित अनुमान द्वितीय
\# संशोधित अनुमान प्रथम
AE अग्रिम अनुमान

राजस्थान के सकल राज्य मूल्य वर्धन में उद्योग क्षेत्र की हिस्सेदारी एवं उद्योग क्षेत्र के उप–क्षेत्रों की संरचना

वित्तीय वर्ष 2022–23 में राजस्थान के सकल राज्य मूल्य वर्धन (जी.एस.वी.ए.) में उद्योग क्षेत्र का योगदान प्रचलित मूल्यों पर 27.31 प्रतिशत रहा है। समानावधि में उद्योग क्षेत्र में विनिर्माण उप–क्षेत्र का योगदान 41.26 प्रतिशत होना अनुमानित है, इसके पश्चात् निर्माण उप–क्षेत्र का योगदान 32.76 प्रतिशत है। उद्योग क्षेत्र में विद्युत, गैस, जल आपूर्ति एवं अन्य उपयोगी सेवाएं उप–क्षेत्र का योगदान 13.38 प्रतिशत तथा खनन एवं उत्खनन उप–क्षेत्र का योगदान 12.60 प्रतिशत होना अनुमानित है। उद्योग क्षेत्र के अन्तर्गत विभिन्न उप–क्षेत्रों के योगदान को चित्र 4.2 में दर्शाया गया है।

चित्र 4.2

औद्योगिक क्षेत्र के उपक्षेत्रों का प्रचलित मूल्यों पर वर्ष 2022–23 (अग्रिम अनुमान) में योगदान

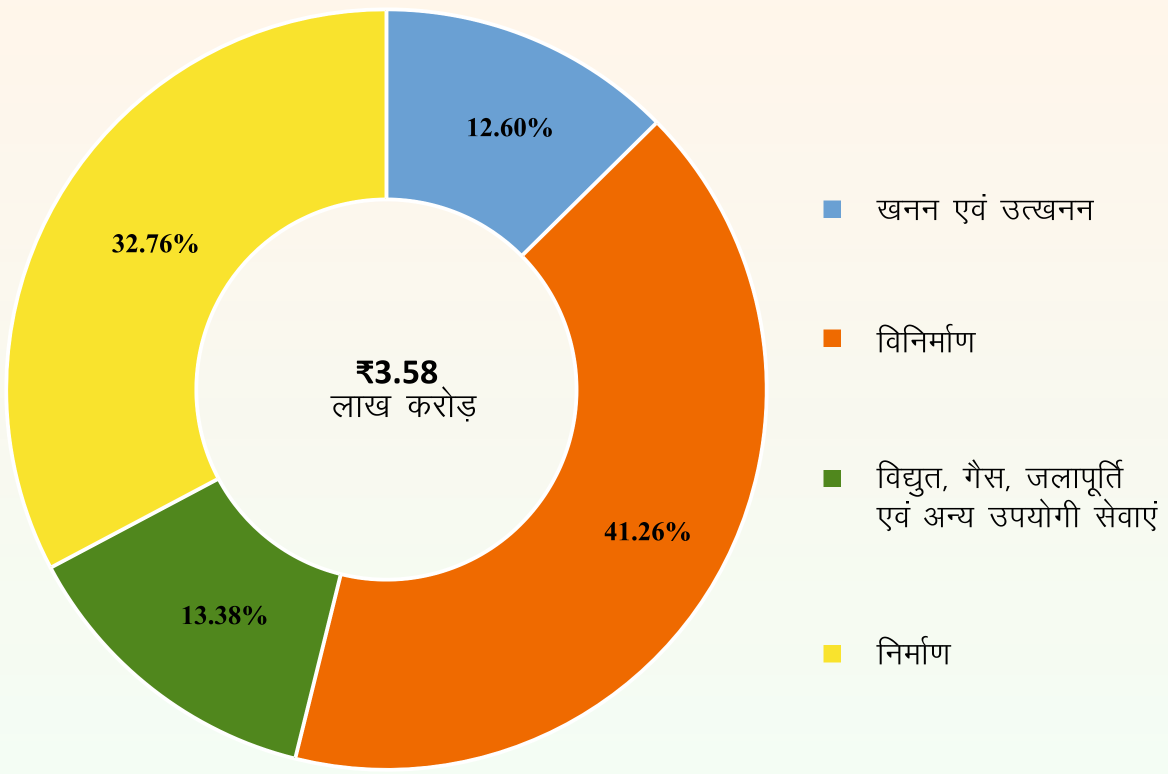

स्थिर (2011–12) मूल्यों पर उद्योग क्षेत्र में 2021–22 की तुलना में 2022–23 में 6.32 प्रतिशत की वृद्धि रही है। वर्ष 2021–22 की तुलना में 2022–23 में खनन एवं उत्खनन में 3.71 प्रतिशत, विनिर्माण में 4.99 प्रतिशत, विद्युत, गैस, जल आपूर्ति एवं अन्य उपयोगी सेवाओं में 9.16 प्रतिशत तथा निर्माण क्षेत्र में 9.10 प्रतिशत की वृद्धि दर रही है। स्थिर (2011–12) मूल्यों पर वर्ष 2011–12 एवं वर्ष 2022–23 में उद्योग क्षेत्र के उप–क्षेत्रों का सकल राज्य मूल्य वर्धन (जी.एस.वी.ए.) तथा 11 वर्षों की अवधि के दौरान औसत वार्षिक वृद्धि दर (सी.ए.जी.आर.) को चित्र–4.3 में दर्शाया गया है।

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आई.आई.पी.)

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) एक समग्र संकेतक है, जो कि दी गई एक निश्चित अवधि के दौरान चयनित आधार वर्ष पर औद्योगिक उत्पादों के उत्पादन मात्रा में अल्पकालिक परिवर्तनों को मापता है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक राज्य में औद्योगिक निष्पादन का प्रमुख संकेतक है, जिसका मासिक आधार पर संकलन किया जाता है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक शृंखला (आधार वर्ष 2011–12) तीन वृहद् समूहों यथा–विनिर्माण, खनन एवं विद्युत पर आधारित है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के अनुसार वित्तीय वर्ष 2018–19 से 2022–23 के लिए समग्र रूप से औद्योगिक निष्पादन को तालिका–4.1 में दर्शाया गया है।

चित्र 4.3

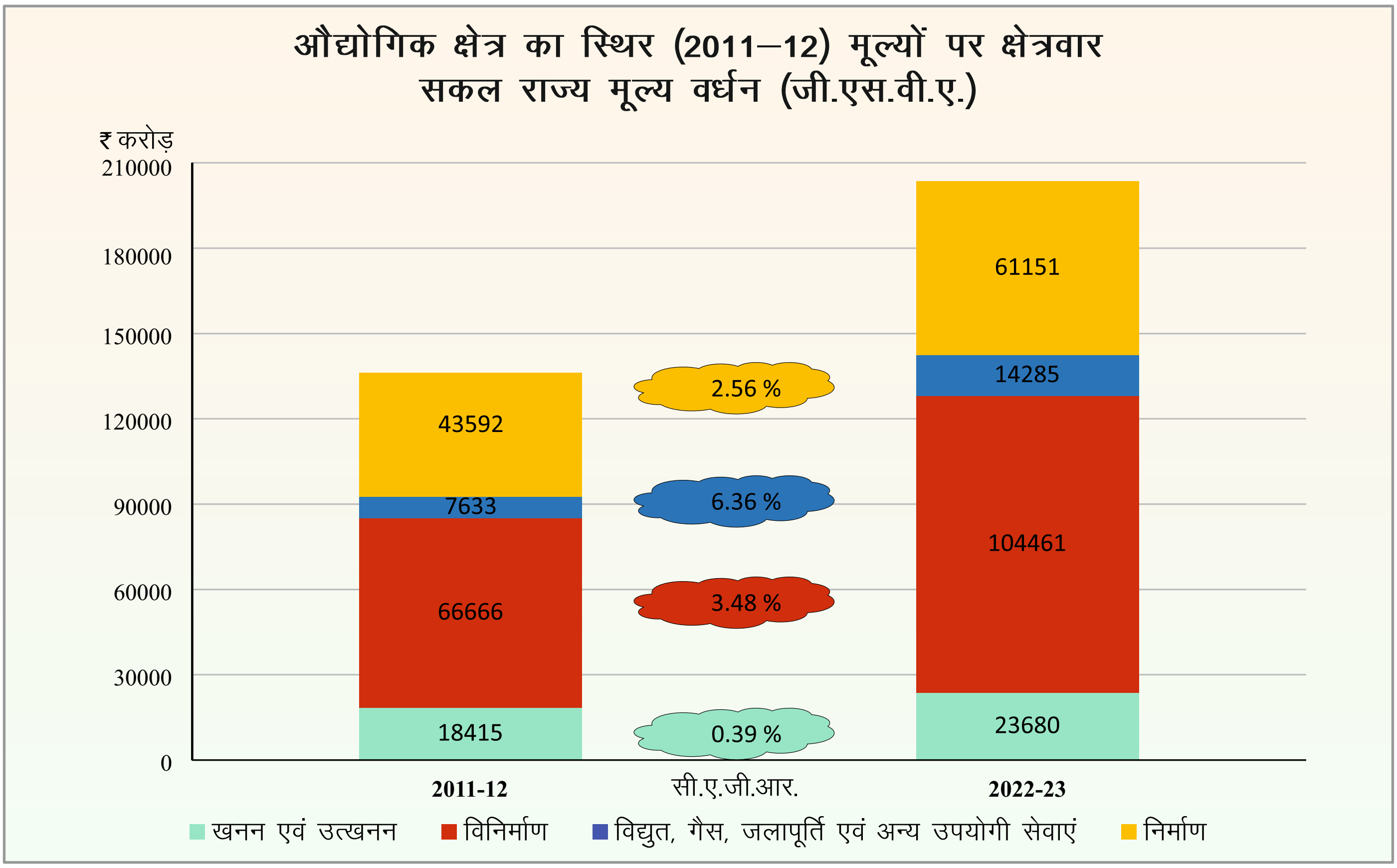

तालिका–4.1 औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आधार वर्ष 2011–12)

क्षेत्र	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23*
विनिर्माण	143.39	125.93	122.95	136.14	140.41
खनन	134.76	125.60	119.43	124.53	113.29
विद्युत	137.70	135.15	126.10	144.93	155.03
सामान्य सूचकांक	140.37	126.90	122.34	133.97	134.65

*अक्टूबर, 2022 तक (प्रावधानिक)

एम.एस.एम.ई. नीति–2022

सभी श्रेणी के उद्योगों के विकास, निवेश प्रोत्साहन और रोजगार के अवसर बढ़ाने के उद्देश्य से ''राजस्थान सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति–2022'' को दिनांक 17 सितम्बर, 2022 को जारी की गई है। इस नीति के अन्तर्गत उद्योगों के लिए भूमि, बुनियादी सुविधाओं का विकास, स्मार्ट इंडस्ट्रीयल एरिया, एम.एस.एम.ई कलस्टर्स का विकास, उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार, विपणन व्यवसाय विकास में सहायता, निर्यात प्रोत्साहन और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले उद्यमों को प्रोत्साहन/पुरस्कार देने के प्रावधान शामिल किए गए है। साथ ही महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और निशक्तजन उद्यमियों के लिए भी विशेष प्रावधान किए गए हैं।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एम.एस.एम.ई.)

उद्यम वर्गीकरण के मानदण्डों में दिनांक 1 जुलाई, 2020 से परिवर्तन के परिणामस्वरूप एक उद्यम को निम्नलिखित मानदण्डों के आधार पर सूक्ष्म, लघु या मध्यम उद्यमों के रूप में वर्गीकृत किया जा रहा है, अर्थात:–

अ) **सूक्ष्म उद्यम** : ऐसा उद्यम, जिसमें संयंत्र एवं मशीनरी या उपकरणों में निवेश ₹1.00 करोड़ से अधिक नहीं हैं और कारोबार ₹5.00 करोड़ से अधिक नहीं है;

ब) **लघु उद्यम** : ऐसा उद्यम, जिसमें संयंत्र एवं मशीनरी या उपकरणों में निवेश ₹10.00 करोड़ से अधिक नहीं हैं और कारोबार ₹50.00 करोड़ से अधिक नहीं है;

स) **मध्यम उद्यम** : ऐसा उद्यम, जिसमें संयंत्र एवं मशीनरी या उपकरणों में निवेश ₹50.00 करोड़ से अधिक नहीं हैं और कारोबार ₹250.00 करोड़ से अधिक नहीं है।

राज्य की अर्थव्यवस्था में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम औद्योगिक इकाईयाँ राज्य के औद्योगिक उत्पादन, निर्यात, रोजगार और उद्यमिता के सृजन की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती हैं। विशेष रूप से, रोजगार सृजन में इसका योगदान व्यापक रूप से मान्य है। इस प्रकार, राज्य में एम.एस.एम.ई. उद्यमों को बढ़ावा देने और सहयोग के लिए विभिन्न नीतिगत उपाय लागू किए गए हैं, जिनमें से कुछ निम्नानुसार दिए गए हैं:–

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम रजिस्ट्रीकरण : संशोधित एम.एस.एम.ई. परिभाषा के अनुसार एम.एस.एम.ई. पंजीकरण की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए एम.एस.एम.ई., मंत्रालय द्वारा 1 जुलाई, 2020 को एक नया पोर्टल उद्यम पंजीकरण पोर्टल (https://udyamregistration.gov.in) लॉन्च किया गया है।

उद्यम पंजीकरण पोर्टल पर दिसम्बर, 2022 तक 8,24,158 औद्योगिक इकाईयों/उद्यमियों का पंजीकरण किया गया है। इन इकाईयों में 48,42,788 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। वित्तीय वर्ष 2022–23 (दिसम्बर, 2022 तक) के दौरान कुल 3,11,495 औद्योगिक इकाईयों का उद्यम पंजीकरण पोर्टल पर पंजीयन किया गया। इन इकाईयों द्वारा 17,33,426 व्यक्तियों के लिए प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर उत्पन्न किये गये हैं।

मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना (एम.एल.यू.पी.वाई.) : राज्य में विनिर्माण, सेवा एवं व्यापार क्षेत्र में नए उद्यम स्थापित करने तथा वर्तमान उद्यमों के विस्तार, आधुनिकीकरण, विविधिकरण के लिए वित्तीय संस्थानों के माध्यम से ₹10 करोड़ तक का ऋण उपलब्ध करवाये जाने हेतु "मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना" को अधिसूचित कर 13 दिसम्बर, 2019 से प्रारम्भ कर दी गई है। इस योजनान्तर्गत उद्यमियों को ₹25 लाख तक के ऋण पर 8 प्रतिशत, ₹5 करोड़ तक के ऋण पर 6 प्रतिशत तथा ₹10 करोड़ तक के ऋण पर 5 प्रतिशत ब्याज पर अनुदान उपलब्ध करवाया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2022–23 (दिसम्बर, 2022 तक) के दौरान 6,566 उद्यमियों को ₹1,200.47 करोड़ की राशि का वितरण किया गया। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजनान्तर्गत प्रगति तालिका 4.2 में दर्शायी गई है।

तालिका–4.2 मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजनान्तर्गत प्रगति

क्रम संख्या	वर्ष	ऋण वितरण (संख्या)	ऋण वितरण (₹करोड़)	ब्याज अनुदान (₹करोड़)
1	2019-20	239	33.75	0.00
2	2020-21	8259	2016.13	2.98
3	2021-22	6023	1708.18	50.78
4	2022-23*	6566	1200.47	105.88
योग		**21087**	**4958.53**	**159.64**

*दिसम्बर, 2022 तक

राजस्थान सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम (फैसिलिटेशन ऑफ एस्टेबलिशमेंट एण्ड ऑपरेशन) अधिनियम, 2019: राज्य में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की व्यवधान रहित स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए, 17 जुलाई, 2019 को ''राजस्थान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (फैसिलिटेशन ऑफ एस्टेबलिशमेंट एण्ड ऑपरेशन) अधिनियम–2019'' लागू किया गया।

राजस्थान सरकार ने इस अधिनियम के निष्पादन हेतु, 12 जून, 2019 को एक वेब पोर्टल भी "https://rajudyogmitra.rajasthan.gov.in/" लॉन्च किया, जिस पर आवेदन दर्ज किए जाते हैं। इसमें एमएसएमई इकाई को, इलेक्ट्रॉनिक या भौतिक रूप से 'डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट' नोडल एजेंसी को प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है, जिस पर एक 'पावती प्रमाण पत्र' (Acknowledgement Certificate) जारी किया जाता है, पावती प्रमाण पत्र जारी होने से लेकर 3 साल तक आवेदक को राज्य के सभी कानूनों के तहत अनुमोदन और निरीक्षण से छूट दी जाएगी।

इस पोर्टल के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2022–23 (दिसम्बर, 2022 तक) में 2,694 डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट प्राप्त हुए एवं उनको तुरंत प्रभाव से पावती प्रमाणपत्र जारी किए जा चुके हैं। इनमें से 1,511 सूक्ष्म (माइक्रो) श्रेणी, 762 लघु श्रेणी और 421 मध्यम श्रेणी के प्रमाण–पत्र जारी किए गए हैं।

निर्यात

राज्य सरकार ने निर्यात की पहचान आर्थिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में की है। राज्य से निर्यात का महत्व न केवल देश के राजस्व के लिए विदेशी मुद्रा अर्जित करने में निहित है, बल्कि राज्य को अप्रत्यक्ष लाभ जैसे – बाजार के अवसरों का विस्तार, उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार और संयंत्र, मशीनरी व विनिर्माण प्रक्रिया के संचालन तकनीकी में उन्नयन तथा अधिक रोजगार के अवसर आदि के संदर्भ में भी है।

राजस्थान से निर्यात होने वाली शीर्ष पाँच वस्तुओं में इंजीनियरिंग वस्तुएं, कपड़ा, धातुएं, हस्तशिल्प वस्तुएं और रासायनिक एवं सम्बद्ध हैं, जिनका राज्य से होने वाले निर्यात में 60 प्रतिशत से अधिक योगदान है। वित्तीय वर्ष 2021–22 में कुल निर्यात ₹71,999.72 करोड़ हुआ है।

राजस्थान से वर्ष 2017–18 से 2021–22 तक किए गए निर्यातों का विवरण तालिका–4.3 एवं चित्र–4.4 में दर्शाया गया है।

चित्र 4.4

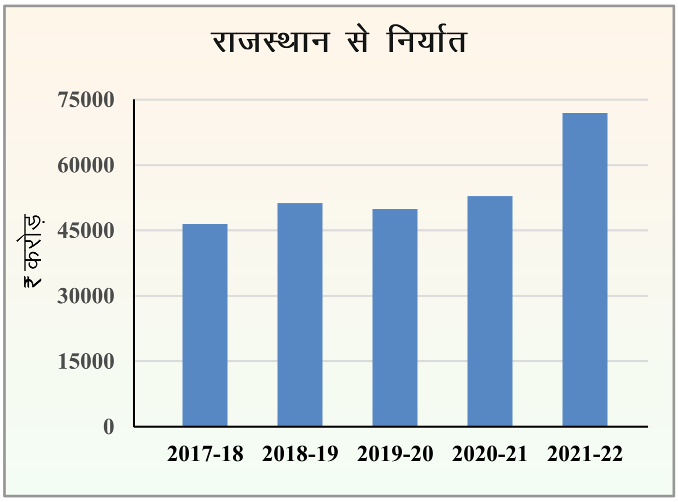

राज्य, निर्यात के व्यापक विस्तार के लिए निरन्तर विभिन्न प्रोत्साहन पहलों को प्रारम्भ करने में प्रयासरत है, जो कि निम्नानुसार दिए गए हैः–

मिशन निर्यातक बनो : राज्य के निर्यात क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए दिनांक 29 जुलाई, 2021 को एक अनूठी पहल ''मिशन निर्यातक बनों'' प्रारम्भ की गई है। उक्त मिशन के अन्तर्गत राज्य के विभिन्न जिलों में स्थित औद्योगिक इकाईयों के आधार पर नवीन निर्यातक बनाने हेतु लक्ष्य आवंटित किये गये है। कुल 22,731 नवीन निर्यातक बनाने का लक्ष्य जिलों को आवंटित किया गया है। दिसम्बर, 2022 तक राज्य में 8,527 उद्यमियों को आयात–निर्यात कोड (आई.ई.सी.) जारी किये गये हैं और निर्यात संबंधी प्रक्रियाओं एवं दस्तावेजीकरण के संबंध में उनके लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में सभी संभागीय मुख्यालयों पर दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य से नवीन निर्यातकों को प्रथम निर्यात निर्गम तक की पूर्ण सहायता प्रदान की जाएगी। राजस्थान निर्यात संवर्द्धन परिषद (आर.ई.पी.सी.) द्वारा 5 दिसम्बर, 2022 को राज्य में मिशन निर्यातक बनो का दूसरा चरण प्रारम्भ किया गया।

राज्य निर्यात पुरस्कार योजना : निर्यात को प्रोत्साहित करने हेतु राज्य के उत्कृष्ट निर्यातकों को पुरस्कृत करने हेतु राज्य निर्यात पुरस्कार योजना–2019 लागू की गई है। योजनान्तर्गत 15 श्रेणियों में 32 पुरस्कार एवं एक लाइफटाइम एक्सपोर्ट रत्न अवार्ड सहित अधिकतम 33 पुरस्कार प्रदान

तालिका–4.3 राजस्थान से निर्यात

(₹करोड़)

क्र.सं.	उत्पाद		2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
1	कपड़ा		5667.30	6750.11	6165.79	5729.29	9251.39
2	कृषि एवं खाद्य उत्पाद		4204.84	4525.87	3708.96	3740.65	5180.17
3	जवाहरात एवं आभूषण		5264.38	5737.55	5109.60	4067.36	6811.04
4	अभियांत्रिकी		7350.17	7632.99	7674.76	7781.81	11966.12
5	धातु	1.लौह	935.07	970.59	1216.60	1102.94	1436.00
		2. अलौह	4065.19	3343.21	3182.29	4180.75	6802.57
6	आयामी संगमरमर पत्थर, ग्रेनाइट तथा अभ्रक पत्थर की वस्तुएं आदि		3172.40	3354.58	3208.81	4080.22	4481.15
7	खनिज ईंधन, खनिज तेल और उत्पाद, बिटुमिन्स पदार्थ, खनिज वैक्स, अयस्क, स्लैग एवं ऐश		138.96	168.96	871.39	842.34	1393.34
8	इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर		2531.42	2833.24	2729.70	3016.01	464.73
9	ऊन एवं ऊनी कपड़े		91.73	139.11	130.74	62.31	133.47
10	रासायनिक एवं सम्बद्ध		4231.55	5901.94	4260.30	5016.53	6995.14
11	ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल्स		604.64	1027.35	1899.69	2268.39	2577.60
12	प्लास्टिक एवं लिनालियम		922.87	896.85	1178.65	1337.58	2030.83
13	हस्तशिल्प		3701.55	4825.42	5219.48	6205.32	7830.07
14	चमड़ा एवं चर्म उत्पाद		296.89	356.85	226.25	193.43	298.59
15	तैयार वस्त्र		1831.51	2078.28	2073.20	1764.40	2561.09
16	कालीन (ड्यूरीज)		1095.32	625.67	563.08	464.70	706.18
17	अन्य		371.13	9.84	526.81	910.28	1080.24
योग			**46476.92**	**51178.40**	**49946.10**	**52764.31**	**71999.72**

किये जाने का प्रावधान है। वर्ष 2019–20 के लिए 28 उत्कृष्ट निर्यातकों एवं एक लाइफटाइम एक्सपोर्ट रत्न अवार्ड पुरस्कार सहित कुल 29 निर्यातक इकाईयों को 17 सितम्बर, 2022 को एमएसएमई दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम में पुरस्कृत किया गया है।

निर्यात संवर्द्धन, प्रक्रिया एवं प्रलेखन/दस्तावेजीकरण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम : राज्य के ऐसे उद्यमी, जो निर्यात प्रक्रिया, दस्तावेजों एवं बाजार की जानकारी के अभाव में अपनी वस्तुओं का निर्यात करने में असमर्थ हैं और बिचौलियों के माध्यम से अपनी वस्तुओं का निर्यात कर रहे हैं, को

जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से निर्यात संवर्द्धन, प्रक्रिया एवं दस्तावेजीकरण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम योजना वर्ष 2012 से प्रारंभ की गई थी। राज्य के निर्यातकों की निर्यात संबंधी कठिनाईयों के समाधान एवं उन्हे निर्यात प्रक्रियाओं एवं दस्तावेजीकरण संबंधी प्रशिक्षण प्रदान कराये जाने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा राजस्थान निर्यात संवर्द्धन परिषद् (आर.ई.पी.सी.) की स्थापना की गई है।

अन्तर्राष्ट्रीय विदेशी व्यापार मेलों में भाग लेने पर सहायता योजना : यह योजना 2012–13 से लागू की गयी है। वर्तमान में इस योजना को नवीन दिशा–निर्देशों के साथ मार्च, 2025 तक बढ़ाया गया हैं। इस योजना की क्रियान्वयन एजेंसी राजस्थान निर्यात संवर्द्धन परिषद (आरईपीसी) है। योजनान्तर्गत विदेशों में आयोजित होने वाले अनुमोदित व्यापार मेलों में भाग लेने वाली इकाईयों को उनके द्वारा भुगतान किए गए भूमि किराए का 50 प्रतिशत की दर से अधिकतम ₹1.00 लाख तक पुनर्भरण किया जाता है। विदेशों में आयोजित मेलों/प्रदर्शनियों में राज्य की ओर से प्रतिनिधिमण्डल भेजने के लिए राजस्थान निर्यात संवर्द्धन परिषद् को ₹10.00 लाख रूपये का प्रावधान किया गया है।

एक जिला एक उत्पाद : इसका मुख्य उद्देश्य प्रत्येक जिले से निर्यात क्षमता वाले उत्पादों और सेवाओं की पहचान करना और उन्हें बढ़ावा देना और प्रत्येक जिले को एक संभावित निर्यात केंद्र के रूप में बदलना है। राज्य के समस्त 33 जिलों द्वारा अपने अपने जिलों से निर्यात क्षमता वाले उत्पादों को सुनिश्चित कर दिया है। राज्य के सभी जिलों में संबंधित जिला कलेक्टरों की अध्यक्षता में जिला स्तरीय निर्यात प्रोत्साहन समितियों (डीईपीसी) का गठन किया है। इन डीईपीसी के गठन में वाणिज्य मंत्रालय/विदेशी व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) द्वारा जारी सभी दिशानिर्देशों का विधिवत पालन किया गया है। सभी 33 जिलों की जिला निर्यात कार्य योजना को अंतिम रूप दे दिया गया है। सभी जिलों को अपनी निर्यात योजना के अनुसार अपने–अपने उत्पाद के उत्पादन एवं निर्यात को बढ़ावा देने के हेतु निर्देश जारी किये गये हैं।

एक जिला एक उत्पाद के अन्तर्गत चिह्नित उत्पादों का जिलेवार विवरण तालिका 4.4 में दर्शाया गया है।

राजस्थान के औद्योगिक विकास के लिए कार्यशील विभिन्न विभागों की प्रगति अग्रगामी भाग में दर्शाई गई है।

उद्योग एवं वाणिज्य विभाग

राज्य में औद्योगिक विकास के लिए उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के नेतृत्व में कई संस्थानों के माध्यम से सार्वजनिक नीतियां एवं सुधार क्रियान्वित किए जाते हैं। यह राज्य में उद्योगों एवं हस्तशिल्प के प्रोत्साहन तथा औद्योगिक गतिविधियों के संचालन हेतु आवश्यक मार्गदर्शन, सहायता एवं सुविधाएं प्रदान करने के लिए नोडल विभाग है। वर्तमान में, उद्यमियों को इनपुट तथा अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने हेतु 36 जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र तथा 8 उप केन्द्र कार्यरत हैं। उद्यमियों की सुविधा हेतु सभी जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्रों में एम.एस.एम.ई. निवेशक सुविधा केन्द्र (एम.आई.एफ.सी.) की स्थापना की गयी है, ताकि उद्यमियों को आवश्यक जानकारी उपलब्ध करवाई जा सके।

राज्य में आने वाले निवेश को प्रोत्साहित करने व नव उद्यम स्थापना में आने वाली कठिनाईयों को निराकरण हेतु जिला स्तर पर जिला कलेक्टर तथा राज्य स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में विवाद एवं निवारण तन्त्र (डी.आर.एम.) के रूप में समिति का गठन किया गया है, जिसके निर्णय सभी विभागों पर बाध्यकारी है। इसके तहत वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान दिसम्बर, 2022 तक 178 बैठकें आयोजित की गई है।

राज्य के सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के विलम्बित भुगतान के निस्तारण हेतु सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम–2006 में प्रदत्त शक्तियों के तहत स्थापित 4 सूक्ष्म एवं लघु उद्यम सुविधा परिषदों का पुर्नगठन कर राज्य स्तर पर 2 एवं संभाग स्तर पर 8 सूक्ष्म एवं लघु सुविधा परिषदों का गठन किया गया है। इस प्रकार कुल 10 परिषदों का गठन किया गया है। इसके तहत वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान दिसम्बर, 2022 तक 513 प्रकरणों का निस्तारण किया गया है।

औद्योगिक विकास के विभिन्न कार्यक्रमों/योजनाओं के तहत उपलब्धियां इस प्रकार हैंः–

औद्योगिक उद्यमिता ज्ञापन (आई.ई.एम.) : वृहद् उद्योगों की स्थापना हेतु भारत सरकार को वित्तीय वर्ष 2022–23 (अक्टूबर, 2022 तक) के दौरान ₹15,827 करोड़ निवेश के साथ 25 प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए हैं।

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पी.एम.ई.जी.पी.) : इस योजना का उद्देश्य राज्य के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में औद्योगिक सेवा एवं वाणिज्यिक गतिविधियों को बढ़ावा देकर

तालिका 4.4 एक जिला एक उत्पाद के अन्तर्गत चिह्नित जिलेवार उत्पाद

क्र.स.	जिला	उत्पाद का नाम
1	अजमेर	ग्रेनाईट
2	अलवर	ऑटोमोबाईल पार्टस
3	बांसवाड़ा	सिन्थेटिक यार्न
4	बारां	सोयाबीन
5	बाड़मेर	इसबगोल
6	भरतपुर	शहद, खाद्य तेल
7	भीलवाड़ा	रेडिमेड गारमेंट्स – डेनिम
8	बीकानेर	सिरेमिक
9	बूँदी	चावल
10	चित्तौड़गढ़	ग्रेनाईट/मार्बल
11	चूरू	वूड प्रोडक्टस
12	दौसा	कार्पेट एण्ड स्टोन आर्टीकल
13	धौलपुर	मिल्क पाउडर – स्कीम्ड
14	डूँगरपुर	ग्रेनाईट/मार्बल – स्लेब
15	श्रीगंगानगर	गम पाउडर
16	हनुमानगढ़	ग्वार गम
17	जयपुर	पॉटरी – ब्लू तथा ज्वेलरी एण्ड जैम्स
18	जैसलमेर	यैलो मार्बल स्लेब एण्ड टाईल्स
19	जालोर	मसाले एवं मौजडी जूती
20	झालावाड़	संतरा एण्ड सेंडस्टोन
21	झुँझुनू	स्टोन प्रोडक्ट एवं वूड प्रोडक्ट
22	जोधपुर	फर्नीचर – हस्तकशिल्प उत्पाद
23	करौली	सेंडस्टोन आर्टीकल एण्ड सिलिका सेंड
24	कोटा	एमब्रॉयडरी फेबरिक – कोटा डोरिया
25	नागौर	ग्रेनाइट/मार्बल – मकराना
26	पाली	मेहंदी
27	राजसमन्द	टेराकोटा
28	सवाई माधोपुर	टूरिज्म
29	सीकर	फर्नीचर – एंटिक
30	सिरोही	साइलियम हस्क
31	टोंक	सेंडस्टोन
32	उदयपुर	ग्रेनाईट/मार्बल – आइवरी कारविंग
33	प्रतापगढ़	लहसून तथा थेवा कला

राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना–2022

राज्य में तीव्र, स्थायी एवं संतुलित औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने हेतु राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना–2019 को और अधिक व्यापक बनाते हुए राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना–2022 को 07 अक्टूबर 2022 से लागू किया गया है।

राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना–2022 के मुख्य उद्देश्य निम्नानुसार वर्णित किए गए हैं:–

- विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों का 15 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर से विकास।
- संतुलित और समावेशी क्षेत्रीय विकास।
- वर्ष 2027 तक 10 लाख व्यक्तियों के लिए रोजगार के अवसरों का सृजन।
- हरित हाइड्रोजन, वैकल्पिक ऊर्जा, चिकित्सा उपकरण आदि जैसे नवीन क्षेत्रों को अतिरिक्त प्रोत्साहन।
- पर्यावरण संरक्षण प्रयासों को प्रोत्साहित करना।

राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना–2022 के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं:–

- योजना में प्राथमिक 8 श्रेणियों (विनिर्माण, सेवाएं, सनराईज क्षेत्र, एमएसएमई, स्टार्ट–अप, लॉजिस्टिक्स पार्क, भण्डारण एवं तापमान–नियंत्रित आपूर्ति श्रृखला, अनुसंधान एवं विकास और परीक्षण प्रयोगशाएं, अक्षय ऊर्जा संयंत्र) के लिए कस्टमाईज्ड परिलाभ
- थ्रस्ट सेक्टर, सनराईज सेक्टर, पिछड़े क्षेत्रों, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, महिला उद्यमियों को अतिरिक्त परिलाभ
- एम.एस.एम.ई. के लिए अन्य परिलाभों के अतिरिक्त ब्याज अनुदान
- विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र में ₹50 करोड़ से अधिक निवेश पर प्रोत्साहन पैकेज :–
- **परिसंपत्ति निर्माण प्रोत्साहन** – निवेश सब्सिडी (एसजीएसटी प्रतिपूर्ति) अथवा पूंजीगत अनुदान अथवा टर्नओवर लिंक्ड इंसेंटिव (टीएलआई) में से एक चुनने का विकल्प,
- **विशेष प्रोत्साहन** –रोजगार सृजन पर अतिरिक्त परिलाभ, हरित प्रोत्साहन, क्लस्टर प्रोत्साहन, थर्मल इंजीनियरिंग, प्रशिक्षण एवं कौशल प्रोत्साहन
- **छूट** – विद्युत शुल्क, मण्डी शुल्क, भूमि कर में 7 वर्षों के लिए शत प्रतिशत छुट, स्टाम्प ड्यूटी में 75 प्रतिशत छूट एवं 25 प्रतिशत राशि का पुर्नभरण, रूपांतरण शुल्क में शत प्रतिशत छुट।

योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022–23 में दिसम्बर, 2022 तक कुल ₹7,762.15 करोड़ के निवेश प्रस्ताव के साथ कुल 605 योग्यता प्रमाण पत्र जारी किये गये हैं।

रोजगार के अवसर उत्पन्न करना है। वित्तीय वर्ष 2022–23 (दिसम्बर, 2022 तक) के दौरान 643 इकाईयों को बैंकों से ऋण प्रदान किया गया एवं भारत सरकार द्वारा ₹27.52 करोड़ की मार्जिन मनी प्रदान की गई है।

मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना : 18 से 45 वर्ष आयु वर्ग के आवेदकों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना दिनांक 11 अक्टूबर 2022 को अधिसूचित की गई। इस योजना के तहत, ₹15 लाख तक के वाणिज्यिक वाहन की खरीद पर आवेदक को वाहन की ऑन–रोड कीमत का 10 प्रतिशत अथवा ₹60,000 (जो भी कम हो) का अनुदान राज्य सरकार द्वारा तथा समकक्ष अनुदान संबंधित वाहन निर्माता कम्पनी द्वारा दिया जावेगा। इस योजना में ₹20 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है। इस क्रम में जिला उद्योग क्रेन्द्रों पर कुल 3,340 आवेदन प्राप्त हुए हैं।

डॉ. भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित, आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना–2022 : राज्य के गैर–कृषि क्षेत्रों (विनिर्माण, सेवा एवं व्यापार) के विकास में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्गों की प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से डॉ. भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित, आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना–2022 दिनांक 08 सितम्बर, 2022 को अधिसूचित की गयी है। योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति/अनूसूचित जनजाति वर्ग से संबंधित आवेदक उद्यमियों को 25 लाख रूपये से कम के ऋण पर 9 प्रतिशत, 25 लाख से 5 करोड रूपये तक के ऋण पर 7 प्रतिशत, 5 करोड रूपये से 10 करोड रूपये तक के ऋण पर 6 प्रतिशत तक ब्याज अनुदान उपलब्ध करवाया जा रहा है। एवं परियोजना लागत का 25 प्रतिशत अथवा 25 लाख रूपये (जो भी कम हो) की मार्जिनमनी अनुदान राशि देय होगी। वित्तीय वर्ष 2022–23 समस्त जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्रों को संबंधित वर्ग के उद्यमियों को ऋण उपलब्ध कराने हेतु 1,000 लाभार्थियों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

औद्योगिक प्रोत्साहन शिविर : औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने तथा लोगों को औद्योगिक इकाई स्थापित करने से सम्बन्धित प्रक्रिया की जानकारी देने के लिए जिला एवं पंचायत समिति स्तर पर औद्योगिक प्रोत्साहन शिविर आयोजित किए गए। वित्तीय वर्ष 2022–23 (दिसम्बर, 2022 तक) के दौरान 62 जिला स्तरीय एवं 177 पंचायत समिति स्तरीय शिविर आयोजित किए गए हैं।

चर्म प्रशिक्षण उद्योग : चर्म उद्योगों को प्रोत्साहन दिए जाने के क्रम में वित्तीय वर्ष 2022–23 (दिसम्बर, 2022 तक) के दौरान 295 व्यक्तियों को प्रशिक्षण देने के वार्षिक लक्ष्य के विरूद्ध 170 व्यक्तियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। यह प्रशिक्षण चमड़े की वस्तुएं एवं नागरा जूती बनाने हेतु दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2022–23 (दिसम्बर, 2022 तक) के दौरान योजनान्तर्गत ₹8.15 लाख का व्यय किया गया है।

राजस्थान औद्योगिक विकास नीति–2019

राजस्थान को भारत में सर्वाधिक पसंदीदा निवेश स्थल के रूप में एक मजबूत इको–सिस्टम के साथ उभारने हेतु सतत्, संतुलित, समावेशी एवं पर्यावरण अनुकूल औद्योगिक विकास करने, आधारभूत सरंचना एवं रोजगार के अवसर सृजित करने तथा संतुलित क्षेत्रीय औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के दृष्टिकोण से वर्ष 2019 में राजस्थान औद्योगिक विकास नीति–2019 जारी की गई है। नीति में अनुकूल औद्योगिक आधारभूत संरचना, प्रतिस्पर्धी राजकोषीय प्रोत्साहन, कुशल मानव संसाधन, संतुलित क्षेत्रीय औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन, उद्यमिता एवं नवाचार, पर्यावरण संरक्षण एवं सतत् औद्योगिक विकास, उद्योगों का तकनीकी उन्नयन, प्रौद्योगिक अधिग्रहण, कौशल विकास, अनुसंधान एवं विकास प्रोत्साहन, नियमों और निरीक्षणों को युक्तिसंगत बनाना, ईज़ ऑफ डूइंग बिज़निस और उद्योग समर्थक दृष्टिकोण, थ्रस्ट सेक्टर्स का विकास करना जैसे प्रावधान किये गये हैं।

राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना–2019 : राज्य में तीव्र, स्थायी एवं संतुलित औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने हेतु राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना–2019 दिनांक 17 दिसम्बर, 2019 से प्रभावी की गई। इस योजना में विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र के उद्योगों में नवीन निवेश पर 7 वर्षो के लिए एस.जी.एस.टी का 75 प्रतिशत तक पुनर्भरण तथा विद्युत कर, स्टाम्प ड्यूटी एवं मण्डी शुल्क में 100 प्रतिशत तक छूट जैसी रियायतें प्रदान करने के प्रावधान किए गये है। इस योजना के तहत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों को प्रोत्साहन देने के लिए डॉ बी. आर. अम्बेडकर विशेष पैकेज का प्रावधान किया गया है। इस योजना को राज्य की फ्लेगशिप स्कीम में शामिल किया गया है। योजनान्तर्गत प्रगति तालिका 4.5 में दर्शायी गयी है।

तालिका–4.5 राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना–2019 के अन्तर्गत प्रगति

वर्ष	जारी पात्रता प्रमाण पत्र (इकाईयों की संख्या)	निवेश (₹ करोड़)
2019-20	524	12829.44
2020-21	3423	63392.01
2021-22	3268	54254.84
2022-23*	3135	140347.13
योग	**12149**	**300067.02**

*दिसम्बर, 2022 तक

कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सी.एस.आर.) : कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा–135 के अनुसार, ऐसी कम्पनियां, जिनकी वार्षिक कुल सम्पत्ति ₹500 करोड़ या अधिक हो अथवा टर्न ओवर ₹1,000 करोड़ या अधिक हो अथवा किसी भी वित्तीय वर्ष के दौरान शुद्ध लाभ ₹5 करोड़ या अधिक हो तो ऐसी कम्पनियों को सी.एस.आर. के तहत उनके विगत 3 वर्षों में शुद्ध लाभ के औसत के 2 प्रतिशत को अनुसूची–VII में वर्णित गतिविधियों पर व्यय किए जाने का प्रावधान है।

31 दिसम्बर, 2022 की स्थिति के अनुसार राज्य में 117 कॉरपोरेट्स, 21 राजकीय विभागों, 270 क्रियान्वयन एजेन्सियों एवं 48 सेवा प्रदाताओं ने सी.एस.आर. पोर्टल पर अपना पंजीयन कराया है। सम्पूर्ण राज्य में 149 सी.एस.आर. परियोजनाओं में ₹493.90 करोड़ राशि का व्यय अनुमानित है।

राज्य सरकार द्वारा कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सी.एस. आर.) के प्रावधानों को उचित प्रकार से क्रियान्वयन करने के लिए कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व प्राधिकरण का गठन 5 नवम्बर, 2019 को किया गया है एवं इसका प्रकाशन 6 नवम्बर, 2019 को राजस्थान असाधारण राजपत्र में किया गया है। यह नए प्रावधानों के बारे में उचित मार्गदर्शन प्रदान करता है और इस हेतु प्राप्त राशि से समुचित बुनियादी सुविधाओं का सृजन करता है। कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सी.एस.आर.) प्राधिकरण का पंजीयन 15 मई, 2022 को किया गया है एवं प्राधिकरण का बैंक खाता भी खोला गया है।

साझेदारी फर्मों का पंजीयन : कार्यालय आयुक्त, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग द्वारा नॉन ट्रेडिंग कम्पनीज एक्ट, 1960 एवं राजस्थान नॉन ट्रेडिंग कम्पनीज नियम, 1962 के अन्तर्गत नॉन ट्रेडिंग कम्पनीज का पंजीयन किया जाता है तथा सभी जिलों में साझेदारी फर्मों का पंजीयन भारतीय साझेदारी अधिनियम, 1932 एवं राजस्थान साझेदारी नियम, 2017 के तहत महाप्रबन्धक, जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र द्वारा रजिस्ट्रॉर ऑफ फर्म्स के रूप में किया जाता है। वर्ष 2022–23 में माह दिसम्बर, 2022 तक 3,561 साझेदारी फर्मों का पंजीयन कर राशि ₹11.07 लाख का राजस्व प्राप्त हुआ एवं 10 नॉन ट्रेडिंग कम्पनीज का पंजीयन कर राशि ₹10,000 का राजस्व प्राप्त हुआ।

दस्तकार परिचय पत्र : जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्रों के द्वारा हस्तकला से जुड़े 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के कारीगरों को ऑनलाइन दस्तकार पहचान पत्र सिंगल साइन ऑन (एस.एस.ओ.) पोर्टल के माध्यम से जारी किया जाता है। कार्यालय विकास आयुक्त, हस्तशिल्प, भारत सरकार द्वारा भी हस्तशिल्पियों के लिए ''पहचान पत्र'' जारी किए जाते हैं। वित्तीय वर्ष 2022–23 (दिसम्बर, 2022 तक) के दौरान विकास आयुक्त, हस्तशिल्प राजस्थान द्वारा कुल 448 दस्तकारों के परिचय पत्र जारी किए गए हैं।

उद्यम स्थापित करने हेतु प्रक्रियाओं का सरलीकरण (ईज़ ऑफ डूइंग बिज़निस)

राज्य सरकार द्वारा व्यवसायों एवं उद्योगों की स्थापना के लिए नियामक प्रक्रिया को युक्तिसंगत बनाने के लिए निरन्तर प्रयास किए गए हैं। राज्य उद्यम स्थापित करने हेतु प्रक्रियाओं के सरलीकरण (ईज़ ऑफ डूइंग बिज़निस) के लिए भारत सरकार के उद्योग संवर्द्धन एवं आन्तरिक व्यापार विभाग की वार्षिक व्यापार सुधार कार्य योजनाओं का अनुसरण एवं कार्यान्वयन कर रहा है।

उद्योग संवर्द्धन एवं आन्तरिक व्यापार विभाग राज्यों की वार्षिक व्यापार सुधार कार्य योजना जारी करता है और राज्यों के लिए ईज़ ऑफ डूइंग बिज़निस रैंकिंग जारी करता है।

व्यापार सुधार कार्य योजना/बिज़निस रिफॉर्म एक्शन प्लान (बी.आर.ए.पी.) के अन्तर्गत पारदर्शिता बढ़ाने से संबंधित सिफारिशें, ऑनलाईन स्वीकृतियां जारी करना, निरीक्षणों का युक्तिकरण, एकल खिड़की स्वीकृति/अनुमति प्रणाली (सिंगल विण्डो क्लीयरेन्स सिस्टम) तथा नीतिगत सुधार शामिल है। ईज़ ऑफ डूइंग बिज़निस हेतु उद्योग विभाग नोडल विभाग है।

बिजनिस रिफॉर्म एक्शन प्लान की संक्षिप्त स्थिति वर्ष 2015 से निरन्तर निम्न प्रकार दर्शायी गयी है।

अ. **बिज़निस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2015 (285 सुधार बिन्दु)** : राजस्थान रिफॉर्म बिन्दुओं के 61.04 प्रतिशत क्रियान्वयन के साथ छठे स्थान पर रहा तथा ''एस्पायरिंग लीडर स्टेट्स'' के रूप में सूचीबद्ध किया गया।

ब. **बिज़निस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2016 (340 सुधार बिन्दु)** : राजस्थान 96.43 प्रतिशत रिफॉर्म बिन्दुओं के क्रियान्वयन के साथ आठवें स्थान पर रहा और राज्य को ''अग्रणी राज्यों'' में सम्मिलित किया गया।

स. **बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2017 (372 सुधार बिन्दु)** : राजस्थान 95.70 प्रतिशत के संयुक्त स्कोर कार्ड के साथ देश में नौवीं रैंक हासिल की तथा इसे भारत के ''टॉप अचीवर्स'' में से एक घोषित किया गया।

द. **बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2019 (80 सुधार**

बिन्दु) : राजस्थान को भारत में सुधार बिन्दु निष्पादन में 8वाँ स्थान प्राप्त हुआ है।

य. **बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2020** : राजस्थान को बिजनेस सुधार प्लान–2020 के निष्पादन में एस्पायर श्रेणी में सम्मिलित किया गया है।

र. **बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2022 (352 सुधार बिन्दु)** : बिजनेस सुधार प्लान–2022 में कुल 352 सुधार बिन्दु सम्मिलित हैं, जिन्हें दो भागों में विभक्त किया गया है– एक्शन प्लान ए में 261 व्यवसाय केन्द्रित सुधार बिन्दु जबकि एक्शन प्लान बी में 91 नागरिक केन्द्रित सुधार बिन्दु सम्मिलित हैं। उक्त प्लान के सुधार बिन्दु से सम्बन्धित तथ्य उद्योग संवर्द्धन एवं आन्तरिक व्यापार विभाग के बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान (बी.आर.ए.पी.) पोर्टल पर अपलोड किए गए हैं।

निवेश संवर्द्धन ब्यूरो (बी.आई.पी.)

निवेश संवर्द्धन ब्यूरो राजस्थान सरकार की निवेश संवर्द्धन एजेन्सी है, जो राज्य में बड़े निवेश प्रस्तावों की सुविधा प्रदान करती है। वर्ष 1991 में अपनी स्थापना के समय से ही, सरकार एवं निवेशकों के मध्य मुद्दों के त्वरित मंजूरी एवं निवारण हेतु बी.आई.पी एक इन्टरफेस की तरह कार्य कर रहा है। बी.आई.पी. ₹10 करोड़ से अधिकता वाले निवेश प्रस्तावों के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली राज्य सर्वाधिकार प्राप्त समिति (स्टेट एम्पावर्ड कमेटी) के लिए नोडल एजेन्सी है। स्टेट एम्पावर्ड कमेटी अनुमति एवं विशेषीकृत पैकेज हेतु प्राप्त आवेदनों की जाँच करती है और बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट को सिफारिश प्रस्तुत करती है।

वित्तीय वर्ष 2022–23 (दिसम्बर, 2022 तक) के दौरान ₹1,50,082.69 करोड़ के प्रस्तावित निवेश एवं 31,823 व्यक्तियों हेतु रोजगार संभावनाओं से युक्त 36 प्रस्तावों की अनुशंषा की गई।

इन्वेस्ट कनेक्ट प्रोग्राम : इन्वेस्ट राजस्थान सम्मिट के आयोजन से पूर्व इन्वेस्टर्स कनेक्ट प्रोग्राम/मीट के आयोजन अलवर (7 अप्रैल, 2022), वडोदरा एवं अहमदाबाद (9–10 जून, 2022), दिल्ली (24 अगस्त, 2022), और जयपुर (17 सितम्बर, 2022) में किए गए। इन कनेक्ट प्रोग्राम/मीट आयोजनों का उद्देश्य संभावित निवेशकों एवं अग्रणी उद्यमियों से संवाद स्थापित करना, राज्य को एक आदर्श निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित करना एवं विभिन्न क्षेत्रों में निवेश को आकर्षित करना है।

इन्वेस्ट राजस्थान सम्मिट : इन्वेस्ट राजस्थान सम्मिट का आयोजन 7–8 अक्टूबर, 2022 को जयपुर एग्जिबिशन एण्ड कॉन्वेंशन सेन्टर (जेईसीसी), सीतापुरा, जयपुर किया गया। इन्वेस्ट राजस्थान समिट के अन्तर्गत विभिन्न सम्मेलनों, पेनल चर्चाओं, राउण्ड टेबल चर्चाओं, रोडशो, वन टू वन मीटिंग आदि का आयोजन किया गया। भारतीय उद्योग परिसंघ (सी.आई.आई.) इस आयोजन में राष्ट्रीय भागीदार था। इस कार्यक्रम में लगभग 4,000 प्रतिभागियों द्वारा भाग लिया गया। इस समिट में विभिन्न क्षेत्रों जैसे कि एम.एस.एम.ई, स्टार्टअप, फ्यूचर रेडी सेक्टर्स, टूरिज्म, एग्री बिजनेस एवं एन.आर.आर चर्चाओं हेतु कॉनक्लेव आयोजित किये गये। इस समिट के उद्घाटन सत्र के दौरान 51 परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास भी किया गया। इस सम्मिट के दौरान राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना–2022 का विमोचन भी किया गया एवं 6 गणमान्य व्यक्तियों को विभिन्न क्षेत्रों में उनके योगदान हेतु राजस्थान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। निवेश शिखर सम्मेलन के दौरान राज्य सरकार द्वारा ₹10.44 लाख करोड़ के 4,192 एम.ओ.यू./एलओआई पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

सिंगल विंडो क्लीयरेंस सिस्टम : एकल खिडकी अधिनियम समयबद्ध विभिन्न लाईसेंस, अनुमति और अनुमोदन के उद्देश्य से लाया गया है। सिंगल विंडो क्लीयरेंस सिस्टम के अंतर्गत दिसम्बर 2022 तक, 15 विभागों की 140 सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। वित्तीय वर्ष 2022–23 (दिसम्बर 2022 तक) के दौरान, विभिन्न विभागों से अनुमोदन/मंजूरी के लिए कुल 315 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से 240 प्रस्तावों को विभिन्न विभागों द्वारा मंजूरी दे दी गई है।

वन स्टॉप शॉप प्रणाली : मौजूदा सिंगल विण्डो क्लीयरेन्स सिस्टम को और अधिक सुदृढ़ करने एवं वृहद्ध निवेश प्रस्तावों को अधिक प्रभावी रूप से सुविधा प्रदान करने तथा अपेक्षित अनुमोदन/स्वीकृतियां एवं अनुमतियां त्वरित गति से एक ही स्थान पर समयबद्ध तरीके से प्रदान करने के उद्देश्य से "वन स्टॉप शॉप" सुविधा की स्थापना निवेश संवर्द्धन ब्यूरो में की गई है। वन स्टॉप शॉप के तहत माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अध्यक्षता में एक "बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेन्ट" का गठन किया गया है, जो मंत्रिपरिषद के स्थान पर निवेश प्रस्तावों को अनुमोदन/स्वीकृति प्रदान करेगा।

राजस्थान उद्यम एकल खिड़की सामर्थ्यकारी और अनुज्ञापन (संशोधन) विधेयक–2020 हेतु गजट नोटिफिकेशन दिनांक 16 सितम्बर, 2020 को जारी किया गया। संशोधित अधिनियम

के नियमों को 26 नवम्बर, 2020 को अधिसूचित किया गया। वन स्टॉप शॉप सुविधा के तहत, आवेदक द्वारा ऑनलाइन पोर्टल https://rajnivesh.rajasthan.gov.in के माध्यम से आवेदन कर सकता हैं। वित्तीय वर्ष 2022–23 (दिसम्बर, 2022 तक) के दौरान विभिन्न विभागों से संबंधित विभिन्न स्वीकृतियों एवं समाशोधन हेतु 121 आवेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें से 33 स्वीकृत किये गये हैं।

राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड (रीको)

राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड (रीको), राज्य के औद्योगिक विकास को गति देने वाली शीर्ष संस्था है। यह राज्य में निवेश को आकर्षित करने के लिए औद्योगिक आधारभूत सुविधाओं को विकसित करने एवं वित्तीय सहायता प्रदान करने में भी मदद करता है। रीको द्वारा की गई प्रमुख प्रगति निम्नानुसार हैः–

आधारभूत विकास : रीको औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना एवं औद्योगिक इकाई हेतु आधारभूत सुविधाओं का विकास करता है। रीको द्वारा वित्तीय वर्ष 2022–23 (दिसम्बर, 2022 तक) के दौरान 2,212.04 एकड़ भूमि का अधिग्रहण, 270.03 एकड़ भूमि का विकास एवं 975 भूखण्ड (औद्योगिक, वाणिज्यिक, आवासीय तथा अन्य भूखण्ड सहित) आवंटित किए हैं। इसमें 781 भूखण्डों को आवंटन पत्र जारी किये गये हैं तथा 194 भूखण्डों पर ऑफर लैटर जारी किये गये हैं। वित्तीय वर्ष 2022–23 (दिसम्बर, 2022 तक) के दौरान रीको द्वारा राज्य में 8 नए औद्योगिक क्षेत्रों चित्तौड़गढ़ जिले में तेजपुर (93.75 एकड़), जैसलमेर जिले में भनियाना (115.95 एकड़) एवं केरवा (100.00 एकड़), बांसवाड़ा जिले में राम आसपुर (61.77 एकड़), जोधपुर जिले में खुडियाल–बोरानाडा (98.84 एकड़) एवं चटलिया (74.13 एकड़), तथा नागौर जिले में गोल (61.77 एकड़) एवं हरसोर (40.52 एकड़) का विकास किया है। इस दौरान औद्योगिक क्षेत्रों पर व्यय ₹335.69 करोड़ तथा वसूली ₹1,261.90 करोड़ की रही।

वित्तीय सहायता : रीको राजस्थान में औद्योगिक विकास हेतु उद्योगों एवं अन्य परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। रीको राज्य में लघु, मध्यम एवं वृहद् श्रेणी की औद्योगिक इकाइयों के विकास के लिए अनेक प्रकार की रियायतें एवं प्रोत्साहन प्रदान करता है। यह उद्यमियों को तकनीकी तथा प्रबंधकीय सहायता/सेवाएं भी प्रदान करता है। रीको की एक मुख्य गतिविधि राज्य में स्थापित विविध परियोजनाओं को सावधि ऋण प्रदान करना है। वित्तीय वर्ष 2022–23 (दिसम्बर, 2022 तक) के दौरान सावधि ऋण की स्वीकृति ₹82.72 करोड़, ऋण वितरण ₹47.45 करोड़ एवं वसूली ₹98.61 करोड़ रही है।

केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाएं

लघु विकास केन्द्र माइक्रो स्मॉल एन्टरप्राईजेज–क्लस्टर डवलपमेंट प्रोग्राम : लघु उद्योगों के विकास के लिए ग्रामीण तथा अविकसित क्षेत्रों में एकीकृत संरचना प्रदान करने के लिये लघु विकास केन्द्र तथा माइक्रो स्मॉल एन्टरप्राईजेज–क्लस्टर डवलपमेंट प्रोग्राम योजनाओं की स्थापना की गई है। वर्तमान में ₹96.16 करोड़ के अनुदान के साथ ₹206.85 करोड़ लागत की 35 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। इन परियोजनाओं हेतु भारत सरकार द्वारा ₹66.09 करोड़ जारी किए गए हैं। 35 परियोजनाओं में से 32 परियोजनाएं पूर्ण की जा चुकी हैं। वित्तीय वर्ष 2022–23 (दिसम्बर, 2022 तक) के दौरान समस्त 35 परियोजनाओं पर कुल ₹154.33 करोड़ व्यय किए गए हैं।

विशेष सहायता – पूंजी : रीको औद्योगिक क्षेत्र, भिवाडी से निकलने वाले औद्योगिक प्रदूषित जल के प्रबन्धन प्रणाली के उन्नयन हेतु भारत सरकार द्वारा ₹146.00 करोड की विशेष सहायता प्रदान की गई है। वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान इस परियोजना के क्रियान्वयन हेतु लक्षित व्यय ₹105.00 करोड़ है। इस सम्बन्ध में दिसम्बर, 2022 तक ₹26.35 करोड का व्यय किया गया है।

रीको द्वारा विकसित विशेष पार्क्स/जोन

अ) एग्रो फूड पार्क्स : रीको द्वारा 04 एग्रो फूड पार्क्स बोरानाडा (जोधपुर), कोटा, अलवर एवं श्रीगंगानगर में विकसित किए गए हैं। रीको द्वारा औद्योगिक क्षेत्र तिंवरी, जोधपुर में लगभग 33 हैक्टेयर भूमि पर ''कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र'' भी विकसित किया गया है।

ब) जापानी क्षेत्र/जोन : रीको द्वारा नीमराना औद्योगिक क्षेत्र, जिला अलवर, में जापानी क्षेत्र स्थापित किया गया है। इस औद्योगिक क्षेत्र में अनेक बहुराष्ट्रीय कम्पनियां जैसे निसीन, मित्सुई, डाइकिन एवं डाइनिची कलर आदि संचालित है। वर्तमान में इस पार्क में 46 इकाईयां कार्यरत हैं। इन इकाईयों के द्वारा लगभग 26,105 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करने के साथ ही ₹6,473.52 करोड़ का निवेश किया गया है। अलवर जिले के घिलोठ औद्योगिक क्षेत्र में एक अन्य जापानी क्षेत्र लगभग 534 एकड़ भूमि पर स्थापित किया गया है।

स) विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज):

i. रीको द्वारा दो विशेष आर्थिक क्षेत्र (अब बहुउत्पाद विशेष

आर्थिक क्षेत्र) जेम्स एण्ड ज्वैलरी प्रथम एवं द्वितीय, सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर में स्थापित किए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2022–23 (दिसम्बर, 2022 तक) के दौरान लगभग ₹1,875.13 करोड़ का निर्यात किया गया। दिसम्बर, 2022 तक कुल 11,217 व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया गया है।

ii. महिन्द्रा ग्रुप ने रीको के साथ मिलकर महिन्द्रा वर्ल्ड सिटी (जयपुर) में ₹6,206.00 करोड़ निवेश के साथ एक बहुउत्पाद विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना की है। वित्तीय वर्ष 2022–23 (दिसम्बर, 2022 तक) के दौरान लगभग ₹1,893.75 करोड़ का निर्यात किया गया है। दिसम्बर, 2022 तक लगभग 62,973 व्यक्तियों हेतु रोजगार (प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष) सृजित किया गया है।

इंडिया स्टोन मार्ट–2022 : ''इण्डिया स्टोनमार्ट – अन्तर्राष्ट्रीय पत्थर उद्योग प्रदर्शनी'' राज्य का एक अति–महत्वपूर्ण एवं फ्लेगशिप आयोजन है। इण्डिया स्टोनमार्ट के 11वें संस्करण का आयोजन 10 से 13 नवम्बर, 2022 के दौरान जयपुर एग्जिबिशन एण्ड कॉन्वेंशन सेन्टर (जेईसीसी), सीतापुरा, जयपुर में किया गया। देशभर से बड़ी संख्या में पत्थर खनन/स्टोन माईनिंग, प्रसंस्करण/प्रोसेसिंग, मशीनरी, टूल्स एवं पत्थर शिल्प/स्टोन क्राफ्ट के उद्यमियों द्वारा इस प्रदर्शनी का भ्रमण किया गया जिससे भारतीय पत्थर उद्योग के व्यवसाय में आने वाले समय में अच्छी वृद्धि की सम्भावना है। इण्डिया स्टोनमार्ट के दौरान ही ''जयपुर आर्किटेक्चरल फेस्टिवल (जे.ए.एफ.)'' के चौथे संस्करण का भी आयोजन 11–12 नवम्बर, 2022 के दौरान किया गया। जिसमें बड़ी संख्या में देशभर के प्रतिष्ठित वास्तुकारों/आर्किटेक्ट्स द्वारा भाग लिया गया। इस कार्यक्रम के आयोजन से पत्थर व्यवसाय के उद्यमियों को देशभर से आये आर्किटेक्ट्स से सीधे सम्पर्क का अवसर प्राप्त हुआ जिससें उन्हें अपने नवीन उत्पादों को विपणन करने में अधिक सहायता प्राप्त होगी।

निगम की गतिविधियों की भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धियों का विवरण तालिका–4.6 में दर्शाया गया है।

तालिका 4.6 निगम की गतिविधियों की भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धियां

विवरण		लक्ष्य 2022-23	उपलब्धियां 2022-23*
अ. वित्तीय सहायता (सावधि ऋण)	अ– स्वीकृति (₹करोड़)	80.00	82.72
	ब– वितरित (₹करोड़)	60.00	47.45
	स– वसूली (₹करोड़)	120.00	98.61
ब. आधारभूत विकास	अ– भूमि अवाप्त (एकड़)	–	2212.04
	ब– भूमि विकसित (एकड़)	–	270.03
	स– भूखण्ड आवंटन (संख्या)	2500	975**
स. अन्य	अ– आधारभूत विकास पर व्यय (₹करोड़)	887.39	335.69
	ब– आधारभूत देय राशि की वसूली (₹करोड़)	1428.60	1261.90

*दिसम्बर, 2022 तक

**781 भूखंडों के लिए आवंटन पत्र जारी किए गए, 194 भूखंडों के लिए निविदा स्वीकृत एवं प्रस्ताव पत्र जारी किए गए, परन्तु आवंटन पत्र जारी नहीं किए गए।

राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड (राजसीको)

राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड की स्थापना लघु उद्योगों एवं कारीगरों को सहायता तथा उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं के समुचित विपणन की सुविधा प्रदान करने के लिए जून, 1961 में की गई। एक वाणिज्यिक संगठन होने के नाते यह बाजार की मांग को देखते हुए डिजाइन में बदलाव लाने एवं नई तकनीक के साथ नए उत्पादों को पेश करने का प्रयास कर रहा है। निगम राज्य के समृद्ध हस्तशिल्प को उत्थान और बढ़ावा देने के उद्देश्य से कल्याणकारी योजनाऐं तैयार करता है। वित्तीय वर्ष 2022–23 (नवम्बर, 2022 तक) के दौरान राजसीको का कारोबार (टर्न ओवर) ₹37.04 करोड़ का रहा है।

राजस्थान हस्तशिल्प नीति–2022

राज्य के हस्तशिल्पियों एवं बुनकरों के उत्थान के लिए उन्हें उन्नत तकनीक, विपणन सहायता, वित्तीय सहायता, सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के साथ क्लस्टर्स/शिल्प ग्रामों में आधारभूत सुविधाओं का विकास करना तथा रोजगार के अवसर सृजित करने के साथ–साथ राज्य की पारंपरिक शिल्प कलाओं को विकसित करने के लिए 17 सितम्बर, 2022 को राजस्थान हस्तशिल्प नीति–2022 जारी की गई है। इस नीति के अन्तर्गत हस्तशिल्पियों के आर्थिक उत्थान एवं विकास, उत्पादों की बेहतर मार्केटिंग एवं निर्यात प्रोत्साहन, विलुप्त होती पारंपरिक हस्तशिल्पों का पुनरूद्धार करना, रोजगार के अवसर उपलब्ध हो इसके लिए प्रत्येक वर्ष हस्तशिल्प सप्ताह का आयोजन, राज्य स्तरीय पुरस्कार, ऋण पर शत् प्रतिशत ब्याज प्रतिपूर्ति आदि के प्रावधान किये गये है।

निगम द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से 10,000 से अधिक व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध करवाया जा रहा है। निगम जयपुर एवं जोधपुर में स्थित शुष्क बंदरगाहों (इनलैण्ड कन्टेनर डिपो) के माध्यम से राजस्थान के निर्यातकों/आयातकों को निर्यात आधारभूत सेवाएं प्रदान कर रहा है। वर्तमान में आयात/निर्यात सुविधाएं केवल जोधपुर और जयपुर से प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त निगम द्वारा हवाई मार्ग से आयात–निर्यात की सुविधाएं सांगानेर एयरपोर्ट, जयपुर में स्थित एयर कार्गो कॉम्पलेक्स के माध्यम से प्रदान की जा रही है। इसी वित्तीय वर्ष में शीघ्र ही भीलवाड़ा में इनलैण्ड कन्टेनर डिपो प्रारम्भ किया जा रहा है।

राजसीको के अन्य कार्यों में लघु औद्योगिक इकाइयों को विपणन सहायता प्रदान करना और राजकीय विभागों को कांटेदार तार, टेन्ट, त्रिपाल, स्टील फर्नीचर, पॉलिथीन बैग्स, एंगल आयरन पोस्ट आदि जैसे लघु उद्योग उत्पादों की आपूर्ति करना है। वर्ष 2022–23 के दौरान लगभग 50 औद्योगिक इकाइयों को ऐसी सुविधाएं प्रदान की गई है।

निगम, राजस्थान के शिल्पकारों की हस्तशिल्प वस्तुओं को जयपुर, उदयपुर, दिल्ली और कोलकाता में स्थित राजस्थली विक्रय केन्द्रों के माध्यम से विपणन करता है। सम्पूर्ण राजस्थान में 450 कारीगरों से हस्तशिल्प वस्तुओं की खरीद की जाती है। शिल्पकारों को प्रोत्साहित करने के लिए निगम द्वारा प्रदर्शनियों में भाग लिया जाता है। वित्तीय वर्ष 2022–23 (नवम्बर, 2022 तक) के दौरान हस्तशिल्प वस्तुओं का कारोबार (टर्न ओवर) ₹464.11 लाख का रहा है।

राजस्थान वित्त निगम (आर.एफ.सी.)

राजस्थान वित्त निगम (आर.एफ.सी.) की स्थापना वर्ष 1955 में एम.एस.एम.ई. ईकाइयों की औद्योगिक परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी। आर.एफ.सी. की राजस्थान में औद्योगिकीकरण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका/अस्तित्व है। राजस्थान वित्त निगम द्वारा इसके प्रारम्भ से 31 मार्च, 2022 तक 84,214 इकाईयों को ₹8,696.55 करोड़ का ऋण वितरण कर राज्य के औद्योगीकरण में महत्वपूर्ण योगदान किया है। निगम द्वारा उद्यमियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए निम्नांकित ऋण योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैः–

- सामान्य परियोजना ऋण योजना
- सेवा क्षेत्र हेतु योजना
- वाणिज्यिक रियल एस्टेट सेक्टर हेतु योजना (सी.आर.ई.)
- एकल खिड़की योजना (₹200 लाख तक परियोजना लागत की लघु एवं एसएसआई इकाईयों के लिए)
- अर्हता प्राप्त पेशेवरों हेतु योजना
- फाइनेन्सिंग अगेंस्ट एसेट्स योजना
- स्विच ओवर ऋण योजना
- सरल योजना
- एम.एस.एम.ई. के वर्तमान ऋणियों हेतु टॉप–अप ऋण योजना
- सौर ऊर्जा परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए योजना
- रीको द्वारा औद्योगिक इकाईयों, होटल एवं अस्पतालों के लिए आवंटित भूमि पर वित्त पोषण हेतु ऋण योजना
- आयात लाईसेंस वाली मार्बल प्रसंस्करण इकाइयों के लिए विशेष ऋण योजना
- युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना (वाई.यू.पी.वाई.)
- निगम द्वारा परामर्श सेवाएं
- किराये के परिसर में स्थापित उद्योगों को ऋण योजना

गुड बॉरोअर्स ऋण योजनाएं

- लघु अवधि ऋण योजना (एस.टी.एल)
- कार्यशील पूंजी ऋण योजना

- विशेष कार्य हेतु कार्यशील पूंजी सावधि ऋण योजना
- गैर सहायता प्राप्त इकाइयों के लिए कार्यशील पूंजी सावधि ऋण योजना
- गोल्ड कार्ड योजना
- प्लेटिनम कार्ड योजना
- गुड बॉरोअर्स स्कीम द्वारा प्रवर्तित इकाइयों हेतु ऋण योजना
- फ्लेक्सी ऋण योजना

युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना (वाई.यू.पी.वाई.) : राज्य के औद्योगीकरण में युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से निगम द्वारा वर्ष 2013–14 में ''युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना (वाई.यू.पी.वाई.)'' के नाम से नवीन योजना प्रारम्भ की गई। इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा 1,000 इकाईयों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। राज्य सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत स्वीकृत ऋणों पर ₹1.50 करोड़ तक की ऋण सीमा पर 6 प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जाता है। योजना के अन्तर्गत युवा उद्यमियों की अधिकतम आयु 45 वर्ष निर्धारित की गई है। आर.एफ.सी. द्वारा योजना के अंतर्गत दिसम्बर, 2022 तक 544 इकाईयों को ₹551.63 करोड़ के ऋण स्वीकृत किए गए हैं।

विगत पाँच वर्षों के वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य तथा उपलब्धियों का विवरण तालिका–4.7 में दर्शाया गया है।

तालिका–4.7 राजस्थान वित्त निगम के वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य तथा उपलब्धियाँ

(₹करोड़)

वर्ष	ऋण स्वीकृति		ऋण वितरण		ऋण वसूली	
	लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य	उपलब्धियां
2019-20	250	228.60	200	190.00	300	311.53
2020-21	300	164.56	250	139.07	275	230.38
2021-22	150	131.55	100	114.13	200	284.10
2022-23*	250	67.14	175	64.59	250	198.84

* दिसम्बर, 2022 तक

वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए निगम ने वसूली के लिए ₹250.00 करोड के लक्ष्य निर्धारित किये है जो कि गत वित्तीय वर्ष 2021–22 की तुलना में ₹50.00 करोड अधिक है। कोविड–19 महामारी के बाद राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक स्थिति में सुधार को देखते हुए निगम को व्यावसायिक इकाईयों से वसूली के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने की पूर्ण आशा है और निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सार्थक प्रयास किये जा रहे हैं। निगम के द्वारा गैर निष्पादित सम्पत्तियों से वसूली के लिए भी प्रमुखता से प्रयास किये जा रहे है, ताकि निगम की वित्तीय स्थिति में सुधार लाया जा सके।

दिल्ली–मुम्बई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर (डी.एम.आई.सी.)

दादरी (उत्तर प्रदेश) और जवाहर लाल नेहरू पोर्ट (मुम्बई) के बीच एक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है, जिसकी कुल लम्बाई लगभग 1,504 किमी. है। जिसका लगभग 38 प्रतिशत भाग राजस्थान से होकर गुजरता है।

दिल्ली–मुम्बई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना भारत की सबसे महत्वाकांक्षी बुनियादी ढांचा कार्यक्रम है, जिसका लक्ष्य नए औद्योगिक शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करना एवं आधारभूत ढांचे को अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकी के रूप में परिवर्तित करना है। फ्रेट कॉरिडोर के दोनों तरफ लगभग 150 किमी. के प्रभाव क्षेत्र को दिल्ली–मुम्बई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के रूप में विकसित किये जाने हेतु चयन किया गया है। प्रथम चरण में खुशखेड़ा–भिवाड़ी–नीमराना निवेश क्षेत्र (के.बी.एन.आई.आर.) एवं जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र (जे.पी.एम.आई.ए.) को विकसित किया जा रहा है। इन दोनों नोड्स के विकास हेतु एक संयुक्त एसपीवी (स्पेशल पर्पज व्हीकल) कम्पनी – राजस्थान इण्डस्ट्रीयल डवलपमेंट कारपोरेशन (आर.आई.डी.सी.ओ.) की स्थापना दिनांक 15 मार्च 2022 की गई है।

खुशखेड़ा–भिवाड़ी–नीमराना निवेश क्षेत्र (के.बी.एन.आई.आर.) : खुशखेड़ा–भिवाड़ी–नीमराना निवेश क्षेत्र लगभग 165 वर्ग किमी. का क्षेत्र है और इसमें अलवर जिले के

43 गाँव सम्मिलित हैं। खुशखेड़ा–भिवाड़ी–नीमराना निवेश क्षेत्र के लिए विस्तृत विकास योजना तैयार कर अन्तिम रूप दिया गया है।

इसके प्रथम चरण में 532.30 हैक्टेयर भूमि एवं एप्रोच रोड़ हेतु आवश्यक 26.65 हैक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया गया है। वित्तीय वर्ष 2020–21 तक परियोजना प्रभावित व्यक्तियों (पी.ए.पी.) को ₹82.46 करोड़ का मुआवजा वितरित किया जा चुका है। इसके बाद रीको द्वारा मुआवजा राशि वहन करने का निर्णय लिया गया एवं अप्रैल, 2021 से नवम्बर, 2022 तक रीको द्वारा परियोजना प्रभावित व्यक्तियों (पी.ए.पी.) को ₹270.93 करोड़ का मुआवजा वितरित किया गया है। इस प्रकार कुल ₹353.39 करोड राशि वितरित की गई है एवं शेष मुआवजा वितरण प्रक्रियाधीन है।

जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र (जे.पी.एम.आई.ए.) : जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र को पाली जिले के 9 गाँव सम्मिलित करते हुए लगभग 154 वर्ग किमी. क्षेत्र में विकसित किया जा रहा है।

जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र को 12 अक्टूबर, 2020 को विशेष निवेश क्षेत्र (एस.आई.आर.) के रूप में अधिसूचित किया गया है। रीको को जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र की जिम्मेदारी सौंपी गई है तथा जोधपुर–पाली–मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण के रूप में 12 अक्टूबर, 2020 को अधिसूचना जारी कर नामित किया गया। परियोजना क्षेत्र में आने वाली निजी खातेदारी भूमि की अवाप्ति हेतु सामाजिक प्रभाव आकलन की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है।

राजस्थान विशेष निवेश क्षेत्र अधिनियम–2016

राज्य एवं डी.एम.आई.सी. क्षेत्र में ''राजस्थान विशेष निवेश क्षेत्र अधिनियम–2016'' के नाम से एक विशेष कानून 26 अप्रैल, 2016 को अधिसूचित किया गया और इस अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गये नियमों को भी अधिसूचित किया गया है। राजस्थान विशेष निवेश क्षेत्र के विकास हेतु प्रवर्तन एवं निगरानी बाबत एक राज्य स्तरीय ''राजस्थान विशेष निवेश क्षेत्र बोर्ड'' का गठन किया गया है।

अलवर जिले की बहरोड़, मुण्डावर, नीमराना, कोटकासिम एवं तिजारा तहसीलों के 363 गाँवों को सम्मिलित करते हुए एक विशेष निवेश क्षेत्र ''भिवाड़ी इंटिग्रेटेड टाउनशिप (बी.आई.टी)'' के नाम से घोषित किया गया है तथा दिनांक 22 फरवरी, 2018 की अधिसूचना द्वारा एक क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण ''भिवाड़ी एकीकृत विकास प्राधिकरण'' (बी.आई.डी.ए.) का गठन किया गया है। दिनांक 28 दिसम्बर, 2020 को जारी एक अधिसूचना के द्वारा, 43 ग्रामों को पृथक कर खुशखेड़ा–भिवाड़ी–नीमराना निवेश क्षेत्र को विशेष निवेश क्षेत्र घोषित किया गया है, जिसके लिए रीको क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण होगा। भिवाड़ी इंटिग्रेटेड टाउनशिप के शेष 321 ग्रामों के लिए बी.आई.डी.ए. ही क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण के रूप में कार्य कर रहा है।

खादी एवं ग्रामोद्योग (के.वी.आई.)

खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना असंगठित क्षेत्र के कारीगरों को रोजगार प्रदान करने, उच्च गुणवत्तायुक्त उत्पादों के उत्पादन में सहायता प्रदान करने, दस्तकारों को प्रशिक्षण प्रदान करने और आत्मनिर्भरता की भावना जागृत करने के लिए की गई। राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में खादी तथा ग्रामोद्योग के माध्यम से स्वरोजगार उपलब्ध कराने में राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। वर्तमान में, राज्य में खादी एवं ग्रामोद्योग द्वारा निम्नलिखित योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं।

खादी कामगार आर्थिक प्रोत्साहन योजना : राज्य बजट घोषणा 2022–23 की अनुपालना में खादी कामगारों को पर्याप्त पारिश्रमिक देने एवं राज्य में खादी के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राज्य में दिनांक 13 जुलाई, 2022 से खादी कामगार आर्थिक प्रोत्साहन योजना लागू की गई है। इस योजना के अन्तर्गत लगभग 20,000 खादी कामगारों को लाभान्वित किया जाएगा और इस हेतु ₹18.00 करोड़ राशि का व्यय अनुमानित है। दिसम्बर, 2022 तक योजना की क्रियान्विति की अनुपालना में 12 संस्थाओं से निर्धारित प्रपत्र में भुगतान हेतु सूचना प्राप्त हुई है। अब तक 880 कत्तिन, 98 बुनकर एवं 76 अन्य श्रमिकों सहित कुल 1,054 खादी कामगारों को ₹11.50 लाख का भुगतान किया जा गया है।

प्रधानमंत्री ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (पी.एम.ई.जी.पी.) : प्रधानमंत्री ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (पी.एम.ई.जी.पी.) खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, भारत सरकार के माध्यम से खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा संचालित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022–23 (दिसम्बर, 2022 तक) के दौरान 261 ग्रामोद्योग इकाईयाँ स्वीकृत की गई एवं 1,373 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है।

छूट (रिबेट) : राज्य में खादी वस्त्रों की फुटकर बिक्री पर कुल 50 प्रतिशत (राज्य सरकार द्वारा केवल राज्य में उत्पादित खादी वस्त्रों की बिक्री पर 35 प्रतिशत, मार्केटिंग डवलपमेंट असिस्टेंस मद के अन्तर्गत 10 प्रतिशत व संस्थाओं द्वारा 5

प्रतिशत) की छूट 02 अक्टूबर, 2022 से 30 जनवरी, 2023 तक प्रदान की गई है।

बजट प्रावधान : राज्य बजट के अंतर्गत बोर्ड द्वारा विपणन विकास सहायता (मार्केटिंग डवलपमेंट असिसटेन्स), बोर्ड प्रशिक्षण केन्द्रों के विकास हेतु अनुदान, कम्प्यूटराईजेशन ऑफ बोर्ड एण्ड सेन्टर्स, खादी एक नई पहल योजना एवं भण्डार नवीनीकरण आदि का संचालन किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2022—23 के दौरान कुल स्वीकृत बजट राशि ₹1020.30 लाख के विरूद्ध दिसम्बर, 2022 तक ₹187.82 लाख का व्यय किया गया है।

अभिनव योजनाएं

1. राज्य की 144 खादी संस्थाओं/सहकारी समितियों के विक्रय भण्डारों के आधुनिकीकरण को सुदृढ़ करने के क्रम में उनके कम्प्यूटराईजेशन हेतु राशि ₹1.00 करोड़ का प्रावधान किया गया है। राज्य बजट घोषणा की अनुपालना में जेम (गवर्नमेंट ई—मार्केटप्लेस) पोर्टल के माध्यम से 100 कम्प्यूटर, प्रिन्टर्स एवं यूपीएस क्रय किये जा चुके हैं। जिन्हें संस्थाओं/सहकारी समितियों को वितरित किया गया है।

2. बजट घोषणा वर्ष 2021—22 के तहत 5,500 कत्तिनों एवं 300 बुनकरों को प्रशिक्षण दिलाये जाने हेतु कत्तिनों को राशि ₹300 एवं बुनकरों को राशि ₹500 प्रतिदिन मानदेय दिया जाएगा। प्रशिक्षणोपरान्त 500 कत्तिनों को अम्बर चरखे व 300 बुनकरों को करघे निःशुल्क वितरित किये जायेंगे जिसके लिए राशि ₹725.00 लाख का प्रावधान रखा गया है। दिसम्बर, 2022 तक कुल 2,278 प्रशिक्षुओं को लाभान्वित किया गया है।

3. राज्य बजट घोषणा 2022—23 की अनुपालना में कत्तिनों एवं बुनकरों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कोटा, जोधपुर, भरतपुर एवं बीकानेर संभाग में प्रशिक्षण केन्द्र प्रारंभ किये जाने हैं। इसके अन्तर्गत खादी ग्रामोद्योग समिति, भरतपुर द्वारा 19 नवम्बर, 2022 से भरतपुर में, हाड़ौती क्षेत्रीय खादी ग्रामोद्योग समिति, कोटा द्वारा 21 नवम्बर, 2022 से कोटा में तथा 28 नवम्बर, 2022 से बीकानेर में प्रशिक्षण सत्र प्रारम्भ किये गये हैं।

4. वित्तीय वर्ष 2022—23 के दौरान दिनांक 2 अक्टूबर से 15 अक्टूबर 2022 तक राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के परिसर में जिला स्तरीय प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें कुल ₹30.18 लाख की खादी एवं ग्रामोद्योग उत्पादों की बिक्री हुई। प्रदर्शनी का उदघाटन माननीय उद्योग मंत्री के द्वारा किया गया।

पिछले चार वर्षों के दौरान खादी एवं ग्रामोद्योग की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति क्रमशः तालिका 4.8 एवं 4.9 में दी गई है।

तालिका—4.8 खादी एवं ग्रामोद्योग की वित्तीय प्रगति

(₹लाख)

वर्ष	प्रावधान	व्यय
2019-20	442	315
2020-21	389	226
2021-22	515	262
2022-23*	1020	188

* दिसम्बर, 2022 तक

तालिका—4.9 खादी एवं ग्रामोद्योग की भौतिक प्रगति

वर्ष	स्वीकृत/वितरित इकाई				रोजगार संख्या				उत्पादन (₹लाख)	
	भौतिक		वित्तीय (₹लाख)		खादी		ग्रामोद्योग		खादी	
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
2019-20	1019	445	3058.26	1320.14	22767	15144	8129	2519	9867.16	7564.55
2020-21	806	545	2418.02	1999.69	22852	21348	6466	4181	9915.91	7749.35
2021-22	1088	479	3156.36	1894.80	20382	13730	8631	5184	7280.00	4621.05
2022-23*	929	261	2926.35	1373.45	17208	11690	7432	1373	10473.00	2215.78

* दिसम्बर, 2022 तक

कारखाना एवं बॉयलर्स

इस विभाग का मुख्य कार्य कारखाना अधिनियम–1948, बॉयलर अधिनियम–1923 एवं मजदूरी भुगतान अधिनियम–1936 तथा भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा की शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 के प्रावधानों को लागू करना है। उपर्युक्त अधिनियमों के प्रावधानों एवं उसके तहत बनाए गए नियमों की अनुपालना हेतु समय–समय पर विभाग के अधिकारियों द्वारा कारखानों का निरीक्षण किया जाता है एवं कारखाना प्रबन्धकों को दिशा–निर्देश जारी किए जाते हैं।

विभागीय अधिकारियों द्वारा वित्तीय वर्ष 2022–23 (नवम्बर, 2022 तक) के दौरान 2,567 कारखाना एवं बॉयलर्स के निरीक्षण किए गए। इसी अवधि के दौरान विभाग द्वारा 482 नए कारखानों एवं 98 नए बॉयलर्स का पंजीयन किया गया, जिनमें लगभग 41,843 श्रमिकों को रोजगार प्रदान किया गया है।

नए उद्यमियों को विभाग द्वारा लागू किए गए अधिनियमों व इसके मुख्य प्रावधानों की जानकारी देने हेतु विभाग द्वारा एक वेबसाइट www.rajfab.nic.in विकसित की गई है और उक्त अधिनियमों के अन्तर्गत पंजीकरण, नवीनीकरण और नक्शों की समय पर स्वीकृति के लिए एक वेब एप्लीकेशन rajfab.rajasthan.gov.in को विकसित किया गया है।

कारखानों में सुरक्षित एवं स्वस्थ कार्य वातावरण सुनिश्चित करने और व्यवसाय–जनित रोगों की जाँच के लिए औद्योगिक स्वास्थ्य प्रयोगशाला स्थापित की गयी। वित्तीय वर्ष 2022–23 (नवम्बर, 2022 तक) में, 139 कारखानों से 745 नमूने एकत्र किए गए एवं उनका विश्लेषण किया गया। जिन कारखानों में वायु प्रदूषण निर्धारित मापदण्ड से अधिक पाया गया, उन्हें नियंत्रित करने के लिए कारखाना प्रबन्धकों को सुझाव दिए गए हैं।

औद्योगिक दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए एवं सुरक्षा के प्रति जागरूकता पैदा करने हेतु कारखानों के श्रमिकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करना अत्यन्त महत्वपूर्ण है। औद्योगिक दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए नवम्बर, 2022 तक 73 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें 1,835 प्रशिक्षणार्थियों को लाभान्वित किया गया।

राजस्थान में खनन क्षेत्र

राजस्थान में खनिज संसाधन

देश में खनिजों की उपलब्धता और विविधता के मामले में राजस्थान सर्वाधिक समृद्ध राज्यों में से एक है। यहां 81 विभिन्न प्रकार के खनिजों के भण्डार हैं। इनमें से वर्तमान में 58 खनिजों का खनन किया जा रहा है। राजस्थान सीसा एवं जस्ता अयस्क, सेलेनाईट और वॉलेस्टोनाइट का एकमात्र उत्पादक राज्य है। देश में चाँदी, केल्साइट और जिप्सम का लगभग पूरा उत्पादन राजस्थान में होता है। राजस्थान देश में बॉल क्ले, फॉस्फोराइट, ओकर (गेरू), स्टेटाइट, फेल्सपार एवं फायर क्ले का भी प्रमुख उत्पादक है। राज्य का आयामी और सजावटी पत्थर यथा– संगमरमर, सेण्डस्टोन, ग्रेनाईट आदि के उत्पादन में भी देश में प्रमुख स्थान है। भारत में सीमेन्ट ग्रेड व स्टील ग्रेड लाइम स्टोन का राज्य अग्रणी उत्पादक है। वर्तमान में खनन पट्टों को ई–नीलामी प्रक्रिया द्वारा प्रदान किया जा रहा है।

राज्य में प्रधान खनिजों के 169 खनन पट्टे, अप्रधान खनिजों के 15,759 खनन पट्टे एवं 17,462 खदान लाईसेन्स विद्यमान हैं। खान एवं भू–विज्ञान विभाग को वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु ₹8,000 करोड़ का राजस्व लक्ष्य तय किया गया, जिसके विरूद्ध दिसम्बर, 2022 तक कुल ₹4,880.00 करोड़ का राजस्व अर्जित किया गया है। गत वित्तीय वर्ष के दौरान दिसम्बर, 2021 तक कुल ₹4,159.72 करोड़ राजस्व एकत्रित किया गया था। इस प्रकार गत वर्ष की तुलना में इसी अवधि के दौरान संकलित राजस्व ₹720.28 करोड़ अधिक है।

सघन खनिज सर्वेक्षण एवं पूर्वेक्षण योजना (आई.पी.एस): वर्ष 2022–23 के लिए खनिज सर्वेक्षण और पूर्वेक्षण योजना के अनुमोदित क्षेत्र कार्यक्रम के अनुसार 8 अन्वेषण कार्यक्रमों के तहत भू–वैज्ञानिक जांच कार्यक्रमों के लिए कुल 37 परियोजनाएं रखी गईं थी। वित्तीय वर्ष 2022–23 (दिसम्बर, 2022 तक) के दौरान किए गए पूर्वेक्षण कार्य की लक्ष्यवार भौतिक उपलब्धियां तालिका–4.10 में दर्शाई गई है।

तालिका–4.10 खान एवं खनिज की प्रगति

कार्य की प्रकृति	वार्षिक लक्ष्य	उपलब्धियां
क्षेत्रीय खनिज सर्वेक्षण (वर्ग किमी.)	1100.00	805.00
क्षेत्रीय भू–गर्भीय मानचित्र (वर्ग किमी.)	385.00	287.75
विस्तृत भू–गर्भीय मानचित्र (वर्ग किमी.)	66.20	41.88
छिद्रण (मीटर)	5900.00	1170.50
भू–भौतिकी सर्वेक्षण (लाइन किमी.)	54.00	22.00

* दिसम्बर, 2022 तक

राजस्थान राज्य खनिज अन्वेषण न्यास : राजस्थान राज्य खनिज अन्वेषण न्यास, जयपुर का मुख्य कार्य खान एवं भू–विज्ञान विभाग का सुदृढ़ीकरण, खनिज पूर्वेक्षण एवं अन्वेषण, विभागीय सुदृढ़ीकरण, तकनीकी नवाचार, तकनीकी परामर्श, लॉजिस्टिक सपोर्ट, खनिज व्यवसाय का विकास करना है। ट्रस्ट द्वारा किए जा रहे मुख्य कार्य हैं–

i. केंद्रीय प्रयोगशाला निदेशालय खान एवं भू–विज्ञान विभाग, उदयपुर में 2,430 नमूनों का रासायनिक विश्लेषण एन.ए.बी.एल. मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला द्वारा निविदा के माध्यम से किया गया है, जिसका अनुमानित व्यय ₹31.00 लाख है।

ii. खनिज चूना पत्थर एवं लौह अयस्क के अन्वेषण हेतु भीलवाड़ा, जोधपुर, राजसमंद, झुंझुनूं जिलों में 12,300 मीटर कोर ड्रिलिंग का कार्य निविदा द्वारा किया जा रहा है, जिसका अनुमानित व्यय ₹6.00 करोड़ है।

डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउण्डेशन ट्रस्ट (डी.एम.एफ.टी.) : डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन (डी.एम.एफ.) एक गैर–लाभकारी निकाय के रूप में स्थापित एक ट्रस्ट है, जो खनन कार्यों से प्रभावित जिलों में, खनन प्रभावित व्यक्तियों और क्षेत्रों के हित और लाभ के लिए काम करता है। यह केंद्र या राज्य सरकार द्वारा निर्धारित जिले में प्रधान/अप्रधान खनिज रियायत धारकों के योगदान के माध्यम से वित्त पोषित है। यह राज्य सरकार द्वारा खनन गतिविधियों से प्रभावित व्यक्तियों/क्षेत्रों के विकास हेतु संचालित ऐसी योजनाओं को भी पूरक सहायता प्रदान करता है, जो डी.एम.एफ. के उद्देश्यों के अनुरूप है। प्रत्येक जिले में जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट की स्थापना हेतु राज्य सरकार द्वारा दिनांक 31 मई, 2016 को डीएमएफटी नियम, 2016 अधिनियमित किया गया। प्रदेश के समस्त 33 जिलों में जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट की स्थापना की गई है।

डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट के अन्तर्गत दिसम्बर, 2022 तक के कार्यों एवं वित्तीय गतिविधियों का विवरण तालिका–4.11 में दर्शाया गया है।

तालिका–4.11 डी.एम.एफ.टी. के अन्तर्गत दिसम्बर, 2022 तक के कार्य एवं वित्तीय गतिविधियां

गतिविधि	इकाई	उपलब्धि
कुल स्वीकृत कार्य	संख्या	27810
कुल कार्यों की अनुमानित लागत	₹करोड़	7853.66
वित्तीय स्वीकृति जारी कार्य	संख्या	17188
वित्तीय स्वीकृति जारी कार्यों की राशि	₹ करोड़	4862.16
पूर्ण किये जा चुके कार्य	संख्या	11032
कुल व्यय दिसम्बर, 2022 तक	₹ करोड़	3163.98

खनिजों के अवैध खनन और परिवहन की जांच के लिए विभाग द्वारा 2022–23 (दिसम्बर, 2022 तक) में की गई कार्यवाही का विवरण तालिका–4.12 में दर्शाया गया है।

तालिका–4.12 विभाग द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण

विवरण	2022-23*
अवैध खनन/निर्गमन/स्टॉक के दर्ज प्रकरणों की संख्या	7167
दर्ज कराई गई एफ.आई.आर. की संख्या	749
जब्त वाहन/मशीन/औजारों की संख्या	7151
अवैध खनन/निर्गमन से वसूल शास्ति राशि (₹करोड़ में)	56.27

* दिसम्बर, 2022 तक

एम–सेण्ड नीति–2020

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राज्य में नदी नालों से खनिज बजरी के खनन पर रोक लगाने के पश्चात खनिज बजरी की मांग और आपूर्ति के अंतर को कम करने के विकल्प के रूप में एम–सैंड पॉलिसी–2020 अधिसूचना 25 जनवरी, 2021 को जारी की गई। एम–सैंड इकाई को उद्योग का दर्जा दिया गया है। ये इकाईयां राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, 2019 के तहत लाभ पाने की हकदार हैं। इस नीति के अन्तर्गत राज्य के राजकीय निर्माण कार्यों में न्यूनतम 25 प्रतिशत एम–सैंड का उपयोग अनिवार्य है, जिसे उपलब्धता के आधार पर 50 प्रतिशत तक बढ़ाया जाना प्रस्तावित है। खनन क्षेत्र में उपलब्ध ओवरबर्डन से निर्मित एम–सैंड पर देय डीएमएफटी की राशि में शत–प्रतिशत छूट का प्रावधान किया गया है।

राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड (आर.एस.एम.एम.एल.)

राजस्थान राज्य में उपलब्ध खनिजों का वैज्ञानिक रूप से अन्वेषण/उत्खनन करने के उद्देश्य से राजस्थान स्टेट माइन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड नाम से एक कम्पनी की स्थापना, कम्पनी अधिनियम–1956 के प्रावधानों के तहत 30 अक्टूबर, 1974 को की गई थी।

राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड राज्य का सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में से एक है, जो मुख्य रूप से राज्य में औद्योगिक खनिजों के खनन एवं विपणन के कार्यों में कार्यरत है। कम्पनी का मुख्य उद्देश्य लागत प्रभावी तकनीक का प्रयोग करते हुए खनिज सम्पदा का आधुनिक तकनीकों से दोहन करना है। कम्पनी के पास स्टील ऑथोरिटी ऑफ इण्डिया के साथ अल्प–सिलिका लाइम स्टोन आपूर्ति का दीर्घकालिक अनुबन्ध है।

प्रारम्भ से ही आर.एस.एम.एम.एल. द्वारा खनिज क्षेत्र में खनिजों के अन्वेषण/खुदाई के लिए नई दिशा में प्रयास किए गए। इसके फलस्वरूप कम्पनी उत्पादकता बढ़ाने तथा उच्च लाभ अर्जित करने का मार्ग प्रशस्त कर रही है।

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान, आर.एस.एम.एम.एल. के द्वारा सकल राजस्व तथा कर पूर्व लाभ क्रमशः ₹1,354.06 करोड़ तथा ₹421.27 करोड़ (अनअंकेक्षित) थे। वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान, आर.एस.एम.एम.एल. के द्वारा सकल राजस्व तथा कर पूर्व लाभ क्रमशः ₹1,770.30 करोड़ तथा ₹650.67 करोड़ है।

राजस्थान स्टेट माइन्स एवं मिनरल्स लिमिटेड अपने वैधानिक एवं अन्य देयताओं को जमा कराने में नियमित रही है। कम्पनी द्वारा नवम्बर, 2022 तक राजस्थान सरकार को ₹205.34 करोड़ रॉयल्टी, जिला खनिज फाउण्डेशन (डी.एम.एफ.) के बकाया, राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट के बकाया (एन.एम.ई.टी), वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी), लाभांश आदि राजकोष में जमा करवाये गए तथा वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए ₹381.26 करोड़ जमा कराए जाने की सम्भावना है।

कम्पनी की मुख्य गतिविधियों को चार भागों में बांटा गया है जिसे स्ट्रेटजिक बिजनेस यूनिट एवं प्रोफिट सेन्टर (एस. बी. यू. एण्ड पी. सी.) कहा जाता है, जिस पर सीधा नियंत्रण उदयपुर कॉर्पोरेट ऑफिस का होता है। उपर्युक्त चार एस. बी. यू. एवं पीसी. इस प्रकार हैं–

i. स्ट्रेटजिक बिजनेस यूनिट एवं प्रोफिट सेन्टर–रॉकफॉस्फेट झामर कोटड़ा, उदयपुर।

ii. स्ट्रेटजिक बिजनेस यूनिट एवं प्रोफिट सेन्टर–जिप्सम, बीकानेर।

iii. स्ट्रेटजिक बिजनेस यूनिट एवं प्रोफिट सेन्टर–लाईमस्टोन, जोधपुर।

iv. स्ट्रेटजिक बिजनेस यूनिट एवं प्रोफिट सेन्टर–लिग्नाईट, जयपुर।

वित्तीय वर्ष 2022–23 (नवम्बर, 2022 तक) तक अर्जित परिचालन राजस्व के सन्दर्भ में वित्तीय स्थिति के आंकड़े तालिका–4.13 में दर्शाए गए हैं।

तालिका–4.13 परिचालन राजस्व के सम्बन्ध में वित्तीय स्थिति

(₹करोड़)

विवरण	परिचालन राजस्व 2022-23*
एस.बी.यू. एण्ड पी.सी. रॉक फास्फेट	687.51
एस.बी.यू. एण्ड पी.सी. लाइम स्टोन	170.80
एस.बी.यू. एण्ड पी.सी. जिप्सम	23.25
एस.बी.यू. एण्ड पी.सी. लिग्नाइट	292.48
106.30 मेगावाट पवन ऊर्जा एवं 5 मेगावाट सोलर ऊर्जा संयत्र	37.65

* नवम्बर, 2022 तक

सामाजिक गतिविधियां

आर.एस.एम.एम.एल. अपने सामाजिक दायित्वों के निर्वहन में विभिन्न संस्थाओं के लिए निरन्तर योगदान दे रहा है। इस सम्बन्ध में वित्तीय वर्ष 2022–23 (नवम्बर, 2022 तक) के दौरान सी.एस.आर गतिविधियों पर कुल ₹21.00 लाख एवं वानिकी एवं पौधारोपण पर ₹57.83 लाख व्यय किए गए हैं।

तेल एवं प्राकृतिक गैस

संयुक्त राज्य अमेरिका एवं चीन के बाद भारत विश्व में कच्चे तेल का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। देश में विश्व का लगभग 5 प्रतिशत कच्चा तेल खपत होता है। भारत कुल घरेलू उपभोग का लगभग 16 प्रतिशत कच्चा तेल उत्पादित करता है, जबकि शेष 84 प्रतिशत खपत की आवश्यकताएं आयात से पूर्ण होती हैं।

राजस्थान भारत में कच्चे तेल का महत्वपूर्ण उत्पादक है। भारत के कच्चे तेल के कुल उत्पादन (30 एम.एम.टी.पी.ए.) में राज्य का योगदान लगभग 20 प्रतिशत (6 मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष) है और यह बॉम्बे हाई, जो कि लगभग 40 प्रतिशत का योगदान देता है, के बाद दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। राज्य में पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र निम्नलिखित 4 पेट्रोलीफेरस बेसिन के अन्तर्गत लगभग 1,50,000 वर्ग किमी. (14 जिले) क्षेत्र में विस्तृत है।

i. बाड़मेर–सांचोर बेसिन – (बाड़मेर एवं जालौर जिले)

ii. जैसलमेर बेसिन– (जैसलमेर जिला)

iii. बीकानेर – नागौर बेसिन – (बीकानेर, नागौर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ एवं चूरू जिले)

iv. विंध्ययन बेसिन – (कोटा, बारां, बून्दी, झालावाड़ जिले तथा भीलवाड़ा एवं चित्तौड़गढ़ जिलों का कुछ हिस्सा)

1. कच्चे तेल एवं प्राकृतिक गैस का दोहन, उत्पादन एवं विकास की गतिविधियां:–

- मंगला तेल क्षेत्र से खनिज तेल का व्यावसायिक उत्पादन 29 अगस्त, 2009 से प्रारम्भ हुआ और वर्तमान में 14 क्षेत्रों यथा– मंगला, भाग्यम, ऐश्वर्या, सरस्वती, रागेश्वरी, कामेश्वरी एवं अन्य सेटेलाइट क्षेत्र से लगभग 98,000–1,02,000 बैरल्स खनिज तेल का प्रतिदिन उत्पादन किया जा रहा है।
- वित्तीय वर्ष 2022–23 (नवम्बर, 2022 तक) के दौरान बाड़मेर–सांचौर बेसिन से कुल 34.93 लाख मैट्रिक टन खनिज तेल का उत्पादन केयर्न इंण्डिया लिमिटेड द्वारा किया गया तथा जैसलमेर एवं बाड़मेर–सांचौर बेसिन से लगभग 1,080.26 एम.एम.एस.सी.एम. प्राकृतिक गैस का केयर्न इंण्डिया लिमिटेड, फोकस एनर्जी, ओ.एन.जी.सी. एल. एवं ऑयल इण्डिया लिमिटेड द्वारा वित्तीय वर्ष 2022–23 (नवम्बर, 2022 तक) के दौरान किया गया है।
- राज्य सरकार द्वारा खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस के दोहन हेतु 11 पेट्रोलियम खनन पट्टे (पी.एम.एल.) स्वीकृत किए गए। 16 ब्लॉक्स में अन्वेषण का कार्य चल रहा है जिसके लिए पेट्रोलियम अन्वेषण लाईसेन्स (पी.ई.एल.) दिए गए हैं।
- बाड़मेर–सांचौर बेसिन में खोजे गए 38 क्षेत्रों में कुल लगभग 182 मिलियन बैरल तेल के प्रमाणित भण्डार का आंकलन किया गया है।
- जैसलमेर बेसिन एवं बाड़मेर–सांचौर बेसिन में ऑयल इण्डिया लिमिटेड, ओ.एन.जी.सी., केयर्न इण्डिया एवं फोकस एनर्जी द्वारा लगभग 12.2 बिलियन क्युबिक मीटर प्राकृतिक गैस के भण्डार प्रमाणित किए गए हैं।
- वित्तीय वर्ष 2022–23 (नवम्बर, 2022 तक) के दौरान ₹3,603.38 करोड़ राजस्व अर्जित किया गया है।
- जैसलमेर जिले के बाघेवाला क्षेत्र से नवम्बर, 2022 तक लगभग 62,658 बैरल कच्चे तेल का दोहन किया गया है। वर्तमान में, 338 बैरल प्रतिदिन भारी तेल (बी.ओ.पी.डी.) का उत्पादन किया जा रहा है।
- बाड़मेर बेसिन से तेल एवं गैस की खोज के लिए एक नया ब्लॉक राज्य सरकार द्वारा 30 नवम्बर, 2022 को गेल इण्डिया लिमिटेड को स्वीकृत किया गया है।
- पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा डीएसएफ–।।। के अन्तर्गत तेल और गैस अन्वेषण हेतु जैसलमेर बेसिन में एक नया ब्लॉक 08 सितम्बर, 2022 को ऑयल इण्डिया लिमिटेड को आवंटित किया गया है तथा पेट्रोलियम खनन पट्टे (पी.एम.एल.) की स्वीकृति प्रक्रियाधीन है।

2. राजस्थान रिफाईनरी परियोजना : एच.पी.सी.एल राजस्थान रिफाईनरी लिमिटेड (एच.आर.आर.एल.) हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन एवं राजस्थान सरकार का क्रमशः 74 प्रतिशत (₹10,638 करोड़) और 26 प्रतिशत

(₹3,738 करोड़) की इक्विटी साझेदारी के साथ संयुक्त उद्यम है। 9 मिलियन टन वार्षिक क्षमता की रिफाईनरी सह–पेट्रोकेमिकल कॉम्पलेक्स परियोजना के कार्य का शुभारम्भ 16 जनवरी, 2018 को पचपदरा, जिला बाड़मेर में किया गया। परियोजना की लागत ₹43,129 करोड़ है और यह 2:1 के ऋण इक्विटी अनुपात पर वित्त पोषित है। यह रिफाइनरी बीएस–6 मानक के उत्पादों का उत्पादन करेगी। यह देश की प्रथम ऐसी परियोजना है, जिसमें रिफाईनरी पेट्रोकेमिकल कॉम्पलेक्स का सम्मिश्रण है। नवम्बर, 2022 तक विभिन्न निर्माण गतिविधियों हेतु ₹23,057 करोड़ का व्यय किया गया है। इस परियोजना में लगभग 56.30 प्रतिशत कार्य पूर्ण एवं 17,000 से अधिक श्रमिक कार्यरत हैं

पेट्रोलियम क्षेत्र से अर्जित उत्पादन और राजस्व तालिका–4.14 में दर्शाया गया है।

तालिका–4.14 पेट्रोलियम क्षेत्र से अर्जित उत्पादन और राजस्व

वर्ष	क्रूड ऑयल			प्राकृतिक गैस		पी.ई.एल. फीस अनिवार्य किराया आदि (₹करोड़)	कुल (₹करोड़) (2+5+7)
	रॉयल्टी (₹करोड़)	उत्पादन (लाख मैट्रिक टन)	उत्पादन (मिलियन बैरल)	रॉयल्टी (₹करोड़)	उत्पादन (एम.एम.एस. सी.एम.)		
1	2	3	4	5	6	7	8
2019-20	3183.41	66.29	47.88	126.21	1160.92	10.48	3320.10
2020-21	1784.32	58.83	42.62	112.42	1232.75	8.05	1904.79
2021-22	3601.13	58.63	42.46	384.54	1684.51	9.72	3995.40
2022-23*	3214.93	34.93	25.27	377.45	1080.26	10.99	3603.38

* नवम्बर, 2022 तक

श्रम

राज्य में श्रम विभाग उच्च औद्योगिक उत्पादन को बनाए रखने और श्रमिकों को समय पर वेतन एवं भत्तों का भुगतान सुनिश्चित करने तथा विभिन्न श्रम कानूनों के प्रवर्तन के माध्यम से रोजगार के नियमों एवं प्रावधानों के प्रभावपूर्ण क्रियान्वयन द्वारा उनके हितों की रक्षा करने के लिए क्रियाशील है।

राज्य सरकार द्वारा दिनांक 28 जून, 2022 को अधिसूचना जारी कर 1 जुलाई, 2021 से अकुशल, अर्द्धकुशल, कुशल एवं उच्च कुशल श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी की दरों को संशोधित कर क्रमशः ₹259, ₹271, ₹283 व ₹333 प्रतिदिन कर दिया गया है।

भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल द्वारा निर्माण श्रमिकों हेतु निम्नलिखित कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैः–

- **निर्माण श्रमिक शिक्षा एवं कौशल विकास योजना :** इस योजना के अन्तर्गत कक्षा 6 से उच्चतर अध्ययन हेतु हिताधिकारी बच्चों को ₹8,000 से ₹25,000 की छात्रवृत्ति दी जाती है एवं मेधावी बच्चों को ₹4,000 से ₹35,000 (पात्रता के अनुसार) प्रोत्साहन राशि दी जाती है। वित्तीय वर्ष 2022–23 (नवम्बर, 2022 तक) के दौरान कुल 63,302 हिताधिकारियों के बच्चों को लाभान्वित किया गया है एवं इस योजना में ₹7.37 करोड़ राशि व्यय की गई है।
- **हिताधिकारी की सामान्य अथवा दुर्घटना में मृत्यु या घायल होने की दशा में सहायता योजना :** इस योजना के अन्तर्गत ₹2.00 लाख से ₹5.00 लाख तक की सहायता हिताधिकारियों/आश्रितों को दी जाती है। वित्तीय वर्ष 2022–23 (नवम्बर, 2022 तक) के दौरान कुल 882 हिताधिकारियों को ₹14.46 करोड़ की राशि द्वारा लाभान्वित किया गया है।

- **प्रसूति सहायता योजना** : इस योजना के अन्तर्गत लड़के के जन्म पर ₹20,000 व लड़की के जन्म पर पर ₹21,000 की सहायता निम्नानुसार प्रदान की जाती है।
  - प्रसूति पर ₹5,000/–
  - शिशु की आयु एक वर्ष पूर्ण होने तथा सम्पूर्ण टीकाकरण प्रमाणित होने पर– ₹5,000/–
  - शिशु की आयु 5 वर्ष पूर्ण होने तथा प्राथमिक शिक्षा हेतु शिक्षा संस्थान में प्रवेश लेने पर पुत्र हेतु ₹10,000/– तथा पुत्री हेतु ₹11,000/–

  वित्तीय वर्ष 2022–23 (नवम्बर, 2022 तक) के दौरान कुल 1,195 हिताधिकारियों को लाभान्वित किया है एवं इस योजना में ₹1.10 करोड़ की राशि व्यय की गई है।

- **सिलिकोसिस पीड़ित हिताधिकारियों हेतु सहायता योजना** : इस योजना के अन्तर्गत सिलिकोसिस पीड़ित होने की स्थिति में हिताधिकारी को ₹3.00 लाख तथा मृत्यु होने पर आश्रित को ₹2.00 लाख सहायता राशि दी जाती है। उक्त योजना के अन्तर्गत आवेदनों का निस्तारण एवं भुगतान राजस्थान सिलिकोसिस नीति, 2019 में किये गये प्रावधानों के अनुसार निदेशालय विशेष योग्यजन के माध्यम से किया जा रहा है। इस क्रम में सिलिकोसिस पीड़ित अथवा उनके आश्रित के हितार्थ भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल द्वारा निदेशालय विशेष योग्यजन का ₹14.64 करोड़ की राशि हस्तांतरित की गई है।

- **निर्माण श्रमिक औजार/टूलकिट सहायता योजना** : इस योजना के अन्तर्गत हिताधिकारी को औजार/टूलकिट की खरीद पर ₹2,000 या वास्तविक लागत, जो भी कम हो के अनुसार सहायता राशि दी जाती है। वित्तीय वर्ष 2022–23 (नवम्बर, 2022 तक) के दौरान कुल 87 हिताधिकारियों को ₹2.00 लाख की राशि लाभान्वित किया है।

- **निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना** : इस योजना के अन्तर्गत हिताधिकारी को स्वयं के आवास निर्माण हेतु अधिकतम ₹1.50 लाख का अनुदान दिया जाता है। इस संबंध में कुल 23 आवेदनों को स्वीकृति दी गई है।

- **निर्माण श्रमिक जीवन व भविष्य सुरक्षा योजना** : इस योजना के अन्तर्गत सामाजिक सुरक्षा हेतु हिताधिकारी द्वारा जमा कराये गये अंशदान पर बोर्ड द्वारा 50–100 प्रतिशत तक सहायता दी जाती है।

- **शुभ शक्ति योजना** : इस योजना के अन्तर्गत पंजीकृत हिताधिकारियों की वयस्क अविवाहित पुत्रियों को तथा महिला लाभार्थियों को उद्यमिता विकास के माध्यम से आत्म–निर्भरता के द्वारा सशक्तिकरण हेतु ₹55,000 प्रोत्साहन राशि दी जाती है। इस क्रम में 5,090 आवेदन स्वीकृत किये गये हैं।

- **निर्माण श्रमिकों के लिए व्यवसायिक ऋण पर ब्याज के पुनर्भरण योजना** : इस योजना के अन्तर्गत पात्र हिताधिकारी को व्यवसाय हेतु वित्तीय संस्थाओं द्वारा अधिकतम ₹5.00 लाख तक स्वीकृत ऋण पर ब्याज का, पुनर्भरण मण्डल द्वारा किया जायेगा।

- **निर्माण श्रमिक एवं उनके आश्रित बच्चों द्वारा भारतीय/राजस्थान प्रशासनिक सेवा हेतु आयोजित प्रारम्भिक प्रतियोगी परीक्षा उत्तीर्ण करने पर प्रोत्साहन योजना** : इस योजना के अन्तर्गत भारतीय प्रशासनिक सेवा की प्रारम्भिक परीक्षा उत्तीर्ण करने पर ₹1.00 लाख तथा राजस्थान प्रशासनिक सेवा की प्रारम्भिक परीक्षा उत्तीर्ण करने पर ₹50,000 दिए जाएंगे। वित्तीय वर्ष 2022–23 (नवम्बर, 2022 तक) के दौरान कुल 02 हिताधिकारियों को ₹1.00 लाख की राशि के द्वारा लाभान्वित किया गया है।

- **निर्माण श्रमिकों के पुत्र/पुत्री का आईआईटी/आईआईएम में प्रवेश मिलने पर ट्यूशन फीस की पुनर्भरण योजना** : इस योजना के अन्तर्गत भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आई.आई.टी.) और भारतीय प्रबंधन संस्थान (आई.आई.एम.) में प्रवेश पाने पर निर्माण श्रमिकों के बच्चों की ट्यूशन फीस का पुनर्भरण मण्डल द्वारा किया जायेगा।

- **विदेश में रोजगार हेतु निर्माण श्रमिकों द्वारा किए गए वीजा खर्च की प्रतिपूर्ति** : इस योजना के अन्तर्गत पात्र हिताधिकारी को विदेश में नियोजन के उद्देश्य से वीजा हेतु किए गए व्यय के पुनर्भरण हेतु मण्डल स्तर से अधिकतम ₹5,000 की राशि पुनर्भरण किया जायेगा।

- **निर्माण श्रमिक अन्तर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगियों हेतु प्रोत्साहन योजना** : इस योजना के अन्तर्गत पात्र हिताधिकारी अथवा उसके बच्चों को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिता में निम्नानुसार प्रोत्साहन राशि नकद दी जायेगी।

i. प्रतियोगिता में भाग लेने पर – ₹2.00 लाख

ii. कांस्य पदक प्राप्त करने पर – ₹5.00 लाख

iii. रजत पदक प्राप्त करने पर – ₹8.00 लाख

iv. स्वर्ण पदक प्राप्त करने पर – ₹11.00 लाख

वित्तीय वर्ष 2022–23 (नवम्बर, 2022 तक) के दौरान विभाग की प्रमुख उपलब्धियां निम्नानुसार वर्णित है–

- विभिन्न श्रम अधिनियमों के अन्तर्गत 926 दावों का निस्तारण किया गया है एवं ₹27.55 करोड़ अवार्ड राशि दी गई।
- 1,698 औद्योगिक शिकायतों में से 958 का निस्तारण किया गया और 196 औद्योगिक विवादों में से 118 मामलों का निस्तारण किया गया है।
- श्रमिक संघ अधिनियम–1926 के अन्तर्गत श्रमिकों तथा नियोजकों के संघ का पंजीयन किया जाता है। 25 ट्रेड यूनियनों का पंजीयन किया गया, जिनमें सदस्य संख्या 4,160 है।
- 'भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल (बी.ओ.सी.डब्ल्यू)' द्वारा 1.30 लाख निर्माण श्रमिकों का हिताधिकारियों के रूप में पंजीकरण किया गया तथा 0.70 लाख हिताधिकारियों को कल्याण मण्डल की योजनाओं का लाभ प्रदान किया गया। जिसमें ₹37.64 करोड़ की राशि का व्यय किया गया है।
- श्रम न्यायालय/औद्योगिक न्यायाधिकरणों द्वारा 1,661 प्रकरणों का निस्तारण किया गया।

ई–श्रम पोर्टल

असंगठित श्रमिकों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने के लिए ई–श्रम पोर्टल विकसित किया गया है, जिसे आधार के साथ जोड़ा जाएगा। इसमें नाम, व्यवसाय, पता, व्यवसाय प्रकार, शैक्षिक योग्यता, कौशल प्रकार और परिवार से संबंधित जानकारी आदि का विवरण होगा ताकि उनकी रोजगार क्षमता का अनुकूलतम प्रयोग हो सके और उन्हें सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ मिल सके। यह असंगठित श्रमिकों का पहला राष्ट्रीय डेटाबेस है जिसमें प्रवासी श्रमिक, निर्माण श्रमिक, गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिक, स्ट्रीट वेंडर, घरेलू श्रमिक, कृषि श्रमिक आदि शामिल हैं।

ऐसा कोई भी कर्मचारी जो घरेलू श्रमिक, स्व–नियोजित श्रमिक अथवा असंगठित क्षेत्र में मजदूरी करने वाला श्रमिक, इसमें संगठित क्षेत्र के वे कर्मचारी भी शामिल हैं, जो ईएसआईसी या ईपीएफओ का सदस्य नहीं हैं अथवा सरकारी कर्मचारी नहीं हैं, उसे असंगठित श्रमिक कहा जाता है। निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने वाला कोई भी व्यक्ति किसी भी सीएससी, ई–मित्र या वेबसाइट www.esharm.gov.in के माध्यम से पोर्टल पर निःशुल्क पंजीकरण कर सकता है–

- एक असंगठित कार्यकर्ता।
- आयु 16–59 वर्ष के मध्य होनी चाहिए।
- ईपीएफओ/ईएसआईसी योजना या एनपीएस (सरकार द्वारा वित्त पोषित) का सदस्य नहीं होनी चाहिए।

उद्देश्य एवं लाभ –

- असंगठित श्रमिकों हेतु सामाजिक सुरक्षा सेवाओं की कार्यान्वयन दक्षता में सुधार करना।
- असंगठित श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का एकीकरण
- भविष्य में कोविड–19 जैसे किसी भी राष्ट्रीय संकट से निपटने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को एक व्यापक डेटाबेस प्रदान करना।
- केंद्र और राज्य सरकारों के द्वारा संचालित विभिन्न सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित सेवाएं प्रदान करने के लिए एपीआई के माध्यम से केंद्र और राज्य सरकारों के मंत्रालयों/विभागों/बोर्डों/एजेंसियों/संगठनों के साथ पंजीकृत असंगठित श्रमिकों की जानकारी साझा करना।
- सम्पूर्ण भारत में ई–श्रम कार्ड स्वीकार्य है।

ई–श्रम पोर्टल 26 अगस्त, 2021 को लॉन्च किया गया था और राजस्थान राज्य में नवंबर, 2022 तक कुल 1,27,11,351 असंगठित श्रमिकों को इस पोर्टल पर पंजीकृत किया गया है।

रोजगार विभाग

रोजगार कार्यालय, रोजगार तलाश करने वालों तथा नियोजकों को क्रमशः उपयुक्त रोजगार/नौकरी एवं कार्यबल प्राप्त करने में सहायता कर अपनी सेवाएं प्रदान करता है। इसके लिए रोजगार कार्यालयों में बेरोजगार आशार्थियों का पंजीयन किया जाता है तथा उनके आवेदन प्राप्त किए जाते हैं एवं नियोजकों को उनकी मांग के आधार पर आशार्थी उपलब्ध करवाये जाते हैं।

वर्ष 2022 में विभिन्न रोजगार कार्यालयों में 1,56,055 बेरोजगार व्यक्तियों का पंजीयन किया गया, जिसमें से 73,332 महिलाएं, 25,549 अनुसूचित जाति, 17,573 अनुसूचित जनजाति तथा 84,392 अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्ति थे। उक्त समानावधि में 2,808 रिक्तियों को ज्ञापित किया गया था, जिसके विरूद्ध 1,616 आशार्थी नियोक्ताओं को उपलब्ध करवाए गए।

विभाग उम्मीदवारों को रोजगार/स्वरोजगार/प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करने के लिए रोजगार सहायता शिविरों का आयोजन करता है। शिविरों में सार्वजनिक/निजी क्षेत्र के नियोक्ताओं को आमंत्रित किया जाता है और रोजगार/स्वरोजगार/प्रशिक्षण के अवसरों की सुविधा के लिए उम्मीदवारों और नियोक्ताओं को एक मंच प्रदान किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2022–23 (दिसम्बर, 2022 तक) के दौरान, 199 रोजगार सहायता शिविरों का आयोजन किया गया और रोजगार के अवसरों के माध्यम से 25,809 रोजगार चाहने वालों को लाभान्वित किया गया है।

इसके अलावा, रोजगार निदेशालय द्वारा पाक्षिक रूप से ''राजस्थान रोजगार संदेश'' नामक एक समाचार पत्र प्रकाशित किया जा रहा है, जिसमें रोजगार चाहने वालों के लिए रिक्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, प्रशिक्षण सुविधाओं, छात्रवृतियों एवं विभिन्न तकनीकी शिक्षा के बारे में जानकारी प्रसारित की जा रही है।

हाल के वर्षों में रोजगार विपणन सूचना कार्यक्रम के अन्तर्गत संगठित क्षेत्रों (सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र) के एकत्रित आंकड़ों के अनुसार राज्य में रोजगार की स्थिति तालिका–4.15 में दर्शाई गई है।

तालिका–4.15 संगठित क्षेत्र (सार्वजनिक एवं निजी) में रोजगार

वर्ष	सार्वजनिक क्षेत्र		निजी क्षेत्र		कुल	
	संस्थानों की संख्या	नियोजित व्यक्ति (लाख में)	संस्थानों की संख्या	नियोजित व्यक्ति (लाख में)	संस्थानों की संख्या	नियोजित व्यक्ति (लाख में)
2019	15146	9.72	6479	4.20	21625	13.92
2020	15399	9.88	6377	4.17	21776	14.05
2021	15483	9.85	6461	4.26	21944	14.11
2022*	15563	9.86	6653	4.32	22216	14.18

* सितम्बर, 2022 तक

मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना : राज्य सरकार की इस योजना जिसे 1 फरवरी, 2019 को शुरू किया गया था, योजनान्तर्गत बेरोजगारी भत्ता पुरूषों के लिए ₹4,000 तथा महिलाओं, ट्रांसजेडर और विशेष योग्यजनों को ₹4,500 प्रतिमाह की दर से पात्र बेरोजगार युवाओं को अधिकतम दो वर्ष की अवधि तक अथवा नियोजित/स्व–नियोजित होने तक जो भी पहले हो, वितरित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना को और अधिक प्रभावी बनाने एवं युवाओं की रोजगार क्षमता में वृद्धि करने के लिए आवेदकों को बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के लिए अनिवार्य रूप से कम से कम तीन माह का कौशल प्रशिक्षण एवं विभिन्न राजकीय विभागों में प्रतिदिन चार घंटे की इंटर्नशिप अनिवार्य रूप से करनी होगी।

योजना प्रारम्भ होने से लेकर दिसम्बर, 2022 तक कुल 6,22,043 उम्मीदवारों को बेरोजगारी भत्ते के रूप में ₹1,801.92 करोड़ की राशि वितरित की गई है। कैलेंडर वर्ष 2022 के दौरान 1,66,565 अभ्यर्थी इंटर्नशिप प्रदान की गई एवं 25,368 अभ्यर्थियों को कौशल प्रशिक्षण के लिए प्रस्तुत किये गये हैं।

मेगा जॉब फेयर : प्रदेश में बड़े पैमाने पर बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मेगा जॉब फेयर का भी आयोजन किया जा रहा है। इस प्रकार के दो आयोजन दिसंबर 2022 तक जयपुर में 14–15 नवंबर 2022 और बीकानेर में 29–30 नवंबर 2022 को आयोजित किये गये हैं। जयपुर मेगा जॉब फेयर में कुल 30,926 बेरोजगार युवाओं द्वारा भाग लिया गया, जिनमें से 3,174 का नियोक्ताओं द्वारा प्राथमिक रूप से चयन किया गया है। जबकि बीकानेर के मेगा जॉब फेयर में 12,820 बेरोजगार युवाओं द्वारा भाग लिया गया, जिनमें से 2,069 का चयन प्राथमिक रूप से किया गया।

मॉडल कॅरियर सेंटर्स (एम.सी.सी.) की स्थापना : रोजगार कार्यालयों की पुरानी व्यवस्था को सूचना प्रौद्योगिकी से सक्षम मॉडल कॅरियर सेंटर के रूप में परिवर्तित करने के सन्दर्भ में निम्नलिखित जिलों में ऐसे कुल 16 मॉडल कैरियर सेंटर्स को प्रारम्भ किया गया है:–बीकानेर, भरतपुर, कोटा, जयपुर, अलवर, दौसा, झालावाड़, झुंझुनू, सवाई माधोपुर, सिरोही, पाली, जैसलमेर, जालौर, बारां, बांसवाड़ा तथा श्रीगंगानगर।

राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम (आर.एस.एल.डी.सी.)

राजस्थान मिशन ऑन लाइवलिहुड (आर.एम.ओ.एल.) राज्य के गरीब एवं कमजोर वर्ग के लोगों के लिए बड़े पैमाने पर आजीविका को बढ़ावा देने तथा सुविधाजनक बनाने के लिए उचित एवं अभिनव रणनीति तैयार करने के उद्देश्य से बनाया गया था। आजीविका पर मिशन शुरू करने वाला राजस्थान भारत का पहला राज्य है। देशभर के विभिन्न प्रशिक्षण भागीदारों को शामिल करके राज्य में कौशल प्रशिक्षण तंत्र स्थापित किया गया है। वर्तमान में राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम (आर.एस.एल.डी.सी.) के अन्तर्गत 1,111 से अधिक भागीदार एजेंसियां सूचीबद्ध हैं। दिसम्बर, 2022 तक विभिन्न क्षेत्रों में 5.22 लाख से अधिक युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है। राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम राज्य में कौशल और उद्यमिता के विकास के लिए निम्नलिखित योजनाओं/परियोजनाओं का क्रियान्वयन कर रहा है:–

आर.एस.एल.डी.सी. द्वारा क्रियान्वित राज्य पोषित योजनाएँ/कार्यक्रम

विभिन्न श्रेणियों के युवाओं की प्रशिक्षण सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आर.एस.एल.डी.सी. की मौजूदा राज्य पोषित योजनाओं का पुनर्गठन किया जा रहा है। रोजगार परक कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम (ई.एल.एस.टी.पी.) का पुनर्गठन रोजगार आधारित जन कौशल विकास कार्यक्रम (आर.ए.जे.के.वी.आई.के.) के रूप में तथा समाज के विभिन्न वर्गों की प्रशिक्षण सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नियमित कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम (आर.एस.टी.पी.) का पुनर्गठन दो योजनाओं यथा सक्षम (स्वरोजगार आधारित कौशल शिक्षा महा–अभियान) एवं समर्थ के रूप में किया गया है। राज्य प्रायोजित सभी तीनों योजनाओं को ''मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना (एम.एम.के.वी.वाई.)''नाम से अम्ब्रेला स्कीम के अन्तर्गत संचालित किया जा रहा है। उपर्युक्त योजनाओं का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है:–

i. **रोजगार आधारित जन कौशल विकास कार्यक्रम (राजविक)** : इस योजना का उद्देश्य बेरोजगार युवाओं को बाजार मांग के अनुरूप प्रासंगिक क्षेत्रों में रोजगारोन्मुख कौशल प्रशिक्षण प्रदान करके रोजगार के अवसर प्रदान करना है। इस योजना के अन्तर्गत विशिष्ट मनोनयन एवं रिक्रूट–ट्रेन–डिप्लॉय (भर्ती–प्रशिक्षण–नियोजन) मॉडल को अपनाकर कौशल प्रशिक्षण एवं रोजगार सुनिश्चित किया जाएगा। ऐसा उन उद्योगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए किया जा रहा है जो कौशल विकास कार्यक्रमों के माध्यम से रोजगार सम्बन्धी मांग का पता लगाने एवं इसकी उपलब्धता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

ii. **स्वरोजगार आधारित कौशल शिक्षा महाभियान (सक्षम)** : इस योजना का उद्देश्य राज्य के युवाओं एवं महिलाओं को उपयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों द्वारा सक्षम बनाकर एवं उन्हें स्वरोजगार के अवसरों से जोड़कर स्थानीय स्तर पर ही रोजगार के अवसर सृजित करना है।

iii. **समर्थ** : इस योजना का उद्देश्य राज्य के निर्धनतम, हाशिये पर मौजूद समुदायों/वर्गों, भिक्षावृत्ति में लिप्त, कच्ची बस्तियों के निवासी, दलितों, आदिवासियों, नारी निकेतन एवं बालगृह के निवासियों तथा कारागार बन्दियों

को रोजगार/स्वरोजगार की संभावनाओं वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाना है।

मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना (एम.एम.वाई.के.वाई.): मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना (एम.एम.वाई.के.वाई.) शैक्षणिक महाविद्यालयों में कौशल विकास को एकीकृत करने के लिए 7 नवम्बर, 2019 को शुरू की गई है। कॉलेज परिसर में स्थित कौशल विकास केन्द्र, महाविद्यालय के स्नातक स्तरीय छात्रों की रोजगार क्षमता में सुधार के लिए लाइफ स्किल/सॉफ्ट स्किल पाठ्यक्रम उपलब्ध करवा रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य कॉलेजों में छात्रों को सॉफ्ट स्किल और कौशल आधारित रोजगार प्रदान करना है ताकि प्रशिक्षण के बाद वे मजदूरी या स्वरोजगार के अवसरों का लाभ उठा सकें।

इस योजना का संचालन आर.एस.एल.डी.सी. एवं कॉलेज शिक्षा विभाग (कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय, राजस्थान) के संयुक्त तत्वावधान में किया जा रहा है और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन आर.एस.एल.डी.सी. द्वारा सूचीबद्ध कौशल प्रशिक्षण प्रदाता संस्थानों द्वारा कॉलेज परिसर में किया जा रहा है। योजना के अन्तर्गत विद्यार्थियों के लिये 45 विशेष प्रशिक्षण पाठयक्रम तैयार किए गए हैं, जो कॉलेज के युवाओं के लिए प्रासंगिक हैं। पाठ्यक्रमों की अधिकतम अवधि 350 घण्टे है। प्रत्येक प्रशिक्षण कार्यक्रम में 90 घण्टे सॉफ्ट स्किल के लिए निर्धारित है।

आर.एस.एल.डी.सी. द्वारा क्रियान्वित केन्द्र पोषित योजनाएं

- **दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (डी.डी.यू.–जी.के.वाई.) :**

i. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार का कौशल प्रशिक्षण एवं नियोजन कार्यक्रम है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण गरीब युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना एवं न्यूनतम मजदूरी अथवा उससे अधिक नियमित मासिक मजदूरी के साथ रोजगार उपलब्ध कराना है। इस योजना का शुभारम्भ भारत के प्रथम कौशल विकास केन्द्र के रूप में 16 अगस्त 2014 को उदयपुर में किया गया।

ii. ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार की एक नई पहल/योजना लाइफ एमजी–नरेगा को भी दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना में समाहित कर दिया गया है। परियोजना अवधि 2019–23 हेतु ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ₹755.93 करोड़ के संशोधित बजट प्रावधानों के साथ आर.एस.एल.डी.सी. को कुल 1,22,800 के संयुक्त लक्ष्य के विरूद्ध 72,800 युवाओं के प्रशिक्षण का लक्ष्य आवंटित किया गया है।

- **प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पी.एम.के.वी.वाई.) :** भारत सरकार के कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (एम.एस.डी.ई.) द्वारा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2.0 के अन्तर्गत ₹70.96 करोड़ का केंद्रीय वित्तीय बजट आवंटित किया गया है। योजनांतर्गत 41,000 युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य था, जिसमें से 32,523 युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए पी.एम.के.वी.वाई. 3.0 लॉन्च किया है। पी.एम.के.वी.वाई. 3.0 के अन्तर्गत 11,156 युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है।

- **स्किल एक्यूजीशन एण्ड नोलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन (संकल्प) :** कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय एवं राज्य दोनों ही स्तरों पर संस्थागत तंत्र को मजबूत करने, गुणवत्तायुक्त–प्रशिक्षकों एवं मूल्यांकनकर्ताओं का पूल बनाने तथा समाज के सभी वर्गों हेतु समस्त कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों के मध्य अभिसरण हेतु ''स्किल एक्यूजीशन एण्ड नोलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन (संकल्प)'' परियोजना प्रारम्भ की गई है। चूंकि राज्य में एक सुविकसित कौशल पारिस्थितिकी तंत्र एवं विभिन्न कौशल विकास कार्यक्रमों के संचालन हेतु आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध है, अतः संकल्प परियोजना के अन्तर्गत उपलब्ध करवाया गया अनुदान आरएसएलडीसी को जिला स्तर पर संस्थागत तंत्र को मजबूत करने में सक्षम बनाएगा। यह कार्यक्रम कौशल विकास पहलों की गुणवत्ता एवं बाजार प्रासंगिकता में सुधार करेगा तथा कौशल विकास कार्यक्रमों में महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विशेष योग्यजन प्रतिभागियों व समाज के अन्य वंचित समूहों की भागीदारी में भी वृद्धि करेगा।

प्रवासन सहायता केन्द्र : आरएसएलडीसी द्वारा प्रशिक्षित युवाओं को उनके गृह नगर से बाहर प्रवास के दौरान स्वयं की नौकरी बनाये रखने में सहायता करने हेतु 5 प्रवासन सहायता केन्द्र की स्थापना की गई है। इन केन्द्रों के द्वारा प्रशिक्षित युवाओं को 90 दिनों के लिए निःशुल्क आवासीय सुविधा संकल्प प्रोजेक्ट के अन्तर्गत प्रदान की जा रही है।

विशेष योजनाएं

i. भिक्षुक अभिविन्यास एवं पुनर्वास (भोर) कार्यक्रम–भिक्षुक मुक्त शहर : आर.एस.एल.डी.सी. द्वारा पुलिस आयुक्तालय, जयपुर के समन्वय से रोजगार/स्वरोजगार के अवसरों के माध्यम से भिक्षुकों के पुनर्वास हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारम्भ किये हैं।

- ऐसे व्यक्ति, जो भिक्षावृति को त्याग कर सम्मान के साथ आजीविका अर्जित करना चाहते हैं के लिए आर.एस.एल.डी.सी. द्वारा कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से जयपुर में भिक्षुकों हेतु पुनर्वास के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट प्रारम्भ किया गया है।
- प्रशिक्षण की कुल अवधि 840 घंटे (105 दिवस) निर्धारित की गई है, जिसमें 15 दिवसीय ग्रूमिंग एवं काउन्सलिंग का प्रावधान है।
- योजनान्तर्गत लाभार्थियों को ₹225 प्रतिदिन की दर से मजदूरी हानि क्षतिपूर्ति का प्रावधान किया गया है।
- इस कार्यक्रम के अन्तर्गत अब तक 100 भिक्षुकों को प्रशिक्षित किया गया है और इनमें से 82 भिक्षुकों को रोजगार उपलब्ध करवाया गया है।

ii. जल जीवन मिशन के अन्तर्गत प्रशिक्षण–जल स्वच्छता सहायता संगठन : राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम द्वारा राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन के साथ संयुक्त प्रयासों से राज्य के समस्त 33 जिलों में जल जीवन मिशन के तहत प्लम्बर/इलैक्ट्रिशियन/फिटर के क्षेत्र में 39,193 युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

iii. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम (एन.बी.सी.एफ.डी.सी.) : राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम द्वारा प्रधानमंत्री–दक्ष योजना के क्रियान्वयन के लिए राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम को लक्ष्य आवंटित किए गए हैं। जिसके द्वारा पिछड़े वर्ग के युवाओं को लघु अवधि, दीर्घकालिक प्रशिक्षण और पूर्व शिक्षण (आर.पी.एल.) से लाभान्वित किया जाएगा।

iv. आई एम शक्ति : राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम एवं महिला अधिकारिता विभाग ने वित्तीय वर्ष 2020–21 में एक नई योजना ''इन्दिरा महिला शक्ति–कौशल समृद्धि योजना (आई एम शक्ति)'' प्रारम्भ की है। यह योजना राज्य की महिलाओं एवं बालिकाओं के कौशल विकास हेतु विशेष प्रकार से डिजाइन की गई है। वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान दिसम्बर, 2022 तक योजनान्तर्गत 1,221 बालिकाओं एवं महिलाओं को प्रशिक्षित किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान दिसम्बर, 2022 तक कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों की प्रगति तालिका–4.16 में दी गई है।

अभिसरण पहल

राजस्थान सरकार ने राज्य में विभिन्न विभागों के अन्तर्गत सभी कौशल विकास योजनाओं के अभिसरण (एकरूपता) के लिए आदेश जारी किया गया। आरएसएलडीसी अभिसरण के माध्यम से राज्य सरकार के विभिन्न विभागों की योजनाओं के तहत घटक कौशल के लिए नोडल एजेंसी है। कम्पनी ने राज्य सरकार के 10 विभागों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। दिसम्बर, 2022 तक 80,000 से अधिक युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षित किया गया है। वर्तमान में, कम्पनी अभिसरण के तहत निम्नलिखित 3 विभागों के लिए प्रशिक्षण प्रदान कर रही है:

1. राजस्थान अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम (एससीडीसी)
2. जनजातीय क्षेत्र विकास विभाग (टीएडी)
3. अल्पसंख्यक विभाग

'कौशल पूर्ण राजस्थान' के दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए नवाचार –

i. सीएसआर पार्टनरशिप : राजस्थान कौशल विकास कोष में प्रत्यक्ष योगदान जुटाने, कॉरपोरेट कौशल केन्द्रों की स्थापना करने तथा भूमि, भवन एवं मशीनरी इत्यादि का दान प्राप्त करने के लिए आरएसएलडीसी द्वारा एक समर्पित सीएसआर सेल का गठन किया गया सीएसआर कोष का उपयोग सीएसआर सेल के दिशा–निर्देशों के अनुसार विभिन्न कौशल प्रशिक्षण योजनाओं में किया जाएगा।

ii. रिक्रूट–ट्रेन–डिप्लॉय (आरटीडी) : आरएसएलडीसी ने सुस्थापित और प्रतिष्ठित उद्योग संघों के साथ काम करने के लिए रिक्रूट– ट्रेन–डिप्लॉय (आरटीडी) की शुरूआत की है। इसके अन्तर्गत युवाओं को उद्योग/नियोक्ता सर्वप्रथम अस्थायी नौकरी की पेशकश करेंगे, तत्पश्चात उनको प्रशिक्षण प्रदान करेंगे एवं

तालिका 4.16 कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों की प्रगति

योजना	प्रशिक्षित युवाओं की संख्या (प्रारम्भ से 2022-23* तक)	प्रशिक्षित युवा 2022-23*	प्रशिक्षणरत युवाओं की संख्या
डी.डी.यू.–जी.के.वाई.	78467	5302	1752
ई.एल.एस.टी.पी.	275529	237	0
एम.एम.वाई.के.वाई. 1-0	2115	0	0
एम.एम.वाई.के.वाई. 2-0	2606	0	0
पी.एम..के.वी. वाई. 2-0	32523	0	0
पी.एम..के.वी. वाई. 3-0	4159	527	0
राजविक (एम.एम.वाई.के.वाई. श्रेणी–I)	9684	9684	1758
सक्षम (एम.एम.वाई.के.वाई. श्रेणी–II)	3975	3975	511
समर्थ (एम.एम.वाई.के.वाई. श्रेणी–III)	2271	2271	805
आर.एस.टी.पी.	59569	0	0
आर.पी.एल. पी.एम..के.वी. वाई. 3-0	6173	0	0
आर.पी.एल. पी.एम..के.वी. वाई. 2-0	2781	0	0
डब्ल्यू.एस.एस.ओ.	39193	0	0
आई.एम. शक्ति	1720	1221	1228
पी.एम. दक्ष	376	0	0
एम.एम.वाई.एस.वाई.	352	352	1269
पी.एम..के.वी.वाई. 3.0 सी4डब्ल्यू	824	824	0
योग	**522317**	**24393**	**7323**

* दिसम्बर, 2022 तक

प्रशिक्षण उपरान्त उनका रोजगार नियोजन सुनिश्चित करेंगे।

iii. **पर्यटन प्रशिक्षण के लिए उत्कृष्टता केन्द्र (सीईटीटी)** : राजस्थान सरकार ने पर्यटन एवं आतिथ्य क्षेत्र में प्रशिक्षण हेतु आईटीईईएस, सिंगापुर के साथ उदयपुर में पर्यटन क्षेत्र में प्रशिक्षण हेतु उत्कृष्टता केन्द्र सीईटीटी की स्थापना की है। वर्तमान में आतिथ्य क्षेत्र में 680 युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है एवं 104 प्रशिक्षणाधीन हैं। उक्त प्रशिक्षण हेतु आरएसएलडीसी द्वारा सीएसआर कोष से सीईटीटी को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवा रहा है।

iv. **तृतीय पक्ष मूल्यांकन एवं प्रमाणन** : शत प्रतिशत तृतीय पक्ष मूल्यांकन एवं प्रमाणन सुनिश्चित करने के लिए, आरएलडीसी 36 सेक्टर स्किल काउंसिल के साथ काम कर रहा है। राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् (एनसीवीटी) / सेक्टर स्किल काउंसिल (एसएससी) द्वारा दिसम्बर, 2022 तक 2.65 लाख से अधिक युवाओं का मूल्यांकन एवं प्रमाणन किया गया है।

v. **ओवरसीज प्लेसमेन्ट ब्यूरो एवं राजस्थान प्रवासी श्रमिक कल्याण प्रकोष्ठ** : राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम ने राज्य सरकार के निर्देशानुसार "ओवरसीज प्लेसमेन्ट ब्यूरो (ओ.पी.बी.) एवं राजस्थान प्रवासी श्रमिक कल्याण प्रकोष्ठ (आर.पी.एस.के.पी)" की स्थापना की हैं। ओवरसीज प्लेसमेन्ट ब्यूरो एवं राजस्थान प्रवासी श्रमिक कल्याण प्रकोष्ठ के मुख्य कार्य विदेश में नौकरी हेतु जाने के इच्छुक युवाओं को सूचना, मार्गदर्शन एवं परामर्श प्रदान किया जाना, नियोजित किए जाने की सुविधा, विदेशों में नियोजन हेतु सम्पर्क शिविरों की स्थापना, सुरक्षित एवं वैध प्रवास हेतु जागरूकता शिविर, प्रस्थान से पूर्व आवश्यक दिशा–निर्देश प्रदान करना हैं।

vi. **प्रस्थान पूर्व दिशा–निर्देश प्रशिक्षण कार्यक्रम (पी.डी.ओ.टी.)** : विदेश मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कार्य करने हेतु विदेश जाने वाले प्रवासी श्रमिकों को प्रस्थान पूर्व दिशा–निर्देश प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम जयपुर को अनुमोदित केन्द्र के रूप में कार्य करने की स्वीकृति प्रदान की है तथा 5 जिलों जयपुर, सीकर, झुंझुनूं, चुरू एवं नागौर में प्रस्थान पूर्व दिशा–निर्देश प्रशिक्षण कार्यक्रम केन्द्रों की मंजूरी दी है। आरएसएलडीसी ने जयपुर, सीकर एवं नागौर में पीडीओटी केन्द्रों की स्थापना की है एवं दिसम्बर, 2022 तक 3,393 उम्मीदवारों को अभिविन्यास प्रशिक्षण दिया गया है।

vii. **जेल कैदियों, किशोरों एवं विशेष योग्यजन हेतु प्रशिक्षण** : राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम द्वारा जयपुर केन्द्रीय कारागृह, भीलवाड़ा जेल, बालिका सुधार गृह में प्रशिक्षण कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया गया है तथा नियमित कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत पैनलबद्ध प्रशिक्षण भागीदारों के माध्यम से 2,367 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया है। यह प्रशिक्षण रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रमों यथा– होटल एवं रेस्तरां में हाउसकीपिंग तथा कस्टमर रिलेशन, आई.टी. / बी.पी.ओ. क्षेत्र, सिलाई, इलेक्ट्रिकल वायरमैन, बधिरों हेतु स्क्रीन प्रिंटिंग, कुर्सियों की कैनिंग तथा ब्राइडल ज्वैलरी बनाना आदि में दिया जा रहा है।

viii. **विश्व युवा कौशल दिवस** : राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम द्वारा प्रतिवर्ष 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। पहला विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई, 2015 को मनाया गया और तदुपरान्त निरन्तर 8वां विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई, 2022 को माननीय मंत्री कौशल, रोजगार एवं उद्यमिता विभाग, राजस्थान की अध्यक्षता में मनाया गया। इस कार्यक्रम में 6 स्किल आइकॉन और 1 स्किल एंबेसडर को सम्मानित किया गया।

ix. **स्किल आईकन ऑफ दी मंथ** : राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम द्वारा मार्च, 2015 में 'स्किल आईकन ऑफ दी मंथ' नामक पहल की शुरूआत उन युवाओं को सम्मानित करने के लिए की गई थी, जिन्होंने प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक पूर्ण करके एक अच्छी नौकरी प्राप्त कर ली है और समाज की सभी पूर्वकल्पित धारणाओं को तोड़कर एक रोल मॉडल बन गए हैं। इस पहल के अन्तर्गत, स्किल आईकन को एक प्रमाण पत्र एवं ट्रॉफी के साथ ₹11,000 के नगद पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। प्रशिक्षण भागीदार एवं नियोक्ता को भी प्रमाण पत्र के साथ सम्मानित किया जाता है। इसकी

स्थापना से लेकर दिसम्बर, 2022 तक 97 'स्किल आईकन' पुरस्कार दिए जा चुके हैं।

x. **जिला स्तरीय कौशल एवं आजीविका विकास समिति (डी.एल.एस.डी.सी.)** : जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय कौशल एवं आजीविका विकास समिति जिलों में कौशल विकास परियोजनाओं की निगरानी एवं पहुँच बढ़ाने के लिए नियमित बैठकें आयोजित करता है। अप्रैल 2019, से प्रगति की समीक्षा के लिए राज्य भर में 229 डी.एल.एस.डी.सी. की बैठकें आयोजित की गई हैं।

वर्ल्डस्किल्स इंटरनेशनल चैम्पियनशिप : वर्ल्डस्किल्स युवाओं के बीच कार्यस्थल कौशल को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक मंच है तथा उद्योगों, सरकारों और शिक्षा संगठनों को एक साथ लाता है। वर्ल्डस्किल्स प्रतियोगिता दुनिया की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता है जो हर दो साल में एक बार आयोजित की जाती है। वर्ष 2022 में राजस्थान की चार्मी सेन ने हेयर ड्रेसिंग ट्रेड में फिनलैंड में आयोजित वर्ल्डस्किल प्रतियोगिता और जय किशन सुथार ने स्विटजरलैंड में आयोजित ज्वॉइनरी ट्रेड में भाग लिया है।

इंडियास्किल्स–2021 राष्ट्रीय प्रतियोगिता : इंडियास्किल्स–2021 राष्ट्रीय प्रतियोगिता में राजस्थान को 1 स्वर्ण, 1 रजत, 3 कांस्य एवं 5 उत्कृष्ट प्रदर्शन पदक से सम्मानित किया गया। इंडियास्किल्स प्रतियोगिताओं को भारत में कौशल के उच्चतम मानकों को प्रदर्शित करने एवं युवाओं हेतु व्यावसायिक प्रशिक्षण को आकांक्षी बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

पुरस्कार

निगम को कौशल प्रशिक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु स्कॉच द्वारा 3 विभिन्न श्रेणियों में ऑर्डर ऑफ मेरिट सर्टिफिकेट से नवम्बर, 2022 में सम्मानित किया गया है।

■ ■ ■ ■

अध्याय 05

आधारभूत संरचना का विकास

आधारभूत संरचना

बुनियादी ढांचे का विकास आर्थिक सुदृढ़ता का सूचक माना जाता है। परिवहन सुविधाओं (विशेष रूप से सड़क और रेलवे), संचार सेवाओं (पोस्ट और दूरसचांर) और ऊर्जा क्षेत्र, अर्थव्यवस्था की नींव के प्रमुख स्तम्भों मे से एक है। प्रत्यक्ष रूप से विकास को गति देने में एवं परोक्ष रूप से गरीबी उन्मूलन में इनके महत्व को ध्यान में रखते हुए, राजस्थान सरकार ने राज्य में बुनियादी ढांचे के विकास में एक सक्रिय भूमिका निभाई है। बुनियादी ढांचे के विकास हेतु किए गए प्रमुख विकास कार्य निम्नानुसार हैं:–

ऊर्जा

ऊर्जा सही रूप में अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहलाती है। यह क्षेत्र सभी क्षेत्रों –कृषि, उद्योग एवं सेवा क्षेत्र में सभी तरह की आर्थिक गतिविधियों को सम्भव बनाता है। इसके अलावा, यह लाखों घरों को रोशन कर जन साधारण के जीवन स्तर को ऊपर उठाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता हैं। राजस्थान का बिजली नेटवर्क देश की प्रमुख प्रणालियों में से एक है, जो विभिन्न उपभोक्ताओं मांगों की पूर्ति करता है।

क. ऊर्जा उत्पादन

राज्य में ऊर्जा उत्पादन के प्रमुख स्रोत तापीय संयंत्र, पन बिजली परियोजना, पवन ऊर्जा, बायोमॉस, कैप्टिव ऊर्जा संयंत्र, अन्तर्राज्यीय भागीदारी परियोजनाएँ और राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं।

अधिष्ठापित क्षमता

राज्य में 30 नवम्बर, 2022 तक अधिष्ठापित क्षमता 23,487.46 मेगावॉट हो गई है। वर्षवार अधिष्ठापित क्षमता तालिका–5.1 में दर्शाई गई है:–

राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड द्वारा पुगल, जिला बीकानेर में 810 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र सहित कुल 2000 मेगावाट सौर पार्क स्थापित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति जारी की गई है। परियोजना के लिए भूमि का आवंटन पूरा हो चुका है और इस स्वीकृति के साथ आरवीयूएनएल ने सौर ऊर्जा के क्षेत्र में कदम आगे बढ़ाऐं है, साथ ही राजस्थान की भावी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने और पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान दिया है।

बजट भाषण 2022–23 के अनुपालन में आगामी वर्षों में कुल 2,245 मेगावाट क्षमता की नई कोयला आधारित ताप विद्युत परियोजनाएँ स्थापित करने की प्रक्रिया चल रही है, जिसमें अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी आधारित छाबड़ा विद्युत परियोजना, इकाई 7 एवं 8 का विस्तार छाबड़ा में 660–660 मेगावाट और कालीसिंध में 800 मेगावाट की यूनिट–3 शामिल है। इससे विकास एवं रोजगार के क्षेत्र में भी वृद्धि होगी साथ ही राज्य विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर होगा। राज्य के खनिज संसाधनों का समुचित उपयोग सुनिश्चित करने तथा मरुस्थलीय क्षेत्र में विकास एवं रोजगार के नये आयाम स्थापित करने के लिये बीकानेर के गुरहा में 125 मेगावाट क्षमता की लिग्नाइट आधारित विद्युत परियोजना इकाई–1 की स्थापना की प्रक्रिया जारी है। छाबड़ा और कालीसिंध के लिए प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा जारी कर दी गई है तथा कार्य अग्रिम चरण में है।

ख. प्रसारण तंत्र प्रणाली

राज्य में मार्च, 2019 तक कुल ई.एच.वी. प्रसारण नेटवर्क 41,104.39 सर्किट किमी. था, जो कि मार्च, 2022 तक बढ़कर 43,484.743 सर्किट किमी. (पी.पी.पी. के साथ) हो गया है। वर्ष 2018–19 से 2021–22 की अवधि में कुल प्रसारण नेटवर्क में 5.79 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वित्तीय वर्ष 2022–23 में नवम्बर, 2022 तक प्रसारण नेटवर्क में 120.20 सर्किट किमी और जुड़ गए है। राज्य में वर्षवार प्रसारण नेटवर्क तालिका–5.2 में दर्शाया गया है:–

तालिका–5.1 वर्षवार ऊर्जा की अधिष्ठापित उत्पादन क्षमता

(मेगावाट)

क्र. सं.	विवरण	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23 *
1. राज्य की स्वयं/भागीदारी की परियोजनाएँ						
(अ)	तापीय	5850.00	6510.00	7170.00	7830.00	7830.00
(ब)	जल विद्युत	1017.29	1017.29	1017.29	1017.29	1017.29
(स)	गैस	603.50	603.50	603.50	603.50	603.50
	योग (1)	**7470.79**	**8130.79**	**8790.79**	**9450.79**	**9450.79**
2. केन्द्रीय परियोजनाओं से राज्य को आवंटित						
(अ)	तापीय	1793.50	1870.46	1903.46	1947.41	1916.37
(ब)	जल विद्युत	740.66	740.66	740.66	740.66	740.66
(स)	गैस	221.10	221.10	221.10	221.10	0**
(द)	परमाणु	456.74	456.74	456.74	456.74	456.74
	योग (2)	**3212.00**	**3288.96**	**3321.96**	**3365.91**	**3113.77**
3. आरआरईसी, आरएसएमएमएल एवं निजी क्षेत्र पवन ऊर्जा/बायोमास/सौर ऊर्जा परियोजनाएं						
(अ)	पवन	4139.20	3734.10	3734.10	3734.10	3730.35
(ब)	बायोमास	101.95	101.95	101.95	101.95	101.95
(स)	सौर ऊर्जा	2411.70	2178.10	2288.10	3057.60	3348.60
(द)	तापीय/जल विद्युत	3742.00	3742.00	3742.00	3742.00	3742.00
	योग (3)	**10394.85**	**9756.15**	**9866.15**	**10635.65**	**10922.90**
	सकल योग (1+2+3)	**21077.64**	**21175.90**	**21978.90**	**23452.35**	**23487.46**

* नवम्बर, 2022 तक

** 22 मार्च, 2021 को जारी विद्युत मंत्रालय के दिशानिर्देश के मद्देनजर उच्च खरीद लागत के कारण एनटीपीसी से 221 मेगावाट गैस बिजली का आवंटन वापस कर दिया गया था।

तालिका–5.2 राज्य में प्रसारण नेटवर्क

(सर्किट किलोमीटर में)

क्रम संख्या	विवरण	प्रसारण नेटवर्क			
		31 मार्च, 2020 तक	वर्ष 2022–23 में प्रगति (नवम्बर, 2022 तक)	कुल (30 नवम्बर, 2022 तक)	वित्तीय वर्ष 2022–23 में उपलब्धि की संभावना
1	765 केवी लाईन	425.498	0	425.498	425.498
2	400 केवी लाईन	7842.386	0	7842.386	8333.386
3	220 केवी लाईन	16214.409	29.028	16243.437	16299.437
4	132 केवी लाईन	19002.45	91.171	19093.621	19625.621
	योग	**43484.743**	**120.199**	**43604.942**	**44683.942**

अतिरिक्त हाई वॉल्टेज (ईएचवी) प्रसारण के सब स्टेशनों की संख्या एवं क्षमता तालिका –5.3 में दर्शाई गई है:–

तालिका संख्या–5.3 ईएचवी सब स्टेशनों की पीपीपी सहित संख्या और क्षमता

क्रम संख्या	विवरण	इकाई	ईएचवी ग्रिड सब स्टेशन			
			31 मार्च, 2022 तक	वर्ष 2022–23 में प्रगति (नवम्बर, 2022 तक)	कुल (30 नवम्बर, 2022 तक)	वित्तीय वर्ष 2022–23 में उपलब्धि की संभावना
1	765 केवी जीएसएस	संख्या	2	0	2	2
	क्षमता	एमवीए	7500	1500	9000	9000
2	400 केवी जीएसएस	संख्या	18	0	18	18
	क्षमता	एमवीए	15570	185	15755	15755
3	220 केवी जीएसएस	संख्या	128	0	128	129
	क्षमता	एमवीए	32955	280	33235	33395
4	132 केवी जीएसएस	संख्या	467	2	469	495
	क्षमता	एमवीए	34831.5	980	35811.5	36456
कुल ईएचवी जीएसएस		**संख्या**	**615**	**2**	**617**	**644**
कुल क्षमता		**एमवीए**	**90856.5**	**2945**	**93801.5**	**94606**

राज्य में ऊर्जा की उपलब्धता एवं उपभोग

राज्य में मार्च, 2019 तक ऊर्जा की उपलब्धता 8,116.73 करोड़ यूनिट थी, जो कि बढ़कर मार्च, 2022 तक 9,080.92 करोड़ यूनिट हो गई। वर्ष 2018–19 से वर्ष 2021–22 तक कुल ऊर्जा उपलब्धता में 11.90 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसी प्रकार से कुल शुद्ध ऊर्जा के उपभोग में भी 15.53 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

वर्षवार ऊर्जा की उपलब्धता एवं उपभोग चित्र 5.1 में दर्शाई गई है:–

चित्र 5.1

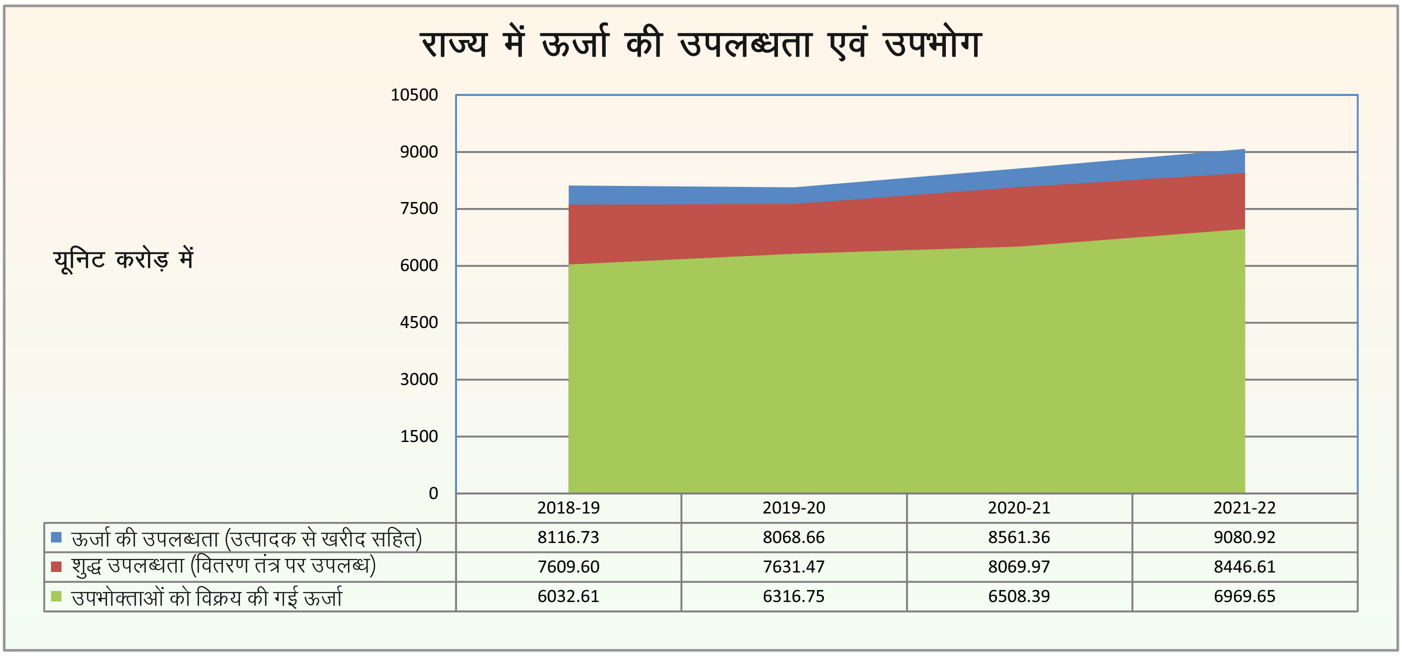

अभिनव योजनाएं

स्मार्ट ट्रांसमिशन नेटवर्क एवं परिसम्पत्ति प्रबन्धन प्रणाली का क्रियान्वयन

राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम ने स्मार्ट ट्रांसमिशन नेटवर्क एवं परिसम्पत्ति प्रबन्धन प्रणाली को लागू करने का निर्णय किया है। इसके अन्तर्गत राजस्थान में प्रसारण तंत्र की निगरानी एवं नियंत्रण सम्भव होने के साथ–साथ ही ग्रिड की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा रिएक्टिव पावर एवं प्रबन्धन हेतु आंकलन किया जा सकेगा। इस तरह प्रसारण तंत्र का बेहतर संचालन करने के लिए समय पर मूल्यांकन कर कार्य सम्पादित किया जा सकेगा। संचार रीढ़ अर्थात आईसीटी इन्फ्रास्ट्रक्चर व ओपीजीडब्लू फाइबर नेटवर्क के कार्यान्वयन के आदेश क्रमशः दिनांक 31 मई, 2017 और 16 अक्टूबर, 2017 को किये गए। स्काडा/ईएमएस प्रणाली का कार्यादेश 12 दिसम्बर, 2018 को दिया जा चुका हैं, जिसका कार्य जून, 2023 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है।

निजी क्षेत्र की भागीदारी से प्रसारण तंत्र एवं विद्युत उत्पादन परियोजनाओं को विकसित करना

राज्य में प्रसारण तंत्र एवं विद्युत उत्पादन की सुविधाओं को विकसित करने के लिए निजी क्षेत्र की सहभागिता एक महत्वपूर्ण कड़ी है, जिसके द्वारा ऊर्जा क्षेत्र की गतिविधियों को तेजी प्रदान की जा रही है।

(i) प्रसारण परियोजना

- राज्य में 132 के.वी. के 183 सब–स्टेशनों के रख–रखाव का कार्य निजी क्षेत्र को सौंपा गया है, इससे लगभग ₹30 लाख प्रति सब–स्टेशन वार्षिक बचत हो रही है।
- राज्य में 400 के.वी. के दो जी.एस.एस. अलवर एवं डीडवाना में पी.पी.पी. मॉडल के अन्तर्गत विकसित किए जा चुके हैं।
- दो प्रसारण परियोजनाएं, सार्वजनिक–निजी सहभागिता प्रणाली के आधार पर वी.जी.एफ. योजना के अन्तर्गत ली गई हैं।
  - ➢ 400 के.वी. डी/सी बीकानेर–सीकर प्रसारण लाइन पी.पी.पी.–6 का निर्माण कार्य पूर्ण हो कर लाइन चालू की जा चुकी है।
  - ➢ 400 के.वी. डी/सी सूरतगढ़–बीकानेर प्रसारण लाइन पी.पी.पी.–7 का कार्य पूर्ण हो कर लाइन चालू की जा चुकी है।
- राज्य में 220 के.वी. का 1 जी.एस.एस. एवं 132 के.वी. के 15 जी.एस.एस. सम्बन्धित लाईन सहित पी.पी.पी. मॉडल के अन्तर्गत विकसित किए जा चुके हैं।
- 400 के.वी. जीएसएस सांगोद एवं संबद्ध लाइन का कार्यादेश एवं एल.ओ.आई दिनांक 06 सितम्बर, 2022 को जारी किया जा चुका है।

(ii) उत्पादन परियोजनाएं

राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार के प्रतिस्पर्द्धी निविदा दिशा–निर्देशों को अपनाते हुए राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम को निजी क्षेत्र के उत्पादनकर्ता से 2,886 मेगावाट बिजली प्राप्त करने की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। राज्य में निजी सहभागिता से कुल 2,886 मेगावाट क्षमता विकसित की जा चुकी है।

ग. वितरण प्रणाली

1. उपभोक्ता

राजस्थान में मार्च, 2022 तक उपभोक्ताओं की संख्या 176.12 लाख थी, जो 2.56 प्रतिशत की वृद्धि के साथ नवम्बर, 2022 तक 180.62 लाख तक पहुँच गई है। विद्युत कम्पनियों में श्रेणीवार उपभोक्ता तालिका–5.4 में दर्शाए गए हैं।

2. ग्रामीण विद्युतीकरण

राज्य में शत प्रतिशत ग्रामीण विद्युतीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, राज्य सरकार द्वारा नवम्बर, 2022 तक 43,965 गांवों का विद्युतीकरण किया गया। इसके अतिरिक्त नवम्बर, 2022 तक 1.14 लाख ढाणियों एवं 97.05 लाख ग्रामीण परिवारों का भी विद्युतीकरण किया जा चुका है।

3. कृषि कनेक्शन

- वर्ष 2022–23 में माह नवम्बर, 2022 तक 50,321 किसानों को कृषि कनेक्शन जारी किये गये है।
- दिसम्बर, 2018 से अभी तक ₹59,248 करोड़ का टैरिफ अनुदान किसानों को बिजली के बिलों में दिया जा चुका है।

4. प्रधानमंत्री कुसुम योजना का क्रियान्वयन

सौर पंपों और ग्रिड से जुड़े सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान ''कुसुम'' योजना प्रारम्भ की गई है। नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा इसके निम्न कम्पोनेन्ट्स हेतु दिशा–निर्देश जारी किये गए है–

तालिका–5.4 श्रेणीवार उपभोक्ताओं की संख्या

क्र.सं.	श्रेणी	31 मार्च, 2022 को उपभोक्ताओं की संख्या	2022–23 के दौरान जारी किये गये कनेक्शनों की संख्या नवम्बर, 2022 तक (प्रावधानिक)	30 नवम्बर, 2022 को उपभोक्ताओं की संख्या (प्रावधानिक)
1	घरेलू आपूर्ति	13917712	336444	14254156
2	अघरेलू आपूर्ति	1551177	52465	1603642
3	औद्योगिक	290567	8755	299322
4	कृषि	1720626	50321	1770947
5	जन–स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	79012	3330	82342
6	पथ–प्रकाश	26007	0	25998*
7	मिश्रित भार	26963	0	26188**
8	ई.वी	44	58	102
योग		**17612108**	**451373**	**18062697**

*स्ट्रीट लाइट श्रेणी के तहत इस वर्ष 9 उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटे गए हैं।

**मिश्रित भार श्रेणी में इस वर्ष 775 उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटे गए हैं।

कुसुम कम्पोनेन्ट–सी

• फीडर सोलराईज़ेशन

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2020–21 के लिए ग्रिड से जुडे पम्प सेटों को 11 केवी फीडर स्तर पर सौर ऊर्जीकृत करने का प्रावधान किया गया है। इस कार्य को अब फीडर स्तर पर सौर ऊर्जीकृत करने हेतु नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा 1,00,000 पम्प सेटों (7.5 एच.पी तक) का कार्य स्वीकृत किया गया है। कापेक्स मोड के अन्तर्गत सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने पर केंद्र सरकार द्वारा लागत का 30 प्रतिशत वित्तीय सहायता अथवा रेस्को मोड के अन्तर्गत सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने पर 1.05 करोड़ प्रति मेगावाट एमएनआरई से वित्तीय सहायता दी जायेगी। वित्तीय सहायता 7.5 एचपी की क्षमता तक के सौर ऊर्जा संयंत्रों हेतु ही जारी होगी। भूमि की पहचान और खरीद की जिम्मेदारी डवलपर (भूमि मालिक/किसान और डवलपर के बीच द्विपक्षीय समझौता) या डिस्कॉम (सरकारी भूमि के लिए) की है।

- **सौर कृषि आजीविका योजना (www.skayrajasthan.org.in)** कम्पोनेन्ट–सी (फीडर स्तर सौर्यकरण) के तहत सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना के लिए किसानों/भूमि मालिकों और डवलपर्स के सहयोग और आवश्यक भूमि की व्यवस्था करने के लिए एक साझा मंच की सुविधा के लिए, राजस्थान डिस्कॉम ने एक ऑनलाइन पोर्टल (www.skayrajasthan.org.in) विकसित किया है। सौर कृषि आजीविका योजना के रूप में इच्छुक किसान/भूस्वामी सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना के उद्देश्य से प्रस्तावित सबस्टेशनों की चिन्हित सूची के पास उपलब्ध अपनी भूमि का पोर्टल पर पंजीयन करा सकते हैं। इच्छुक विकासकर्ता पोर्टल पर पंजीकरण करवा कर पंजीकृत किसानों/भूस्वामियों के संपर्क विवरण प्राप्त कर सकते हैं जिन्होंने प्रस्तावित सौर ऊर्जा संयंत्र स्थानों के आसपास उपलब्ध अपनी भूमि पोर्टल पर पंजीकृत की है।

  ➢ योजना के अन्तर्गत चयनित कुल सब–स्टेशन – 781

मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना

माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा बजट 2021–22 में पूर्व में संचालित डी.बी.टी. योजना को और अधिक बेहतर बनाते हुए सामान्य श्रेणी के ग्रामीण कृषि उपभोक्ताओं को प्रतिमाह ₹1000 तक व प्रतिवर्ष अधिकतम ₹12,000 तक की राशि दिये जाने की घोषणा की गई। उक्त योजना के अनुसरण में "मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना" के तहत सामान्य श्रेणी–ग्रामीण (ब्लॉक ऑवर सप्लाई) के मीटर्ड एवं फ्लैट रेट श्रेणी कृषि उपभोक्ताओं को वर्तमान में दिये जा रहे टैरिफ अनुदान के साथ–साथ अतिरिक्त अनुदान प्रतिमाह ₹1,000 तक (अधिकतम ₹12,000 प्रतिवर्ष) विद्युत विपत्र में समायोजन के माध्यम से दिया जाना प्रावधित किया गया है। उक्त योजना के अन्तर्गत नवम्बर, 2022 तक 12.82 लाख किसानों को ₹867.57 करोड़ (प्रावधिक) का अतिरिक्त अनुदान प्रदान किया गया है एवं साथ ही लगभग 8.87 लाख किसानों को शून्य राशि के बिल जारी किये गये हैं।

मुख्यमंत्री घरेलू अनुदान योजना

मुख्यमंत्री घरेलू अनुदान योजना के अन्तर्गत अब तक ₹3,566.71 करोड़ (प्रावधानिक)का लगभग 123.30 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को अनुदान प्रदान किया गया है, एवं साथ ही लगभग 38.44 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को शून्य राशि के बिल जारी किये गये।

- सौर्यकरण हेतु चयनित कृषि उपभोक्ता – 2,78,618
- सोलर पावर प्लांट की क्षमता – 3,079 मेगावॉट

- **लागू वार्षिक पट्टा किराया (₹ प्रति हेक्टेयर)**

योजना के तहत शुरू में 26 साल की अवधि (पीपीए की 25 साल की अवधि शामिल) के लिए वार्षिक लीज रेंट लागू (हर दो साल में 5 प्रतिशत बढ़ाया जाना प्रस्तावित)

कम्पोनेन्ट–सी (फीडर लेवल सोलराइजेशन) के विनिर्देशों/आवश्यकता के अनुसार डवलपर द्वारा रेस्को मोड में सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जाएंगे।

इसके तहत जयपुर डिस्कॉम द्वारा मैसर्स अल्टीमेट सन सिस्टम प्रा. लिमिटेड के साथ टोंक सर्कल में 33/11 केवी दातावास सबस्टेशन के पास सौर ऊर्जा संयंत्र के लिए 4 अलग–अलग कृषि फीडरों के सोलराइजेशन के लिए अनुबंध किया गया।

घ. प्रशासन शहरों/गाँवों के संग अभियान

राज्य में प्रशासन गाँवों/शहरों के संग अभियान दिनांक 02 अक्टूबर, 2021 से आयोजित किया जा रहा है। इस अभियान में उपभोक्ताओं की विद्युत सम्बंधित विभिन्न समस्याओं का केम्पों में पंजीकरण कर तुरन्त निस्तारण हेतु प्रयास किया जा रहा है।

प्रशासन शहरों के संग अभियानः नवम्बर, 2022 तक आयोजित 5,725 केम्पों में 17,304 उपभोक्ताओं की समस्याओं का पंजीकरण कर 17,267 (99.78 प्रतिशत) समस्याओं का तुरन्त निस्तारण किया जा चुका है।

प्रशासन गाँवों के संग अभियानः नवम्बर, 2022 तक आयोजित 11,073 केम्पों में 2,16,465 उपभोक्ताओं की समस्याओं का पंजीकरण कर 2,15,248 (99.44 प्रतिशत) समस्याओं का तुरन्त निस्तारण किया जा चुका है।

अक्षय ऊर्जा

राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड राज्य में गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोतों से ऊर्जा उत्पादन करने हेतु नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार की एक नोडल एजेन्सी है एवं ऊर्जा संरक्षण व ऊर्जा दक्षता को राज्य में प्रोत्साहित करने हेतु ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी (बी.ई.ई.) की राज्य नामित ऐजेन्सी है। माह दिसम्बर, 2022 तक लागू विभिन्न योजनाओं के राजस्थान अक्षय उर्जा निगम द्वारा, क्रियान्वयन की स्थिति निम्नानुसार हैः–

क. सौर ऊर्जा उत्पादन

राजस्थान अधिकतम सौर विकिरण तीव्रता लगभग 6–7 किलोवाट घण्टे/वर्गमीटर/प्रतिदिन, अधिकतम सौर दिवस (एक वर्ष में 325 दिवस से अधिक) एवं कम औसत वर्षा के कारण सौर ऊर्जा में समृद्ध है। राजस्थान में, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार के आंकलन के अनुसार 142 गीगावाट क्षमता सौर ऊर्जा से स्थापित की जा सकती है। शुष्क मरूस्थल के लिए जाना जाने वाला राजस्थान अब तेजी से सौर ऊर्जा के सबसे बडे केन्द्र के रूप में उभर रहा है। राज्य में दिसम्बर, 2022 तक रुफटॉप संयंत्रों के अलावा 13,531 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित हो चुके हैं। राज्य सरकार द्वारा निवेशकों के लिए उपयुक्त राजस्थान सौर ऊर्जा नीति, 2019 जारी की गई है।

राज्य में 70,030 मेगावाट क्षमता के पार्क व परियोजनाओं की स्थापना को बढावा देने हेतु जेएसडब्ल्यू, अडानी, रिन्यू पॉवर, ग्रीनको, एचएमसीएल, टॉरेन्ट पॉवर, एसीएमई, ओटू पॉवर, एक्सिस एनर्जी, एज्योर पॉवर को कस्टमाइज पैकेज स्वीकृत किये गये है, जिससे राज्य में लगभग ₹3 लाख करोड का निवेश संभावित है।

ख. सोलर पार्क एवं मेगा सोलर पॉवर प्रोजेक्ट्स का विकास

भड़ला (जोधपुर) में 2,245 मेगावॉट क्षमता का सोलरपार्क चार चरणों (फेज) में विकसित किया गया है ।

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार की सोलर पार्क योजना के अन्तर्गत चार निर्माणाधीन सोलर पार्क का विवरण निम्नानुसार हैः–

- फलौदी–पोकरण सोलर पार्क (750 मेगावाट) का विकास एसेल सौर्य ऊर्जा कम्पनी ऑफ राजस्थान, जो कि राज्य सरकार एवं एसेल इन्फ्रा लिमिटेड की संयुक्त उपक्रम कम्पनी है, के द्वारा किया जा रहा है। उक्त पार्क में 300 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किये जा चुके है।
- फतेहगढ़ फेज–1बी (1,500 मेगावाट) का विकास संयुक्त उपक्रम मैसर्स अडानी रिन्युएबल एनर्जी पार्क राजस्थान लिमिटेड के द्वारा किया जा रहा है, उक्त पार्क में 896 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जा चुके है।
- नोख (जैसलमेर) 925 मेगावॉट क्षमता के सोलर पार्क का विकास राजस्थान सोलरपार्क डवलपमेंट कम्पनी (आर.एस.डी.सी.एल.) के द्वारा किया जा रहा है।
- पूगल (बीकानेर) 1,450 मेगावॉट क्षमता के सोलर पार्क का विकास राजस्थान सोलरपार्क डवलपमेंट कम्पनी के द्वारा किया जा रहा है।

ग. रूफ टॉप सोलर पावर प्रोजेक्ट्स स्कीम

- **(फेज–1)**

राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा देय 30 प्रतिशत अनुदान का लाभ देते हुए तीन योजनाओं का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन माह मार्च, 2019 तक किया गया है।

- **(फेज–2)**

अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा घरेलू रूफटॉप सयंत्रों की 45 मेगावाट क्षमता की फेज–2 योजना का क्रियान्वयन नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा देय अनुदान का लाभ देते हुए मार्च, 2022 तक किया गया है।

वर्तमान मे उक्त रूफटॉप योजना का संचालन राज्य वितरण निगमों द्वारा किया जा रहा है।

- **रिन्यूबल एनर्जी सर्विस कम्पनी (रेस्को) मोड सोलर रूफ टॉप योजना**

राज्य में राजकीय भवनों पर रेस्को मोड में रुफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापना हेतु दिनांक 21 अक्टूबर, 2022 को 50 मेगावाट क्षमता हेतु निविदा अपलोड की गई है।

पीएम कुसुम योजना (कम्पोनेन्ट–ए)

केन्द्र सरकार की पीएम कुसुम योजना के कम्पोनेन्ट–ए का क्रियान्वयन राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा किया जा रहा है, जिसके तहत 33/11 किलोवाट सब स्टेशनों की 5 किमी की परिधि में स्थित किसानों की बंजर/अनुपयोगी भूमि पर 0.5 मेगावॉट से 2 मेगावॉट क्षमता तक के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने हेतु 722 मेगावाट की क्षमता के साथ 623 आवेदको का चयन कर लिया गया है। उक्त 623 सफल आवेदकों में से, अब तक कुल 481 सौर ऊर्जा उत्पादकों के साथ 593 मेगावाट क्षमता हेतु विद्युत क्रय अनुबंध किये जा चुके है। दिसम्बर, 2022 तक 62.5 मेगावॉट क्षमता के संयंत्र स्थापित किये जा चुके है।

घ. पवन ऊर्जा कार्यक्रम (पवन ऊर्जा)

ऊर्जा विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान पवन एवं हाईब्रिड ऊर्जा नीति 2019 दिनांक 18 दिसम्बर, 2019 को जारी की गई। भारत सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के तहत नेशनल इस्टीटूयट ऑफ विण्ड एनर्जी (NIWE) द्वारा किये गये अध्ययन के अनुसार राज्य में पवन ऊर्जा की 120 मीटर की ऊंचाई पर अनुमानित क्षमता लगभग 1,27,750 मेगावाट है। दिसम्बर, 2022 तक राज्य में कुल 4,442.145 मेगावाट क्षमता के पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त 1,690 मेगावाट क्षमता के विन्ड सोलर हाईब्रिड संयंत्रो की स्थापना माह दिसम्बर, 2022 तक की गई है।

ड़. जैविक द्रव्य ऊर्जा (बॉयोमास ऊर्जा)

अक्षय ऊर्जा के विभिन्न स्त्रोंतों में बायोमॉस ऊर्जा भी एक स्वच्छ ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्त्रोत है। राजस्थान राज्य में

बायोमॉस ऊर्जा के महत्वपूर्ण स्त्रोत सरसों की तूड़ी व विलायती बबूल है। राज्य में दिसम्बर, 2022 तक 120.45 मेगावॉट क्षमता के 13 बॉयोमास संयंत्र स्थापित किये जा चुके हैं, जिसमें से 28 मेगावाट क्षमता के 2 संयंत्र वर्ष 2012 से बन्द हैं। कुल 119.40 मेगावॉट क्षमता के 10 बायोमास संयत्रों की स्थापना का कार्य प्रगति पर है।

च. ऊर्जा संरक्षण कार्यक्रम

राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा ऊर्जा दक्ष उपकरणों के प्रयोग को विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों द्वारा बढ़ावा देने हेतु और पायलट प्रोजेक्ट्स से राज्य में ऊर्जा की बचत की सम्भावनाओं को दर्शाने हेतु ऊर्जा संरक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। ऊर्जा संरक्षण की दिशा में किये गये प्रयासों की पहचान के लिए वर्ष 2009 से राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम प्रत्येक वर्ष 14 दिसम्बर को ''ऊर्जा संरक्षण दिवस'' आयोजित करता है। इसी श्रृंखला में दिनांक 14 दिसम्बर, 2022 को 13वां राजस्थान ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार समारोह आयोजित किया गया। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम को ब्यूरो ऑफ एफिशिऐंशी विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ''स्टेट परफोरमेन्स श्रेणी में नेशनल एनर्जी कन्जरवेशन अवार्ड (एन.ई.सी.ए.)–2022'' में सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट से सम्मानित किया है।

सड़क

सड़क तंत्र आर्थिक विकास और सामाजिक एकीकरण का एक महत्त्वपूर्ण कारक है। सड़क की आधारभूत संरचना का विकास परिवहन व्यवस्था का एक अभिन्न अंग है। देश की सामाजिक–आर्थिक स्थितियों का आकलन करने के लिए, सड़क नेटवर्क को प्रायः एक महत्वपूर्ण संकेतक के रूप में लिया जाता है। अच्छा सड़क तंत्र, स्वास्थ्य सुविधाओं, माल व सेवाओं, शिक्षा और सामाजिक गतिशीलता की आसान पहुंच की सुविधा प्रदान करता है। सडको का विस्तृत नेटवर्क शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रो के सम्पर्क में सुधार करता है। इसके अलावा सुगम सड़क अवसंरचना समय एवं धन के मामले में परिवहन की लागत को कम करता है।

एक अवरोध मुक्त परिवहन के लिए उच्च गुणवत्ता का व्यापक सड़क नेटवर्क आवश्यक है, जो परिवहन का सबसे व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला साधन है। मुख्य सड़कों पर तेज वाहनों का बाधा रहित आवाजाही की आवश्यकता के साथ तालमेल रखने के लिए, सड़क नेटवर्क को एक्सप्रेसवे के साथ पूरक करना होगा। यह देखा गया है कि एक अच्छी स्थिति की पक्की सड़क, 15 से 40 प्रतिशत वाहन की संचालन लागत कम कर सकती है। यह ऊर्जा संकट और पेट्रोलियम ईंधन के संरक्षण की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है।

वर्ष 1949 में सड़को की 13,553 किलोमीटर लम्बाई थी, जो मार्च, 2022 तक बढ़कर 2,78,813.23 किलोमीटर हो गयी है। 31 मार्च, 2022 तक राज्य मे प्रति 100 वर्ग किलोमीटर पर सड़को का घनत्व 81.47 किलोमीटर है, जबकि राष्ट्रीय सड़क घनत्व प्रति 100 वर्ग किलोमीटर पर 165.23 किमी. है। राष्ट्रीय सड़क घनत्व की तुलना में राज्य सड़क घनत्व बहुत कम है। राज्य में कुल सड़को की लम्बाई का वर्गीकरण तालिका संख्या 5.5 में वर्णित हैः–

तालिका–5.5 राज्य में 31 मार्च, 2022 तक विभिन्न सड़कों की लम्बाई

(किलोमीटर में)

क.सं.	वर्गीकरण	डामर	मैटल	ग्रेवल	मौसमी	योग
1	राष्ट्रीय उच्च मार्ग	10366.41	0.00	0.00	251.68	10618.09
2	राज्य उच्च मार्ग	17180.39	4.20	6.00	47.00	17237.59
3	मुख्य जिला सड़क	12972.81	17.20	92.85	188.07	13270.93
4	अन्य जिला सड़क	43091.82	3170.50	266.98	4695.22	51224.52
5	ग्रामीण सड़क	145049.14	5521.27	33534.37	2357.32	186762.10
योग		**228660.57**	**8713.17**	**33900.20**	**7539.29**	**278813.23**

कुल 2,78,813.23 किलोमीटर सड़को में से 1,73,275.63 किलोमीटर सड़कों का रखरखाव सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा किया जाता है। सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा 99 प्रतिशत सड़क कार्य ग्रामीण क्षेत्रो में एवं 1 प्रतिशत सड़क कार्य शहरी क्षेत्रों में किये जा रहे है।

राज्य मे वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 43,264 गांव है और दिसम्बर, 2022 तक 38,239 गांवों को जोड़ दिया गया है, जो कि कुल गांवों का 89.39 प्रतिशत है।

वित्तीय वर्ष 2022–23 में दिसम्बर, 2022 तक सड़क विकास हेतु अर्जित उपलब्धियॉं निम्नानुसार है:–

- वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 500 या इससे अधिक जनसंख्या वाले 1009 राजस्व गांव जो सड़क मार्ग से नहीं जुड़े थे, को जोड़ा जाना है। दिसम्बर, 2022 तक 593 गांवों को सड़कों से जोड़ा जा चुका है। वर्ष 2022–23 के दौरान 367 सड़कों से बिना जुड़े गांवों को द्वितीय एवं अंतिम चरण में जोड़ा जाना माह अप्रेल, 2022 में स्वीकृत किया गया है। 361 गांवों में कार्य प्रारंभ हो चुका है।
- प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में ₹10 करोड़ की लागत से मिसिंग लिंक और नॉन–पेचेबल सड़कों का कार्य किया जाना है। मिसिंग लिंक और नॉन–पेचेबल सड़कों के निर्माण की कुल लागत ₹2,003 करोड़ है। इन कार्यो के लिए 4,843 किमी मिसिंग लिंक्स और 2,338 किमी. नॉन–पेचेबल सड़कों का विकास किया जायेगा। सभी सड़क कार्य प्रारम्भ किये जा चुके है।
- प्रत्येक जिले में 3 सड़कों के विकास कार्य के अंतर्गत 99 कार्यो की कुल लागत ₹3,134 करोड़ है, जिनसे 2,844 किमी लम्बाई की राज्य सड़कों का विकास किया जाएगा। ये सभी कार्य प्रारम्भ किये जा चुके है।
- मिसिंग लिंक, राज्य सड़क निधि एवं ग्रामीण सड़कों के अन्तर्गत 2,516 किलोमीटर डामर सड़कों का निर्माण किया गया।
- राज्य सड़क निधि के अंर्तगत वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 500 और उससे अधिक आबादी वाले 70 गांवो और 15 ग्राम पंचायत मुख्यालयों को 282 किलोमीटर लम्बाई में डामर सड़कों से जोड़ा गया है।
- 5 कि.मी. विकास पथ का निर्माण 5 ग्राम पंचायतों में किया गया।
- केन्द्रीय सड़क निधि, राज्य सड़क निधि, नाबार्ड और पीपीपी के अंतर्गत 1,530 कि.मी. राज्य राजमार्ग एवं मुख्य जिला सड़कों के चौड़ाईकरण, सुदृढीकरण एवं नवीनीकरण का कार्य पूर्ण किया गया हैं।
- ग्रामीण सड़कें, राज्य सड़क निधि, नाबार्ड, शहरी सड़कें, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना –III और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत 6,045 किलोमीटर अन्य जिला और ग्रामीण सड़कों का सुदृढ़ीकरण और नवीनीकरण पूरा किया गया।
- वर्ष 2022–23 में सड़क क्षेत्र के लिए ₹8,938.05 करोड़ का बजट प्रावधित किया गया था। इसके विरूद्ध दिसम्बर, 2022 तक ₹4,072.27 करोड़ का व्यय किया गया।

वर्ष 2022–23 की बजट घोषणा के अनुसार निम्न नई स्वीकृतियां जारी की गई:–

- **राज्य सड़क निधि:–** बजट घोषणा 2022–23 की अनुपालना में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 10 करोड़ रुपये की लागत से मिसिंग लिंक/नॉन–पेचेबल सड़कों का निर्माण कार्य, 33 जिलों में 99 कार्य (प्रत्येक जिले में 3 सड़कों का कार्य) 13,693 किमी. लम्बाई एवं ₹8,394.72 करोड़ लागत के 3,498 सड़क निर्माण व विकास कार्य जिनमें 17 आरओबी/उच्च स्तरीय पुल शामिल हैं।
- **राज्य राजमार्ग एवं मुख्य जिला सड़कों का चौड़ाईकरण, सुदृढ़ीकरण और नवीनीकरण:–**

  ₹328.82 करोड़ की राशि के 196.32 किमी के विकास के लिए 10 राज्य राजमार्गो की स्वीकृति जारी की जा चुकी है।

  ₹290.55 करोड़ की राशि के 212.20 किलोमीटर के विकास के लिए 13 जिला सड़कों की स्वीकृति की जा चुकी है, जिसमें डीपीआर कार्य शामिल है।
- **अन्य जिला सड़क व ग्रामीण सडक का चौड़ाईकरण, सुदृढ़ीकरण और नवीनीकरण:–**

  ₹442.80 करोड़ की राशि के 35 अन्य जिला सड़क और ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए 504.90 किलोमीटर की स्वीकृति जारी की जा चुकी है, जिसमें 3 पुल शामिल हैं।
- **शहरी सड़कें**

  जोधपुर शहर की सड़कों सहित 232.51 कि.मी. लम्बाई में ₹154.51 करोड़ की लागत से शहरी सड़कों के विकास कार्य की स्वीकृति जारी की जा चुकी है ।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना –तृतीय

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना– तृतीय के तहत 8,662.50 किलोमीटर लम्बाई की मुख्य ग्रामीण सड़कों का चयन कर उनका उन्नयन और सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। इसके तहत प्रथम चरण में ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 5,821 किमी के लिए ₹3,122 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं, जिसके अन्तर्गत दिसम्बर, 2022 तक ₹2,176.74 करोड़ का व्यय कर 5,530 किलोमीटर सड़क उन्नयन का कार्य किया जा चुका है।

राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास परियोजना

राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम –1–(ए.डी. बी. ट्रेंच–I)

यह परियोजना एशियन डवलपमेंट बैंक (ए.ड़ी.बी.) ऋण द्वारा वित्त पोषित है। परियोजना की कुल लागत ₹2,452.36 करोड़ है, जिसमें से एडीबी के ऋण के रूप में ₹1,430.00 करोड़ (220 मिलियन यू.एस.डॉलर) पूंजी है। परियोजना नवम्बर, 2017 से प्रभावी है और 30 सितम्बर, 2022 को पूर्ण हुई। ट्रेन्च–प्रथम के अन्तर्गत 980 किलोमीटर लम्बाई के 16 राजमार्गो के विकास के कार्य (746 किलोमीटर लम्बाई के विकास के 12 राजमार्ग पी.पी.पी. हाइब्रिड एन्यूटी मोड़ पर एवं 234 किलोमीटर लम्बाई के चार राजमार्ग ई.पी.सी. मोड़ पर) पूर्ण किये जा चुके है एवं इनका वाणिज्यिक संचालन भी शुरू हो चुका है। वित्तीय वर्ष में 2022–23 बजट में प्रावधित राशि ₹241.91 करोड़ प्रस्तावित हैं एवं माह दिसम्बर, 2022 तक ₹123.47 करोड़ का उपयोग किया जा चुका हैं।

राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम– 2–(ए.डी. बी. ट्रेंच–2)

यह परियोजना एशियन डवलपमेंट बैंक (ए.ड़ी.बी.) ऋण द्वारा वित्त पोषित है। परियोजना की कुल लागत ₹2,617.07 करोड़ है, जिसमें ए.ड़ी.बी. से ऋण के रूप में ₹1,310.81 करोड पूंजी है। परियोजना दिसम्बर, 2019 से क्रियान्वित की जाकर मार्च, 2024 तक पूर्ण की जानी है। परियोजना के अन्तर्गत 754 कि.मी. लम्बाई की 11 राजमार्गों को विकसित किया जाना है। इनमें 474 कि.मी. लम्बाई की 6 राजमार्गों ई.पी.सी. मोड पर एवं 280 कि.मी. लम्बाई की 5 राजमार्गों पी.पी.पी. हाईब्रिड एन्यूटी मोड पर प्रस्तावित है। सभी 11 राजमार्गों (ईपीसी मोड पर 6 नंबर और एचएएम मोड पर 5 नंबर) का कार्य आंवटित किया गया है। 3 कार्य (ईपीसी) पूरे हो चुके हैं। 5 कार्य (3 ईपीसी और 2 एचएएम) प्रगति पर हैं और 3 कार्य (एचएएम) इस वित्तीय वर्ष के दौरान प्रारम्भ होने की संभावना है। वित्तीय वर्ष में 2022–23 बजट में प्रावधित राशि ₹359.91 करोड़ के विरूद्ध प्रस्तावित संशोधित प्रावधान राशि ₹303.97 करोड़ हैं। माह दिसम्बर, 2022 तक ₹178.73 करोड का उपयोग किया जा चुका हैं।

राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम –(ए.डी.बी. ट्रेंच–3)

इस परियोजना के अन्तर्गत 283 किमी की लंबाई वाली 4 परियोजनाओं को ₹1,096 करोड़ में प्रस्तावित किया गया है, जिसमें से 2 कार्य प्रगति पर हैं, 2 कार्य को स्वीकृति दे दी गई है और जनवरी 2023 तक कार्यो को आंवटित कर शुरू किया जाना है। वित्तीय वर्ष 2022–23 में ₹124.10 करोड़ का संशोधित बजट प्रावधान किया गया है।

राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम –2– (विश्व बैंक ट्रेन्च–01)

यह परियोजना विश्व बैंक के ऋण द्वारा वित्त पोषित है। परियोजना की कुल लागत ₹3,120.46 करोड़ है, जिसमें विश्व बैंक से ऋण के रूप में ₹1,779.43 करोड पूंजी है। परियोजना अक्टूबर, 2019 से क्रियान्वित की जाकर मार्च, 2024 तक पूर्ण की जानी है। परियोजना के अन्तर्गत 801 कि.मी. लम्बाई के राजमार्गो का दो लेन या मध्यम लेन मे उन्नयन करना, राजस्थान राजमार्ग प्राधिकरण का संचालन, संस्थागत मजबूती, सड़क सुरक्षा, परियोजना प्रबन्धन सहायता शामिल है। इस परियोजना के अन्तर्गत 801 कि.मी. लम्बाई की 11 राजमार्गों को विकसित किया जाना प्रस्तावित है। सभी 11 राजमार्गों को आवंटित किया जा चुका है, इनमे से 328 कि.मी लम्बाई की 3 राजमार्गों का कार्य पूर्ण हो चुका है एवं 365 कि. मी लम्बाई की 6 राजमार्गों का कार्य प्रगति पर है। शेष 2 परियोजनाओं के वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान शुरू होने की संभावना है। परियोजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022–23 में दिसम्बर, 2022 तक ₹135.92 करोड़ व्यय किए गए हैं।

राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम –2– (विश्व बैंक ट्रेन्च–02)

आरएसएचडीपी–II ट्रेंच–02 के अंतर्गत ₹1,957.93 करोड़ की लागत से 528 किमी लंबाई की 11 परियोजनाएँ प्रक्रियाधीन हैं। विश्व बैंक से वित्त पोषण अनुमोदन के अधीन है।

राष्ट्रीय राजमार्ग–इन्जिनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंसट्रक्शन (एनएच–इपीसी) पी.डब्ल्यू.डी. के तहत

ईपीसी (इन्जिनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंसट्रक्शन) मोड़ पर ₹4,135.31 करोड़ लागत की 51 परियोजनाओं के कार्य आरम्भ किये गये थे, जिनमें से 04 परियोजनाओं का कार्य पूर्ण हो गया है।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई)

- ₹36,274.42 करोड़ की लागत से 2,083.79 किमी लम्बाई के 48 कार्य प्रारम्भ किये गये, जिनमें से 9 कार्य पूर्ण कर लिए गये है।
- एक कार्य भारतमाला परियोजना के अंतर्गत, 193.523 किमी. लम्बाई में ₹913.91 करोड़ की लागत से 31 मार्च, 2023 तक पूर्ण होने की सम्भावना है।
- दिल्ली–वडोदरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे –राजस्थान में कुल 374 कि.मी. लंबाई में ₹15,867.53 करोड़ की अनुमानित लागत से विकसित किया जाना है। जिसमें सभी 13 पैकेजों में से 3 पैकेज पूर्ण कर लिए गये है और शेष 10 पैकेजों के लिए निर्माण कार्य प्रगति पर है और जुलाई, 2023 तक कार्य पूर्ण होने की संभावना है।
- संगरिया–सांचोर–संथालपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे राजस्थान में 637 किमी लंबाई में ₹13,685.87 करोड़ की अनुमानित लागत के साथ विकसित किया जाना है, जिसके सभी 23 पैकेजों में से 2 पैकेज का कार्य पूर्ण कर लिया गया है शेष 21 पैकेजों का निर्माण कार्य प्रगति पर है और अक्टूबर, 2023 तक कार्य पूर्ण होने की संभावना है।

परिवहन

मोटर वाहन पंजीयन

मजबूत परिवहन व्यवस्था अर्थव्यवस्था के विकास में शक्तिशाली इंजन की तरह है। राज्य में मोटर वाहनों के पंजीकरण में वृद्धि परिवहन सुविधाओं की प्रगतिशील संरचना को दर्शाता है।

- वर्ष 2022–23 में माह नवम्बर, 2022 तक कुल 9,39,513 मोटर वाहन पंजीकृत हुए है।
- वर्ष 2018–19 से 2022–23 (नवम्बर, 2022 तक) के दौरान पंजीकृत वाहनों की स्थिति तालिका 5.6 में दर्शायी गयी है :–

तालिका 5.6 राजस्थान में वर्षवार पंजीकृत वाहन

(संख्या)

क्र.सं.	वाहनों का प्रकार	वर्ष				
		2018–19	2019–20	2020–21	2021–22	*2022–23 (नवम्बर, 2022 तक)
1	दुपहिया	1141986	1188722	721659	734702	672057
2	ई–रिक्शा	2850	4317	2986	9061	13282
3	ई–कार्ट	203	364	708	2038	2875
4	तिपहिया (यात्री)	11164	16476	3828	5906	7260
5	तिपहिया (भार)	2967	4500	1875	2591	2319
6	मोटर कैब/मैक्सी कैब	8357	6588	2198	2996	4039
7	मोटर कार	163411	155454	135062	144197	118520
8	बस/ओमनी बस	1672	2442	757	541	548
9	एम्बुलेंस	262	417	242	1371	429
10	स्कूल बस	2122	2752	197	143	919
11	कृषि ट्रेक्टर	64504	71289	89240	87544	68177
12	ट्रेक्टर–ट्रोली (व्यावसायिक)	835	1067	747	451	2090
13	अर्टिकुलेटेड/डम्पर/ट्रेलर	16158	10480	3858	9278	9019
14	माल वाहक	40245	41593	22843	33397	32060
15	कंसट्रक्शन/अर्थ मूविंग ईक्यूपमेन्ट	4814	4034	5007	4304	3805
16	अन्य	1884	1659	1749	2181	2114
योग		**1463434**	**1512154**	**992956**	**1040701**	**939513**

*अनुमानित

- वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान नवम्बर, 2022 तक कुल ₹3,571.75 करोड़ का राजस्व अर्जित किया गया है। इसी अवधि में गत वर्ष ₹2,483.41 करोड का राजस्व प्राप्त किया है, जो 43.82 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

- ट्रोमा सेंटर, एस.एम.एस. अस्पताल जयपुर में समर्पित सड़क सुरक्षा कोष से विश्वस्तरीय आईसीयू, स्किल लैब एवं बेसिक लाईफ सपोर्ट सेंटर राशि ₹14.13 करोड़ की लागत से स्थापित तथा नियमित उपयोग में लाये जा रहे हैं। मेडिकल कॉलेज जोधपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, झालावाड़, भरतपुर, उदयपुर, चुरू, पाली, बीकानेर, सीकर बाड़मेर तथा जयपुर के कांवटिया एवं जयपुरिया चिकित्सालय में ट्रोमा सेंटर निर्माण/सुदृढ़ीकरण एवं मेडिकल कॉलेज जोधपुर, अजमेर व बीकानेर में स्किल लैब तथा जोधपुर, बीकानेर एवं कोटा संभाग में बेसिक लाईफ सपोर्ट प्रशिक्षण केन्द्र हेतु समर्पित सड़क सुरक्षा कोष से ₹31.29 करोड़ की राशि को प्रस्तावित किया गया है।

- राज्य में इलेक्ट्रीक वाहनों के प्रयोग को प्रोत्साहित किये जाने हेतु ''राजस्थान इलेक्ट्रीकल व्हीकल नीति–2022'' की अधिसूचना दिनांक 31 अगस्त, 2022 को जारी कर दिनांक 01 सितम्बर, 2022 से 5 वर्ष के लिए निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ प्रभावी की गई:–

क. व्यक्तिगत गतिशीलता और सार्वजनिक परिवहन दोनों क्षेत्रों में ईवी को अपनाने का समर्थन करना ।

ख. स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों पर ध्यान देने के साथ सभी प्रकार के ईवी को पूरा करने वाले ईवी चार्जिंग स्टेशन और बैटरी स्वैपिंग स्टेशनों के एक मजबूत नेटवर्क के निर्माण को सक्षम करना ।

ग. राज्य के इलेक्ट्रिक मोबिलिटी स्पेस में अनुसंधान एवं विकास और कौशल विकास को बढ़ावा देना।

घ. रिप्स–2019 के तहत उचित प्रोत्साहन देकर राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों और बैटरियों के निर्माण को बढ़ावा देना।

नीति के अंत तक पंजीकृत होने वाले श्रेणीवार नये वाहनों में से 15 प्रतिशत दोपहिया इलेक्ट्रीक वाहनों, 30 प्रतिशत तिपहिया इलेक्ट्रीक वाहनों तथा 5 प्रतिशत चौपहिया इलेक्ट्रीक वाहनों के पंजीयन का लक्ष्य रखा गया है तथा प्राथमिकता वाले शहरों को जोड़ने वाले मार्गों में उपयोग की जाने वाली ई–बसों में चरणबद्ध परिवर्तन तथा साथ ही आने वाले 5 वर्षों में 35 लाख यूनिट प्रति वर्ष इलेक्ट्रिक वाहनों के विनिर्माण का लक्ष्य भी रखा गया है। इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रोत्साहन के लिए प्रावधान:–

क. राजस्थान मोटर वाहन कराधान अधिनियम 1951 के तहत देय मोटर वाहन कर एवं ग्रीन टैक्स से छूट।

ख. यात्रियों या सामानों को ले जाने के लिए परमिट की आवश्यकता से छूट।

ग. इलेक्ट्रिक वाहनों की सभी श्रेणियों के लिए एसजीएसटी प्रतिपूर्ति।

- विभाग द्वारा लाइसेंस, वाहन रजिस्ट्रेशन एवं परमिट से संबंधित सेवाओं को ऑनलाइन किया जा चुका है। कर संग्रहण केंद्रों को दिनांक 30 जून, 2022 से बंद कर कर संग्रहण से संबंधित सेवाओं को भी दिनांक 01 जुलाई, 2022 से ऑनलाइन कर दिया गया है।

- 11 प्रादेशिक परिवहन कार्यालयों (कोटा, सीकर, जयपुर, भरतपुर, अलवर, दौसा, जोधपुर, पाली, बीकानेर, चित्तौड़गढ़ एवं उदयपुर) तथा 2 जिला परिवहन कार्यालयों (झालावाड़ एवं डीडवाना) में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑटोमेटेड़ ड्राईविंग टेस्ट ट्रेक पर चालक क्षमता परीक्षण लिया जा रहा है तथा 24 जिला परिवहन कार्यालयों में ऑटोमेटेड़ ड्राईविंग टेस्ट ट्रेक का निर्माण किये जाने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है।

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम (आर.एस.आर.टी.सी.) द्वारा कुल उपलब्ध 4,040 स्वयं की एवं अनुबन्ध पर ली गई वाहनों से माह नवम्बर, 2022 तक प्रति दिवस 1,877 मार्गों पर 3,236 वाहनों का संचालन कर 13.00 लाख कि0मी0 चलकर 7.00 लाख यात्रियों को परिवहन सुविधा उपलब्ध करायी गयी। वर्ष 2018–19 से वर्ष 2022–23 (माह नवम्बर, 2022 तक) तक वाहन बेड़े और वास्तविक परिचालन की स्थिति क्रमशः तालिका संख्या– 5.7 एवं 5.8 में दर्शाई गई है:–

निगम के अभिनव प्रयास

- वर्ष 2022 में (नवम्बर, 2022 तक) निगम द्वारा महिला दिवस एवं रक्षा बन्धन पर क्रमशः 8,20,030 एवं 7,82,998 महिलाओं को निःशुल्क यात्रा सुविधा उपलब्ध कराई गई।

- वित्तीय वर्ष 2022–23 (नवम्बर, 2022 तक) मे निगम के

तालिका संख्या–5.7 वर्षवार वाहन बेड़ों की स्थिति

(संख्या)

विवरण / वर्ष	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23*
निगम वाहन	4270	3751	4179	3466	3202
अनुबन्धित वाहन	1025	959	908	860	838
योग	5295	4710	5087	4326	4040
बेड़े की औसत आयु (वर्षों में)	6.31	6.00	5.68	6.34	6.91
बेड़े में सम्मिलित नए वाहन	NIL	534	341	NIL	NIL
नकारा किए गए वाहन	411	526	673	385	229

* माह नवम्बर, 2022 तक।

तालिका संख्या–5.8 वर्षवार वास्तविक परिचालन परिणाम

विवरण / वर्ष	2018-19		2019-20		2020-21*		2021-22 (प्रावधानिक)		2022-23**	
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
किमी. (करोड़ में)	61.51	54.38#	57.44	52.19	-	26.49	42.15	39.55	33.84	31.72
वाहन उपयोगिता (किमी./बस/दिन)	360	392	385	389	-	364	385	389	380	402
बेड़ा उपयोगिता (प्रतिशत)	89	68	78	74	-	43	75	63	80	77
संचालन आय प्रति कि0मी0 (रूपये)	35.15	31.72	34.49	32.36	-	32.67	35.31	36.12	37.87	38.97

23 दिन की कर्मचारी हड़ताल के कारण संचालन प्रभावित रहा।

*कोविड–19 के कारण 23 मार्च, 2020 से लॉकडाउन के कारण राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी मार्ग निर्देशन (Guide line) के अनुसार धीरे–धीरे संचालन प्रारम्भ किया गया एवं लक्ष्य निर्धारित नही किया गया।

** माह नवम्बर, 2022 तक।

द्वारा 91,62,597 प्रतियोगी परिक्षार्थियों को द्रुतगामी एवं साधारण वाहनों में निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान की गयी है।

- राजस्थान पथ परिवहन निगम द्वारा सिंधी कैम्प बस स्टैण्ड पर दिव्यांगजन हेतु टूक–टूक (परिसर में बिठाना एंव उतारना) सेवा प्रारम्भ की गयी है।
- निगम के द्वारा ऑन–लाईन एवं मोबाईल एप से वर्ष 2011 से यात्रियों को टिकिट जारी किये जा रहे है। वर्तमान में हो रहे डिजिटलाइजेशन को देखते हुए निगम द्वारा क्यू–आर कोड से यात्रियों को माह नवम्बर, 2022 से टिकिट जारी करना शुरू कर दिया गया है।

रेलवे

मार्च, 2020 में राज्य में रेल मार्गों की कुल लम्बाई 5,998 किलोमीटर थी, जो कि मार्च, 2021 के अन्त तक 6,019

किलोमीटर (भारतीय रेलवे की वार्षिक पुस्तक 2020–21 के अनुसार) हो गई है। राज्य में रेलमार्ग 68,103 किलोमीटर लम्बाई के भारतीय रेलमार्ग का 8.83 प्रतिशत है।

डाक एवं दूरसंचार सेवाएं

दूरसंचार अर्थव्यवस्था के विविध क्षेत्रों के तीव्र विकास एवं आधुनिकीकरण की प्रमुख सहायक सेवा है। हाल के वर्षों में प्रौद्योगिकी के तीव्र विकास एवं अर्थव्यवस्था पर इसके सार्थक प्रभाव के कारण यह अधिक महत्वपूर्ण हो गया है।

डाक एवं दूरसंचार सेवाएं अर्थव्यवस्था को विकसित करने का एक साधन है तथा राज्य के विभिन्न क्षेत्रों, खण्डों एवं समुदायों को जोड़ने का कार्य भी करता है। दिसम्बर, 2022 के अन्त तक राज्य में कुल डाकघरों की संख्या 10,290 और मार्च, 2022 तक कुल टेलीकॉम उपभोक्ताओं की संख्या 6.39 करोड़ थी। राज्य में डाकघरों तथा टेलीकॉम उपभोक्ताओं की 2022 तक की स्थिति तालिका–5.9 में दर्शाई गई है:–

आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा

राज्य आपदा मोचन निधि में वित्तीय वर्ष 2022–23 के प्रारम्भ में दिनांक 01 अप्रैल, 2022 को प्रारम्भिक शेष ₹2,468.82 करोड़ शेष था। वित्तीय वर्ष 2022–23 में राज्य आपदा मोचन निधि के प्रथम किश्त के रूप में ₹829.60 करोड़ प्राप्त हुये तथा केन्द्र आपदा मोचन निधि में ₹13.46 करोड़ की राशि प्राप्त हुई है। राज्य आपदा मोचन निधि योजना के अंतर्गत भारत सरकार का अंशदान 75 प्रतिशत तथा राज्य सरकार का अशंदान 25 प्रतिशत है। इस प्रकार वर्ष 2022–23 के लिए प्रारम्भिक शेष सहित कुल ₹3,357.45 करोड़ की राशि उपलब्ध है, जिसमें से दिनांक 31 दिसम्बर, 2022 तक निम्नानुसार गतिविधियों के लिए ₹1,123.74 करोड़ की राशि आवंटित की गई है, जिसका विवरण तालिका–5.10 में दर्शाई गई है:–

- खरीफ फसल सम्वत् 2078 में राज्य के 10 जिलों में 1,538 स्वीकृत पशु शिविर व 297 स्वीकृत चारा डिपों को राहत सहायता की गई। चारा क्रय करने हेतु जिला स्तर पर कमेटी का गठन किया गया है, विभाग द्वारा प्रत्येक जिलें को ₹10 लाख अग्रिम दिये गये है एवं चारा डिपों संचालित करने वाली संस्थानों को अग्रिम ऋण के रूप में ₹1.00 लाख की राशि दी गई।
- संवत 2079 में राज्य के पाली जिले की तहसील पाली को सूखे के कारण फसलों के ख़राब होने पर खरीफ फसल के लिए गंभीर श्रेणी का अभावग्रस्त घोषित किया गया है।
- कोविड–19 से मरने वाले परिवारो की सहायता हेतु सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को वर्ष 2022–23 में ₹42.00 करोड़ राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (एनडीआरएफ) मद से आवंटित किये गये।

तालिका–5.9 राज्य में डाकघरों एवं टेलीकॉम उपभोक्ताओं की स्थिति

क्र.सं.	मद	इकाई	2022-23
1.	डाकघर	संख्या	10,290*
(अ)	ग्रामीण	संख्या	9,678
(ब)	शहरी	संख्या	612
2.	टेलीकॉम उपभोक्ता (तार रहित + तार सहित)	करोड़	6.39**
(अ)	तार रहित उपभोक्ता	करोड़	6.32
(ब)	तार सहित उपभोक्ता	करोड़	0.069

* दिसम्बर, 2022 तक
**मार्च, 2022 तक

तालिका–5.10 वर्ष 2022–23 में विभिन्न मदों में आवंटित राशि का विवरण (31 दिसम्बर, 2022 तक)

(₹करोड़)

क्र.सं.	गतिविधि	राशि
1.	अकाल राहत गतिविधियाँ	55.36
	(अ) पेयजल	40.38
	(ब) पशु शिविर गौशाला	14.98
2.	कृषि आदान अनुदान	815.69
3.	कोविड–19	42.00
4.	अन्य मद	210.69
	योग	**1123.74**

अध्याय 06

सेवा क्षेत्र

राजस्थान में सेवा क्षेत्र का परिदृश्य

सेवा क्षेत्र के अन्तर्गत विभिन्न गतिविधियां जिनमें कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर और दूरसंचार जैसी उच्च दक्षता वाली गतिविधियों से लेकर प्लम्बर द्वारा दी जाने वाली साधारण सेवा तक की विभिन्न गतिविधियां सम्मिलित हैं। इसमें विविध प्रकार की गतिविधियों के सम्मिलित होने के कारण सेवा क्षेत्र की कोई एक विशिष्ट परिभाषा नही है। राष्ट्रीय लेखा वर्गीकरण के अनुसार सेवा क्षेत्र के अन्तर्गत व्यापार, होटल और जलपान गृह, परिवहन, भंडारण एवं संचार, वित्तीय, बीमा, स्थावर सम्पदा, व्यावसायिक सेवाएं तथा सामुदायिक, सामाजिक और व्यक्तिगत सेवाएं सम्मिलित हैं।

सेवा क्षेत्र का स्थिर (2011–12) बुनियादी मूल्यों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन (जी.एस.वी.ए.) वर्ष 2018–19 में ₹2.78 लाख करोड़ की तुलना में वर्ष 2022–23 में ₹3.21 लाख करोड़ अनुमानित है, जो इस अवधि में प्रतिवर्ष 3.65 प्रतिशत (सी.ए.जी.आर.) की औसत वृद्धि दर्शाता है जबकि प्रचलित मूल्यों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन (जी.एस.वी.ए.) वर्ष 2018–19 में ₹4.11 लाख करोड़ की तुलना में वर्ष 2022–23 में ₹5.73 लाख करोड़ अनुमानित है, जो इस अवधि में प्रतिवर्ष 8.65 प्रतिशत (सी.ए.जी.आर.) की औसत वृद्धि दर्शाता है। प्रचलित एवं स्थिर (2011–12) मूल्यों पर सेवा क्षेत्र का सकल राज्य मूल्य वर्धन एवं वद्धि–दर के साथ में चित्र–6.1 में दर्शाया गया है।

चित्र –6.1

प्रचलित एवं स्थिर (2011–12) मूल्यों पर सेवा क्षेत्र का सकल राज्य मूल्य वर्द्धन (जीएसवीए) एवं वृद्धि–दर

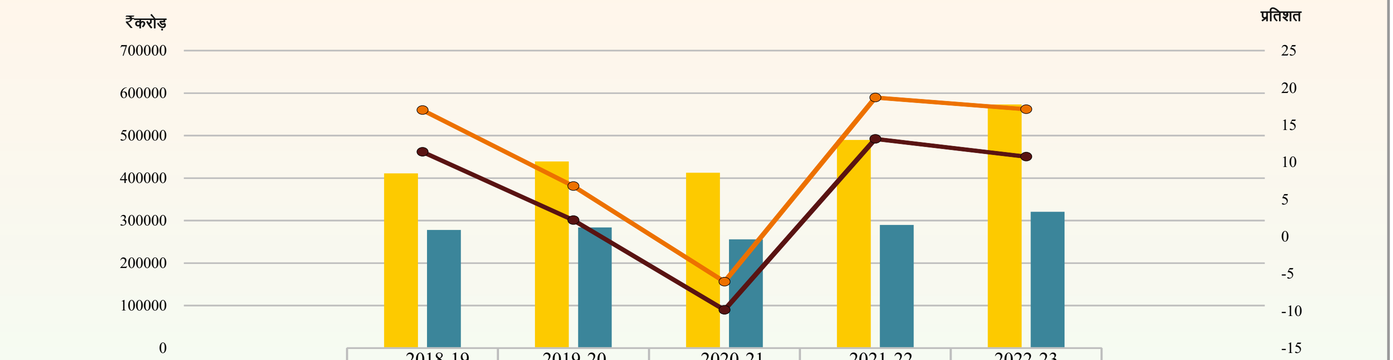

	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
जीएसवीए प्रचलित मूल्यों पर	411317	439188	412491	489518	573277
जीएसवीए स्थिर मूल्यों पर	277849	283993	255996	289602	320708
प्रचलित मूल्यों पर वृद्धि–दर	17.00	6.78	-6.08	18.67	17.11
स्थिर मूल्यों पर वृद्धि–दर	11.39	2.21	-9.86	13.13	10.74

नोट : वर्ष 2020–21 संशोधित अनुमान–II, वर्ष 2021–22 संशोधित अनुमान–I, वर्ष 2022–23 अग्रिम अनुमान

राजस्थान के सकल राज्य मूल्य वर्धन (जी.एस.वी.ए.) में सेवा क्षेत्र का योगदान :

राजस्थान की अर्थव्यवस्था में वर्ष 2022–23 में भी सेवा क्षेत्र प्रचलित बुनियादी मूल्य पर 43.74 प्रतिशत योगदान के साथ सबसे बड़ा क्षेत्र बना हुआ है। वर्ष 2022–23 में सेवा क्षेत्र का प्रचलित मूल्यों पर उप–क्षेत्रवार वितरण चित्र–6.2 में दर्शाया गया है।

चित्र –6.2

सेवा क्षेत्र का प्रचलित मूल्यों पर उप–क्षेत्रवार वितरण 2022–23 (अ.)

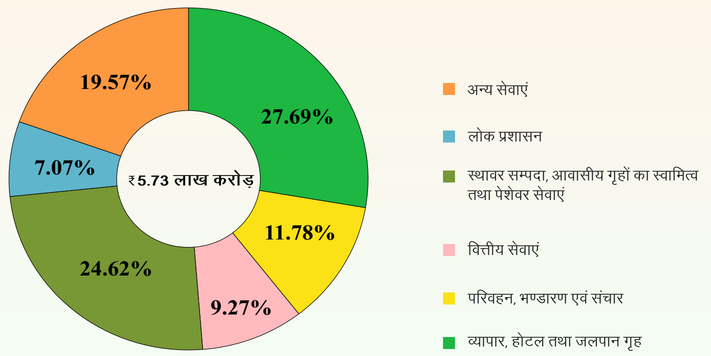

नोट : अ. = अग्रिम अनुमान

राजस्थान राज्य के सेवा क्षेत्र में व्यापार, होटल और जलपान गृह का महत्त्वपूर्ण स्थान है। वर्ष 2022–23 में व्यापार, होटल और जलपान गृह का सेवा क्षेत्र के जी.एस.वी.ए. में 27.69 प्रतिशत, इसके बाद स्थावर सम्पदा, आवासीय गृहों का स्वामित्व और पेशेवर सेवाओं का 24.62 प्रतिशत योगदान रहा है। सेवा क्षेत्र के अन्तर्गत जी.एस.वी.ए. में अन्य सेवाओं का योगदान 19.57 प्रतिशत और परिवहन, भंडारण एवं संचार क्षेत्र का योगदान 11.78 प्रतिशत रहा, जबकि वित्तीय सेवाओं का 9.27 प्रतिशत और लोक प्रशासन सेवाओं का योगदान 7.07 प्रतिशत रहा है।

स्थिर (2011–12) मूल्यों सेवा क्षेत्र के विभिन्न उपक्षेत्रों का सकल राज्य मूल्य वर्धन एवं वृद्धि दर

वर्ष 2022–23 में व्यापार, होटल और जलपान गृह, परिवहन, भंडारण और संचार, वित्तीय सेवाओं, स्थावर सम्पदा, आवासीय गृहों का स्वामित्व तथा पेशेवर सेवाएं, लोक प्रशासन सेवाओं और अन्य सेवाओं में अनुमानित वृद्धि क्रमशः 19.73 प्रतिशत, 15.95 प्रतिशत, 6.40 प्रतिशत, 9.41 प्रतिशत, 2.94 प्रतिशत और 3.50 प्रतिशत है।

स्थिर (2011–12) मूल्यों पर वर्ष 2011–12 एवं 2022–23 (अ.) के लिए सेवा क्षेत्र के विभिन्न उपक्षेत्रों का सकल राज्य मूल्य वर्धन एवं 11 वर्षों की अवधि के लिए औसत वृद्धि दर (सीएजीआर) को चित्र–6.3 में दर्शाया गया है।

चित्र – 6.3

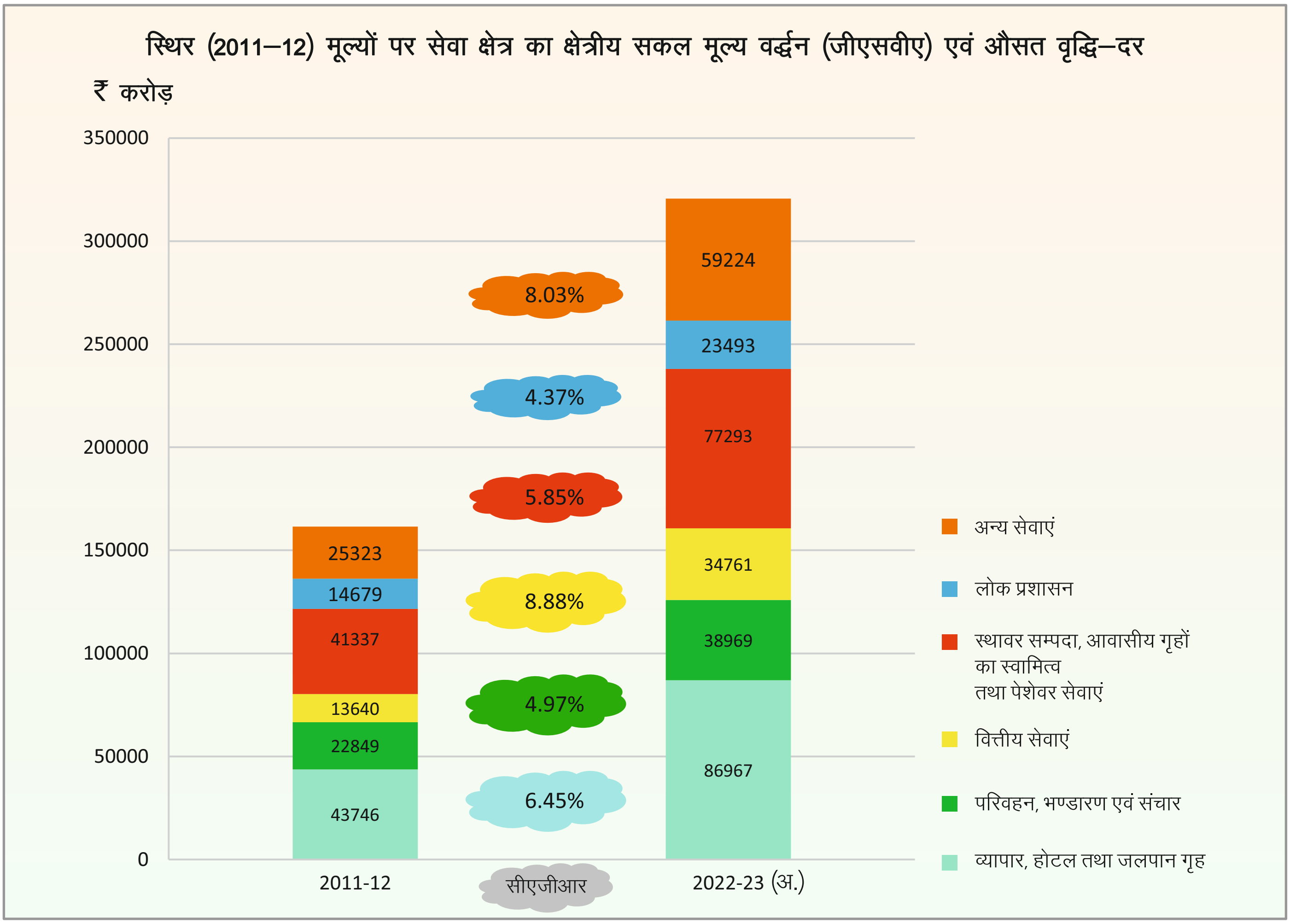

नोट : अ. = अग्रिम अनुमान

इसके उत्तरवर्ती भाग में राजस्थान के सेवा क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले विभिन्न घटकों की प्रगति पर एक विस्तृत परिदृश्य प्रस्तुत किया गया है। इनमें पर्यटन और आतिथ्य सेवाएं, वित्तीय सेवाएं, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी भी शामिल है।

पर्यटन

पर्यटन की दृष्टि से राजस्थान, भारत के प्रमुख प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से एक है तथा विश्व के पर्यटन मानचित्र पर अपना एक विशिष्ट स्थान रखता है। यहाँ देशी–विदेशी पर्यटकों हेतु अनेक आकर्षण के केन्द्र हैं। राजस्थान में पर्यटन के विशेष आकर्षण के केन्द्र शाही रेलगाडी (पैलेस–ऑन–व्हील्स), किले, महल एवं हवेलियां, मेले एवं त्यौहार, हस्तकलाएं, हैरिटेज होटल, साहसिक पर्यटन (एडवेंचर ट्यूरिज्म), ग्रामीण एवं ईको–ट्यूरिज्म, धार्मिक पर्यटन तथा मन्दिर स्थापत्य कला, शास्त्रीय संगीत एवं लोक–नृत्य इत्यादि हैं, जो कि राज्य में पर्यटकों को आकर्षित करते हैं तथा राज्य के लिए रोजगार एवं राजस्व का सृजन करते हैं।

राज्य में पर्यटन के विकास एवं संवर्धन के लिए सरकार द्वारा उल्लेखनीय प्रयास किए जा रहे हैं। यह राजस्थान के निवासियों के लिए रोजगार एवं आय की असीम सम्भावनाएं रखता है। वर्ष 2022 (नवम्बर, 2022 तक) के दौरान कुल 986.32 लाख (983.24 लाख स्वदेशी एवं 3.08 लाख विदेशी) पर्यटकों ने राजस्थान में भ्रमण किया।

महत्वपूर्ण उपलब्धियां:–

- वर्ष 2022–23 के राज्य बजट में पर्यटन व हॉस्पिटेलिटी सेक्टर को उद्योगों के समान पूर्ण परिलाभ प्रदान किए गये हैं। इण्डस्ट्रियल नॉर्म्स के अनुसार ही अब इस सेक्टर पर भी गवर्नमेंट टैरिफ व लेवी देय हैं। इस संबंध में पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटन व हॉस्पिटेलिटी को पात्रता प्रमाण पत्र 18 मई, 2022 को जारी किया गया है, दिसम्बर, 2022 तक 679 पर्यटन इकाइयों को पात्रता प्रमाण पत्र जारी किये गये हैं। पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त पर्यटन इकाइयों को विद्युत शुल्क एवं यू.डी. टैक्स समान औद्योगिक दरों पर ही उपलब्ध हैं।
- राज्य बजट वर्ष 2022–23 में पर्यटन विकास कोष की राशि को ₹500 करोड़ से बढ़ाकर ₹1,000 करोड़ किया गया है, जिसमें से ₹600 करोड़ के पर्यटन विकास कार्य चिन्हित् किए गए तथा मार्केटिंग और ब्रांडिंग के लिए ₹400 करोड़ की कार्य योजना तैयार कर ली गई है।
- जयपुर में 7–8 अक्टूबर, 2022 को आयोजित इन्वेस्ट राजस्थान समिट के तत्वावधान में पर्यटन क्षेत्र में ₹13,588 करोड़ के 372 समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.) हस्ताक्षरित हुए, जिनसे 59,873 लोगों हेतु रोजगार सृजन संभावित है।
- वर्ष 2022–23 (दिसम्बर 2022 तक) में ₹1,878.53 करोड़ के निवेश और 7,592 व्यक्तियों के रोजगार वाली 157 पर्यटन इकाइयों की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।
- ग्रामीण पर्यटन इकाइयों को स्टाम्प ड्यूटी में 100 प्रतिशत छूट दी जायेगी लेकिन प्रारम्भ में 25 प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी शुल्क देय होगा जिसकी प्रतिपूर्ति ग्रामीण पर्यटन इकाई प्रारम्भ करने पर की जायेगी।
- राज्य में घरेलू पर्यटकों को और अधिक आकर्षित करने के लिए राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट (आर.डी.टी.एम.) का आयोजन 22 से 24 जुलाई, 2022 को जयपुर में किया गया, जिसमें भारत के विभिन्न शहरों से लगभग 294 खरीदारों (क्रेताओं) एवं राजस्थान से लगभग 212 विक्रेताओं द्वारा भाग लिया गया।
- राजस्थान दिवस (30 मार्च, 2022) के अवसर पर विभाग द्वारा राज्य स्तरीय समारोह के अन्तर्गत अल्बर्ट हॉल, जयपुर में बड़े पैमाने पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ–साथ राज्य के सभी जिला मुख्यालयों पर लोक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।
- राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के 18वें अखिल भारतीय सम्मेलन में विभाग द्वारा 16–17 जुलाई, 2022 को जयपुर में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।
- 'आजादी का अमृत महोत्सव' के अन्तर्गत विभाग द्वारा 1–15 अगस्त, 2022 तक राज्य के सभी प्रमुख पर्यटन स्थलों पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।
- 27 सितम्बर, 2022 को विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर विभाग द्वारा मसाला चौक, जयपुर में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
- 19 व 20 नवम्बर, 2022 को अल्बर्ट हॉल, जयपुर में विभाग द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय सूफी संगीत समारोह ''जहान–ए–खुसरो'' का व्यापक स्तर पर आयोजन किया गया।
- विभाग द्वारा जी–20 शेरपा बैठक–2022 के दौरान उदयपुर एवं रणकपुर में 4 से 7 दिसम्बर, 2022 तक विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।
- वर्ष 2022–23 (दिसम्बर, 2022 तक) में 15 ट्रैवल

राजस्थान को पसंदीदा फिल्म डेस्टिनेशन के रूप में प्रमोट करने तथा राजस्थानी फिल्मों की शूटिंग को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से 18 अप्रैल, 2022 को **राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति–2022** राज्य में लागू कर दी गई है। कुल उत्पादन लागत का ₹2 करोड़ तक या 15 प्रतिशत तक अनुदान देय होगा।

अनुभवात्मक पर्यटन को बढ़ावा देने, निवेश लाने एवं ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन के लिए 30 नवम्बर, 2022 को राजस्थान **ग्रामीण पर्यटन योजना, 2022** को राज्य में लागू कर दी गई है। इस योजना के तहत पात्र इकाइयों को लाभ दिए जाने हेतु निम्न आदेश/अधिसूचना जारी की गई हैं–

- ➢ ग्रामीण पर्यटन इकाइयों को इस योजना के अन्तर्गत ₹25 लाख तक का ऋण 8 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी के स्थान पर 9 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी पर मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना (एमएलयूपीवाई) के तहत देय।
- ➢ न्यूनतम ₹1 करोड़ निवेश करने वाली ग्रामीण पर्यटन इकाइयों को 10 वर्ष तक एस.जी.एस.टी. का 100 प्रतिशत पुनर्भरण।

एजेंसियों का पंजीयन एवं 2 ट्रैवल एजेंसियों का नवीनीकरण किया गया है।

- वर्ष 2022–23 (दिसम्बर, 2022 तक) में 13 हैरिटेज सम्पत्तियों को हैरिटेज प्रमाण पत्र जारी किये गये हैं।
- वर्ष 2022–23 (दिसम्बर, 2022 तक) में 67 फिल्मों/डोक्यूमेन्ट्री/विज्ञापन फिल्मों की शूटिंग की अनुमति जारी की गयी है।
- वर्ष 2022–23 (दिसम्बर, 2022 तक) 38 मेलों, उत्सवों एवं अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।
- 1,000 राज्य स्तरीय एवं 5,000 स्थानीय स्तरीय गाइड्स के चयन एवं प्रशिक्षण हेतु लिखित परीक्षा 21 अगस्त, 2022 को आयोजित करवाई गई और इसमें सफल आवेदकों का दस्तावेज सत्यापन का कार्य पूर्ण कर लिया है।
- राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2022–23 में निम्नलिखित पर्यटन विकास प्रोजेक्ट स्वीकृत कर, इनका क्रियान्वयन किया जा रहा है–
  - ➢ वागड़ पर्यटक सर्किट के अन्तर्गत डूंगरपुर व बांसवाड़ा में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ₹23.35 करोड़ स्वीकृत।
  - ➢ कोटा, बूंदी, टोंक, जयपुर व दौसा जिलों में स्थित ऐतिहासिक 23 बावड़ियों का पुनरूद्धार एवं संरक्षण हेतु ₹19.43 करोड़ का प्रोजेक्ट स्वीकृत।
  - ➢ पर्यटक सुविधाओं के विकास हेतु प्रत्येक जिले के 2 पर्यटक स्थलों को चिन्हित कर, प्रत्येक 32 जिलों के पर्यटक स्थलों हेतु ₹64.40 करोड़ के प्रोजेक्ट स्वीकृत।
  - ➢ गोवर्धनजी एवं ब्रज चौरासी कोस परिक्रमा करने वाले श्रद्धालुओं के लिए यात्री विश्राम स्थलों सहित अन्य पर्यटक सुविधाएं विकसित करने हेतु ₹4.91 करोड़ का प्रोजेक्ट स्वीकृत।
  - ➢ चूरू के किले के जीर्णोद्धार हेतु ₹5 करोड़ का प्रोजेक्ट स्वीकृत।
  - ➢ जोगेश्वर धाम (नावां) व गोठ मांगलोद (जायल)–नागौर एवं सुईया धाम (चौहटन)–बाड़मेर में पर्यटन विकास कार्य एवं जीर्णोद्धार हेतु ₹10.31 करोड़ स्वीकृत।
  - ➢ रामगढ़ क्रेटर (बारां) को जियो हैरिटेज पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने हेतु ₹6.95 करोड़ स्वीकृत।
  - ➢ राजस्थान पर्यटन विकास निगम की 6 होटलों यथा खादिम (अजमेर), फॉरेस्ट लॉज (भरतपुर), गणगौर (जयपुर), शिखर (माउण्ट आबू), टाइगर (सरिस्का) एवं कजरी (उदयपुर) के जीर्णोद्धार हेतु ₹9.09 करोड़ स्वीकृत।
- वर्ष 2022–23 (नवम्बर, 2022 तक) में आवंटित राशि ₹24,576.29 लाख के विरुद्ध ₹9,287.99 लाख व्यय किए गए हैं।

वर्ष 2022 में प्राप्त महत्वपूर्ण पर्यटन अवॉर्ड:–

- इण्डिया इन्टरनेशनल ट्रेवल मार्ट, बैंगलूरू में 31 जुलाई, 2022 को ''कल्चरल डेस्टीनेशन ऑफ द ईयर'' अवार्ड।
- आउटलुक ट्रेवलर अवार्ड–2022, नई दिल्ली में 23 अगस्त, 2022 को कुम्भलगढ़ व चित्तौड़गढ़ किलों को ''हैरिटेज डेस्टीनेशन इन इण्डिया'' सिल्वर अवार्ड।

- इण्डिया इन्टरनेशनल ट्रेवल मार्ट, चैन्नई में 07 अगस्त, 2022 को ''बेस्ट डेकोरेटेड स्टैण्ड–नेशनल'' अवार्ड।
- ट्रेवल एण्ड टूरिज्म फेयर (टी.टी.एफ.), अहमदाबाद में 08 सितम्बर, 2022 को ''बेस्ट डिजाइन एण्ड डेकोरेशन'' अवार्ड।
- टी.टी.एफ. एण्ड ओ.टी.एम., मुम्बई में 15 सितम्बर, 2022 को ''बेस्ट डिजाइन एण्ड डेकोरेशन'' अवार्ड।
- राजस्थान पर्यटन को कोन्डेनास्ट रीडर्स ट्रेवल अवार्ड, 2022 15 नवम्बर, 2022 को ''फेवरेट लीजर डेस्टीनेशन इन इण्डिया'' अवार्ड।
- राजस्थान पर्यटन को कोन्डेनास्ट रीडर्स ट्रेवल अवार्ड, 2022 15 नवम्बर, 2022 को ''फेवरेट इण्डियन स्टेट फॉर रोड ट्रिप्स'' अवार्ड।
- रीडर्स च्वॉइस ट्रेवल प्लस लीजर इण्डियाज बेस्ट अवार्ड के 11वें संस्करण, नई दिल्ली में 16 नवम्बर, 2022 को डोमेस्टिक डेस्टीनेशन श्रेणी में राजस्थान पर्यटन को ''बेस्ट स्टेट'' अवार्ड, 2022।
- इण्डिया इन्टरनेशनल ट्रेवल मार्ट (आई.आई.टी.एम.), हैदराबाद में 03 दिसम्बर, 2022 को ''डेस्टीनेशन मार्केटिंग कैम्पेन'' अवार्ड।

संस्कृति

जवाहर कला केन्द्र

जवाहर कला केन्द्र (जे.के.के.) दृश्यकला, प्रदर्शनकला (संगीत, नृत्य और नाट्य) तथा साहित्य के क्षेत्र में राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय आकांक्षा हेतु उत्कृष्टता का केन्द्र है। जवाहर कला केन्द्र के पुर्नरूद्धार के साथ, जवाहर कला केन्द्र पर कार्यक्रमों का उद्देश्य नियमित उच्च गुणवत्ता वाले कार्यक्रम, जिसमें शास्त्रीय एवं समसामयिक दोनो विधाओं के अन्तर्गत उपर्युक्त कला रूपों की सभी शैलियों के कार्यक्रम को प्रेरित करना है।

वर्ष 2022–23 के दौरान दृश्य कला और फिल्म को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न गतिविधियों पर प्रदर्शनी, नाटक, संवाद–श्रृंखला, कहानी सुनाना, कार्यशाला, शिविर और रंगमंच, संगीत और नृत्य कार्यक्रम नियमित रूप से आयोजित किए गए।

इन गतिविधियों पर वर्ष 2022–23 के दौरान, (21 दिसम्बर, 2022) तक आवंटित राशि ₹839.50 लाख के विरूद्व ₹392.30 लाख व्यय किए जा चुके हैं।

पुरातत्व एवं संग्रहालय

पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग, राजस्थान द्वारा कला एवं वास्तुकला के विभिन्न रूपों में समाविष्ट सांस्कृतिक विरासत की खोज, सुरक्षित, संरक्षण, प्रदर्शन और विवेचन आदि के सम्बन्ध में ठोस प्रयास किए गए हैं।

वर्ष 2022–23 में (नवम्बर, 2022 तक) विभाग द्वारा कुल स्वीकृत राशि ₹3,219.68 लाख के विरूद्व ₹694.58 लाख व्यय किये जा चुके है। वर्ष 2022–23 के दौरान पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग द्वारा निम्नलिखित स्मारकों के संरक्षण, जीर्णोद्धार एवं विकास के कार्य किए गए:–

- संरक्षण जीर्णोद्धार एवं विकास कार्य प्राचीन फतेहगढ़ किला (अजमेर), पन्ना लाल शाह का तालाब, खेतडी (झुन्झुनू), पटवों की हवेली (जैसलमेर), शिव मन्दिर बावडी (जोधपुर) एवं प्राचीन प्रासाद कुम्हेर (भरतपुर) में पूर्ण किये जा चुके है।
- संरक्षण, जीर्णोद्धार एवं विकास के कार्य फलौदी फोर्ट (जोधपुर), तालाब–ए– शाही बाड़ी (धौलपुर), डीग किला (भरतपुर), शाहबाद किला (बारां), शेरगढ़ किला अटरू (बारां), महल व मन्दिर पुरानी छावनी (धौलपुर), बाला किला (अलवर), सिवाना दुर्ग (बाड़मेर), खेतडी किला (झुन्झुनू) एवं सरवाड किला (अजमेर) में प्रगतिरत है।
- बजट घोषणा वर्ष 2022–23 में स्वीकृत मीरा स्मारक/राव दूदागढ़–मेड़ता (नागौर) एवं राजकीय संग्रहालय (भरतपुर) में संरक्षण एवं विकास कार्य प्रगतिरत है।

देवस्थान विभाग

देवस्थान विभाग धार्मिक संस्कृति के संरक्षण और संवर्द्धन का विभाग है। 390 राज्य प्रत्यक्ष प्रभार और 203 राज्य आत्मनिर्भर मन्दिरों और संस्थाओं का सीधा प्रबन्धन देवस्थान विभाग द्वारा किया जा रहा है।

विभाग द्वारा निम्नलिखित योजनाएं क्रियान्वित की जा रही है:–

- **मरम्मत, जीर्णोद्धार एवं विकास कार्य:**– 7 मरम्मत, जीर्णोद्धार एवं विकास कार्यों में से 3 कार्य पूर्ण हो चुके है एवं 4 कार्य प्रगति पर हैं जो कि राज्य प्रयत्क्ष प्रभार से सम्बन्धित है। 21 मरम्मत, जीर्णोद्धार एवं विकास कार्य प्रगति पर हैं जो कि अशासकीय मंदिरों से सम्बन्धित हैं।

वर्ष 2022–23 के दौरान (दिसम्बर, 2022 तक) स्वीकृत ₹350.01 लाख के विरूद्ध ₹11.35 लाख का व्यय किया गया है।

- **ट्रस्ट द्वारा संचालित मंदिरों को सहायता:–** गत वर्षो के दौरान चिन्हित किये गये पूंजीगत सम्पत्ति कार्यो में से 6 कार्य प्रगति पर है।
- **वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना :** इस योजना के तहत राज्य के वरिष्ठ नागरिकों को देश के विभिन्न धार्मिक स्थानों यथा रामेश्वरम, जगन्ननाथपुरी और गंगासागर की रेलमार्ग द्वारा तथा पशुपतिनाथ, काठमांडू (नेपाल) की हवाई मार्ग के माध्यम से मुफ्त यात्रा और दर्शन की सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। इस योजना के तहत दिसम्बर, 2022 तक कुल 8,092 तीर्थयात्रियों ने ट्रेन के माध्यम से विभिन्न तीर्थ स्थलों की यात्रा की। वर्ष 2022–23 (दिसम्बर, 2022) के दौरान ₹1,500 लाख की राशि के प्रावधान के विरूद्व ₹1404.62 लाख व्यय किया गया।
- **कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रा योजनाः** इस योजना के तहत, राज्य के प्रत्येक तीर्थयात्री को कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए ₹1.00 लाख की वित्तीय सहायता दी जाती है। वर्ष 2022–23 के दौरान राशि ₹100 लाख का प्रावधान किया गया है लेकिन विदेश मंत्रालय, भारत सरकार ने वर्ष 2022 के दौरान किसी भी तीर्थयात्री को पंजीकृत नही किया गया इसलिए दिसम्बर, 2022 तक कोई भी व्यय नही किया गया है।

वित्तीय सेवाएं

बैंकिंग

वित्तीय संस्थाओं द्वारा जमाओं को प्रोत्साहन एवं विभिन्न क्षेत्रों में ऋण वितरण कर राज्य के आर्थिक विकास में अहम भूमिका निभाई जा रही है। नियोजित वित्त पोषण प्रदान करने के क्रम में राज्य में विकास कार्यक्रमों हेतु वित्त पोषण की जरूरत के मद्देनजर सरकार द्वारा बैंकों एवं अन्य आवधिक उधार देने वाली संस्थाओं से अधिकाधिक संस्थागत वित्त लेने की व्यवस्था प्रारम्भ की गई है। इस संदर्भ में बैंकों/वित्तीय संस्थाओं की महत्त्वपूर्ण भूमिका है हालांकि वित्तीय सहायता से प्राप्त ऋण सहायता को अधिकतम रिटर्न के लिए प्रभावशाली ढंग से उपयोग किये जाने की आवश्यकता है ताकि इसका लाभ जनसंख्या के व्यापक वर्ग को मिले।

राज्य के विकास हेतु बैंकों के माध्यम से ऋण, विनियोग का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। विभिन्न ऋण आधारित कार्यक्रम यथा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, दीनदयाल अन्त्योदय योजना (डी.ए.वाई.), पीएम–मुद्रा योजना स्टार्ट–अप/स्टैंड–अप इंडिया कार्यक्रम, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के विकास की योजनाएं एवं अन्य गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम कमजोर वर्गों के विकास के लिए बैंकों की सहायता से चलाए जा रहे हैं। जैसे इन्दिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन बचत रोजगार योजना, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना आदि। ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन में बैंक विशेषतः क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ऋण सहायता देकर गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले कमजोर वर्गों के उत्थान के राष्ट्रीय उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए सहयोग प्रदान करते हैं।

राजस्थान व राष्ट्रीय स्तर पर बैंक शाखाओं, जमाओं एवं ऋण वितरण की सितम्बर, 2021 व सितम्बर, 2022 तक की तुलनात्मक स्थिति तालिका–6.1 में दर्शाई गई है।

तालिका 6.1 से विदित होता है कि राजस्थान में सितम्बर, 2022 में गत वर्ष सितम्बर, 2021 की तुलना में कुल जमाओं एवं ऋण वितरण में वृद्धि हुई है। राजस्थान में जमाओं में सितम्बर, 2022 में गत वर्ष की समान अवधि की तुलना में 12.51 प्रतिशत की वृद्धि रही है, जबकि इसी समयावधि में अखिल भारतीय स्तर पर यह वृद्धि 9.78 प्रतिशत रही है। राजस्थान में सितम्बर, 2022 में सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का साख–जमा अनुपात 79.04 प्रतिशत एवं अखिल भारतीय स्तर पर यह अनुपात 74.77 प्रतिशत रहा, जबकि सितम्बर, 2021 में यह अनुपात राजस्थान व अखिल भारतीय स्तर पर क्रमशः 75.53 प्रतिशत एवं 70.01 प्रतिशत था। राजस्थान में गत वर्ष की समान अवधि की तुलना में सितम्बर, 2022 में कुल ऋण वितरण में 17.74 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई, जबकि अखिल भारतीय स्तर पर यह बढ़ोतरी 17.25 प्रतिशत रही है। राज्य की अनुमानित जनसंख्या 806.62 लाख (अक्टूबर, 2022) के अनुसार राजस्थान में औसतन 10,099 व्यक्तियों पर एक बैंक शाखा तथा राज्य के औसतन 42.85 वर्ग किमी. क्षेत्र को कवर करती है।

डिजिटल भुगतान

नीति आयोग, भारत सरकार ने डिजिटल भुगतान के 5 प्रकार सुझाए हैं जो कि यूएसएसडी (*99#बैकिंग), आधार सक्षम भुगतान, वॉलेट, रूपे/डेबिट/क्रेडिट/प्रीपेड कार्ड और यूनिफाईड़ पेमेन्ट इंटरफेस (यूपीआई) हैं।

प्रदेश के चार जिलों अजमेर, धौलपुर को वर्ष 2021–22 तथा

तालिका 6.1 बैंक शाखाओं जमाओं एवं ऋण के तुलनात्मक समंक

क्र. सं.	मद	राजस्थान		भारत	
		सितम्बर, 2021	सितम्बर, 2022	सितम्बर, 2021	सितम्बर, 2022
1	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक				
	(अ) कार्यालयों/शाखाओं की संख्या	1575	1590	21937	21994
	(ब) जमा (₹करोड)	35862	39121	519446	548318
	(स) ऋण (₹करोड)	26251	30262	348058	391681
2	विदेशी बैंक				
	(अ) कार्यालयों/शाखाओं की संख्या	9	9	872	800
	(ब) जमा (₹करोड)	985	1178	787928	868244
	(स) ऋण (₹करोड)	1286	1215	460910	524738
3	निजी क्षेत्र के बैंक				
	(अ) कार्यालयों/शाखाओं की संख्या	1560	1688	36265	38066
	(ब) जमा (₹करोड)	109885	134710	4864061	5490900
	(स) ऋण (₹करोड)	114972	142458	4033268	4877552
4	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक				
	(अ) कार्यालयों/शाखाओं की संख्या	4219	4195	86203	85419
	(ब) जमा (₹करोड)	336907	362808	9667061	10442483
	(स) ऋण (₹करोड)	213552	243316	6198056	7126806
5	लघु वित्त बैंक				
	(अ) कार्यालयों/शाखाओं की संख्या	393	469	5184	6038
	(ब) जमा (₹करोड)	12719	20541	94453	137403
	(स) ऋण (₹करोड)	18969	24318	119500	163862
6	पेमेंट बैंक				
	(अ) कार्यालयों/शाखाओं की संख्या	35	36	696	720
	(ब) जमा (₹करोड)	151	287	7497	11562
	(स) ऋण (₹करोड)	0	0	0	0
कुल	सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक				
	(अ) कार्यालयों/शाखाओं की संख्या	**7791**	**7987**	**151157**	**153037**
	(ब) जमा (₹करोड)	**496510**	**558644**	**15940446**	**17498911**
	(स) ऋण (₹करोड)	**375030**	**441569**	**11159792**	**13084639**

स्त्रोत:- http://www.rbi.org.in

जैसलमेर, सिरोही को वर्ष 2022–23 में शत–प्रतिशत डिजिटाइजेशन के लिए चयनित किया गया है।

जन आधार कार्ड धारको के लिए राज्य में जिला, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत स्तर पर नकद/वित्तीय लेन–देन की सेवाओं के लिए विभिन्न सेवा केन्द्र उपलब्ध है। ऐसे लेनदेनों को करने हेतु 80,000 से अधिक (नवम्बर, 2022 तक) कियोस्क/ई–मित्र कियोस्क/माइक्रो ए.टी.एम. के साथ–साथ बैंक शाखाएं राज्य में कार्य कर रही है।

ई–मित्र नागरिकों को सरकारी सूचनाओं एवं सेवाएं प्रदान करने के लिए एक बहु–सेवा, एकल–खिड़की नेटवर्क के रूप में कार्यरत है, इसके अतिरिक्त लाभार्थियों को मोबाईल भुगतान की सुविधा प्रदान करने के लिए मोबाईल वॉलेट जैसे– पेटीएम और एम–पैसा को जन आधार भुगतान प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत किया गया है।

व्यवसायिक संवाददाता (बिजनेस कोरेस्पोन्डेंट)

वित्तीय समावेशन समाज के जरूरतमंद एवं वंचित समूहों यथा– कमजोर वर्ग एवं कम आय वर्ग के लोगों को समय पर पर्याप्त ऋण सस्ती दर पर उपलब्ध करवाने के लिए वित्तीय सेवाओं तक पहुँच सुनिश्चित करने की प्रक्रिया है। वित्तीय समावेशन बैंक खाता खोलने तथा वित्तीय सेवाओं के प्रदान करने तक सीमित नहीं होकर इसके आगे औपचारिक वित्तीय सेवाएं यथा– ऋण, बचत, बीमा, धन प्रेषण सुविधाएं, वित्तीय परामर्श तथा सलाहकारात्मक सेवाएं गरीब के द्वार तक उपलब्ध करवाये जाने तक है।

वित्तीय समावेशन के अन्तर्गत बैंक द्वारा ब्रिक एवं मोर्टार शाखाओं, बैंकिंग आउटलेट्स एवं व्यावसायिक संवाददाताओं के माध्यम से राज्य में बैंकिंग सेवाएं प्रदान कर रहे है। वर्तमान में राज्य में 30 सितम्बर, 2022 तक 83,694 व्यावसायिक संवाददाता कार्यरत हैं।

स्टैण्ड अप इंडिया योजना

स्टैण्ड अप इंडिया योजना की शुरूआत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा महिला उद्यमियों में उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करने की परिकल्पना के साथ की गई है। इस योजना का समग्र उद्देश्य संस्थागत ऋण संरचना की सेवा से वंचित आबादी तक ₹10 लाख से ₹1 करोड़ तक की ऋण सुविधा प्रदान करना है। इस ऋण को 7 वर्ष की अवधि में लौटाना होगा जो कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा महिला उद्यमियों द्वारा गैर कृषि क्षेत्र में हरित क्षेत्र के उद्यमों की स्थापना के लिए दिया जाता है।

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (एस.आई.डी.बी.आई.) ने योजना के व्यापक प्रचार–प्रसार को बढ़ावा देने एवं योजना से संबंधित किसी भी प्रश्न की पूछताछ के लिए एक बेवपोर्टल http://www.standupmitra.in स्थापित किया है। इस योजनान्तर्गत (1 अप्रैल, 2022 से 15 नवम्बर, 2022 तक) 1,008 लाभार्थियों को कुल ₹23,883 लाख के ऋण स्वीकृत किए गए।

अन्य

- प्रधानमंत्री जन–धन योजना (पी.एम.जे.डी.वाई.) के अन्तर्गत राजस्थान में 30 सितम्बर, 2022 तक 3.25 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं और 90.06 प्रतिशत खातों को आधार से जोड़ा जा चुका है।
- राज्य में ''प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना'' (पी.एम.जे.जे.बी.वाई.) के अन्तर्गत कुल 51.16 लाख व्यक्तियों और ''प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना'' के अन्तर्गत कुल 140.97 लाख व्यक्तियों का नामांकन 30 सितम्बर, 2022 तक किया जा चुका है।
- अटल पेंशन योजना (ए.पी.वाई.) एक पेंशन योजना है, जो असंगठित क्षेत्र के कामगारों पर केन्द्रित है। अटल पेंशन योजना के अन्तर्गत योग्यता की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष है। इस योजना के तहत 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर प्रतिमाह गारण्टेड ₹1,000 न्यूनतम एवं ₹5,000 तक पेंशन प्रदान की जाती है। राज्य में इस योजना के अन्तर्गत 30 सितम्बर, 2022 तक 21.53 लाख व्यक्तियों का नामांकन किया जा चुका है।
- "प्रधानमंत्री मुद्रा योजना" (पी.एम.एम.वाई.) के तहत राजस्थान में बैंकों, गैर–बैंकिंग वित्तीय कम्पनी (एन.बी.एफ.सी.) और लघु वित्त संस्थानों के माध्यम से वर्ष 2022–23 के दौरान, 30 सितम्बर, 2022 तक की संवितरण की प्रगति नीचे तालिका–6.2 में दर्शाई गयी है।

तालिका 6.2 वर्ष 2022–23 में "प्रधानमंत्री मुद्रा योजना" (पी.एम.एम.वाई.) के अन्तर्गत प्रगति

(30 सितम्बर, 2022)

श्रेणी	स्वीकृतियों की संख्या	वितरण राशि (₹करोड़)
शिशु	758817	2467.40
किशोर	261439	3372.87
तरूण	29281	2247.89
योग	**1049537**	**8088.16**

राज्य की मुख्य योजनाएं:—

- **मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना:—** यह न केवल सावधि ऋण पर बल्कि एमएसएमई को कार्यशील पूंजी पर भी 8 प्रतिशत की ब्याज सब्सिडी प्रदान करती है। इस योजना के तहत विस्तार/विधिकरण के तहत नए और मौजूदा उद्यमों को कार्य शील पूंजी के ₹10 करोड़ तक के सावधि ऋण पर 8 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी पर देय है।

- **इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना (आईजीएससीसीवाई):** राजस्थान सरकार ने शहरी क्षेत्रों के लगभग 5 लाख रेहड़ी—पटरी वालों तथा सेवा क्षेत्र के युवाओं और बेरोजगारों को स्वरोजगार के लिए पहले आओ पहले पाओ के आधार पर ऋण उपलब्ध करवाने के लिए 'इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना 2021' के प्रारूप को मंजूरी दे दी है। इस योजना में लाभार्थी को बिना किसी गारंटी के ₹50,000 तक का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा।

  ऋण राशि को लाभार्थी द्वारा डेबिट कार्ड के माध्यम से एक या अधिक किश्तों में 31 मार्च, 2022 तक आहरित जा सकता है। ऋण राशि का भुगतान चतुर्थ से 15वें/21वें महीने तक 12/18 समान किश्तों में किया जाता है।

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) योजना:—

भारत सरकार के निर्देशानुसार मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार की अध्यक्षता में एक राज्य डीबीटी सलाहकार बोर्ड का गठन किया गया है, जो 5 अक्टूबर, 2021 से प्रभावी है। राज्य डीबीटी सलाहकार बोर्ड निम्नलिखित मापदंडों के समयबद्ध कार्यान्वयन की निगरानी करता है—

- डीबीटी योजनाओं की व्यापक पहचान और उनकी ऑन—बोर्डिंग।
- आधार अधिनियम की धारा 7 या धारा 4 के तहत राज्य योजनाओं की अधिसूचना।
- सर्विस प्लस या राज्य के किसी अन्य पोर्टल के माध्यम से डीबीटी योजनाओं की प्रक्रियाओं का संपूर्ण डिजिटलीकरण।
- डीबीटी योजनाओं की नागरिक केंद्रित सेवाओं की पहचान और मोबाइल ऐप उमंग पर उनका एकीकरण।

डीबीटी भारत पोर्टल पर राजस्थान की स्थिति

यह डीबीटी मिशन द्वारा विकसित एक वेब आधारित पोर्टल है जो केंद्र के साथ—साथ राज्य में चल रही डीबीटी लागू योजनाओं का समग्र रीयल टाईम व्यू प्रदान करता है और समेकित डैशबोर्ड की जानकारी प्रदान करता है। वर्तमान में 79 राज्य और 59 सीएसएस डीबीटी योजनाएं डीबीटी भारत पोर्टल पर हैं।

- वर्ष 2022—23 के दौरान डीबीटी भारत पोर्टल के अनुसार (11 जनवरी, 2023) तक कुल संचयी डीबीटी ₹99,538.94 करोड़ लेनदेन किया गया। इसलिए वर्ष 2022—23 के दौरान कुल 57.64 लाख लाभार्थी के साथ ₹27,031.92 लाख करोड़ के डीबीटी लेनदेन किए गए।
- राज्य के विभिन्न विभागों से प्राप्त सूचना के अनुसार ₹53.66 करोड़ अनुमानित बचत/लाभ और 23,000 डुप्लिकेट लाभार्थियों को हटाया गया (वर्ष 2021—22 के दौरान)।

सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार

विभाग की महत्वपूर्ण योजनाएं/कार्यक्रम

- **जन सूचना पोर्टल:** सरकार द्वारा क्रियान्वित सभी योजनाओं की जानकारी एक ही जगह सुलभ, पारदर्शी और विश्वसनीय तरीके से उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से जन सूचना पोर्टल विकसित किया गया हैं। यह देश में इस तरह की पहली पहल है और आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 4(2) की आवश्यकतों को पूरा करती है जो जनता को सूचना के स्वतः प्रकटीकरण पर जोर देती है। पोर्टल पर वर्तमान में 115 विभागों में चल रही 331 योजनाओं की 690 बिन्दुओं की जानकारी प्रदर्शित करते हुए रीयल टाइम डाटा प्रदर्शित किए जाते है।

- **यू.आई.डी (आधार)** : आधार यूआईडीएआई से समर्थित परियोजना है जो भारत के सभी निवासियों को जनसांख्यिकी और बायोमेट्रिक पहचान प्रदान करने के लिए अनिवार्य है। यूआईडीएआई के लिए सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग एक राज्य रजिस्ट्रार के रूप में कार्यरत है तथा विभाग द्वारा राज्य में लगभग 7 करोड़ आधार आईडी जारी किये गये हैं। वर्तमान में सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के पास 2,218 से अधिक सक्रिय ऑपरेटर है, सम्पूर्ण राज्य में आधार पंजीकरण और अद्यतन कार्य कर रहे हैं। इस प्रकार राजस्थान प्रति

व्यक्ति मशीनों/ऑपरेटरों की उपलब्धता के मामले में देश में शीर्ष स्टेट–रजिस्ट्रार है। सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के आधार का बुनियादी ढॉचा राज्य में नकद और गैर–नकद लाभों के वितरण में प्रमुख उत्प्रेरक/मुख्य–स्त्रोत की भूमिका निभा रहा है और जनआधार जैसी फ्लैगशिप योजनाओं की सफलता में प्रमुख घटक रहा है।

- **राजस्थान सम्पर्क पोर्टल:** राजस्थान सम्पर्क पोर्टल का उपयोग केन्द्रीयकृत शिकायत निवारण मंच के रूप में किया जा रहा है। एड–ऑन मॉड्यूल्स यथा मोबाइल ऐप, रियलिटी चेक मॉड्यूल, जी.आई.एस. एकीकरण और एप्लीकेशन्स यथा एडवांस डेटा एनालिटिक्स को उपयोगकर्ता के अनुभव में वृद्धि के लिए विकसित और लागू किया गया है। 'स्वतः भाषण मान्यता' (ए.एस.आर.) की कार्यक्षमता के साथ वास्तविकता जांच मॉड्यूल को राजस्थान सम्पर्क पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के लिए एक नया टोल फ्री नम्बर–181 प्रारम्भ किया गया है। 1.12 करोड़ से अधिक शिकायतें/समस्याएं वार–रूम में प्राप्त हुई तथा लगभग 1.1 करोड़ शिकायतें/समस्याओं का समाधान किया गया है।

- **फाइबर टू होम:** विभाग द्वारा बीएसएनएल (भारत सरकार) के साथ किए गए समझौते के अनुसार राजस्थान की ग्राम पंचायतों में मौजूदा भारत नेट नेटवर्क का उपयोग करते हुए प्रति 5 एफटीटीएच कनेक्शन ग्रामीण राजकीय कार्यालयों, विद्यालयों, महाविद्यालयों, चिकित्सालयों आदि में स्थापित किये जाएंगे। भारत सरकार द्वारा एफटीटीएच कार्य के लिए ₹80 करोड़ का प्रावधान किया गया है। बीएसएनएल के साथ समझौता ज्ञापन के तहत बीएसएनएल को 21 अक्टूबर, 2022 को समझौता ज्ञापन की शर्तों के अनुसार वर्क ऑर्डर जारी कर दिया गया है।

- **जीडब्लूएमएस:** पीडब्लूडी के सिविल कार्यों की प्रक्रिया जीडब्लूएमएस के माध्यम से ऑनलाइन की गई है। जिसके तहत प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियां, तकनीकी स्वीकृतियां, कार्यादेश जारी करने की प्रक्रिया के साथ–साथ कार्यों की मॉनिटरिंग भी ऑनलाइन की जा रही है। विद्युत कार्यों के सिंगल वर्क ऑर्डर कार्यों के लिए जीडब्लूएमएस को भी कॉन्फिगर किया गया है इसके अलावा, इस प्रणाली से बीएसआर को एनआईसी के ए एवं एफ मॉडयूल के साथ साझा करने के लिए वेब सेवाओं को भी विकसित किया गया है ताकि बीएसआर का उपयोग विभागों मे किया गया जा सके।

- **राजवीसी:** संभाग मुख्यालय पर 8 टेलीप्रेजेंस रूम तथा 600 से अधिक वीडियों कॉन्फ्रेन्सिंग स्टूडियों रूम स्थापित किए है। संयुक्त सचिव से ऊपर वाले सभी कार्यालय वीसी से जुडे हुए हैं। इसकी सुविधा के लिए 9,800 से अधिक ई–मित्र प्लस मशीन और 40,000 से अधिक ई–मित्र कियोस्क का उपयोग किया जा रहा है। यह प्लेटफॉर्म स्वतंत्र सेटअप है जो किसी भी डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट, मोबाइल फोन आदि पर उपयोग को आसान बनाता है।

- **राजनेट एवं राजस्वान:** राजस्थान स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क (राजस्वान) के माध्यम से ग्राम पंचायत स्तर तक कनेक्टिविटी के लिए एकीकृत नेटवर्क समाधान प्रदान किया गया है। लंबवत और क्षैतिज कनेक्शन के माध्यम से राज्य कार्यालय, जिला कार्यालय एवं ब्लॉक कार्यालय को इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करता है। 33 जिला मुख्यालयों और 9,635 ग्राम पंचायतों में आईपी फोन स्थापित किये जा चुके है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 9,400 से अधिक ग्राम पंचायतों को जोडा गया है।

- **वीडियो वॉल और आईपी फोन:** सरकारी योजनाओं, नवाचारों और समारोह के ऑडियो एवं वीडियों प्रसारण इसके माध्यम से सम्भव हुआ है। सभी जिला मुख्यालय और ब्लॉक पंचायत कार्यालय जुडे हुए हैं (अब तक सभी 33 जिलों में 339 वीडियों वॉल स्थापित हैं।) नीचे दिए गए डेटा के अनुसार राजस्वान, सेकलेन नेटवर्क पर आईपी फोन सुविधा प्रदान की गई है:
  - जयपुर में 2,073 आईपी फोन
  - जिला स्तर तक 2,678 आईपी फोन जयपुर से बाहर
  - ब्लॉक स्तर कार्यालयों में 1,823 आईपी फोन
  - पंचायत स्तर कार्यालयों में 9,635 आईपी फोन

- **वाई–फाई सुविधा:** राजवाईफाई परियोजना के तहत राजस्थान में 9,432 ग्राम पंचायतों में कुल 10,641 वाई–फाई हॉटस्पॉट की सुविधा उपलब्ध है।

- **भौगोलिक सूचना तंत्र (जी.आई.एस.):** जी.आई.एस. आधारित डिसीजन सपोर्ट सिस्टम स्थापित किया गया है, जिसमें विभिन्न विभागों द्वारा चलायी जा रही जी.आई.एस. बेस्ड एप्लीकेशन्स को होस्ट किया गया है। जयपुर के लिए 3–डी जी.आई.एस. मॉडल का कार्य शुरू किया गया है और 3–डी सिटी प्लेटफॉर्म को डाटा सेन्टर में विकसित किया गया है। राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों जैसे

जयपुर नगर निगम (हैरिटेज एवं ग्रेटर), जेडीए, रीको, पीएचईडी आदि में 3 डी सिटी प्लेटफॉर्म और उत्पादों का प्रदर्शन किया गया है। जयपुर के पूरे क्षेत्र (लगभग 3,000 वर्ग किलोमीटर) को 3 डी मॉडल के रूप में मैप किया गया था। इस मॉडल का उपयोग शहर में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की योजना, आपदा प्रबंधन, कानून और व्यवस्था की स्थिति और शहर की योजना बनाने में किया जा रहा है।

- **ई–मित्र सेवा वितरणः** अंतिम मील कनेक्टिविटी और सेवा वितरण पर ध्यान केन्द्रित करते हुए राजस्थान ने 2002 में सबसे बड़ा, एकल एकीकृत सेवा वितरण प्लेटफॉर्म ई–मित्र लॉन्च किया जो एक महिने में 60–70 लाख से अधिक नागरिकों को 600 से अधिक जीटूसी और बीटूसी सेवा प्रदान करता है।

    - ई–मित्र के पास 80,000 से अधिक कियोस्क का नेटवर्क है, जो सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभों की डोर–स्टेप–डिलीवरी में सुविधा प्रदान करता है।

    - **ई–मित्र प्लस** स्वयं सेवा कियोस्क 14,800 से अधिक मानव रहित सेवा कियोस्क, ई–मित्र प्लस (9,800 से अधिक ग्रामीण और 5,000 शहरी) राज्य में सभी ग्राम पंचायत मुख्यालयों और शहरी निकायों में स्थापित किए जा रहे है जिनके माध्यम से न केवल निवासियों द्वारा सामान्य ई–मित्र सेवाओं बल्कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और सोशल ऑडिट भी संचालित/प्रदर्शित किए जा रहे है।

- **राज ई–साइनः** ई–साइन या इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर सेवा आधार ईकेवाईसी सेवाओं का उपयोग करके हस्ताक्षरकर्त्ता को प्रमाणित करके इलेक्टॉनिक दस्तावेजों पर आसान, कुशल और सुरक्षित हस्ताक्षर करने की अनुमति देने के लिए एक अभिनव पहल है। इस सेवा के साथ, कोई भी आधार धारक भौतिक क्रिप्टोग्राफिक टोकन प्राप्त किए बिना इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज पर डिजिटल रूप से हस्ताक्षर कर सकता है। राज ई–साइन दक्षता, विश्वसनीयता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने और कागज रहित सेवा वितरण के मिशन की दिशा में इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर तंत्र के स्रोत के रूप में कार्य करता है। राज ई–साइन दस्तावेजों की प्रामाणिकता सुनिश्चित करता है और कागज रहित कार्यालय और सार्वजनिक सेवा स्वचालन की दिशा में मदद करता है। राजकॉम्प इन्फो सर्विस लिमिटेड (आरआईएसएल) ने आईटी अधिनियम 2000 की धारा 24 के अनुमार प्रमाणन प्राधिकरण (सीए) के रूप में काम करने के लिए लाइसेंस प्राप्त किया है। प्रमाणन प्राधिकरण का अर्थ है एक एजेंसी जिसे डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र जारी करने के लिए लाइसेंस प्रदान किया गया है। वर्ष 2021–22 में 1 करोड़ से अधिक के ई–साइन लेनदेन किए गए।

- **ई–संचार एवं आई–फैक्टः** ई–संचार एप्लीकेशन नागरिकों एवं विभाग के अधिकारियों को एस.एम.एस. /वॉइस मैसेज/वॉट्सऐप के माध्यम से सूचना भिजवाए जाने के लिए विभिन्न ई–गवर्नेंस एप्लिकेशन को अनेक सेवाएं प्रदान करता है एवं एस.एम.एस. के माध्यम से नागरिकों से सूचना प्राप्त करने का एक तरीका प्रदान करता है। वेब आधारित एपीआई का उपयोग करके इसे किसी भी एप्लीकेशन के साथ एकीकृत किया जा सकता है। आई–फैक्ट/रियलिटी चेक मॉडयूल का उपयोग आई.वी.आर.एस. आधारित कॉल्स के माध्यम से किसी भी विभागीय सेवाओं/आवेदन के सर्वेक्षण हेतु किया जा सकता है।

- **सरकारी कार्यालयों में क्षमता निर्माणः** सरकारी विभागों की आई.टी. क्षमता की सफलता को सुनिश्चित करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

    - **इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों का पुनर्भरण** : राजकीय क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी क्षमता के विकास को ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार ने सरकारी कार्मिकों द्वारा एम.सी. ए., बी.सी.ए. एवं आर.के.सी.एल. का सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशानुसार शुल्क का पुनर्भरण करने का निर्णय लिया है।

    - **राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आर.के. सी.एल.)** : आर.के.सी.एल. की स्थापना राज्य के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु की गई है, जिससे डिजिटल भिन्नता में सेतु का काम करने एवं अन्तिम बिन्दु तक कनेक्टिविटी की समस्या का समाधान उपलब्ध कराना है। आर.के.सी.एल. का आर.एस.सी.आई.टी. प्रशिक्षण कार्यक्रम (प्रमाण–पत्र) राजस्थान सरकार द्वारा अनुमोदित है तथा राजकीय अनुमोदन उपरान्त राजकीय कार्मिकों को शुल्क पुनर्भरण किया जाता हैं। इसके माध्यम से लगभग 6,447 ज्ञान केन्द्र खोले गये है जिनमें लगभग 64.55 लाख प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षित किया गया है।

राजीव गांधी उन्नत प्रौद्योगिकी केंद्र (आर–सीएटी): राजीव गांधी उन्नत प्रौद्योगिकी केंद्र (आर–सीएटी) का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री द्वारा 20 अगस्त, 2022 को किया गया था। राज्य के परास्नातक/स्नातक/स्नातकोत्तर के लिए रोजगार के अवसरों को समृद्ध करने की दृष्टि से आर–सीएटी वर्तमान में जयपुर और जोधपुर में काम कर रहा है। आर–सीएटी द्वारा उन्नत और उभरती आईटी प्रौद्योगिकियों पर प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा। जिसमें प्रमुख रूप से लक्षित प्रौद्योगिकीयां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग (एआई–एमएल), ब्लॉकचैन, ऑगमेंटेड रियलिटी/वर्चुअल रियलिटी, बिग डेटा एनालिटिक्स, रोबोटिक्स और क्वांटम कम्प्यूटिंग इत्यादि के लिये तकनीकी क्षेत्र में अग्रणी कम्पनियॉं जैसे ओरेकल, वीएम वेयर, एसएएस, रेड हैट इत्यादि के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए है। वर्ष 2022–23 में आर–सीएटी द्वारा 320 अभ्यर्थियों को लाभान्वित किया गया है।

राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल संस्थान (आरजीएफडीआई): राजस्थान सरकार जोधपुर में एक विशिष्ट फिनटेक उच्च शिक्षा संस्थान विकसित कर रही है। बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं और बीमा के (बीएफएसआई) क्षेत्र में जनशक्ति की आवश्यकता को पूरा करने की परिकल्पना की गई है। वित्तीय क्षेत्र में उभरती प्रौद्योगिकियों का व्यापक उपयोग और फिनटेक उत्पाद विकसित करना। फिनटेक डिजिटल संस्थान के लिए ग्राम कारवाड़ में जोधपुर विकास संस्थान प्राधिकरण द्वारा भूमि आवंटित की गई है। अध्ययन के चार स्कूल स्थापित करने का भी प्रस्ताव है:

- स्कूल ऑफ फाईनेन्शियल इन्फॉर्मेशन सिस्टम
- स्कूल ऑफ फाईनेन्शियल सिस्टम एण्ड एनालिटिक्स
- स्कूल ऑफ फाईनेन्शियल इंस्ट्रूमेंट्स, टेक्नोलॉजी एवं मार्केट्स
- स्कूल ऑफ फिनटेक एंटरप्रेन्योरशिप

- **भामाशाह स्टेट डाटा सेन्टर (बी.एस.डी.सी.):** जयपुर में स्थापित आरएसडीसी के 4 डेटा सेन्टर में कुल 800 रेक की क्षमता एवं जोधपुर में 1 डीआर सेन्टर है और 99.9 प्रतिशत अपटाईम सुनिश्चित करते है। यह राजस्थान सरकार के विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों (पीएसयू) एवं स्टार्ट–अप्स को सेवाएं उपलब्ध करते है।

- **डाटा एनालिटिक्स:** करदाताओं की पहचान कर एवं कर राजस्व को बढ़ाने के उद्देश्य में यह प्रोजेक्ट राजस्व विभागों यथा वाणिज्यिक कर, परिवहन, आबकारी, पंजीयन एवं मुद्रांक, खान एवं भूविज्ञान विभाग में लागू कर दिया गया है। राज्य सरकार की विभिन्न प्रमुख योजनाएं/परियोजनाएं यथा राजस्थान सम्पर्क, चिरंजीवी, आरजीएचएस, ई–मित्र आदि के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए भी परियोजना उपयोग किया जा रहा है। डेटा विश्लेषण तकनीकी का उपयोग नीति निर्माण एवं साक्ष्य आधारित निर्णय लेने में किया जाता है। इसका उपयोग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रेवेन्यू रिसर्च एण्ड एनालिसिस द्वारा राजस्व एकत्रित करने वाले विभागों यानि सीटीडी, उत्पाद शुल्क, खनन, परिवहन और पंजीकरण एवं स्टाम्प के गहन डेटा विश्लेषण के लिए भी किया जा रहा है। यह कर चोरी की पहचान करने की राज्य क्षमता को मजबूत करता है और कर आधार को बढ़ाने में भी मदद करता है।

- **आईस्टार्ट राजस्थान:** राज्य में नवाचार को बढ़ावा देने, रोजगार सृजित करने और निवेश को सुविधाजनक बनाने के लिए राजस्थान सरकार का प्रमुख कार्यक्रम है। आईस्टार्ट प्लेटफॉर्म 100 प्रतिशत ऑनलाईन सार्वजनिक या निजी स्टार्टअप मान्यता, स्टार्टअप अपग्रेडिंग, स्टार्टअप स्किल बिल्डिंग, स्टार्टअप प्रमोशन, स्टार्टअप फंडिग और स्टार्टअप एक्सेलेरेशन प्लेटफॉर्म है जो आज देश में राज्य द्वारा संचालित सबसे बड़े व्यवस्थित स्टार्टअप इकोसिस्टम में से एक है।

आईस्टार्ट कार्यक्रम का उद्देश्य राज्य में बढते स्टार्ट–अप्स परितंत्र की पहुंच और प्रभाव का विस्तार करने की दृष्टि से ग्रामीण राजस्थान में उद्यमशीलता और नवाचार की भावना को प्रज्जवलित करने के साथ राज्य में कृषि और ग्रामीण विकास को बढावा देना है। आईस्टार्ट द्वारा "चैलेंज फॉर चेंज – रूरल इनोवेशन चैलेंज" की अवधारणा दी गयी है, जिसके तहत इनोवेटर्स और स्टार्टअप्स को आमंत्रित किया जाता है और उन्हें ग्रामीण भारत के समावेशी और सतत् विकास पर अपने नवीन विचारों द्वारा समस्यायों के निवारण हेतु अपने प्रोटोटाइप को प्रदर्शित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

- **आई–स्टार्ट** स्टार्टअप द्वारा कुल 21,928 से अधिक रोजगार सृजित किये गये।
- स्टार्टअप में कुल ₹210 करोड़ का निवेश किया गया।

- स्टार्टअप इन्क्यूबेशनः जयपुर में स्थित टेक्नो हब देश का सबसे बड़ा स्टार्टअप हब है, जिसमें 700 से अधिक स्टार्टअप की बैठने की क्षमता और 1,50,000 वर्ग फुट का इन्क्यूबेशन स्थान है।
- आईस्टार्ट नेस्ट उदयपुर, भरतपुर, कोटा, बीकानेर, चूरू, जोधपुर और पाली में प्रक्रियाधीन है।
- आईस्टार्ट नेस्ट अजमेर में विकसित किया गया है।

- **राज–काजः** राजकाज अगली पीढ़ी के लिए एक केन्द्रीयकृत आईटी प्लेटफॉर्म है जो कार्यालय की उत्पादकता को बढ़ाता है तथा सेवा वितरण से जुड़ी आंतरिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित कर अंतिम उपयोगकर्ताओं को उपलब्ध करवाता है। यह पोर्टल सामान्य क्षमताओं और पुनः उपयोगी घटकों के साथ एक इलेक्ट्रॉनिक और सहयोगी कार्यस्थल, सरकार की नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुपालन में स्वचालित प्रक्रियाएं जो एक कुशल और पारदर्शी कार्यस्थल प्रदान करती हैं, के लिए एक उद्यम प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। एप्लिकेशन को पीसी, लैपटॉप, मोबाइल और टैबलेट जैसे उपकरणों की सहायता से किसी भी समय, कहीं भी वेब के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है। सभी कार्मिकों सम्बन्धी सेवाएं जैसे–अवकाश, अवकाश का नकदीकरण, एपीआर, एनओसी, पत्रावली, डाक, टेलीफोन प्रतिपूर्ति एवं प्रशिक्षण वास्तविक समय में इलेक्ट्रोनिक रूप से निष्पादित की जा रही है। समस्त कार्यालय प्रक्रियाएं जैसे संगठन प्रबंधन, कर्मचारी प्रबंधन (सृजन, पोस्ट और कार्यालयों के साथ मानचित्रण), अवकाश शेष का स्वतः अद्यतन, स्थानांतरण और पोस्टिंग, डीईएस, कैबिनेट बैठक प्रबंधन का वास्तविक समय में इलेक्ट्रॉनिक रूप से संचालन किया जा रहा है। राजकाज एप्लिकेशन का उपयोग 50,000 से अधिक क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्यरत 9 लाख से अधिक कर्मचारी कर रहे हैं।
- **राज किसान साथीः** यह जन–आधार पर आधारित पोर्टल खेती करने में आसानी प्रदान करता है। यह कृषि, उद्यानिकी आदि के लिए एकल खिड़की केन्द्रीयकृत पोर्टल है, जिसके माध्यम से 29 जी2सी, 28 जी2बी, 33 जी2जी सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। राज किसान साथी मोबाइल ऐप की कुछ विशेषताएं सब्सिडी की एंड–टू–एंड आईटी क्षमता, एसएमएस के माध्यम से किसानों को सूचना पहुंचाना, जियो टैग फील्ड सत्यापन हैं।
- **वन्यजीव निगरानी और अवैध शिकार रोधी प्रणाली (डब्ल्यू.एस. एण्ड ए.पी.एस.):** वन्यजीव निगरानी और अवैध शिकार रोधी प्रणाली (डब्ल्यू.एस. एण्ड ए.पी.एस.) की अवधारणा और संरचनात्मक डिजाइन निम्नलिखित उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए एक उच्च अंत थर्मल/ऑप्टिकल कैमरों, पॉइंट टू पॉइंट वायरलेस नेटवर्क और संचार उपकरण, सौर ऊर्जा प्रणाली, ड्रोन आदि से युक्त हाइब्रिड मॉडल पर आधारित जंगल के संरक्षित क्षेत्रों के लिए निगरानी समाधान उपकरण हेतु एक केन्द्रीयकृत सॉफ्टवेयर हैः

  - 24x7 निगरानी और अवैध शिकार रोधी प्रणाली की स्थापना।
  - बाघ व अन्य चिन्हित वन्यजीव प्रजातियों की हलचल की स्वचालित निगरानी।
  - किसी भी वन्यजीव अपराध/प्रजाति के क्रमशः प्रतिक्रिया/बचाव की दक्षता में महत्वपूर्ण सुधार।
  - वन्यजीव/वन अपराध के खिलाफ रोकथाम प्रतिक्रिया तंत्र को मजबूत करना।
  - परिचालन स्तर की दक्षता में सुधार तथा प्रभावी निर्णय लेने के लिए प्रणाली संचालित विश्लेषणात्मक रिपोर्ट।

- **कमाण्ड एण्ड कन्ट्रोल सेन्टर (अभय):** एकीकृत समाधान हेतु जी.पी.एस. तथा सी.सी.टी.वी. कैमरा आधारित सुरक्षा 7 सम्भागीय मुख्यालयों और 26 जिलों में कमाण्ड एण्ड कन्ट्रोल सेन्टर स्थापित किए गए हैं। इस परियोजना का लक्ष्य राजस्थान के सभी 33 जिलों में विस्तार करना हैः

  - आपातकाल के समय नागरिकों को सहायता प्रदान करना तथा आपातकाल टेलीफोन सेवा यथा 100, 112 और 1090 के साथ एकीकरण
  - घटना स्थल पर एम्बुलेंस, पुलिस वैन और फायर ब्रिगेड की सुविधा के लिए
  - शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस का सहयोग करने के लिए
  - अपराध की जांच पड़ताल में मदद करने के लिए
  - न्यूनतम टर्नअराउंड समय के साथ आपराधिक गतिविधियों को रोकने, पता लगाने और उनसे निपटने में मदद करने के लिए
  - अलर्ट और वीडियो एनालिटिक्स प्रदान करने के लिए
  - शहर में जीवन और संपत्ति की रक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के संबंध में संदिग्ध लोगों, वाहनों, वस्तुओं आदि की निगरानी करना।

राजस्थान जन आधार योजना

माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा परिवर्तित बजट 2019–20 में विभिन्न योजनाओं के लाभ सरलता, सुगमता एवं पारदर्शी रूप से आमजन तक पहुँचाने के उद्देश्य से 'एक नम्बर, एक कार्ड और एक पहचान' की विचारधारा के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए 'राजस्थान जन–आधार योजना' लाए जाने की घोषणा की गई। उक्त बजट घोषणा की पालना में 18 दिसम्बर, 2019 को ''राजस्थान जन–आधार योजना' का शुभारम्भ कर राजस्थान जन आधार प्राधिकरण अधिनियम, 2020 की पालना में राजस्थान जन आधार प्राधिकरण की स्थापना की गई। साथ ही प्रदेश में 4 अगस्त, 2021 से राजस्थान जन आधार प्राधिकरण नियम, 2021 भी लागू हो चुके हैं।

जन आधार नम्बर और उसकी उपयोगिता :

- राज्य के सभी निवासियों के परिवारों का जन–सांख्यिकीय एवं सामाजिक–आर्थिक डेटाबेस तैयार कर प्रत्येक परिवार को ''एक नम्बर, एक कार्ड और एक पहचान'' प्रदान किया जा रहा है जन आधार आईडी परिवार के मुखिया व उनके सदस्यों को पहचान, पते तथा संबंध के प्रमाण के लिए एक मान्यता प्राप्त दस्तावेज है।
- जन आधार परिवार पहचान संख्या 10 अंकीय (जिसे जन आधार आईडी भी कहा जाता है।) और मुखिया सहित प्रत्येक सदस्य को 11 अंकीय व्यक्तिगत पहचान संख्या दी गई है।

जन आधार के माध्यम से वित्तीय समावेशन और महिला सशक्तिकरण :

- जन आधार नामांकन के समय सभी महिला मुखियाओं का व्यक्तिगत बैंक खाता होना अनिवार्य किया गया है साथ ही जिन सदस्यों को किसी भी सरकारी योजना/सेवा का लाभ प्राप्त हो रहा है उन सभी का बैंक खाता जन आधार में होना अनिवार्य है। इस अनिवार्यता से सभी महिला मुखियाओं के बैंक खाते खुल गये है तथा उन्हें बैंकिंग की मुख्य धारा में आने का अवसर मिला है।
- समस्त नकद पारिवारिक लाभ केवल महिला मुखिया के बैंक खाते स्थानांतरित होते हैं जिससे ना केवल महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ है बल्कि वित्तीय समावेशन और परिवार के वित्त संबंधी निर्णयों में महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ी है।

राज्य का प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के लिए एकल प्लेटफॉर्म :

- राजस्थान जन आधार प्राधिकरण अधिनियम, 2020 के अनुसार राज्य में विभिन्न विभागों द्वारा चलायी जा रही जनकल्याण की समस्त योजनाओं के लाभ और सेवाएं केवल जन आधार प्लेटफॉर्म के माध्यम से ही संभव है।
- एक ही प्लेटफॉर्म के माध्यम से लाभ हस्तांतरण से राज्य में लाभार्थियों का एक ही योजना में दोहराव, अदृश्य/फर्जी लाभार्थी तथा अपात्र लाभार्थियों की समस्या से छुटकारा मिला है।
- पात्र लाभार्थियों के नकद लाभ, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से उनके बैंक खातों में और गैर–नकद लाभ आधार अधिप्रमाणन उपरान्त घर के समीप हस्तांतरित करवाना।
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली, सामाजिक सुरक्षा पेंशन एवं मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना आदि 100 से अधिक योजनाओं/सेवाओं के लाभ जन आधार प्लेटफॉर्म के माध्यम से हस्तांतरण किए जा रहे हैं। विभिन्न विभागों द्वारा प्रारम्भ की जा रही नई योजनाओं के लाभों/सेवाओं से संबंधित डिजीटल प्लेटफॉर्म को भी अनिवार्य रूप से जन आधार प्लेटफॉर्म से एकीकृत किया जा रहा है।
- जन आधार प्लेटफॉर्म के माध्यम से हो रहे प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के द्वारा विभिन्न विभागों में लाभार्थियों का एक ही योजना में दोहराव रोकने से, अदृश्य/फर्जी लाभार्थियों तथा अपात्र लाभार्थियों के हटाने से (51 लाख इकाइयों) तथा पुराने लाभ हस्तांतरण को डिजीटल लाभ हस्तांतरण तंत्र से प्रतिस्थापित करने से नवम्बर, 2022 तक ₹1238 करोड़ से अधिक धनराशि की बचत हुई है।

जन आधार प्राधिकरण के माध्यम से सेवा कियोस्कों का प्रबन्धन तथा विस्तार :–

- राजस्थान जन आधार अधिनियम, 2020 की धारा 20 की के तहत देश के सबसे बड़े सेवा कियोस्क तंत्र ''ई–मित्र'' को जन आधार प्राधिकरण के अधीन लाया गया है तथा प्राधिकरण को इनके प्रबंधन तथा विस्तार का उत्तरदायित्व सौंपा गया है।
- सभी ग्राम पंचायत मुख्यालयों एवं शहरी स्थानीय निकायों पर स्थापित ''ई–मित्र प्लस'' का संचालन एवं रख रखाव जन आधार प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है। इसके माध्यम से ना केवल सामान्य ई–मित्र सेवाएं निवासियों द्वारा प्राप्त की जा रही है बल्कि वीडियो कान्फ्रेन्सिंग तथा सामाजिक अंकेक्षण का भी संचालन/प्रदर्शन किया जा रहा है।

राजस्थान जन आधार प्राधिकरण अधिनियम के अन्य प्रावधानों की पूर्ति :

- राजस्थान जन आधार प्राधिकरण के 'एक नंबर, एक कार्ड और एक पहचान' के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए राशन कार्ड के डेटा को जन आधार डेटाबेस में शामिल करने के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए लगभग एक वर्ष तक डेटाबेस एकीकरण का कार्य किया गया था ताकि राज्य से राशन कार्ड बुकलेट को हटाया जा सकता है और दो परिवारों के डेटाबेस के दोहरेपन को दूर किया जा सकता है। अंत में, राज्य जन आधार डेटाबेस के साथ राशन कार्ड डेटाबेस के एकीकरण में सफल रहा है और 5 अप्रैल, 2022 को राज्य ने जन आधार कार्ड को राशन कार्ड घोषित कर दिया है। राजस्थान एकमात्र ऐसा राज्य है जिसके पास निवासियों को नकद और गैर–नकद सेवा वितरण के लिए एकल बहुउद्देशीय डेटाबेस है।
- जन आधार प्लेटफॉर्म को पहचान पोर्टल से एकीकृत कर दिया गया है जिसके फलस्वरूप अब जन आधार डेटाबेस में जन्म, मृत्यु और विवाह का पंजीकरण/अद्यतन वास्तविक समय में दर्ज किया जा रहा है जिससे राज्य की जनसंख्या की वास्तविक समय जनगणना का उद्देश्य पूर्ण हो रहा है।

योजना की वर्तमान प्रगति को तालिका 6.3 में दर्शाया गया है।

तालिका–6.3 राजस्थान जन आधार योजना की भौतिक प्रगति

(31 दिसम्बर, 2022)

क्र. सं.	कार्य	उपलब्धि
1	नामांकित परिवारों की संख्या	1.94 करोड़
2	नामांकित व्यक्तियों की संख्या	7.57 करोड़
3	कुल ट्रांजेक्शन (नकद व गैर–नकद)	127.62 करोड़
4	प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण द्वारा कुल नकद लाभ हस्तांतरण	₹52445 करोड़
5	जन आधार प्लेटफॉर्म के माध्यम से एकीकृत लाभ की योजनाओं की संख्या	70
6	जन आधार प्लेटफॉर्म के माध्यम से एकीकृत सेवाओं की संख्या	33

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डी.एस.टी.) समाज में वैज्ञानिक वातावरण विकसित करने तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के सहयोग से जनता की सामाजिक–आर्थिक स्थिति विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों एवं समाज के कमजोर वर्ग के उत्थान के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग राज्य के सामाजिक–आर्थिक विकास के लिए तथा विभिन्न कार्यक्रमों में उद्देश्यपूर्ण उपयोग के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग के साथ–साथ राज्य की नीति में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के समावेश के लिए विभिन्न विभागों से समन्वय करता है। विभाग के विभिन्न कार्यक्रम एवं गतिविधियों को अजमेर (मुख्यालय–जयपुर), बीकानेर, भरतपुर, कोटा, जोधपुर और उदयपुर स्थित सुस्थापित क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से निष्पादित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त स्टेट रिमोट सेन्सिंग एप्लीकेशन सेन्टर (एस.आर.एस.ए.सी.), जोधपुर द्वारा सुदूर संवेदन गतिविधियां की जा रही हैं।

प्रमुख कार्यक्रम/योजनाएं

- **राज्य सुदूर संवेदन अनुप्रयोग केन्द्र (एस.आर.एस.ए.सी), जोधपुर:** यह केन्द्र राज्य के प्राकृतिक संसाधनों के भौतिक एवं स्थानिक समंकों के आधार पर सूचना प्रणाली बनाने का काम कर रहा है। इसके द्वारा विभिन्न प्राकृतिक संसाधनों यथा– मृदा, जल, वन, कृषि तथा खनिजों आदि के मानचित्र को चिन्हित कर खनन/दोहन एवं प्रबन्धन करने के लिए अल्पावधि एवं दीर्घकालिक प्रायोगिक तथा परिचालन सम्बन्धी सुदूर संवेदी अध्ययन भी किया जाता है।
- **अनुसंधान एवं विकास प्रभाग:** विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एप्लीकेशन आधारित अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए प्रभाग की विभिन्न गतिविधियों के अन्तर्गत शैक्षणिक संस्थानों और पेशेवर निकायों को सहायता प्रदान की जाती है। मुख्य योजनाएं अर्थात अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं के सहायक, कार्यशालाओं/सेमीनारों/कॉन्फ्रेंसों, यात्रा अनुदान और विद्यार्थी परियोजनाओं को राज्य में लागू किया गया है।
- **विज्ञान एवं समाज प्रभाग:** विज्ञान एवं समाज प्रभाग से सम्बन्धित कार्यक्रमों का व्यापक उद्देश्य राज्य के समग्र विकास के लिए संसाधनों के अनुकूलतम उपयोग हेतु प्रौद्योगिकी आधारित अनुप्रयोग उपलब्ध कराना है।

सामाजिक एवं आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु कुछ प्राथमिक क्षेत्रों को, जिनमें विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा सके को सम्मिलित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस प्रभाग की प्रमुख योजनाएं–उपयुक्त प्रौद्योगिकी पर आधारित पायलट/विशेष परियोजनाएं, विज्ञान व प्रौद्योगिकी संसाधन केन्द्र, महिलाओं के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, प्रौद्योगिकी दिवस मनाना तथा प्रौद्योगिकी प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण केन्द्र हैं।

- **उद्यमिता विकास प्रभाग:** इस प्रभाग की मुख्य योजनाएं उद्यमिता जागरूकता शिविर, उद्यमिता विकास कार्यक्रम और कौशल विकास कार्यक्रम हैं। विद्यालय स्तर पर भी उद्यमिता गतिविधियों को सहयोग प्रदान करने के प्रयास प्रगति पर हैं। विद्यालय स्तर पर नवाचारों को समर्थन देने के लिए स्टार्टअप बूट क्लब, राजकीय मॉडल स्कूलों में प्रारम्भ किए गए हैं।

- **जैव प्रौद्योगिकी प्रभाग:** जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में राजस्थान को अग्रणी राज्य बनाने के लिए राजस्थान सरकार ने राजस्थान जैव प्रौद्योगिकी नीति की घोषणा की है। विभाग द्वारा विभिन्न कार्याशाला, संगोष्ठियों और जागरूकता पैदा करना तथा जैव प्रौद्योगिकी आधारित परियोजनाओं को सहायता प्रदान की जाती है। बायोटेक्नोलोजी स्कीम के अन्तर्गत विभाग द्वारा सात जैव विविधता परियोजनाओं को सहायता प्रदान की गई।

- **विज्ञान संचार एवं लोकप्रियकरण प्रभाग:** राजस्थान में विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए इस प्रभाग की मुख्य योजनाएं– विज्ञान लोकप्रियकरण हेतु कार्यक्रम एवं गतिविधियां, प्रतियोगिता कार्यक्रम, अंतरिक्ष एवं विज्ञान क्लब, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, बाल विज्ञान कांग्रेस, विद्यालय विज्ञान केन्द्र, विज्ञान केन्द्र एवं विज्ञान पार्क हैं।

- **पेटेन्ट सूचना केन्द्र:** पेटेन्ट सूचना केन्द्र (पी.आई.सी.) की स्थापना प्रौद्योगिकी सूचना पूर्वानुमान एवं मूल्यांकन परिषद (टी.आई.एफ.ए.सी.), विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार और राजस्थान सरकार द्वारा बौद्धिक सम्पदा (आई.पी.आर.) अधिकारों के प्रति जागरूकता पैदा करने एवं क्षेत्र में पेटेन्ट दाखिल करने की सुविधा प्रदान करने के लिए एक संयुक्त परियोजना के रूप में 1998 में की गई। स्टार्टअप, राजकीय मॉडल विद्यालयों में टेक्नॉलोजी बिजनेस इनक्यूबेटर (टी.बी.आई.) के माध्यम से ग्रामीण एवं जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बिज़निस आइडिया पर कार्य करने का अवसर प्रदान करता है।

वर्ष 2022–23 के दौरान निम्नलिखित गतिविधियां संपादित की गई हैं–

- आजादी की 75 वीं वर्षगाठ पर आजादी के अमृत महोत्सव के अन्तर्गत राजस्थान सांईस लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन सभी 33 जिला मुख्यालयों पर किया गया जिसमें विज्ञान पुस्तक सत्र, फैलोशिप कार्यक्रम, नवाचार शिक्षण सत्र, कलात्मक अनुसंधान कार्यक्रम के लिए लेखन कौशल में वृद्धि करना (एडब्ल्यूएसएआर), वाद–विवाद प्रतियोगिता एवं स्लोगन राईटिंग कम्पीटीशन आदि को सम्मिलित किया गया।

- राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का आयोजन 28 फरवरी, 2022 को पहाड़ी जिला भरतपुर में किया गया। जिसमें लगभग 1,000 विद्यार्थियों ने भाग लिया इसके साथ ही ऑनलाईन माध्यम से भी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया।

- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा एस्ट्रो फोटोग्राफी एवं नाईट स्काई टूरिज्म का आयोजन विभिन्न स्थानों पर यथा जवाहर कला केन्द्र, सांभर लेक तथा बीकानेर हाउस दिल्ली में किया गया। इस कार्यक्रम में प्रतिभागियों ने लीरियड उल्का बौछार का आनंद उठाया एवं टेलीस्कोप के माध्यम से चन्द्रमा भी देखा गया। इस कार्यक्रम में लगभग 960 विद्यार्थियों एवं आमजन ने हिस्सा लिया।

- राज्य स्तरीय विज्ञान संगोष्ठी 2022 का आयोजन 8 अक्टूबर, 2022 को किया गया जिसमें जिला स्तर से चयनित 65 विद्यार्थियों ने भाग लिया।

- विभाग द्वारा राज्य के 6 से 10 वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए डीएसटी होम स्कूलिंग पोडकास्ट प्रारम्भ करने की कार्ययोजना बनायी गई ।

- क्षेत्रीय कार्यालयों के खण्ड स्तरीय विज्ञान नाटक उत्सव प्रतियोगिता, 2022 में विजेता रहे प्रतिभागियों द्वारा राज्य स्तरीय नाटक उत्सव प्रतियोगिताओं 2022 में भाग लिया गया जिसमें विजेता प्रतिभागियों ने 18 नवम्बर, 2022 को मुम्बई में आयोजित राष्ट्रीय स्तर पर विज्ञान नाटक उत्सव, 2022 में द्वितीय स्थान प्राप्त किया।

- वर्ष 2022–23 के दौरान, विभाग हेतु राशि ₹1,969.49 लाख के बजट प्रावधान को मंजूरी दी गई, जिसमें से दिसम्बर, 2022 तक ₹1,325.36 लाख व्यय किए जा चुके हैं।

राजस्थान फाउण्डेशन

राजस्थान फाउण्डेशन की स्थापना राज्य के विकास की गतिविधियों में प्रवासियों की भागीदारी बढ़ाने तथा अपनी

मातृभूमि के साथ अपनी जड़ों को जोड़े रखने हेतु प्रेरित करने के लिए उनसे लगातार संचार और वार्तालाप बनाए रखने की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से की गई। राजस्थान फाउण्ड़ेशन के अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार हैं।

राजस्थान फाउण्डेशन भारत तथा विदेशों के विभिन्न शहरों में बसे प्रवासी राजस्थानियों (एनआरआर)के साथ घनिष्ठ एवं लगातार सम्पर्क कर रहा है। इसे सुनिश्चित करने के लिए राजस्थान फाउण्डेशन ने मुख्य रूप से सामाजिक क्षेत्र में गतिविधियाँ शुरू करने के लिए चैन्नई, कोयम्बटूर, कोलकाता, सूरत, मुम्बई, बैंगलोर, अहमदाबाद, हैदराबाद, इन्दौर, लंदन, न्यूयॉर्क एवं काठमांडू जैसे विभिन्न शहरों में चैप्टर्स खोले हैं। चैप्टर्स की कार्यकारी समिति के साथ नियमित रूप से बैठकों का आयोजन एवं नए सदस्यों का नामांकन करते है।

राजस्थान फाउण्डेशन द्वारा किए गए कार्यो का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:—

- राजस्थान फाउण्डेशन त्रैमासिक न्यूज़लेटर का प्रकाशन कर रहा है, जो देश के भीतर और बाहर प्रवासी राजस्थानी/ प्रवासी भारतीयों को व्यापक रूप से वितरित किया जाता है। इस प्रकाशन के माध्यम से राज्य द्वारा उठाए गए विभिन्न विकासात्मक कदमों से प्रवासी राजस्थानियों को अवगत कराया जाता है। राजस्थान फाउण्डेशन के न्यूज लेटर का नवीनतम संस्करण ''माटी रो संदेश'' अक्टूबर, 2022 में प्रकाशित किया गया है।

- राजस्थान दिवस राजस्थान फाउण्डेशन द्वारा बीकानेर हाउस, नई दिल्ली में मनाया गया कार्यक्रम के दौरान राजस्थान फाउण्डेशन द्वारा चंग नृत्य का आयोजन किया गया और इसे शेखावटी क्षेत्र के लोक कलाकारों ने प्रस्तुत किया। इस कार्यक्रम को विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर प्रसारित किया गया।

- 28 जून, 2022 को आयुक्त राजस्थान फाउण्डेशन ने ब्रूसेल्स, बेल्जियम में यूरोपीय संघ के सम्मेलन यूरोप–इण्डिया लीडर्स कॉन्फ्रेन्स 2022 में भाग लिया। इस अवसर पर आयुक्त, राजस्थान फाउण्डेशन ने ''भारत और यूरोपीय संघ के बाजार में अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए कानूनी विचार और वित्त पोषण विकल्प'' पर आयोजित सत्र की अध्यक्षता की। इस कॉन्फ्रेन्स में प्रवासी राजस्थानियों के साथ विभिन्न सरकारी और व्यापारिक प्रतिनिधिमण्डलों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

- माननीय मुख्यमंत्री की दूरदर्शी और विजनरी सोच के अनुरूप राजस्थान फाउण्डेशन ने दुबई के प्रवासी राजस्थानी श्री नंदी मेहता की सहायता से इनोवेटिव डिजिटल शिक्षा के क्षेत्र में पहल की। इस परियोजना के लिए राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद और फिलो एडूटैक प्राइवेट लिमिटेड बीच एमओयू हस्ताक्षर करवाया गया। एमओयू के अनुसार प्रदेश के 9वीं से 12वीं कक्षाओं के चुने गये 10,000 छात्र–छात्राओं को 24x7 घंटे डिजिटल ट्यूटर की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध करवायी जाएगी।

- 7 अक्टूबर 2022 को इन्वेस्ट राजस्थान समिट– 2022 के दौरान एनआरआर कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। समिट के दौरान माननीय मुख्यमंत्री ने देश एवं विदेश से आये प्रबुद्ध प्रवासियो से मुलाकात की।

- इन्वेस्ट राजस्थान समिट– 2022 के दौरान राजस्थान फाउण्डेशन के संयुक्त प्रयासों से प्रवासी राजस्थानियों, विभिन्न संस्थाओं और भामाशाहों के माध्यम से लगभग 271 करोड़ के लोकोपकारी कार्यो के लिए 17 आशय पत्र (एलओआई) प्राप्त हुए।

- माननीय मुख्यमंत्री ने 7 अक्टूबर, 2022 को समिट के दौरान राज्य की पहली एनआरआर नीति जारी की। इसके अलावा राजस्थान फाउण्डेशन ने नई वेबसाईट एवं नये लोगो को भी लॉन्च किया।

- राजस्थान फाउण्डेशन द्वारा डॉक्टर्स ऑफ राजस्थान इन्टरनेशनल फाउण्डेशन तथा एसएमएस मेडिकल कॉलेज, जयपुर के साथ आरएफ–एमएसएस–डोरी मीट का आयोजन किया गया। इस मीट में डॉक्टर्स ऑफ राजस्थान इन्टरनेशनल फाउण्डेशन एवं एसएमएस मेडिकल कॉलेज के मध्य सहयोग बढ़ाने के संबंध में महत्त्वपूर्ण चर्चा हुई।

आयोजना (जनशक्ति) विभाग

आयोजना (जनशक्ति) विभाग चरणबद्ध रूप से जिला गजेटियर्स का प्रकाशन करने के लिए उत्तरदायी है। प्रथम चरण में जोधपुर, अलवर, बांसवाड़ा, करौली, प्रतापगढ़ एवं हनुमानगढ़ जिलों के जिला गजेटियर्स का लेखन/अद्यतन कार्य पूर्ण कर लिया गया है। जिला स्तर से जिला गजेटियर के सभी अध्यायों के ड्राट जॉच के उपरान्त विभाग को प्राप्त हो चुके हैं।

करौली, प्रतापगढ़ हनुमानगढ़ एवं बॉसवाड़ा जिलों के जिला गजेटियर पर माननीय मुख्यमंत्री से अनुमोदन प्राप्त हो चुका है। इनके मुद्रण/प्रकाशन की प्रक्रिया प्रगतिरत है।

वर्ष 2022–23 के दौरान, विभाग हेतु राशि ₹234.19 लाख के बजट प्रावधान को मंजूरी दी गई, जिसमें से दिसम्बर, 2022 तक ₹116.06 लाख व्यय किए जा चुके हैं।

मूल्यांकन संगठन

मूल्यांकन योजना प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है, जिसके माध्यम से राज्य में चलाए जा रहे विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन, प्रभाव, सफलता एवं विफलता का आंकलन कर आवश्यक सिफारिशों का सुझाव दिया जाता है। वर्ष 2022–23 के दौरान (नवम्बर, 2022 तक), 7 मूल्यांकन प्रतिवेदन रिपोर्ट यथा उज्जवला योजना, व्यवसायिक ऋण योजना, कृषि विस्तार पर उपमिशन–आत्मा, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना, रोजगार कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं देवनारायण छात्र स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन राशि योजना राज्य सरकार को प्रस्तुत की गई हैं और 17 विभिन्न योजनाओं यथा फील्ड वर्क प्रस्तावित, संकलन एवं सारणीयन कार्य, प्रतिवेदन लेखन, प्रारूप मूल्यांकन रिपोर्ट, मूल्यांकन रिपोर्ट का प्रकाशन, अध्ययन संरचना एवं अनुसूचियॉ, राज्य स्तरीय मूल्यांकन अध्ययनों का सार–संग्रह प्रतिवेदन की मूल्यांकन रिपोर्टो का प्रकाशन विभिन्न चरणों में प्रक्रियाधीन है।

■ ■ ■ ■

अध्याय 07

शहरीकरण और शहरी विकास

परिचय

शहरीकरण का तात्पर्य जनसंख्या का ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर स्थानान्तरण, ''शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के अनुपात में क्रमिक वृद्धि'' तथा प्रत्येक समाज के द्वारा इस तरह के बदलाव को स्वीकार करने से है। शहरी क्षेत्र उच्च मूल्य वाले क्षेत्रों, जैसे सेवाओं और उद्योगों के लिए अधिक उपयुक्त हैं, जो निवासियों की उच्च आय और क्रय शक्ति, कौशल की उपलब्धता और अन्य बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।

संयुक्त राष्ट्र सतत् विकास रिपोर्ट, 2022 के अनुसार विश्व की आधी से अधिक आबादी शहरों में निवास कर रही है, और इसकी हिस्सेदारी वर्ष 2050 तक 70 प्रतिशत तक होने का अनुमान है। शहरीकरण आर्थिक विकास का इंजन है और यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि शहरों और महानगरीय क्षेत्रों का वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद (संयुक्त राष्ट्र सतत विकास रिपोर्ट, 2022) में लगभग 80 प्रतिशत योगदान है। शहरी बस्तियां विकास की धुरी के रूप में काम करती हैं, जहां सरकार द्वारा वाणिज्य और परिवहन की परस्पर क्रिया से ज्ञान और सूचनाओं को साझा करने, नवाचार, उद्यमशीलता और विकास को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक बुनियादी ढाँचा प्रदान किया जाता है।

राजस्थान में शहरीकरण

शहरीकरण की प्रवृत्ति राजस्थान में भी राष्ट्रीय स्तर के समान बढ़ रही है। भारत की कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या की हिस्सेदारी वर्ष 1961 में 17.97 से बढ़कर वर्ष 2011 में 31.14 प्रतिशत हो गयी। इसी तरह राजस्थान की कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या की हिस्सेदारी में वृद्धि की प्रवृति देखी जा सकती हैं, जो वर्ष 1961 में 16.28 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2011 में 24.87 प्रतिशत हो गई। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनसंख्या अनुमानों पर तकनीकी समूह की रिपोर्ट के अनुसार, भारत की शहरी जनसंख्या का कुल जनसंख्या से प्रतिशत वर्ष 2021 में 34.43 प्रतिशत एवं वर्ष 2031 में 37.55 प्रतिशत अनुमानित है। जबकि राजस्थान की शहरी जनसंख्या का कुल जनसंख्या से प्रतिशत वर्ष 2021 में 26.33 प्रतिशत एवं वर्ष 2031 में 27.74 प्रतिशत अनुमानित है, जैसा कि चित्र– 7.1 में दर्शाया गया है।

वर्ष 2001 में राजस्थान की कुल जनसंख्या 565 लाख थी, जिसमें पुरुष जनसंख्या 294 लाख और महिला जनसंख्या 271 लाख थी वर्ष 2031 में 872 लाख, जिसमें पुरुष जनसंख्या 444 लाख और महिला जनसंख्या 428 लाख होने की संभावना है, जैसा कि चित्र – 7.2 में दर्शाया गया है।

चित्र 7.1

कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत

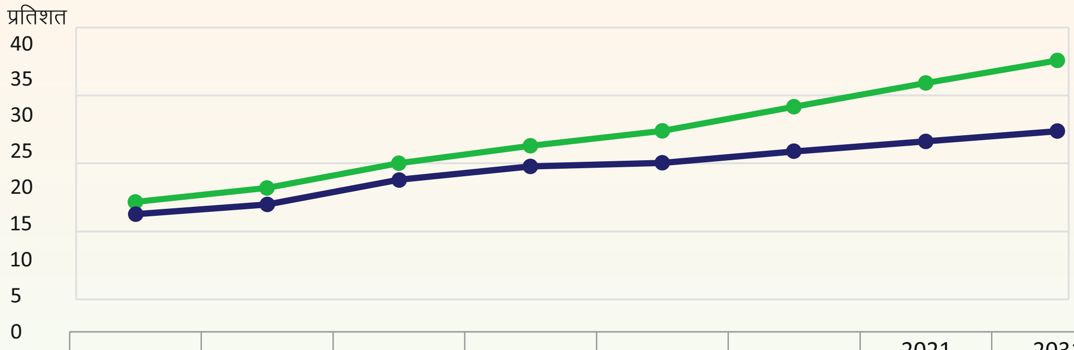

	1961	1971	1981	1991	2001	2011	2021 (अनुमानित)	2031 (अनुमानित)
भारत	17.97%	19.91%	23.31%	25.73%	27.81%	31.14%	34.43%	37.55%
राजस्थान	16.28%	17.63%	21.05%	22.88%	23.39%	24.87%	26.33%	27.74%

वर्ष 2001 में राजस्थान की कुल शहरी जनसंख्या 132 लाख थी, जिसमें 70 लाख पुरुष और 62 लाख महिलाएं थी। जो वर्ष 2031 में 242 लाख, जिसमें पुरुष जनसंख्या 126 लाख और महिला जनसंख्या 116 लाख होने की संभावना है, जैसा कि चित्र– 7.3 में दर्शाया गया है।

चित्र 7.2

राजस्थान की जनसंख्या

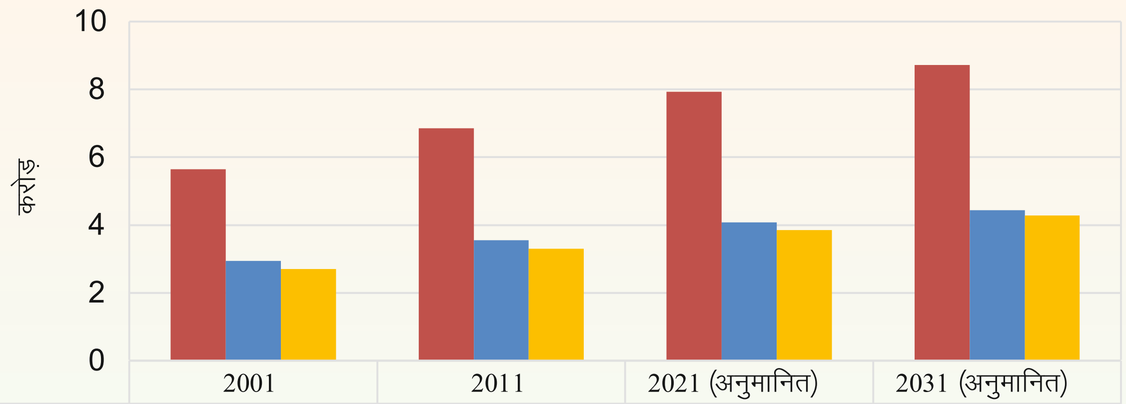

	2001	2011	2021 (अनुमानित)	2031 (अनुमानित)
कुल जनसंख्या	5.65	6.85	7.93	8.72
पुरुष जनसंख्या	2.94	3.55	4.08	4.44
महिला जनसंख्या	2.71	3.30	3.85	4.28

कुल जनसंख्या   पुरुष जनसंख्या   महिला जनसंख्या

चित्र 7.3

राजस्थान की शहरी जनसंख्या (लाख में)

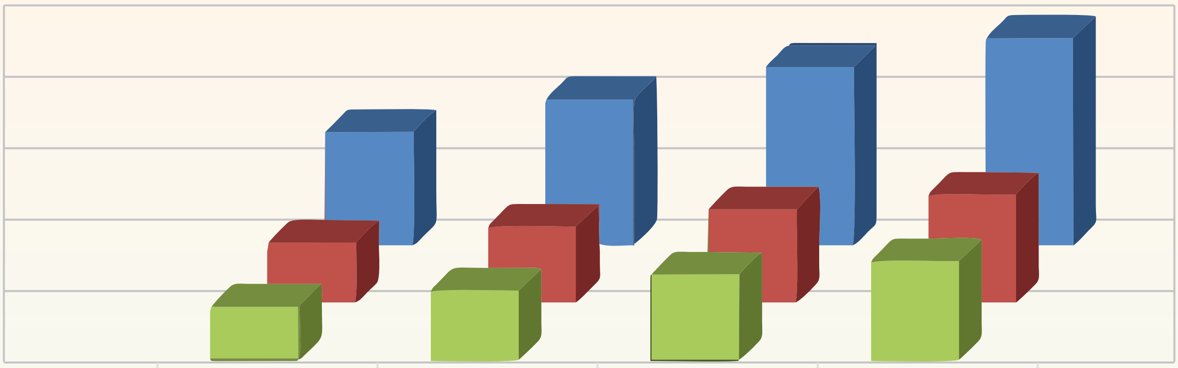

	2001	2011	2021 (अनुमानित)	2031 (अनुमानित)
महिला	62	81	100	116
पुरुष	70	89	109	126
कुल	132	170	209	242

0–6 आयु वर्ग के बच्चों की जनसंख्या

राजस्थान में, 0–6 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों की कुल जनसंख्या वर्ष 2001 और 2011 के बीच लगभग समान रही है, जैसा कि चित्र–7.4 में दर्शाया गया है। इसके बावजूद, राजस्थान के शहरी क्षेत्रों में बच्चों की जनसंख्या का आकार वर्ष 2001 में 20.64 लाख से बढ़कर वर्ष 2011 में 22.35 लाख हो गया है, जैसा कि चित्र–7.5 में दर्शाया गया है। वर्ष 2011 में, बच्चों की कुल शहरी जनसंख्या में 53.37 प्रतिशत लड़के और 46.63 प्रतिशत लड़कियां थीं, जबकि वर्ष 2001 में 52.98 प्रतिशत लड़के और 47.02 प्रतिशत लड़कियां थी।

चित्र 7.4

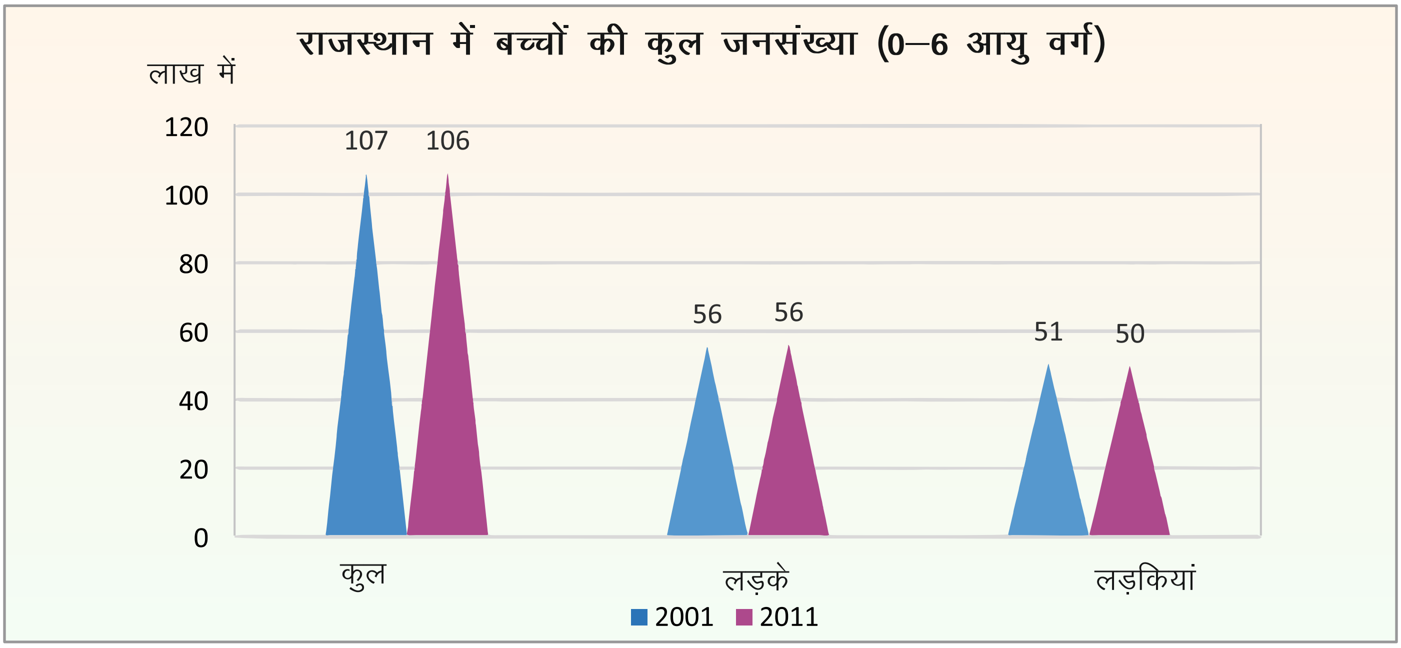

चित्र 7.5

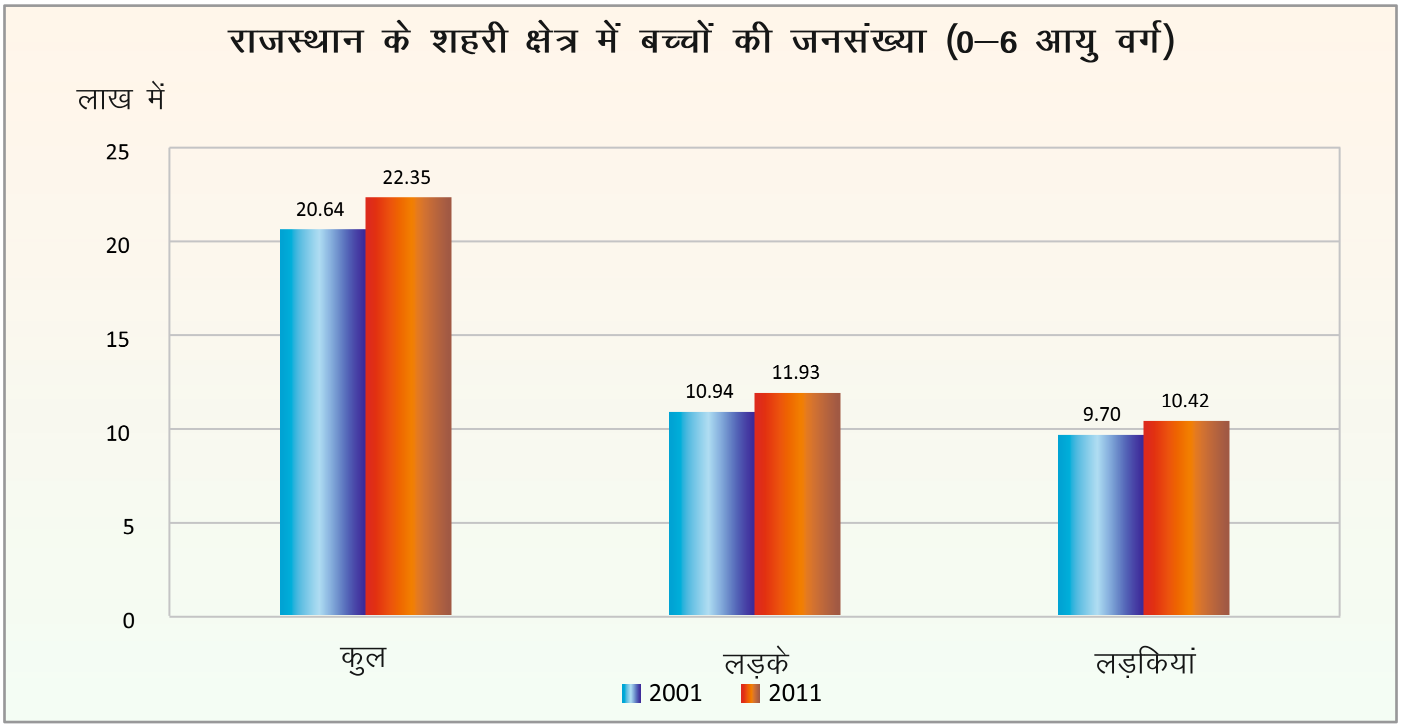

लिंगानुपात

वर्ष 2011 में, राजस्थान के शहरी क्षेत्र में लिंगानुपात प्रति हजार पुरुषों पर 914 महिलाओं का था, जबकि वर्ष 2001 में प्रति हजार पुरुषों पर 890 महिलायें थी, जिससे ज्ञात होता है कि शहरी क्षेत्र में लिंगानुपात में प्रति हजार पुरुषों पर 24 महिलाओं की वृद्धि हुई है। हालांकि ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र की तुलना में अधिक संतुलित लिंगानुपात रहा है। वर्ष 2011 में ग्रामीण क्षेत्र में लिंगानुपात प्रति 1,000 पुरुषों पर 933 महिलाओं का है, जो शहरी क्षेत्र की तुलना में थोड़ा अधिक है। वर्ष 2001 में, ग्रामीण क्षेत्र में लिंगानुपात प्रति हजार पुरुषों पर 930 महिलाओं का था, जो शहरी क्षेत्र की तुलना में काफी अधिक था। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक एवं न्यूनतम शहरी लिंगानुपात वाले जिलों का विवरण तालिका 7.1 में दर्शाया गया हैं।

तालिका: 7.1 राजस्थान में सर्वाधिक एवं न्यूनतम शहरी लिंगानुपात वाले जिले

सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात वाले जिले			न्यूनतम शहरी लिंगानुपात वाले जिले		
क्र.सं.	जिले	लिंगानुपात	क्र.सं.	जिले	लिंगानुपात
1.	टोंक	985	1.	जैसलमेर	807
2.	बांसवाड़ा	964	2.	धौलपुर	864
3.	प्रतापगढ	963	3.	अलवर	872
4.	डूंगरपुर	951	4.	गंगानगर	878
5.	राजसमंद	948	5.	भरतपुर	887

स्त्रोतः जनगणना 2011

बाल लिंगानुपात

राजस्थान के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के बाल लिंगानुपात (0–6 वर्ष) में भी समान प्रवृति देखी जा सकती है। राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्र ने शहरी क्षेत्र की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया है, लेकिन दोनों क्षेत्रों में ही वर्ष 2001 की तुलना में वर्ष 2011 में बाल लिंगानुपात में गिरावट देखी गई। वर्ष 2001 में, राजस्थान के शहरी क्षेत्र में बाल लिंगानुपात प्रति हजार लड़कों पर 887 लड़कियों का रहा, जबकि ग्रामीण राजस्थान में बाल लिंगानुपात वर्ष 2001 में प्रति 1,000 लड़कों पर 914 लड़कियों का था। वर्ष 2011 में, शहरी क्षेत्र में बाल लिंगानुपात प्रति 1,000 लड़कों पर 874 लड़कियों तक घट गया, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में यह घटकर प्रति 1,000 लड़कों पर 892 लड़कियों का हो गया। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक एवं न्यूनतम शहरी बाल लिंगानुपात वाले जिलों का विवरण तालिका 7.2 में दर्शाया गया है।

तालिका: 7.2 राजस्थान में सर्वाधिक एवं न्यूनतम शहरी बाल लिंगानुपात वाले जिले

सर्वाधिक शहरी बाल लिंगानुपात वाले जिले			न्यूनतम शहरी बाल लिंगानुपात वाले जिले		
क्र.सं.	जिले	बाल लिंगानुपात	क्र.सं.	जिले	बाल लिंगानुपात
1.	नागौर	907	1.	धौलपुर	841
2.	बीकानेर	906	2.	गंगानगर	842
3.	भीलवाड़ा	904	3.	दौसा	847
4.	बारां	901	4.	अलवर	851
5.	चूरू	899	5.	भरतपुर	852

स्त्रोतः जनगणना 2011

साक्षरता दर

विगत वर्षों से, राजस्थान सरकार द्वारा शिक्षा क्षेत्र को मजबूत करने के लिए सभी स्तरों पर महत्वपूर्ण प्रयास किये गये हैं। जो इस तथ्य से स्पष्ट होता है कि साक्षरता दर में वर्ष 1961 से 2011 तक लगातार वृद्धि हुई है। वर्ष 2001 में राजस्थान में साक्षरता दर 60.40 प्रतिशत थी, जो बढ़कर वर्ष 2011 में 66.11 प्रतिशत हो गई। क्षेत्र–वार प्रदर्शन के संदर्भ में, राजस्थान में शहरी क्षेत्र के लिए साक्षरता दर वर्ष 2011 में 79.70 प्रतिशत थी, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में 61.40 प्रतिशत थी जैसा कि चित्र 7.6 में दर्शाया गया है। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक एवं न्यूनतम शहरी साक्षरता वाले जिलों का विवरण तालिका 7.3 में दर्शाया गया है।

तालिका: 7.3 राजस्थान में सर्वाधिक एवं न्यूनतम शहरी साक्षरता वाले जिले

(प्रतिशत में)

सर्वाधिक शहरी साक्षरता वाले जिले		
क्र.सं.	जिले	साक्षरता दर
1.	उदयपुर	87.5
2.	बांसवाड़ा	85.2
3.	प्रतापगढ़	84.8
4.	डूंगरपुर	84.4
5.	अजमेर	83.9

(प्रतिशत में)

न्यूनतम शहरी साक्षरता वाले जिले		
क्र.सं.	जिले	साक्षरता दर
1.	नागौर	70.6
2.	जालौर	71.1
3.	चूरू	72.6
4.	धौलपुर	72.7
5.	करौली	72.8

स्त्रोतः जनगणना 2011

चित्र 7.6

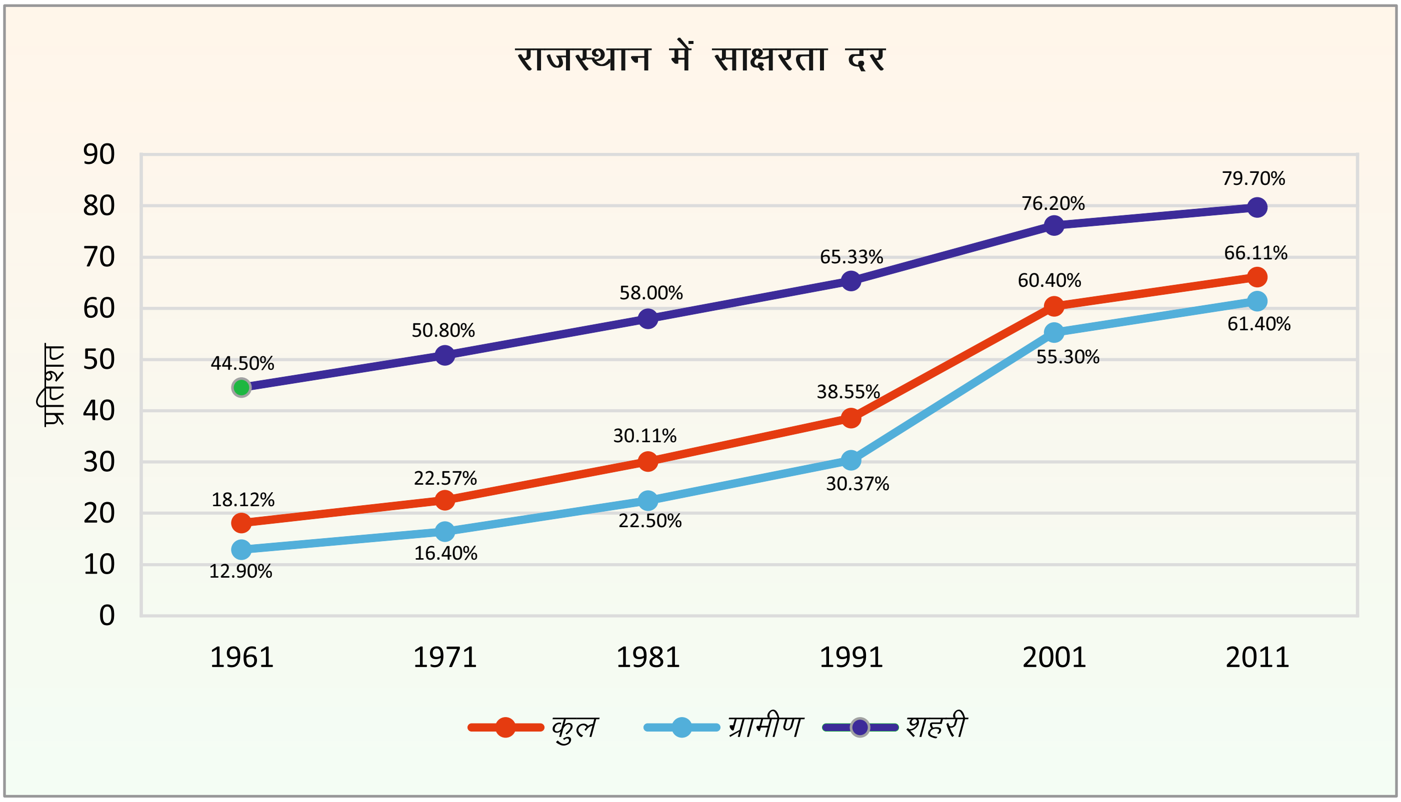

एक लाख और उससे अधिक की जनसंख्या वाले शहर/शहरी समूह

चित्र– 7.7 में, जनगणना– 2011 के अनुसार एक लाख और उससे अधिक की जनसंख्या वाले शहरों/शहरी समूहों को दर्शाया गया है। जयपुर 30.46 लाख की आबादी के साथ जनसंख्या के संदर्भ में राजस्थान का सबसे बड़ा शहर है और इसके बाद जोधपुर (11.38 लाख), कोटा (10.02 लाख), और बीकानेर (6.44 लाख), है। बांसवाड़ा (1.01 लाख), सबसे कम शहरी जनसंख्या वाला शहर है।

चित्र 7.7

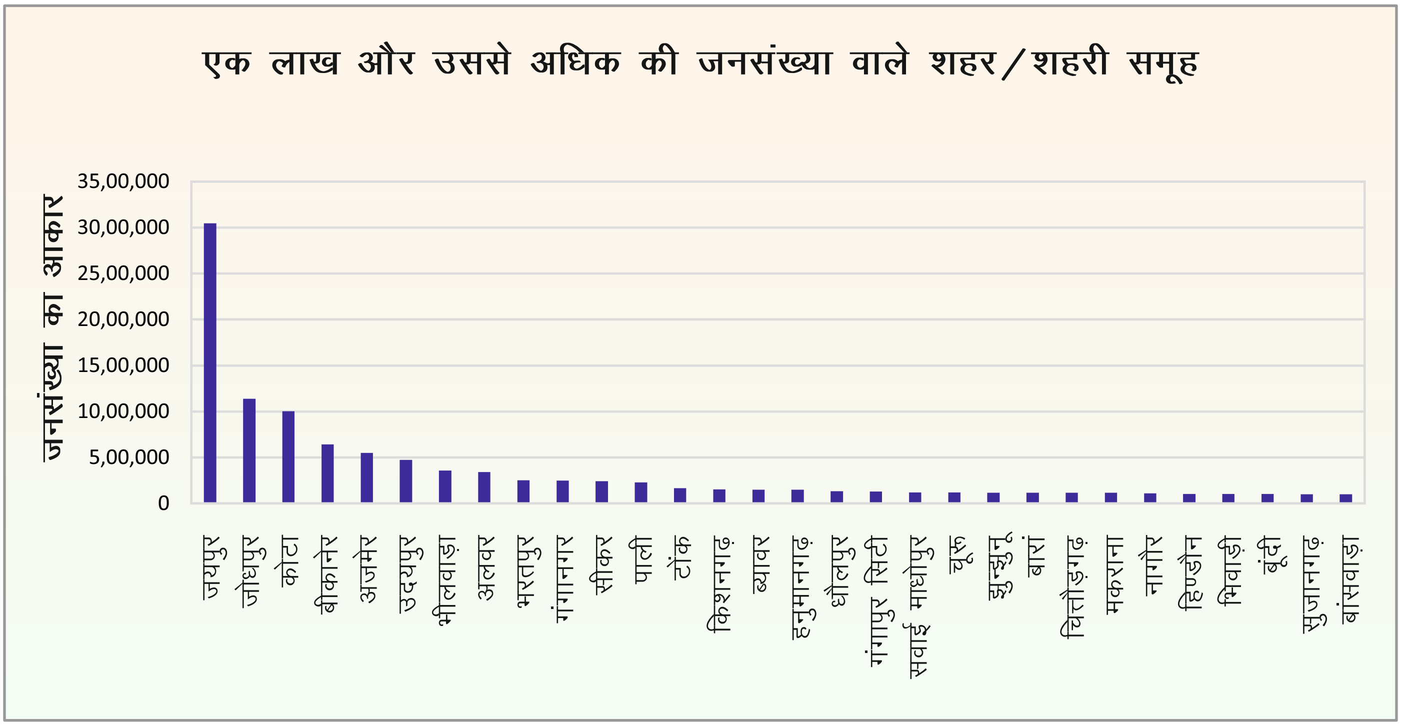

शहरीकरण में स्थानिक परिवर्तन

शहरी आबादी के संदर्भ में राजस्थान में सबसे अधिक शहरीकृत जिलों में कोटा (60.31 प्रतिशत), जयपुर (52.40 प्रतिशत), अजमेर (40.08 प्रतिशत), जोधपुर (34.30 प्रतिशत) और बीकानेर (33.86 प्रतिशत) सम्मिलित हैं, जबकि जालौर (8.30 प्रतिशत), प्रतापगढ़ (8.27 प्रतिशत), बांसवाड़ा (7.10 प्रतिशत), बाड़मेर (6.98 प्रतिशत) और डूंगरपुर (6.39 प्रतिशत) सबसे कम शहरी जनसंख्या वाले जिले हैं। जनसंख्या के संदर्भ में शहरीकरण के स्तरों में स्थानिक परिवर्तन का संक्षिप्त विवरण चित्र– 7.8 में है।

राजस्थान में माइग्रेशन (ग्रामीण से शहरी)

जनगणना–2011 में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में पुरुष मुख्यतः रोजगार के अवसरों के लिए तथा महिलाएं मुख्यतः वैवाहिक कारणों से ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन करती हैं। जनगणना–2011 दर्शाती है कि राष्ट्रीय स्तर पर 794 लाख व्यक्तियों ने और राजस्थान में 32 लाख व्यक्तियों ने ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन किया जो अखिल भारतीय स्तर के ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन करने वाले व्यक्तियों का 4 प्रतिशत है। चित्र 7.9 में दर्शाया गया है कि कुल पलायन करने वाले पुरुषों एवं महिलाओं में से क्रमशः 49.16 प्रतिशत पुरूष काम/रोजगार के बेहतर अवसरों की तलाश में तथा 59.11 प्रतिशत महिलाएं वैवाहिक कारणों से ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन करते हैं। इसी प्रकार, राष्ट्रीय स्तर पर कुल पलायन करने वाले पुरूषों एवं महिलाओं में से क्रमशः 45.06 प्रतिशत पुरूष काम/रोजगार के बेहतर अवसरों की तलाश में तथा 51.80 प्रतिशत महिलाएं वैवाहिक कारणों से ग्रामीण से शहरी क्षत्रों की ओर पलायन करते हैं। इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि राजस्थान और राष्ट्रीय स्तर पर व्यक्तियों का ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन का समान कारण रहा है।

चित्र 7.8

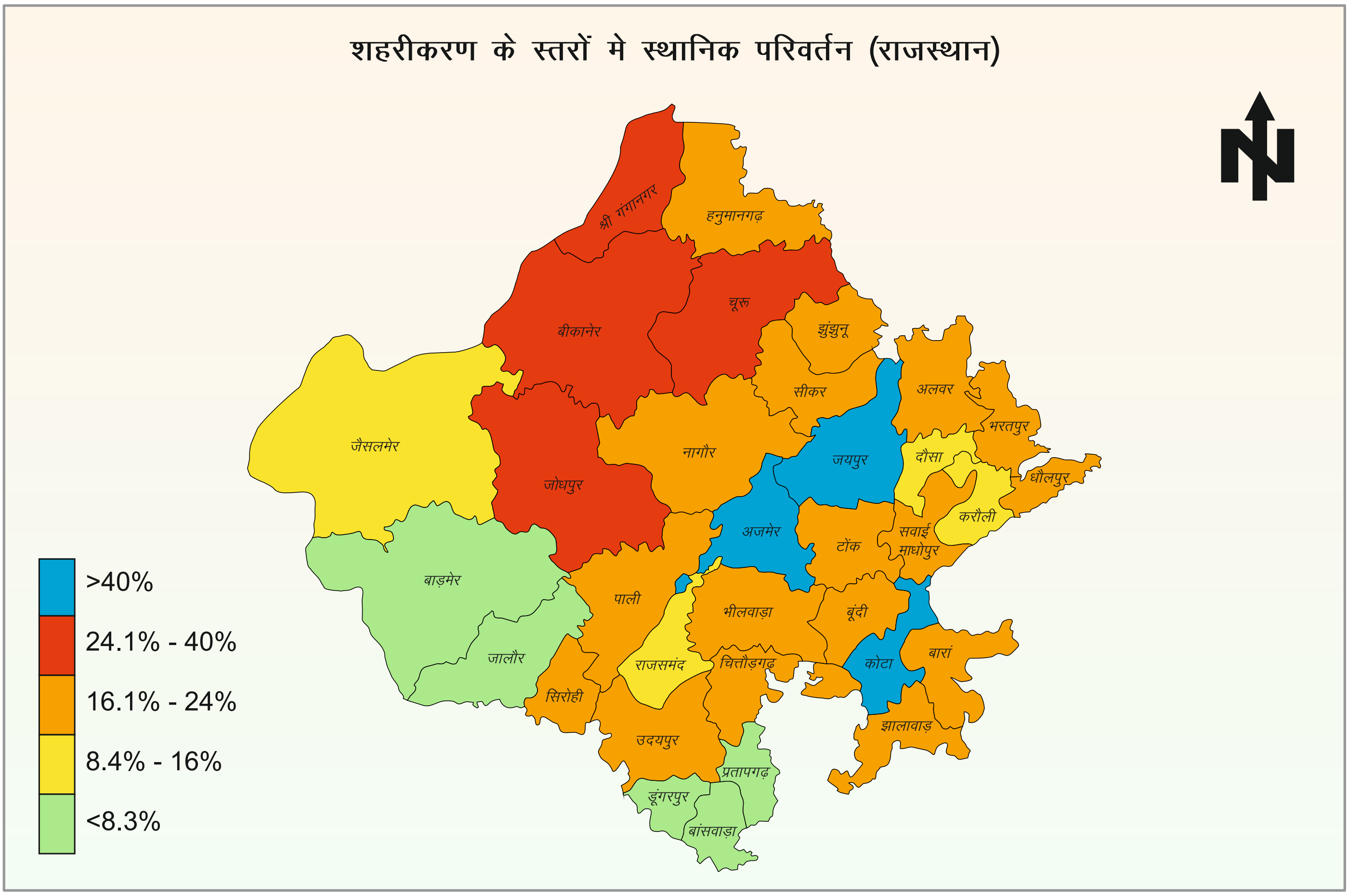

स्त्रोत : जनगणना 2011

चित्र 7.9

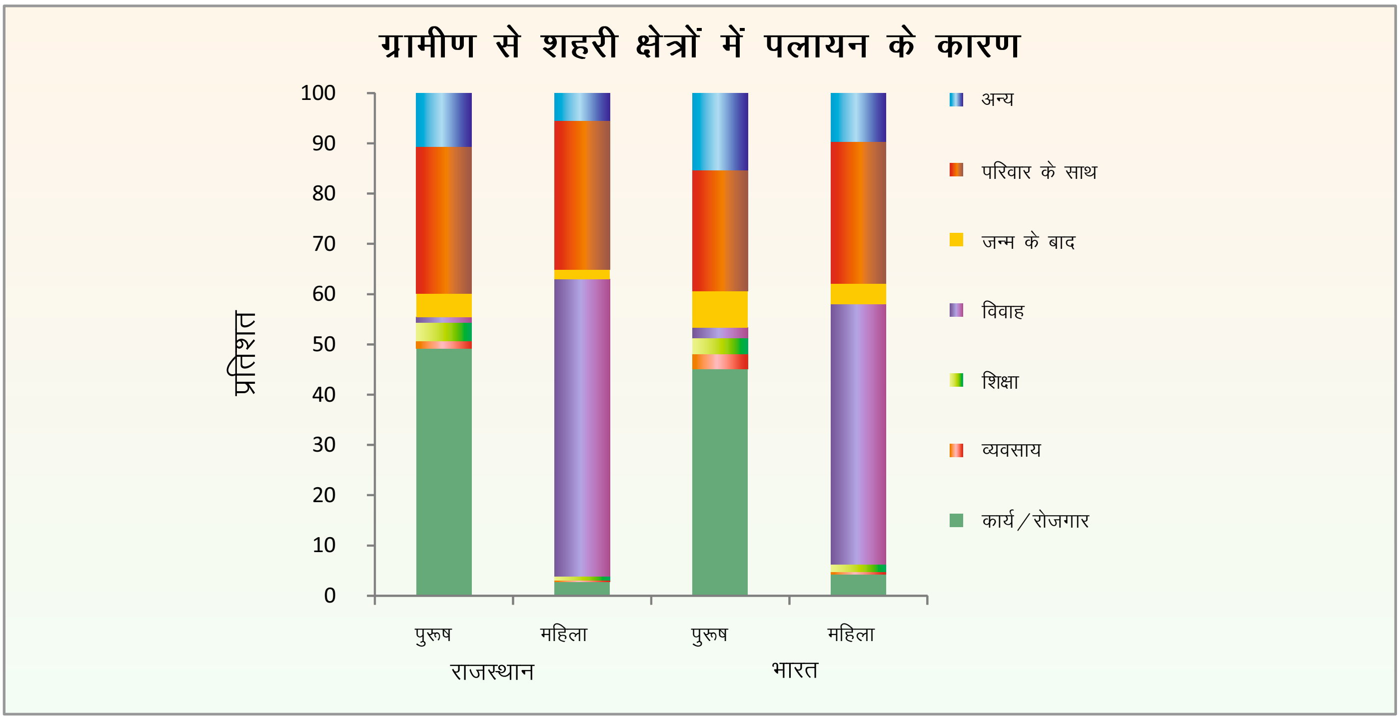

स्त्रोतः जनगणना, 2011

राजस्थान में शहरी आवासों की स्थिति

राष्ट्रीय स्तर पर 68.4 प्रतिशत की तुलना में शहरी राजस्थान में लगभग 68.9 प्रतिशत घर 'अच्छी' स्थिति में हैं। भारत की जनगणना 2011 में घरों को उनकी स्थिति के आधार पर तीन श्रेणियों में वर्गीकृत करती है: अच्छी, रहने–योग्य और जीर्ण–शीर्ण। चित्र 7.10 दर्शाता है कि राजस्थान में आधे से अधिक शहरी घरों को 'अच्छी' स्थिति में वर्गीकृत किया गया है, जबकि 29.3 प्रतिशत को 'रहने–योग्य' घरों में वर्गीकृत किया गया है। इसके अलावा 1.8 प्रतिशत शहरी परिवार उचित भौतिक बुनियादी ढांचे के बिना 'जीर्ण–शीर्ण' अवस्था में हैं, इसलिए इन पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है।

चित्र 7.10

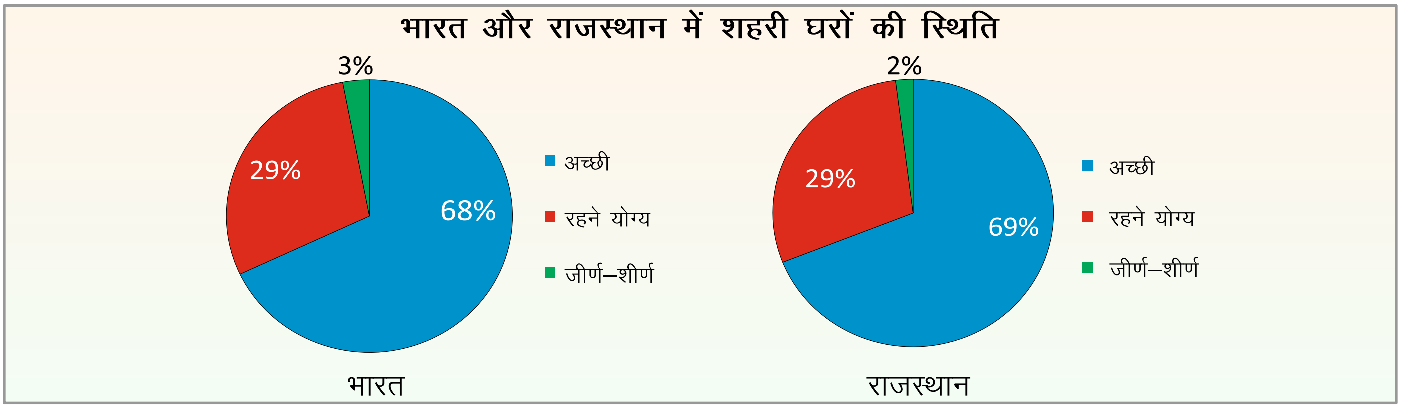

स्त्रोत: जनगणना, 2011

राजस्थान में झुग्गी–झोपड़ी/कच्ची बस्ती के निवासी (शहरी)

देश के विभिन्न भागों में कच्ची बस्तियों का निर्माण और विकास कई कारणों से होता है, जैसे ग्रामीण से शहरी प्रवास, उच्च बेरोजगारी, गरीबी, आर्थिक ठहराव और कमजोर योजना। ये कच्ची बस्तियां आमतौर पर साफ और ताजे पानी की आपूर्ति, निरंतर बिजली की आपूर्ति, उचित स्वच्छता और स्वच्छता की स्थिति आदि जैसी बुनियादी नागरिक सुविधाओं की कमी के कारण जीर्ण–शीर्ण स्थिति में हैं, जो झुग्गीवासियों के बीच विभिन्न वायु और जल जनित बीमारियों का कारण बन रही हैं। इतना ही नहीं स्लम एरिया में घरों के स्ट्रक्चर भी अच्छे स्तर के नही है।

हालांकि गंदी बस्तियों को परिभाषित करना अत्यन्त कठिन कार्य है, जनगणना संगठन ने निम्नलिखित क्षेत्रों को गंदी बस्तियों में वर्गीकृत किया है:

- ऐसे सभी क्षेत्र जो राज्य/स्थानीय सरकार या केन्द्र शासित क्षेत्रों द्वारा गन्दी बस्तियों के रूप में किसी कानून द्वारा अधिसूचित किए गए हों।
- ऐसे सभी क्षेत्र जिनकी पहचान राज्य/स्थानीय सरकार एवं केन्द्र शासित क्षेत्रों द्वारा गंदी बस्तियों के रूप में की गयी है, किन्तु किसी कानून द्वारा अधिसूचित नहीं किए गयें हैं।
- ऐसे सभी घने क्षेत्र जिसमें कम से कम 300 की जनसंख्या अथवा 60–70 परिवार रहते हों एवं ऐसे आवासीय समूह में हों जो पूरी तरह अनियोजित तरीके से बसे हुए हों जिनमें आधारभूत नागरिक सुविधाओं यथा– प्रकाश, पीने का पानी, जल–मल व्ययन व स्वच्छ हवा का पूरी तरह से अभाव हो।

2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में झुग्गियों में रहने वालों की आबादी 20,68,000 है, जो कुल शहरी आबादी का 12.13 प्रतिशत है।

कच्ची बस्ती में रहने वाले निवासियों की सबसे अधिक जनसंख्या 3,23,400 जयपुर नगर निगम की सीमा में हैं, जो कि अकेले ही राज्य की कच्ची बस्ती जनसंख्या का 15.64 प्रतिशत है एवं जयपुर नगर की कुल जनसंख्या का 10.62 प्रतिशत है। इसके बाद राज्य की झुग्गी आबादी का कोटा (नगर निगम) 15.44 प्रतिशत, जोधपुर (नगर निगम+ आउट ग्रोथ) 12.29 प्रतिशत, बीकानेर (नगर निगम) 5.89 प्रतिशत, अजमेर (नगर निगम) 5.35 प्रतिशत, उदयपुर (नगर निगम) 3.13 प्रतिशत है और गंगानगर (नगर परिषद+आउट ग्रोथ) 2.44 प्रतिशत हैं। शहर की कुल आबादी में सबसे अधिक कच्ची बस्ती निवासियों का प्रतिशत पीलीबंगा (न.प.) में 74.53 प्रतिशत दर्ज किया गया है, इसके बाद क्रमशः जहाजपुर (न.प.) में 63.79 प्रतिशत और केसरीसिंहपुर (न.प.) में 61.46 प्रतिशत है। राजस्थान में स्लम आबादी तालिका 7.4 में दी गई है:–

तालिकाः— 7.4 राजस्थान में स्लम जनसंख्या, जनगणना—2011

क्र.सं	विवरण	ईकाई	
1	कच्ची बस्तियों के परिवार	संख्या	394391
2	कच्ची बस्तियों की जनसंख्या	संख्या	2068000
3	पुरूष	संख्या	1078991
4	महिला	संख्या	989009
5	0—6 वर्ष	संख्या	307035
6	अनुसूचित जाति जनसंख्या	संख्या	582562
7	अनुसूचित जनजाति जनसंख्या	संख्या	100675
8	शहरी जनसंख्या में कच्ची बस्तियों की जनंसख्या का प्रतिशत	प्रतिशत	16.12
9	शहरी जनसंख्या में कच्ची बस्तियों के परिवारों का प्रतिशत	प्रतिशत	16.21
10	साक्षरता दर	प्रतिशत	69.79
11	लिंगानुपात	प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या	917
12	लिंगानुपात (0—6 वर्ष)	प्रति हजार लड़को पर लड़कियों की संख्या	897

राजस्थान में शहरी विकास

राज्य सरकार द्वारा व्यवस्थित और समन्वित तरीके से शहरी आबादी की आधारभूत आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए राज्य में विकास प्राधिकरणों, शहरी न्यासों, राजस्थान आवासन मण्डल, नगर नियोजन कार्यालय, जयपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन आदि का गठन किया गया। राज्य में तीन विकास प्राधिकरण (जयपुर, अजमेर और जोधपुर), 14 शहरी न्यास (अलवर, आबू, बाड़मेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, चित्तौड़गढ़, जैसलमेर, पाली, कोटा, उदयपुर, श्रीगंगानगर, सीकर और सवाई माधोपुर) राजस्थान आवासन मण्डल एवं जयपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नागरिकों की सुविधाओं के विकास हेतु कार्यरत है।

''प्रशासन शहरों के संग अभियान 2021'' : आम नागरिकों की नगरीय निकायों से जुड़ी समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में 02 अक्टूबर, 2021 से प्रशासन शहरो के संग अभियान का शुभारम्भ किया गया। अभियान का प्रथम चरण 31 दिसम्बर, 2021 तक, द्वितीय चरण 1 मई, 2022 से 23 जून, 2022 तक संचालित किया गया तथा तृतीय चरण 15 जुलाई, 2022 से 31 मार्च, 2023 तक आमजन हेतु संचालित किया जायेगा।

अभियान के दौरान 30 नवम्बर, 2022 तक विभाग के 3 विकास प्राधिकरण व 14 नगर विकास न्यासों के द्वारा कुल 1,66,307 पट्टे वितरित (कृषि भूमि पर 1,00,590, कच्ची बस्ती नियमन 1,509, आर्थिक कमजोर वर्ग और अल्प आय वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस. ,एल.आई.जी) के 4,229 और पूर्व में जारी पट्टों के समर्पण के पश्चात् पुनः पट्टे 59,979) किये गये है।

साथ ही अन्य विभिन्न सेवाओं यथा भवन निर्माण अनुज्ञा संबंधित (78,948), नाम हस्तान्तरण (44,569), भूखण्डों का उपविभाजन/पुनर्गठन (5,679), खांचा भूमि आवंटन (58), लीज से संबंधित प्रकरण (79,761) के कुल 2,09,015 आवेदन निस्तारित किये गये।

जयपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन

फेज—1ए (मानसरोवर से चाँदपोल): सुविधाजनक, द्रुतगामी, पर्यावरण अनुकूल एवं उन्नत सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था प्रदान करने के लिए जयपुर मेट्रो रेल सेवा का संचालन 3 जून, 2015 से फेज—1ए के तहत मानसरोवर से चाँदपोल तक किया जा रहा है। फेज—1ए की अनुमानित लागत ₹2,023 करोड़ थी, जो पूर्णरूप से राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित थी।

फेज—1बी (चांदपोल से बड़ी चौपड): जयपुर मेट्रो रेल परियोजना फेज—1बी चांदपोल से बड़ी चौपड़ लगभग 2.01 किलोमीटर का कार्य जयपुर की विरासत को संरक्षित रखते हुये पूर्ण किया गया। इस परियोजना की कुल अनुमानित लागत ₹1,126 करोड़ है, जिसमें से एशियाई विकास बैंक से ₹810 करोड़ का ऋण और शेष राशि राजस्थान सरकार द्वारा वहन की गई है। जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के फेज—1बी का कार्य पूर्ण हो चुका है और संचालन 23 सितम्बर, 2020 से प्रारम्भ हो चुका है।

फेज—1सी (बड़ी चौपड़ से ट्रांसपोर्ट नगर): बड़ी चौपड़ से ट्रांसपोर्ट नगर तक चरण 1 सी के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार कर, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन द्वारा प्रस्तुत कर दी गई है। इस परियोजना की अनुमानित लागत ₹993.51 करोड़ है। फेज—1सी के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। परियोजना के क्रियान्वयन का कार्य प्रगति पर है।

जयपुर मेट्रो रेल परियोजना फेज—1डी (मानसरोवर से 200 फीट बायपास अजमेर रोड): मानसरोवर से 200 फीट अजमेर रोड चौराहा तक चरण —1डी के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर (डीपीआर) दिल्ली मेट्रो रेल निगम द्वारा ₹204.81 करोड़ की अनुमानित लागत के साथ प्रस्तुत कर दी गई है। फेज—1डी के लिए प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा दी जा चुकी है। परियोजना के क्रियान्वयन का कार्य प्रगति पर है।

फेज—2 (सीतापुरा से अम्बाबाडी तक): जयपुर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट फेज—2 की सीतापुरा से अंबाबाड़ी तक 23.50 किलोमीटर लंबाई की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) प्रस्तावित की गई है। इस परियोजना की अनुमानित लागत ₹4,602 करोड़ है।

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर: जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए), जयपुर क्षेत्र के अवसंरचनात्मक विकास के लिए उत्तरदायी है। यह रिंग रोड, फ्लाईओवर, पुल, पार्किंग स्थल, पार्क, सामुदायिक केंद्र आदि के निर्माण कार्य कराता है। यह प्राधिकरण वाणिज्यिक परियोजनाओं और आवासीय योजनाओं के विकास के लिए भी उत्तरदायी है। यह आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा कर उनके विकास में मदद करता है। जेडीए के अन्य कार्यों में कच्ची बस्तियों का विकास और पुनर्वास, पर्यावरण विकास आदि शामिल हैं। वर्ष 2022—23 (नवम्बर, 2022 तक) के दौरान जेडीए द्वारा 693.55 किलोमीटर सड़कें, 5.05 किलोमीटर नालियां, 32.44 किलोमीटर सीवरेज और 90.70 किलोमीटर इलेक्ट्रिक लाइन का निर्माण कराया गया है।

वर्ष 2022—23 (नवम्बर, 2022 तक) के दौरान, जयपुर विकास प्राधिकरण की कुल प्राप्तियां ₹1007.03 करोड़ है, जिसमें ₹126.68 करोड़ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड से प्राप्त ऋण शामिल है। वर्ष 2022—23 (नवम्बर, 2022 तक) के दौरान ₹1,058.49 करोड़ का व्यय किया गया है, जिसमें से ₹726.78 करोड़ पूंजीगत व्यय था।

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर : वर्ष 2022—23 (नवम्बर, 2022 तक) में जोधपुर विकास प्राधिकरण की कुल प्राप्तियां ₹154.03 करोड़ की है और सड़क फ्लाईओवर, पुल, विद्युतीकरण, सीवरेज कार्य, सड़कों के निर्माण, रखरखाव, पार्कों के विकास, अन्य नए निर्माण और रखरखाव कार्यों पर ₹168.75 करोड़ का व्यय किया है।

अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर : वित्तीय वर्ष 2022—23 (नवम्बर, 2022 तक) के दौरान अजमेर विकास प्राधिकरण ने ₹115.34 करोड़ प्राप्त किये और ₹141.51 करोड़ के व्यय किये। भूखण्डों की बिक्री, नियमन एवं अन्य मदों से प्राप्त राशि का उपयोग विद्युत, पानी, सड़क, खेल मैदान, सीवरेज रख—रखाव एवं स्मार्ट सिटी के तहत शहर के सौन्दर्यीकरण पर किया जा रहा है।

रियल एस्टेट रेग्युलेटरी ऑथोरिटी, राजस्थान (रेरा)

रियल एस्टेट (रेग्युलेशन एण्ड डवलपमेंट) एक्ट 2016, भारत सरकार द्वारा 1 मई, 2016 से आंशिक रूप से लागू किया गया तथा इस अधिनियम के सभी प्रावधान 1 मई, 2017 से प्रभावी हो गये। 1 मई, 2017 को राजस्थान सरकार द्वारा इस अधिनियम को राजस्थान रियल एस्टेट (रेग्युलेशन एण्ड

डवलपमेंट) नियम, 2017 के नाम से अधिसूचित किया गया। इस अधिनियम और इन नियमों के अन्तर्गत आवंटियों, प्रमोटरों और रियल एस्टेट एजेन्टों के हितों की रक्षा करते हुए एक स्वस्थ, पारदर्शी, कुशल और प्रतिस्पर्द्धी रियल एस्टेट सेक्टर के विकास और संवर्धन हेतु राजस्थान सरकार द्वारा 6 मार्च, 2019 को राजस्थान रियल एस्टेट रेग्युलेटरी ऑथोरिटी (रेरा) एवं रियल एस्टेट अपीलेट ट्रिब्यूनल का गठन किया गया हैं। रेरा का एक वेब पोर्टल rera.rajasthan.gov.in है, जो 01 जून, 2017 से शुरू हुआ है।। इस वेब पोर्टल के माध्यम से परियोजनाओं/एजेंटों और शिकायतों के लिए सभी आवेदन ऑन–लाइन किये जाते हैं। रेरा द्वारा 30 नवम्बर, 2022 तक की संचयी प्रगति निम्नानुसार दी गई है:–

- कुल 2,166 रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स का पंजीकरण रेरा के अन्तर्गत किया जा चुका है।
- कुल 4,470 रियल एस्टेट एजेन्टों का पंजीकरण रेरा के अन्तर्गत किया जा चुका है।
- कुल 3,580 शिकायतें प्राप्त हुई जिनमें से 2,194 का निस्तारण किया जा चुका है तथा शेष शिकायतों में सुनवाई की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

राजस्थान आवासन मण्डल (आर.एच.बी.)

राज्य में आवास की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए राजस्थान आवासन मण्डल की स्थापना 24 फरवरी, 1970 को एक स्वायत्तशासी निकाय के रूप में की गई।

राजस्थान आवासन मण्डल ने अपनी आवासीय गतिविधियां राज्य के 7 शहरों से प्रारम्भ करते हुए 52 वर्षों के दौरान 67 शहरों तक विस्तृत की है। नवम्बर, 2022 तक राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा 2,59,682 आवासीय इकाइयां बनाने का कार्य प्रारम्भ किया गया, जिसमें से 2,52,572 इकाइयों का निर्माण पूर्ण किया जा चुका है, 2,51,646 आवासीय इकाइयां आवंटित की गई हैं तथा 2,40,529 इकाइयों का कब्जा आवेदनकर्ताओं को उपलब्ध करवा दिया गया है। उपरोक्त आवासों में 60 प्रतिशत से अधिक आवास आर्थिक दृष्टि से कमजोर एवं अल्प आय वर्ग के लिए निर्मित किए गए हैं। वर्ष 2022–23 में, (नवम्बर, 2022 तक) राजस्थान आवासन मण्डल की गतिविधियां तालिका– 7.5 में दी गई है।

तालिका–7.5 वर्ष 2022–23 में राजस्थान आवासन मण्डल की गतिविधियां

क्र.सं.	कार्य	इकाई	उपलब्धियां*
1.	नये आवासों का निर्माण प्रारम्भ करना	संख्या	2845
2.	आवास पूर्ण करना	संख्या	363
3.	आवासों का आवंटन	संख्या	2065
4.	आवासों का कब्जा दिया जाना	संख्या	3321
5.	निर्माण कार्यों पर व्यय	₹करोड़ में	293
6.	प्राप्तियां	₹करोड़ में	431

*नवम्बर, 2022 तक

वर्तमान सरकार के कार्यकाल में आवासन मंडल का कुल टर्न ओवर ₹8,200 करोड़ से अधिक का हो गया है। जिसमें सम्पत्तियों के निस्तारण से प्राप्तियों के अतिरिक्त लीज मनी, बकाया मासिक किश्तें, खांचा पट्टी एवं संस्थानिक भूमि आवंटन, पंजीकरण राशि, स्व वित्त पोषित योजनान्तर्गत अग्रिम किश्तें, सावधि जमाओं पर ब्याज आदि शामिल हैं।

राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा किये जा रहे कुछ नवाचार निम्न प्रकार है:–

- वर्ष 2018–19 में वार्षिक टर्न ओवर मात्र ₹118 करोड़ था। जो 2019–20 में बढ़कर ₹841 करोड़, 2020–21 में ₹2,163 करोड़ और 2021–22 में बढ़कर ₹3,012 करोड़ हो गया। चालू वर्ष में टर्न ओवर लगभग ₹2,100 करोड़ प्राप्त हो गया है।
- आवासन मंडल के पास 20,000 से अधिक अनिस्तारित अधिशेष सम्पत्तियाँ (बिना बिके मकान) विद्यमान थीं एवं जिन्हें विक्रय किया जाना एक बड़ी चुनौती थी। इस सरकार के कार्यकाल में आवासन मंडल को आरक्षित दर पर 0–25 प्रतिशत और 0–50 प्रतिशत तक की छूट से अधिशेष आवास विक्रय करने की अनुमति प्रदान की गई।
- 30 सितम्बर 2019 से 39 महिनों की अल्पावधि में लगभग

14,500 आवासीय एवं 2,900 व्यावसायिक कुल 17,400 सम्पत्तियों का निस्तारण किया जाकर विशाल डैड इन्वेंटरी को काफी कम करने में सफलता प्राप्त की है और जिससे ₹4,850 करोड़ का राजस्व अर्जित हुआ।

- **ई–बिड सबमिशन द्वारा बुधवार नीलामी उत्सवः** आरएचबी ने एक अनूठी योजना "10 प्रतिशत दीजिए गृह प्रवेश किजिये" शुरू की है। अब तक इस योजना के अन्तर्गत 10,025 आवासों की बिक्री की जा चुकी है, जिससे 1,286 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ है।
- **प्रीमियम सम्पत्तिः** आर.एच.बी द्वारा ई–नीलामी (खुली नीलामी) के माध्यम से सभी डिस्पोजेबल आवासीय/व्यावसायिक सम्पत्तियों को चिह्नित कर, प्रीमियम संपत्तियों के रूप में पृथक से बेचा जा रहा है। 340 आवासीय प्रीमियम सम्पत्तियों की बिक्री से ₹238 करोड़ एवं 1,128 व्यावसायिक भूखण्डों की बिक्री से ₹1,688 करोड़ की राशि अर्जित की गई।
- 13 जुलाई, 2022 को वीटी रोड स्थित मानसरोवर योजना में 45,632.46 वर्ग मीटर के व्यावसायिक प्लॉट की ऐतिहासिक ऑनलाइन नीलामी की गई। नीलामी में ₹1,07,000 प्रति वर्ग मीटर की शानदार प्रतिस्पर्धी दर प्राप्त हुई, जिससे ₹488.27 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ और यह राजस्थान राज्य में रिकॉर्ड है।
- **अपनी दुकान अपना व्यवसायः** इस योजना में छोटे व्यवसायिक भूखण्डों को दो वर्गों में विभाजित किया गया – 27 वर्ग मीटर से छोटे एवं 27 वर्ग मीटर से बड़े। इस योजना के अन्तर्गत कुल 1,450 संपत्तियां बेची गई हैं, जिससे ₹236 करोड़ प्राप्त हुए हैं।
- आरएचबी की स्थापना के बाद पहली बार, आरएचबी अधिनियम, 1970 में 02 प्रमुख संशोधन किए गए, जिसमें बोर्ड को अतिक्रमण हटाने और देय राशि वसूल करने का अधिकार दिया गया। आरएचबी अधिनियम में 2 उल्लेखनीय संशोधनों के बाद रिकॉर्ड 1.50 लाख वर्ग मीटर से अधिक अमूल्य भूमि को अतिक्रमण से मुक्त किया गया।
- **गुणवत्ता नियंत्रण हेतु ''सजग'' मोबाईल ऐपः** आवासन मण्डल द्वारा बनाये जा रहे आवासों के निर्माण की गुणवत्ता एवं सम्पूर्ण कार्य की प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करने हेतु एक मोबाईल ऐप ''सजग'' विकसित की गई है। जिसके माध्यम से सभी निर्माणाधीन परियोजनाओं की समस्त गतिविधियों को एक ही जगह पर एक साथ देखा जा सकता है।
- **''आरएचबी आवास'' मोबाईल ऐप :** राजस्थान आवासन मंडल द्वारा राज्य के सभी जिलों के नगर निकाय क्षेत्रों में आवास मांग के आंकलन हेतु एक मोबाईल ऐप ''आरएचबी आवास'' विकसित किया गया है जिसमें 31 दिसम्बर 2022 तक 8,721 प्रविष्ठियाँ प्राप्त की गई है।
- जनभागीदारी से वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मोबाइल ऐप "आरएचबी ग्रीन" विकसित किया गया था। विगत तीन वर्षों में विभिन्न योजनाओं में व्यापक पौधरोपण किया गया है।
- मुख्यमंत्री जन आवास योजना (सी.एम.जे.ऐ.वाई) के तहत भिवाड़ी में एक योजना (712 फ्लैटस्), इंदिरा गांधी नगर जयपुर में दो योजना (732 फ्लैटस्) और प्रताप नगर जयपुर में 4 योजना (3,358 फ्लैटस्) कुल मिलाकर 4,802 फ्लैट शुरू किए गए हैं, जो अगले छह माह में पूर्ण कर लिया जाएगा।
- वाटिका, महला, नसीराबाद, किशनगढ़, निवाई (2 चरणों में), बरेली (2 चरणों में), मानपुर आबू रोड, उदयपुर, भीलवाड़ा, शाहपुरा, भिंडर, बांसवाड़ा में 15 विभिन्न योजनाओं में 2,967 आवासों का निर्माण किया गया है।
- राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के कर्मचारियों के लिए 5 शहरों (जोधपुर, बीकानेर, भीलवाड़ा, आबू रोड़ और भिवाड़ी) में हाउसिंग स्कीम भी शुरु की गई है।
- **प्रतापनगर, जयपुर में कोचिंग हब का विकास :** राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा प्रताप नगर, जयपुर में 65,000 वर्ग मीटर के भूखंड पर एक कोचिंग हब विकसित किया जा रहा है। जिसका पहला चरण पहले ही पूर्ण हो चुका है और दूसरा चरण प्रगति पर है। 5 ब्लॉकों में 140 संस्थागत स्थानों के लिए ऑनलाइन आवंटन प्रक्रिया शुरू की गई है। प्रथम चरण में 37 स्थल आवंटित किये जा चुके है। साथ ही 90 में से 57 शोरूमों को ई–नीलामी के माध्यम से बेचने के अलावा 4 बड़े वाणिज्यिक एवं मिश्रित

भूमि उपयोग प्लॉटों की भी ई—नीलामी की गई है। इस योजना के अन्तर्गत 70,000 छात्र को लाभ होगा।

- जयपुर, जोधपुर और कोटा में पांच चौपाटियां (सार्वजनिक फूड कोर्ट) विकसित की जा रही हैं। जयपुर स्थित चौपाटियों में प्रारम्भिक पाँच माह की अवधि में कुल 6,10,670 आगन्तुकों का सर्वाधिक संख्या में आवक का अनुपम कीर्तिमान स्थापित हुआ, जिसे वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, लंदन द्वारा मान्यता प्रदान की गयी।

- मानसरोवर, जयपुर में द्रव्यवती नदी के समीप इकोलॉजिकल जोन में 1,500 से 1,800 वर्ग मीटर के भूखंडों पर आठ फार्म हाउस बनाने की योजना बनाई गई थी। ई—नीलामी द्वारा चार फार्म हाऊसों को ₹23 करोड़ में बेचा गया है।

- **मानसरोवर, जयपुर में ''सिटी पार्क'' का विकास:** जयपुर के सबसे बड़े पार्कों में से एक "सिटी पार्क एंड फाउंटेन स्क्वायर" नाम से 52 एकड़ में मानसरोवर, जयपुर में विकसित किया गया है। इस परियोजना पर ₹110 करोड़ का व्यय किया गया है। प्रथम चरण 21 अक्टूबर, 2022 को पूर्ण कर जनता को समर्पित किया जा चुका है। दूसरा चरण सितंबर, 2023 तक पूरा होने की उम्मीद है। सिटी पार्क में राज्य का सबसे ऊंचा झंडा (213 फीट) स्थापित कर फहराया गया।

- विधायक नगर पूर्व में 4,948.92 वर्ग मीटर के प्लॉट पर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया की तर्ज पर ₹90 करोड़ के परिव्यय से राजस्थान के एक कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की योजना बनाई गई है, जिसमें रेस्तरां, कॉफी हाउस, स्विमिंग पूल, बैठक और सम्मेलन की अति आधुनिक सुविधाएं शामिल हैं। हॉल, खेल सुविधा आदि पर ₹35 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं।

- आवासन मंडल द्वारा विकसित किये गये पार्कों में 125 ओपन एयर जिम स्थापित किये गये हैं।

- **मुख्यमंत्री शिक्षक एवं प्रहरी आवास योजना:** मुख्यमंत्री शिक्षक एवं प्रहरी आवासीय योजना के तहत शिक्षक (राजकीय शिक्षक)/प्रहरी (पुलिस कर्मियों) के लिए 576 बहुमंजिला फ्लैट (बी+एस+12) 6 ब्लॉकों में सेक्टर 26 प्रताप नगर जयपुर में 20,925 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के प्लॉट पर प्रति फ्लैट ₹15.70 लाख विक्रय मूल्य की योजना बनाई गई थी। आरएचबी ने 8 सितंबर, 2022 को यह योजना पूरी होने पर आवंटियों को समर्पित कर दी है और आवंटियों को कब्जा देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

- **एआईएस रेजीडेन्सी फेज 1 एवं फेज 2:** सैक्टर 17 प्रताप नगर जयपुर स्थित इस बहुमंजिलीय (2बी+जी+12) योजना के प्रथम चरण में 17,860 वर्ग मीटर भूखण्ड पर 7 ब्लॉक्स में कुल 180 फ्लैट्स नियोजित किये गये। प्रथम चरण मार्च—2023 तक पूर्ण हो सकेगा। द्वितीय चरण में 10,993 वर्गमीटर भूखण्ड पर 4.5 ब्लॉक्स, कुल 114 फ्लैट्स नियोजित किये गये हैं।

- **विधायक आवास परियोजना:** विधायक नगर (पश्चिम), ज्योति नगर, जयपुर में ₹266 करोड़ के परिव्यय से 24,160 वर्ग मीटर भूमि पर अल्ट्रा आधुनिक सुविधाओं और सुविधाओं के साथ कुल 160 फ्लैट (2बी+जी+8) की योजना बनाई गई है। दिसम्बर, 2022 तक ₹250 करोड़ खर्च किए गए हैं।

- **एसएस रेजीडेन्सी:** सैक्टर 19 प्रताप नगर, जयपुर में ₹127 करोड़ की लागत से 12,537.05 वर्ग मीटर भूमि पर तीन प्रकार के उच्च आय वर्ग के कुल 175 फ्लैट्स (2बी+जी+12) नियोजित किये गये हैं।

- **एनआरआई स्काई पार्क:** प्रताप नगर जयपुर में ₹95 करोड़ की लागत से 16,236 वर्ग मीटर भूमि पर विभिन्न आकार के 166 सुपर लग्जरी फ्लैटों की योजना बनाई गई है।

आम आदमी को राहत देने के लिए 2 अक्टूबर, 2021 को "प्रशासन शहरों के संग—2021" का शुभारंभ किया गया। आरएचबी की विभिन्न 19 सेवाओं को अभियान के दौरान शामिल करने के लिए चिन्हित किया गया। 31 दिसम्बर, 2022 तक 17,600 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 16,636 आवेदनों का निस्तारण किया जा चुका है।

अवार्ड

- राजस्थान को आवास क्षेत्र में ''स्कॉच स्टार ऑफ गवर्नेंस अवार्ड 2022'' अग्रणी राज्य के रूप में दिया गया।
- ''राजस्थान बेस्ट एम्प्लॉयर ब्रांड अवार्ड 2022'' आवासन मंडल को मानव संसाधन प्रबंधन को अभिनव तरीकों से अपने व्यवसाय में मिश्रित करने के लिए 22 जुन, 2022 को वर्ल्ड एच.आर.डी. कांग्रेस जूरी द्वारा प्रदान किया गया।
- वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉड्र्स, लंदन यूके ने तीन साल की छोटी अवधि में ई–नीलामी और ई–बिड सबमिशन के माध्यम से बड़ी संख्या में 13,583 आवासीय और वाणिज्यिक संपत्तियों की ऑनलाइन बिक्री की सराहना की है।

नगर नियोजन विभाग

विभाग का मुख्य कार्य शहरों/कस्बों के मास्टर प्लान, सेक्टर प्लान एवं अन्य नगरीय योजनाएं बनाकर नगरों के भौतिक विकास को दिशा प्रदान करना तथा विभिन्न राजकीय विभागों, स्थानीय निकायों एवं अन्य राजकीय संस्थाओं को तकनीकी सलाह देना है। यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड की क्षेत्रीय योजना और नीतियों के कार्यान्वयन के लिए भी सहायता करता है।

तालिकाः 7.6 विगत 2 वर्षो में स्वीकृत मास्टर प्लान

विवरण	शहर का नाम (जोन)
विगत दो वर्षों में राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत किए गए मास्टर प्लान	1. कोटा नगरीय क्षेत्र का मास्टर प्लान–2031
	2. हनुमानगढ़–2035 (बीकानेर)
	3. सवाई माधोपुर–2035 (कोटा)
	4. श्रीगंगानगर–2036 (बीकानेर)
	5. सुजानगढ़–2036 (बीकानेर)
	6. गंगापुर सिटी–2035 (कोटा)
	7. डूंगरपुर–2036 (उदयपुर)
	8. पाली–2035 (जोधपुर)
	9. सरदारशहर–2036 (बीकानेर)
	10. नसीराबाद–2041 (अजमेर)

मास्टर प्लान

मास्टर प्लान किसी भी शहर के लिए लगभग 20 वर्षों के लिए कानूनी संरचनाओ के अन्तर्गत विकास का दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। राज्य के कुल 237 नगरपालिका शहरों/कस्बों में से 189 नगरपालिका शहरों/कस्बों के मास्टर प्लान तैयार किए जाकर राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किए जा चुके हैं। जिनमें चौमू, बगरू एवं बस्सी (नई नगरपालिका) का नगरीय क्षेत्र जयपुर विकास योजना –2025 में सम्मिलित है, टपूकडा व बर्डोद का नगरीय क्षेत्र ग्रेटर भिवाड़ी के मास्टर प्लान में सम्मिलित है और नीमराना का शहरी क्षेत्र शाहजहांपुर, नीमराना और भिवाड़ी (एसएनबी) के मास्टर प्लान में शामिल है। मास्टर प्लान तैयार करने की प्रगति तालिका 7.6, 7.7, 7.8 और 7.9 में दी गई है।

तलिका 7.7 राजस्थान शहरी सुधार अधिनियम, 1959 की धारा 3(1) के तहत निम्न नगरों के लिए शहरी क्षेत्र अधिसूचना जारी की गई है

क्र.सं	जोन	नगर का नाम
1.	अजमेर	डेगाना (संशोधित प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रेषित)
2.	अलवर	किशनगढ़बास, थानागाजी, रामगढ़, लक्ष्मणगढ़ एवं बानसूर
3.	भरतपुर	सिकरी, उच्चैन, बसेड़ी एवं रूपवास
4.	बीकानेर	लालगढ़–जाटन
5.	जयपुर	महुआ, खाटूश्यामजी, पावटा एवं मण्डावरी
6.	जोधपुर	भेपालगढ़ एवं जावल
7.	कोटा	ईटावा, सुल्तानपुर, अटरू एवं बामनवास
8.	उदयपुर	परतापुर–गढ़ी

तलिका 7.8 मास्टर प्लान जिनका क्षितिज वर्ष 2023 तक है और जिनके दूसरे मास्टर प्लान तैयार करने की प्रक्रिया चल रही है

क्र.सं	जोन	नगर का नाम
1.	अजमेर	डीडवाना एवं देवली
2.	अलवर	खैरथल
3.	भरतपुर	बाड़ी एवं डीग
4.	बीकानेर	बीकानेर, सूरतगढ़, अनूपगढ़ एंव पीलीबंगा
5.	जयपुर	शाहपुरा
6.	जोधपुर	फलौदी, भीनमाल एवं जालोर
7.	कोटा	कैथून, छबड़ा एवं अंता
8.	उदयपुर	सलूम्बर, कपासन, कुशलगढ़ एवं प्रतापगढ

तलिका 7.9 2021 एवं 2022 में गठित नवीन नगर पालिकाओं, जिनके मास्टर प्लान तैयार करने की प्रक्रिया चल रही है

क्र.सं	जोन	नगर का नाम
1.	अजमेर	बोरवाड़, जायल एवं बासनी
2.	अलवर	कोटकासिम, गोविन्दगढ़, बहादुरपुर, बरडोद, नीमराणा, टपूकड़ा एवं बडोदा–मेव
3.	भरतपुर	सरमथूरा एवं सपोटरा
4.	बीकानेर	हमीरगढ़, टिब्बी एवं खाजूवाला
5.	जयपुर	बस्सी, नरेना, मनोहरपुरा, मण्डावर, गुढ़ा, दांतारामगढ़ एवं अजीतगढ़
6.	जोधपुर	सिवाना, मारवाड़जंक्शन, रानीवाड़ा एवं बालेसर
7.	कोटा	बोली
8.	उदयपुर	सेमारी, ऋषभदेव एवं धरियावाद

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर)

- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के राजस्थान उप क्षेत्र में अलवर एवं भरतपुर जिले सम्मिलित हैं और इन जिलों की मसौदा क्षेत्रीय योजना – 2041 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड (एनसीआरपीबी) द्वारा जारी की गई थी। इसकी अंतिम अधिसूचना जारी होने के बाद दोनों जिलों के लिए राजस्थान उपक्षेत्रीय योजना–2041 तैयार की जाएगी।

- राजस्थान उप क्षेत्र की एनसीआर सैल, एनसीआरपीबी द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त परियोजनाओं यथा – जल आपूर्ति उन्नयन योजना को 5 कस्बों (अलवर, तिजारा, भिवाडी, बहरोड तथा राजगढ), सार्वजनिक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) की जिला अलवर की 38 सड़कों का चौड़ीकरण और उन्नयन, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड द्वारा पावर सब–स्टेशन की तैयारी से संबंधित परियोजनाएं आदि से संबंधित परियोजनाओं की नियमित निगरानी करता है।

- इनके अलावा एनसीआर सैल द्वारा जयपुर (काउंटर मैगनेट) में द्रव्यवती नदी परियोजना एवं विभिन्न आरओबी, आरयूबी आदि परियोजनाओं का समन्वय/निगरानी कार्य किया जा रहा है।

- एनसीआर सेल अलवर और भरतपुर जिलों के प्रशासन और स्थानीय निकायों के नियोजन मामलों में तकनीकी सुझाव/सहायता भी प्रदान करता है।

स्वायत्त शासन विभाग

दीनदयाल अन्त्योदय योजना–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई–एन.यू.एल.एम)

स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एस.जे.एस.आर.वाई.) का पुनर्गठन कर उसका नाम दीनदयाल अन्त्योदय योजना–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डी.ए.वाई.–एन.यू.एल.एम.) कर दिया गया है। राजस्थान में यह योजना 213 नगरीय निकायों में लागू है। डी.ए.वाई.–एन.यू.एल.एम. के प्रमुख घटक निम्नानुसार हैं:–

- क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण (सी.बी. एवं टी.)
- सामाजिक जुड़ाव और संस्थागत विकास (एस.एम. एवं आई.डी.)
- कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से रोजगार व प्लेसमेंट (ई.एस.टी. एवं पी.)
- शहरी पथ विक्रेताओं को सहायता (एस.यू.एस.वी.)
- शहरी बेघरों के आश्रय की योजना (एस.यू.एच.)
- स्वरोजगार कार्यक्रम (एस.ई.पी.)
- अभिनव और विशेष परियोजनाएं

इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2022–23 में ₹40.53 करोड़ प्राप्त हुए हैं और ₹32.01 करोड़ नवम्बर, 2022 तक व्यय किए गए हैं। वर्ष 2022–23 (नवम्बर, 2022 तक) की प्रगति तालिका 7.10 में दी गई है।

तालिका: 7.10 वर्ष 2022–23 में (डीएवाई–एन.यू.एल.एम) के अन्तर्गत प्रगति

घटक	ईकाई	प्रगति
स्वयं सहायता समूहों का गठन	संख्या	2043
स्वयं सहायता समूहों को रिवाल्विंग फंड	संख्या	2150
युवाओं को प्रशिक्षण	संख्या	12491
स्वरोजगार हेतु ऋण	संख्या	1316

छोटे एवं मध्यम कस्बों में शहरी आधारभूत ढांचे की विकास योजना (यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी)

छोटे एवं मध्यम कस्बों में केन्द्र सरकार द्वारा आधारभूत सुविधाएं शहरी गरीबों को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह योजना प्रारम्भ की गई है। यह योजना जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन (जे.एन.एन.यू.आर.एम.) में चयनित शहरों/कस्बों को छोड़कर सभी शहरों/कस्बों पर लागू की गई है। शहरी विकास मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा अमृत योजना के अनुसार इस योजना में प्रगति वाली 11 परियोजनाओं मे हिस्सा राशि 60:20:20 (केन्द्र:राज्य:यू.एल.बी.) कर दी है। इस योजना के क्रियान्वयन हेतु राज्य में राजस्थान शहरी पेयजल, सीवरेज एवं आधारभूत निगम (आर.यू.डी.एस.आई.सी.ओ.) को नोडल एजेन्सी बनाया गया है। 12 शहरों में 11 सीवरेज परियोजनाएं और 1 जल आपूर्ति परियोजना सहित राशि ₹646.24 करोड़ की 12 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। 11 सीवरेज परियोजनाओं का संचालन चिड़ावा, नवलगढ़, सूरतगढ़, भादरा, लक्ष्मणगढ़, जैतारण, रामगढ़ शेखावाटी, निम्बाहेड़ा, बडी सादड़ी, फतेहनगर सनवाड और कुशलगढ़ एवं जलापूर्ति परियोजना का संचालन केकड़ी में किया जा रहा है। स्वीकृत राशि के विरुद्ध कुल ₹567.93 करोड़ की राशि खर्च की जा चुकी है।

राजीव आवास योजना (आर.ए.वाई.)

योजनान्तर्गत अजमेर शहर के स्लम फ्री सिटी प्लान ऑफ एक्शन (एस.एफ.सी.पी.ओ.ए.) को भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किया जा चुका है एवं जयपुर, जोधपुर, कोटा, भरतपुर, बीकानेर, अलवर, प्रतापगढ़ एवं चित्तौड़गढ़ के स्लम फ्री सिटी प्लान ऑफ एक्शन (एस.एफ.सी.पी.ओ.ए.) का प्रारूप तैयार किया जा चुका है। योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा 16 शहरों के लिए ₹903.15 करोड़ की 19 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं, जिनमें कुल 16,132 आवासों का निर्माण करने के साथ–साथ आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएगी। स्वीकृत 16,132 आवासों में से इस योजना के अन्तर्गत 7,065 आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है और 3,666 आवासों का आवंटन किया जा चुका है। योजनान्तर्गत स्वीकृत परियोजनाओं को भारत सरकार द्वारा ''सबके लिये आवास'' में सम्मिलित किया जा चुका है।

राजस्थान अरबन डवलपमेंट फण्ड– द्वितीय (आर.यू.डी.एफ.।।)

राजस्थान शहरी विकास निधि–द्वितीय का गठन 25 अगस्त, 2021 को हुडको/वित्तीय संस्थानों/बैंक से ऋण प्राप्त करने, राज्य सरकार से विशेष/अतिरिक्त अनुदान प्राप्त करने के प्रावधान के साथ किया गया है। सभी यूएलबी, विकास प्राधिकरण, शहरी सुधार ट्रस्ट और राजस्थान हाउसिंग बोर्ड भी फंड में योगदान देंगे।

सात सीवरेज परियोजनाएं

राजस्थान सरकार द्वारा 7 शहरों (बांसवाड़ा, फतेहपुर शेखावाटी, श्रीगंगानगर, नाथद्वारा, बालोतरा, डीडवाना, मकराना) में सीवर लाईन एवं ट्रीटमेन्ट प्लांट हेतु ₹472.44 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है, जिसके विरूद्ध ₹466.41 करोड़ का व्यय अब तक हो चुका है।

स्मार्ट सिटीज मिशन

भारत सरकार द्वारा जून, 2015 में स्मार्ट सिटीज मिशन लागू किया गया, जिसके अन्तर्गत मुख्य बुनियादी सुविधा वाले शहरों में नागरिकों को अच्छी गुणवता वाला जीवन, स्वच्छ एवं सतत् पर्यावरण तथा शहरों के विकास के लिये स्मार्ट सोल्यूशन उपलब्ध कराना है। इस मिशन का उद्देश्य 5 वर्षों की अवधि में 100 शहरों को सम्मिलित करना है। भारत सरकार द्वारा अनुदान के रूप में प्रत्येक शहर के लिए ₹100 करोड़ प्रतिवर्ष एवं इसके समान ही राशि राज्य सरकार/नगरीय निकाय द्वारा पाँच वर्ष के लिए दी जाएगी। राजस्थान के 4 शहरों– जयपुर, उदयपुर, कोटा एवं अजमेर को स्मार्ट शहर बनाने के लिए सूची में सम्मिलित किया गया। नवम्बर, 2022 तक, योजनान्तर्गत कुल प्राप्त राशि ₹3,530 करोड़ के विरूद्ध ₹3,141.17 करोड़ का व्यय किया गया है।

स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत जलापूर्ति, चिकित्सा एवं शिक्षा सुविधाओं का विकास, पार्कों का विकास, ओपन एयर जिम, फायर रेस्क्यू जीप और बाइक, स्मार्ट रोड, स्मार्ट टॉयलेट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम और पार्किंग स्पेस की स्थापना की जा रही है। उपलब्ध कोष और व्यय का विवरण तालिका–7.11 में दिया गया हैं।

तालिका 7.11: उपलब्ध कोष एवं व्यय की स्थिति (₹करोड) नवम्बर, 2022 तक

शहर	कुल अंश					राशि उपलब्ध					व्यय
	केन्द्र सरकार (50 प्रतिशत)	राज्य सरकार (30 प्रतिशत)	संबधित स्थानीय निकाय (10 प्रतिशत)	संबधित नगर विकास न्यास/विकास प्राधिकरण (10 प्रतिशत)	कुल	केन्द्र सरकार	राज्य सरकार	संबधित स्थानीय निकाय	संबधित नगर विकास न्यास/ विकास प्राधिकरण	कुल	
जयपुर	500	300	100	100	1000	441	240	80	80	841	776.83
उदयपुर	500	300	100	100	1000	490	300	100	95	985	849.25
अजमेर	500	300	100	100	1000	441	240	90	92	863	760.98
कोटा	500	300	100	100	1000	441	240	80	80	841	754.11
कुल	2000	1200	400	400	4000	1813	1020	350	347	3530	3141.17

अमृत मिशन

केन्द्र सरकार द्वारा माह जून, 2015 में अटल मिशन रिजुवेनेशन एवं अरबन ट्रांसफोरमेशन (अमृत) योजना आरम्भ की गई। अमृत योजना के अन्तर्गत राजस्थान में कुल 29 शहरों यथा– अलवर, ब्यावर, सीकर, नागौर, भिवाड़ी, पाली, सवाईमाधोपुर, टोंक, हनुमानगढ़, बून्दी, सुजानगढ़, धौलपुर, गंगापुरसिटी, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, श्रीगंगानगर, चूरू, झुन्झुनूं, बारां, किशनगढ़, हिण्डौनसिटी, जयपुर, जोधपुर, अजमेर, कोटा, बीकानेर, उदयपुर, भरतपुर एवं झालावाड़ को चयनित किया गया है। जलापूर्ति, सीवरेज और सेप्टेज प्रबन्धन, नालियां एवं हरित स्थलों की इस मिशन के अन्तर्गत पहचान की गई हैं।

मार्च, 2023 तक मिशन अवधि के लिए कुल परियोजना लागत ₹3,223.94 करोड़ है। अब तक कुल ₹1,461.82 करोड़ केंद्र सरकार और ₹874.75 करोड़ राज्य सरकार का हिस्सा प्राप्त हो चुका है और अधिकतम राशि संबंधित यूएलबी/पैरास्टेटल एजेंसियों को जारी कर दी गई है।

शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी) अनुदान राशि ₹98.06 करोड़ प्राप्त हुई थी और इसे यूएलबी शेयर के रूप में संबंधित यूएलबी को स्थानांतरित कर दिया गया है। कुछ यूएलबी ने अपने यूएलबी हिस्से को अपने स्रोतों से वहन किया है। राजस्थान शहरी विकास निधि से ₹78.06 करोड़ का ऋण स्वीकृत किया गया है। नवम्बर, 2022 में केन्द्र सरकार को कुल ₹2,246.31 करोड़ का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है। वर्तमान में चल रहे कार्यों की भौतिक प्रगति 94 प्रतिशत एवं वित्तीय प्रगति 86 प्रतिशत है।

अमृत 2.0

अमृत 2.0 योजनान्तर्गत सीवरेज, जल निकायों के जीर्णोद्धार एवं जलापूर्ति के कार्य करवाए जाने है जिसके लिए केंद्रीय सहायता 3,530 करोड़ है। 13 शहरों में ₹1,332.36 करोड़ की सीवरेज परियोजना, 19 शहरों में ₹85.83 करोड़ की लागत से 25 जल निकाय कायाकल्प कार्यों को अमृत 2.0 की दूसरी राज्य उच्च शक्ति स्थायी समिति (एसएचपीएससी) में मंजूरी दी गई थी। अमृत 2.0 के तीसरे एसएचपीएससी में ₹1,968.70 करोड़ के 13 शहरों में सीवरेज परियोजना, ₹55.74 करोड़ के 11 शहरों में 12 जल निकाय कायाकल्प कार्य और ₹4,542.71 करोड़ के 178 शहरों में जलापूर्ति कार्य स्वीकृत किए गए। केंद्र सरकार ने सीवरेज के लिए ₹88.81 करोड़ और जल निकाय कायाकल्प कार्य के लिए ₹6.71 करोड़ की केंद्रीय सहायता की पहली किश्त (20 प्रतिशत) जारी कर दी है।

एल.ई.डी. लाईट परियोजना

राजस्थान मे स्ट्रीट लाईट के क्षेत्र में ऊर्जा बचत करने के लिये ''एनर्जी सेविंग प्रोजेक्ट'' प्रारम्भ किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य सड़कों पर रोशनी के स्तर में वृद्धि तथा विद्युत उपभोग मे कमी करना है। 190 स्थानीय निकायों में एलईडी लाईट लगाने का काम लगभग पूर्ण हो चुका है और एक स्थानीय निकाय में कार्य प्रगति पर है। नवम्बर, 2022 तक राजस्थान में 11.84 लाख एलईडी लाइटें लगाई गई हैं।

स्वच्छ भारत मिशन (शहरी)

स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) का उद्देश्य सार्वजनिक भागीदारी, व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों (आईएचएचएलएस), सामुदायिक/सार्वजनिक शौचालयों, मूत्रालयों और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के निर्माण के माध्यम से पूरे भारत में स्वच्छता के बेहतर स्तर को प्राप्त करना है। यूएलबी की प्रगति रिपोर्ट के अनुसार अब तक 3.68 लाख व्यक्तिगत घरेलू शौचालय (आईएचएचएलएस), 22,547 सामुदायिक/सार्वजनिक शौचालयों (सीटी/पीटी) का कार्य पूरा किया जा चुका है। राजस्थान के सभी यूएलबी को खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) घोषित किया गया है और भारत सरकार द्वारा प्रमाणित भी किया जा चुका है। मिशन परिव्यय के अनुसार भारत सरकार द्वारा ₹611.34 करोड़ जारी किए गए हैं और ₹314.61 करोड़ राज्य के बराबर का हिस्सा केंद्रीय शेयर में शामिल किया गया है और यूएलबी को फंड वितरित किया गया है। यूएलबी द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0

मिशन अक्टूबर, 2021 में लॉन्च किया गया था, मिशन की अवधि 5 वर्ष है। एसबीएम (यू) 2.0 के मुख्य घटक शौचालय निर्माण यानी व्यक्तिगत घरेलू शौचालय (आईएचएचएल),

इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना: शहरी क्षेत्रों में निवास करने वाले परिवारों को प्रतिवर्ष 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराने के लिये इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना लागू की गयी है। इस योजना के तहत सालाना करीब ₹800 करोड़ खर्च किए जाएंगे। योजनान्तर्गत 213 निकायों में ₹675.80 करोड़ के 9,593 कार्यों को चिन्हित किया गया है। इस योजना के तहत 3,67,816 जॉब कार्ड जारी किए गए और 30 नवंबर, 2022 तक कुल 17,61,760 मानव दिवस सृजित किए गए।

सामुदायिक/सार्वजनिक शौचालय (सीटी/पीटी), मूत्रालय, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, प्रयुक्त जल प्रबंधन, आईईसी और सीबी हैं। मिशन अवधि के दौरान राज्य के लिए कुल आवंटन ₹1,765.80 करोड़ है, भारत सरकार से ₹47.84 करोड़ प्राप्त हुए हैं और राज्य के हिस्से का ₹31.56 करोड़ प्राप्त हुआ है। ₹1,779.46 करोड़ की कार्य योजना को राज्य स्तरीय तकनीकी समिति (एसएलटीसी) द्वारा अनुमोदित किया गया है और ₹848.09 करोड़ के केंद्रीय हिस्से को जारी करने के लिए आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) को प्रस्तुत किया गया है और तदनुसार एसबीएम (यू) 2.0 के दिशा–निर्देशों के अनुसार राज्य का अंश दिया जाएगा।

इंदिरा रसोई योजना

''कोई भूखा ना सोये'' की संकल्पना को साकार रूप देते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार द्वारा 20 अगस्त, 2020 को प्रदेश के सभी 213 नगरीय निकायों में 358 स्थायी रसोइयों के माध्यम से ''इंदिरा रसोई योजना'' का शुभारम्भ किया गया है। इन्दिरा रसोईयों की संख्या 1,000 बजट घोषणा के विरूद्ध 358 से बढ़ाकर 973 कर दी गई हैं, जिन पर प्रतिवर्ष ₹250 करोड़ खर्च कर 9.21 करोड़ भोजन थाली परोसी जा सकती है।

योजनान्तर्गत आमजन को 8 रूपये प्रति थाली में दो समय (दोपहर एवं रात्रिकालीन) का स्थायी रसोईयों में सम्मानपूर्वक बैठाकर शुद्ध व पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाया जा रहा है 30 नवम्बर, 2022 तक इस योजना के अन्तर्गत 8.36 करोड़ भोजन थाली परोसी जाकर जरूरतमन्दों को लाभान्वित किया जा चुका है एवं इन्दिरा रसोईयों के माध्यम से कोरोना महामारी के दौरान 72 लाख जरूरतमन्दों को निःशुल्क भोजन वितरण तथा बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों, प्रतियोगी परीक्षाओं, पुलिस भर्ती, सैनिक भर्ती, मेले इत्यादि के समय भोजन उपलब्ध करवाया गया।

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)

इस योजना का उद्देश्य बेघर आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग (वार्षिक आय ₹3.00 लाख) व अल्प आय वर्ग (वार्षिक आय ₹3.00 से ₹6.00 लाख) के परिवारों को सस्ते आवास उपलब्ध करवाना है। राज्य में केंद्र सरकार द्वारा कुल 1,04,779 घरों को स्वीकृति दी गई है, जिनमें से 33,580 घरों को "अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप (ए.एच.पी.) (एएचपी)" घटक के तहत और 71,199 घरों को "लाभार्थी के नेतृत्व वाले व्यक्तिगत घर निर्माण (बीएलसी)" घटक के तहत स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा, ऋण में अनुदान घटक के तहत डवलपर की निजी भूमि पर संबंधित विकास प्राधिकरण/ विकास ट्रस्ट/नगर निकाय/हाउसिंग बोर्ड द्वारा "क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (सीएलएसएस)" घटक के तहत 1,51,749 आवास स्वी.त किए गए हैं। इस प्रकार प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत कुल 2,56,528 आवास स्वी.त किये गये हैं। स्वीकृत आवासों में से 56,668 आवास निर्माणाधीन हैं तथा 1,25,500 आवास पूर्ण हो चुके हैं।

राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि

राज्य में सुव्यवस्थित, सुरक्षित, प्रदूषण रहित, द्रुतगामी एवं सुगम शहरी यातायात प्रबंधन हेतु वित्तीय वर्ष 2011–12 में राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि (आर.टी.आई.डी.एफ.) का गठन किया गया था। उक्त निधि में उपलब्ध कुल राशि का उपयोग यातायात प्रबंधन से जुडे विभाग/निकाय/ कंपनी एवं निगमों को अनुदान एवं ऋण राशि उपलब्ध करवाये जाने हेतु किया जा रहा है। उक्त निधि में वित्तीय वर्ष 2011–12 से 2021–22 (30 सितम्बर, 2022) तक कुल ₹4,900.96 करोड़ संग्रहित की गई है, जिसमें से नवम्बर, 2022 तक ₹3,579.42 करोड़ व्यय किए जा चुके है।

रोड ओवर ब्रिज (आरओबी)/रोड अंडर ब्रिज (आरयूबी):

कुल लागत ₹1,708.59 करोड़ (राज्यांश ₹1,061.34 करोड़ एवं रेलवे अंशदान ₹647.25 करोड़) के 59 आरओबी/आरयूबी अनुमोदित किये गये है जिनमें से नवम्बर, 2022 तक 42 आरओबी/आरयूबी का कार्य पूर्ण हो चुका है।

स्वायत्त शासन विभाग द्वारा किये गये नवाचार:

- **प्रशासन शहरो के संग अभियान:** आम नागरिकों की नगरीय निकायों से जुड़ी समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में 02 अक्टूबर, 2021 से प्रशासन शहरो के संग अभियान का शुभारम्भ किया गया है। अभियान में नवम्बर, 2022 तक 3,74,386 पट्टे वितरित (कृषि भूमि पर 1,46,257, 69–ए के 1,44,211, कच्ची बस्ती नियमन 7,478, स्टेट ग्राण्ट एक्ट के 47,994, ईडब्ल्यूएस/एलआईजी के 1,493, पूर्व में जारी पट्टों के समर्पण के पश्चात् पुनः पट्टे 26,953) वितरित किये गये हैं।
- 31 दिसम्बर, 2018 तक निर्मित सम्पत्तियों पर राजस्थान नगरपालिका अधिनियम की धारा 69–ए के तहत राशि ₹501 में पट्टा, कृषि भूमि पर बसी कॉलोनियों में पट्टे देने की दर पर 75 प्रतिशत तक की छूट एवं भवन निर्माण अनुज्ञा शुल्क, भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क, उपविभाजन /पुनर्गठन शुल्क, नाम हस्तांतरण शुल्क में भारी छूट दी गई है।
- **इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना:** इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत शहरी क्षेत्र के 5 लाख स्ट्रीट वैण्डर्स को ₹50,000 का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। 30 नवम्बर, 2022 तक 1,76,849 लाख लाभार्थियों के आवेदन बैंकों को भेजे जा चुके हैं और 43,220 लाभार्थियों को ₹160 करोड़ वितरित किए जा चुके हैं।

स्थानीय निकाय विभाग द्वारा राज्य के शहरी नागरिकों को ऑनलाइन सेवायें प्रदान की जा रही है, जो निम्नानुसार हैं:– स्वायत्त शासन विभाग द्वारा राज्य में आम जन की सुविधा हेतु विभाग से सम्बन्धित सेवाओं यथा ट्रेड लाईसेंस, ऑटो रिन्युवल यू.डी.टैक्स, फायर एन.ओ.सी., भवन निर्माण स्वीकृति, सीवर कनेक्शन, मोबाईल टॉवर, साईनेज लाईसेन्स, 90–ए भू–रूपान्तरण, प्रौपर्टी आईडी, नाम हस्तानान्तरण, लीज डीड (पट्टा), उप विभाजन एवं पुनर्गठन, लीज राशि जमा आदि के ऑनलाइन पोर्टल तैयार किये जाकर उक्त समस्त सेवायें विभाग द्वारा ऑनलाईन माध्यम से प्रदान की जा रही है।

आरयूआईडीपी तृतीय चरण : 12 शहरों यथा पाली, झुन्झुनू, श्रीगंगानगर, टोंक (सीवरेज एवं जलप्रदाय कार्य) एवं भीलवाडा, बीकानेर, सवाईमाधोपुर, उदयपुर, माउन्टआबू, झालावाड–पाटन, कोटा (सीवरेज) तथा बांसवाडा में ₹3,490 करोड़ के ड्रेनेज कार्य करवाये जा रहे है, जिसमें से पाली में जलप्रदाय, उदयपुर में सीवरेज, झुन्झुनू में सीवरेज एवं जलप्रदाय, उदयपुर में सीवरेज कार्य तथा बांसवाडा में ड्रेनेज कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं। पाली में सीवरेज और जलापूर्ति का कार्य, सवाई माधोपुर और माउंट आबू में सीवरेज का कार्य पूर्ण होने की संभावना है। भीलवाड़ा और कोटा में भी सीवरेज का कार्य पूर्ण होने की संभावना है। बीकानेर और झालावाड़ में सीवरेज का कार्य और श्रीगंगानगर में जलापूर्ति और सीवरेज का काम मार्च, 2023 (हाउस सीवर कनेक्शन को छोड़कर) तक पूर्ण होने की संभावना है। परियोजना पर अब तक ₹2,982.29 करोड़ की राशि खर्च की जा चुकी है। इन कार्यो से 18 लाख लोग लाभान्वित होगें।

आरयूआईडीपी चतुर्थ चरण ट्रेंच–। : 14 शहरों यथा सिरोही, आबूरोड, सरदारशहर, बांसवाडा, खेतडी, मण्डावा, कुचामन (सीवरेज एवं जलप्रदाय कार्य) एवं रतनगढ, फतेहपुर, प्रतापगढ़, लाडनूं, डीडवाना, मकराना (सीवरेज कार्य) तथा लक्ष्मणगढ़ में ₹3,076.63 करोड़ के जलप्रदाय कार्य प्रगतिरत है। 14 शहरों में फीकल स्लज और सैप्टेज मैनेजमेंट के लिए ₹45.65 करोड़ प्रदान किए गए है। परियोजना पर नवम्बर, 2022 तक ₹1,020.21 करोड़ का व्यय किया जा चुका है।

आरयूआईडीपी चतुर्थ चरण ट्रेंच–।।: आरयूआईडीपी चतुर्थ चरण ट्रेंच–।। के तहत, एशियाई विकास बैंक (ए.डी.बी) से ऋण कार्य की लागत लगभग ₹2,230 करोड़ से 24 शहरों में आधारभूत आवश्यकता के अनुसार, सीवरेज, जलप्रदाय, शहरी

सौंदर्यीकरण एवं फीकल स्लज एण्ड सैप्टेज मैनेजमेंट (एफएसएसएम) आदि के कार्य कराये जायेंगे। इस परियोजना के तहत अब तक ₹995 करोड़ के कार्यादेश जारी किए जा चुके हैं, जिसमें जोधपुर में सीवरेज कार्य, नोखा, बूंदी, डूंगरपुर एवं सागवाड़ा में सीवरेज व जलापूर्ति कार्य तथा निंबाहेड़ा व नाथद्वारा में जलापूर्ति कार्य शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, लगभग ₹569 करोड़ (सीवरेज–भरतपुर, ड्रेनेज–जोधपुर, नवलगढ़, रतनगढ़, बूंदी, भवानीमंडी और भरतपुर शहर में सौंदर्यीकरण कार्य) लागत की बोलियां प्राप्त हुई हैं जिनका मूल्यांकन किया जा रहा है। सागवाड़ा एवं जैसलमेर में शहर के सौंदर्यीकरण कार्य तथा बाड़मेर एवं बालोतरा में सीवरेज/जलापूर्ति कार्यों के लिए ₹316 करोड़ की राशि की बोलियां आमंत्रित एवं प्राप्त की जानी हैं। शेष कार्यों की डीपीआर एडीबी के अनुमोदन के अधीन हैं। चतुर्थ चरण के कार्यों से 49.9 लाख की आबादी लाभान्वित होगी।

शहरी जल आपूर्ति

राज्य में 33 जिला मुख्यालयों सहित 228 शहर/कस्बे हैं। राजस्थान के सभी 228 शहरी कस्बों को पाईप पेयजल आपूर्ति प्रणाली (जिनमें घरेलू जल कनेक्शन दिए हुए हैं) द्वारा कवर किया गया है। इन सभी शहर/कस्बों में से 32 प्रतिशत शहर/कस्बे सतही जल स्रोत एवं 44 प्रतिशत शहर/कस्बे भूगर्भीय जलस्रोत पर आधारित हैं शेष 24 प्रतिशत शहर/कस्बे सतही एवं भूगर्भीय दोनों जलस्रोतों पर आधारित हैं। राज्य के सात प्रमुख शहर यथा– जयपुर, अजमेर, जोधपुर, बीकानेर, भरतपुर, कोटा एवं उदयपुर में स्थाई सतही जलस्रोत से पेजयल आपूर्ति की जा रही है। राज्य के अन्य शहरों/कस्बों में अत्यधिक भू–जल दोहन एवं भू–जल के कम संरक्षण होने से स्थानीय पेयजल स्रोतों में कमी होने के कारण पेयजल की समस्या है। इसके अलावा, सरकार ने भूगर्भीय जलस्रोत पर निर्भरता को कम करने के लिए भूगर्भीय जलस्रोत से सतही जल स्रोतों में जल आपूर्ति योजनाओं को स्थानांतरित करने के लिए एक नीतिगत निर्णय लिया है।

वृहद् पेयजल योजनाओं के अतिरिक्त राज्य में शहरी क्षेत्र में पेयजल के दीर्घकालीन स्थाई समाधान हेतु पेयजल योजनाएं स्वीकृत, क्रियान्वित एवं प्रस्तावित भी की जा रही हैं। सीमित पेयजल के कारण उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने के लिए, प्रत्येक वर्ष गर्मियों की अवधि में उन क्षेत्रों में पेयजल परिवहन किया जाता है, जो जल आपूर्ति योजनाओं में सम्मिलित नहीं है या सुदूर क्षेत्रों, जहां ग्रीष्मकाल में जलापूर्ति घट जाती है। शहरी क्षेत्रों में किए गए पेयजल परिवहन का वर्षवार विवरण तालिका–7.12 में दर्शाया गया है।

तालिका: 7.12 शहरी क्षेत्र में पेयजल परिवहन

वर्ष	पेयजल परिवहन किए गए शहरों/कस्बों की संख्या
2019-20	60
2020-21	52
2021-22	56
2022-23*	76

*नवम्बर, 2022 तक

राजस्थान में जल की आपूर्ति के लिए कई एजेंसियां/सरकारी विभाग उत्तरदायी हैं। इनमें यूएलबी, यूडीएच, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (पीएचईडी), विकास प्राधिकरण/यूआईटी और राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास निवेश कार्यक्रम (आर.यू.एस.डी.आई.पी) शामिल हैं।

शहरी क्षेत्र में नल कूप एवं हैंड पम्प निर्माण:

राज्य के अधिकांश कस्बे पेयजल आपूर्ति हेतु भूजल पर निर्भर हैं। पिछले 4 वर्षों में स्थापित नलकूपों और हैंड पंपों की स्थिति तालिका–7.13 में दर्शाई गई है।

तालिका:– 7.13 नलकूप एवं हैंडपम्प की स्थापना

वर्ष	नलकूपों की संख्या	हैंडपम्पों की संख्या
2019-20	1275	609
2020-21	658	438
2021-22	511	198
2022-23*	624	496

*दिसम्बर, 2022 तक

शहरी क्षेत्र में हैण्डपम्प मरम्मत

जन–स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा राज्य के शहरी क्षेत्रों में स्थापित हैण्डपम्पों को कार्यशील बनाए रखकर पेयजल उपलब्ध कराने के लिए हैण्डपम्प मरम्मत अभियान चलाया गया है। वर्ष 2022–23 (31, दिसम्बर 2022 तक) में 25,771 हैण्डपम्पों की मरम्मत की गई है।

शहरी क्षेत्र में पूंजीगत कार्यों के लिए बजट प्रावधान एवं व्यय का विवरण (वृहद् पेयजल परियोजनाओं सहित)

शहरी क्षेत्र में पूंजीगत कार्यों के क्रियान्वयन के लिए विभाग की वार्षिक योजना के अनुसार केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा बजट उपलब्ध कराया गया है। वर्षवार बजट उपलब्धता एवं किए गए व्यय का विवरण तालिका–7.14 में दर्शाया गया है।

तालिका–7.14 बजट एवं व्यय का विवरण (₹करोड़ में)

वर्ष	उपलब्ध कुल बजट राशि	कुल व्यय
2019-20	788.00	627.15
2020-21	771.72	740.07
2021-22	790.01	675.13
2022-23*	1544.11	709.21

*दिसम्बर, 2022 तक

अध्याय 08

बुनियादी सामाजिक सेवाएं– शिक्षा एवं स्वास्थ्य

सामाजिक क्षेत्र का विकास राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देने के लिए उपलब्ध सर्वाधिक महत्वपूर्ण निवेशों में से एक है। इसी दृष्टि से राज्य सरकार वांछित प्राथमिकताओं के अनुरूप राज्य में सामाजिक क्षेत्र के विकास के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है। सामाजिक गतिविधियों के विकास में शिक्षा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण को काफी महत्वपूर्ण माना गया है। राज्य सरकार समाज के सभी वर्गों के सम्पूर्ण विकास के लिए प्रतिबद्ध है।

शिक्षा

शिक्षा अनेक माध्यम से राष्ट्रीय और व्यक्तिगत कल्याण में सुधार करने में योगदान करती है। हर दृष्टि से, शिक्षा विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण अंशदायी कारकों में से एक है। कोई भी देश मानवीय संसाधनों में सतत् निवेश के बिना सतत् आर्थिक और सामाजिक विकास प्राप्त नहीं कर सकता है। शिक्षा, स्वयं और दुनिया के लोगों के प्रति समझ को समृद्ध करती है। यह उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार के माध्यम से व्यक्तियों व समाज को व्यापक सामाजिक लाभ की ओर ले जाती है। शिक्षा लोगों की उत्पादकता एवं रचनात्मकता को बढ़ाती है, साथ ही उद्यमिता तथा तकनीकी विकास को भी बढ़ावा देती है।

राज्य सरकार शिक्षा के बेहतर विकास एवं शैक्षिक आधारभूत संरचना प्रदान करके लोगों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए ठोस प्रयास कर रही है। राज्य विभिन्न कार्यक्रमों/योजनाओं के माध्यम से शिक्षा की गुणवत्ता एवं सम्पूर्ण साक्षरता के लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु प्रयासरत् है।

प्रारम्भिक शिक्षा

प्रारम्भिक शिक्षा के क्षेत्र में, राज्य में 35,963 राजकीय प्राथमिक विद्यालय, 19,839 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं 15,522 प्रारम्भिक कक्षाओं वाले राजकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं। डाईस रिपोर्ट, 2021–22 के अनुसार राजकीय विद्यालयों में कुल 71.79 लाख विद्यार्थी नामांकित हैं। प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा में गत पाँच वर्षों की नामांकन एवं शिक्षकों की संख्या की (राजकीय विद्यालयों) स्थिति तालिका– 8.1, 8.2 एवं 8.3 में दर्शाई गई है।

तालिका–8.1 राजकीय प्राथमिक विद्यालय में नामांकन तथा शिक्षकों की संख्या

वर्ष	नामांकित विद्यार्थी (लाखों में)	शिक्षकों की संख्या (लाखों में)
2017-18	41.27	1.09
2018-19	41.70	1.45
2019-20	41.57	1.52
2020-21	42.13	1.49
2021-22	46.57	1.44

तालिका–8.2 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में नामांकन तथा शिक्षकों की संख्या

वर्ष	नामांकित विद्यार्थी (लाखों में)	शिक्षकों की संख्या (लाखों में)
2017-18	22.14	1.39
2018-19	21.20	1.08
2019-20	20.91	1.16
2020-21	22.51	1.17
2021-22	25.22	1.18

तालिका–8.3 राजकीय माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक विद्यालय में नामांकन तथा शिक्षकों की संख्या

वर्ष	नामांकित विद्यार्थी (लाखों में)	शिक्षकों की संख्या (लाखों में)
2017-18	21.16	1.00
2018-19	22.85	1.26
2019-20	23.47	1.29
2020-21	25.59	1.34
2021-22	27.97	1.31

निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण योजनाः इस योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार राज्य पाठ्य पुस्तक मण्डल, जयपुर के माध्यम से सभी राजकीय विद्यालयों में कक्षा—1 से 8 तक के विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करवा रही हैं। वित्तीय वर्ष 2022—23 में प्राप्त बजट ₹90 करोड़ की राशि में से नवम्बर, 2022 तक ₹50.53 करोड़ का व्यय किया गया है तथा 2.08 करोड़ पुस्तकों का वितरण किया गया है।

विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजनाः यह योजना राज्य के सभी राजकीय विद्यालयों के कक्षा—1 से 8 तक विद्यार्थियों तथा कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालयों, मेवात बालिका आवासीय विद्यालयों एवं वैकल्पिक शिक्षा के आवासीय विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए लागू है। वित्तीय वर्ष 2022—23 में उक्त योजना को राजस्थान चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में शामिल कर लिया गया है।

प्री—मेट्रिक छात्रवृत्तिः एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी., एस.बी.सी. और डी.टी.एन.टी सीमान्त क्षेत्र (ओ.बी.सी.) के छात्रों को प्री—मेट्रिक छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2022—23 में, इस योजना के अन्तर्गत ₹2,927.45 लाख आवंटन राशि के विरूद्ध नवम्बर, 2022 तक ₹305.08 लाख व्यय किए गए है।

विधवा/परित्यक्ता महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री सम्बल योजनाः इस योजना के अन्तर्गत निजी प्रशिक्षण संस्थानों में प्रारम्भिक शिक्षा में दो वर्षीय डिप्लोमा एजुकेशन (डी.एल.ईडी.) का अध्ययन करने वाली विधवा/परित्यक्ता महिलाओं को ₹9,000 की प्रतिपूर्ति प्रदान की जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022—23 में ₹40 लाख राशि का बजट आवंटन हुआ है जिसमें से माह नवम्बर, 2022 तक ₹10.98 लाख राशि का व्यय किया गया तथा 122 छात्राओं को लाभान्वित किया गया।

भामाशाह सम्मान समारोहः यह योजना 1 जनवरी, 1995 से विद्यालय के शैक्षिक, सह—शैक्षिक और भौतिक विकास में योगदान देने के उद्देश्य से दानदाताओं को प्रेरित करने के लिए शुरू की गई है। कोरोना महामारी के कारण विगत 03 वर्षों का समारोह माह अक्टूबर, 2022 में आयोजित किया गया। इस समारोह में कुल 246 दानदाताओं और 108 प्रेरकों को सम्मानित किया गया जिन्होंने पिछले तीन वर्षों (2019—20 से 2021—22) में कुल ₹252.57 करोड़ के योगदान के साथ शिक्षा के विकास में योगदान दिया है।

स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रमः इस कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के समन्वय से राजकीय एवं गैर राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है। राज्य में संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (यूनिसेफ) द्वारा किशोरी आयु की बालिकाओं (10—19 आयु वर्ग) के लिए एनिमिया नियंत्रण का एक अलग कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है।

बाल वाटिकाः राष्ट्रीय शिक्षा नीति—2020 में राजकीय विद्यालयों में बालवाटिका एवं पूर्व प्राथमिक कक्षाऐं प्रारम्भ किये जाने के संबंध में प्रावधान किये गये है। प्रारंभिक शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण बुनियादी साक्षरता एवं संख्याज्ञान की नींव को मजबूत करने के लिये बालवाटिका का संचालन एक सकारात्मक पहल है। बालवाटिका योजना के अन्तर्गत 04 से 06 वर्ष की आयु के ऐसे बच्चे जो पूर्व प्राथमिक शिक्षा से वंचित रहे है, उन्हें एक वर्षीय बालवाटिका मे अध्ययन करवाकर कक्षा—1 हेतु तैयार करने के लिये चरणबद्ध प्रयास किये जाने प्रस्तावित हैं। प्रथम चरण में राज्य के 33 जिलों, जहां आंगनबाड़ियों का समन्वय नहीं है, वहाँ बालवाटिका प्रारम्भ करने के लिये प्राथमिक शिक्षा के कुल 1,090 सरकारी विद्यालयों का चयन किया गया है।

एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रमः एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वतंत्रता की 75 वीं वर्षगाठ पर 'आजादी का अमृत महोत्सव' मनाया गया। इस कार्यक्रम के आयोजन के दौरान राज्य में दिनांक 12 अगस्त, 2022 को कुल 1,10,334 राजकीय/निजी विद्यालयों के एक करोड़ से अधिक विद्यार्थियों द्वारा निर्धारित समय अवधि में देशभक्ति गीतों का गायन प्रातः 10.15 से 11.15 बजे तक एक साथ गाकर कर विश्व रिकार्ड बनाया गया। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय एकता, अखण्डता एवं देश भक्ति की भावना के विकास हेतु विद्यार्थियों व शिक्षको के साथ—साथ विभाग के विभिन्न विभागों के कुल 85,433 अधिकारियों व कार्मिकों ने भी भाग लिया।

नेशनल एचीवमेन्ट सर्वे 2021ः एनसीईआरटी दिल्ली द्वारा शैक्षिक गुणवत्ता के आकलन हेतु पूरे देश में 12 नवम्बर, 2021 को नेशनल एचीवमेन्ट सर्वे 2021 कराया गया। इस सर्वे में कक्षावार सीखने के परिणामों के आधार पर किये गये छात्र आंकलन का राज्य रिपोर्ट कार्ड एनसीईआरटी द्वारा जारी किया गया है। रिपोर्ट कार्ड के अनुसार राजस्थान के सभी 33 जिलों ने शैक्षिक गुणवत्ता सुधार में भारी वृद्धि दर्ज की है। राजस्थान ने राष्ट्रीय स्तर पर प्रमुख स्थान प्राप्त किया है।

समग्र शिक्षा

समग्र शिक्षा समयबद्ध तरीके से प्रारम्भिक और माध्यमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण की उपलब्धि के लिए भारत सरकार का फ्लैगशिप कार्यक्रम है। योजना के मुख्य उद्देश्य, नीचे दिए गए हैं ।

- गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना और छात्रों के सीखने के परिणामों को बढ़ाना।
- स्कूल शिक्षा में सामाजिक और लैंगिक अन्तर को कम करना।
- स्कूल शिक्षा के सभी स्तरों पर समानता और समावेशन सुनिश्चित करना।
- स्कूली शिक्षा में न्यूनतम मानक सुनिश्चित करना।
- शिक्षा प्रणाली में व्यावसायिकता को बढावा देना।
- बच्चों के निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (आर.टी.ई.) अधिनियम–2009 के कार्यान्वयन में राज्य को सहयोग करना।
- शिक्षक प्रशिक्षण के लिए नोडल एजेन्सियों के रूप में राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एस.सी.ई.आर.टी)/राज्य शिक्षा संस्थान और जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डी.आई.ई.टी.) का सुदृढ़ीकरण और उन्नयन।

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के माध्यम से एकल राज्य क्रियान्वयन समिति (एस.आई.एस.) के रूप में राज्य में 'समग्र शिक्षा' लागू की जा रही है। योजना में केन्द्र व राज्य की वित्त सहभागिता 60:40 है।

निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009

निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 राज्य में दिनांक 1 अप्रैल, 2010 से लागू किया गया है। इस अधिनियम के अन्तर्गत निजी विद्यालयों में कमजोर वर्ग और वंचित वर्ग के बालकों/बालिकाओं के लिए 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित है। राज्य सरकार ने निजी विद्यालयों में 25 प्रतिशत निःशुल्क प्रवेश (राज्य के नियमों के आधार) की प्रभावी निगरानी एवं समय पर पुनर्भरण के लिए एक वेबपोर्टल (www.rajpsp.nic.in) विकसित किया है। वित्तीय वर्ष 2020–21 में आरटीई अधिनियम 2009 की धारा 12(सी) के अंतर्गत निजी स्कूलों में 25 प्रतिशत सीटों के प्रवेश के लिए आय सीमा ₹1.00 लाख से बढ़ाकर ₹2.50 लाख की गई है। राज्य सरकार द्वारा इन विद्यालयों को वर्ष 2021–22 की प्रथम एवं द्वितीय किस्त के रुप में नवम्बर, 2022 तक ₹416 करोड़ का पुनर्भरण किया गया है।

मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना

बजट घोषणा 2021–22 अनुसार कक्षा 1 से 8 तक राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत समस्त विद्यार्थियो को निःशुल्क यूनिफॉर्म फैब्रिक के 2 सैट दिये जाने की घोषणा की गई है। राज्य सरकार राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 1 से 8 तक के 67,58,177 विद्यार्थियों को निःशुल्क यूनिफॉर्म फैब्रिक उपलब्ध करवायेगी। जिसमें समग्र शिक्षा परियोजना अन्तर्गत 48,39,758 विद्यार्थियों (सभी छात्राओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं बीपीएल छात्रों) हेतु राशि ₹290.38 करोड़ अनुमोदित किये गये हैं, इसमें से केन्द्र सरकार व राज्य सरकार का अंश क्रमशः 60 प्रतिशत एवं 40 प्रतिशत है। शेष रहे 19,18,419 विद्यार्थियों (सामान्य वर्ग, ओ.बी.सी., एस.बी.सी. छात्रों) हेतु राज्य सरकार राशि ₹115.10 करोड़ राज्य मद से वहन कर रही है। राज्य सरकार विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म सिलाई हेतु राशि ₹94.61 करोड़ राज्य मद से उपलब्ध करवा रही है। इस प्रकार कक्षा 1 से 8 तक राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत समस्त विद्यार्थियों को निःशुल्क यूनिफॉर्म के 2 सैट वितरण हेतु कुल राशि ₹500.10 करोड़ में से राशि ₹325.87 करोड़ राज्य सरकार द्वारा वहन की जा रही है।

शिक्षा को बढ़ावा देने की पहल:

- 316 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (के.जी.बी.वी.) संचालित हैं और इन विद्यालयों में 40,460 बालिकाएं अध्ययनरत हैं। इस योजना में ₹20,578.45 लाख की स्वीकृत राशि के विरूद्ध ₹16,585.09 लाख जिलों को आवंटित किये जा चुके हैं।
- कभी भी नामांकित नहीं हुई एवं बीच में ही विद्यालय छोड़ देने वाली बालिकाओं को कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयो में नामांकित होने के लिए प्राथमिकता दी जाती है। इन बालिकाओं को ब्रिज कोर्स शिक्षण प्रदान किया जाता है, ताकि वे छठी कक्षा की बुनियादी दक्षता हासिल कर सकें।
- आकांक्षी जिलों के 18 केजीबीवी में सीएसआर गतिविधि अन्तर्गत ₹53.64 लाख राशि की स्वचालित रोटी मेकर मशीन स्थापित की गई।

- राज्य में 10 मेवात बालिका आवासीय विद्यालय संचालित हैं। ये आवासीय विद्यालय मेवात क्षेत्र में बालिकाओं के लिए स्थापित किए गए हैं, जो शैक्षिक रूप से अत्यधिक पिछड़े हैं। अलवर जिले में इन मेवात छात्रावासों का निर्माण मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत किया गया है। वर्ष 2022–23 में इन छात्रावासों में 471 बालिकाओं का नामांकन है, जबकि कुल प्रवेश क्षमता 1000 बालिकाओं की है। वर्ष के दौरान (नवम्बर, 2022 तक) शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वीकृत ₹445.30 लाख के विरूद्ध, स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा जिलों कों ₹286.09 लाख आवंटित किए गए हैं।

किशोरी बालिकाओं के लिए बालिका सशक्तिकरण कार्यक्रमः उक्त गतिविधि के लिए परिषद स्तर से जिलों को कुल ₹549.10 लाख जारी किए गए, जिसके अन्तर्गत निम्नलिखित गतिविधियां संचालित की गई–

- **शैक्षणिक किशोरी मेलाः** विज्ञान और गणित पर विशेष ध्यान देने के लिए बच्चों में शैक्षणिक वातावरण का निर्माण करने एवं रचनात्मक शिक्षण दृष्टिकोण विकसित करने के लिए पीईईओ (पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा कार्यालय), ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर शैक्षणिक किशोरी मेला का आयोजन किया गया। प्रत्येक मेले में गणित और विज्ञान पर आधारित विभिन्न खेलों के 25–30 शैक्षणिक स्टॉल लगाए गए हैं। 2022–23 में माह अक्टूबर में पीईईओ स्तर पर किशोरी शैक्षिक उत्सव का आयोजन किया गया जिसमें 2.50 लाख बालिकाओं ने भाग लिया और प्रत्येक पीईईओ स्तर पर ₹4,500 का बजट आवंटित किया गया। 11 अक्टूबर, 2022 को सभी जिलों में अन्तर्राष्ट्रीय बालिका दिवस का आयोजन किया गया। राज्य भर में शैक्षणिक, गैर शैक्षणिक एवं अन्य क्षेत्रों में विशेष उपलब्धि और रोल मॉडल वाली 3,300 बालिकाओं को सम्मानित किया गया।

- **मीना–राजू एवं गार्गी मंचः** समाज में सामाजिक मुद्दों पर जागरूकता पैदा करना यथा– बाल विवाह, दहेज प्रथा तथा बीच में पढ़ाई छोड़ चुकी, अनियमित एवं अनामांकित छात्राओं के माता–पिता को अपनी बेटियों को विद्यालय भेजने के लिए प्रेरित करने के लिए, कक्षा 6 से 8 में पढ़ने वाली बालिकाओं को शामिल कर 19,169 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में मीना–राजू मंच का गठन किया गया है और कक्षा 9 से 12 में पढ़ने वाली बालिकाओं को शामिल करके 15,360 माध्यमिक विद्यालयों में गार्गी मंच का गठन किया गया हैं। किशोरी शैक्षिक उत्सव आयोजन के संबंध में मीना–राजू एवं गार्गी मंच का गठन एवं संचालन, जेण्डर संवेदीकरण पर विषय आधारित एवं गतिविधि आधारित विभिन्न सत्रों के माध्यम से जिला स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जा चुके हैं। सत्र 2022–23 में राज्य स्तर पर मुख्य संदर्भ व्यक्तियों का चार दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण दिनांक 22 अगस्त से 01 सितम्बर, 2022 तक तीन चरणों में आयोजित किया गया, जिसमें राज्य के 33 जिलों के कुल 160 प्रशिक्षुओं ने प्रशिक्षण में भाग लिया। जिला स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम माह अक्टूबर, 2022 में आयोजित किया गया, जिसमें 2,408 मास्टर ट्रेनर को प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

- **बालिका शिक्षा हेतु नवाचारः** रानी लक्ष्मी बाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण "सक्षम" (लड़कियों के लिए आत्म–रक्षात्मक प्रशिक्षण), योजना बालिकाओं के नामांकन, ठहराव एवं सीखने की वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए लागू की गई है। राजस्थान पुलिस अकादमी के सहयोग से 91 केआरपी (की रिसोर्स पर्सन) को आत्मरक्षा प्रशिक्षिण से प्रशिक्षित किया जा चुका है। 1,432 मास्टर प्रशिक्षकों का जिला स्तरीय प्रशिक्षण तथा पीईईओ स्तर पर बालिकाओं हेतु आत्मरक्षा शिविर आयोजित किये गये जिसमें 2.50 लाख बालिकाओं को लाभान्वित किया गया। ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण माह नवम्बर, 2022 में आयोजित किये गये। इसके लिये परिषद स्तर पर जिलों को कुल ₹1,577.46 लाख आवंटित किये गये हैं।

- **सुरक्षित विद्यालय वातावरण निर्माणः** विद्यार्थियों को बाल अधिकारों एवं बाल संरक्षण के प्रति जागरूक कर विद्यालयों में सुरक्षित एवं समावेशी वातावरण का निर्माण एवं विद्यालय में जेण्डर संवेदी वातावरण एवं बहुआयामी व्यक्तित्व विकास हेतु मुख्य संदर्भ व्यक्ति हेतु राज्यस्तरीय चार दिवसीय आवासीय कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें 160 प्रशिक्षुओं ने भाग लिया। जिला स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम माह अक्टूबर, 2022 में आयोजित किया गया जिसमें 2,408 मास्टर ट्रेनर को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। साथ ही विद्यार्थियों में मादक पदार्थों के सेवन पर जागरूकता उत्पन्न करने की दृष्टि से प्रत्येक विद्यालय में नशे के दुष्प्रभाव एवं विधि प्रावधान से संबंधित फ्लेक्स/पोस्टर का निर्माण कर विद्यालयों में प्रदर्शित किया जाना है। इस हेतु प्रति विद्यालय ₹1000 की राशि 68,455 राजकीय विद्यालयों हेतु प्रदान की गई है। परिषद् स्तर से कुल ₹1,240.92 लाख जिलों को दिये जा चुके हैं और कुल 71,023 प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा चुका है।

- **ऑनलाईन सेफ्टी एवं डिजिटल लर्निंग कौशलः** विद्यार्थियों में डिजिटल लर्निंग के कौशल का विकास करने एवं उन्हें साईबर–क्राईम से बचाव के लिये तैयार करने हेतु प्रत्येक विद्यालय को गतिविधि आयोजन हेतु ₹500 प्रति विद्यालय की दर से राशि प्रदान की गई है। राजकीय विद्यालयों में दिनांक 30 नवम्बर, 2022 को साईबर सुरक्षा जागरूकता दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें साईबर सुरक्षा से जुड़ी हुई विभिन्न गतिविधियां आयोजित की गयी, इस हेतु परिषद् स्तर से जिलों को ₹342.275 लाख जारी किये जा चुके हैं। साथ ही डिजिटल लर्निंग कौशल विकास हेतु राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् द्वारा यूनिसेफ के माध्यम से संस्था साईबर पीस फाउन्डेशन द्वारा प्रत्येक ब्लॉक हेतु रिसोर्स पर्सन (ब्लॉक आर.पी., बालिका शिक्षा प्रभारी) के लिये एक दिवसीय ऑनलाईन आमुखीकरण का भी आयोजन किया गया है।

- **जेण्डर ऑडिटः** राज्य के 5 आंकाक्षी जिलों (बांरा, धौलपुर, करौली, सिरोही एवं जैसलमेर) एवं अधिक जैण्डर गैप वाले जिलों (अलवर, बाड़मेर, भरतपुर, जालौर, झालावाड़ एवं जोधपुर) में बालिकाओं की शिक्षा, ठहराव, नामांकन को शत प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने की दृष्टि से तथा वर्तमान सत्र में राज्य स्तर पर कार्ययोजना निर्धारण हेतु जिलों के साथ कार्यशाला आयोजित की गई है। परिषद् स्तर से विस्तृत दिशा–निर्देश जारी किये जा चुके हैं एवं कुल ₹351.65 लाख की वित्तीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है।

- **आदर्श विद्यालय योजनाः** राज्य में आदर्श विद्यालय योजनान्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत स्तर पर 9,886 माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों और शहरी क्षेत्रों में 289 विद्यालयों (कुल 10,175 विद्यालयों) को चिह्नित किया गया हैं, जिन्हें ''आदर्श विद्यालय'' के रूप में विकसित किया जा रहा है। राज्य में नई पंचायतों के पुनगर्ठन/नवसृजन को ध्यान में रखते हुए इस योजनान्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र के 10,424 विद्यालयों को चिह्नित किया गया है। ग्राम पंचायत का आदर्श विद्यालय पंचायत परिक्षेत्र के प्रारम्भिक शिक्षा के अन्य विद्यालयों के लिये मार्गदर्शी विद्यालय एवं संदर्भ केन्द्र के रूप में कार्य कर रहा है।

- **उत्कृष्ट विद्यालय योजनाः** राज्य में शिक्षा प्रणाली को सुदृढ़ करने एवं गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक शिक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उत्कृष्ट विद्यालय योजना को संबंधित ''आदर्श विद्यालय'' के परामर्श में उत्कृष्ट केंन्द्र के रूप में क्रियान्वित किया जा रहा है। इस योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत स्तर पर 8,549 प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों को नामित किया गया है, जिन्हें उत्कृष्ट विद्यालयों के रूप में विकसित किया जा रहा है। राज्य में नई पंचायतों के पुनगर्ठन/नवसृजन को ध्यान में रखते हुए इस योजनान्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र के 11,021 विद्यालयों को चिह्नित किया गया है।

- **पूर्व प्राथमिक शिक्षाः** राज्य में संचालित 42,554 ऑंगनबाडी केन्द्रों को शिक्षा विभाग द्वारा पोषण के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की उपलब्धता के उद्देश्य से राजकीय विद्यालयों के साथ समन्वित किया जा चुका है। उक्त समन्वित ऑंगनबाडी केन्द्रों में से 19,593 ऑंगनबाडी केन्द्र राजकीय विद्यालयों के परिसर/भवन में भौतिक रूप से समन्वित कर तथा शेष 22,961 ऑंगनबाडी केन्द्र विद्यालय परिसर की 500 मीटर की परिधि में स्थित संबंधित विद्यालय के प्रशासनिक नियंत्रण में संचालित किये जा रहे हैं। शिक्षा विभाग द्वारा समस्त समन्वित ऑंगनबाड़ी केन्द्रों की प्रभावी मॉनीटरिंग हेतु मेन्टर टीचर (प्रमुखतः महिला शिक्षक) नियुक्त किये गये हैं जो संबंधित संस्था प्रधान के सघन पर्यवेक्षण में सतत रूप से ऑंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं बच्चों को सम्बल प्रदान कर रहे हैं।

- **मॉडल विद्यालयः** राज्य के 186 आर्थिक दृष्टि से पिछड़े ब्लॉकों में से 27 जिलों के 134 ब्लॉकों में 134 स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल विद्यालय संचालित है। इन विद्यालयों में कुल 56,370 बालक–बालिकाऐं अध्ययनरत है। सत्र 2022–23 में 14 स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल विद्यालयों में 14 बालिका छात्रावास भी संचालित किये गये हैं। मॉडल विद्यालयों में कार्यरत कार्मिकों का वेतन आदि का भुगतान समग्र शिक्षा अन्तर्गत प्रावधित राशि में से किया जाता है। इस हेतु सत्र 2022–23 में ₹387 करोड़ का प्रावधान कार्मिकों को वेतन भुगतान हेतु एवं विद्यालय संचालन हेतु गतिविधि मद में राशि ₹860 लाख का प्रावधान किया गया है।

- **स्कूल प्रबन्धन सूचना प्रणाली (एकीकृत शाला दर्पण)ः** शाला दर्पण स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान का एक लाइव डेटाबेस प्रबंधन पोर्टल है, जहां सभी सरकारी

स्कूलों और शिक्षा कार्यालयों की जानकारी ऑनलाइन रखी जाती है और नियमित रूप से अपडेट की जाती है। वर्तमान में शाला दर्पण पर 47,542 प्राथमिक/उच्च प्राथमिक (प्रारम्भिक शिक्षा), 17,290 माध्यमिक/उच्च माध्यमिक (माध्यमिक शिक्षा) एवं 6,429 अन्य विद्यालयों तथा माध्यमिक शिक्षा के 58.94 लाख छात्रों एवं प्रारम्भिक शिक्षा के 32.44 लाख छात्रों का डेटा संकलित किया जाता है। साथ ही माध्यमिक शिक्षा के 2.24 लाख कार्मिकों एवं प्रारम्भिक शिक्षा के 1.71 लाख कार्मिकों का डेटा भी संकलित किया जाता है। सरकारी लाभकारी योजनाओं यथा ट्रांसपोर्ट वाउचर, निःशुल्क साईकल वितरण, निशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण, मुख्यमंत्री हमारी बेटीयां योजना, पालनहार योजना, मुख्यमंत्री राजश्री योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना, सभी प्रकार की प्री और पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति ऑनलाइन आवेदन और भुगतान की शाला दर्पण के माध्यम से मॉनिटरिंग की जा रही हैं ।

- **शाला सिद्विः** राष्ट्रीय स्कूल मानक एवं मूल्यांकन कार्यक्रम प्रारम्भिक एवं माध्यमिक स्तरों पर विद्यालय सुधार हेतु स्कूल मूल्यांकन व्यवस्था को स्थायी बनाने की पहल है। यह राज्य के राजकीय विद्यालयों में सतत् सुधार लाने का प्रयास है। नवम्बर, 2022 तक 11,684 विद्यालयों का मूल्यांकन कर ₹48.50 लाख का व्यय किया जा चुका है।

- **शिक्षक प्रदर्शन मूल्यांकन कार्यक्रमः** शिक्षा प्रणाली में गुणवत्ता सुधार के लिए शिक्षक प्रदर्शन मूल्यांकन कार्यक्रम शुरू किया गया है। समस्त शिक्षक अपने कार्य निष्पादन के साथ–साथ शिक्षण के दौरान आने वाले कठिनाईयों, चुनौतियों एवं शिक्षक प्रशिक्षण से संबंधित सूचना का इन्द्राज करते हैं। वर्ष 2022—23 में नवम्बर, 2022 तक 2,78,654 अध्यापकों/प्राध्यापकों द्वारा प्रपत्र भरा गया है।

- **शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमः** राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (एनईपी 2020) एवं निपुण भारत मिशन के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुये कक्षा 1—5 में अध्ययन कराने वाले शिक्षकों की बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान पर समझ विकसित करने के लिए 6 दिवसीय एफएलएन (बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान) प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसके अन्तर्गत 3,094 मुख्य सन्दर्भ व्यक्तियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। नवनियुक्त शिक्षकों के आमुखीकरण के लिए शुरुआती प्रशिक्षण का आयोजन किया जाता है, प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड द्वारा वर्ष 2022—23 में 16,213 मुख्य सन्दर्भ व्यक्ति एवं नवनियुक्त शिक्षकों का प्रशिक्षण अनुमोदित है। माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत 13,541 नवनियुक्त शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा चुका है तथा कक्षा 11 व 12 में अध्यापन कराने वाले व्याख्यातओं का ऑनलाइन प्रशिक्षण निष्ठा पोर्टल के माध्यम से कराया जाना है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2022—23 में नवम्बर, 2022 तक 1,40,170 अध्यापकों को एफएलएन प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रशिक्षित किया जा चुका है।

- **कार्य पुस्तिकाऐंः** कोविड—19 के दौरान हुये अधिगम अन्तराल को कम करने के लिए कक्षा 1—2 में नामांकित विद्यार्थियों के अभ्यास कार्य के लिए कक्षा स्तर की कार्यपुस्तिकाऐं एवं कक्षा 3—8 के विद्यार्थियों को ब्रिज कार्यक्रम अन्तर्गत हिन्दी, गणित एवं अंग्रेजी की कार्यपुस्तिकाऐं राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् द्वारा मुद्रण कराकर उपलब्ध कराई गई है। वर्ष 2022—23 में नवम्बर, 2022 तक 204 लाख कार्य पुस्तिकाऐं वितरित कर ₹8,708.62 लाख व्यय किये जा चुके हैं।

- **उपचारात्मक शिक्षण (कक्षा 9—12)ः** राजकीय विद्यालयों मे कक्षा 9—12 में नामांकित विद्यार्थियों के अधिगम स्तर में सुधार हेतु 60 घण्टे का उपचारात्मक शिक्षण कराया जाता है। उपचारात्मक शिक्षण अन्तर्गत सहायक सामग्री क्रय हेतु विद्यालयों को राशि आहरण की स्वीकृति दी जाती है। संबंधित विषय के विषयाध्यापकों के पद रिक्त होने की स्थिति में दिशानिर्देशानुसार योग्यताधारी व्यक्तियों को कार्य व्यवस्थार्थ लगाने के लिए मानदेय प्रदान किया जाता है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2022—23 में नवम्बर, 2022 तक ₹109.82 लाख व्यय किये गये है।

सामुदायिक गतिशीलता

- **एसएमसी/एसडीएमसी प्रशिक्षणः** स्कूल प्रबंधन समिति (एसएमसी)/स्कूल विकास और प्रबंधन समिति (एसडीएमसी) के सदस्यों में जागरूकता उत्पन्न करना और क्षमता विकास करना आवश्यक है ताकि वे विद्यालय प्रबंधन में अपनी अपेक्षित भूमिका का निर्वहन कर सकें। इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए राज्य के राजकीय विद्यालयों में एसएमसी/ एसडीएमसी (प्रत्येक विद्यालय में 5 अभिभावक सदस्य व 1 जन प्रतिनिधि) को दो दिवसीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 65,810 विद्यालयों के

लिए ₹3,000 प्रति विद्यालय की दर से कुल ₹1,974 लाख का प्रावधान किया गया है।

- **स्ट्रेन्थनिंग टीचिंग–लर्निंग एण्ड रिजल्ट फॉर स्टेट्स (स्टार्स) योजनाः** स्टार्स एक विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित परियोजना है, जिसे राजस्थान में स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता और प्रशासन में सुधार के लिए लागू किया जा रहा है। 15,697 उच्च माध्यमिक/माध्यमिक विद्यालयों में एसएमसी/एसडीएमसी को मजबूत करने के लिए कार्यशालाओं से संबंधित चार अभिनव गतिविधियाँ, स्कूल विकास योजना की तैयारी और समीक्षा, एक एक्सपोजर यात्रा और सर्वश्रेष्ठ एसएमसी/एसडीएमसी के लिए एक पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया। ये गतिविधियाँ एसएमसी/एसडीएमसी के सुदृढ़ीकरण में मील का पत्थर साबित होगी। इस हेतु ₹20,000 प्रति विद्यालयों की दर से ₹3,139.40 लाख स्वीकृत किए गए हैं।

समावेशी शिक्षा

विशेष आवश्यकता वाले बच्चों हेतु गतिविधियां (सी.डबल्यू.एस.एन.): कक्षा 1 से 12 तक के विशेष आवश्यकता वाले बालक–बालिकाओं को मुख्यधारा में लाने, समाज में उनके प्रति सकारात्मक सोच का निर्माण करने, भेदभाव को रोकने और उनकी अन्तर्निहित क्षमताओं एवं उनके अधिकारों को बढ़ाकर उन्हें प्रोत्साहित करने हेतु राज्य में एक समग्र शिक्षा प्रणाली विकसित की गई है। उनमें जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से समावेशी शिक्षा अन्तर्गत विभिन्न गतिविधियों का संचालन करके उन्हें चिकित्सा, कार्यात्मक और शैक्षिक सहायता प्रदान की जाती हैं। समावेशी शिक्षा अन्तर्गत विभिन्न गतिविधियों हेतु ₹3,159.01 लाख का प्रावधान है, जिसमें माह नवम्बर, 2022 तक ₹503.83 लाख का व्यय किया गया है।

नवाचार गतिविधि :

राज्य मॉडल संदर्भ कक्ष : समग्र शिक्षा के अन्तर्गत राजस्थान में दो राज्य मॉडल संदर्भ कक्ष, जयपुर एवं एससीईआरटी, उदयपुर में स्थापित किये जा रहे है, जिसमें योग्य पुनर्वास विशेषज्ञ द्वारा विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को शैक्षिक एवं चिकित्सकीय सेवाएं निःशुल्क प्रदान की जायेगी।

सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) गतिविधियाँः

- **क्लिक योजनाः** राजकीय माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों तथा स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 6 से 10 तक के विद्यार्थियों को क्लिक (व्यापक ज्ञान हेतु कम्प्यूटर साक्षरता पहल) योजना के माध्यम से कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।

- **दीक्षा राईज पोर्टलः** शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार एवं दीक्षा सेंट्रल पीएमयू के तत्वावधान में दीक्षा राईज पोर्टल का गठन किया गया हैं। इस पोर्टल के माध्यम से 3,524 ई–सामग्री वेब पोर्टल पर प्रकाशित की गई हैं।

- **राष्ट्रीय आविष्कार अभियान (आर.ए.ए.):** वित्तीय वर्ष 2022–23 में, राष्ट्रीय आविष्कार अभियान गतिविधियों के तहत विज्ञान प्रदर्शनियों/पुस्तक मेलों और विज्ञान और गणित के शिक्षकों की कार्यशालाओं के लिए सभी जिलों को कुल ₹51.00 लाख हस्तांतरित किए गए हैं। कक्षा 6 से 8 के छात्रों के लिए ₹33 लाख और कक्षा 6 से 12 के छात्रों के लिए ₹19.80 लाख के भीतर राज्य के दौरे के लिए जिलों को हस्तांतरित किए गए हैं। कक्षा 6 से 12 के छात्रों के एक्सपोजर विजिट के लिए कुल ₹33 लाख स्थानांतरित किए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2022–23 में राज्य में 6,020 उच्च प्राथमिक और 5,747 माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए विज्ञान और गणित किट प्रदान करने के लिए ₹15 करोड़ की राशि आवंटित की गई है।

वैकल्पिक स्कूली शिक्षा एवं औपचारिक शिक्षा प्रकोष्ठः

- **आवासीय/गैर आवासीय विशेष प्रशिक्षण शिविरः** 7 से 14 वर्ष की आयु के ऐसे बच्चे, जिन्होंने कभी नामांकन नहीं कराया है, जो बीच में विद्यालय छोड़ चुके हैं, या जिन्हें विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता है, उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए विशेष प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। उपयुक्त योग्यता स्तर विकसित करने के लिए उनकी आवश्यकता के अनुसार, जिला/ब्लॉक और सीआरसी (क्लस्टर रिर्सोस सेन्टर) स्तरों पर शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इन शिविरों में छात्रों की संख्या 15 से 29 तक है। वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए, इस गतिविधि के लिए बजट प्रावधान ₹329.95 लाख है।

- **सीजनल छात्रावासः** राज्य में बहुत से जिलों में आजिविका के लिए कई परिवार गृह जिले एवं राज्य से पलायन करते हैं। पलायन की स्थिति में बच्चों की

प्रारंभिक शिक्षा बाधित होती है, जिसके कारण उनकी पढ़ाई बीच में ही छूट जाती है। ऐसे छात्रों को अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने का अवसर प्रदान करने के लिए एसएमसी द्वारा आवश्यकता के आधार पर प्रवासी छात्रावास चलाए जा रहे हैं। इस गतिविधि के तहत ₹ 100 लाख का वित्तीय प्रावधान किया गया है।

- **आवासीय विद्यालय/छात्रावास:** अलवर, बाड़मेर, भरतपुर, जयपुर, उदयपुर और जालौर (जिन गांवों या बस्तियों में आबादी बहुत बिखरी हुई है, जो विद्यालय खोलने के मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं) में केजीबीवी मॉडल प्रथम के अनुसार कक्षा छठी से आठवीं के लिए आवासीय विद्यालय चलाए जा रहे हैं। जोधपुर में भी आवासीय विद्यालय खोले जा रहे हैं, जहाँ ऐसे लड़के–लड़कियाँ बड़ी संख्या में हैं जो बेघर, गरीब, अनाथ हैं और उनका कोई भरण–पोषण करने वाला नहीं है। पांचवीं कक्षा के बाद, कम आबादी और दूरस्थ क्षेत्र वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कई लड़के और लड़कियां बीच में ही स्कूल छोड़ देते हैं। ऐसे छात्रों के लिए ग्रामीण क्षेत्र के लिए तीन और शहरी क्षेत्र के लिए एक आवासीय छात्रावास, कुल चार छात्रावास स्थापित किए गए है। वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए ₹496.09 लाख रुपये का बजट प्रावधान किया गया है।

- **ट्रांसपोर्ट/एस्कॉर्ट सुविधाएं:** स्कूल प्रबंधन समिति द्वारा कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों, जिनके पास अध्ययन के लिए 1 किमी के भीतर प्राथमिक विद्यालय तथा कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियों जिनके पास अध्ययन के लिए 2 किमी के भीतर उच्च प्राथमिक विद्यालय नहीं हैं, को परिवहन वाउचर के रूप में परिवहन सुविधा प्रदान की जा रही है।

  स्कूल विकास प्रबंधन समिति द्वारा कक्षा 9 से 12 तक ग्रामीण क्षेत्र की ऐसी छात्राएं जिनके पास अध्ययन के लिए 5 किमी क्षेत्र के भीतर माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय नही हैं तथा ग्रामीण क्षेत्र की कक्षा 11 से 12 की छात्राएं जिनको गाँवों में अध्ययन की सुविधा उपलब्ध नही हो रही है और 5 किमी से अधिक की दूरी वाले शहरी विद्यालयों में अध्ययन कर रही हैं, को परिवहन वाउचर के रूप में परिवहन सुविधा प्रदान की जा रही है। इस गतिविधि के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022–23 में ₹20,060.03 लाख का प्रावधान किया गया है।

- **पुस्तकालय अनुदान:** ''पढ़े भारत बढ़े भारत'' के तहत सभी राजकीय विद्यालयों में सभी आयु वर्ग के छात्रों में पढ़ने की आदत डालने और पुस्तकों की खरीद के माध्यम से स्कूल पुस्तकालयों को मजबूत करने के लिए पुस्तकालय अनुदान प्रदान किया जा रहा है। इस गतिविधि के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022–23 में ₹7,074.07 लाख का प्रावधान किया गया है।

- **खेल अनुदान:** सभी आयु वर्ग छात्रों में खेल की भावना जागृत करने के लिए ''खेले इंडिया खिले इंडिया'' के तहत सभी राजकीय विद्यालयों को खेल अनुदान उपलब्ध करवाया जा रहा है। यह अनुदान खेल उपकरण की खरीद और रखरखाव के लिए दिया जाता है। इस गतिविधि के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022–23 में ₹7,261.51 लाख का प्रावधान किया गया है।

- **कम्पोजिट स्कूल अनुदान (सी.एस.जी.):** सभी राजकीय विद्यालयों के प्रभावी प्रबंधन के लिए बिजली शुल्क, पानी, रखरखाव, स्वच्छता सुविधाओं और अन्य आवर्ती खर्चों जैसे उपभोग्य सामग्रियों, खेल सामग्री, प्रयोगशालाओं, इंटरनेट तथा शिक्षण सहायक सामग्री आदि के लिए कम्पोजिट स्कूल अनुदान दिया जा रहा है। इस गतिविधि के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022–23 में ₹24,183.65 लाख का प्रावधान किया गया है।

- **ब्लॉक सन्दर्भ केन्द्र (बी.आर.सी.) अनुदान:** सत्र 2022–23 में ब्लॉक संदर्भ केन्द्रों के लिए ₹222.69 लाख का वित्तीय प्रावधान ब्लॉक आकस्मिकता, बैठकें, यात्रा भत्ता, शिक्षण अधिगम सामग्री एवं विद्यालय स्तर पर आयोजित की जाने वाली गतिविधियों के प्रभावी संचालन/निगरानी के लिए रखा गया है।

- **संकुल सन्दर्भ केन्द्र (सी.आर.सी.) अनुदान:** संकुल सन्दर्भ केन्द्र, राज्य में प्रत्येक ग्राम पंचायत में उपलब्ध विद्यालयों और शिक्षकों को उनके कार्य स्थल पर ही सहायता प्रदान करने के लिए सबसे उपयोगी इकाई है। यह ग्रामीण क्षेत्र में स्थित माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों का नोडल केन्द्र है। सत्र 2022–23 में शिक्षक शिक्षण सामग्री, यात्रा भत्ता, आकस्मिक एवं मोबिलिटी सहायता तथा पी.ई.ई.ओ. और शहरी नोडल के सुदृढ़ीकरण हेतु संकुल सन्दर्भ केन्द्रों के लिए ₹2,256.98 लाख का वित्तीय प्रावधान रखा गया है।

- **शिक्षक डायरी:** शिक्षण गतिविधियों की योजना बनाने के लिए शिक्षक डायरी एक महत्वपूर्ण उपकरण है। प्रत्येक शिक्षक को अपनी दैनिक शिक्षण गतिविधियों की योजना

बनाने के लिए एक शिक्षक डायरी रखनी चाहिए। यह शिक्षक के पढ़ाने के तरीके, विषय ज्ञान और स्कूल में शिक्षक द्वारा किए गए कार्य को दर्शाती है। राज्य सरकार ने सभी शिक्षकों को एक शिक्षक डायरी का प्रस्ताव दिया है। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए ₹196.32 लाख का बजट प्रावधान किया गया है।

- **विद्यार्थी डायरी:** छात्रों को स्कूल के काम से अवगत कराने और उनकी जिम्मेदारियों को रिकॉर्ड करने की आदत विकसित करने के लिए छात्र डायरी का उपयोग किया जाता है। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधानानुसार विद्यालय की शैक्षिक व सहशैक्षिक गतिविधियों के साथ–साथ बच्चों एवं समुदाय को विद्यालय से जोड़े रखना आवश्यक है। शिक्षक–अभिभावक बैठक के अतिरिक्त बच्चे द्वारा विद्यालय में की गयी गतिविधियों की संक्षिप्त जानकारी उपलब्ध करवाने में शिक्षक व अभिभावक के मध्य एक सेतु के रूप में विद्यार्थी डायरी की महत्ती उपयोगिता है। समग्र शिक्षा परियोजना के तहत सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को एक छात्र डायरी उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। इस गतिविधि अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए ₹4,428.75 लाख का बजट प्रावधान किया गया है।

- **सपोर्ट टू एस.सी.पी.सी.आर.:** एससीपीसीआर (बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए राज्य आयुक्त) बाल अधिकारों की सुरक्षा और शिकायतों की रिपोर्ट एवं उनका निवारण करने के लिए तंत्र स्थापित करने के लिये आरटीई अधिनियम–2009 का एक महत्वपूर्ण तत्व है। बाल अधिकार संरक्षण के लिए राष्ट्रीय और राज्य आयोग, बाल अधिकारों की रक्षा के लिए नोडल एजेंसी है। आरटीई के तहत, वार्षिक कार्य योजनाओं और बजट (एडब्ल्यूपीबी) दिशानिर्देशों के तहत एक नया मद सृजित किया गया है। प्रस्तुत प्रस्ताव आरटीई 2009 के तहत शिकायत निवारण को मजबूत करने और बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए उच्चतम निगरानी प्राधिकरण के रूप में कार्य करने के लिए एक अपीलीय निकाय के रूप में एससीपीसीआर को सहायता प्रदान करने के लिए है। इस गतिविधि के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए ₹34.19 लाख का बजट प्रावधान किया गया है।

- **सपोर्ट फॉर ऐज ग्रुप 16–19:** ऐसे विद्यार्थी जो औपचारिक विद्यालयी शिक्षा पूर्ण नहीं कर सके, को राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल (आर.एस.ओ.एस.) एवं राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एन.आई.ओ.एस.) के माध्यम से कक्षा 10 व 12 के शिक्षण एवं परीक्षा हेतु बजट का प्रावधान है। शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सत्र 2022–23 की वार्षिक कार्ययोजना में 1,107 विद्यार्थी जो कक्षा 10 एवं कक्षा 12 की परीक्षा ओपन विद्यालय से दे रहे है, के शिक्षण एवं परीक्षा उपयोग हेतु ₹2,000 प्रति विद्यार्थी का प्रावधान है। इस गतिविधि के अन्तर्गत वर्ष 2022–23 में ₹22.14 लाख का प्रावधान किया गया है।

- **यूथ एवं ईको क्लब:** छात्रों में जीवन कौशल विकसित करने और उन्हें पर्यावरण से जुड़ाव की क्षमता प्रदान करने हेतु पर्यावरण के प्रति जागरूक बनाने के लिए 15,360 माध्यमिक शिक्षा विद्यालयों में यूथ एवं ईको क्लबों का गठन किया गया है। इसके तहत वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए ₹ 2,304 लाख का बजट प्रावधान किया गया है।

- **स्वच्छ और हरित विद्यालय कार्यक्रम:** उच्चतम नामांकन के आधार पर चयनित 2,000 विद्यालयों (सत्र 2021–22 में 1,000 चयनित उच्च माध्यमिक विद्यालयों को छोड़कर) में स्वच्छ और हरित विद्यालय कार्यक्रम ₹15,000 प्रति विद्यालय के वित्तीय परिव्यय के साथ शुरू हुआ। इस कार्यक्रम के तहत वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए ₹300 लाख का बजट प्रावधान किया गया है।

- **समग्र विकास एवं पर्यावरण स्थिरता:** राज्य के सभी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों के समग्र विकास और पर्यावरणीय स्थिरता के स्थानीय ज्ञान को बढ़ाने के लिए शैक्षणिक वर्ष 2022–2023 के लिए समग्र विकास और पर्यावरणीय स्थिरता योजना शुरू की गई है। वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए इस गतिविधि के लिए ₹3,613.20 लाख का बजट प्रावधान किया गया है।

व्यवसायिक शिक्षा:

शैक्षणिक वर्ष 2022–23 तक, राजस्थान में शिक्षा मंत्रालय द्वारा 15 व्यवसाय वाले कुल 1,924 व्यावसायिक शिक्षा विद्यालय स्वीकृत हैं। इनमें से 1,037 डबल ट्रेड स्कूल, 244 स्पोक स्कूल और 57 स्कूल स्टार प्रोजेक्ट (50 स्कूल आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रेन और 7 सीडब्ल्यूएसएन स्कूल) के अन्तर्गत हैं। उपरोक्त विद्यालयों में 2,08,187 छात्र नामांकित हैं।

स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर: प्राथमिक से उच्च प्राथमिक क्रमोन्नत विद्यालयों में कक्षा–कक्ष निर्माण, भवन विहीन विद्यालयों हेतु भवन निर्माण/जर्जर विद्यालय भवनों के पुनर्निमाण, अतिरिक्त

कक्षा–कक्षों का निर्माण, शौचालय इकाई, पेयजल सुविधा, मॉडल स्कूलों में पूर्व–प्राथमिक कक्षों का निर्माण, मॉडल स्कूलों में बालिका छात्रावासों का निर्माण, के.जी.बी.वी. भवन निर्माण, के.जी.बी.वी. सुदृढ़ीकरण और चारदीवारी कार्य, वृहद मरम्मत आदि कार्यों के लिए भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय (एम.ओ.ई.), द्वारा समग्र शिक्षा में प्रारम्भिक शिक्षा हेतु वर्ष 2022–23 में ₹233.38 करोड़ की मंजूरी दी हैं। नवम्बर, 2022 तक ₹16.19 करोड़ का व्यय किया गया है।

इसी तरह, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय (एम.ओ.ई.), ने उच्च प्राथमिक से माध्यमिक क्रमोन्नत विद्यालयों में भवन निर्माण, भवन विहीन/जीर्ण–शीर्ण विद्यालयों के लिए विद्यालय भवन, माध्यमिक विद्यालय से उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत विद्यालयों में कक्षा कक्ष, अतिरिक्त कक्षा कक्ष, विज्ञान प्रयोगशाला मय उपकरण, कम्प्यूटर कक्ष, आर्ट एवं क्राफ्ट कक्ष, पुस्तकालय कक्ष, वृहद मरम्मत शौचालय इकाई, पेयजल सुविधा, सीडब्लूएसएन शौचालय एवं महाराव शेखाजी अकादमी आदि के लिए समग्र शिक्षा अभियान के अन्तर्गत माध्यमिक शिक्षा को सुदृढ़ करने हेतु वर्ष 2022–23 में ₹636.24 करोड़ का प्रावधान किया गया हैं। नवम्बर, 2022 तक ₹145.92 करोड़ का व्यय किया गया है।

माध्यमिक शिक्षा

माध्यमिक शिक्षा, प्रारम्भिक एवं उच्च शिक्षा के मध्य एक सुसंगत, सेतु की कड़ी है। विद्यार्थियों को रोजगार और उद्यमिता के लिए तैयार करने के लिए वर्तमान में माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत 17,365 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय संचालित हो रहे हैं। इनमें से 1,343 उच्च माध्यमिक विद्यालय बालिकाओं के लिए चल रहे हैं और इनमें से 156 विद्यालयों के नाम शहीदों के नाम पर रखे गए है। माध्यमिक शिक्षा के तहत राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 तक 58.62 लाख का नामांकन हैं।

शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के उपाय:

- सत्र 2022–23 में 1,054 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालयों तथा 3,832 माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्त किया गया।
- वर्ष 2022–23 में माध्यमिक शिक्षा में शैक्षणिक एवं मंत्रालयिक संवर्ग में 1,448 नवीन नियुक्तियां एवं 4,073 पदौन्नतियां हुई हैं।
- वर्ष 2021–22 में 70,914 बालिकाओं को गार्गी पुरस्कार एवं 31,982 बालिकाओं को बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार से राशि ₹3,726.52 लाख व्यय कर लाभान्वित किया गया।
- **ज्ञान संकल्प पोर्टल:** सरकारी स्कूलों को वित्तीय सहायता प्रदान करने और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए शिक्षा विभाग द्वारा ज्ञान संकल्प पोर्टल बनाया गया है। पोर्टल का मुख्य उद्देश्य भामाशाहों/दान दाताओ/औद्योगिक संगठनों एवं क्राउड फंडिंग के माध्यम से आवश्यक धनराशि एकत्रित करना एवं विद्यालयों के विकास हेतु विभिन्न परियोजनाओं हेतु दानदाताओं का सहयोग प्राप्त करना है। इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से दानकर्ता कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) विकास कार्य में शामिल होकर सीधे सहयोग कर सकते हैं। वित्तीय वर्ष 2022–23 में नवम्बर, 2022 तक ज्ञान संकल्प पोर्टल के माध्यम से विद्यालयों में किये गये विकास कार्यों के लिये ₹40.02 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गयी है।
- **इन्दिरा प्रियदर्शिनी पुरस्कार:** वर्ष 2021–22 में केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नई दिल्ली द्वारा आयोजित कक्षा–12 की परीक्षा में राज्य स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली 134 स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूल की 1,937 बालिकाओं को इन्दिरा प्रियदर्शिनी पुरस्कार प्रदान किये गये हैं। वर्ष 2022–23 में अवार्ड प्रक्रियाधीन है, जिसमें 1,259 बालिकाओं को लाभान्वित किया जायेगा।
- **महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम) की स्थापना:** राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150 वीं जयंती के अवसर पर राजकीय विद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम के अध्ययन की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए, राज्य सरकार ने सत्र 2019–20 से राजकीय विद्यालयों को महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम) कक्षा 1 से 12 में परिवर्तित करने का निर्णय लिया था। वर्ष 2022–23 में बजट घोषणा के क्रम में 5000 से अधिक आबादी वाले ग्रामों व कस्बों में 2000 महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम) रुपांतरित करने हेतु प्रस्तावित किए गए हैं, इस क्रम में 480 ग्रामीण, 195 शहरी एवं 13 प्राथमिक निदेशालय के राजकीय विद्यालयों को सत्र 2022–23 में रुपातंरित किया गया है। इस प्रकार राज्य में कुल 1639 (33 विद्यालय 2019–20 में, 172 विद्यालय 2020–21 में, 746 विद्यालय 2021–22 में, 688 विद्यालय 2022–23 में) महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम) संचालित है, इन विद्यालयों में कुल नामांकन 3,03,146 है।

- **निःशुल्क पाठ्य पुस्तिका वितरणः** राजकीय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के कक्षा–1 से 8 तक समस्त विद्यार्थियों, कक्षा–9 से 12 तक में पढ़ने वाली सभी छात्राओं, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्रों, उन छात्रों को, जिनके माता–पिता आयकर दाता नहीं है, को निःशुल्क पाठ्य–पुस्तकें उपलब्ध करवायी जा रही हैं। वर्ष 2022–23 में (नवम्बर, 2022 तक) 4.29 करोड़ पाठ्य पुस्तकें विद्यार्थियों को वितरित की गई हैं।

- **निःशुल्क साईकिल वितरण योजनाः** शैक्षणिक सत्र 2020–21 एवं 2021–22 की पात्र छात्राओं को नवम्बर, 2022 तक कुल 6,84,860 साईकिलों का वितरण किया जा चुका है।

- **स्टूडेन्ट पुलिस कैडेट योजनाः** स्टूडेन्ट पुलिस कैडेट योजना पुलिस एवं शिक्षा विभाग के संयुक्त तत्वाधान में संचालित महत्वपूर्ण योजना है, जिसके अन्तर्गत सत्र 2022–23 के लिए 927 विद्यालयों की कक्षा 8 व 9 के 22–22 विद्यार्थियों कुल 40,788 विद्यार्थियों का चयन किया जाकर लाभान्वित किया गया है। इस योजना का मुख्य उद्धेश्य पुलिस की भागीदारी से उक्त विद्यार्थियों को प्रशिक्षित कर सजग एवं जिम्मेदार नागरिक बनाना है। प्रत्येक विद्यालय में स्टूडेन्ट पुलिस केडेट योजना के सुचारू संचालन हेतु ₹50,000 प्रति विद्यालय को दिया जाता है। जिसमें राज्य सरकार व केन्द्र सरकार का अनुपात क्रमशः 40:60 है। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2022–23 में कुल ₹463.50 लाख विद्यालयों को दिये जा चुके हैं।

- **मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजनाः** वर्ष 2021–22 में ₹36.20 लाख की राशि व्यय कर कुल 129 बालिकाओं को लाभान्वित किया गया है।

- **सामुदायिक बाल सभाः** सामुदायिक बाल सभा 09 जून, 2019 से प्रदेश के सभी विद्यालयों में प्रारंभ की जा चुकी है। सत्र 2022–23 में विद्यालयों में 7,423 सामुदायिक बाल सभाओं का आयोजन किया जा चुका है।

साक्षरता एवं सतत् शिक्षा

राज्य के समग्र विकास में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। साक्षरता एवं सतत् शिक्षा निदेशालय 15 वर्ष एवं अधिक आयु वर्ग के निरक्षर व्यक्तियों को क्रियाशील साक्षरता प्रदान करने के साथ राष्ट्रीय एकता, परिवार कल्याण, लिंग समानता, भावी विकास एवं व्यावसायिक कौशल, स्वास्थ्य की देखभाल, शिक्षा एवं सामाजिक बुराईयों यथा–बाल विवाह आदि पर समुचित जोर देता है।

- **नव भारत साक्षरता कार्यक्रमः** भारत सरकार द्वारा राज्य के सभी 33 जिलों के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 01 अप्रैल, 2022 से केन्द्रीय प्रवर्वित योजना "नवभारत साक्षरता कार्यक्रम" लागू किया गया हैं। इस योजना में राज्य के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के 15 वर्ष व अधिक आयुवर्ग के व्यक्तियों को साक्षर करने के लिए शामिल किया गया है। यह पूर्ण रूप से स्वयंसेवक आधारित जन अभियान है। इसके अर्न्तगत शिक्षार्थियों का सर्वे एवं स्वयंसेवी शिक्षकों का चिन्हीकरण ऑनलाइन एप्प के माध्यम से किया जावेगा। योजनान्तर्गत वर्ष 2022–23 में भारत सरकार ने 5.50 लाख निरक्षरों को साक्षर बनाने का लक्ष्य रखा हैं। वर्ष 2022–23 हेतु राज्य को ₹11.22 करोड़ का बजट आवंटन किया गया है, जिसमें केन्द्रांश एवं राज्यांश राशि क्रमशः ₹6.73 करोड एवं ₹4.49 करोड है।

- **महात्मा गांधी पुस्तकालय एवं अध्ययन कक्षः** बजट घोषणा वर्ष 2021–22 के बिन्दू संख्या 42 के क्रम में महात्मा गांधी के जीवन दर्शन को जन–जन तक पहुंचाने तथा जनता में पढ़ने की रूचि को बढ़ाने के उद्देश्य से शिक्षा विभाग के माध्यम से 8,870 महात्मा गांधी पुस्तकालयों को बढ़ाकर 14,970 किया जाना है। वर्तमान में इन पुस्तकालयों एवं वाचनालयों का प्रभार ग्राम पंचायत स्तर पर स्थित पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी के पास है। पुस्तकालयों को एकमुश्त पुस्तकें उपलब्ध कराने के लिए समग्र शिक्षा अभियान के अन्तर्गत पुस्तकालय अनुदान से ₹6.80 करोड़ का व्यय स्वीकृत किया गया है तथा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर में उपलब्ध निधि से समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं पर ₹8.98 करोड़ का आवर्ती व्यय उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

- **महिला शिक्षण विहारः** महिला शिक्षण विहार 15–30 आयु वर्ग की तलाकशुदा, विधवा, आदिवासी तथा वंचित समूह की महिलाओं को शैक्षिक अवसर प्रदान करने के लिए दसवीं कक्षा तक के आवासीय विद्यालय हैं। इन महिलाओं को उनके जीवन स्तर को विकसित करने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण भी दिया गया है। वर्तमान में यह शिक्षण विहार कार्यक्रम जिला झालावाड़ में चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 67 महिलाओं का पंजीकरण किया गया और वर्ष 2022–23 के दौरान नवम्बर, 2022 तक ₹20.62 लाख व्यय किए गए।

उच्च शिक्षा

उच्च शिक्षा विभाग सामान्य शिक्षा विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के प्रबन्धन का कार्य करता है। आजादी के समय राज्य में सामान्य शिक्षा के मात्र 7 महाविद्यालय थे परन्तु वर्तमान में महाविद्यालयों की संख्या 2,531 हो गई है। जिनमें से राज्य में 474 राजकीय महाविद्यालय, 16 राजकीय विधि महाविद्यालय, 2,033 निजी महाविद्यालय, 2 स्ववित्तपोषी संस्थाएं तथा 6 निजी सहभागिता से स्थापित महाविद्यालय हैं। विभाग द्वारा 1,484 शिक्षक–प्रशिक्षक महाविद्यालय भी संचालित किए जा रहे हैं। राज्य में 28 राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालय, 52 निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालय तथा 8 डीम्ड विश्वविद्यालय हैं।

वर्ष 2022–23 के दौरान प्रमुख गतिविधियां/पहल:

- 88 नवीन राजकीय महाविद्यालय शुरू किए गए।
- 29 नवीन राजकीय कृषि महाविद्यालय खोले गये।
- 31 राजकीय स्नातक महाविद्यालयों को स्नातकोत्तर महाविद्यालयों में क्रमोन्नत किया गया है।
- 47 राजकीय महाविद्यालयों में नवीन संकाय शुरू किए गए है।
- राजकीय महाविद्यालयों में स्नातक स्तर पर 63 नवीन विषय शुरू किए गए है।
- राजकीय महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर स्तर पर 88 नवीन विषय शुरू किए गए है।
- मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत जिला नोडल राजकीय महाविद्यालयों को आंवटित ₹5,050.00 लाख में से नवम्बर, 2022 तक ₹2,026.10 लाख का व्यय किया जा चुका है।
- विभिन्न योजनाओं के लिए ₹64,118.83 लाख के बजट प्रावधान के विरूद्ध नवम्बर, 2022 तक ₹23,559.37 लाख व्यय किए गए हैं।
- राज्य में विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के चरणबद्ध तरीके से विकास के लिए राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (आर.यू.एस.ए.) योजना के अंतर्गत ₹4,638.82 लाख का आवंटन किया गया है, जिसके विरूद्ध नवम्बर, 2022 तक ₹15.14 लाख व्यय किए गए हैं।

विधवा/परित्यक्ता महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री (बी. एड.) सम्बल योजना: इस योजना के अन्तर्गत सरकारी/निजी प्रशिक्षण संस्थानों में बी.एड. का अध्ययन करने वाली विधवा/परित्यक्ता महिलाओं को ₹17,880 की प्रतिपूर्ति प्रदान की जाती है। वित्तीय वर्ष 2021–22 में 274 छात्राओं को लाभान्वित किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2022–23 में ₹48 लाख राशि का बजट आंवटन हुआ जिसमें से माह नवम्बर, 2022 तक ₹28.97 लाख राशि का व्यय किया गया।

बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना: इस योजना के अन्तर्गत वीएमओयू और इग्नू सहित राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों में दूरस्थ शिक्षा मोड के तहत यूजी, पीजी, और डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स में दाखिला लेने वाली छात्राओं को ट्यूशन फीस का पुर्नभरण किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2022–23 में बजट प्रावधान ₹1,483 लाख है तथा शुल्क पुर्नभरण के लिए दिसम्बर, 2022 तक 953 आवेदन प्राप्त हुए हैं।

मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना: राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की उच्च माध्यमिक परीक्षा में मेरिट सूची में प्रथम एक लाख छात्र जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय ₹2.50 लाख और जिन्हें कोई अन्य छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है, उन्हें इस योजना के तहत छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। सामान्य छात्रों के लिए ₹500 प्रति माह (₹5,000 प्रति वर्ष), विकलांग छात्रों के लिए ₹1,000 प्रति माह (₹10,000 प्रति वर्ष) और अल्पसंख्यक छात्राओं (जो 12 वीं में 75 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करते हैं) के लिए ₹1,000 प्रति माह (₹10,000 प्रति वर्ष) छात्रवृत्ति इस योजना के तहत प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत वर्ष 2021–22 में 69,994 छात्र लाभान्वित हुए हैं। वर्ष 2022–23 में ₹5,050.00 लाख का बजट आवंटित किया गया था, जिसमें से ₹2,026.11 लाख की राशि माह दिसम्बर, 2022 तक व्यय की जा चुकी है।

काली बाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना: इस योजना के अंतर्गत आर.बी.एस.ई द्वारा आयोजित सीनियर सेकेंडरी परीक्षा में न्यूनतम 65 प्रतिशत तथा सी.बी.एस.ई. में न्यूनतम 75 प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण तथा वार्षिक पारिवारिक आय ₹2.5 लाख तक वाली बालिकाएं पात्र हैं। इसके साथ ही इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए, बालिकाओं को राजस्थान के किसी भी महाविद्यालय से स्नातक की डिग्री (तकनीकी/गैर–तकनीकी) में नियमित छात्रा होना आवश्यक है। योजनान्तर्गत पात्र छात्राओं को स्कूटी दी जाती है, साथ ही स्कूटी सुपुर्द तक होने वाले परिवहन

व्यय का भी भुगतान किया जाता है। बजट घोषणा के अनुसार वर्ष 2022–23 में 17,537 पात्र आवेदकों को स्कूटी निःशुल्क वितरित की जायेगी जिसके लिये आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। इस सम्बन्ध में वर्ष 2022–23 (दिसम्बर, 2022 तक) के दौरान ₹4,464.89 लाख व्यय किए जा चुके हैं।

देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन योजनाः राजस्थान के अति पिछड़े वर्ग की बालिकाएं जिन्होंने आरबीएसई/सीबीएसई द्वारा आयोजित उच्च माध्यमिक परीक्षा 50 प्रतिशत या अधिक अंकों के साथ उत्तीर्ण की है तथा जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय ₹2.5 लाख तक है, पात्र हैं। साथ ही इस योजना में आवेदन करने के लिए, बालिकाओं को राजस्थान के किसी भी राजकीय महाविद्यालय, राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों में स्नातक की डिग्री के प्रथम वर्ष में एक नियमित छात्रा होना आवश्यक है। उच्च माध्यमिक परीक्षा की वरीयता के आधार पर आवेदकों को प्रति वर्ष 1,500 स्कूटी निःशुल्क वितरित की जा रही है। शेष आवेदक जो स्कूटी प्राप्त नहीं कर सके उन्हें निर्धारित पात्रता मानदंड के अनुसार प्रोत्साहन राशि दी जाती है। स्नातक के तीनों वर्षों एवं स्नातकोत्तर के दो वर्षों में 50 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाली छात्राओं को स्नातक के तीनों वर्षों तक ₹10,000 वार्षिक एवं स्नातकोत्तर के दो वर्षों तक ₹20,000 वार्षिक प्रोत्साहन राशि दी जाती है। बजट घोषणा वर्ष 2022–23 की अनुपालन में इस वर्ष 2,463 स्कूटियों का वितरण किया जायेगा। योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022–23 (दिसम्बर, 2022 तक) में ₹1,102.47 लाख का व्यय किया जा चुका है।

राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजनाः इस योजना के तहत प्रति वर्ष 200 मेधावी छात्रों को विश्व के शीर्ष 150 विश्वविद्यालयों/संस्थानों में पढ़ने के लिए प्रायोजित किया जाता है। योजनान्तर्गत संपूर्ण शिक्षण शुल्क और अन्य खर्च राजस्थान सरकार द्वारा वहन किया जाता है। नवम्बर, 2022 तक कुल 244 छात्रों का चयन कर 154 छात्रों के लिए ₹30 करोड़ राशि का भुगतान किया जा चुका है।

संस्कृत शिक्षा

संस्कृत को देव वाणी, देवताओं की भाषा के रूप में जाना जाता है। यह न केवल भारतीय संस्कृति का पोषण करती है, बल्कि ज्ञान एवं विज्ञान का एक स्रोत भी है। यह विश्व की प्राचीनतम भाषा है और आज भी उसी रूप और संरचना को बरकरार रखी हुई है जैसे हजारों वर्ष पहले थी। यह शब्द गठन की अद्‌भुत क्षमता के साथ सर्वाधिक वैज्ञानिक भाषा है। राजस्थान संस्कृत भाषा के लिए अग्रणी राज्य है, जहां वर्ष 1958 से एक पृथक संस्कृत निदेशालय कार्यरत है और वर्ष 1998 में एक संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है। संस्कृत निदेशालय विद्यालय स्तर से स्नातकोत्तर स्तर तक अपनी संस्थाओं के माध्यम से संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने हेतु कार्य कर रहा है।

वर्ष 2022–23 में नवम्बर, 2022 तक विभिन्न योजनाओं पर ₹16,163.15 लाख के आंवटित बजट के विरुद्व ₹10,781.05 लाख का व्यय किया गया है। वर्ष 2022–23 के दौरान शिक्षण संस्थानों की स्थिति तालिका–8.4 में दर्शाई गई है –

तालिका–8.4 राजस्थान में संस्कृत शिक्षा के संस्थानों की संख्या

स्तर	राजकीय	निजी	कुल
प्राथमिक	418	13	431
उच्च प्राथमिक	886	260	1146
प्रवेशिका	275	75	350
वरिष्ठ उपाध्याय	196	27	223
शास्त्री (स्नातक स्तर)	17	13	30
आचार्य (स्नातकोत्तर स्तर)	14	14	28
कुल	1806	402	2208

इन संस्थानों में कुल 1.90 लाख विद्यार्थी अध्ययनरत् हैं। वर्ष 2022–23 के दौरान एक राजकीय एवं 15 निजी एस.टी.सी. महाविद्यालय कार्यरत हैं, जबकि निजी क्षेत्र में 82 शिक्षा शास्त्री महाविद्यालय संचालित हैं।

राजस्थान राज्य संस्कृत शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान

राज्य में ''राजस्थान राज्य संस्कृत शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान'' (SSIERT) महापुरा, जयपुर में संचालित है।SSIERT के अन्तर्गत निम्नलिखित कार्य किए जा रहे हैं–

- संस्कृत शिक्षा विभाग के विद्यालयों की कक्षा 1–8 के लिये पाठ्‌यक्रम का निर्धारण एवं पाठ्‌यपुस्तकें तैयार करना।
- माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के मानदंडों के अनुसार कक्षा 9 से 12 तक के पाठ्‌यक्रम की समीक्षा करना और सिफारिशें

एवं पाठ्‌यपुस्तकों के लेखन की तैयारी में सहयोग करना।

- द्विवर्षीय संस्कृत शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्‌यक्रम का निर्धारण एवं समीक्षा तथा पाठ्‌यपुस्तक लेखन।
- सेवारत शिक्षकों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षण प्रदान करने में सक्षम बनाना।
- संस्कृत शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षकों को शोध कार्य के लिए तैयार करना।
- संस्कृत भाषा को आम बोल–चाल की भाषा के रूप में विकसित करना और संचार कौशल का विकास करना तथा प्रचार–प्रसार की दिशा में प्रयास करना।

भाषा एवं पुस्तकालय विभाग

हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने और सार्वजनिक पुस्तकालयों के प्रबंधन के लिए भाषा और पुस्तकालय विभाग की स्थापना की गई है। वर्तमान में, राज्य में 323 पुस्तकालय है, जिनमें एक राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय, 07 सम्भाग स्तरीय पुस्तकालय, 33 जिला स्तरीय पुस्तकालय, 06 पंचायत समिति स्तरीय पुस्तकालय (भाषा और पुस्तकालय विभाग के प्रशासनिक नियन्त्रण में), 276 पंचायत समिति स्तर के पुस्तकालय (माध्यमिक शिक्षा विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में) संचालित हैं। वर्ष 2022–23 में नवम्बर, 2022 तक ₹50.76 लाख के आंवटित बजट के विरूद्व ₹4.33 लाख का व्यय किया गया है।

पुस्तकालय जागरूकता कार्यक्रमः पुस्तकालयों में पाठकों की संख्या बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए जा रहे हैं। इसी उद्देश्य से विभिन्न गतिविधियाँ भी आयोजित की जा रही हैं। पुस्तकालय सेवाएं सभी आयु वर्ग के पुरुष और महिला पाठकों को प्रदान की जा रही हैं। चयनित पुस्तकालयों में वरिष्ठ नागरिक कॉर्नर, महिला कॉर्नर, चिल्ड्रन कॉर्नर, महात्मा गॉधी कॉर्नर एवं नेत्रहीनों के लिए नियो–लिटरेट कॉर्नर सुविधा भी उपलब्ध है।

सावित्री बाई फूले वाचनालयः सभी 33 जिला पुस्तकालयों पर स्थित सार्वजनिक पुस्तकालयों में सावित्री बाई फूले वाचनालय स्थापित किये गए हैं, जिनके माध्यम से प्रतियोगी परीक्षार्थियों को विशेष सुविधाएं प्रदान की जा रही है। इन पुस्तकालयों में शीघ्र ही एक–एक पद परामर्शदाता के भी उपलब्ध कराये जायेंगे, जो प्रतियोगी परीक्षार्थियों को केरियर तय करने में सहायता प्रदान करेंगे। वित्तीय वर्ष 2022–23 में इन वाचनालयों में परामर्शदाताओं के पारिश्रमिक के लिए ₹44.55 लाख आवंटित किए गए हैं।

पुस्तकालयों में कुल पुस्तकें एवं पाठकों की संख्याः विभाग द्वारा संचालित 47 पुस्तकालयों में वर्तमान में 21.77 लाख पुस्तकें उपलब्ध हैं। वित्तीय वर्ष 2022–23 में इन पुस्तकालयों में कुल 11,963 सदस्य पंजीकृत है। पुस्तकालयों में हर महीने औसतन 74,533 पाठक आते है।

ई–सामग्रीः ई–सामग्री संबंधी सुविधा वर्तमान में केवल राजकीय लोक संभागीय पुस्तकालय, कोटा में उपलब्ध करायी जा रही है, जिसमें ई–पुस्तकें, ई–जर्नल, ई–समाचार पत्र, ऑडियो बुक, ई–पत्रिका, डाटा बेस आदि शामिल हैं।

तकनीकी शिक्षा

भारत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के युग का साक्षी है। वर्तमान समय में तकनीकी शिक्षा की भारी मांग है। तकनीकी शिक्षा विशिष्ट व्यापार, हस्तकला अथवा व्यावसायिक ज्ञान प्रदान करती है।

अभियांत्रिकी / प्रबन्धन शिक्षा

स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर अभियांत्रिकी की शिक्षा प्रदान करने के लिए, राज्य में कुल 82 (17 राजकीय तथा 65 निजी महाविद्यालय) अभियांत्रिकी महाविद्यालय कार्यरत हैं, जिनमें कुल प्रवेश क्षमता लगभग 29,087 प्रति वर्ष है। इसी तरह प्रबन्धन शिक्षा में स्नातकोत्तर स्तर तक के 49 प्रबन्धन संस्थान (7 राजकीय एवं 42 निजी संस्थान) कार्यरत हैं, जिनमें आरएमएपी 2021 में पंजीकरण के अनुसार लगभग 3,282 विद्यार्थियों की प्रवेश क्षमता है। ये सभी स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर के संघटक / निजी अभियांत्रिकी महाविद्यालय / एम.बी.ए. संस्थान राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा, बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय, बीकानेर, एमबीएम विश्वविद्यालय जोधपुर, मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर, महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर, कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर एवं गोविंद गुरू जन जाति विश्वविद्यालय बांसवाड़ा से सम्बद्ध हैं। इसके अतिरिक्त, राज्य में जोधपुर में एक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आई.आई.टी.), आईआईआईटी कोटा (एमएनआईटी कैंपस जयपुर), एमएनआईटी जयपुर तथा एक भारतीय प्रबन्धन संस्थान (आई.आई.एम.) उदयपुर संचालित हैं।

पॉलिटेक्निकः राज्य में तकनीकी शिक्षा प्रदान करने के लिए 25,234 विद्यार्थियों की प्रवेश क्षमता वाले कुल 125 पॉलिटेक्निक महाविद्यालय संचालित है। इनमें से 7,071 छात्रों की प्रवेश क्षमता वाले 40 राजकीय सहशिक्षा पॉलिटेक्निक

महाविद्यालय, 40 छात्रों की प्रवेश क्षमता वाला एक केन्द्रीय सहशिक्षा महाविद्यालय, 8 राजकीय महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय (जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, कोटा, सांगानेर एवं भरतपुर) है, जिनकी प्रवेश क्षमता 1,090 है तथा 76 निजी पॉलिटेक्निक महाविद्यालय 17,033 प्रवेश क्षमता के साथ संचालित हैं। तकनीकी शिक्षा (पॉलिटेक्निक) के अन्तर्गत वर्ष 2022–23 में नवम्बर, 2022 तक विभिन्न योजनाओं पर ₹3,871.88 लाख व्यय किया गया है। गत पाँच वर्षों की पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों की भौतिक प्रगति तालिका–8.5 में दर्शायी गई है।

तालिका–8.5 गत 5 वर्षों की पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों की प्रगति

वर्ष	कुल पॉलिटेक्निक महाविद्यालय			कुल प्रवेश क्षमता		
	राजकीय	निजी	योग	राजकीय	निजी	योग
2018-19	43	108	151	6480	29415	35895
2019-20	44	92	136	7215	22781	29996
2020-21	44	86	130	7561	20678	28239
2021-22	49	84	133	8094	19792	27886
2022-23*	49	76	125	8201	17033	25234

*नवम्बर, 2022 तक

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आई.टी.आई.): राज्य में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, रोजगार और उद्यमिता (एसईई) विभाग के अन्तर्गत कार्य कर रहे है। राज्य में वर्ष 2022–23 के दौरान शिल्पकार प्रशिक्षण की सुविधा 289 स्वीकृत राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से प्रदान की जा रही है, जिनकी कुल स्वीकृत सीटें 1,04,456 हैं। जिनमें से 12 महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, जोधपुर, मण्डोर (जोधपुर), कोटा, बीकानेर, अलवर, उदयपुर, टोंक, बांसवाड़ा एवं लक्ष्मणगढ़ (सीकर) में स्वीकृत हैं। वर्तमान में 286 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश दिये जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त 2,73,902 प्रवेश क्षमता के साथ 1,502 निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान भी प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं। दस्तकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस) के अन्तर्गत 54 अभियांत्रिकी व 48 गैर अभियांत्रिकी व्यवसायों में एक से दो वर्ष की अवधि के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता हैं। वर्ष 2022–23 में नवम्बर, 2022 तक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की विभिन्न योजनाओं में ₹5,805.03 लाख व्यय किया गया है।

चिकित्सा शिक्षा

राज्य में 30 नवम्बर, 2022 तक 30 मेडिकल कॉलेज हैं, जिनमें से 6 राजकीय, एक राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (आर.यू.एच.एस.) का संघटक कॉलेज, 12 राजस्थान मेड़िकल एज्यूकेशन सोसायटी (राजमेस) के तहत, एक ई.एस.आई. कॉलेज, अलवर, एक अखिल भारतीय मीराबाई आयुर्विज्ञान संस्थान, जोधपुर व शेष 9 निजी क्षेत्र में हैं। केन्द्रीय प्रवर्तित योजना के द्वितीय चरण में धौलपुर तथा तृतीय चरण में श्रीगंगानगर, चित्तौडगढ़ एवं सिरोही मेडिकल कॉलेज (प्रति कॉलेज 100 एमबीबीएस सीट) की प्रवेश क्षमता से शैक्षणिक सत्र 2022–23 से प्रारम्भ हो गये हैं। केन्द्रीय प्रवर्तित योजना के तृतीय चरण के अन्तर्गत 15 नये मेड़िकल कॉलेज यथा अलवर, बारां, बांसवाड़ा, बून्दी, चित्तौड़गढ़, जैसलमेर, करौली, नागौर, श्रीगंगानगर, सिरोही, दौसा, झुन्झुनू, हनुमानगढ़, टोंक एवं सवाईमाधोपुर में खोले जाने की स्वीकृति भारत सरकार से वर्ष 2019–20 के दौरान प्राप्त हो चुकी है। राज्य द्वारा प्रति कॉलेज ₹325.00 करोड़ (₹195 करोड़ केन्द्रीय अंश व ₹130 करोड़ राज्यांश) की दर से कुल ₹4,875.00 करोड़ की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गई, इनकी स्थापना की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

राजकीय क्षेत्र के मेडिकल कॉलेजों की वार्षिक प्रवेश क्षमता 3,330 स्नातक, 1,690 स्नातकोत्तर व 153 सुपर स्पेशियलिटी पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों की है। इनके अतिरिक्त राजकीय 29 जिलों के राजकीय चिकित्सालयों में 500 सीटों की प्रवेश क्षमता के साथ 8 विशिष्टताओं में पोस्ट एमबीबीएस डिप्लोमा कोर्स व जयपुर के आरयूएचएस में 25 सीटों की प्रवेश क्षमता के साथ मास्टर्स इन

पब्लिक हैल्थ (एमपीएच) कोर्स प्रारम्भ किया गया है। साथ ही अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, जोधपुर में 125 स्नातक, 194 स्नातकोत्तर तथा 70 सुपर स्पेशियलिटी पाठ्यक्रमों की सीटें है।

निजी मेडिकल कॉलेजों की वार्षिक प्रवेश क्षमता 1,650 स्नातक, 809 स्नातकोत्तर व 107 सुपर स्पेशियलिटी डिप्लोमा (डी.एम. / एम.सी.एच.) पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों की है। इसी प्रकार राज्य में 16 दन्त चिकित्सा कॉलेज हैं, जिनमें से 01 राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (आर.यू.एच.एस.) का संघटक कॉलेज व 15 निजी क्षेत्र में कार्यरत हैं। राजकीय दन्त चिकित्सा कॉलेज की वार्षिक प्रवेश क्षमता स्नातक 50 विद्यार्थियों एवं 22 स्नातकोत्तर विद्यार्थियों की हैं। निजी दन्त चिकित्सा कॉलेजों की वार्षिक प्रवेश क्षमता 1,460 स्नातक व 303 स्नातकोत्तर विद्यार्थियों की है।

राज्य में केन्द्रीय प्रवर्तित योजना के प्रथम चरण में स्वीकृत सात चिकित्सा महाविद्यालयों यथा (भरतपुर, बाडमेर, भीलवाडा, चूरू, पाली, डूंगरपुर व सीकर) मे से 5 मेडिकल कॉलेजों यथा (भरतपुर, चूरू, डूंगरपुर, पाली तथा भीलवाड़ा) में शैक्षणिक सत्र 2018–19 से, बाड़मेर में 2019–20 से, सीकर में 2020–21 से एवं धौलपुर, श्रीगंगानगर, चित्तौडगढ तथा सिरोही में 2022–23 से शैक्षणिक सत्र प्रारम्भ किये जा चुके हैं। मेडिकल कॉलेजों से संबंध अस्पतालों द्वारा अन्तरंग व बहिरंग रोगियों की देखभाल की जा रही है तथा प्रदेश की जनसंख्या के बड़े भाग की चिकित्सा एवं स्वास्थ्य की आवश्यकता की पूर्ति की जा रही है, इसके साथ ही पड़ौसी राज्यों (जैसे हरियाणा, पंजाब, गुजरात, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश आदि) के रोगियों की देखभाल भी की जा रही है।

विगत तीन वर्ष (2019–20 से 2021–22) की महत्वपूर्ण विभागीय उपलब्धियां:

- 15 नए मेड़िकल कॉलेज (अलवर, बारां, बूंदी, बांसवाड़ा, चितौड़गढ़, जैसलमेर, करौली, नागौर, सिरोही, श्रीगंगानगर, दौसा, झुन्झुनू, हनुमानगढ़, टोंक एवं सवाई माधोपुर) खोलने के लिए केन्द्रीय प्रवर्तित योजना के अंतर्गत प्रति मेडिकल कॉलेज प्रोजेक्ट ₹325 करोड की स्वीकृति प्राप्त हुई है। इसमें केन्द्र की हिस्सा राशि 60 प्रतिशत एवं राज्य की हिस्सा राशि 40 प्रतिशत है।
- समस्त 15 चिकित्सा महाविद्यालयों की सीपीआर एवं डीपीआर अनुमोदित की जा चुकी हैं। 13 स्थानों पर निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जा चुका हैं, 2 स्थानों (जैसलमेर एवं टोंक) के लिए निविदा खोली जाकर अनुमोदन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
- वर्तमान में 1,690 पीजी एवं 153 सुपर स्पेशियलिटी सीट राजकीय मेडिकल कॉलेजों में है। राजकीय मेडिकल कालेजों में पीजी सीटों की बढोतरी के लिये सघन प्रयास किये जा रहे हैं।
- राजकीय मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस सीटों मे वर्ष 2019–20 में 650, वर्ष 2020–21 में 230, वर्ष 2021–22 में 100 (ई.एस.आई.सी.) तथा वर्ष 2022–23 में 400 सीटों की बढ़ोतरी की गयी, इस प्रकार कुल 1,380 सीटों की बढ़ोतरी हुई, जो 2018 से अब तक की कुल 1,950 एमबीबीएस सीटों का 71 प्रतिशत है। वर्तमान में राज्य के राजकीय मेडिकल कॉलेजों में कुल 3,330 एमबीबीएस सीटें हैं।
- मेडिकल कॉलेज, बाडमेर में शैक्षणिक सत्र 2019–20 से, सीकर में शैक्षणिक सत्र 2020–21 से एवं ई.एस.आई.सी. द्वारा संचालित मेडिकल कॉलेज, अलवर में शैक्षणिक सत्र 2021–22 से प्रारंभ हो चुके हैं।
- वर्ष 2022–23 से श्रीगंगानगर, चित्तौडगढ, धौलपुर एवं सिरोही में प्रति कॉलेज 100 एमबीबीएस सीटों के साथ शैक्षणिक सत्र प्रारम्भ हो चुके हैं।
- वर्तमान में 15 जिलों अलवर, अजमेर, बीकानेर, चुरू, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, बाड़मेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, धौलपुर, पाली, करौली व सीकर में नर्सिंग महाविद्यालय संचालित हैं।
- 18 जिलों–बांसवाड़ा, बारां, बूंदी, चित्तौड़गढ़, लालसोट (दौसा), डूंगरपुर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जालोर, झालावाड़, झुंझुनूं, नागौर, प्रतापगढ़, नाथद्वारा (राजसमंद), सवाई माधोपुर, सिरोही, श्रीगंगानगर व टोंक के साथ–साथ कुम्हेर (भरतपुर) व तिजारा (अलवर) में नर्सिंग महाविद्यालय सत्र 2022–23 में प्रति कॉलेज 60 सीटों की प्रवेश क्षमता के साथ प्रारम्भ किया जाना प्रक्रियाधीन है।
- प्रति महाविद्यालय शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक कर्मियों के 44 पद सृजित कर महाविद्यालय एवं छात्रावास भवन निर्माण हेतु ₹21.04 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है।
- राजमेस के सुदृढीकरण हेतु विभिन्न श्रेणी के 210 नवीन पदों तथा राजकीय मेडिकल कालेजों के सुदृढीकरण एवं

विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार हेतु 336 अतिरिक्त पदों का सृजन किया गया है।

- राज्य में विशेषज्ञ चिकित्सकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने हेतु जिला चिकित्सालयों में 8 विशिष्टताओं में पोस्ट एमबीबीएस डिप्लोमा कोर्स आरम्भ कर दिये गये है। शैक्षणिक सत्र 2021–22 से 496 पोस्ट एमबीबीएस डिप्लोमा सीटों के साथ आरम्भ कर दिये गये है। राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड द्वारा सत्र 2022–23 के लिए 500 सीटों का अनुमोदन किया जा चुका है। इससे राज्य में प्रतिवर्ष 500 विशेषज्ञ चिकित्सक उपलब्ध हो सकेगें।
- जोधपुर के उम्मेद अस्पताल परिसर में ''उम्मेद पोस्ट ग्रेजुएट इस्टीट्यूट ऑफ मेटरनिटी एवं नियोनेटोलॉजी'' का निर्माण कार्य प्रगति पर है तथा संस्थान के संचालन के लिए कुल 296 पद स्वीकृत किये जा चुके हैं।
- राजमेस से सम्बद्ध मेडिकल कॉलेज चित्तौडगढ में 315 बेड, बाडमेर में 360 बेड, पाली में 380 बेड, भरतपुर में 250 बेड, सीकर में 300 बेड, भीलवाडा में 205 बेड, श्रीगंगानगर में 240 बेड व सिरोही में 315 बेड के नवीन चिकित्सालय का कार्य प्रगति पर है।
- एसएमएस, जयपुर में 05 नये विभागों पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजी, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी, पीडियाट्रिक कार्डियोथोरोसिक एण्ड वेस्कूलर सर्जरी, हेण्ड सर्जरी एवं नियोनेटोलॉजी के गठन व आवश्यक नवीन पदों के सृजन की स्वीकृति जारी की जा चुकी हैं।
- मेडिकल कॉलेज जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, कोटा एवं अजमेर में एन्डोक्रायोनोलॉजी, जी.आई. सर्जरी, मेडिकल ओंकोलॉजी तथा ओंको सर्जरी विभाग, इनके अतिरिक्त कोटा में तीन यथा गेस्ट्रोएट्रोलॉजी, कार्डियोलॉजी व प्लास्टिक सर्जरी तथा उदयपुर में इनके अतिरिक्त गेस्ट्रोएट्रोलॉजी व प्लास्टिक सर्जरी विभागों के स्थापना की स्वीकृति जारी कर आवश्यक पदों के सृजन की स्वीकृतियां जारी की जा चुकी है।
- राजमेस के पूर्व में संचालित सभी 8 मेडिकल कॉलेजों में न्यूरोलॉजी, यूरोलॉजी, कार्डियोलॉजी एवं गैस्ट्रोएन्ट्रोलॉजी सुपर स्पेशियलिटी विभागों के गठन एवं आवश्यक पदों के सृजन की स्वीकृति जारी की जा चुकी है।
- राज्य के मेडिकल कॉलेजों में चिकित्सक शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने के लिए आरपीएससी को 269 पदों के लिए अभ्यर्थनाएं भिजवाई गई, जिस पर आरपीएससी के द्वारा परीक्षा आयोजित कर 243 अभ्यर्थियों को चयनित किया है। 243 पदों में से 241 अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान की जा चुकी है।
- 347 चिकित्सक शिक्षकों के लिए भर्ती कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
- राजस्थान मेडिकल एज्यूकेशन सोसायटी के तहत रिक्त पदों को भरने के लिए तीन चरणों में विज्ञापन जारी कर 363 चिकित्सक शिक्षकों की नियुक्ति के विरूद्ध 196 द्वारा कार्यग्रहण किया गया।
- चतुर्थ चरण में चिकित्सक शिक्षकों के 203 रिक्त पदों के लिए दिनांक 29 जुलाई, 2021 को विज्ञप्ति जारी की गयी, 87 चिकित्सकों को नियुक्ति दी गई, जिनमें से 59 के द्वारा कार्यग्रहण किया गया। अब पांचवें चरण में 746 रिक्त पदों के लिए 29 मार्च, 2022 को विज्ञप्ति जारी की गयी, 364 चिकित्सकों को नियुक्ति दी गई, जिनमें से 196 के द्वारा कार्यग्रहण किया जा चुका हैं।
- प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई) के अन्तर्गत ₹150.00 करोड़ (प्रति कॉलेज) की लागत से कोटा, बीकानेर एवं उदयपुर में सुपर स्पेशयलिटी ब्लॉक का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया है।
- जयपुर में ₹200.00 करोड़ की लागत से निर्मित किये जा रहे सुपर स्पेशयलिटी ब्लॉक का निर्माण कार्य पूर्ण कर ओपीडी एवं आईपीडी सेवायें प्रारम्भ की जा चुकी हैं। उपकरणों की खरीद और स्थापना का कार्य प्रगति पर है।
- राज्य के संभाग मुख्यालयों (भरतपुर को छोड़कर) पर स्थित मेडिकल कॉलेजों से संबंधित मुख्य चिकित्सालयों में गर्भस्थ शिशु के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए राशि ₹455.00 लाख की लागत से कुल सात 4डी सोनोग्राफी मशीनों की स्थापना की गई है।
- राज्य के विभिन्न मेडिकल कॉलेजों से जुड़े अस्पतालों में जीवन–रक्षक उपकरणों से युक्त 22 एड़वांस्ड़ लाईफ सर्पोट, क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस उपलब्ध करायी जा चुकी है।
- एसएमएस मेडिकल कॉलेज, जयपुर में चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार हेतु लीवर ट्रांसप्लांट के लिए हिपेटो पेनक्रियटोबिलेरी सर्जरी विभाग के लिए 04 पदों को

परिवर्तित किया जा चुका है। गठिया रोग के लिए इम्यूनोलॉजी एवं रूमेटोलॉजी विभाग, बच्चों में यूरीनरी संबंधी उपचार के लिए पिडियाट्रिक यूरोलॉजी विभाग एवं यूरीनरी कैंसर रोगियों के लिए यूरोओंकोलॉजी विभाग की स्थापना के लिए कुल 10 नवीन पदों का सृजन किया गया है।

- सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर में आईपीडी टॉवर व हृदय रोग संस्थान का निर्माण ₹588 करोड की लागत से एसएमएस चिकित्सालय में बन रहे 22 मंजिला आईपीडी टॉवर के साथ किया जा रहा है।
- जयपुर में स्टेट कैंसर सेन्टर का भवन निर्माण का कार्य पूर्ण हो चुका हैं। उपरोक्त परिसर मे ओपीडी प्रारम्भ हो गया है। वर्ष 2022–23 में लीनियर एक्सीलेटर एवं अन्य उपकरण स्थापित किये जाकर कैंसर रोगियों को महत्वपूर्ण सुविधायें एक ही स्थल पर उपलब्ध करायी जा रही हैं।
- एसएमएस मेडिकल कॉलेज, जयपुर में ट्रेकेल स्टेनोसिस के उपचार के लिए ईएनटी विभाग में कार्बन–डाई–ऑक्साइड लेजर मशीन स्थापित की जा चुकी है।
- न्यूरोसर्जरी विभाग, एसएमएस अस्पताल, जयपुर में बजट घोषणा की अनुपालन में बाइपोलर एंजियोग्राफी और सीटी स्कैन की दोहरी सुविधा वाली 3डी डिजिटल एंजियोग्राफी लैब का उद्घाटन ₹10 करोड़ की लागत से किया गया है।
- एस.एम.एस अस्पताल जयपुर के रेडियो डाइग्नोसिस विभाग में ₹6 करोड़ की लागत से अनुदानित डिजिटल सब्सट्रैक्शन एंजियोग्राफी एडवांस लैब स्थापित कर लोकार्पण किया जा चुका हैं।
- एस.एम.एस अस्पताल जयपुर के कार्डियोलॉजी विभाग में ₹6.5 करोड़ की लागत से एक नवीन कैथ लैब स्थापित की गई है।
- एस.एम.एस अस्पताल के सोनी सिटी एम.आर.आई सेंटर में ₹12 करोड़ की लागत से लेटेस्ट स्पैक्ट्रल सिटी स्कैन में 256 स्लाइस की क्षमता की अल्प रेडियशन वाली मशीन स्थापित कर लोकार्पण किया जा चुका हैं।
- राज्य में अंग प्रत्यारोपण को बढ़ावा देने के लिए सघन प्रयास किये गये है। एस.एम.एस. मेडिकल कॉलेज, जयपुर में मानव अंग एवं उत्तक प्रत्यारोपण ऑर्गनाइजेशन स्थापित किया गया तथा कॉर्डियो थोरासिक हृदय प्रत्यारोपण ओटी एवं गहन चिकित्सा इकाई का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया। इसी क्रम में अन्य मेडिकल कॉलेज जे.एल.एन. चिकित्सालय अजमेर, न्यू हॉस्पिटल कोटा, महाराणा भूपाल चिकित्सालय उदयपुर एवं पी.बी.एम. हॉस्पीटल बीकानेर को अंग एवं उत्तक पुनर्प्राप्ति प्रदर्शन के लिये प्रमाण–पत्र जारी कर दिये गये है। राजकीय मेडिकल कॉलेजों में पिछले चार वर्षो में 173 किडनी प्रत्यारोपण, 7 लीवर प्रत्यारोपण एवं 4 हृद्य प्रत्यारोपण हुये है।
- सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर में 10 करोड की लागत से 50 बेड्स के एडवांस मेडिकल आईसीयू एवं ₹2 करोड की लागत से 10 बेड का स्ट्रोक आईसीयू का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है।
- राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय में 500 बेड़ का नया चिकित्सालय प्रारंभ किया गया। साथ ही 400 बेड क्षमता के साथ इस्टीट्यूट ऑफ ट्रोपीकल मेडिसिन एण्ड वायरोलॉजी संस्थान अस्थायी रूप से विश्वविद्यालय परिसर में प्रारम्भ कर दिया गया है। एस.आर. गोयल अस्पताल सेठी कॉलोनी, जयपुर में रोगी शैय्याओं की संख्या 50 से बढ़ाकर 125 कर दी गयी है।
- सांस की बीमारी से पीड़ित बच्चों को लाभ पहुंचाने के लिए सर पदमपत् मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य संस्थान (जेके लोन हॉस्पिटल, जयपुर) में 30 जनवरी, 2020 से ब्रोंको स्कोपी सुविधा शुरू की गई है।
- सर पदमपत् मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य संस्थान (जेके लोन हॉस्पिटल, जयपुर) में एक पंजीकरण काउंटर, प्रतीक्षालय और ब्लड बैंक स्थापित किया गया है। दुर्लभ रोगों के लिए उत्कृष्टता केंद्र के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनी जेनजाइम के साथ एक समझौता किया गया है, दूध बैंकिंग के लिए क्षेत्रीय संदर्भ केंद्र स्थापित किया गया है और बाल चिकित्सा सर्जरी विभाग में लैप्रोस्कोपी सिमुलेशन लैब की स्थापना की प्रक्रिया चल रही है।
- मेडिकल कॉलेज, बीकानेर में राशि ₹2.86 करोड की लागत से दन्त चिकित्सालय एवं मेडिकल आईसीयू का निर्माण करवाया गया है।

- मेडिकल कॉलेज, अजमेर का नया भवन ₹200 करोड़ की लागत से कायड, अजमेर में निर्माणाधीन है।
- जवाहर लाल नेहरू चिकित्सालय, अजमेर में राशि ₹442.50 लाख की लागत से चार ऑपरेशन थियेटर का नवीनीकरण कर अत्याधुनिक मॉड्यूलर ओ.टी. का निर्माण, राशि ₹261.00 लाख की लागत से आपातकालीन ईकाई एवं दानदाता के सहयोग से कैंसर रोगियों के उपचार हेतु राशि ₹240.50 लाख की लागत से ब्रेंकीथैरेपी मशीन की स्थापना की जा चुकी है।
- मथुरादास माथुर चिकित्सालय, जोधपुर में राशि ₹5 करोड़ की लागत से नवीन कैथ लैब का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया।
- मथुरादास माथुर चिकित्सालय, जोधपुर में 4 ऑपरेशन थियेटर, 10 बेड आईसोलेशन वार्ड एवं 17 बेड आईसीयू का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया।
- जोधपुर में मण्डोर अस्पताल को जिला अस्पताल में क्रमोन्नत करने हेतु शैय्याओं को 50 से बढ़ाकर 150 करने की स्वीकृति जारी कर इसके लिए आवश्यक अतिरिक्त 38 पदों का सृजन किया जा चुका है।
- प्रताप नगर चिकित्सालय, जोधपुर को जिला अस्पताल में क्रमोन्नत करने हेतु शैय्याओं को 50 से बढ़ाकर 150 करने की स्वीकृति जारी कर इसके लिए आवश्यक अतिरिक्त 60 पदों का सृजन किया जा चुका है।
- जोधपुर चिकित्सा महाविद्यालय में ₹120 करोड की लागत से क्षेत्रीय कैंसर संस्थान का निर्माण कार्य प्रगति पर है।
- मेडिकल कॉलेज कोटा में राशि ₹12.10 करोड की लागत से सेन्ट्रल लाईब्रेरी का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया।
- मेडिकल कॉलेज, कोटा में राशि ₹10.25 करोड की लागत से 150 छात्रों के लिए हॉस्टल का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया।
- मेडिकल कॉलेज, उदयपुर में जूनियर बॉयज हॉस्टल, लेक्चर थियेटर ब्लॉक, ओपीडी एवं इन्वेस्टीगेशन व एकीकृत ब्लॉक एवं सीनियर रेजिडेन्ट हॉस्टल का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया।
- मेडिकल कॉलेज, डूंगरपुर में सीएसएस के तहत 300 बेड के नवनिर्मित भवन, रेजिडेन्ट हॉस्टल एवं नर्सेज हॉस्टल का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया।

कोविड–19 महामारी के प्रबंधन हेतु लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयः

- राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में कोविड–19 आरटीपीसीआर टेस्ट की सुविधा उपलब्ध है, जिसमें 36 राजकीय संस्थानों में राजकीय लैब संचालित है, जिनकी कुल जाँच क्षमता 1.45 लाख टेस्ट प्रतिदिन है।
- राजकीय मेडिकल कॉलेजों से संबद्ध अस्पतालों में मार्च, 2020 में उपलब्ध ऑक्सीजन बिस्तरों की संख्या 5,449 थी जिसे अब बढ़ाकर 16,513 कर दिया गया है। इस प्रकार, आक्सीजन बिस्तरों की कुल संख्या में 11,064 (203 प्रतिशत) बिस्तरों की बढ़ोतरी हुई।
- राजकीय मेडिकल कॉलेजों से संबद्ध अस्पतालों में मार्च, 2020 में उपलब्ध आईसीयू बिस्तरों की कुल क्षमता 1,092 थी, जिसे अब बढ़ाकर 2,868 कर दिया गया है। इस प्रकार आईसीयू बिस्तरों की संख्या में कुल 1,776 (162 प्रतिशत) बिस्तरों की बढ़ोतरी हुई।
- राजकीय मेडिकल कॉलेजों से संबद्ध अस्पतालों में मार्च, 2020 में उपलब्ध बच्चों के आईसीयू बिस्तरों की कुल क्षमता 645 थी जिसे अब बढ़ाकर 1,084 कर दिया गया है। इसके अलावा अतिरिक्त पीडियाट्रिक आईसीयू बिस्तरों का कार्य चल रहा है, इसके बाद बच्चों के आईसीयू बिस्तरों की कुल संख्या बढ़कर 2,110 हो जाएगी। इस प्रकार बच्चों के आईसीयू बिस्तरों में 1,465 (227 प्रतिशत) की बढ़ोतरी होगी।
- वर्तमान में मेडिकल कॉलेजों से जुड़े विभिन्न अस्पतालों में कुल 149 ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र स्थापित किए गए है, जिनकी उत्पादन क्षमता 19,825 सिलेंडर प्रतिदिन है।
- वर्तमान में, राजकीय मेडिकल कॉलेजों से संबद्ध अस्पतालों में 38,500 सिलेण्डर प्रतिदिन की क्षमता वाले 18 लिक्विड मेडिकल ऑक्सिजन (एल.एम.ओ.) प्लान्ट स्थापित है।
- एसएमएस मेडिकल कॉलेज–जयपुर, डॉ. एस. एन. मेडिकल कॉलेज–जोधपुर एवं राजकीय मेडिकल कॉलेज–कोटा में जीनोम अनुक्रमण प्रयोगशाला स्थापित की गई हैं।

- राज्य में कोविड–19 रोगियों के लिए निःशुल्क उपचार सुविधा को मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत शामिल किया गया है।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

राज्य सरकार समाज के कमजोर वर्गों, गरीबों और जरूरतमंदों के लिए विशेष जोर देने के साथ–साथ सभी के लिए आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से सार्वजनिक स्वास्थ्य नीति के प्रमुख स्वास्थ्य सुधारों को लागू करने के लिए निरन्तर प्रयासरत हैं। राज्य सरकार राज्य के लोगों को उपचारात्मक और निवारक सेवाएं प्रदान करने के लिए संक्रामक एवं अन्य बीमारियों के नियंत्रण और उन्मूलन के लिए प्रतिबद्ध है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान चिकित्सा संस्थाओं का संरचनात्मक विकास एवं सुदृढ़ीकरण कर सुनियोजित तरीके से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के सभी समुदायों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने का प्रयास कर रहा है। राजकीय एलोपैथिक चिकित्सा संस्थानो (चिकित्सा महाविद्यालय–अस्पतालों के अतिरिक्त) की नवम्बर, 2022 तक की स्थिति तालिका–8.6 में दर्शाई गई है।

तालिका–8.6 चिकित्सा संस्थानों का विवरण

क्र.सं.	चिकित्सा संस्थान	चिकित्सा संस्थानों की संख्या (नवम्बर, 2022 तक)	एन.यू.एच.एम. के अन्तर्गत	
			स्वीकृत	संचालित
1.	चिकित्सालय	148	-	-
2.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	760	13	9
3.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (ग्रामीण)	2259	-	-
4.	औषधालय (डिस्पेंसरी)	186	-	-
5.	मातृ एवं शिशु कल्याण केन्द्र	118	-	-
6.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (शहरी)	57	143	139
7.	उप स्वास्थ्य केन्द्र	14268	-	-
8.	शैय्याएं *	61800	390	390

*चिकित्सा महाविद्यालयों से संबंद्ध चिकित्सालयों के अतिरिक्त अन्तरंग रोगी शैय्याएं।

वर्ष 2022–23 में नवीन गतिविधियां:

- 07 उप जिला चिकित्सालयों को जिला चिकित्सालयों मे क्रमोन्नत किया गया।
- 21 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को उप जिला चिकित्सालयों मे क्रमोन्नत किया गया।
- लोहावट–जोधपुर, लालसोट–दौसा, भीम–राजसमंद, एवं खण्डेला–सीकर में 50 शैय्याओ युक्त मदर एण्ड चाइल्ड केयर सेन्टर खोले गयें।
- नवचकिया औषधालय–जिला जोधपुर एवं मोती डूंगरी रोड मोबाईल यूनिट के सिटी अस्पताल जयपुर को 50 शैय्याओ युक्त सैटेलाईट चिकित्सालय में क्रमोन्नत किया गया है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, आमेर जयपुर को भी सैटेलाईट चिकित्सालय में क्रमोन्नत किया गया है।
- नवगठित 57 पचांयत समितियों में ब्लॉक मुख्य चिकित्सा कार्यालय स्थापित किये गये हैं।
- जिला चिकित्सालय–हिन्डौन सिटी जिला करौली, उप

जिला चिकित्सालय–बाडी जिला धौलपुर एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र–देवली जिला टोंक में ब्लड बैंक की स्थापना की गई।

निरोगी राजस्थान अभियान

राजस्थान के समस्त नागरिकों की स्वास्थ्य समस्याओं और उनकी रोकथाम के लिए 18 दिसम्बर, 2019 को निरोगी राजस्थान अभियान का शुभारम्भ किया गया, जिसके अन्तर्गत निम्नलिखित गतिविधियां की जा रही हैं:–

- जनसंख्या नियंत्रण (परिवार कल्याण कार्यक्रम)
- वृद्धावस्था की स्वास्थ्य समस्याओं का समाधान
- महिला स्वास्थ्य (एनीमिया, कुष्ठ रोग, स्तन एवं बच्चेदानी का केन्सर तथा माहवारी)
- मौसमी संचारी रोग
- किशोरावस्था स्वास्थ्य (एनीमिया, कुपोषण, मोटापा, माहवारी एवं स्वच्छता)
- असंचारी रोग (जीवनशैली आधारित मोटापा, मधुमेह, रक्तचाप, मनोरोग, हृदयरोग, पक्षाघात, कैंसर तथा फेफड़े संबंधी रोग)
- टीकाकरण एवं वयस्क टीकाकरण (सम्पूर्ण टीकाकरण)
- ड्रग की लत और बीमारी (शराब, ड्रग्स व तम्बाकू)
- खाद्य मिलावट
- प्रदूषण इत्यादि

स्वास्थ्य मित्र

राज्य के प्रत्येक राजस्व ग्राम एवं शहरी वार्ड में एक स्वास्थ्य मित्र (महिला व पुरूष) का चयन कर प्रशिक्षण दिया गया है। राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में कुल 82,955 स्वास्थ्य मित्र और शहरी क्षेत्रों में 14,373 स्वास्थ्य मित्र चयनित किए गए हैं। योजनान्तर्गत स्वयंसेवी व्यक्तियों को बिना किसी पारिश्रमिक के स्वास्थ्य मित्र के रूप में कार्य करना होता है। ये स्वास्थ्य मित्र जनता को चिरंजीवी स्वास्थ्य शिविरों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और उन्हें स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करते हैं।

जनता क्लिनिक

राज्य के शहरी गरीब और कमजोर तबके के नागरिकों को उच्च गुणवत्ता वाली प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए स्लम क्षेत्रों एवं सघन बस्तियों के पास ''जनता क्लिनिक'' खोले गए हैं, जहाँ आसपास कोई स्वास्थ्य सुविधा नहीं है। वर्तमान में राजस्थान में 25 जनता क्लिनिक संचालित हैं, जिसमें नवम्बर, 2022 तक 6,05,865 रोगियों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की गई है। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हैल्थ इन्फ्रास्ट्रेक्चर मिशन–2022 के अन्तर्गत 47 जनता क्लिनिक की स्वीकृति शहरी स्वास्थ्य कल्याण केंद्र (यू.एच. डब्ल्यू.सी.) के तहत प्राप्त हुई हैं।

मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना

मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना 1 मई, 2022 से मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा एवं मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना के विस्तार के रूप में शुरू की गई है। इस योजना के अन्तर्गत मेडिकल कॉलेज से जुड़े चिकित्सालयों, जिला चिकित्सालयों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और उप–स्वास्थ्य केन्द्रों में आने वाले सभी इनडोर और आउटडोर मरीजों को निःशुल्क आवश्यक दवाएं और जांच की सुविधा प्रदान की जाती है। वर्तमान में आवश्यक दवा सूची के अनुसार 1,594 औषधियां, 928 सर्जिकल आईटम और 185 सूचर्स आइटम सूचीबद्ध हैं। सूचीबद्ध दवा परीक्षण प्रयोगशालाओं मे दवाओं के परीक्षण द्वारा आपूर्ति की जा रही दवाईयों की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाती हैं। वित्तीय वर्ष 2022–23 (नवम्बर, 2022) तक ₹854.40 करोड़ रुपये व्यय कर कुल 7.48 करोड़ रोगियों को निःशुल्क दवाईयां दी गई तथा 8.10 करोड़ से अधिक निःशुल्क जांच कर 2.55 करोड़ लोगों को लाभान्वित किया गया है।

राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (एन.एम.एच.पी.)

इस योजना के अन्तर्गत ओपीडी के तहत 1,53,016 नए रोगियों एवं 2,17,108 अनुवर्ती रोगियों और आईपीडी के तहत 7,526 रोगियों को चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की गई। एन.एम.एच.पी. के अन्तर्गत, 419 शिविर आयोजित किए गए और शिविरों में 7,474 रोगियों का उपचार किया गया। इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022–23 में नवम्बर, 2022 तक ₹108.00 लाख व्यय किए गए।

राष्ट्रीय फ्लोरोसिस रोकथाम एवं नियन्त्रण कार्यक्रम

राष्ट्रीय फ्लोरोसिस रोकथाम एवं नियंत्रण कार्यक्रम 30 जिलों में संचालित हैं। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022–23 (नवम्बर, 2022 तक) 4,148 संभावित फ्लोरोसिस रोगियों को चिन्हित किया गया है। कुल 1,560 पेयजल के नमूनों की तथा 3,281 मरीजों के यूरीन की जांच की गयी।

कुल 12,813 रोगियों को प्राथमिक उपचार एवं दवाओं का वितरण किया गया। इस कार्यक्रम के तहत, वित्तीय वर्ष 2022–23 (नवंबर, 2022 तक) में कुल उपलब्ध राशि ₹121.70 लाख के विरुद्ध ₹78.81 लाख व्यय किए गए हैं।

राष्ट्रीय मुख स्वास्थ्य कार्यक्रम

वित्तीय वर्ष 2014–15 में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय मुख स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्राथमिक स्वास्थ्य के निर्धारकों में सुधार करना और ग्रामीण व शहरी आबादी में प्राथमिक स्वास्थ्य की सेवाओं में उपलब्ध असमानता को कम करना है। वित्तीय वर्ष 2022–23 में नवम्बर, 2022 तक कुल 3,615 कैम्प लगाये गये जिसमें 1,12,912 मरीजों की जांच की गई एवं कुल 10,01,707 मरीजों का राजकीय दन्त चिकित्सा संस्थानों में ईलाज किया गया। वर्ष 2022–23 में राष्ट्रीय मुख स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत भारत सरकार से ₹429.30 लाख की राशि प्राप्त हुई है।

आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/मॉडल सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र

ग्रामीण क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 'आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र' योजना प्रारम्भ की गई है। राज्य में 750 ग्रामीण प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के रूप में कार्य कर रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2022–23 में नवम्बर, 2022 तक समस्त केन्द्रों पर 86.55 लाख रोगियो को ओपीडी में उपचारित किया गया तथा 51,435 प्रसव कराए गये। वित्तीय वर्ष 2022–23 में राशि ₹300.00 लाख का प्रावधान किया गया है।

माननीय मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणा की अनुपालना में कुल 199 के लक्ष्य के विरूद्ध 180 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को आदर्श सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के रूप में विकसित किया जा रहा है।

सार्वजनिक–निजी सहभागिता

आम जनता को बेहतर प्राथमिक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वर्तमान में 27 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पीपीपी मोड पर संचालित किए जा रहे हैं। समस्त राजकीय जिला चिकित्सालयों में हीमोडायलेसिस यूनिट स्थापित कर डायलेसिस की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है एवं 29 राजकीय जिला चिकित्सालयों एवं 1 उप जिला चिकित्सालय में पीपीपी मोड पर सीटी स्केन मशीन संचालित की जा रही हैं। निःसंतान दम्पती को उचित लागत पर आईवीएफ सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 8 राजकीय जिला चिकित्सालयों मे आईवीएफ केन्द्र संचालित किये जा रहे हैं। आमजन एवं विशेष रूप से गरीब लोगों को सस्ती एम.आर.आई. जांच सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 4 राजकीय चिकित्सालयों यथा कांवटिया जयपुर, अलवर, भीलवाड़ा, एवं सीकर में एम.आर.आई. मशीनें पीपीपी मोड पर संचालित की जा रही है।

शुद्ध के लिए युद्ध अभियान

राज्य के सभी उपभोक्ताओं को शुद्ध खाद्य वस्तुएं उपलब्ध कराने के लिए, राजस्थान सरकार द्वारा 26 अक्टूबर, 2020 से "शुद्ध के लिए युद्ध" अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत कैलेंडर वर्ष 2022 में नवम्बर, 2022 तक कुल 13,166 निरीक्षणों के माध्यम से 13,066 नमूने एकत्रित किये गये। जिनमें से प्रयोगशाला में परीक्षण के बाद 2,152 नमूने अवमानक, 966 गलत ब्रांड वाले और 534 असुरक्षित नमूने पाए गए।

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम

- "राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम" के अन्तर्गत 24,44,075 व्यक्तियों के खून की जांच की गई है, जिनमें से 4,779 रक्त के नमूने एच.आई.वी. पॉजिटिव पाए गए हैं।
- मेडिकल कॉलेज, जिला चिकित्सालयों एवं चयनित केन्द्रों में 53 यौन संचारित संक्रमण (एस.टी.आई) क्लिनिक संचालित है। इन सभी केन्द्रो पर निःशुल्क परामर्श, जांच एवं दवाईयाँ प्रदान की जा रही है।
- एच.आई.वी संक्रमण के प्रसार को रोकने हेतु अधिक जोखिम वर्ग के लिए 41 यौन संचारित संक्रमण (एस.टी.डी.) क्लिनिक गैर सरकारी संगठन के माध्यम से कार्यरत हैं।
- राज्य में 202 ब्लड बैंक संचालित हैं जिसमें 56 राज्य सरकार, 7 केन्द्र सरकार एवं 139 निजी क्षेत्र के ब्लड बैंक शामिल हैं। इन ब्लड बैंकों द्वारा जरूरतमंदो को सुरक्षित रक्त उपलब्ध करवाया जा रहा है।
- राज्य में 28 एंटी–रेट्रोवायरल थेरेपी (ए.आर.टी.) केन्द्र, एवं 7 पीपीपी ए.आर.टी. केन्द्र और 21 लिंक ए.आर.टी. केन्द्र भी संचालित है। इन केन्द्रों पर एचआईवी/एड्स के रोगियो को एंटी रेट्रो वायरल दवाएं निःशुल्क वितरित की जाती हैं।

मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना (एमएमसीएसबीवाई)

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) द्वारा निर्धारित सतत् विकास लक्ष्यों में परिभाषित सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ते हुए राजस्थान राज्य ने स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र में एक और पहल की है तथा राज्य में 1 मई, 2021 को मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना (एमएमसीएसबीवाई) शुरू की है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना राज्य की पूरी आबादी को स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करने की परिकल्पना करता हैं।

इस योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा, सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना में चिन्हित, छोटे और सीमांत किसानों, संविदा कर्मियों और कोविड–19 अनुग्रह योजना के लाभार्थियों के परिवारों का निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा किया गया है। शेष आबादी प्रति वर्ष प्रति परिवार ₹850 की राशि का भुगतान करके योजना में शामिल हो सकती है जो निर्धारित प्रीमियम लागत का 50 प्रतिशत है, शेष 50 प्रतिशत प्रीमियम लागत राज्य सरकार द्वारा वहन की जा रही है।

मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की प्रमुख विशेषताएंः

- चिरंजीवी योजना में नवम्बर, 2022 तक 1.37 करोड़ परिवारों को पंजीकृत किया गया है।
- बजट घोषणा 2022 की अनुपालना में 1 अप्रैल, 2022 से प्रत्येक परिवार का स्वास्थ्य बीमा कवरेज ₹5 लाख प्रतिवर्ष प्रति परिवार से बढ़ाकर ₹10 लाख प्रतिवर्ष प्रति परिवार कर दिया गया है। ₹5 लाख की अतिरिक्त राशि का वित्तीय भार राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है।
- 1 अप्रैल, 2022 से योजना में अंग प्रत्यारोपण के विशेष पैकेज भी शामिल किए गए हैं, जैसे कॉक्लियर इम्प्लांट, बोन मैरो ट्रांसप्लांट (ऑटोलॉगस, एलोजेनिक), किडनी ट्रांसप्लांट, लिवर ट्रांसप्लांट और हार्ट ट्रांसप्लांट जिसकी राशि ₹10 लाख की राशि कवरेज के अतिरिक्त होगी।
- योजना के प्रारंभ में 1,572 पैकेज निर्धारित किये गये। बाद में कोविड–19, म्यूकोर्मिकोसिस और डायलिसिस के पैकेज भी शामिल किए गए। इस योजना में कुल 1,633 उपचार पैकेज सम्मिलित हैं, जिसमें कुल 61 नए पैकेज शामिल है। कुल पैकेज में से 56 पैकेज राजकीय चिकित्सा संस्थानों हेतु आरक्षित हैं।
- पैनल में सम्मिलित चिकित्सालयों में कैशलेस आई.पी.डी. चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। योजना के अन्तर्गत 834 सरकारी और 899 निजी अस्पतालों को सूचीबद्ध किया गया है।
- इस योजना में चिकित्सालयों में भर्ती होने के 5 दिन पूर्व एवं 15 दिवस पश्चात् का खर्च शामिल हैं।
- वित्तीय वर्ष 2022–23 में नवम्बर, 2022 तक निःशुल्क श्रेणी के 16.45 लाख मरीजों (₹1,748.50 करोड़ की राशि) एवं भुगतान श्रेणी से संबंधित 1.81 लाख रोगियों (₹250.27 करोड़ की राशि) को कैशलेस आईपीडी उपचार सुविधा प्रदान की गई है।
- मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022–23 में नवम्बर, 2022 तक 18.25 लाख रोगियों के लिए ₹1,998.77 करोड़ के कुल 35.96 लाख दावे प्रस्तुत किए गए हैं।

वित्तीय वर्ष 2022–23 में (नवम्बर, 2022) तक मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत इलाज किए गए स्पेशलिटी वाईज मरीजों की संख्या तालिका 8.7 में दी गई है।

चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना

बजट घोषणा 2021–22 की अनुपालना में प्रदेश में मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना लागू की गई है इस योजना का मुख्य उद्देश्य मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत पेनलबद्ध चिकित्सालयों में सभी प्रकार के सड़क यातायात दुर्घटना पीड़ितों को 72 घन्टे तक निःशुल्क आपातकालीन उपचार प्रदान करना है। वित्तीय वर्ष 2022–23 (नवम्बर, 2022 तक) 2,249 सड़क यातायात दुर्घटना पीडितों को ₹3.91 करोड़ का निःशुल्क इलाज प्रदान किया गया है।

तालिका 8.7– वित्तीय वर्ष 2022–23 में (नवम्बर, 2022) तक मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत इलाज किए गए स्पेशलिटी वाईज रोगियों की संख्या

स्पेशलिटी वाईज पैकेज का नाम	रोगियों की संख्या	व्यय राशि (₹करोड़)
बर्न प्रबंधन	1706	7.06
कार्डियो–थोरेसिक और वेस्क्यूलर सर्जरी	6124	80.91
कार्डियोलोजी	30306	195.83
कोविड–19	430	1.14
आपातकालीन कक्ष पैकेज (12 घंटे से कम रहने की आवश्यकता वाली देखभाल)	95231	18.56
सामान्य चिकित्सा	838645	421.93
जनरल सर्जरी	107824	203.36
इंटरवेंशनल न्यूरोरेडियोलॉजी	364	4.05
मेडिकल ऑन्कोलॉजी	89297	132.16
मानसिक विकार पैकेज	4176	3.96
म्यूकोर्मिकोसिस	147	4.87
नवजात देखभाल पैकेज	60100	75.51
न्यूरोसर्जरी	9873	45.30
प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ	150805	143.84
ऑप्थेल्मोलॉजी (नेत्र विज्ञान)	30472	22.99
ओरल और मैक्सिलोफेशियल सर्जरी	1521	2.56
आर्थोपेडिक्स (हड्डी रोग)	144872	276.75
औटोराइनोलैरिंगोलॉजी (ईएनटी)	27967	40.75
बाल चिकित्सा प्रबधंन	146456	67.44
बाल चिकित्सा सर्जरी	4885	9.14
प्लास्टिक और पुनर्निर्माण सर्जरी	3394	11.51
पॉलीट्रोमा	7668	3.39
विकिरण ऑन्कोलॉजी (विकिरण कैंसर विज्ञान)	9940	57.90
सर्जिकल ऑन्कोलॉजी	6561	28.50
प्रत्यारोपण सर्जरी	137	4.49
यूरोलॉजी	67921	139.15

मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना

राज्य सरकार द्वारा 1 मई 2022 से मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना शुरू की गई। योजना के अन्तर्गत मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में बीमित परिवारों को योजना में वर्णित सात प्रकार की दुर्घटनाओं (सड़क, दुर्घटना, ऊँचाई से गिरने, मकान के ढहने, बिजली के झटके, रसायन द्रव्यों के छिड़काव, डूबने एवं जलने) का बीमा किया जाता है। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत आने वाले बीमित परिवारों को ₹5 लाख तक का बीमा कवर दिया जाता हैं। इस योजना के तहत बीमित परिवार के सदस्य की मृत्यु होने पर ₹5 लाख, हाथ, पैर और आँखों में से कोई दो अंगों के पूरी तरह से नष्ट हो जाने पर ₹3 लाख और इनमें से एक अंग के पूरी तरह खराब हो जाने पर ₹1.5 लाख का भुगतान किया जा रहा हैं। वित्तीय वर्ष 2022—23 के दौरान मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत दिसम्बर, 2022 तक प्राप्त किये गये और निपटाये गये दावों का विवरण तालिका 8.8 में दिया गया है।

तालिका—8.8 वित्तीय वर्ष 2022—23 के दौरान दिसम्बर, 2022 तक मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत प्राप्त किये गये और निपटाये गये दावो का विवरण

प्राप्त दावों की कुल संख्या	कुल स्वीकृत दावे	स्वीकृत दावों के लिए भुगतान की गई कुल राशि (₹करोड़)
7330	3305	158

राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना (आर.जी.एच.एस.)

- सीजीएसएस की तर्ज पर जनप्रतिनिधि/कर्मचारियों/पेंशनरों को स्वास्थ्य के क्षेत्र में कैशलेस और गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के लिए 01 जुलाई 2021 को राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना (आरजीएचएस) शुरू की गई थी। आरजीएचएस द्वारा लगभग 13.50 लाख परिवारों को लाभान्वित किया गया है। आरजीएचएस के अन्तर्गत राज्य के माननीय मंत्री, विधायक, पूर्व विधायक, अखिल भारतीय सेवा के सेवारत और सेवानिवृत्त अधिकारी, सरकारी सेवारत कर्मचारी और पेंशनभोगी, राज्य स्वायत्त निकाय सेवारत कर्मचारी और पेंशनभोगी और आश्रित शामिल हैं।
- इस योजना के तहत पंजीकरण जन आधार के माध्यम से किया जा सकता है। इस योजना के तहत पंजीकृत लाभार्थी ई—कार्ड डाउनलोड कर सभी सरकारी, 520 निजी सूचीबद्ध अस्पतालों तथा राज्य के बाहर 10 से अधिक निजी सूचीबद्ध अस्पतालों में कैशलेस ओपीडी/आईपीडी/डे—केयर सुविधा का लाभ उठा सकते है। एलोपैथी के अलावा, इसमें आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी और सिद्ध (आयुष) के तहत जो गुणवत्तापूर्ण और विशिष्ट चिकित्सा सुविधापूर्ण है चिकित्सा उपचार भी शामिल है।
- 1 जनवरी 2004 और उसके पश्चात् नियुक्त सरकारी कर्मचारी असीमित कैशलेस चिकित्सा लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र हैं।
- राज्य सरकार के पेंशनर्स अब अपने आश्रितों को आरजीएचएस के अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारी के परिवारजनों के अनुरूप आरजीएचएस में शामिल कर सकते हैं।
- आरजीएचएस के अन्तर्गत पंजीकृत लाभार्थियों को सभी कॉन्फेड मेडिकल स्टोर्स और 3,100 से अधिक निजी पैनलबद्ध फार्मा स्टोर्स पर कैशलेस दवा की सुविधा भी प्रदान की जाती है।
- आरजीएचएस पूर्ण रूप से ऑन—लाईन, स्वचालित पेपरलेस पर आधारित प्रणाली है।
- वित्तीय वर्ष 2021—22 में ओपीडी/आईपीडी/डे केयर, निजी फार्मेसी और प्रतिपूर्ति के 18.98 लाख दावों के लिए कुल ₹562.19 करोड़ व्यय किए गए हैं।
- वित्तीय वर्ष 2022—23 में दिसंबर, 2022 तक ओपीडी/आईपीडी/डे केयर, निजी फार्मेसी और प्रतिपूर्ति के 87.57 लाख दावों के लिए कुल ₹1925.09 करोड़ व्यय किए गए हैं।

वर्ष 2022–23 के दौरान महत्वपूर्ण उपलब्धियां:

- ''राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम'' के अन्तर्गत 1,000 रोगियों के लक्ष्य के विरुद्ध, 781 नए कुष्ठ रोगी पाये गये तथा 663 रोगियों को उपचार कर ठीक किया गया।
- ''राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम'' में कैलेंडर वर्ष 2022 के अन्तर्गत 1,80,000 रोगियों के लक्ष्य के विरूद्व नवम्बर, 2022 कुल 1,55,562 क्षय रोगियों को चिन्हित किया गया है।
- ''राष्ट्रीय अन्धता नियन्त्रण कार्यक्रम'' के अन्तर्गत 3,08,700 नेत्र ऑपरेशन लक्ष्य के विरुद्व 1,62,285 नेत्र (मोतियाबिंद) ऑपरेशन किए गए हैं।
- ''राष्ट्रीय वैक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एन.वी.बी.डी.सी.पी.)'' के अन्तर्गत 84.61 लाख के लक्ष्य के विरूद्व 72.22 लाख रक्त स्लाइडें संकलित कर जांच की गई।
- ''आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम'' के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022–23, नवंबर, 2022 तक 1,73,847 नमूने संकलित किए हैं।
- राजस्थान के समस्त 33 जिलों में समेकित रोग निगरानी कार्यक्रम (आई.डी.एस.पी.) संचालित हो रहा है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत नवम्बर, 2022 तक ₹370.62 लाख की राशि व्यय की गई हैं।
- भारत सरकार के सहयोग से असंचारी रोगों की रोकथाम एवं नियन्त्रण करने के लिए राज्य में कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग, एवं स्ट्रोक नियन्त्रण कार्यक्रम (एन.पी.सी.डी.सी.एस.) चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम में कैंसर, हृदय रोग एवं मधुमेह रोग की पहचान के लिए स्क्रीनिंग की जाती है और जरूरतमंदों के लिए उपचार प्रदान किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2022–23 (नवम्बर, 2022 तक) भारत सरकार द्वारा ₹30,336.00 लाख स्वीकृत किए गए जिसमें से ₹1394.25 लाख का व्यय किये गये हैं।
- राज्य सरकार की जन घोषणा क्रियान्विति एवं निरोगी राजस्थान अभियान के अंतर्गत तम्बाकू मुक्त राजस्थान अभियान सम्पूर्ण राज्य में ग्राम स्तर तक संचालित किया गया। उपरोक्त अभियान के अंतर्गत 31 मई, 2022 को विश्व तम्बाकू निषेध दिवस के अवसर पर प्रदेश के सभी शासकीय निजी कार्यालयों/संस्थाओं में तंबाकू का सेवन न करने एवं परिवार के अन्य सदस्यों एवं मित्रों को प्रेरित करने की शपथ लेकर प्रतिबद्धता व्यक्त की गई। वित्तीय वर्ष 2022–23 (नवम्बर, 2022 तक) कुल स्वीकृत ₹818.12 लाख में से ₹210.02 लाख का व्यय किया गया है।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यू.एच.ओ) द्वारा कोविड–19 को अंतरराष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किए जाने के बाद, राज्य में रोकथाम, नियंत्रण, उपचार, जांच (संपर्क ट्रेसिंग) और सूचना के प्रसार के लिए विभिन्न उपाय किए गए हैं। राज्य में राजस्थान महामारी अधिनियम 1957 (एपिडेमिक एक्ट 1957) के अंतर्गत जिला कलेक्टर को कोविड–19 के लिए जिले का नोडल अधिकारी बनाया गया है। राज्य में कुल 13,15,237 कोविड–19 पॉजिटिव केस मिले हैं, जिनमें से 9,653 की मौत हो चुकी है।

आयुर्वेद एवं अन्य चिकित्सा पद्धतियां

राज्य में 122 आयुर्वेद चिकित्सालय, 79 ब्लॉक आयुष चिकित्सालय, 3,582 आयुर्वेदिक औषधालय, 01 शल्य चल चिकित्सा इकाई एवं 13 चल चिकित्सा इकाईयां हैं। 45 आँचल प्रसूता केन्द्र, 45 जरावस्था जन्य व्याधि निवारण केन्द्र, 46 पंचकर्म केन्द्र, 10 क्षारसूत्र केन्द्र तथा 33 योगा एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान केन्द्र भी राजस्थान के आयुर्वेद संस्थानों में शामिल हैं। राज्य में संचालित आयुर्वेद और अन्य संस्थानों की स्थिति तालिका– 8.9 में दर्शायी गई है।

तालिका–8.9 आयुर्वेद एवं अन्य चिकित्सा पद्धतियों की संस्थाओ का विवरण

चिकित्सा संस्थान का नाम	शहरी	ग्रामीण	कुल
जिला चिकित्सालय	-	33	33
आयुर्वेदिक चिकित्सालय	42	47	89
ब्लॉक आयुष चिकित्सालय	58	21	79
आयुर्वेदिक औषधालय	3388	194	3582
शल्य चल चिकित्सा इकाई	-	-	14
योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान केन्द्र	-	-	33
प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग चिकित्सालय	-	3	3
प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग औषधालय	1	2	3

वर्ष 2022–23 में नवम्बर, 2022 तक आयुर्वेद विभाग की उपलब्धियां :

- आठवें अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन 21 जून 2022 को सम्पूर्ण राज्य में "आजादी का अमृत महोत्सव" की थीम पर आयोजित किया गया।
- अ–श्रेणी चिकित्सालय नोखा– बीकानेर व राजकीय आयुर्वेद औषधालय तारानगर–चूरू को शहरी ब्लॉक आयुष चिकित्सालय में क्रमोन्नत किया गया।
- बच्छरारा (रतनगढ़)–चूरू, बावडीखुर्द (फलौदी)–जोधपुर, ताऊसर–नागौर, देराजसर–बीकानेर एवं सांतलेरा–बीकानेर में नवीन राजकीय आयुर्वेद औषधालय खोले गये।
- 77 नवीन ब्लॉक आयुष चिकित्सालय स्थापित किये गये।
- 10 नवीन आंचल प्रसूता, 10 पंचकर्म, 12 जरावस्था केन्द्र खोले गये।
- निरोगी राजस्थान योजनान्तर्गत रक्ताल्पता पर अध्ययन हेतु पायलट प्रोजेक्ट तैयार कर सर्वप्रथम भरतपुर जिले में 01 जनवरी 2022 से संचालित किया गया।
- अजमेर में राजस्थान राज्य आयुष अनुसंधान केन्द्र की स्थापना की गई है।
- 500 आयुर्वेद औषधालय हैल्थ एण्ड वैलनेस सेन्टर्स के रूप में प्रारम्भ किये गये।
- जयपुर, बीकानेर, भरतपुर, अजमेर, कोटा व सीकर में आयुर्वेद, योग एवं नेचुरोपैथी के एकीकृत आयुर्वेद महाविद्यालय तथा उदयपुर व जोधपुर में योग एवं नेचुरोपैथी के कॉलेज प्रारंभ किये गये।

राष्ट्रीय आयुष मिशन (आयुष)

राज्य में आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा के पूर्ण विकास हेतु राष्ट्रीय आयुष मिशन–आयुष मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के अन्तर्गत राजस्थान राज्य आयुष सोसायटी एवं राष्ट्रीय आयुष मिशन कार्यालय की स्थापना की गयी। इस मिशन के तहत दो प्रमुख कार्य किये जा रहे है:– आवश्यक गतिविधियाँ, फ्लेक्सी पूल के तहत गतिविधियाँ।

आयुष चिकित्सा अनुभाग के तहत 5,211 आयुष औषधालयों एवं अस्पतालों को आयुर्वेद/होम्यो/यूनानी दवाओं की आपूर्ति की गई। 543 औषधालयों, 50 बिस्तर वाले 5 अस्पतालों, 7 रसायनशालों एवं 9 क्षारसूत्र इकाइयों में सिविल कार्य गतिविधियों के तहत नवीनीकरण/निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत नवम्बर, 2022 तक ₹25,038.45 लाख व्यय किए गए हैं।

अन्य गतिविधियां:

मदन मोहन मालवीय राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, उदयपुर के सुदृढ़ीकरण के लिए बहिरंग विभाग, अतंरग विभाग, अनुसंधान केन्द्र एवं प्राकृतिक चिकित्सा केन्द्रों में फर्नीचर, उपकरण एवं शैय्याएं आदि की व्यवस्था की गई है। केन्द्रीय पैथोलॉजी लैब एवं हॉस्टल का निर्माण कार्य करवाया जा रहा है। डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर के सुदृढीकरण का कार्य करवाया जा रहा है।

- राज्य में औषधी गुणवत्ता नियंत्रण के लिए स्थापित औषधि परीक्षण प्रयोगशाला, अजमेर, तथा विभिन्न रसायन शालाओं को कम्प्यूटर, अन्य उपकरण, फर्नीचर तथा रसायनों की आपूर्ति कर सुदृढ़ किया गया है।
- आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत योग, आयुष उपचार, लैब तथा एनसीडी स्क्रीनिंग सुविधाऐं प्रदान करने के लिए 1,000 आयुर्वेद औषधालयों को आयुष हेल्थ एवं वैलनेस सेन्टर्स के रूप में विकसित किया जा रहा हैं।

होम्योपैथी

होम्योपैथिक विभाग के अन्तर्गत राज्य में 6 चिकित्सालय, 188 औषधालय, 60 एकल डॉक्टर इकाई (5 जिला अस्पताल, 33 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 22 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र), 79 ब्लॉक आयुष चिकित्सालय तथा 2 मोबाईल इकाईयां कार्यरत हैं। वर्ष 2022–23 में (दिसम्बर, 2022 तक) 11.78 लाख रोगी होम्योपैथिक संस्थानों द्वारा और 19,263 रोगी मोबाईल इकाईयों के द्वारा उपचार करवाकर लाभान्वित हो चुके है। आजादी अमृत महोत्सव के तहत विभागीय होम्योपैथिक चिकित्सालयों/औषधालयों में आयोजित शिविरों में 44,333 रोगी लाभान्वित हो चुके है।

गौवंश में फैल रहे लम्पी वायरस से बचाव एवं उपचार में होम्योपैथिक औषधियों का उपयोग किया गया। कुल 8,772 गायों का लम्पी वायरस रोग से उपचार किया गया।

यूनानी

यूनानी चिकित्सा पद्धति विश्व की सबसे पुरानी उपचार पद्धतियों में से एक है। वर्तमान में यूनानी चिकित्सा पद्धति के अन्तर्गत राज्य में 11 चिकित्सालय, 67 ग्रामीण व 195 शहरी औषधालय इकाईयां क्रियाशील हैं। वर्ष 2022–23 में (नवम्बर 2022 तक) 2,71,462 पुरूष एवं 2,08,772 महिला रोगियों का उपचार किया जा चुका हैं।

कोविड–19 गतिविधियों के अन्तर्गत 45,253 व्यक्तियों को रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाला जोशांदा (काढ़ा) वितरीत किया गया एवं यूनानी चिकित्सा शिविरों के दौरान 17,338 व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया तथा 496 व्यक्तियो को रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाला जोशांदा (काढ़ा) वितरीत किया गया।

वर्ष 2022–23 में एससीएसपी–टीएएसपी कैम्प के दौरान नवम्बर, 2022 तक 11,421 मरीजों का ईलाज किया गया और 245 लोग हिजामा थैरेपी से लाभान्वित हुए। आरोग्य मेला वर्ष 2022 के दौरान 8,552 मरीजों का ईलाज किया गया और 1,894 लोग हिजामा थैरेपी से लाभान्वित हुए।

कर्मचारी राज्य बीमा योजना (ई.एस.आई.)

कर्मचारी राज्य बीमा योजना एक विशिष्ट प्रकार की सामाजिक सुरक्षा योजना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य विभिन्न औद्योगिक, वाणिज्यिक संस्थानों, निजी शैक्षणिक संस्थानों, निजी चिकित्सा संस्थानों में कार्यरत श्रमिकों/कर्मचारियों एवं उनके आश्रित परिवारजनों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना है। योजना के अन्तर्गत, उपरोक्त संस्थानों में जहाँ 10 या अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं और जिनकी वेतन सीमा ₹21,000 प्रति माह तक है, उन्हें चिकित्सा सुविधा लाभ दिया जाता है। इनके साथ–साथ उनके पति/पत्नी, बीमित व्यक्ति पर आश्रित (21 वर्ष की आयु तक) पुत्र, अविवाहित पुत्री, शारीरिक एवं मानसिक रूप से निःशक्तजन बच्चों तथा आश्रित माता–पिता को चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है।

- वर्ष 2022–23 के दौरान दिसम्बर, 2022 तक 13.36 लाख बीमित कर्मचारी एवं लगभग 38.49 लाख आश्रित परिवारजन योजना में पंजीकृत है। इस योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान दिसम्बर, 2022 तक 78 ईएसआईएस चिकित्सा संस्थानों में 2,07,899 प्रयोगशाला परीक्षणों, 16,31,237 ओपीडी, 2,981 आईपीडी रोगियों के उपचार पर ₹14,789.08 लाख व्यय किए गए।
- इस योजना द्वारा किये गये व्यय का वहन कर्मचारी राज्य बीमा निगम एवं राज्य सरकार द्वारा 7:1 के अनुपात के रूप में किया जाता है। वेतन का 3.25 प्रतिशत योगदान नियोक्ता द्वारा और 0.75 प्रतिशत योगदान कर्मचारी द्वारा राज्य बीमा निगम को भुगतान किया जाता है।
- वर्ष 2022–23 के दौरान दिसम्बर, 2022 तक 4 चिकित्सालय (जोधपुर, कोटा, भीलवाड़ा एवं पाली) तथा 74 औषधालय कर्मचारी राज्य बीमा योजना के तहत चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहे हैं।
- राज्य में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अन्तर्गत, मॉडल ईएसआईसी चिकित्सालय जयपुर, ईएसआईसी चिकित्सालय भिवाड़ी, उदयपुर तथा मेडिकल कॉलेजमय चिकित्सालय अलवर, सहित चित्तौड़गढ़ और झुंझुंनू जिले में डिस्पेन्सरी संचालित हैं।
- राज्य में दन्त चिकित्सकों द्वारा 55 अस्पतालों/औषधालयों में दन्त चिकित्सा सेवाएं दी जा रही हैं।

परिवार कल्याण

राज्य में जनसंख्या स्थिरीकरण व मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के उद्देश्य से जनसंख्या स्थिरीकरण एवं परिवार कल्याण कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। वर्ष 2022–23 (नवम्बर, 2022 तक) में 1,37,702 नसबन्दी ऑपरेशन में से 70,596 (दो बच्चों पर) किए गए एवं 4,38,625 आई. यू. डी. व 2,15,188 पोस्ट प्लेसेंटल आई. यू. सी. डी. (पी.पी.आई.यू.सी.डी.) लगाई गई। इसके अतिरिक्त 3,58,570 ओ.पी.यूज़र्स एव 5,35,292 सी.सी. यूज़र्स को सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। राज्य में वर्तमान में मातृ मृत्यु अनुपात (एम.एम.आर.) 113 प्रति लाख जीवित जन्म (एस.आर.एस. 2018–20) तथा शिशु मृत्यु दर 30.3 प्रति हजार जीवित जन्म (एन.एफ.एच.एस.–5, 2020–21) है। शिशु मृत्यु दर (आई.एम.आर.) को कम करने और गम्भीर बीमारियों से शिशु एवं गर्भवती महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए सम्पूर्ण राज्य में एक सघन टीकाकरण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2022–23 में हुई प्रगति को तालिका–8.10 में दर्शाया गया है।

तालिका–8.10 टीकाकरण कार्यक्रम की प्रगति, 2022–23 (नवम्बर, 2022 तक)

क्र.सं.	मद	उपलब्धि लाखों में
1.	पेन्टा–3	8.80
2.	बी.सी.जी. टीकाकरण	9.54
3.	खसरा–1 टीकाकरण	9.83
4.	टिटनेस इंजेक्शन (गर्भवती महिला) टी.डी.	10.71
5.	ओ.पी.वी.–3	8.81

कोविड वैक्सीनेशन

प्रदेश में टीकाकरण का पहला चरण 16 जनवरी, 2021 से शुरू किया गया था। राज्य में नवम्बर, 2022 तक पात्र लाभार्थियों को कुल 11.51 करोड़ कोविड वैक्सीन डोज का टीकाकरण किया जा चुका है।

राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना (आर.जे.एस.एस.वाई.)

शिशु मृत्यु दर और प्रसव के दौरान उच्च मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए राज्य में ''राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना'' संचालित की जा रही है जिसमें गर्भवती महिलाओं और शिशुओं को निःशुल्क चिकित्सा एवं अन्य सुविधाऐं भारत सरकार के सहयोग से उपलब्ध करायी जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत निःशुल्क दवाएं और उपभोग्य वस्तुएं, प्रयोगशाला जाँच, भोजन, रक्त सुविधाएं तथा यातायात की सुविधाएं आदि प्रदान जा रही हैं। वित्तीय वर्ष 2022–23 (नवम्बर, 2022 तक) में 23.60 लाख गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क दवा, 9.16 लाख गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क जांच, 6.39 लाख गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क ताजा पका हुआ भोजन, 4.22 लाख गर्भवती महिलाओं को घर से अस्पताल निःशुल्क परिवहन, 27,463 गर्भवती महिलाओं को चिकित्सालय से उच्च चिकित्सा संस्थान पर निःशुल्क परिवहन, 4.72 लाख गर्भवती महिलाओं को चिकित्सा संस्थान से घर तक निःशुल्क परिवहन एवं 48,754 गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क रक्त सुविधा प्रदान की गई है। वित्तीय वर्ष 2022–23 (नवम्बर, 2022 तक) में 3,03,955 बच्चों को निःशुल्क दवाईयां, 1,19,656 बच्चों को निःशुल्क जांच, 2,713 बच्चों को निःशुल्क रक्त सुविधा, 70,978 बच्चों को निःशुल्क परिवहन की सुविधा प्रदान की गई है।

मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य एवं पोषाहार (एम.सी.एच.एन.) दिवस

टीकाकरण कवरेज बढ़ाने के लिए, मातृ व शिशु स्वास्थ्य एवं पोषाहार (एम.सी.एच.एन.) दिवस नियमित रूप से आयोजित किये जा रहे हैं। वर्ष 2022–23 में नवम्बर, 2022 तक 5.05 लाख मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य एवं पोषण सत्र आयोजित किए गए हैं।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एन.एच.एम.)

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एन.एच.एम.) व्यक्तिगत, परिवार, समुदाय और विशेष रूप से स्वास्थ्य प्रणाली के स्तरों पर नियमित रूप से प्रभावी स्वास्थ्य देखभाल के प्रावधानों को सुनियोजित करने के लिए एक राष्ट्रीय प्रयास है। मिशन में ग्रामीण स्वास्थ्य के साथ–साथ शहरी स्वास्थ्य पर ध्यान केन्द्रित किया गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.आर.एच.एम.) और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (एन.यू.एच.एम.) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एन.एच.एम.) के उप मिशन के रूप मे काम कर रहे हैं। एन.आर.एच.एम. के तहत गतिविधियों की प्रगति इस प्रकार है:

आशा सहयोगिनी

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (2005) की स्थापना के बाद से, मान्यता प्राप्त सामाजिक कार्यकर्ता (आशा) ने एन.आर.एच.एम. गतिविधियों के क्रियान्वयन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आशा कार्यक्रम को सामुदायिक प्रक्रिया हस्तक्षेप के एक प्रमुख घटक के रूप में पेश किया गया था और 16 वर्ष की अवधि में, यह कार्यक्रम दुनिया के सबसे बड़े सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता कार्यक्रम के रूप में विकसित हुआ है और इसे स्वास्थ्य में लोगों की भागीदारी को सक्षम करने में एक महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। आशा एक सामुदायिक स्तर की कार्यकर्ता है, जिसकी भूमिका स्वास्थ्य के बिन्दुओं पर जागरूकता पैदा करना है तथा यह समुदाय एवं स्वास्थ्य सेवाओं के बीच एक कड़ी भी है। राजस्थान में आशा को आशा सहयोगिनी के नाम से जाना जाता है। वह चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग के बीच एक संयुक्त कार्यकर्ता हैं। आशा का चयन ग्राम सभा के माध्यम से किया जाता है तथा यह एएनएम और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के साथ समन्वय बनाकर कार्य करती है। राज्य में सभी आशाओं को एक गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम से गुजरना होता है। दिसम्बर, 2022 में राज्य में 53,174 आशा सहयोगिनी कार्यरत हैं।

आशा सहयोगिनी की भूमिका एवं उत्तरदायित्व, स्वास्थ्य देखभाल व फैसिलिटेटर के कार्य, स्वास्थ्य कार्यकर्ता के साथ मिलकर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाना है। वह स्वास्थ्य विभाग तथा महिला एवं बाल विकास विभागों के मध्य समन्वय रखकर आरसीएच सेवाओं की विभिन्न गतिविधियों से लाभार्थियों को जोड़ने एवं उससे सम्बन्धित संदेश को लाभार्थी तक पहुंचाने हेतु सेतु का कार्य करती है। इसके अलावा राष्ट्रीय रोग नियन्त्रण कार्यक्रम के तहत जैसे–मलेरिया, टी.बी तथा अन्य सभी स्वास्थ्य कार्यों में सहयोग प्रदान करती है। आशा को समुदाय में विभिन्न सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहन राशि दी जा रही है।

राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आर.बी.एस.के.)

इस योजना के अन्तर्गत आँगनबाडी केन्द्रों में जन्में सभी बच्चों, सरकारी विद्यालय जाने वाले सभी बच्चों तथा सरकारी मदरसों के 18 साल तक के सभी बच्चों की जन्म के समय फॉर

डी–डीफेक्ट्स, बीमारियों, कमियों, विकास में हो रही देरी तथा विकलांगों (40 चिन्हित बीमारियों) के लिए प्रशिक्षित मोबाईल हैल्थ टीम के द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है। यदि कोई बच्चा 40 चिन्हित बीमारियों में से किसी से ग्रसित पाया जाता है, तो उसे जरूरत के अनुसार निःशुल्क रैफरल, फॉलोअप एवं सर्जिकल उपचार दिया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2022–23 में दिसम्बर, 2022 तक इस कार्यक्रम के अन्तर्गत एमएचटी द्वारा कुल 58 लाख बच्चों की जांच की गई और 3,10,018 बच्चों को उच्च संस्थानों में रेफर किया गया, जिनमें से कुल 2,17,978 बच्चों का इलाज किया गया, जिसमें 1,086 प्रमुख सर्जरी (425 कार्डियक सर्जरी और 661 अन्य सर्जरी) शामिल हैं।

राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरकेएसके)

आरकेएसके को 7 जनवरी, 2014 को लॉन्च किया गया। किशोरों को मजबूत और सशक्त बनाने के लिए इस कार्यक्रम को आरएमएनसीएच+ए (प्रजनन, मातृ संबंधी, नवजात, बाल और किशोर स्वास्थ्य) के तहत विकसित किया गया। यह प्रारंभ में राजस्थान के 12 उच्च प्राथमिकता वाले जिलों अर्थात – बाड़मेर, बूंदी, बांसवाड़ा, धौलपुर, डूंगरपुर, करौली, जालौर, जैसलमेर, राजसमंद, उदयपुर, बारां और सिरोही में लागू किया गया।

राजस्थान के 12 जिलों में किशोर मित्र स्वास्थ्य क्लीनिक – "उजाला क्लीनिक" स्थापित किये गये है, 332 सुविधाओं में से 314 कार्यरत है। राजस्थान के 12 जिलों में 332 सुविधाओं में उजाला क्लीनिक स्थापित किए गए हैं, जिनमें 156 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, 157 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 12 जिला अस्पताल, 6 उप जिला अस्पताल और 1 मेडिकल कॉलेज है। उजाला क्लिनिक पर तैनात 141 स्वीकृत पदों में से कुल 76 आरकेएसके परामर्शदाता किशोरों को छह विषयगत क्षेत्रों पोषण, यौन प्रजनन स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, एनसीडी की परिस्थितियों के लिए, चोट और हिंसा, मादक द्रव्यों के सेवन पर नैदानिक और परामर्श सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। उजाला क्लीनिक में वित्तीय वर्ष 2022–23 में दिसम्बर, 2022 तक कुल 2,13,803 की काउंसिलिंग की गई।

जननी एक्सप्रेस

रैफरल ट्रांसपोर्ट सेवा को सुदृढ़ करने हेतु 600 जननी एक्सप्रेस वाहन संचालित हैं। इन वाहनों के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2022–23 में दिसम्बर, 2022 तक कुल 20,719 गर्भवती महिलाओं को घर से अस्पताल एवं 1,64,189 को अस्पताल से घर तक एवं 16,448 नसबंदी केसेज को रैफरल ट्रांसपोर्ट प्रदान किया गया है। वित्तीय वर्ष 2022–23 में दिसम्बर, 2022 तक 4,666 नवजात शिशुओं को घर से अस्पताल एवं 23,569 नवजात शिशुओं को अस्पताल से घर तक रैफरल ट्रांसपोर्ट प्रदान किया गया है। साथ ही 2,398 गर्भवती महिलाओं एवं 374 बीमार नवजातों को उच्च चिकित्सा संस्थान पर रैफर किया गया है। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आर.बी.एस.के.) के तहत जांच किए गए लगभग 77 बच्चों को इस सेवा के माध्यम से उच्च चिकित्सा संस्थानों पर रैफर किया गया। जननी एक्सप्रेस की सेवाएं ''104'' व ''108'' सुविधा पर कॉल कर प्राप्त की जा रही है।

''108'' टोल फ्री एम्बुलेन्स सेवा योजना

राज्य के लोगों के लिए निःशुल्क आपातकालीन सेवाएं सितम्बर, 2008 से शुरू हुई। वर्तमान में 902 एम्बुलेंस सम्पूर्ण राज्य में कार्यरत हैं। वर्ष 2022–23 में दिसम्बर, 2022 तक इस योजना के अन्तर्गत कुल 2,36,539 व्यक्तियों को चिकित्सा, 33,457 व्यक्तियों को पुलिस सहायता एवं 1,36,066 गर्भवती महिलाओं को संस्थागत प्रसव हेतु रैफरल सेवा एम्बुलेंस द्वारा प्रदान की गई है।

मोबाइल मेडिकल यूनिट/मोबाइल मेडिकल वैन

आउटरीच क्षेत्रों में निःशुल्क चिकित्सा शिविरों के माध्यम से चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने हेतु भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार 2008–09 में मोबाइल चिकित्सा सेवा योजना शुरू की गयी थी, जो कि उन ग्रामीण क्षेत्रों में महीने में 20 निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाते है, जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और उप केन्द्र जैसी बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। वर्तमान में एनजीओ और आरएमआरएस के माध्यम से ब्लॉक स्तर पर राजस्थान के सभी जिलों में 295 वाहन (06 मोबाइल मेडिकल यूनिट, 144 मोबाइल मेडिकल वैन और 145 मोबाइल मेडिकन वैन टर्नकी बेसिस) संचालित है। मोबाइल मेडिकल वैन रोगनिवारक सेवाएं, मातृ स्वास्थ्य सेवाए, बाल स्वास्थ्य सेवाए, रैफरल, परिवार नियोजन सेवाएं, नैदानिक सेवाएं, आपातकालीन और महामारी प्रबंधन सेवाएं प्रदान करते है। इन वाहनों में 75 प्रकार की निःशुल्क दवाएं तथा 15 प्रकार की प्रयोगशाला जांच उपलब्ध करवायी जाती है। इन वाहनों द्वारा वित्तीय वर्ष 2022–23 में दिसम्बर, 2022 तक आयोजित शिविरों की कुल संख्या 40,265 एवं कुल लाभार्थी 25,40,426 है। इन वाहनों द्वारा कोविड महामारी के दौरान कोविड जांच एवं कोविड टीकाकरण जैसी सुविधाएं भी प्रदान की गयी।

ग्राम स्वास्थ्य और स्वच्छता व पोषण समिति (वी.एच.एस.एन.सी.)

स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं और स्वास्थ्य को जन आन्दोलन बनाने के लिए ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समितियों के गठन का पहला कदम है। सरपंच/वार्डपंच की अध्यक्षता में 43,440 गाँवों में ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समितियों का गठन किया गया है। समिति के अन्य सदस्य आशा सहयोगिनी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, और एन.जी.ओ., एस.एच.जी. तथा महिला स्वास्थ्य संघ के प्रतिनिधि हैं। आशा सहयोगिनी वीएचएससी की संयोजक है। जब उपकेन्द्र की ए.एन.एम. पहले से ही गांव का दौरा कर रही होती हैं तब एमसीएचएन के दिवसों में उनकी बैठकें होती है। वित्तीय वर्ष 2022–23 में दिसम्बर, 2022 तक राज्य में कुल 1,67,483 बैठकें आयोजित हो चुकी है।

आयुर्वेद, योगा, यूनानी, सिद्वा एवं होम्योपैथिक (आयुष) को मुख्य धारा में लाना

स्थानीय चिकित्सा पद्धतियों को पुनर्जीवित करना और आयुष को मुख्य धारा में लाना राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के उद्देश्यों में से एक है। एन.एच.एम. के अन्तर्गत वर्तमान में 607 आयुष चिकित्सक एवं 14 आयुष नर्सिंग स्टाफ कार्यरत हैं। संस्थागत प्रसवों को बढ़ाने तथा मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए आयुष कार्मिकों को कुशल जन्म सहायक (एस.बी.ए.) का प्रशिक्षण दिया जाता है। वर्ष 2022–23 में दिसम्बर, 2022 तक आयुष चिकित्सकों द्वारा कुल 11.45 लाख ओ.पी.डी. मरीज देखे गए है एवं 194 संस्थागत प्रसव करवाए गए हैं।

आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केन्द्र

- प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल (सीपीएचसी) भारत के लिए सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्राप्त करने का एकमात्र किफायती और प्रभावी मार्ग है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति–2017 के सुझाव अनुसार प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा को सुदृढ करने के लिए भारत सरकार द्वारा आयुष्मान भारत योजना के अन्तर्गत वर्ष 2022 तक सभी उप स्वास्थ्य केन्द्रों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को हैल्थ एण्ड वैलनेस सेन्टर के रूप में क्रियाशील किये जाने का निर्णय लिया गया तथा इस के लिए कुल स्वास्थ्य बजट का दो तिहाई प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए प्रतिबद्व किया जाने का निर्णय लिया गया। व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल (सीपीएचसी) तभी संभव है जब उस में निवारक, प्रोत्साहक, उपचारात्मक, उपशामक एवं पुनर्वास सेवाओं का समावेश हो।
- राज्य में व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए मौजूद उप स्वास्थ्य केन्द्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को 13,478 स्वास्थ्य और कल्याण केंन्द्रो में परिवर्तित किया जायेगा, और इसे आयुष्मान भारत के दो घटकों में से एक घटक के रूप में घोषित किया जायेगा।
- व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल (सीपीएचसी) के अन्तर्गत स्वास्थ्य और कल्याण केंन्द्रों पर प्रदान की जाने वाली सेवाएं इस प्रकार हैः–
  - गर्भावस्था एवं बच्चों के जन्म के समय देखभाल
  - नवजात एवं शिशु स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं
  - बाल्यकाल एवं किशोरावस्था स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं
  - परिवार नियोजन, गर्भ निरोधक सेवाएं एवं अन्य प्रजनन स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं
  - संचारी रोगों का प्रबंधनः राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम
  - तीव्र सरल बीमारी एवं मामूली बीमारियों के लिए सामान्य ओपीडी सेवाएं।
  - गैर–संचारी बीमारियों की स्क्रीनिंग, रोकथाम, नियंत्रण एवं प्रबंधन
- उप स्वास्थ्य और कल्याण केन्द्र में एएनएम, आशा और सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी (सीएचओ) की उचित रूप से प्रशिक्षित प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल टीम होगी। साथ में वे सेवाओं की विस्तारित श्रृंखला प्रदान करेंगे। स्वास्थ्य संस्थान को स्वास्थ्य कल्याण केन्द्र में परिवर्तित करने के वर्ष 2022 तक के तालिका 8.11 में दिया गया है।

राज्य के पास आयुष एचडब्ल्यूसी के रूप में अपग्रेड करने के लिए 2019 आयुष सुविधाओं का लक्ष्य है, जिसमें से 684 सुविधाओं को आयुष–एचडब्ल्यूसी में अपग्रेड किया जा चुका है।

टेलीमेडिसिन

भारत सरकार द्वारा टेली–मेडिसिन के उपयोग के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं की सामुदायिक आवश्यकता को पूरा करने के लिये दो प्रमुख पहल शुरू की है –

(अ) ई–संजीवनी ओपीडी पोर्टल जो कि मुख्यतः रोगी का चिकित्सक से टेलीमेडिसिन सेवाओं के उपयोग के लिये है। इसका उददेश्य रोगी को घर पर ही स्वास्थ्य सेवाओं के सम्बन्ध में परामर्श प्रदान करना है।

तालिका 8.11 स्वास्थ्य संस्थानों को वर्ष 2022 तक स्वास्थ्य कल्याण केंद्रों में परिवर्तित करने का लक्ष्य

स्वास्थ्य संस्थानो का प्रकार	स्वास्थ्य संस्थानो की संख्या (ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी 2018 के अनुसार)	लक्ष्य दिसम्बर, 2022 तक	क्रियाशील दिसम्बर, 2022 तक
उप स्वास्थ्य केन्द्र	12327	11155	6418
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	2078	2078	2034
शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	245	245	292
कुल	14650	13478	8744

- इस पोर्टल को राज्य में माह मई 2020 में शुरू किया गया था, अब तक 1,02,656 टेली–परामर्श सुविधा दी जा चुकी है।
- इस सुविधा को चिन्हित 100 चिकित्सा संस्थानों (जिला अस्पताल/उप जिला अस्पताल/चयनित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों) में शुरू किया गया है।
- टेली–परामर्श सुविधा प्रदान करने के लिये लगभग 866 चिकित्सा अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया है।
- चिकित्सा अधिकारियों द्वारा वे दवाईयां परामर्श की जाती है जो कि पीएचसी/सीएचसी/डीएच/एमसीएच के लिये एमएनडीवाई–ईडीएल में उपलब्ध है।

(ब) ई–संजीवनी एच डब्ल्यू सी टेलीकन्सलटेशन जो कि निम्न श्रेणी के चिकित्सा संस्थान द्वारा उच्च श्रेणी (पीएचसी–सीएचसी/डीएच/मेडिकल कॉलेज) संस्थान से टेली परामर्श लेने से सम्बन्धित है। इस प्रारूप को हब एण्ड स्पोक प्रारूप भी कहा जाता है।

- 35 जिला चिकित्सालय राज्य में हब के रूप में क्रियाशील है।
- राज्य में कुल 4,197 उप स्वास्थ्य केन्द्र, 1,425 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्पोक के रूप में क्रियाशील है जबकि 1,164 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हब कम स्पोक के रूप में क्रियाशील है।
- इस पोर्टल को राज्य में फरवरी 2021 में शुरू किया गया था, ई–संजीवनी एचडब्ल्यू सी पोर्टल के माध्यम से नवम्बर, 2022 तक कुल 4,78,815 परामर्श दिये जा चुके है।

राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम

राज्य की जनता विशेषकर कमजोर वर्ग के स्वास्थ्य के स्तर में सुधार हेतु राज्य सरकार द्वारा चिकित्सा के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया जा रहा है। राज्य सरकार, संक्रामक एवं अन्य रोगों के नियंत्रण एवं उन्मूलन तथा राज्य में उपचारात्मक एवं निवारण सेवाऐं उपलब्ध कराने हेतु प्रतिबद्ध है। लोगों को मुख्य धारा में लाने के विभिन्न प्रयास किये गये है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के अनुसार, चिकित्सा संस्थाओं का संरचनात्मक विकास एवं सुदृढ़ीकरण कर, एक सुनियोजित तरीके से ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में प्रत्येक व्यक्ति को स्वास्थ्य सुविधायें उपलब्ध कराने के लिये प्रतिबद्व है। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत एलोपैथिक चिकित्सा संस्थाओं (चिकित्सा महाविद्यालय, चिकित्सालयों के अतिरिक्त) की दिसम्बर, 2022 तक की स्थिति तालिका 8.12 में दर्शायी गई है :–

तालिका 8.12: एनयूएचएम के तहत एलोपैथिक चिकित्सा संस्थानों की स्थिति (दिसम्बर, 2022 तक)

क्र. सं.	चिकित्सा संस्थान का नाम	संचालित चिकित्सा संस्थानों की संख्या
1	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	09
2	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (शहरी)	299
3	शैय्याऐं	390

राजस्थान एवं अखिल भारत के स्वास्थ्य संकेतकों एवं मातृ मृत्यु दर (एमएमआर) को तालिका 8.13 व तालिका 8.14 में दर्शाया गया है।

तालिका 8.13 राजस्थान स्वास्थ्य संकेतक प्रवृत्तियां

क्र. स.	संकेतक	राजस्थान		भारत	
		एनएफएचएस–4 (2015–16)	एनएफएचएस–5 (2020–21)	एनएफएचएस–4 (2015–16)	एनएफएचएस–5 (2019–21)
1	नवजात मृत्यु दर (एनएनएमआर) (प्रति 1,000 जीवित जन्म)	29.8	20.2	29.5	24.9
2	शिशु मृत्यु दर (आईएमआर) (प्रति 1,000 जीवित जन्म)	41.3	30.3	40.7	35.2
3	5 वर्ष से कम आयु की मृत्यु दर (U5MR) (प्रति 1,000 जीवित जन्म)	50.7	37.6	49.7	41.9
4	कुल प्रजनन दर (टीएफआर) (प्रति महिला बच्चे)	2.4	2.0	2.2	2.0
5	संस्थागत जन्म (%)	84.0	94.9	78.9	88.6
6	पूर्ण टीकाकरण* (%)	54.8	80.4	62.0	76.4

*12–23 महिने की आयु के बच्चों को टीकाकरण कार्ड या मां के स्मरण के आधार पर पूर्ण टीकाकरण किया जाता है।
एनएफएचएस–राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण

तालिका 8.14 मातृ मृत्यु दर (एमएमआर) संकेतक

क्र.स.	संकेतक	राजस्थान		भारत	
		एसआरएस (2017–19)	एसआरएस (2018–20)	एसआरएस (2017–19)	एसआरएस (2018–20)
1	मातृ मृत्यु दर (एमएमआर) (प्रति लाख जीवित जन्म)	141	113	103	97

एसआरएस–सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम

राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के प्रकाशन 'पॉपुलेशन प्रोजेक्शन इण्डिया एण्ड स्टेट्स 2011–2036' में जारी राजस्थान राज्य के अनुमानित जनसांख्यिकीय संकेतक तालिका 8.15 में दर्शाए गए है।

तालिका 8.15 राजस्थान जनसांख्यिकीय संकेतक: 2011–2035 (अनुमान)

संकेतक	2011-15	2016-20	2021-25	2026-30	2031-35
1	2	3	4	5	6
जनसंख्या वृद्धि दर (प्रतिशत)	16.0	13.1	10.7	8.3	7.6
अशोधित जन्म दर (सीबीआर)	24.3	21.4	18.8	16.5	14.9
अशोधित मृत्यु दर (सीडीआर)	7.8	7.7	7.5	7.6	6.8
शिशु मृत्यु दर (आईएमआर)	53	49	44	40	36
5 वर्ष से कम मृत्यु दर (क्यू 5)	73	67	60	55	50
कुल प्रजनन दर (टीएफआर)	2.95	2.51	2.20	1.99	1.87
पुरूषों की जीवन प्रत्याशा (आयु वर्षों में)	65.70	67.20	68.70	69.70	70.70
महिलाओं की जीवन प्रत्याशा (आयु वर्षों में)	70.40	71.60	72.80	73.80	74.80

पॉपुलेशन प्रोजेक्शन इण्डिया एण्ड स्टेट्स 2011–2036
राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

अध्याय 09

अन्य सामाजिक सेवाएं / कार्यक्रम

राज्य सरकार अपने नागरिकों को बेहतर जीवन प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य के नागरिकों को अधिकतम लाभ प्रदान करने की दिशा में विभिन्न विभागीय सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है। सरकार द्वारा प्रदान किये जाने वाले सामाजिक सेवा कार्यक्रमों का उद्देश्य व्यक्तियों, परिवारों, समूहों और समुदायों को उनके व्यक्तिगत और सामूहिक कल्याण को बढ़ाने और समुदायों में समानता और अवसर को बढ़ावा देने में मदद करना है।

इस अध्याय में दिव्यांग बच्चों का विकास, वयस्कों के लिए सामाजिक सेवा कार्यक्रम, राज्य में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजातियों के उत्थान की सेवाएं, विशिष्ट आबादी के लिए सामुदायिक सेवा और अल्पसंख्यक मामलों, महिला सशक्तिकरण, उपभोक्ता अधिकार के कार्यक्रमों/सेवाओं के अवसर का लाभ प्रदान करने से संबंधित योजनाएं तथा सेवाओं की सूचनाओं को सम्मिलित किया गया है।

जलापूर्ति

राज्य में भूगर्भीय जल की मात्रा एवं गुणवत्ता की समस्या है। राज्य में पिछले दो दशकों से भू–जल के अत्यधिक दोहन के कारण भू–जल की स्थिति अत्यन्त चिंताजनक हो गई है। राज्य सरकार द्वारा शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए विभिन्न पेयजल योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। राज्य की भौगोलिक विषमता और भूगर्भीय तथा सतही जल की सीमित उपलब्धता होने के कारण राज्य में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना अत्यन्त जटिल है।

ग्रामीण पेयजल आपूर्ति

राज्य सरकार के अथक प्रयासों से ग्रामीण क्षेत्र की पेयजल समस्या का समाधान किया जा रहा है। राज्य में 1 अप्रैल, 2022 की स्थिति के अनुसार कुल 1,21,979 बस्तियों/ढाणियों में से 53,172 को पूर्ण रूप से 58,379 को आंशिक रूप से पेयजल उपलब्ध कराया गया है तथा शेष 10,428 बस्तियां/ढाणियां स्वच्छ पेयजल गुणवत्ता से प्रभावित हैं। 15 अगस्त, 2019 से जल जीवन मिशन के तहत वर्ष 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवारों को घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से पीने योग्य पानी उपलब्ध करवाया जाना है। इसलिये अब विभाग का लक्ष्य बस्तियों/ढाणियों के कवरेज को बदलकर प्रत्येक घर को घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करना है।

जल जीवन मिशन (जे.जे.एम.) में ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन –

वर्ष 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से पीने योग्य पानी की आपूर्ति प्रदान करने के लिए जल जीवन मिशन क्रियान्वित किया जा रहा है। इस योजना में केन्द्र एवं राज्य की भागीदारी 50:50 प्रतिशत है। जल जीवन मिशन द्वारा राज्य स्तर पर राज्य जल और स्वच्छता मिशन (एसडब्ल्यूएसएम), जिला स्तर पर जिला जल एवं स्वच्छता मिशन (डीडब्ल्यूएसएम), एवं ग्राम स्तर पर ग्राम जल एवं स्वच्छता मिशन (वीडब्ल्यूएससी) कार्यान्वयन एवं मोनिटरिंग एजेंसी होगी। जल जीवन मिशन के अन्तर्गत अब तक ₹69,940 करोड की स्वीकृति जारी की जा चुकी है, जिसमें 10,655 एकल जल प्रदाय योजनाएं एवं 133 वृहद पेयजल परियोजनाएं शामिल हैं। इन स्वीकृत योजनाओं से लगभग 94 लाख परिवारों को नल कनेक्शन द्वारा पेयजल आपूर्ति की जा सकेगी। 32.06 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन उपलब्ध कराया गया है। दिसम्बर, 2022 तक ₹11,407.25 करोड़ का व्यय किया जा चुका है।

31 मार्च, 2022 तक 25.24 लाख कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन और 2022–23 के दौरान (दिसम्बर, 2022 तक) 6.78 लाख नये कनेक्शन प्रदान किये जा चुके हैं।

केन्द्र प्रवर्तित योजना (राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम) एवं राज्य आयोजना मद से ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु बजट उपलब्ध कराया गया है। विगत चार वर्षों में की गई वित्तीय प्रगति की स्थिति तालिका–9.1 में दर्शाई गई है।

तालिका–9.1 ग्रामीण पेयजल योजना की वित्तीय प्रगति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रगति	
	उपलब्ध बजट	व्यय
2019-20	3735.03	2632.49
2020-21	3382.78	3197.52
2021-22	6986.42	5018.89
2022-23*	7382.58	5727.64

*दिसम्बर, 2022 तक

आर.ओ.प्लांट्स स्थापित करने हेतु परियोजना

इस परियोजना के तहत पेयजल के खारेपन एवं फ्लोराईड की समस्याओं सहित बहु—गुणवत्ता सम्बन्धी समस्याओं के समाधान हेतु पेयजल गुणवत्ता प्रभावित ढ़ाणियों में आर.ओ. प्लांट्स लगाने का कार्य जन—स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा किया जा रहा है। यह कार्य विभिन्न चरणों में किया जा रहा है। इस प्रकार अब तक, 4,105 आर.ओ. प्लांट्स स्वीकृत कर 3,992 प्लांट्स नवम्बर, 2022 तक चालू किये गये है।

सौर ऊर्जा आधारित बोरवैल पम्पिंग सिस्टम

राज्य में पानी की कमी और अनियमित बिजली की आपूर्ति वाले दूर—दराज के ग्रामीण क्षेत्रो में सौर उर्जा आधारित 2,594 बोरवैल पंपिंग प्रणाली चालू करने के लिए परियोजना प्रारम्भ की गई और कुल 2,408 संयंत्र नवम्बर, 2022 तक स्थापित किये जा चुके है।

सौर ऊर्जा आधारित डी—फ्लोरिडेशन संयंत्र परियोजना

गुणवत्ता प्रभावित ग्राम एवं ढ़ाणियों में जहाँ केवल फ्लोराइड की समस्या हैं, उनमें प्राथमिकता से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु छः चरणों में अब तक 3,461 सौर ऊर्जा आधारित डी—फ्लोरीडेशन संयंत्र के लक्ष्य के विरूद्ध 14 दिसम्बर, 2022 तक 3,455 सौर ऊर्जा आधारित डी—फ्लोरीडेशन संयंत्र स्थापित कर चालू किए जा चुके है ।

ग्रामीण क्षेत्र में नलकूप एवं हैण्डपम्प निर्माण

राज्य के अधिकांश गाँवों में पेयजल व्यवस्था भू—जल आधारित है। विगत चार वर्षों में निर्मित नलकूप एवं हैण्डपम्पों का विवरण चित्र 9.1 में दर्शाया गया है।

चित्रः 9.1

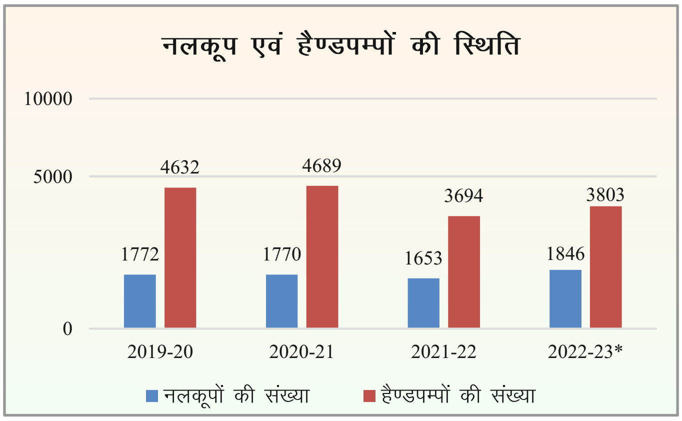

*दिसम्बर, 2022 तक

पेयजल परिवहन

राज्य में प्रतिवर्ष ग्रीष्मकाल में, उन क्षेत्रों में पेयजल परिवहन किया गया है, जो या तो पेयजल योजनाओं से लाभान्वित नहीं हैं अथवा जहाँ सुदूर छोर के क्षेत्रों में ग्रीष्म समय में पेयजल आपूर्ति में कमी हो जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में वर्षवार पेयजल परिवहन का विवरण चित्र 9.2 में दर्शाया गया है।

चित्रः 9.2

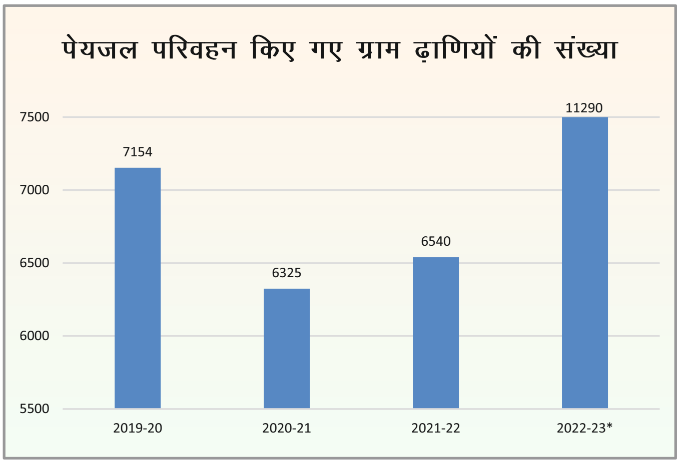

*नवम्बर, 2022 तक

ग्रामीण क्षेत्र में हैण्डपम्प मरम्मत

जन—स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित हैण्डपम्पों को कार्यशील बनाए रखकर पेयजल उपलब्ध कराने के लिए हैण्डपम्प मरम्मत अभियान नियमित रूप से चलाया जाता है। वर्ष 2022—23 में (दिसम्बर, 2022 तक), 1,70,932 हैण्डपम्पों की मरम्मत की गई है।

वृहद् पेयजल परियोजनाएं

राज्य की दीर्घकालिक पेयजल समस्या के स्थायी समाधान हेतु राज्य में उपलब्ध कुछ सतही स्रोत जैसे— इन्दिरा गांधी नहर परियोजना (5,485 ग्राम, 39 कस्बे), चम्बल नदी (5,334 ग्राम, 29 कस्बे), नर्मदा नदी (902 ग्राम, 3 कस्बे), बीसलपुर बांध (3,067 ग्राम, 21 कस्बे) तथा जवाई बांध (785 ग्राम, 10 कस्बे) इत्यादि हैं। 127 वृहद पेयजल परियोजनाओं के लिए राशि ₹39,034.04 करोड़ लागत की स्वीकृत की गई है, जिससे 104 कस्बे, 17,628 ग्राम तथा 12,646 ढ़ाणियों को पीने योग्य पानी की आपूर्ति कर लाभान्वित किया जाना है।

इन परियोजनाओं पर नवम्बर, 2022 तक ₹30,908.66 करोड़ व्यय कर 100 कस्बों, 13,748 गाँवो तथा 12,266 ढ़ाणियों को लाभान्वित किया जा चुका है। अब तक 93 वृहद् पेयजल परियोजनाएं, जिनकी लागत राशि ₹22,402.80 करोड़ है, को पूर्ण कर 75 कस्बों, 10,116 ग्रामों तथा 11,859 ढ़ाणियों को लाभान्वित किया गया तथा इन परियोजनाओं पर राशि ₹20,401.89 करोड़ का व्यय किया जा चुका है। वर्तमान में ₹13,449.33 करोड़ लागत राशि की 21 वृहद् पेयजल

परियोजनाएं प्रगति पर हैं, जिसमें 25 कस्बे, 3,632 ग्राम तथा 407 ढ़ाणियों को लाभान्वित किया जा चुका है। इन परियोजनाओं पर राशि ₹9,921.50 करोड़ का व्यय किया गया है।

जल संसाधन विभाग द्वारा ₹1,366.90 करोड़ की 3 परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही है जिसके विरूद्ध ₹566.48 करोड़ खर्च किये जा चुके हैं। ₹1,804.94 करोड़ लागत की 6 परियोजनाएं प्रारम्भ करना प्रक्रियाधीन है।

मिड–डे–मील योजना (एम.डी.एम.एस.)

इस योजना का मूल उद्देश्य सरकारी, स्थानीय निकाय, सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों, विशेष प्रशिक्षण केन्द्रों (वैकल्पिक नवीन शिक्षा केन्द्रों–शिक्षा कर्म मण्डल) और मदरसों में कक्षा–1 से 8 में अध्ययनरत विद्यार्थियों की पोषण स्थिति में सुधार करना है। इस योजना ने नामांकन बढ़ाने, विद्यार्थियों को नियमित रूप से विद्यालय आने और विद्यार्थियों को पोषण संबंधी सहायता प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

मिड–डे–मील कार्यक्रम 67,327 सरकारी विद्यालयों और संस्थानों में लागू है। इसमें कक्षा–1 से 8 तक पढ़ने वाले लगभग 69.22 लाख (कक्षा–1 से 5 में 44.20 लाख और कक्षा–6 से 8 में 25.02 लाख) विद्यार्थी शामिल हैं। इस योजना के तहत, कक्षा–1 से 5 के लिए प्रति विद्यार्थी 100 ग्राम प्रतिदिन और कक्षा–6 से 8 के लिए प्रति विद्यार्थी 150 ग्राम प्रतिदिन (गेहूँ/चावल) प्रदान किया जा रहा है।

मिड–डे–मील के तहत वितरण किये जाने वाले भोजन में कक्षा–1 से 5 तक के विद्यार्थियों के लिए न्यूनतम 450 कैलोरी और 12 ग्राम प्रोटीन होता है और कक्षा–6 से 8 के विद्यार्थियों के लिए 700 कैलोरी और 20 ग्राम प्रोटीन होता है। वितरण किये जाने वाले भोजन की विविधता को व्यापक रूप से सराहा गया है और यह विद्यार्थियों के लिए भी रूचिकर है। कक्षा–1 से 5 के लिए खाना बनाने की लागत प्रति विद्यार्थी ₹4.97 प्रतिदिन और कक्षा–6 से 8 के लिए खाना बनाने की लागत प्रति विद्यार्थी ₹7.45 प्रतिदिन है। भारत सरकार के आदेशानुसार 1 अक्टूबर, 2022 से कक्षा–1 से 5 के लिए खाना बनाने की लागत प्रति विद्यार्थी ₹5.45 प्रतिदिन और कक्षा–6 से 8 के लिए खाना बनाने की लागत प्रति विद्यार्थी ₹8.17 प्रतिदिन की गई है।

खाना बनाने की प्रक्रिया: रसोई सह सहायक के रूप में व्यक्तियों की सेवाओं को ₹1,742 के मासिक पारिश्रमिक पर रखा गया है। वर्तमान में 1,09,922 रसोई सह सहायकों को मिड–डे–मील पकाने व वितरण करने के लिए रखा गया है। वर्तमान में, राज्य में मिड–डे–मील योजना के माध्यम से 67,327 विद्यालयों को लाभान्वित किया जा रहा है। राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एन.ए.बी.एल.) द्वारा मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं के माध्यम से मिड–डे–मील नमूनों में पोषक मूल्यों का परीक्षण किया जाता है।

वर्ष 2022–23 (नवम्बर, 2022 तक) के दौरान, मिड–डे–मील योजना के तहत बजट प्रावधान ₹1,450.04 करोड़ के विरूद्ध ₹495 करोड़ का व्यय किया गया है।

समेकित बाल विकास सेवाएं (आई.सी.डी.एस.)

राज्य के बच्चों एवं महिलाओं, विशेष रूप से गर्भवती एवं दूध पिलाने वाली माताओं को बेहतर जीवन की मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य में 2 अक्टूबर, 1975 को

मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना: मिड–डे–मील योजनान्तर्गत राजकीय विद्यालयों, मदरसों एवं विशेष प्रशिक्षण केन्द्रों के विद्यार्थियों को सप्ताह में दो दिवस (मंगलवार व शक्रवार) मिल्क पाउडर से तैयार दूध उपलब्ध कराया जा रहा है। 1 किलोग्राम की पैकिंग के मिल्क पाउडर राजस्थान को–ऑपरेटिव डेयरी फैडरेशन लिमिटेड द्वारा ₹400 प्रति किलोग्राम की दर से विद्यालयों में आपूर्ति की जा रही हैं।

प्राथमिक (कक्षा 1 से 5) स्तर के प्रत्येक विद्यार्थी को 15 ग्राम मिल्क पाउडर से तैयार 150 मिलिलीटर दूध जिसमें चीनी की मात्रा 8.4 ग्राम एवं उच्च प्राथमिक (कक्षा 6 से 8) स्तर के प्रत्येक विद्यार्थी को 20 ग्राम मिल्क पाउडर से तैयार 200 मिलिलीटर दूध जिसमें चीनी की मात्रा 10.2 ग्राम मिलाकर विद्यालय प्रबंधन समिति के द्वारा जिसको उपलब्ध करवाये जाने से पूर्व 1 अध्यापक व 1 विद्यार्थी के अभिभावक द्वारा चख कर तथा रजिस्टर संधारित कर उपलब्ध करवाया जायेगा। दूध के लिए नवीन विद्यालयों को बर्तन क्रय करने हेतु अधिकतम ₹15,000 एवं गिलास क्रय हेतु प्रति विद्यार्थी ₹40 की दर से अतिरिक्त आवंटित किये गये है साथ ही विद्यालयों में दूध गर्म करने के लिए ₹1,500 प्रतिमाह गैस सिलेण्डर के लिये दिये जायेगे। इस योजना में ₹47,644 लाख बजट का प्रावधान रखा गया है एवं प्रथम त्रैमास हेतु ₹24,582.58 लाख जिलों को जारी किया जा चुका है।

बाँसवाड़ा जिले की गढ़ी पंचायत समिति में समेकित सेवाएं प्रारम्भ की गई।

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्तमान में राज्य में 304 बाल विकास परियोजनाएं संचालित हैं। इनमें से 22 परियोजनाएं शहरी क्षेत्रों में, 37 परियोजनाएं जनजाति क्षेत्रों में तथा शेष 245 परियोजनाएं ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित हैं। इन परियोजनाओं के अन्तर्गत राज्य में कुल 62,020 आँगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत हैं, जिनमें से 55,816 मुख्य आँगनबाड़ी केन्द्र तथा 6,204 मिनी आँगनबाड़ी केन्द्र हैं। इनमें नवम्बर, 2022 तक 55,753 मुख्य आँगनबाड़ी केन्द्र एवं 6,095 मिनी आँगनबाड़ी केन्द्र क्रियाशील है। शेष केन्द्रों को भी क्रियाशील बनाने के प्रयास किये जा रहे है।

लक्षित लाभार्थियों को प्रदान की जा रही सेवाओं की सूची तालिका–9.2 में दर्शाई गयी है। तीन सेवाएं (क्रम संख्या–4 से 6) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से आँगनबाड़ी केन्द्रों पर उपलब्ध करवाई जाती है। लक्षित समूहों को बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए राज्य में 53,601 आँगनबाड़ी कार्यकर्ता, 5,877 मिनी आँगनबाड़ी कार्यकर्ता और 53,180 सहायिकाएं कार्यकर्ता हैं।

तालिका–9.2 आँगनबाडी केन्द्रों पर सेवाएं

क्र. सं.	सेवाएं	लाभार्थी
1.	पूरक पोषाहार	6 माह से अधिक तथा 6 वर्ष तक की आयु के बच्चे, गर्भवती–धात्री महिलाए एवं 11 से 14 वर्ष की किशोरी बालिकाएं (विद्यालय नही जाने वाली)
2.	बचपन और शाला पूर्व शिक्षा	3–6 वर्ष तक की आयु के बच्चे
3.	पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा	15–45 वर्ष की महिलाएं एवं किशोरी बालिकाएं
4.	टीकाकरण	0–6 वर्ष के बच्चे एवं गर्भवती महिलाएं
5.	स्वास्थ्य जाँच	0–6 वर्ष के बच्चे, गर्भवती –धात्री महिलाएं एवं किशोरी बालिकाएं
6.	सन्दर्भ (रेफरल) सेवाएं	0–6 वर्ष के बच्चे, गर्भवती तथा धात्री महिलाएं

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजनाः इस योजना का प्रमुख उद्देश्य गर्भवती एवं धात्री महिलाओं तथा उनके नन्हें शिशुओं (0 से 6 माह) के स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति में सुधार करने के लिए गर्भावस्था, सुरक्षित प्रसव और स्तनपान की अवधि के दौरान उपयुक्त पद्धतियों, देखरेख एवं सेवाओं के उपयोग को बढ़ावा देना है। लाभार्थी को कुल ₹5,000 की राशि तीन किश्तों (क्रमशः ₹1,000, ₹2,000 तथा ₹2,000) में दी जाती है। लाभार्थी को राशि का भुगतान केवल बैंक/डाकघर के माध्यम से उनके खातों में सीधे दिए जाने का प्रावधान है। भारत सरकार द्वारा नवम्बर, 2022 तक दिए गए 21,09,350 लाभार्थियों के लक्ष्य के विरूद्ध 19,59,437 (92.89 प्रतिशत) लाभार्थियों को लाभान्वित किया जा चुका है।

किशोरी बालिका योजनाः महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशानुसार आयु वर्ग 11–14 वर्ष तक की किशोरी बालिकाओं के लिए पूर्व में संचालित योजना के स्थान पर 1 अप्रेल, 2022 से राज्य के 5 आकांक्षी जिलों में (बांरा, करौली, जैसलमेर, धौलपुर व सिरोही) में आयु वर्ग 14–18 वर्ष की किशोरी बालिकाओं के आत्म–विकास के लिये सहयोगात्मक वातावरण तैयार करते हुए किशोरी बालिकाओं को शिक्षित, सशक्त, आत्मनिर्भर एवं जागरूक नागरिक बनाने के उद्देश्य से किशोरी बालिकाओं के लिये योजना की शुरूआत की गई। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2022–23 में राज्य के 5 आकांक्षी जिलों की कुल 1.95 लाख किशोरी बालिकाओं का सर्वे कर आँगनबाड़ी केन्द्रों पर लाभान्वित किये जाने हेतु चिन्हित किया गया है।

पोषण अभियानः पोषण अभियान का उद्देश्य आँगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से माताओं एवं शिशुओं के पोषण में सुधार के लिए उनके सकारात्मक व्यवहार को प्रोत्साहित करना है। इनके माध्यम से गर्भ धारण, गोद भराई, अन्नप्राशन एवं शालापूर्व शिक्षा की शुरूआत जैसे जीवन के महत्वपूर्ण अवसर पर सकारात्मक व्यवहार को अपनाने के लिए समुदाय में जागरूकता बढ़ाने के लिये प्रत्येक आँगनबाड़ी केन्द्र पर समुदाय आधारित गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। आँगनबाड़ी केन्द्रों पर प्रदान की जा रही सेवाओं की प्रभावी

रियल टाईम मॉनिटरिंग किये जाने के उद्देश्य से महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा विकसित पोषण ट्रेकर एप्लीकेशन को राज्य के सभी जिलों में लागू किया गया है।

महिला कल्याण कोष: राज्य सरकार द्वारा आँगनबाड़ी केन्द्रों पर कार्यरत मानदेय कार्मिकों यथा–आँगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, सहयोगिनी के कल्याण हेतु यह कोष स्थापित किया गया है। इस कोष का संचालन भारतीय जीवन बीमा निगम के सहयोग से वर्ष 2006–07 से निरन्तर किया जा रहा है। इस कोष के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा प्रतिवर्ष छःमाही आधार पर अंशदान देने का प्रावधान किया गया है। आँगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए ₹750 वार्षिक एवं शेष सभी कार्मिकों के लिए ₹376 वार्षिक अंशदान नियत किया गया है। कोष के माध्यम से ₹10,000 की बीमा की सुविधा भी सदस्य को उपलब्ध करवाई जाती है। इस योजना से जुड़ने वाले सदस्य की मृत्यु होने पर नामित व्यक्ति की बीमा धन की राशि ₹10,000 के साथ जमा बचत राशि मय ब्याज जीवन बीमा निगम द्वारा भुगतान किया जा रहा है। सदस्य के सेवा विमुक्ति पर बचत राशि मय ब्याज भुगतान किये जाने का प्रावधान है। इस योजना में वर्ष 2022–23 के लिए ₹620.17 लाख का बजट प्रावधान रखा गया है।

इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना (आई.जी.एम.पी. वाई.): इस योजना का प्रमुख उद्देश्य गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं और 3 वर्ष तक के बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति में सुधार लाकर जन्म के समय कम वज़न और दुर्बलता की घटनाओं को कम करना है। इस योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के प्रावधानों की पालना के साथ–साथ राजस्थान सरकार की कुपोषण निवारण रणनीति 'सुपोषित राजस्थान– विजन 2022' का लक्ष्य पूरा करने के लिए सामाजिक एवं व्यवहार परिवर्तन संचार रणनीति को अपनाना भी हैं।

प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर तथा सहरिया बहुल जिला बारां में इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना 19 नवम्बर, 2020 से प्रारंभ की गई। इस योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करने हेतु इन जिलों में दूसरी संतान के जन्म पर लाभार्थियों को पाँच चरणों में ₹6,000 सीधे खाते में हस्तान्तरित किये जाते है।

यह योजना महिला एवं बाल विकास विभाग के अन्तर्गत समेकित बाल विकास सेवाएं और चिकित्सा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण सेवाएं विभाग की स्वास्थ्य प्रणाली का उपयोग करते हुए लागू की गई हैं।

इस योजना के तहत नवम्बर, 2022 तक कुल 71,735 लाभार्थियों को पाँच किश्तों के माध्यम से भुगतान किया जा चुका है।

अन्य

समेकित बाल विकास सेवाओं में जन सहभागिता बढ़ाने के लिए ''नन्द घर योजना'' प्रारम्भ की गई हैं। वर्तमान में नन्द घर योजना के अन्तर्गत 1,549 आँगनबाड़ी केन्द्रों का निर्माण/नवीनीकरण का कार्य किया गया है। सुविधा संवर्धन कार्यक्रम के तहत, 515 आँगनबाड़ी केन्द्रों को टी.वी. और सोलर पेनल, 1,577 आँगनबाड़ी केन्द्रों को यूनिफॉर्म के साथ झूला, बर्तन, दरी वितरित किये गये। 1,984 केन्द्रों को दीवार घड़ी भी वितरित की गयी। 187 केन्द्रों में, 15 निर्धूम चूल्हे, अलमारी, वजन मशीन, लोहे के रैक, ट्राईसाईकिल भी दिये गये है।

प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल शिक्षा (ई.सी.सी.ई.) 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों को सरकारी सामग्री: 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को ईसीसीई सामग्री (आयु अनुसार वर्कबुक व आंकलन प्रपत्र तथा टेक्सट्बुक–मेरी फुलवारी) का आँगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से घर–घर जाकर 12 लाख पंजीकृत लाभान्वितों को आपूर्ति करने का निर्णय कर आपूर्ति की गई। वर्ष 2022–23 में 16.18 लाख बच्चों को शाला पूर्व शिक्षा प्रदान किये जाने के संबंध में समस्त आँगनबाड़ी कार्यकर्ता, पूर्व प्राथमिक शिक्षक व पर्यवेक्षको को प्रशिक्षण दिया जाकर इनके माध्यम से साप्ताहिक रूप से ई–लर्निग सामग्री (साप्ताहिक कलेण्डर, ऑडियो–वीडियो) बच्चो के अभिभावकों को भिजवायी जा रही है तथा आँगनबाड़ी कार्यकर्ता के द्वारा घर–घर सम्पर्क के दौरान गतिविधियों का संचालन व मूल्यांकन किया जा रहा है।

प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल शिक्षा (ई.सी.सी.ई.) यूट्यूब चैनल: अधिक से अधिक ईसीसीई गतिविधियों की पहुंच हेतु समेकित बाल विकास विभाग द्वारा ऑनलाइन लाइब्रेरी के रूप में अपना यूट्यूब चैनल/ऑडियो बैंक निर्माण किया गया, जिसका विधिवत आरम्भ 24 जनवरी, 2021 को राष्ट्रीय बालिका दिवस पर किया गया।

वित्तीय वर्ष 2021–22 में आँगनबाड़ी केन्द्रों पर 6,465 पोषण वाटिकाएं विकसित की गई। मिशन 2022–23 में चयनित

आकांक्षी जिलों के 215 सक्षम आँगनबाड़ी केन्द्रों पर पोषण वाटिकाएं विकसित किये जाऐगें।

बाल अधिकारिता

बाल अधिकारों के संरक्षण एवं सुरक्षित वातावरण बनाने हेतु वर्ष 2013 में बाल अधिकारिता विभाग की स्थापना की गई थी। निदेशालय द्वारा निम्नलिखित योजनाओं का संचालन किया जा रहा है:–

मिशन वात्सल्य योजना (सी.पी.एस.): बाल संरक्षण एक व्यापक योजना है, जिसका उद्देश्य देश में बालकों/बालिकाओं हेतु संरक्षित परिवेश तैयार करना है। इस योजना का उद्देश्य कठिन परिस्थितियों में वैधानिक एवं सहायक सेवाएं प्रदान करना, सभी स्तरों पर क्षमताओं की वृद्वि हेतु साक्ष्य आधारित निगरानी और मूल्यांकन डाटा बेस तथा ज्ञान आधारित बाल संरक्षण सेवाओं का निर्माण और परिवार एवं समुदाय स्तर पर सुदृढ़ीकरण में गुणवत्ता प्राप्त करना है। इस योजना में वित्तीय वर्ष 2022–23 में ₹7,000 लाख का बजट प्रावधान है, जिसमें से (माह नवम्बर, 2022 तक) राशि ₹4,011.52 लाख का व्यय किया गया।

कामकाजी महिलाओं के बच्चों हेतु नेशनल क्रेच स्कीम: भारत सरकार द्वारा समुदाय में कामकाजी महिलाओं के बच्चों (6 माह से 6 वर्ष तक) को डे–केयर सुविधा प्रदान करने के लिए राज्य में नेशनल क्रेच स्कीम लागू की गई है।

खाद्य एवं उपभोक्ता मामलात्

सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी.डी.एस.)

राज्य में सार्वजनिक वितरण के बहुउद्देश्यों की प्राप्ति जैसे– कीमतों में स्थिरता सुनिश्चित करना, आपूर्ति में कमी आने पर आवश्यक वस्तुओं की राशनिंग तथा समाज के गरीब व जरुरतमंद वर्गों को बुनियादी वस्तुओं की सस्ती दरों पर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली को संस्थागत रूप से लागू किया गया है। उचित मूल्य की दुकानों के नेटवर्क स्थापित करना, खाद्यान्नों का आवंटन व वितरण, राशन कार्ड जारी करना, उचित मूल्य की दुकानों के कामकाज का पर्यवेक्षण एवं निगरानी आदि की जिम्मेदारी राज्य सरकार में निहित है। उचित मूल्य की दुकानों के नेटवर्क के माध्यम से गेहूं, चावल एवं चीनी जैसी आवश्यक वस्तुओं का वितरण मासिक आधार पर नियमित रूप से किया जाता है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एन.एफ.एस.ए.) के अन्तर्गत पात्र लाभार्थियों के मापदण्डों की समीक्षा कर खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के सम्बन्ध में 27 सितम्बर, 2018 को नवीनतम अधिसूचना जारी की गई। वर्तमान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा की समावेशन सूची में कुल 32 श्रेणियाँ हैं। एनएफएसए के तहत भारत सरकार से प्रति माह 2,30,818 मीट्रिक टन गेहूं की मात्रा प्राप्त की जा रही हैं।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत ए.ए.वाई. परिवारों के राशन कार्ड धारकों को प्रति राशन कार्ड पर 35 किग्रा. गेहूं और बी.पी.एल. और स्टेट बी.पी.एल. को प्रति इकाई प्रतिमाह 5 किग्रा. गेहूं ₹2 प्रति किलोग्राम के बजाय ₹1 प्रति किलोग्राम 1 मार्च, 2019 से प्रदान किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2022–23 के दौरान नवम्बर, 2022 तक कुल 6.11 लाख मीट्रिक टन गेहूँ 1.38 करोड़ व्यक्तियों को औसतन प्रतिमाह उपलब्ध कराया गया।

प्रदेश में 15 नवम्बर, 2022 तक 4.25 करोड़ एनएफएसए लाभार्थी है। राज्य सरकार द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनान्तर्गत माह अप्रेल, 2022 से नवम्बर, 2022 तक 16.07 लाख मैट्रिक टन गेहूं की मात्रा का उठाव करके 14.94 लाख मैट्रिक टन गेहूं का वितरण लाभार्थियों को करवाया गया है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में 13 दिसम्बर, 2022 तक नाम जोड़ने के लिए 2,06,684 आवेदन स्वीकार किये गये।

राशन डीलर की कोरोना से मृत्यु होने पर ₹50 लाख की घोषणा की गई। इस क्रम में 45 राशन डीलर्स की कोरोना से मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को ₹22.50 करोड़ का भुगतान किया गया है।

वन नेशन वन राशन कार्ड योजना: इस योजना में, लाभार्थियों की आधार सीडिंग का कार्य किया जा रहा है। 4.10 करोड़ लाभार्थियों की सीडिंग की जा चुकी है, जो 96.46 प्रतिशत है। वर्तमान में राज्य स्तरीय पोर्टेबिलिटी तथा अन्तर्राज्यीय पोर्टेबिलिटी लागू है। राज्य का कोई नागरिक अन्य राज्य से तथा अन्य राज्य का नागरिक राजस्थान से अपना राशन प्राप्त कर सकता है।

सहरिया, खैरवा तथा कथौड़ी जनजाति को खाद्य सुरक्षा

जनजाति क्षेत्र में खाद्य तेल, घी एवं दाल लाभार्थियों को वितरण हेतु जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा उपलब्ध करवाया जाता है। वर्तमान में बारां जिले की सहरिया तथा उदयपुर जिलें की कथौडी एवं खैरवा जनजाति को प्रतिमाह प्रति सदस्य 250 मि0ली0 घी, 500 मि0ली0 खाद्य तेल तथा 500 ग्राम दाल नि:शुल्क उपलब्ध करवाया जा रहा है। सामग्री

का लाभार्थियों को वितरण पॉस मशीन के माध्यम से उचित मूल्य की दुकानों द्वारा कराया जा रहा है।

"गेहूं के हर दाने पर नजर" के लिए जी.ए.आर.डी.एस. (अनाज लेखा रसीद प्रेषण प्रणाली): राज्य के 4.46 करोड लोगों तक खाद्यान्न की वास्तविक समय पर पहुंच सुनिश्चित करने के लिए राज्य में जी.ए.आर.डी.एस. प्रणाली लागू किया जाना प्रकियाधीन है, जिसके अन्तर्गत:

- 25,333 उचित मूल्य दुकानदारों की जिओ टैगिंग की जा चुकी है।
- "हैंड हेल्ड डिवाइस" के माध्यम से एफसीआई से उठने वाले खाद्यान्न के रियल टाईम चालान जनरेशन से उचित मूल्य दुकानों द्वारा वास्तविक समय पर खाद्यान्न की प्राप्ति सुनिश्चित होगी।
- जिओ टेगिंग से भारतीय खाद्य निगम डिपो और उचित मूल्य दुकान के बीच वास्तविक दूरी के आधार पर परिवहन शुल्क का भुगतान करने एवं समय पर्यवेक्षण कर उचित मूल्य दुकानदार द्वारा जमा राशि की निगरानी सुनिश्चित की जा रही है। बैंकिंग पार्टनर की तकनीकी सहायता से भुगतान प्रक्रिया ऑनलाईन की जा रही है।
- राज्य मे भारतीय खाद्य निगम से उठाव कर उचित मूल्य दुकान मे आपूर्ति किये गये खाद्यान्न की पॉस मशीन मे 48 घण्टे मे अनिवार्य अपडेशन की प्रक्रिया शुरू की गयी है।

न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं एवं धान की खरीद:

- रबी विपणन वर्ष 2022–23 में 23 लाख मैट्रिक टन गेहूं की खरीद के विरूद्ध 10,169 मैट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई, जिससे लगभग 941 किसानों को लाभान्वित किया गया है।

एन.एफ.एस.ए. के तहत खाद्यान्न आवंटन का वर्षवार आवंटन और उठाव मात्रा का विवरण तालिका–9.3 में दर्शाया गया है।

तालिका–9.3 वर्षवार विभिन्न योजना में खाद्यान्न का आवंटन

(मै.टन)

वर्ष	आवंटन मात्रा	उठाव मात्रा
2019-20	2685838	2635724
2020-21	2754126	2747338
2021-22	2583344	2545851
2022-23*	1955859	1924494

*दिसम्बर, 2022 तक

उचित मूल्य की दुकानों पर पॉस (PoS) मशीनों की स्थापना:

उचित मूल्य की दुकानों पर पॉस (PoS) मशीनों की उपलब्धता चरणबद्ध तरीके से की गई हैं और उचित मूल्य की दुकानों पर उपभोक्ताओं को बायोमेट्रिक सत्यापन के उपरान्त राशन सामग्री का वितरण किया जा रहा है। पॉस (PoS) मशीन से होने वाले वितरण का सम्पूर्ण रिकॉर्ड ऑनलाइन रहने से किसी भी समय तथा किसी भी स्तर पर राशन सामग्री के स्टॉक का भौतिक सत्यापन सम्भव है। पॉस (PoS) मशीन द्वारा बायोमैट्रिक सत्यापन के पश्चात् राशन सामग्री के वितरण से न केवल पी.डी.एस. सामग्री की कालाबाजारी पर अंकुश लगा है, बल्कि लक्षित लाभार्थियों तक पी.डी.एस. सामग्री की पहुँच सुनिश्चित हो सकी है।

किसी लाभार्थी का अंगूठा निशान (फिंगर प्रिन्ट) मिलान नहीं होने की स्थिति में लाभार्थी के पंजीकृत मोबाइल नम्बर पर ओ.टी.पी. प्रेषण अथवा प्राधिकृत अधिकारी के माध्यम से बायपास सिस्टम एक्टिवेट करवाकर राशन प्राप्त करने की भी व्यवस्था है। विभाग द्वारा 'डिस्ट्रिक्ट पोर्टेबिलिटी' के अन्तर्गत यह भी प्रावधान किया गया है कि कोई लाभार्थी अपनी राशन सामग्री जिलें में किसी भी राशन की दुकान से प्राप्त कर सकता है।

वर्ष 2021–22 में पॉस (PoS) मशीनों के माध्यम से गेहूं वितरण के 11.62 करोड़ लेनदेन किए गए हैं, जबकि वर्ष 2022–23 में नवम्बर, 2022 तक कुल 7.79 करोड़ लेनदेन हुआ।

राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड़ (आर.एस.एफ.सी.एस.सी.एल.)

कम्पनी अधिनियम, 1956 के तहत वर्ष 2010 में राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड़ की स्थापना की गई थी, जिसने 27, दिसम्बर, 2010 से कार्य करना प्रारम्भ किया। निगम का मुख्य उद्देश्य लक्षित समूहों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सामानों का प्रभावी उठाव, परिवहन और वितरण सुनिश्चित करना एवं साथ ही उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से उपभोक्ता को गैर–सार्वजनिक वितरण प्रणाली उपलब्ध करवाना है।

राजस्थान राज्य खाद्य और नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड के महत्त्वपूर्ण कार्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली (राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना) के तहत गेहूं और चीनी की आपूर्ति और गैर–सार्वजनिक वितरण प्रणली के तहत चाय और नमक की आपूर्ति की जा रही है। पॉस मशीन

के रख–रखाव और अनाज लेखा रसीद और जमा प्रणाली (जीएआरडीएस) के अन्य कार्य भी निगम द्वारा किये जा रहे हैं।

वर्ष 2021–22 में एन.एफ.एस.ए. योजना के अन्तर्गत लगभग 25.46 लाख मैट्रिक टन एवं पी.एम.जी.के.ए.वाई. योजना के अन्तर्गत 22.98 लाख मैट्रिक टन गेहूं का उठाव कर माह मई, 2021 से मार्च, 2022 तक आपूर्ति की जा चुकी है। वर्ष 2022–23 में एन.एफ.एस.ए. योजना के अन्तर्गत माह नवम्बर, 2022 तक लगभग 17.11 लाख मैट्रिक टन एवं पी.एम.जी.के.ए.वाई. योजना के अन्तर्गत 16.08 लाख मैट्रिक टन गेहूं का उठाव कर आपूर्ति की जा चुकी है।

चीनी के वितरण के लिए यह राज्य सरकार द्वारा नियुक्त एक नोडल एजेन्सी हैं। राज्य में अन्त्योदय परिवारों को प्रति माह 1 किलोग्राम चीनी प्रति राशन कार्ड/प्रति परिवार के अनुसार वितरित की जा रही है। निगम द्वारा खुले बाजार से चीनी खरीद कर उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से पात्र परिवारों को चीनी का वितरण किया जाता हैं। खाद्य विभाग के अनुसार राज्य में 6.83 लाख ए.ए.वाई. परिवार हैं। वित्तीय वर्ष 2021–22 की अवधि के दौरान, अन्त्योदय परिवारों द्वारा उचित मूल्य की दुकानों के संचालकों से 308.86 मीट्रिक टन चीनी प्राप्त की गई है।

गैर–सार्वजनिक वितरण प्रणाली : सितम्बर, 2021 से जून, 2022 तक लगभग 91,576 किलोग्राम राज ब्राण्ड चाय की आपूर्ति उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से उपभोक्ताओं को की गई है। जिसमें निगम को राशि ₹4,76,195.20 की आय प्राप्त हुई है। सितम्बर, 2022 तक लगभग 2,01,325 किलो राज ब्राण्ड नमक की आपूर्ति उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से उपभोक्ताओं को की गई है।

उपभोक्ता मामलात्

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य स्तर पर राज्य आयोग एवं जिला स्तर पर सभी जिलों में पूर्णकालिक जिला उपभोक्ता विवाद निवारण मंचों का गठन किया गया है। जयपुर जिले में 4 तथा जोधपुर जिले में 2 मंच कार्यरत हैं। राज्य में कुल 37 जिला मंच एवं 6 सर्किट बैंच (सम्भागीय मुख्यालय) कार्यरत हैं। राज्य आयोग की स्थापना से लेकर नवम्बर, 2022 तक 79,635 प्रकरण दर्ज हुए, जिनमें से 76,181 प्रकरणों का निस्तारण किया गया, जिसका कार्य लगभग 95.66 प्रतिशत रहा है। जिला आयोगों में नवम्बर, 2022 तक कुल 5,15,474 प्रकरण दर्ज हुए, जिनमें से 4,64,078 प्रकरणों का निस्तारण किया गया, जिसका कार्य लगभग 90.02 प्रतिशत रहा है। नवम्बर, 2022 तक राज्य आयोग एवं जिला मंचों में 5,95,109 प्रकरण दर्ज हुए हैं, जिनमें से 5,40,259 प्रकरणों का निस्तारण हो चुका है। राज्य आयोग के समक्ष 1 अप्रेल, 2022 से 30 नवम्बर, 2022 तक 1,186 प्रकरण दर्ज हुए और 1,493 प्रकरणों का निस्तारण किया गया है तथा इस दौरान जिला आयोगों के समक्ष 11,201 प्रकरण दर्ज हुए, जिनमें से 9,131 प्रकरणो का निस्तारण किया गया है।

राज्य स्तरीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (1800–180–6030) का संचालन 15 मार्च, 2011 से किया जा रहा है। नवम्बर, 2022 तक हेल्पलाइन द्वारा 58,677 शिकायतों का निस्तारण किया गया हैं। विधिक मापविज्ञान प्रकोष्ठ, उपभोक्ता मामले विभाग के अन्तर्गत कार्यरत है। "मैट्रोलॉजी एप्लिकेशन" ई–तुलामान के वेब मॉड्यूल द्वारा निर्माताओं, डीलरों, वजन और माप की मरम्मत करने वालों और वजन या माप के सत्यापन से संबंधित 12 सेवाएं प्रदान की जा रही है।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता

सामाजिक विकास/सामाजिक कल्याण एक कल्याणकारी राज्य का महत्वपूर्ण और अभिन्न अंग है, जिसे भारत के संविधान में राज्य की नीतियों के निर्देशक सिद्धांतों में भी शामिल किया गया है। भारतीय संविधान में स्पष्ट रूप से अंकित है "राज्य समाज के कमजोर वर्गों और विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को विशेष देखभाल के साथ बढ़ावा देगा, और सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से रक्षा करेगा।''

उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्तियांः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक पिछड़ा वर्ग और विशेष पिछड़ा वर्ग के छात्रों को उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्तियां प्रदान की जा रही हैं, जिन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विशेष पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के अभिभावकों की वार्षिक आय ₹2.5 लाख तक, अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के अभिभावकों की वार्षिक आय ₹2.5 लाख तक, आर्थिक पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के अभिभावकों की वार्षिक आय ₹2.5 लाख तक और मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों के अभिभावकों की वार्षिक आय ₹5 लाख तक है, को उत्तर मैट्रिक

छात्रवृत्तियां प्रदान की जा रही हैं। वर्ष 2022–23 में (माह दिसम्बर, 2022 तक) 5,04,945 विद्यार्थियों को ₹62,011.61 लाख की छात्रवृत्तियां वितरित की गई हैं। वर्षवार प्रगति तालिका–9.4 में दर्शाई गई है।

तालिका–9.4 उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्तियों की वर्षवार प्रगति

योजना	वर्ष	लाभान्वितों की संख्या	व्यय (₹लाख में)
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्तियाँ	2019-20	744567	84206.25
	2020-21	413393	48693.67
	2021-22	523453	54569.26
	2022-23*	399157	44546.02
अन्य पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्तियाँ	2019-20	54639	7733.56
	2020-21	36858	6008.93
	2021-22	27007	4699.34
	2022-23*	31445	5370.68
आर्थिक पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्तियाँ	2019-20	1738	171.80
	2020-21	994	89.25
	2021-22	326	28.79
	2022-23*	1407	143.30
विशेष पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्तियाँ (देवनारायण)	2019-20	50438	7889.00
	2020-21	57599	8891.74
	2021-22	68210	8771.58
	2022-23*	72799	11904.37
मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा छात्रवृत्तियाँ	2019-20	677	205.39
	2020-21	559	170.22
	2021-22	495	159.72
	2022-23*	137	47.24
योग	**2019-20**	**852059**	**100206.00**
	2020-21	**509403**	**63853.81**
	2021-22	**619491**	**68228.69**
	2022-23*	**504945**	**62011.61**

* दिसम्बर, 2022 तक

छात्रावास सुविधाः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग विद्यार्थियों को छात्रावास सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इन छात्रावासों में आवास, भोजन, पोशाक, कोचिंग आदि की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2022—23 में (दिसम्बर, 2022 तक) ₹11,016.40 लाख की राशि व्यय कर 34,423 लाभार्थियों को लाभान्वित किया जा चुका है।

अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजनाः यह योजना वर्ष 2021—2022 में प्रारंभ की गई इसमें जिला मुख्यालयों पर संचालित समस्त स्नातक एवं स्नातकोत्तर (केवल शैक्षणिक पाठ्यक्रमों कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय हेतु) राजकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत् अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग, अति पिछडा वर्ग और आर्थिक पिछडा वर्ग विद्यार्थियों को जों घर से दूर रहकर अन्य स्थान पर कमरा किराये पर लेकर (पेईंग गैस्ट कें रूप में) अध्ययन करते है उन छात्रों हेतु आवास, भोजन एवं बिजली—पानी इत्यादि सुविधाओं हेतु पुनर्भरण राशि के रूप में अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना के अन्तर्गत ₹2,000 प्रतिमाह (प्रतिवर्ष अधिकतम 10 माह हेतु) देय है।

योजनान्तर्गत वर्ष 2021—22, में कुल 1,196 छात्रों को लाभान्वित किया जाकर कुल ₹116.84 लाख का व्यय किया गया है। 500 अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को भी शमिल करने के लिए इस योजना का विस्तार किया गया हैं।

मुख्यमंत्री कन्यादान योजनाः सहयोग एवं उपहार योजना का नाम परिवर्तित कर मुख्यमंत्री कन्यादान योजना कर दिया गया हैं। इस योजना के अन्तर्गत लड़कियों को विभिन्न चरणों में लाभान्वित किया जा रहा हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक वर्ग के बी.पी.एल. परिवार की 18 वर्ष या इससे अधिक आयु की लड़कियों के विवाह पर ₹31,000 उपहार स्वरूप दिए जाते हैं, यदि लड़की दसवीं पास है तो ₹10,000 तथा यदि लड़की स्नातक है तो ₹20,000 की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। इसी प्रकार शेष सभी श्रेणियों के बी.पी.एल. परिवार, अंत्योदय परिवार, आस्था कार्ड धारक, आर्थिक रूप से कमजोर विधवा महिलाएं, विशेष योग्यजन व्यक्ति, पालनहार में लाभार्थियों की लड़कियों की शादी और 18 वर्ष से अधिक उम्र की महिला खिलाड़ियों को भी स्वयं की शादी में ₹21,000 दिये जा रहे हैं, यदि लड़की दसवीं पास है तो अतिरिक्त ₹10,000 तथा यदि लड़की स्नातक है तो ₹20,000 की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। इस योजना में वर्ष 2022—23 में (माह दिसम्बर, 2022 तक) 19,629 लड़कियों को ₹7,109.03 लाख की राशि से पुरस्कृत किया गया हैं।

आवासीय विद्यालयः इस योजना के अन्तर्गत, 35 आवासीय विद्यालय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन राजस्थान आवासीय शैक्षिक संस्थान सोसायटी (आर.आर.ई.आई.एस.) द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग एवं अन्य आर्थिक पिछड़े वर्ग जिनकी पारिवारिक आय ₹8 लाख प्रतिवर्ष तक है, के गरीब बच्चों के लिए चलाए जा रहे हैं। इन विद्यालयों में सुविधाओं के तौर पर आवास, भोजन, पोशाक, लेखन सामग्री, चिकित्सा आदि सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2022—23 में (माह दिसम्बर, 2022 तक) ₹5,852.68 लाख की राशि व्यय कर 10,713 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया है।

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाएं

इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजनाः केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन के स्थान पर इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन 19 नवम्बर, 2007 से प्रारम्भ की गई है। इस योजना के अन्तर्गत भारत सरकार के मापदण्डों के अनुरूप सूचीबद्ध बी.पी.एल. परिवार के 60 वर्ष व अधिक आयु के व्यक्तियों को पेंशन देय है। 60 वर्ष से अधिक एवं 75 वर्ष से कम आयु के पेंशनर को ₹750 प्रतिमाह एवं 75 वर्ष व अधिक आयु के पेंशनर को ₹1,000 प्रतिमाह पेंशन देय है। इस योजना की प्रगति वर्षवार तालिका—9.5 में दर्शाई गई है।

तालिका—9.5 इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना की वर्षवार प्रगति

वर्ष	लाभान्वितों की संख्या	व्यय (₹लाखों में)
2019-20	770019	21698.87
2020-21	803655	22308.19
2021-22	847603	26541.89
2022-23*	847522	19326.30

* दिसम्बर, 2022 तक

इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजनाः इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना केन्द्र सरकार द्वारा 7 अक्टूबर, 2009 से प्रारम्भ की गयी है। इस योजना के अन्तर्गत भारत सरकार के मापदण्डों के अनुरूप सूचीबद्ध बी.पी.एल. परिवार की 40 वर्ष व अधिक की आयु की विधवा महिलाएं पेंशन की पात्र हैं। 40 वर्ष से अधिक किन्तु 55 वर्ष से कम आयु की पेंशनर्स को ₹500 प्रति माह, 55 वर्ष व अधिक किन्तु 60 वर्ष से कम आयु की पेंशनर को ₹750 प्रतिमाह, 60 वर्ष व अधिक किन्तु 75 वर्ष से कम आयु की पेंशनर को ₹1,000 प्रतिमाह एवं 75 वर्ष व अधिक आयु की पेंशनर को ₹1,500 प्रतिमाह पेंशन देय हैं। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2022–23 में (माह दिसम्बर, 2022 तक) ₹11,820.06 लाख की राशि व्यय कर 3,97,544 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया है।

इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजनाः इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना केन्द्र सरकार द्वारा 24 नवम्बर, 2009 से प्रारम्भ की गयी है। इस योजना के अन्तर्गत भारत सरकार के मापदण्डों के अनुरूप सूचीबद्ध बी. पी.एल. परिवार के वे व्यक्ति, जो बहु निःशक्तता से ग्रसित है और जिनकी आयु 18 वर्ष व अधिक है, पेंशन के पात्र हैं। 18 वर्ष से अधिक आयु व 55 वर्ष से कम आयु की महिला एवं 18 वर्ष से अधिक व 58 वर्ष से कम आयु के पुरूष पेंशनर को ₹750 प्रतिमाह, 55 वर्ष व अधिक की महिला तथा 58 वर्ष व अधिक के पुरूष किन्तु 75 वर्ष से कम आयु के पेंशनर को ₹1,000 प्रतिमाह, 75 वर्ष व अधिक आयु के पेंशनर को ₹1,250 प्रतिमाह पेंशन देय है, तथा 18 वर्ष व अधिक आयु के कुष्ठ रोग मुक्त विशेष योग्यजन व्यक्ति को ₹1,500 प्रतिमाह पेंशन देय है। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2022–23 में (माह दिसम्बर, 2022 तक) ₹691.72 लाख की राशि व्यय कर 25,321 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया है।

मुख्यमंत्री वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजनाः वृद्धावस्था पेंशन के अन्तर्गत 55 वर्ष या इससे अधिक आयु की महिलाओं एवं 58 वर्ष या इससे अधिक आयु के पुरूषों को वृद्धावस्था सम्मान पेंशन के रूप में ₹750 प्रतिमाह व 75 वर्ष की आयु होने के पश्चात ₹1,000 प्रतिमाह पाने के लिए पात्र है। सभी स्त्रोतो से वार्षिक आय ₹48,000 से कम हो। इस योजना की प्रगति तालिका–9.6 में दर्शाई गई है।

मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजनाः इस योजना के अन्तर्गत विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता महिलाओं को पेंशन दी जा रही है। इस योजना में ₹500 प्रतिमाह (पात्र लाभार्थी जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक और 55 वर्ष से कम) ₹750 प्रतिमाह (पात्र लाभार्थी जिनकी आयु 55 व अधिक और 60 वर्ष से कम) ₹1,000 प्रतिमाह (पात्र लाभार्थी जिनकी आयु 60 व अधिक और 75 वर्ष से कम) और ₹1,500 प्रतिमाह (पात्र लाभार्थी जिनकी आयु 75 वर्ष व अधिक) पेंशन दी जा रही है। उपरोक्त सभी लाभ शर्तो के अधीन सभी स्त्रोतो से वार्षिक आय ₹48,000 से कम हो। इस योजना की वर्षवार प्रगति तालिका–9.7 में दी गई है।

तालिका–9.6 मुख्यमंत्री वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना की वर्षवार प्रगति

वर्ष	लाभान्वितों की संख्या	व्यय (₹लाख में)
2019-20	4528941	449190.86
2020-21	4828536	459740.59
2021-22	5230324	556654.45
2022-23*	5396466	424611.58

* दिसम्बर, 2022 तक

तालिका–9.7 मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना की वर्षवार प्रगति

वर्ष	लाभान्वितों की संख्या	व्यय (₹लाख में)
2019-20	1473089	180126.01
2020-21	1634124	186646.26
2021-22	1724329	231226.34
2022-23*	1820248	172262.24

* दिसम्बर, 2022 तक

मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजनाः इस योजना में, विशेष योग्यजनों को ₹750 प्रतिमाह (55 वर्ष से कम आयु की महिला एवं 58 वर्ष से कम आयु के पुरूष पेंशनर को), 55 वर्ष व अधिक आयु की महिला तथा 58 वर्ष व अधिक आयु के पुरूष किन्तु 75 वर्ष से कम आयु के पेंशनर को ₹1,000 प्रतिमाह, 75 वर्ष व अधिक आयु के पेंशनर को ₹1,250 प्रतिमाह पेंशन देय है। सिलिकोसिस और कुष्ठ रोग पीड़ित व्यक्तियों को भी ₹1,500 प्रतिमाह पेंशन प्रदान की जा रही है। सभी स्त्रोतो से वार्षिक आय ₹60,000 से कम हो। वित्तीय वर्ष 2022–23 में (दिसम्बर, 2022 तक) कुल ₹47,260.18 लाख की राशि उपलब्ध करवाकर 6,19,320 विशेष योग्यजनों को लाभान्वित किया गया है।

लघु एवं सीमांत वृद्धजन कृषक सम्मान पेंशन योजनाः लघु एवं सीमान्त वृद्ध कृषकों में, जिन महिलाओं की आयु 55 वर्ष व अधिक तथा पुरूषों की आयु 58 वर्ष व अधिक हो तथा 75 वर्ष से कम हो, वृद्धजन सम्मान पेंशन ₹750 प्रतिमाह देय हैं व 75 वर्ष व अधिक आयु होने पर ₹1,000 प्रतिमाह पेंशन देय है। चालू वित्तीय वर्ष 2022–23 में (दिसम्बर, 2022 तक) ₹18,238.92 लाख की राशि उपलब्ध करवाकर 2,52,160 लघु एवं सीमान्त वृद्ध कृषकों को लाभान्वित किया गया है।

पालनहार योजनाः पालनहार योजना कठिन परिस्थितियों में रहने वाले बच्चे को सहायता प्रदान करने के लिए राजस्थान सरकार की एक प्रमुख नकद हस्तांतरण योजना है। यह योजना उन बच्चों की देखभाल के लिए आरम्भ की गई थी, जिनके माता–पिता दोनों की मृत्यु हो गई है या आजीवन कारावास या मौत की सजा काट रहे हों या माता की मृत्यु हो गई है और पिता आजीवन कारावास काट रहा हो या इसके विपरीत पिता की मृत्यु हो गई है और माता आजीवन कारावास काट रही हो। प्रारम्भ में यह योजना अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए थी, किन्तु बाद में इसे बढ़ाकर सभी जाति के अनाथ बच्चों, विधवा के बच्चों (तीन बच्चों तक), कानूनी रूप से विवाहित विधवा के बच्चों, कुष्ठ रोग से प्रभावित माता/पिता के बच्चों, एच.आई.वी./ए.आई.डी.एस. से संक्रमित माता/पिता के बच्चों, जिन बच्चों की माँ नाते (तीन बच्चों तक) गई हो, विशेष योग्यजन माता–पिता के बच्चों एवं परित्यक्ता/तलाकशुदा महिला के बच्चों के लिए लागू की गई थी। ऐसे बच्चों का उत्तरदायित्व लेने वाले व्यक्ति को 'पालनहार' कहा गया है। इस योजना के अन्तर्गत 0–6 वर्ष की आयु के आँगनबाड़ी में दाखिल अनाथ बच्चों को ₹1,500 प्रतिमाह एवं 6–18 वर्ष की आयु के विद्यालय जाने वाले अनाथ बच्चों को ₹2,500 प्रतिमाह दिए जाते हैं। अन्य श्रेणियों में 0–6 वर्ष के बच्चों का ₹500 प्रति माह और 6–18 वर्ष के बच्चों को ₹1,500 प्रति माह दिया जाता है। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2022–23 में (माह दिसम्बर, 2022 तक) ₹57,931.19 लाख व्यय कर 6,75,292 बच्चों को लाभान्वित किया गया है।

मुख्यमंत्री हुनर विकास योजनाः सरकारी एवं अनुदानित बाल गृहों के बालकों, पालनहार योजना के अन्तर्गत लाभान्वित बच्चों को मुख्य धारा में लाने एवं स्वावलम्बी बनाने हेतु व्यावसायिक, तकनीकी तथा उच्च शिक्षा की सुविधा, कौशल विकास प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री हुनर विकास योजना संचालित की जा रही है। वर्ष 2022–23 में (माह दिसम्बर, 2022 तक) राशि ₹44 लाख व्यय कर 108 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया।

डॉ. सविता बेन अम्बेडकर अन्तर्जातीय विवाह योजनाः अस्पृश्यता निवारण के एक प्रयास के रूप में सवर्ण हिन्दू तथा अनुसूचित जाति के बीच अन्तर्जातीय विवाह को बढ़ावा देने हेतु ''डॉ. सविता बेन अम्बेडकर अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना'' का संचालन किया जा रहा है। इस योजना के तहत अनुसूचित जाति के युवक/युवती द्वारा सवर्ण हिन्दू जातियों के युवती/युवक से विवाह करने पर दम्पति को अन्तर्जातीय विवाह योजनान्तर्गत ₹5 लाख प्रति युगल स्वीकृत किए जा रहे हैं। इस योजना में केन्द्र का हिस्सा ₹1.25 लाख और राज्य का हिस्सा ₹3.75 लाख है। इस योजना में, वित्तीय वर्ष 2022–23 में (माह दिसम्बर, 2022 तक) ₹1,252.50 लाख का वितरण किया गया हैं और 247 जोड़े लाभान्वित हुए हैं।

सम्भाग स्तरीय नारी निकेतन/राज्य स्तरीय महिला सदनः राज्य सरकार ने महिलाओं के उत्थान, सुरक्षा और जीवनयापन के लिए सम्भागीय मुख्यालयों पर नारी निकेतनों की स्थापना की है। वर्ष 2022–23 में (माह दिसम्बर, 2022 तक) ₹378.09 खर्च किये जाकर 450 रहवासियों की स्वीकृत संख्या के विरूद्ध 181 महिलाएं व 11 बच्चे रहवास कर रहे है।

अन्त्येष्टि अनुदान योजनाः इस योजना के तहत लावारिस शवों के अन्तिम संस्कार के लिए चिन्हित गैर सरकारी संगठनों को ₹5,000 दिये जाते हैं। वर्ष 2022–23 में (माह दिसम्बर, 2022 तक) 644 लावारिस शवों के अंतिम संस्कार में ₹32.20 लाख का व्यय किया गया है।

वृद्ध कल्याण योजनाः इन केन्द्रों में मुफ्त आवास, भोजन, चाय, नाश्ता, मनोरंजन, आवश्यक दैनिक उपयोग की सुविधाएं आदि प्रदान करके वृद्धावस्था पेंशनधारियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जा रही है। वर्तमान में, केन्द्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत राज्य के 22 जिलों में सरकारी/गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से कुल 45 वृद्धाश्रम संचालित किए जा रहे है। वर्ष 2022–23 के दौरान (माह दिसम्बर, 2022 तक) वृद्धावस्था कल्याण योजना के तहत ₹256.62 लाख व्यय किए गए।

नवजीवन योजनाः आजीविका के लिए वैकल्पिक अवसर/संसाधन प्रदान करने, निरक्षरता को दूर करने और व्यक्तियों को बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने, अवैध शराब के निर्माण एवं भंडारण और बिक्री में शामिल समुदायों को आजीविका प्रदान करने के उद्देश्य से नवजीवन योजना शुरू की गई है। इस योजना के घटकों में कौशल विकास, ऋण अनुदान, बुनियादी सुविधाओं का विकास, इन परिवारों के बच्चों का निजी शिक्षण संस्थानों में प्रवेश, नवजीवन योजना छात्रवृत्ति आदि से संबंधित कार्य शामिल है। वर्ष 2022–23 के दौरान (माह

दिसम्बर, 2022 तक) ₹1,115 लाख व्यय कर 5,523 लाभार्थियों को लाभान्वित किया जा चुका है।

विधवा विवाह उपहार योजनाः पेंशन योजना में हकदार विधवा महिला शादी करती है तो उसे शादी के मौके पर राज्य सरकार की ओर से उपहार स्वरूप ₹15,000 दिये जाने का प्रावधान था। वित्तीय वर्ष 2016–17 में इसे बढ़ाकर ₹30,000 वर्ष 2019–20 में पुनः बढ़ाकर ₹51,000 दिये जाने का प्रावधान किया गया है। वर्ष 2022–23 के दौरान (माह दिसम्बर, 2022 तक) ₹4.08 लाख व्यय कर 8 लाभार्थियों को लाभान्वित किया जा चुका है।

उज्ज्वला योजनाः यह योजना देह व्यापार में लिप्त महिलाओं एवं उनके बच्चों को अवांछनीय कार्यों में लिप्त होने से रोकने, बचाने तथा उन्हें समाज में सम्मानपूर्वक जीवन जीने के लिए स्वावलम्बी बनाकर इन्हें समाज में पुनर्वास कर समाज की मुख्य धारा में जोडने हेतु स्वयं सेवी संस्थाओं के माध्यम से संचालित की जा रही है। वर्ष 2022–23 के दौरान (माह दिसम्बर, 2022 तक) ₹23.41 लाख का व्यय किया जा चुका हैं और 31 लाभार्थियों को लाभान्वित किया जा चुका हैं।

स्वाधार गृह योजनाः भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा वर्ष 2001–02 से विपरीत परिस्थितियों में जीवन यापन करने वाली महिलाओं को आश्रय प्रदान करने हेतु स्वाधार योजना प्रारम्भ की गई। योजनान्तर्गत आश्रय, भोजन, वस्त्र, परामर्श सेवायें, प्रशिक्षण, स्वास्थ्य से सम्बन्धित एवं विधिक सहायता प्रदान करते हुए उन्हें पुनर्वासित किया जाता है, ताकि वे सम्मानपूर्वक एवं विश्वासपूर्वक अपना जीवन यापन कर सकें। वर्ष 2022–23 के दौरान (माह दिसम्बर, 2022 तक) 215 लाभार्थियों को लाभान्वित किया जा चुका है। वर्ष 2022–23 से स्वाधार गृह और उज्ज्वला योजना का विलय कर शक्ति सदन नाम किया गया है।

मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजनाः कोविड–19 महामारी के कारण राज्य में अनाथ हुए बच्चों, विधवा महिलाओं एवं उनके बच्चों को आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक संबल प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना की घोषणा की गई है। 25 जून, 2021 से योजना सम्पूर्ण राज्य में संचालित है।

योजना अन्तर्गत प्रत्येक अनाथ बालक/ बालिकाओं को तत्कालिक सहायता के रूप में ₹1 लाख की एकमुश्त सहायता, 18 वर्ष की आयु तक ₹2,500 प्रतिमाह एवं ₹2,000 वार्षिक देय है। 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर ₹5 लाख की सहायता राशि देय है। साथ ही इन बच्चों को शैक्षणिक/अन्य सहायता अन्तर्गत कक्षा 12 तक निःशुल्क शिक्षा, राजकीय आवासीय विद्यालय/छात्रावास/विद्यालय, कॉलेज में अध्ययन करने वाली छात्राओं को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों में प्राथमिकता से प्रवेश एवं मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के अन्तर्गत बेरोजगारी भत्ता दिए जाने वाले लाभ प्राथमिकता से देय है। इसी प्रकार योजनान्तर्गत विधवा महिला को ₹1 लाख की तत्कालिक सहायता के साथ ही ₹1,500 प्रतिमाह पेंशन देय है, साथ ही विधवा के बच्चों को 18 वर्ष की आयु तक ₹1,000 प्रतिमाह एवं ₹2,000 वार्षिक देय हैं। इस प्रकार इस योजना के अंतर्गत दिसम्बर, 2022 तक ₹17,022.44 लाख व्यय कर 22,211 बच्चों/विधवा महिलाओं को लाभान्वित किया जा चुका है।

मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजनाः मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना विभिन्न प्रोफेशनल कोर्स एवं नौकरियों के लिये आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं यथा यूपीएससी द्वारा आयोजित अखिल भारतीय सिविल सेवा परीक्षा, आर.पी. एस.सी. द्वारा आयोजित राज्य की प्रशासनिक सेवा या अधीनस्थ सेवा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा एवं अन्य पे लेवल 10 एवं ऊपर की अन्य परीक्षाऐं, रीट परीक्षा, आरएसएसबी द्वारा आयोजित पटवारी/कनिष्ठ सहायक व उक्त लेवल की अन्य परीक्षाएं, कांस्टेबल परीक्षा, इन्जीनियर/मेडिकल प्रवेश परीक्षा, क्लैट, सीएएफसी, सीएसईईटी एवं सीएमएफएसी की परीक्षाओं की तैयारी उत्कृष्ट ढंग से कराने हेतु वर्ष 2021–22 से प्रारम्भ की गई है।

उक्त योजना में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, आर्थिक पिछडा वर्ग व विशेष योग्यजन जिनके परिवार की वार्षिक आय सीमा ₹8 लाख से कम या माता– पिता राजकीय सेवा में हो तो पे मैट्रिक्स का लेवल 11 तक का वेतन प्राप्त कर रहे हो, पात्र हैं। वर्ष 2022–23 हेतु निर्धारित लक्ष्य के विरूद्ध मैरिट के आधार पर चयन कर 12,952 विद्यार्थियों की मैरिट सूची जारी की जा चुकी है, तथा दिसम्बर, 2022 तक 8,450 विद्यार्थियों ने योजनान्तर्गत सूचीबद्ध कोचिंग संस्थाओं में अपनी उपस्थिति दे दी गई है।

गाड़िया लोहार भवन निर्माण अनुदान सहायता योजनाः गाड़िया लोहारों को स्थायी रूप से बसाने हेतु राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में 150 वर्गगज एवं शहरी क्षेत्र में 50 वर्गगज भूमि आवंटन करने का प्रावधान किया है। विभाग द्वारा वर्ष 2013–14 से महाराणा प्रताप भवन निर्माण योजनान्तर्गत गाड़िया लोहार परिवारों को भवन निर्माण हेतु स्वयं का भूखण्ड होने पर तीन किश्तों में ₹70,000 देने का प्रवधान था। प्रथम किश्त में ₹25,000, द्वितीय किश्त में ₹25,000 एवं तृतीय किश्त में ₹20,000 अनुदान के रूप में दी जाती थी, जिसे वित्त वर्ष

2022–23 से ₹1,20,000 कर दिया गया है, जिसमें प्रत्येक किश्त के रूप में ₹40,000 अनुदान दिया जाता है। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2022–23 के दौरान (माह दिसम्बर, 2022 तक) ₹56.10 लाख व्यय कर 47 लाभार्थियों को लाभान्वित किया जा चुका है।

गाड़िया लोहार कच्चा माल क्रय अनुदान सहायता योजनाः गाड़िया लोहारों को स्वावलम्बी बनाने हेतु उनके व्यवसाय के लिए राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2013–14 से कच्चा माल क्रय करने हेतु जीवन में एक बार अनुदान के रूप में राशि ₹5,000 दिये जाने का प्रावधान था, जिसे वित्त वर्ष 2022–23 से ₹10,000 कर दिया गया है। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2022–23 के दौरान (माह दिसम्बर, 2022 तक) ₹4.45 लाख व्यय कर 60 लाभार्थियों को लाभान्वित किया जा चुका है।

विशेष योग्यजन

राज्य सरकार द्वारा विशेष योग्यजनों के व्यापक कल्याण हेतु ध्यान केन्द्रित किया गया है। विशेष योग्यजनों की समस्याओं के सम्पूर्ण समाधान तथा उनके कल्याण के लिए राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2011 में पृथक से एक विभाग की स्थापना की गई है। राज्य सरकार द्वारा विशेष योग्यजन व्यक्तियों के चिन्हीकरण एवं पुनर्वास हेतु शिविरों के आयोजन किये जा रहे है। ऐसे व्यक्तियों के लिए राज्य सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं। विशेष योग्यजनों को कल्याणकारी लाभ प्रदान करने हेतु विभाग कई योजनाओं को लागू करने के लिए उत्तरदायी है। राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित योजनाओं का संक्षिप्त परिदृश्य नीचे दर्शाया गया हैः–

विशेष योग्यजन छात्रवृति योजनाः इस योजना अन्तर्गत राजकीय एवं मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में नियमित अध्ययनरत पात्र विशेष योग्यजन विद्यार्थियों को जिनके परिवार की वार्षिक आय ₹2 लाख से अधिक न हो ऐसे परिवारों के विशेष योग्यजन विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति की सुविधा दी जा रही है। इस योजनान्तर्गत वर्ष 2022–23 में (माह दिसम्बर, 2022 तक) ₹12.21 लाख व्यय हुए और 260 विशेष योग्यजनों को लाभान्वित किया गया।

मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजनाः इस योजना में ₹5 लाख तक का ऋण, स्वरोजगार हेतु ऐसे विशेष योग्यजनों को दिया जाता है, जिनकी स्वयं और परिवार की सभी स्रोतों से वार्षिक आय ₹2 लाख से कम है। राज्य सरकार द्वारा ₹50,000 की अनुदान राशि अथवा ऋण राशि का 50 प्रतिशत तक, जो भी कम हो, प्रदान की जाती है। इस योजनान्तर्गत वर्ष 2022–23 में (माह दिसम्बर, 2022 तक) ₹250.14 लाख व्यय हुए और 498 विशेष योग्यजनों को लाभान्वित किया गया।

सुखद दाम्पत्य योजनाः इस योजना के अन्तर्गत विशेष योग्यजन (पुरूष/स्त्री) को विवाह पश्चात् सुखी पारिवारिक जीवन व्यतीत करने हेतु ₹50,000 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त आयोजक (पंजीकृत सोसायटी) के लिए भी ₹20,000 की सहायता प्रदान की जाती है। इस योजनान्तर्गत वर्ष 2022–23 में (माह दिसम्बर, 2022 तक) ₹106 लाख व्यय हुए और 204 विशेष योग्यजनों को लाभान्वित किया गया।

कृत्रिम अंग/उपकरण लगवाने हेतु आर्थिक सहायताः इस योजना के अन्तर्गत पात्र विशेष योग्यजनों (आयकर दाता नहीं हो), को स्वरोजगार हेतु आर्थिक सहायता एवं शारीरिक कमी को पूरा करने के लिए कृत्रिम अंग/उपकरण जैसे ट्राइसाइकिल, बैसाखी, व्हीलचेयर, कैलिपर, श्रवण यंत्र, ब्लाइंड स्टिक, स्मार्ट फोन, जयपुर फुट/जूते/पाम पेड आदि प्रदान करने के लिए ₹10,000 तक की आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। इस योजनान्तर्गत वर्ष 2022–23 में (माह दिसम्बर, 2022 तक) ₹341.01 लाख व्यय हुए और 3,599 विशेष योग्यजनों को लाभान्वित किया गया।

सिलिकॉसिस पॉलिसीः राज्य सरकार ने 3 अक्टूबर, 2019 को सिलिकॉसिस नीति प्रारम्भ की है। खदानों, कारखानों, पत्थर तोड़ने, पत्थर की घिसाई, पत्थर पीसकर पाउडर बनाने, गिट्टी बनाने, सैंड स्टोन से मूर्ति बनाने इत्यादि कार्यों से धूल के सम्पर्क में आने से श्रमिक एक लाइलाज बीमारी सिलिकॉसिस से पीड़ित हो जाता है। इस नीति में सिलिकॉसिस पीड़ित व्यक्ति को आर्थिक मदद के साथ–साथ ऐसे कार्य स्थल एवं श्रमिकों की पहचान, पुनर्वास, बीमारी की रोकथाम व नियन्त्रण के उपाय अपनाए जाएंगे। सिलिकॉसिस रोग के प्रमाणीकरण पर पुनर्वास के लिए ₹3 लाख की सहायता प्रदान की जाती है। पीड़ित की मृत्यु पर उसके परिवार के आश्रित को ₹2 लाख प्रदान किये जाते है। पीड़ित को ₹1,500 प्रति माह सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान की जाती है। मृतक की विधवा को उनकी आयु वर्ग के अनुसार ₹500 से ₹1,500 की विधवा पेंशन प्रदान की जाती है। पालनहार योजना के तहत परिवार को अलग–अलग आयु वर्ग के अनुसार ₹500 से ₹2,000 (वार्षिक एकमुश्त) की सहायता दी जाएगी। पीड़ित और उसके परिवार को एनएफएसए जैसी सभी बी.पी.एल. सुविधाओं से आस्था कार्ड धारक परिवार की तरह लाभ होगा। पीड़ित परिवार को अंतिम संस्कार के लिए ₹10,000 की आर्थिक सहायता देने का प्रावधान है। सिलिकॉसिस पॉलिसी के अन्तर्गत दिसम्बर, 2022 तक

₹33,407.40 लाख व्यय कर 11,050 सिलिकॉसिस पीड़ितों/परिवारों को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवायी गयी है।

आस्था योजना: ऐसे परिवार जिनमें 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के 40 प्रतिशत से अधिक विशेष योग्यजन होने पर उन परिवारों को आस्था कार्ड जारी किये जाते है, जिससे इन परिवारों को बी.पी.एल के समकक्ष सुविधा उपलब्ध करवाई जा सके। कुल आस्था कार्ड धारी लगभग 34,969 परिवार है।

राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2018: दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के क्रियान्वयन हेतु राजस्थान राजपत्र में 24 जनवरी, 2019 को राज्य सरकार द्वारा इस नियम को प्रकाशित किया जा चुका है। उक्त नियमों के प्रावधानों के अनुसार विशेष योग्यजनों को सरकारी सेवाओं में आरक्षण का लाभ 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 4 प्रतिशत किया गया।

पदोन्नति में आरक्षण: दिनांक 21 अक्टूबर, 2021 से राज्य में विशेष योग्यजन कार्मिकों को पदोन्नति में 4 प्रतिशत आरक्षण के साथ ही सीधी भर्ती मे अधिकतम आयु सीमा मे 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट तथा अंको में 5 प्रतिशत छूट संबंधी लाभ दिये जाने का प्रावधान किया गया।

इसके अतिरिक्त, राज्य के विशेष योग्यजनों के कल्याण के लिए निम्नलिखित योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं:–

- **पोलियो करेक्शन ऑपरेशन शिविर हेतु अनुदान योजना:** इस योजना के अन्तर्गत स्वयंसेवी संस्थाओं को ₹5,000 प्रति पोलियो करेक्शन ऑपरेशन हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।
- **राज्य स्तरीय पुरस्कार योजना:** अन्तर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस, 3 दिसम्बर को प्रतिवर्ष 2 विभिन्न श्रेणियों में राज्य स्तरीय पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, जो स्वैच्छिक संगठन, कार्यालयों, एजेन्सियों और अन्य क्षेत्रों में विशेष योग्यजनों के लिए उत्कृष्ट कार्य करते हैं। इस योजना में पुरस्कार के रूप में ₹10,000 से ₹15,000 प्रति व्यक्ति/प्रति संस्थान तथा प्रशंसा पत्र और स्मृति चिन्ह प्रदान किये जाते है। वर्ष 2022–23 के दोरान (दिसम्बर, 2022 तक) 35 विशेष योग्यजन एवं 17 संस्थाओं को लाभान्वित किया जाकर ₹5.33 लाख वितरित किये गये हैं।
- **विशेष योग्यजनों हेतु खेलकूद प्रतियोगिताएं:** खेलकूद योजना का मुख्य उद्देश्य खेल प्रतियोगिताओं के माध्यम से विशेष रूप से सक्षम व्यक्तियों की दक्षता और क्षमता को बढ़ाना है। विशेष योग्यजनों के लिए राज्य एवं जिला स्तर पर खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाया जाता है।
- **विशेष योग्यजन पेंशनधारी को स्वयं का व्यवसाय आरम्भ करने हेतु एकमुश्त वित्तीय सहायता:** इस योजना में विशेष योग्यजन पेंशनधारी को स्वयं का व्यवसाय प्रारम्भ करने हेतु एकमुश्त वित्तीय सहायता राशि ₹15,000 दी जाती है। इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए लाभार्थी को अपनी पेंशन बन्द करवानी होती है।

वर्तमान सरकार की महत्वपूर्ण उपलब्धियां:

- **ऑनलाईन योजनाएं:** आस्था कार्ड योजना, मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगाार योजना सिलिकॉसिस सहायता एवं सुखद दाम्पत्य योजना को ऑनलाईन किया गया।
- **मानदेय में वृद्धि:** गैर सरकारी संगठन के माध्यम से संचालित विशेष विद्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों के मानदेय में 100 प्रतिशत की बढ़ोतरी 1 अप्रेल, 2022 से की गई।
- **मैस भत्ते में बढ़ोतरी:** बजट घोषणा 2022–23 की अनुपालना में राज्य के समस्त राजकीय एवं अनुदानित आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावासों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के मैस भत्ता हेतु अनुदान राशि ₹2,500 प्रतिमाह प्रति आवासी 1 अप्रेल, 2022 से स्वीकृत करने के आदेश जारी किये गये।
- **मानदेय कर्मियों की अनुदान राशि में वृद्धि:** बजट घोषणा 2022–23 की अनुपालना में स्वयं सेवी संस्था द्वारा संचालित स्कूलों, आवासीय विद्यालयों को वेतन भत्तो हेतु दी जाने वाली अनुदान राशि को 90 प्रतिशत से बढ़कर 100 प्रतिशत किया गया है।
- **राजकीय भवन:** जयपुर शहर के 78 राजकीय भवनों को विशेष योग्यजनों के लिए सुगम बनाया गया।
- **नवीन महाविद्यालयों की स्थापना:** जोधपुर मुख्यालय पर मूक बधिर एवं दृष्टिहीन वर्ग के दो महाविद्यालय स्थापित किये गये।
- **विशेष शिक्षा का नया कोर्स शुरू करना:** डी.एड.(एच. आई.) पाठ्यक्रम 35 विशेष शिक्षा प्रशिक्षुओं के लिए शासकीय बौद्धिक विकलांग (मानसिक रूप से मंद) शिक्षक प्रशिक्षण केन्द्र जामड़ोली (जयपुर) में प्रारम्भ किया गया हैं।

अल्पसंख्यक मामलात

अल्पसंख्यक समुदाय को गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा, रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध करवाने और उनके स्वास्थ्य एवं आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए राज्य सरकार द्वारा

अल्पसंख्यक मामलात विभाग का पृथक से गठन किया गया।

अल्पसंख्यक वर्ग के जरूरतमंद परिवारों की सहायता के लिए राज्य में निम्नलिखित योजनाएं चलाई जा रही हैः

- उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति (पी.एम.एस.) योजना
- मैरिट कम मीन्स (एम.सी.एम.) छात्रवृत्ति योजना
- अनुप्रति योजना/मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना
- छात्रावास सुविधा
- प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पी.एम.जे.वी.के.)
- अल्पसंख्यकों को कौशल विकास प्रशिक्षण
- स्वरोजगार एवं शिक्षा के लिए ऋण

मदरसा बोर्ड

मदरसा आधुनिकीकरण योजनाः मुख्यमंत्री मदरसा आधुनिकीकरण योजनान्तर्गत पंजीकृत मदरसों की आधारभूत संरचना के विकास एवं आवश्यकतानुसार भौतिक सामग्री उपलब्ध करवाये जाने का प्रावधान है। मदरसों की आधारभूत संरचना में कक्षा–कक्ष, पेयजल सुविधा, शौचालय एवं किचन शेड के निर्माण तथा भौतिक सामग्री में जैसे कम्प्यूटर, यू.पी. एस., प्रिन्टर, स्मार्ट क्लास रूम, ड्यूल डेस्क, स्टाफ फर्नीचर, आलमारी, लाईब्रेरी बुक्स, टीचर्स लर्निंग मेटेरियल, ई–कन्टेन्ट एवं कम्प्यूटर एडेड लर्निंग उपकरण आदि का प्रावधान है। योजना में निर्माण कार्य हेतु प्राथमिक स्तर के मदरसों को अधिकतम ₹15 लाख एवं उच्च प्राथमिक स्तर के मदरसों को अधिकतम राशि ₹25 लाख का प्रावधान किया गया है एवं कुल स्वीकृत राशि का 90 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा एवं 10 प्रतिशत मदरसा प्रबन्धन समिति द्वारा वहन किये जाने का प्रावधान है।

राजस्थान राज्य हज कमेटीः वर्ष 2022–23 में नवम्बर, 2022 तक 2,254 हज यात्रियों को लाभान्वित किया गया।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति उत्थान

राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के उत्थान हेतु कार्यरत है। राज्य सरकार अनुसूचित जाति, जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम के माध्यम से इन वर्गों के आर्थिक एवं सामाजिक हितों की रक्षा हेतु वचनबद्ध है। विशेष केंद्रीय सहायता योजना के तहत निगम द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं में, गरीबी रेखा से नीचे (बी.पी.एल.) और समकक्ष आय वर्ग से संबंधित अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को स्वरोजगार के लिए राशि ₹10,000 तक की सब्सिडी प्रदान की जाती है।

चालू वित्त वर्ष 2022–23 से भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा केन्द्रीय प्रायोजित विशेष केन्द्रीय सहायता का नाम बदलकर प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना की गई है। व्यक्तिगत लाभ के स्थान पर समूह आधारित आजीविका परियोजनाओं के लिए अनुदान सहायता का प्रावधान किया गया है। हांलाकि इसमें अधिकतम अनुदान सहायता राशि ₹10,000 से बढ़ाकर ₹50,000 तक की गई है, तथा वार्षिक आय की भी कोई सीमा नहीं है, परन्तु ₹2.50 लाख वार्षिक आय तक वाले परिवारों को प्राथमिकता देने का प्रावधान किया गया है।

भौतिक एवं वित्तीय प्रगति तालिका–9.8 में दी गई है।

जनजाति क्षेत्रीय विकास (टी ए डी)

विभाग द्वारा जनजाति के लोगो के सर्वांगीण विकास हेतु अनेक योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। वर्ष 2022–23 में कुल राशि ₹860.06 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है, जिसमें राज्य योजना, विशेष केन्द्रीय सहायता, संविधान की धारा 275(1) अन्तर्गत योजनाएं एवं केन्द्र प्रवर्तित योजना में क्रमशः ₹646.23 करोड़, ₹90 करोड़, ₹110 करोड़ एवं ₹13.83 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। माह नवम्बर, 2022 तक कुल राशि ₹474 करोड़ का उपयोग किया जा चुका है, जिसमें राज्य योजना, विशेष केन्द्रीय सहायता, संविधान की धारा 275(1) अन्तर्गत योजनाएं एवं केन्द्र प्रवर्तित योजना में क्रमशः ₹350.36 करोड़, ₹72.24 करोड़, ₹48.20 करोड़ एवं ₹3.20 करोड़ का व्यय किया गया है।

आदिवासी क्षेत्र के विकास की विभिन्न योजनाओं के तहत वर्ष 2022–23 में नवम्बर, 2022 तक भौतिक उपलब्धियां तालिका–9.9 में दी गयी है।

महिला सशक्तिकरण

महिलाओं का सशक्तिकरण समाज के सम्पूर्ण विकास का आधार है। राज्य की जनसंख्या में लगभग आधी जनसंख्या महिलाओं की है। अतः समाज के विकास की कल्पना महिलाओं की समान भागीदारी और सक्रियता के बिना संभव नहीं हो सकती। महिलाओं का वास्तविक सशक्तिकरण आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टि से अधिकारयुक्त वातावरण बनाये जाने पर निर्भर करता है, जो बराबरी के आधार पर निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाओं के लिए सहायक हो सके। सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के सशक्तिकरण और विकास तथा उनकी सुरक्षा, संरक्षण, पुनर्स्थापन के लिए समय–समय पर कई कार्यक्रम लागू किए गए हैं।

तालिका–9.8 विशेष केन्द्रीय सहायता अन्तर्गत योजनाओं की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति वर्ष 2022–23 (दिसम्बर, 2022 तक)

क्र. सं.	योजना का नाम	भौतिक (संख्या)		वित्तीय (राशि ₹लाखों में)	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
(अ) बैंकिंग योजनाएं					
1.	पैकेज ऑफ प्रोग्राम (शहरी)	634	117	63.40	6.70
2.	पैकेज ऑफ प्रोग्राम (ग्रामीण)	1427	467	142.70	37.72
3.	ऑटोरिक्शा	33	0	3.30	0.00
4.	उन्नत नस्ल गाय/भैंस/बकरी	373	47	37.30	4.20
5.	व्यक्तिगत पम्प सैट्स	33	0	3.30	0.00
6.	मुद्रा योजना	513	38	51.30	2.60
(ब) गैर–बैंकिंग योजनाएं					
1.	बकरी पालन	3188	1029	318.80	70.38
2.	कुँओं का विद्युतीकरण/सौर ऊर्जा	722	100	42.20	7.81
3.	कार्यशाला/दुकान	1195	726	119.50	68.10
4.	आधुनिक कृषि यंत्र	514	84	51.40	11.47
(स)	**राष्ट्रीय निगम की योजनाएं (एन.एस.एफ.डी.सी. एवं एन.एस.के.एफ.डी.सी.)**	4593	964	459.30	4.30
(द) प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना					
आय सृजनकारी योजना		5320	0	2660.00	0.00
दक्षता विकास व प्रशिक्षण		3000	0	450.00	0.00
योग (अ+ब+स+द)		**21245**	**3572**	**4402.50**	**213.28**

तालिका–9.9 जनजाति क्षेत्र विकास कार्यक्रमों की प्रगति

क्र.स.	योजना	इकाई	लक्ष्य	उपलब्धियां *
1	आश्रम छात्रावास संचालन (विद्यार्थी)	संख्या	27415	26768
2	आवासीय विद्यालय संचालन (विद्यार्थी)	संख्या	11591	11218
3	खेल छात्रावास संचालन (विद्यार्थी)	संख्या	875	873
4	मॉडल पब्लिक स्कूल का संचालन	संख्या	700	697
5	माँ बाडी संचालन (विद्यार्थी)	संख्या	82440	82590
6	प्रतिभावान जनजाति विद्यार्थियों को छात्रवृति	संख्या	-	प्रक्रियाधीन
7	महाविद्यालयी जनजाति छात्राओं को उच्च शिक्षा हेतु प्रोत्साहन	संख्या	-	प्रक्रियाधीन
8	कक्षा–11 व 12 की जनजाति छात्राओं को उच्च शिक्षा हेतु प्रोत्साहन	संख्या	-	2978
9	कथौड़ी, सहरिया एवं खैरवा जनजाति व्यक्तियों को निःशुल्क घी, दाल व तेल वितरण	संख्या	130069	117750
10	मल्टीपरपज छात्रावास/कॉलेज छात्रावास संचालन (विद्यार्थी)	संख्या	1200	1048
11	क्षय रोग नियन्त्रण	संख्या	4930	4650
12	कुसुम योजना (बी एवं सी)	लाभार्थी	2575	1303
13	दुर्घटना, बीमारी एवं मृत्यु के लिए आदिवासियों को सहायता	लाभार्थी	100	82
14	अनुप्रति योजना	लाभार्थी	200	200
15	आदिवासी छात्रो को शोध के लिए फैलोशिप	संख्या	21	17
16	सहरिया छात्रो को प्रोत्साहन (कक्षा 6 से 12)	संख्या	66	1149
17	जनजाति मेले	संख्या	10	8
18	कौशल विकास कार्यक्रम	लाभार्थी	2000	प्रक्रियाधीन
19	सिकल सेल एनिमिया	लाभार्थी	429000	प्रक्रियाधीन

* नवम्बर, 2022 तक

महिला विकास कार्यक्रम: राज्य में महिला सशक्तिकरण को मजबूत करने के लिए "साथिन" (मानदेय महिला कार्यकर्ता) कार्य कर रही है, जो न केवल महिलाओं एवं राज्य सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों के बीच सेतु का कार्य करती हैं, बल्कि महिलाओं को उनके मूलभूत अधिकारों के प्रति सचेत भी करती है। साथिन की आवश्यकता ऐसी बुराईयों एवं ऐसी परिस्थितियों के प्रति, जिनमें महिलाएं बहुधा अपने आपको परेशान, शोषित एवं पीड़ित पाती हैं, के विरूद्ध जागरूकता निर्माण करने के लिए भी है। प्रत्येक ग्राम पंचायत में ग्राम सभा द्वारा एक साथिन का चयन किया जाता है। राजस्थान में महिलाओं के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के लिए वर्तमान में 10,335 साथिन कार्य कर रही है। वार्षिक योजना 2022–23 में ₹4,060 लाख के प्रावधान के विरूद्ध माह नवम्बर, 2022 तक ₹3,367.17 लाख का व्यय किया गया है।

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह एवं अनुदान योजना 2021: सामूहिक विवाह योजना, बाल विवाह, दहेज प्रथा एवं व्यक्तिगत विवाहों पर होने वाले व्यय को कम करने के उद्देश्य से संचालित की जा रही है। राज्य सरकार द्वारा ₹18,000 प्रति जोड़े की दर से अनुदान दिया जाता है, जिसमें से ₹15,000 की राशि वधू को और ₹3,000 आयोजनकर्ता संस्था को विवाह आयोजन हेतु दिए जाते हैं। इस योजना की प्रगति तालिका–9.10 में दर्शाई गई है।

तालिका–9.10 सामूहिक विवाह योजना की वर्षवार प्रगति

वर्ष	लाभान्वित जोड़े (संख्या)	व्यय (₹लाख में)
2019-20	3592	768.59
2020-21	5141	912.79
2021-22	3205	624.31
2022-23*	1010	197.88

* नवम्बर, 2022 तक

किशोरियों के लिए योजनाएं

गैर–पोषण घटक: किशोरियों के लिए एवं लक्षित लाभार्थियों में संशोधन करते हुए ''सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 के तहत 5 आकांक्षी जिलों (जैसलमेर, धौलपुर, करौली, बारां एवं सिरोही) में 14–18 वर्ष की किशोरियों के लिए योजना संचालित की जानी है। ''संशोधित योजना जीवन चक्र . दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए किशोर लड़कियों पर ध्यान केंद्रित करके कुपोषण की अंतर–पीढ़िगत समस्या का समाधान करेगी। योजना के अन्तर्गत पोषण का कार्य समेकित बाल विकास सेवाऐं तथा गैर पोषण कार्य निदेशालय महिला अधिकारिता द्वारा किया जायेगा।

योजना के उद्देश्य

- 4 से 18 वर्ष की आयु वर्ग की किशोरियों को पोषण संबंधी सहायता प्रदान करना।
- किशोरियों के स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति में सुधार के लिए पोषण घटक और आई एफ ए टेबलेट उपलब्ध करवाना।
- स्वास्थ्य जांच और रेफरल सेवाएं प्रदान करना।
- गैर–पोषण घटक के तहत पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा।
- कौशल विकास।
- किशोरियों के मासिक धर्म स्वच्छता का प्रचार–प्रसार सुनिश्चित करना।
- किशोरियों की दैनिक मुददों पर पियर एजुकेटर के माध्यम से उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना।

मुख्यमंत्री राजश्री योजना: राज्य में बालिकाओं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने और राज्य में बालिकाओं के स्वास्थ्य और शिक्षा की स्थिति में सुधार के लिए मुख्यमंत्री राजश्री योजना की घोषणा की गई। यह एक प्रमुख योजना है, जो राज्य में महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता लाने की अपेक्षा करती है। इस योजना के अन्तर्गत राजस्थान राज्य से संबंधित जून, 2016 या उसके बाद जन्म लेने वाली बालिकाएं वित्तीय सहायता प्राप्त करने की पात्र है। इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक पात्र बालिका के अभिभावक / संरक्षक को 6 किश्तों में कुल राशि ₹50,000 की राशि प्रदान की जाती है। 28.91 लाख बालिकाओं को प्रथम किश्त, 21.21 लाख बालिकाओं को द्वितीय किश्त और 0.14 लाख बालिकाओं को तृतीय किश्त के द्वारा लाभान्वित किया जा चुका है। वित्तीय वर्ष 2022–23 में माह नवम्बर, 2022 तक बजट प्रावधान ₹320 करोड़ के विरूद्व ₹220 करोड़ का व्यय किया गया है।

''बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ'' योजना: ''बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ'' योजना को सरकार की फ्लेगशिप और अभिसरण कार्यक्रमों में से एक के रूप में प्रारम्भ किया गया, जिससे बाल

इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजनाः माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा वित्त वर्ष 2021–22 में घोषित बजट के अनुसार स्वास्थ्य एवं स्वच्छता को प्राथमिकता दी गई है। इसके आधार पर प्रजनन आयु की लड़कियों और महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराए जा रहे है। इसके दायरे का विस्तार करने के लिए राज्य भर में प्रजनन आयु की लड़कियों और महिलाओं को मुफ्त सैनिटरी नैपकिन प्रदान करने के लिए इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना शुरू की गई। उडान योजना में मासिक धर्म स्वास्थ्य और स्वच्छता प्रबंधन के बारे में दूरदराज के क्षेत्रों में जागरूकता पैदा करने पर ध्यान दिया गया है, जहां "घूंघट प्रथा" अभी भी प्रचलित है, जहां लड़कियों और महिलाओं को स्वास्थ्य समस्याओं का सामना एवं संबंधित मुद्दो पर चर्चा करने में कठिनाई होती है। इस प्रकार, महिला स्वयं सहायता समूहों और नागरिक समाज संगठन के माध्यम से सैनिटरी नैपकिन का वितरण किया जाएगा। योजना के प्रथम चरण में लगभग 29 लाख किशोरियों/महिलाओं को लाभान्वित किया गया। द्वितीय चरण में लगभग 1.51 करोड़ किशोरियों/महिलाओं को निःशुल्क सेनेटरी नेपकिन उपलब्ध करवाये जा रहे है।

योजना के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार है:

- बालिकाओं और महिलाओं को सेनेटरी नैपकिन प्रयोग हेतु प्रोत्साहित करना एवं उनकी गरिमा, सुरक्षा एवं माहवारी से संबंधित जागरूकता लाने के लिए विशेष अभियान चलाना एवं अनुकूल वातावरण तैयार करना।
- विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ घूंघट प्रथा है उन महिलाओं को जागरूक करना ताकि महिलायें अपनी माहवारी संबंधित समस्याओं पर निःसंकोच बात कर निदान प्राप्त कर सकें और निःशुल्क सेनेटरी नैपकिन का उपयोग करें।
- राजस्थान में बालिकाओं और महिलाओं के लिए सुरक्षित और निःशुल्क सेनेटरी नैपकिन उपलब्ध कराना।
- स्वयं सहायता समूहों को सेनेटरी नैपकिन बनाने के लिए प्रशिक्षण, ऋण तथा क्रय एवं वितरण की योजना बनाना।
- महिला स्वयं सहायता समूह, सामाजिक संस्थाओं एवं गैर सरकारी संगठनों को माहवारी स्वच्छता प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य करने पर प्रोत्साहन देना।

योजना के प्रमुख घटक

- लड़कियों और महिलाओं में मासिक धर्म स्वास्थ्य और स्वच्छता प्रबंधन के बारे में जागरूकता पैदा करना।
- सेनेटरी नैपकिन की उपलब्धता।

लिंगानुपात और जीवन चक्र निरंतरता पर महिलाओं के सशक्तिकरण से संबंधित मुद्दो को सम्बोधित किया जा सके। योजना का उद्देश्य जेण्डर आधारित चयन को रोकना है ताकि बालिका का अस्तित्व और सुरक्षा सुनिश्चित हो सके, साथ ही बालिका की शिक्षा और भागीदारी सुनिश्चित हो सके।

इस योजना के तहत समुदाय के सदस्यों में जागरूकता पैदा करने के लिए विभिन्न गतिविधियाँ जैसे बैठकें, प्रशिक्षण, कार्यशालायें, सांस्कृतिक कार्यक्रम और अन्य मीडिया की गतिविधियॉ आयोजित की गई। योजना के तहत सभी जिलों में विभिन्न नवाचार किये जा रहे हैं। वर्ष 2021–22 में राज्य में जन्म के समय लिंगानुपात 947 है।

महिला सुरक्षा एवं संरक्षणः महिलाओं के संरक्षण से जुड़े निम्नलिखित कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु एक विशिष्ट महिला संरक्षण प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है:–

- **महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र (एम.एस.एस.के.):** योजना में वित्तीय वर्ष 2022–23 में आवंटित बजट ₹113 लाख है, जिसके विरूद्ध नवम्बर, 2022 तक ₹47.38 लाख का व्यय किया गया है। सभी 41 एम.एस.एस.के. से प्राप्त 7,100 प्रकरण में से 5,790 प्रकरण नवम्बर, 2022 तक निस्तारित किए जा चुके हैं।
- 181 महिला हेल्पलाईन
- वन स्टॉप सेन्टर/सखी केन्द्र
- इन्दिरा महिला शक्ति केन्द्र योजना
- घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम, 2005
- महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं सुधार) से संरक्षण अधिनियम, 2013
- राजस्थान डायन प्रताड़ना निवारण अधिनियम, 2015 एवं नियम, 2016
- त्रि–स्तरीय महिला समाधान समिति

जेण्डर प्रकोष्ठः जेण्डर प्रकोष्ठ, राज्य की बजट प्रणाली में जेण्डर अवधारणा को प्रोत्साहित करने हेतु गठित किया गया है तथा विभिन्न विभागों के बजट की जेण्डर के परिप्रेक्ष्य में समीक्षा हेतु सचिवालय के रूप में भी कार्य करता है। जेण्डर संवेदनशीलता, जेण्डर संवेदी बजट, जेण्डर आधारित आंकड़े एवं जेण्डर बजट स्टेटमेन्ट की अवधारणा को विकसित करने हेतु राज्य में सभी जिला स्तरों पर आमुखीकरण कार्यशालाएं आयोजित करवाई जाती हैं।

अमृता हाटः अमृता हाट महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा निर्मित/मूल्य संवर्द्धित उत्पादों के प्रदर्शन एवं विपणन के अधिकतम अवसर प्रदान करने हेतु महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण का एक मजबूत और स्थापित माध्यम है। इन हाट बाजारों के अतिरिक्त महिला सशक्तिकरण निदेशालय भी महिला स्वयं सहायता समूहों को आई.आई.टी. एफ., शिल्पग्राम उत्सव, अन्य विभागों के मेलों आदि में भी भागीदारी का अवसर प्रदान कर रहा है। वार्षिक योजना 2022–23 के लिए माह नवम्बर, 2022 तक ₹100 लाख के प्रावधान के विरूद्ध ₹16.36 लाख का व्यय किया गया है।

इन्दिरा महिला शक्ति निधि (आई.एम.शक्ति): राजस्थान सरकार ने ₹1,000 करोड़ के प्रावधान के साथ इन्दिरा महिला शक्ति निधि की घोषणा की है। यह योजना महिलाओं के सर्वांगीण सशक्तिकरण पर केन्द्रित होगी।

उक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु महिला अधिकारिता निदेशालय द्वारा तैयार की गई निम्नलिखित योजनाएं संचालित किये जाने हेतु स्वीकृत की गयी हैः

- **इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजनाः** इस योजना अन्तर्गत वर्ष 2022–23 में ₹2,500 लाख का प्रावधान रखा गया है, जिसमें से नवम्बर, 2022 तक ₹330 लाख का व्यय किया जा चुका है।
- **इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन योजनाः** इस योजना अन्तर्गत वर्ष ₹4,265 लाख का प्रावधान रखा गया है, जिसमें से नवम्बर, 2022 तक ₹1,655.73 लाख का व्यय किया जा चुका है।

  अ) लड़कियों/महिलाओं को निःशुल्क आर.एस.–सी.आई.टी. प्रशिक्षण

  ब) लड़कियों/महिलाओं को निःशुल्क आर.एस.–सी.एफ.ए. प्रशिक्षण

  स) महिलाओं/बालिकाओं को निःशुल्क स्पोकन इंग्लिश एण्ड पर्सनैलिटी डवलपमेंट प्रशिक्षण

  द) कौशल सामर्थ्य योजना

  य) शिक्षा सेतु योजना

महिला सशक्तिकरण के लिए राज्य में लागू की जा रही अन्य योजनाएं हैंः–

- महिला स्वयं सहायता समूहों को उचित मूल्य की दुकानों का आवंटन।
- इन्दिरा महिला शक्ति प्रोत्साहन एवं सम्मान योजना

इन्दिरा महिला एवं बाल विकास शोध संस्थानः इस संस्थान में महिलाओं एवं बच्चों के सर्वांगीण विकास एवं कल्याण से सम्बन्धित विषयों पर शोध कार्य किया जाएगा। संस्थान का उद्देश्य महिला एवं बाल विकास से सम्बन्धित विभिन्न आयामों में शोध व सुझाव सम्बन्धी कार्य, जेण्डर स्टडीज, जेण्डर बजट, जेण्डर संवेदी प्रशिक्षण, वस्तु परक शोध, अनुसंधान व प्रशिक्षण, महिला नीति के उद्देश्यों की पूर्ति में तकनीकी सहयोग, महिला सुरक्षा व संरक्षण सम्बन्धी योजना का अध्ययन एवं प्रलेखन, महिलाओं के सामाजिक व आर्थिक सशक्तीकरण व अनुसंधान, सोसायटी, स्वयं सेवी संस्थाओं व कॉरपोरेट का सामाजिक दायित्व के अन्तर्गत औद्योगिक समूह व संस्थाओं एवं अन्य विभागों से समन्वय व सहयोग कर शोध व नवाचार का सृजन व विकास, महिलाओं की सुरक्षा से सम्बन्धित कानून, अधिनियम/नियमों का अध्ययन व संकलन करना है।

जागृति बैक टू वर्क योजनाः कामकाजी एवं व्यावसायिक क्षेत्र में प्रशिक्षित महिलायें जो कि शादी के बाद घर–परिवार संभालने के लिए और अन्य कारणों से काम या नौकरी छोड़ देती हैं को पुनः रोजगार दिलवाने, घर से ही काम करने अर्थात् वर्क फ्रॉम होम के अवसर उपलब्ध कराने की दृष्टि से निजी क्षेत्र के सहयोग से जागृति बैक टू वर्क योजना प्रारम्भ की जा रही है।

- इस योजना के अन्तर्गत काम या नौकरी छोड़ देने वाली महिलाओं का पोर्टल पर पंजीकरण किया जा रहा है।
- योजना का शुभारम्भ "जॉब्स फॉर हर फाउण्डेशन" के माध्यम से पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में किया जा रहा है।
- योजना के व्यापक क्रियान्वयन हेतु गैर सरकारी संस्थायें जो कि इस योजना से सी.एस.आर. के अन्तर्गत जुड़ने की इच्छुक हैं, को ई.ओ.आई. जारी कर योजना से जोड़ा जाएगा।

- सी.एस.आर. संस्था द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रमो, सेमीनार, वेबीनार, नेटवर्किंग कार्यक्रमों इत्यादि के माध्यम से चिन्हित लाभार्थी महिलाओं को प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें रोजगार से जोड़ने का कार्य किया जाएगा।
- उक्त योजनान्तर्गत आगामी 3 वर्षो में 15,000 महिलाओं को लाभान्वित किया जाएगा।

मुख्यमंत्री वर्क फॉम होम–जॉब वर्क योजनाः ऐसी महिलायें जो वर्क फ्रॅाम होम कर अपने परिवार की आजीविका में योगदान दे सकती हैं, उनके लिए ''मुख्यमंत्री वर्क फ्रॅाम होम–जॉब वर्क योजना'' प्रारंभ की गई है। वर्क फ्रॅाम होम करने वाली इच्छुक महिलाओं एवं नियोक्ताओं के लिए https://mahilawfh.rajasthan.gov.in पोर्टल पर रोजगार के अवसर पंजीकृत किए जा रहे है। योजनान्तर्गत विभिन्न क्षेत्रों जैसे वस्त्र उद्योग आधारित कार्य, ऑनलाईन परामर्श, ऑन लाईन अनुशिक्षक, वेब डिजाइन, डिजिटल मार्केटिंग, डाटा एन्ट्री, अकाउंटिंग, जीएसटी, इनकमटैक्स फाइलिंग, आभूषण निर्माण, पैकेजिंग, ऑनलाईन चिकित्सा परामर्श की सेवाएं आदि में वर्क फ्रॅाम हॅाम– जॉब वर्क अवसरों का सृजन करवाया जा रहा है। वर्तमान में 24 जॉब प्रदाताओं का पंजीकरण कर 365 जॉब अवसरों का सृजन किया जा चुका है। योजनान्तर्गत नवम्बर, 2022 तक 327 महिलाओं को जॉब दी जा चुकी है, तथा 16,606 जॉब/वर्क फ्रॅाम होम हेतु पंजीकरण हुये है।

बीस सूत्री कार्यक्रम–2006

बीस सूत्री कार्यक्रम वर्ष 1975 में प्रारम्भ किया गया तथा वर्ष 1982, 1986 एवं वर्ष 2006 में पुनः संरचित किया गया। पुनः संरचित कार्यक्रम को बीस सूत्री कार्यक्रम (बी.सू.का.), 2006 के नाम से जाना जाता है, यह 1 अप्रैल, 2007 से लागू हुआ। इस कार्यक्रम का उद्देश्य गरीबी उन्मूलन, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सृजित करने, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, पर्यावरण संरक्षण सहित अनेक योजनाओं तथा जिनका प्रभाव विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर पर पड़ता है, को गति प्रदान करना है।

बीस सूत्री कार्यक्रम–2006 के अन्तर्गत कुल 65 मोनिटरिंग योग्य मदें सम्मिलित की गई हैं, इनमें से 15 मदों की मोनिटरिंग राज्य स्तर पर की जा रही है, जिसमें 12 श्रेणीबद्ध मदें शामिल है। राज्य स्तर पर मोनिटरिंग किए जा रहे मुख्य सूत्रों की प्रगति निम्नानुसार है:–

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम (मनरेगा): सूत्र संख्या–01ए

यह अधिनियम ग्रामीण क्षेत्रों में एक वर्ष में प्रति परिवार कम से कम 100 दिवस के रोजगार की गारण्टी प्रदान करता है। इसमें महिलाओं की एक तिहाई भागीदारी भी सुनिश्चित की गई है। मनरेगा के अन्तर्गत वर्ष 2021–22 में 1,16,25,176 जॉब कार्ड जारी किये गये और 4,243.15 लाख मानव दिवस रोजगार सृजित किए जाकर ₹7,764.60 करोड़ मज़दूरी का भुगतान किया गया। वर्ष 2022–23 के दौरान, दिसम्बर, 2022 तक 1,17,20,354 जॉब कार्ड जारी किये गये और 2,391.45 लाख मानव दिवस रोजगार सृजित कर ₹4,745 करोड़ मज़दूरी का भुगतान किया गया।

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन.आर.एल.एम.): सूत्र संख्या–01एफ01 I, II, III

यह योजना 1 अप्रैल, 2013 से प्रारम्भ की गई तथा वर्ष 2015–16 से बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत इस योजना की मोनिटरिंग की जा रही है। महत्वपूर्ण उपलब्धियां निम्नानुसार हैं:–

- वर्ष 2021–22 के दौरान, वार्षिक लक्ष्य 65,480 के विरूद्ध 48,979 नए एवं पुनर्जीवित स्वयं सहायता समूहों को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत सम्मिलित किया गया, जो लक्ष्य का 74.80 प्रतिशत था। वर्ष 2022–23 के दौरान (दिसम्बर, 2022 तक), वार्षिक लक्ष्य 37,020 के विरूद्ध 50,000 नए व पुनर्जीवित स्वयं सहायता समूहों को एन.आर.एल.एम. के अर्न्तगत सम्मिलित किया गया, जो लक्ष्य का 74.04 प्रतिशत है।
- वर्ष 2021–22 के दौरान, वार्षिक लक्ष्य 66,928 के विरूद्ध 41,676 स्वयं सहायता समूहों को रिवॉल्विंग फण्ड उपलब्ध कराया गया, जो लक्ष्य का 62.27 प्रतिशत था। वर्ष 2022–23 के दौरान (माह दिसम्बर, 2022 तक), वार्षिक लक्ष्य 64,399 के विरूद्ध 23,537 स्वयं सहायता समूहों को रिवॉल्विंग फण्ड उपलब्ध कराया गया, जो लक्ष्य का 36.55 प्रतिशत है।
- वर्ष 2021–22 के दौरान, वार्षिक लक्ष्य 17,257 के विरूद्ध 18,137 स्वयं सहायता समूहों को कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट

फण्ड (सी.आई.एफ.) उपलब्ध करवाया गया, जो कि लक्ष्य का 105.10 प्रतिशत था। वर्ष 2022–23 के दौरान (दिसम्बर, 2022 तक) वार्षिक लक्ष्य 26,000 के विरूद्ध 11,611 स्वयं सहायता समूहों को कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फण्ड उपलब्ध कराया गया, जो कि लक्ष्य का 44.66 प्रतिशत है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियमः सूत्र संख्या 05ए02: इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2021–22 के दौरान 25,45,851.303 मैट्रिक टन अन्न का उठाव हुआ, जो कि आवंटन 25,83,344.396 मैट्रिक टन के विरूद्ध 98.55 प्रतिशत था। वर्ष 2022–23 में (दिसम्बर, 2022 तक) 19,24,493.852 मैट्रिक टन अन्न का उठाव हुआ, जो कि आवंटन 19,55,858.790 मैट्रिक टन के विरूद्ध 98.40 प्रतिशत है।

ग्रामीण आवासः– प्रधानमंत्री आवास योजना (पी.एम.ए. वाई.): सूत्र संख्या–06ए01

वर्ष 2021–22 के दौरान, वार्षिक लक्ष्य 3,97,006 के विरूद्ध 1,24,536 आवासों का निर्माण करवाया गया, जो कि लक्ष्य का 31.37 प्रतिशत था। वर्ष 2022–23 के दौरान (माह दिसम्बर, 2022 तक) वार्षिक लक्ष्य 4,61,990 के विरूद्ध 2,38,379 आवासों का निर्माण करवाया गया, जो कि लक्ष्य का 51.60 प्रतिशत है।

शहरी क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/निम्न आय वर्ग के आवासः सूत्र संख्या–06बी01

वर्ष 2021–22 के दौरान, 20,297 आवासों का निर्माण कराया गया था। वर्ष 2022–23 के दौरान (माह दिसम्बर, 2022 तक) 552 आवासों का निर्माण कराया गया।

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमः– लक्षित जल सम्बन्धों की संख्या (एफ.एच.टी.सी.): सूत्र संख्या 07ए05

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान, वार्षिक लक्ष्य 30,00,000 के विरूद्ध 5,63,953 घरेलू नल कनेक्शन उपलब्ध करवाये गये, जो कि लक्ष्य का 18.80 प्रतिशत है। वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान (माह दिसम्बर, 2022 तक) वार्षिक लक्ष्य 32,64,266 के विरूद्ध 6,78,963 घरेलू नल कनेक्शन उपलब्ध करवाये गये, जो कि लक्ष्य का 20.80 प्रतिशत है।

संस्थागत प्रसवः सूत्र संख्याः 08ई01

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत, वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान 12,41,419 संस्थागत प्रसव कराए गए। वर्ष 2022–23 के दौरान (माह दिसम्बर, 2022 तक) 10,11,899 संस्थागत प्रसव कराये गये।

अनुसूचित जाति उपयोजना (एस.सी.एस.पी.) घटक के लिये विशेष केन्द्रीय सहायता (एस.सी.ए.) एवं एन.एस. एफ.डी.सी. के रियायती ऋणों के अन्तर्गत अनुसूचित जाति परिवारों को सहायताः सूत्र संख्या 10ए02

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत, वर्ष 2021–22 के दौरान 23,748 अनुसूचित जाति के परिवारों को सहायता प्रदान कराई गई। वर्ष 2022–23 के दौरान (माह दिसम्बर, 2022 तक) 3,468 अनुसूचित जाति के परिवारों को सहायता प्रदान कराई गई।

उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति के अन्तर्गत लाभान्वित अनुसूचित जाति के छात्रों की संख्या : सूत्र संख्या 10ए03

इस योजना के अन्तर्गत, वर्ष 2021–22 के दौरान, कुल 2,85,951 विद्यार्थी लाभान्वित हुए थे। वर्ष 2022–23 के दौरान (माह दिसम्बर, 2022 तक) कुल 2,19,165 विद्यार्थी लाभान्वित हुए।

समेकित बाल विकास सेवाओं (आई.सी.डी.एस.) का सार्वभौमिकरणः सूत्र संख्या 12ए01

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत, वर्ष 2021–22 के दौरान लक्ष्य 304 के विरूद्व 304 आई.सी.डी.एस. ब्लॉक्स क्रियाशील थे, जो कि लक्ष्य का 100 प्रतिशत था। वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान (माह दिसम्बर, 2022 तक) भी लक्ष्य 304 के विरूद्व 304 आई. सी.डी.एस. ब्लॉक्स क्रियाशील थे, जो कि लक्ष्य का 100 प्रतिशत था।

आँगनबाड़ी केन्द्रों का संचालनः सूत्र संख्या 12बी01

वर्ष 2021–22 के दौरान लक्ष्य 62,020 के विरूद्व 61,658 आँगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं, जो कि लक्ष्य का 99.42 प्रतिशत था। वर्ष 2022–23 के दौरान (माह दिसम्बर, 2022 तक) लक्ष्य 62,020 के विरूद्व 61,848 आँगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं, जो कि लक्ष्य का 99.72 प्रतिशत हैं।

शहरी निर्धन परिवारों को सहायताः सूत्र संख्या 14ए01

सात सूत्री चार्टर– भूमि पट्टा का आवंटन, सस्ता घर, जल, स्वच्छता, स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा के अन्तर्गत वर्ष 2021–22 के दौरान, 23,771 परिवारों को यह सहायता उपलब्ध कराई गई। वर्ष 2022–23 के दौरान (माह दिसम्बर, 2022 तक) 7,838 परिवारों को यह सहायता उपलब्ध कराई गई।

वृक्षारोपण के तहत कवर किया गया क्षेत्र (सार्वजनिक एवं वन भूमि): सूत्र संख्या 15ए01

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत, वित्तीय वर्ष 2021—22 के दौरान लक्ष्य 51,200 हैक्टेयर के विरूद्ध 45,659.90 हैक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण करवाया गया, जो कि लक्ष्य का 89.18 प्रतिशत था। वित्तीय वर्ष 2022—23 के दौरान (माह दिसम्बर, 2022 तक) लक्ष्य 37,740 हैक्टेयर के विरूद्ध 60,584.90 हैक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण कराया गया, जो कि लक्ष्य का 160.53 प्रतिशत है।

बीज पौधरोपण (सार्वजनिक एवं वन भूमि): सूत्र संख्या 15ए02

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत, वर्ष 2021—22 के दौरान लक्ष्य 332.80 लाख के विरूद्ध 269.37 लाख पौधरोपण सार्वजनिक एवं वन भूमि पर कराया गया, जो कि लक्ष्य का 80.94 प्रतिशत था। वित्तीय वर्ष 2022—23 के दौरान लक्ष्य 245.31 लाख के विरूद्ध 353.57 लाख (माह दिसम्बर, 2022 तक) पौधरोपण कराया गया, जो कि लक्ष्य का 144.13 प्रतिशत है।

ग्रामीण सड़कें— पी.एम.जी.एस.वाई.: सूत्र संख्या 17ए01

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पी.एम.जी.एस.वाई.) के अन्तर्गत, वित्तीय वर्ष 2021—22 के दौरान निर्धारित लक्ष्य 2,200 किमी. के विरूद्ध 3,255.729 किमी. सड़कों का निर्माण किया गया, जो कि लक्ष्य का 147.99 प्रतिशत है। वर्ष 2022—23 के दौरान (माह दिसम्बर, 2022 तक) लक्ष्य 1,500 किमी. के विरूद्ध 439.625 किमी. सड़कों का निर्माण किया गया, जो लक्ष्य का 29.31 प्रतिशत है।

गाँवों का विद्युतीकरण: (दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना): सूत्र संख्या 18बी01

सभी गाँवों का विद्युतीकरण होने के कारण, भारत सरकार से लक्ष्य आवंटित नहीं हुये हैं।

ऊर्जावान पम्पसेट: सूत्र संख्या 18डी01

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत, वर्ष 2021—22 के दौरान निर्धारित लक्ष्य 40,000 के विरूद्ध 77,034 कुँओं का ऊर्जीकरण किया गया, जो कि लक्ष्य का 192.59 प्रतिशत था। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत, वर्ष 2022—23 के दौरान (माह दिसम्बर, 2022 तक) निर्धारित लक्ष्य 44,000 के विरूद्ध 62,828 कुँओं का ऊर्जीकरण किया गया, जो कि लक्ष्य का 142.79 प्रतिशत है।

अध्याय 10

राज्य वित्त एवं विकास के अन्य संसाधन

राजकोषीय प्रबन्धन

वर्ष 2021–22 में मुख्य राजकोषीय लक्ष्यों के सन्दर्भ में वित्तीय स्थिति का सारांश निम्नानुसार है:–

(अ) राजस्व घाटा : राजस्व घाटा राशि ₹25,870 करोड रहा। यहां यह उल्लेखनीय है कि केन्द्र सरकार द्वारा जी.एस.टी. क्षतिपूर्ति हेतु अनुदान के स्थान पर राशि ₹7,268 करोड का ऋण स्वीकृत करने के घटक को समायोजित करने पर राजस्व घाटा राशि ₹18,602 करोड रहता है जो वर्ष 2020–21 के राजस्व घाटे से काफी कम है।

(ब) राजकोषीय घाटा : वर्ष 2021–22 के संशोधित अनुमानों में अनुमानित ₹62,015 करोड़ के स्थान पर वास्तविक राजकोषीय घाटा ₹48,238 करोड़ रहा, जो कि राज्य सकल घरेलू उत्पाद का 3.96 प्रतिशत है। संशोधित अनुमान 2021–22 में राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में 5.18 प्रतिशत अनुमानित किया गया था। राजकोषीय घाटे में निम्नांकित घटकों का प्रभाव पडा :–

(क) केन्द्र सरकार द्वारा पूंजीगत व्यय हेतु राशि ₹692 करोड का अतिरिक्त ऋण स्वीकृत किया गया।

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा जी.एस.टी. क्षतिपूर्ति हेतु अनुदान के स्थान पर राशि ₹7,268 करोड का ऋण स्वीकृत किया गया।

उपरोक्त अतिरिक्त ऋण को राजकोषीय घाटे में से कम करने की स्थिति में राजकोषीय घाटा केवल राशि ₹40,278 करोड है जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.31 प्रतिशत है तथा वर्ष 2020–21 के राजकोषीय घाटे राशि ₹59,375 करोड़ (5.82 प्रतिशत) से कम है। इस प्रकार राजकोषीय घाटा एफ.आर.बी.एम. अधिनियम, 2005 के द्वारा निर्धारित सीमा में रहा है।

राजकोषीय स्थिति/वित्तीय मानकों का विस्तृत विवरण निम्नानुसार तालिका 10.1 एवं चित्र 10.1 से 10.11 तक में दर्शाया गया है।

तालिका 10.1 राजकोषीय स्थिति/परिमाप

(₹ करोड़)

मद	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
1	2	3	4	5	6
1. राजस्व प्राप्तियां	**127307**	**137873**	**140114**	**134308**	**183920**
(i) स्वयं का कर राजस्व	50605	57380	59245	60283	74808
(ii) कर भिन्न राजस्व	15734	18603	15714	13653	18755
(iii) केन्द्रीय करों में हिस्सा	37028	41853	36049	35576	54031
(iv) केन्द्रीय सहायता	23940	20037	29106	24796	36326
2. गैर साख पूंजीगत प्राप्तियां	**15150**	**15178**	**15690**	**388**	**2405**
इसमें से उदय योजनान्तर्गत व्यय	15000	15000	14722	0	0
3. कुल प्राप्तियां (राजस्व प्राप्तियां गैर साख पूंजीगत प्राप्तियां)	**142457**	**153051**	**155804**	**134696**	**186325**

(₹करोड़)

मद	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
1	2	3	4	5	6
4. कुल व्यय	**167799**	**187524**	**193458**	**194071**	**234563**
इसमें से उदय योजनान्तर्गत व्यय	15000	15000	14722	0	0
(i) राजस्व व्यय	145841	166773	176485	178310	209790
इसमें से					
(क) उदय योजनान्तर्गत व्यय	12000	12000	13816	0	0
(ख) ब्याज भुगतान	19720	21695	23643	25202	28100
(ii) पूँजीगत परिव्यय	20624	19638	14718	15270	24152
इसमें से उदय योजनान्तर्गत व्यय	3000	3000	906	0	0
(iii) उधार एवं अग्रिम	1334	1113	2255	491	621
5. सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रचलित कीमतों पर वर्ष 2011–12 की श्रृंखलानुसार)	**832529**	**911519**	**998679**	**1019442**	**1218193**
6. राजस्व घाटा	**18534**	**28900**	**36371**	**44002**	**25870**
6. (अ) राजस्व घाटा (उदय योजना रहित)	**6534**	**16900**	**22555**	**44002**	**25870**
7. राजकोषीय घाटा	**25342**	**34473**	**37654**	**59375**	**48238**
8. प्राथमिक घाटा	5622	12778	14011	34173	20138
9. राजकोषीय घाटे का सकल राज्य घरेलू उत्पाद से अनुपात (प्रतिशत)	**3.04**	**3.78**	**3.77**	**5.82**	**3.96**
10. राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि दर (प्रतिशत)	16.77	8.30	1.63	-4.14	36.94
11. राज्य के स्वयं के कर राजस्व में वृद्धि दर (प्रतिशत)	14.05	13.39	3.25	1.75	24.09
12. सकल राज्य घरेलू उत्पाद से राजस्व प्राप्तियां (प्रतिशत)	15.29	15.13	14.03	13.17	15.10
13. सकल राज्य घरेलू उत्पाद से राज्य के स्वयं का कर राजस्व (प्रतिशत)	6.08	6.29	5.93	5.91	6.14
14. वेतन एवं मजदूरी पर व्यय	**37611**	**49790**	**49066**	**51619**	**57118**
(i) राजस्व प्राप्तियों से प्रतिशत	29.54	36.11	35.02	38.43	31.06
(ii) राजस्व व्यय से प्रतिशत (ब्याज एवं पेंशन भुगतान के अतिरिक्त)	33.52	39.93	37.15	39.50	36.08
15. ब्याज भुगतान व्यय	**19720**	**21695**	**23643**	**25202**	**28100**
(i) राजस्व प्राप्तियों से प्रतिशत	15.49	15.74	16.87	18.76	15.28
(ii) राजस्व व्यय से प्रतिशत	13.52	13.01	13.40	14.13	13.39
16. राजकाषीय देनदारियां (ऋण एवं अन्य दायित्व)	**281182**	**311374**	**352702**	**410499**	**462845**
सकल राज्य घरेलू उत्पाद से प्रतिशत	33.77	34.16	35.32	40.27	37.99

चित्र 10.1

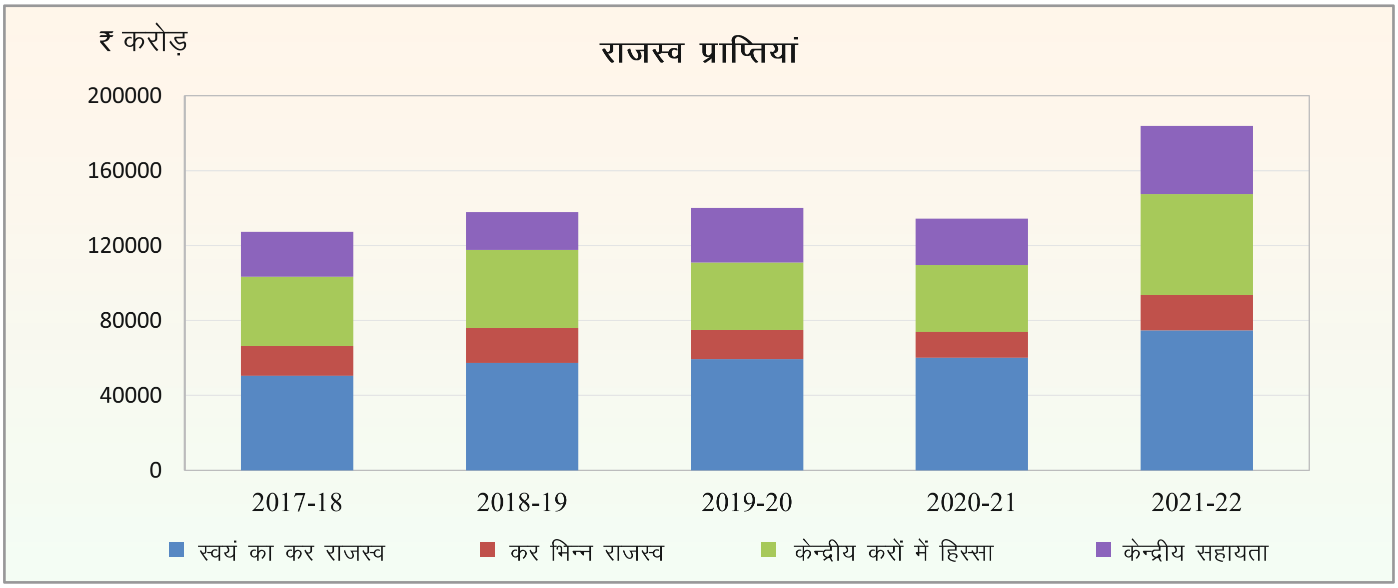

चित्र 10.2

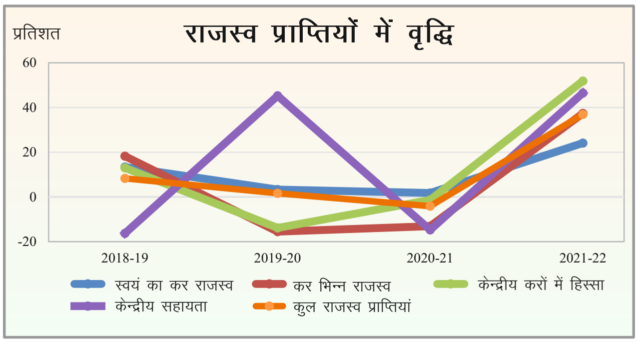

चित्र 10.3

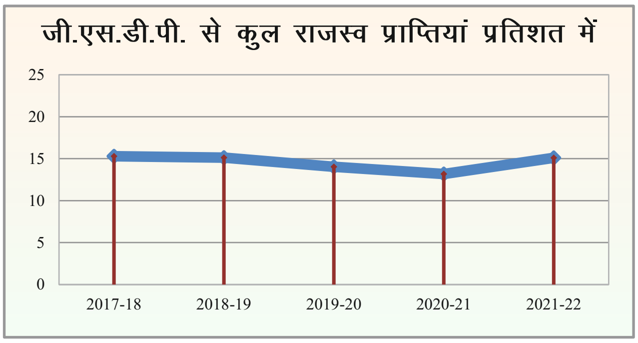

चित्र 10.4

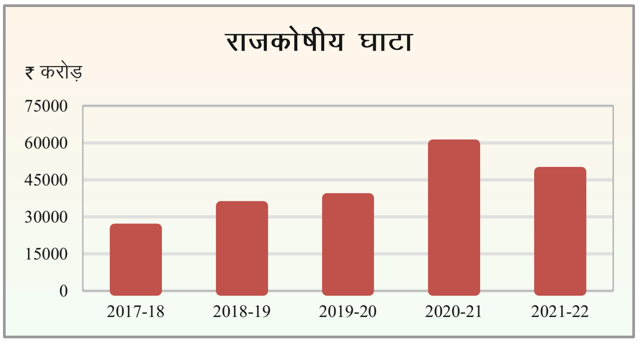

चित्र 10.5

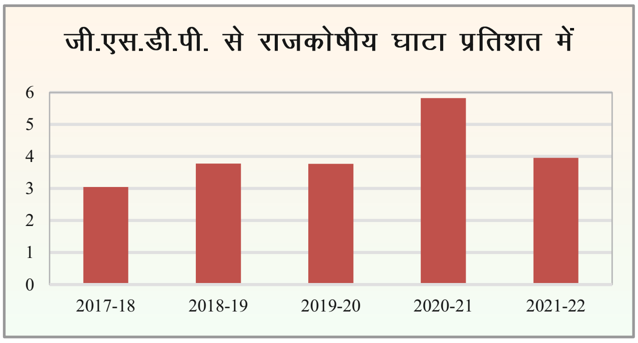

चित्र 10.6

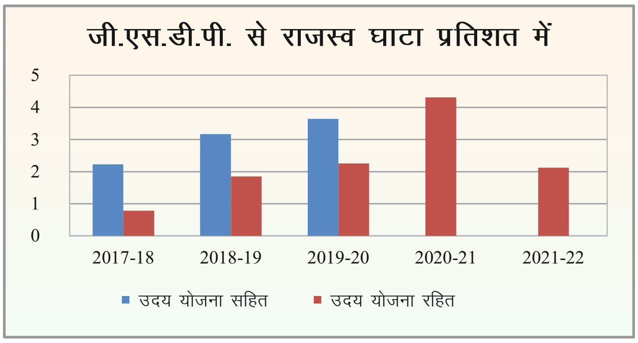

चित्र 10.7

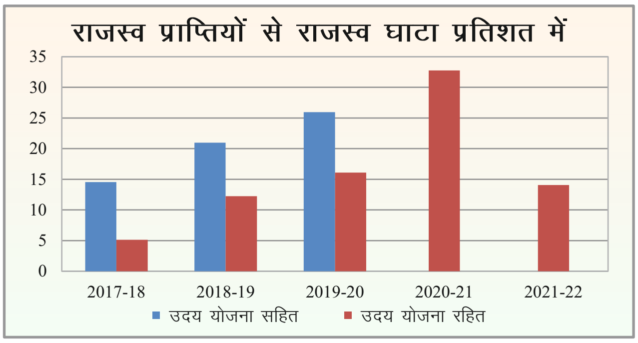

चित्र 10.8

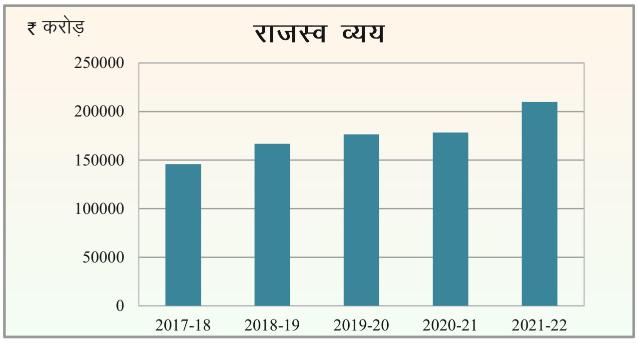

चित्र 10.9

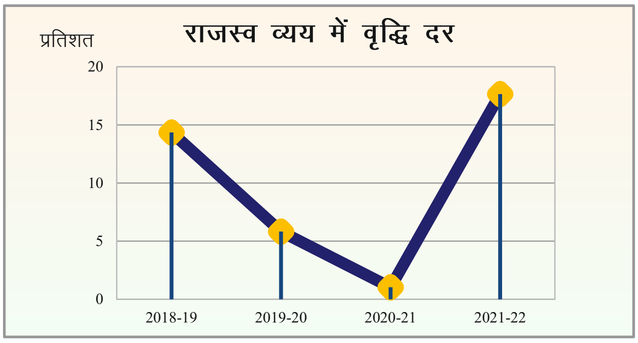

चित्र 10.10

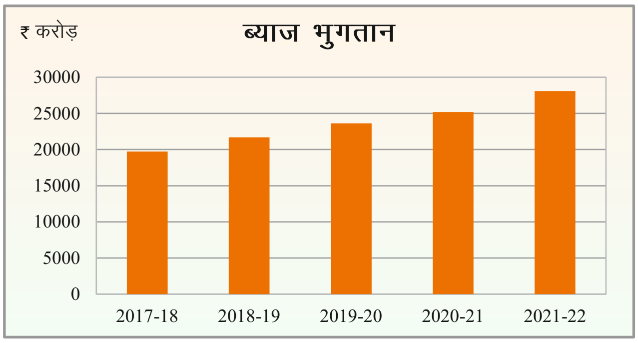

चित्र 10.11

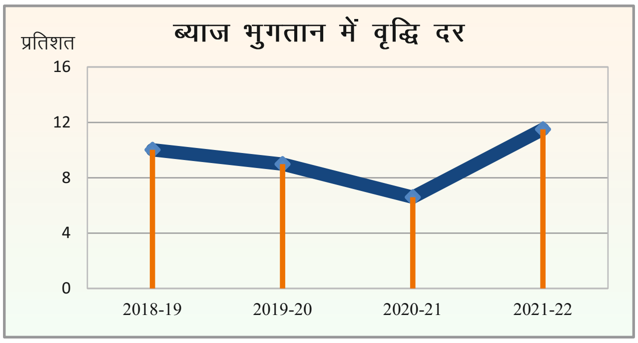

राजस्व व्यय का सेवावार तुलनात्मक विवरण तालिका 10.2 एवं चित्र 10.12 में दर्शाया गया है।

तालिका 10.2 राजस्व व्यय का सेवावार तुलनात्मक विवरण (₹करोड़)

मद	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
कुल राजस्व व्यय	**145841**	**166773**	**176485**	**178310**	**209790**
सामान्य सेवाएं (सहायतार्थ अनुदान व अंशदान को सम्मिलित मानते हुए)	43450 (29.79)	54364 (32.60)	56186 (31.83)	60144 (33.73)	65406 (31.18)
सामाजिक सेवाएं	53064 (36.39)	65687 (39.39)	68313 (38.71)	74010 (41.51)	85054 (40.54)
आर्थिक सेवाएं	49327 (33.82)	46722 (28.01)	51986 (29.46)	44156 (24.76)	59330 (28.28)

नोट : कोष्ठक में दिये हुए समंक सम्बन्धित वर्ष के कुल राजस्व व्यय से प्रतिशत दर्शाते हैं।

चित्र 10.12

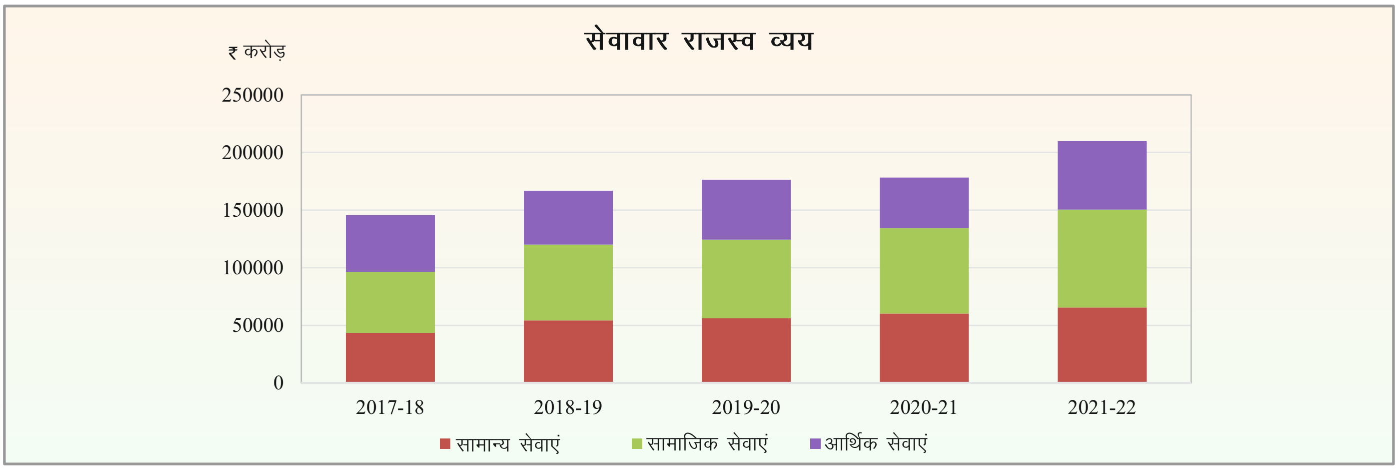

वर्ष 2021–22 में राजकोषीय स्थिति की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैः–

प्राप्तियों की प्रवृत्ति : वर्ष 2021–22 में राजस्व प्राप्तियों में गत वर्ष की तुलना में 36.94 प्रतिशत की वृद्धि हुई। राज्य के स्वयं के कर राजस्व में 24.09 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो कि माल एवं सेवा कर (एस.जी.एस.टी.) में 32.51 प्रतिशत, मुद्रांक एवं पंजीयन में 22.55 प्रतिशत, विद्युत शुल्क में 21.65 प्रतिशत, राज्य आबकारी में 19.83 प्रतिशत, बिक्री कर में 17.89 प्रतिशत, तथा वाहन कर में 8.95 प्रतिशत की वृद्धि के परिणामस्वरूप रही।

व्यय की प्रवृत्ति : राज्य के कुल व्यय का भार वहन करने में राजस्व प्राप्तियों का योगदान वर्ष 2020–21 में 69.21 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2021–22 में 78.41 प्रतिशत रहा है तथा शेष राशि पूंजीगत प्राप्तियों एवं ऋण से पूरित की गई है। वर्ष 2021–22 में योजनाओं पर व्यय राशि ₹1,38,261 करोड़ का हुआ जो कि गत वर्ष की तुलना में 35.85 प्रतिशत अधिक है। वर्ष 2021–22 में वेतन एवं मज़दूरी पर व्यय, कुल व्यय (पेंशन भुगतान व ब्याज को छोड़कर) का 36.08 प्रतिशत रहा है। वर्ष 2021–22 में वेतन तथा मजदूरी में पिछले वर्ष की तुलना में 10.65 प्रतिशत की वृद्धि रही है। वर्ष 2021–22 में विकासात्मक व्यय अर्थात् सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर व्यय ₹1,68,673 करोड़ का रहा, जो कि समग्र व्यय का 71.9 प्रतिशत है। विकासात्मक व्यय का विवरण तालिका 10.3 में दर्शाया गया है।

तालिका 10.3 विकासात्मक व्यय का विवरण

(₹करोड़)

विवरण	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
सामाजिक सेवाएं	60495	72836	74089	81932	96119
आर्थिक सेवाएं	63326	59736	62720	51597	72554
इसमें से उदय योजना	15000	15000	14722	0	0
कुल विकासात्मक व्यय	123821	132572	136809	133529	168673
कुल व्यय	167799	187524	193458	194071	234563
विकासात्मक व्यय कुल व्यय से प्रतिशत	73.8%	70.7%	70.7%	68.8%	71.9%

पूंजीगत परिव्यय: वर्ष 2021–22 में पूंजीगत परिव्यय ₹24,152 करोड़ रहा है। जो कि गत वर्ष से 58.17 प्रतिशत अधिक है।

राजकोषीय देनदारियां (ऋण एवं अन्य दायित्व): वर्ष 2020–21 के अन्त में कुल राजकोषीय देनदारियां ₹4,10,499 करोड़ थी, जिसमें ₹52,346 करोड़ की वृद्धि के साथ 31 मार्च, 2022 को यह ₹4,62,845 करोड़ हो गई। इस प्रकार वर्ष 2020–21 की तुलना में राजकोषीय देनदारियां में 12.75 प्रतिशत की वृद्धि हुई। राजकोषीय देनदारियां अतिरिक्त ऋण (जी.एस.टी. क्षतिपूर्ति तथा पूंजीगत व्यय हेतु) को कम करने के पश्चात राशि ₹4,49,279 करोड रही जो कि राज्य सकल घरेलू उत्पाद का 36.88 प्रतिशत है। राजकोषीय देनदारियों के घटक इस प्रकार हैः–

(i) आन्तरिक ऋण ₹3,21,807 करोड़,

(ii) केन्द्र सरकार से ऋण ₹31,749 करोड़,

(iii) राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि ₹58,786 करोड़

(iv) आरक्षित निधि एवं जमा ₹50,503 करोड़।

राजकोषीय समेकन : वर्ष 2021–22 में राजकोषीय देनदारियों का राजस्व प्राप्तियों से अनुपात 251.66 प्रतिशत रहा। वर्ष 2021–22 के अन्त में राजकोषीय देनदारियां राज्य के स्वयं के राजस्व (कर एवं करेत्तर) का 4.95 गुना रही है। वर्ष 2021–22 में राजकोषीय देनदारियां राज्य सकल घरेलू उत्पाद का 37.99 प्रतिशत एवं अतिरिक्त ऋण के प्रभाव रहित 36.88 प्रतिशत रही है।

स्कीमवार आय–व्ययक की समीक्षा

स्कीमवार आय–व्ययक का अनुमोदित उद्व्यय एवं व्यय तालिका–10.4 में दर्शाया गया है।

तालिका 10.4 स्कीमवार आय –व्ययक का अनुमोदित उद्व्यय एवं व्यय विवरण

(₹करोड़)

योजना अवधि	अनुमोदित उद्व्यय	वास्तविक व्यय
स्कीमवार आय–व्ययक अनुमान (2017–2018)	81157.97	78117.34
स्कीमवार आय–व्ययक अनुमान (2018–2019)	107865.40	99743.07
स्कीमवार आय–व्ययक अनुमान (2019–2020)	116735.96	103530.80
स्कीमवार आय–व्ययक अनुमान (2020–2021)	110200.82	101872.43
स्कीमवार आय–व्ययक अनुमान (2021–2022)	132251.35	138138.26*
स्कीमवार आय–व्ययक अनुमान (2022–2023)	169655.55	87064.44#

* अनन्तिम व्यय # नवम्बर, 2022 तक

स्कीमवार बजट परिव्यय (2022–23)

वर्ष 2022–23 में स्कीमवार परिव्यय ₹1,69,655.55 करोड़ रखा गया। वर्ष 2022–23 के लिए मुख्य मदवार आवंटन का विवरण तालिका–10.5 व चित्र–10.13 में दर्शाया गया है।

तालिका–10.5 स्कीमवार बजट परिव्यय का मदवार आवंटन 2022–23

(₹करोड़)

क्र.सं.	मुख्य मद/क्षेत्र	राशि
1.	कृषि एवं सम्बद्ध सेवाएं	11577.83
2.	ग्रामीण विकास	28051.71
3.	विशेष क्षेत्रीय कार्यक्रम	289.22
4.	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	6135.46
5.	ऊर्जा	25260.33
6.	उद्योग एवं खनिज	2093.59
7.	परिवहन	10026.87
8.	वैज्ञानिक सेवाएं एवं अनुसंधान	24.17
9.	सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाएं	78631.61
10.	आर्थिक सेवाएं	3387.69
11.	सामान्य सेवाएं	4177.07
योग		**169655.55**

चित्र—10.13

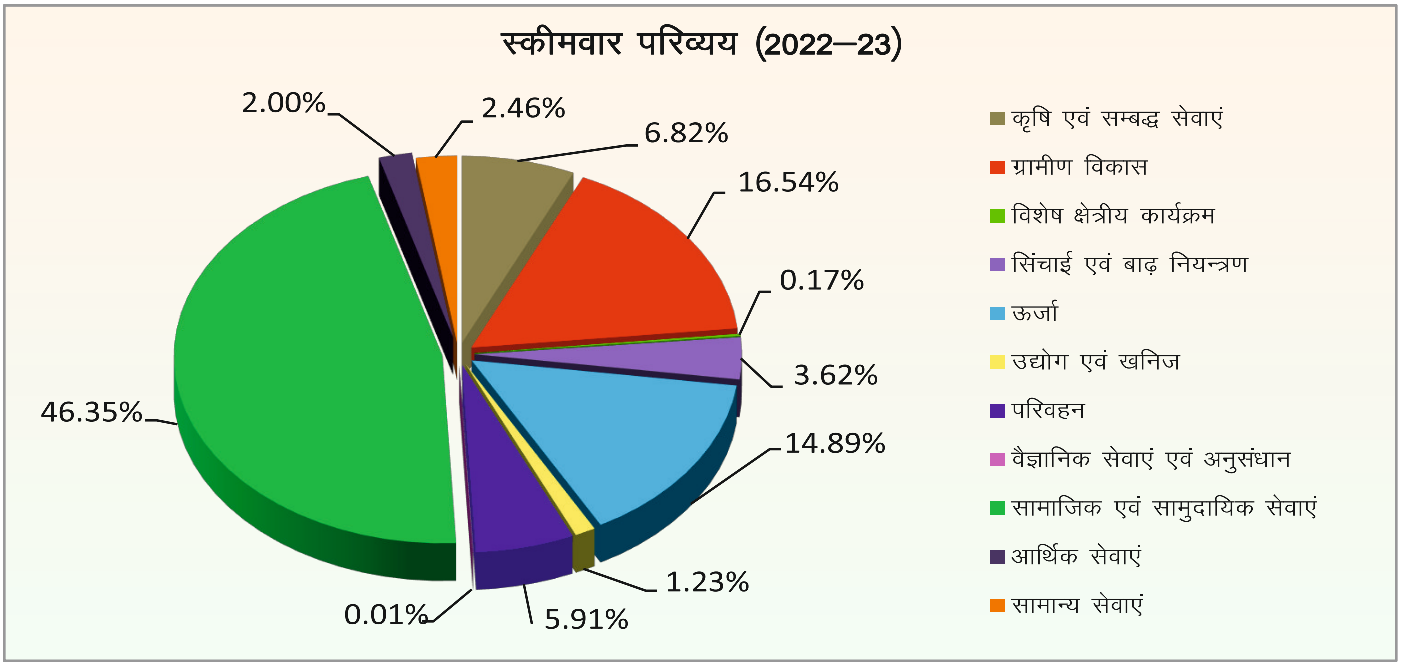

वर्ष 2021—22 एवं 2022—23 के स्कीमवार बजट के अन्तर्गत व्यय को तालिका 10.6 में दर्शाया गया है।

तालिका—10.6 स्कीमवार बजट के अन्तर्गत वर्षवार व्यय

(₹करोड़)

क्र.सं.	मुख्य मद	व्यय	
		2021-22*	**2022-23#**
1.	कृषि एवं सम्बद्ध सेवाएं	10990.15	3645.69
2.	ग्रामीण विकास	17486.98	12012.04
3.	विशेष क्षेत्रीय कार्यक्रम	52.31	0.00
4.	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	3750.77	1765.83
5.	ऊर्जा	24000.27	15905.11
6.	उद्योग एवं खनिज	1389.06	1143.51
7.	परिवहन	7795.31	3983.70
8.	वैज्ञानिक सेवाएं एवं अनुसंधान	9.74	17.34
9.	सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाएं	66349.09	44173.29
10.	आर्थिक सेवाएं	2120.75	1230.17
11.	सामान्य सेवाएं	4193.83	3187.76
	योग	**138138.26**	**87064.44**

* अनन्तिम व्यय # नवम्बर, 2022 तक

बाह्य सहायतित परियोजनाएं

राज्य के त्वरित विकास के लिए राज्य सरकार विभिन्न आधारभूत एवं सामाजिक क्षेत्र की परियोजनाओं के वित्त पोषण हेतु विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं एवं दानदाताओं से ऋण/वित्तीय सहायता प्राप्त कर रही है।

विश्व बैंक समूह, जापान अन्तर्राष्ट्रीय को–ऑपरेशन एजेन्सी (जे.आई.सी.ए.), एशियन विकास बैंक (ए.डी.बी.), एजेन्सी फ्रेन्चाइज डी डवलपमेन्ट (ए.एफ.डी.), के.एफ.डबल्यू. (जर्मन एजेन्सी), न्यू डवलपमेन्ट बैंक (एन.डी.बी.) एवं एशियन आधारभूत निवेश बैंक (ए.आई.आई.बी.) आदि प्रमुख बाह्य ऋण एजेन्सियां हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों यथा–सिंचाई, जलापूर्ति, वानिकी, सड़क, शहरी विकास, आधारभूत संरचना एवं ऊर्जा आदि में राज्य सरकार की विभिन्न परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रही हैं।

राज्य सरकार को अनेक क्षेत्रों में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। पेयजल, गरीबी उन्मूलन, शिक्षा, आधारभूत सुविधाएं, स्वास्थ्य, ऊर्जा, सड़क और आजीविका क्षेत्र राज्य सरकार के उच्च प्राथमिकता के क्षेत्र हैं। राजस्थान के निवासियों का जीवन स्तर सुधारने में बाह्य ऋण/वित्तीय सहायता की महत्वपूर्ण भूमिका है। यह स्त्रोत राज्य के लिए वृहद तौर पर अतिरिक्त संसाधनों की पूर्ति करता है। विभिन्न क्षेत्रों की कुछ महत्वपूर्ण एवं आवश्यक परियोजनाएं भी बाह्य वित्तीय सहायता से वित्त पोषित है।

बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार, भारत सरकार 1 अप्रैल, 2005 या उसके बाद स्वीकृत सभी नई बाह्य सहायतित परियोजनाओं के लिए उसी आधार पर बाह्य वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है, जिन शर्तों पर वह विदेशी संस्था से ऋण प्राप्त करती है। राज्य सरकार अब उन सेवा शर्तो यथा–परिपक्वता, ऋण स्थगन एवं ऋण समापन पर विदेशी ऋण प्राप्त कर रही है, जिन शर्तों पर भारत सरकार बाह्य एजेन्सियों से ऋण लेती है।

वित्तीय वर्ष 2022–23

वित्तीय वर्ष 2022–23 के प्रारम्भ में राज्य में 10 बाह्य सहायतित परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही थी। जिनमें से राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम–परियोजना–1 **(एडीबी)** सितम्बर 2022 में पूर्ण हो गयी है। इस अवधि में एक नयी परियोजना यथा रेगिस्तान क्षेत्र के लिये जल क्षेत्र पुनःसंरचना परियोजना ट्रान्च –2 **(एनडीबी)** माह नवम्बर, 2022 से स्वीकृत और प्रभावी हो गयी है। चालू परियोजनाओं के अन्तर्गत वर्ष 2022–23 में ₹3,667.41 करोड़ का प्रावधान किया गया है जिसके विपरीत नवम्बर, 2022 तक ₹1,695.04 करोड़ व्यय किए गए।

राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम – आर.यू.एस.डी.पी. (आर.यू.आई.डी.पी. तृतीय चरण)–ए.ड़ी.बी.

यह परियोजना एशियन विकास बैंक (ए.डी.बी.) द्वारा वित्त पोषित है। ए.डी.बी. द्वारा आर.यू.एस.डी.पी. प्रोजेक्ट ऋण के अन्तर्गत 250 मिलियन यू.एस. डॉलर एवं प्रोग्राम ऋण के अन्तर्गत 250 मिलियन यू.एस. डॉलर स्वीकृत किए गए है। परियोजना की कुल लागत 610 मिलियन यू.एस. डॉलर (लगभग ₹3,672 करोड़ है, जिसमें ₹660 करोड़ राज्यांश के रूप में) है। परियोजना नवम्बर, 2015 से चल रही है तथा सितम्बर, 2020 तक पूर्ण की जानी थी। प्रोजेक्ट ऋण सितम्बर, 2020 में समाप्त हो चुका है। अब राज्य सरकार द्वारा राज्य कोष के माध्यम से शेष कार्य पूर्ण किये जाने का निर्णय लिया गया है।

परियोजना का मुख्य उद्देश्य राजस्थान राज्य के चयनित शहरों के निवासियों को जलापूर्ति सेवा प्रदान करना, सम्पूर्ण स्वच्छता सहित सीवरेज क्षेत्र में सुधार करना है।

प्रोजेक्ट ऋण घटक के उपयोग से पांच परियोजनाओं में चयनित शहरों यथा टोंक, श्रीगंगानगर, झुंझुनू, पाली तथा भीलवाड़ा (केवल सीवरेज कार्य) में जलापूर्ति तथा सीवरेज प्रणाली सुधार के कार्य किए जाएगें। परियोजना के तहत मुख्य कार्य जलापूर्ति वितरण, निरन्तर दबाव वाली आपूर्ति के लिए जिला मीटर वाले क्षेत्र के आधार पर नेटवर्क सुधार, गैर–राजस्व जल छीजत में कमी और शत–प्रतिशत मीटर्ड हाउस सर्विस कनेक्शन और सीवरेज नेटवर्क, जल उपचार, गृह कनेक्शन, उपचारित अपशिष्ठ का पुनरूपयोग आदि से संबंधित होंगें। इन अनुबन्धो में दीर्घ अवधि (10 वर्ष) तक के अनुरक्षण, मरम्मत एवं परिचालन का प्रावधान किया गया हैं।

प्रोजेक्ट ऋण घटकों से सीवर लाईन के अन्तर्गत कुल 1,471 कि.मी. में से 1,443.03 कि.मी. सीवर लाईन डाली जा चुकी है तथा 05 सीवरेज शोधन संयत्र (एसटीपी) में से 04 एसटीपी एवं 07 सीवरेज पम्पिंग स्टेशन (एसपीएस) में से 06 एसपीएस निर्माण कार्य एवं उनसे संबंधित कार्य पूर्ण किये जा चुके है। इसी प्रकार पेयजल योजना के अन्तर्गत 2212 कि.मी. में से

तालिका–10.7 कार्यान्वित/चालू बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं की वित्तीय स्थिति का विवरण

(₹करोड़)

क्र. सं.	परियोजना का नाम/वित्त पोषित संस्था/परियोजना अवधि	कुल परियोजना लागत	वर्ष 2022–23 में नवम्बर, 2022 तक व्यय	परियोजना प्रारम्भ से नवम्बर, 2022 तक कुल व्यय
1.	राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम– (आर.यू.आई.डी.पी. चरण तृतीय) **(ए.डी.बी.)** नवम्बर, 2015 से मार्च, 2023	3672.00	456.52	2976.63
2.	राजस्थान मध्यम नगरीय क्षेत्र विकास परियोजना **(ए.डी.बी.)** जनवरी, 2021 से नवम्बर, 2027	3076.00	411.61	1002.82
3.	राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम–परियोजना–1 **(ए.डी.बी.)** नवम्बर, 2017 से सितम्बर, 2022	2452.36	123.34	*2996.90
4.	राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम–परियोजना–2 **(ए.डी.बी.)** दिसम्बर, 2019 से मार्च, 2024	2610.04	148.92	1008.91
5.	राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम– II **(विश्व बैंक)** अक्टूबर, 2019 से मार्च, 2024	2996.70	132.24	1006.71
6.	राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना **(जे.आई.सी.ए.)** अक्टूबर, 2017 से अक्टूबर, 2024	1069.40	61.94	661.47
7.	रेगिस्तान क्षेत्र के लिये जल क्षेत्र पुनःसंरचना परियोजना ट्रान्च –1 व 2 **(एनडीबी)** मई, 2018 से फरवरी, 2025	3291.63	306.07	1602.21
8.	राजस्थान में सार्वजनिक वित्तीय प्रबन्धन के सुदृढ़ीकरण की परियोजना **(विश्व बैंक)** जुलाई, 2018 से मार्च, 2024	202.08	20.64	153.75
9.	राजस्थान ग्रामीण जलापूर्ति एवं फ्लोरोसिस निराकरण परियोजना–चरण द्वितीय **(जे.आई.सी.ए.)** जुलाई, 2021 से दिसम्बर, 2024	4765.31	0.00	0.00
10.	द्वितीय बांध पुर्नवास और सुधार परियोजना **(विश्व बैंक)** अक्टूबर, 2021 से मार्च, 2027	503.02	33.76	71.58
	योग	**24638.54**	**1695.04**	**11480.98**

* पीपीपी का भाग शामिल

कार्यान्वित/चालू बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं की परियोजनावार प्रगति निम्न प्रकार हैः–

2154.89 कि.मी. पाईप लाईन डाली जा चुकी है साथ ही 12 पानी की टंकी में से 8 पानी की टंकी, 02 जल शोधन संयत्र में से 02 जल शोधन संयत्र, 09 स्वच्छ जलाशय में से 09 स्वच्छ जलाशय बनाये जा चुके है। 2 शहरों पाली और झुंझुनू में परियोजना का कार्य पूर्ण हो चुका है एवं शेष शहरों में कार्य प्रगति पर है।

प्रोग्राम ऋण की राशि का उपयोग, राज्य में नीतिगत सुधारों और एकीकृत संस्थानिक निकाय व शहरी क्षेत्र की शासन व्यवस्था में सुधार के क्रियान्वयन के लिए किया जाना प्रस्तावित है। बीकानेर, झालावाड़, सवाईमाधोपुर, कोटा, माउण्ट आबू और उदयपुर में सीवरेज कार्य और बाँसवाड़ा में जल निकासी कार्यो को प्रोग्राम ऋण के अन्तर्गत अनुमोदित किया गया है। प्रोग्राम ऋण की राशि को, ए.डी.बी. द्वारा दो ट्रॉन्चों मे प्रति ट्रॉन्च 125 मिलियन यू.एस. डॉलर जारी की गई है।

प्रोग्राम ऋण घटकों से सीवर लाईन के अन्तर्गत कुल 1,112 किमी में से 1,033.45 किमी सीवर लाईन डालने तथा 13 कि. मी. लंबे नाले का कार्य पूर्ण हो चुका है। 13 एस.टी.पी. में से 6, 15 एस.पी.एस में से 3 का कार्य पूर्ण हो गया है। उदयपुर में सीवरेज कार्य एवं बाँसवाड़ा शहर में जल निकास का कार्य पूर्ण हो चुका है। शेष परियोजना शहरों में कार्य प्रगति पर है। परियोजना के अन्तर्गत प्रारम्भ से नवम्बर, 2022 तक ₹2,976. 63 करोड़ व्यय किए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2022–23 में ₹600.85 करोड़ का प्रावधान किया गया था, जिसके विपरीत माह नवम्बर, 2022 तक ₹456.52 करोड़ व्यय किए गए हैं।

राजस्थान मध्यम नगरीय क्षेत्र विकास परियोजना– ए.डी.बी.

यह परियोजना एशियन विकास बैंक (ए.डी.बी.) द्वारा वित्त पोषित है। परियोजना की कुल लागत ₹3,076 करोड़, जिसमें से ₹2,154 करोड़ (300 मिलियन यू.एस. डॉलर) ए.डी.बी. द्वारा एवं ₹922.00 करोड़ (128.50 मिलियन यू.एस. डॉलर) राज्यांश के द्वारा वित्त पोषित किये जायेगे। परियोजना जनवरी, 2021 से प्रभावी होकर नवम्बर, 2027 तक पूर्ण की जायेगी।

परियोजना का मुख्य उद्देश्य राजस्थान राज्य के चयनित शहरों में जलापूर्ति एवं स्वच्छता में सुधार करना है। परियोजना में 14 शहरों को शामिल किया गया है। परियोजना के तहत 07 शहरों यथा आबू रोड़, बांसवाड़ा, खेतड़ी, कुचामन, मंडावा, सरदारशहर और सिरोही में सीवरेज एवं जलापूर्ति कार्य सम्पन्न किये जाएंगे। इसी तरह स्वच्छता कार्यों हेतु 06 शहरों यथा मकराना, प्रतापगढ़, रतनगढ़, डीडवाना, फतेहपुर एवं लाड़नूँ में सीवरेज कार्य और लक्ष्मणगढ़ शहर में जलापूर्ति कार्य सम्पन्न किए जाएंगे।

सभी 14 कस्बों में मल कीचड एवं सेप्टेज प्रबंधन कार्य के आदेश जारी किये जा चुके है। सीवर लाइन 1,255 कि.मी. में से 933.51 कि.मी. और जलापूर्ति लाइन 1,557 कि.मी. में से 1,141.65 कि.मी. पूर्ण हो चुकी है। परियोजना के अन्तर्गत प्रारम्भ से नवम्बर, 2022 तक ₹1,002.82 करोड़ व्यय किए गए हैं। वित्तीय वर्ष में 2022–23 में ₹497.76 करोड़ का प्रावधान किया गया था, जिसके विपरीत माह नवम्बर, 2022 तक ₹411. 61 करोड़ व्यय किए गए हैं।

राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम – परियोजना 1 – ए.डी.बी.

यह परियोजना एशियन विकास बैंक (ए.डी.बी.) द्वारा वित्त पोषित है। परियोजना की कुल लागत ₹2,452.36 करोड़ है, जिसमें से ए.डी.बी. के ऋण के रूप में ₹1,430 करोड़ (220 मिलियन यू.एस.डॉलर) ₹224.39 करोड़ राज्यांश एवं ₹797.97 करोड़ निजी हिस्सा राशि है। परियोजना नवम्बर, 2017 से प्रारम्भ हो कर सितम्बर, 2022 तक पूर्ण की जानी थी जो कि निर्धारित समय में पूर्ण की जा चुकी है।

इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य राजमार्गों पर यातायात दक्षता एवं सुरक्षा को सुधारना है। परियोजना में 1,000 कि.मी. लम्बाई के राजमार्गों एवं मुख्य जिला सड़कों को दो लेन या मध्यम लेन करना तथा सड़कों के प्रबन्धन, सड़क सुरक्षा एवं परियोजना प्रबंधन हेतु व्यापार प्रक्रिया के तरीके एवं प्रक्रिया तैयार कर पी.पी.पी. डिवीजन की दक्षता निर्माण करना सम्मिलित है।

ट्रॉन्च–प्रथम के अन्तर्गत चार पैकेजों में 980 कि.मी. लम्बाई के 16 राजमार्गों के विकास के कार्य आवंटित किये जा चुके हैं (तीन पैकेजों के अन्तर्गत 746 कि.मी. लम्बाई के 12 राजमार्ग पी.पी.पी. हाईब्रिड एन्यूटी मोड़ पर एवं एक पैकेज के अन्तर्गत 234 कि.मी. लम्बाई के चार राजमार्ग ई.पी.सी. मोड़ पर)। माह नवम्बर, 2022 तक सभी 16 राजमार्गो का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा वाणिज्यिक परिचालन भी शुरू हो गया है।

परियोजना के अन्तर्गत प्रारम्भ से नवम्बर, 2022 तक ₹2,300.40 करोड़ राज्यांश व एडीबी हिस्सा राशि से व्यय किए गए हैं एवं निजी सहभागिता के अन्तर्गत ₹696.50 करोड़ का निवेश भी किया जा चुका है। वित्तीय वर्ष में 2022–23 में ₹243.11 करोड़ का प्रावधान किया गया था, जिसके विपरीत माह नवम्बर, 2022 तक ₹123.34 करोड़ व्यय किए गए हैं।

राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम – परियोजना –2 – ए.डी.बी.

यह परियोजना एशियन विकास बैंक (ए.डी.बी.) द्वारा वित्त पोषित है। परियोजना की कुल लागत ₹2,610.04 करोड़ है, जिसमें ए.ड़ी.बी. से ऋण के रूप में ₹1,307.64 करोड़ व ₹847.14 करोड़ राज्य सरकार द्वारा वहन किए जाएंगे एवं निजी शेयर के रूप में ₹455.26 करोड़ प्राप्त होंगे। परियोजना दिसम्बर, 2019 से प्रारम्भ की जा चुकी है एवं मार्च, 2024 तक पूर्ण की जानी है।

परियोजना का उद्देश्य यातायात की दक्षता में सुधार एवं राजमार्गों पर सुरक्षा है। इस परियोजना के अन्तर्गत सड़क सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन अनुकूलन सुविधाओं के साथ शामिल दो लेन या मध्यवर्ती–लेन मानकों के लिए राज्य राजमार्गों और जिला सड़कों के लगभग 754 कि.मी. के निर्माण या पुनर्वास, संचालन और रखरखाव एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग के पी.पी.पी. प्रकोष्ठ की परियोजना प्रबंधन दक्षता में वृद्धि, विशेष रूप से सेफगार्ड क्रियान्वयन, मॉनिटिरिंग एवं सड़क सुरक्षा में सुधार करना है।

इस परियोजना में 6 पैकेजों के अन्तर्गत 754 कि.मी. लम्बाई के 11 राजमार्गों को विकसित किया जाना प्रस्तावित है। इनमें से 4 पैकेजों के अन्तर्गत 474 कि.मी. लम्बाई के 6 राजमार्गों को ई.पी.सी. मोड पर एवं 2 पैकेजों के अन्तर्गत 280 कि.मी. लम्बाई के 5 राजमार्ग हाइब्रिड एन्यूटी मोड पर तैयार करवाये जाने प्रस्तावित है।

सभी 11 सड़कों (6 ई.पी.सी. मोड 5 सड़के हाइब्रिड एन्यूटी मोड) के कार्यादेश जारी किये जा चुके है। 3 सड़कों का कार्य (ई.पी.सी.) पूर्ण हो चुका है। 5 सड़कों का कार्य (3 ई.पी.सी. एवं 2 हाइब्रिड एन्यूटी मोड) प्रगतिरत है एवं 3 सड़कों का कार्य (हाइब्रिड एन्यूटी मोड) इस वित्तीय वर्ष में शुरू होना सम्भावित है।

परियोजना के अन्तर्गत प्रारम्भ से नवम्बर, 2022 तक ₹1,008.91 करोड़ व्यय किए गए हैं। वित्तीय वर्ष में 2022–23 में ₹359.91 करोड़ का प्रावधान किया गया था, जिसके विपरीत माह नवम्बर, 2022 तक ₹148.92 करोड़ व्यय किए गए हैं।

राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम –2– विश्व बैंक

यह परियोजना विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित है। परियोजना की कुल लागत ₹2,996.70 करोड़ है, जिसमें विश्व बैंक से ऋण के रूप में ₹1,779.43 करोड़ व राज्य सरकार द्वारा ₹893.63 करोड़ की राशि वहन की जायेगी एवं निजी अंश के रूप में ₹323.64 करोड़ प्राप्त होंगे। परियोजना अक्टूबर, 2019 से क्रियान्वित की जाकर मार्च, 2024 तक पूर्ण की जानी है।

परियोजना का उद्देश्य राजमार्गो के बेहतर प्रबन्ध के लिए क्षमता निर्माण करना एवं राजस्थान राज्य के चयनित राजमार्गो पर यातायात प्रवाह में सुधार करना है।

परियोजना के अन्तर्गत 801 कि.मी. लम्बाई के राजमार्गों का दो लेन या मध्यम लेन मे उन्नयन करना, राजस्थान राजमार्ग प्राधिकरण का संचालन, संस्थागत सुदृढ़ीकरण, सड़क सुरक्षा व परियोजना प्रबन्धन सहायता शामिल है।

इस परियोजना में 8 पैकेजों के अन्तर्गत 801 कि.मी. लम्बाई के 11 राजमार्गों को विकसित किया जाना सम्मिलित है। सभी 8 पैकेजों के अन्तर्गत 11 सड़को का कार्य आदेश जारी किया जा चुका है। जिनमें से 3 सड़को की 328 कि.मी. लम्बाई के कार्य पूर्ण हो चुके है, 6 सड़को की 365 कि.मी. के लम्बाई के कार्य प्रगतिरत है। शेष 2 सड़को का कार्य इस वित्तीय वर्ष में शुरू होना सम्भावित है। ट्राँच–1 के अन्तर्गत ₹485.36 करोड़ की दो परियोजनाओं को जोड़ने का प्रस्ताव किया गया है, जिनकी लम्बाई 116 कि.मी. है। परियोजना के अन्तर्गत प्रारम्भ से नवम्बर, 2022 तक ₹1,006.71 करोड़ व्यय किए गए हैं। वित्तीय वर्ष में 2022–23 में ₹584.19 करोड़ का प्रावधान किया गया था, जिसके विपरीत माह नवम्बर, 2022 तक ₹132.24 करोड़ व्यय किए गए हैं।

राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना– जे.आई.सी.ए.

यह परियोजना जापान इंटरनेशनल को–ऑपरेशन एजेन्सी (जे.आई.सी.ए.) द्वारा वित्त पोषित है। परियोजना की कुल लागत ₹2,348.87 करोड़ है। जे.आई.सी.ए. द्वारा दो ट्रांच के रूप में वित्तीय सहायता दी जायेगी, जिसके लिए प्रत्येक ट्रांच हेतु अलग–अलग ऋण अनुबन्ध किये जायेंगें। पहली ट्रांच की परियोजना लागत ₹1,069.40 करोड़ (16,148 मिलियन येन) है, जिसमें ₹908.94 करोड़ (13,725 मिलियन येन) जे.आई.सी.ए. ऋण राशि एवं ₹160.46 करोड़ (2,423 मिलियन येन) की राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जायेगी। परियोजना अक्टूबर 2017 से चल रही है एवं अक्टूबर 2024 तक पूर्ण की जानी है।

परियोजना के अन्तर्गत 27 जिलों में 137 सिंचाई परियोजनाओं में पुनर्वास एवं जीर्णोद्वार का कार्य किये जायेंगे। इस परियोजना से 4.70 लाख हैक्टेयर कृषि योग्य सिंचित क्षेत्र (सी.सी.ए.) को लाभ मिलेगा।

ट्रांच–1 के अन्तर्गत राज्य के 21 जिलों–अलवर, अजमेर, बारां, भरतपुर, भीलवाडा, बूंदी, चित्तौडगढ, धौलपुर, डूँगरपुर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ, झालावाड, करौली, कोटा, पाली, प्रतापगढ, सवाईमाधोपुर, सीकर, सिरोही, टोंक एवं उदयपुर की 2.62 लाख हैक्टेयर कृषि योग्य सिंचित क्षेत्र (सी.सी.ए.) की 65 लघु तथा मध्यम सिंचाई परियोजनाओं का जीर्णोद्धार कार्य किया जायेगा।

प्रथम चरण की 65 उप परियोजनाओं में से 36 उप परियोजनाओं के राशि ₹378.66 करोड के कार्य पूर्ण हो चुके है, जिससे परियोजना क्षेत्र के 1,47,569 हैक्टेयर सिंचित क्षेत्र के काश्तकार लाभान्तिव हुए है। शेष 29 उप परियोजनाओं में ₹306.40 करोड़ के कार्य प्रगतिरत है। परियोजना के चरण–2 के लिए 36 सिंचाई उप परियोजनाओं के 1,28,228 हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र में राशि ₹481.00 करोड़ के जीर्णोद्धार कार्यों हेतु डी.पी.आर. बनाये जाने का कार्य प्रक्रियाधीन है। परियोजना के अन्तर्गत प्रारम्भ से नवम्बर, 2022 तक ₹661.47 करोड़ व्यय किए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2022–23 में ₹350.14 करोड़ का प्रावधान किया गया था, जिसके विपरीत माह नवम्बर, 2022 तक ₹61.94 करोड़ व्यय किए गए हैं।

रेगिस्तान क्षेत्र में जल क्षेत्र पुनःसंरचना परियोजना ट्रान्च –1 व 2 –एन.डी.बी.

यह परियोजना न्यू डवलपमेन्ट बैंक (एनडीबी) द्वारा वित्त पोषित है। प्रथम ट्रॉन्च के रूप में 100 मिलीयन यूएस डॉलर मई, 2018 से प्रभावी एवं द्वितीय ट्रॉन्च के रूप में (245 मिलीयन यूएस डॉलर) 31 अक्टूबर, 2022 से प्रभावी है। कुल परियोजना लागत ₹3,291.63 करोड़ है। परियोजना 7 वर्षो में 2 ट्रॉन्चेज में क्रियान्वित की जायेगी। इस परियोजना लागत में 345 मिलीयन यूएस डॉलर न्यू डवलपमेन्ट बैंक द्वारा (70 प्रतिशत) एवं शेष (30 प्रतिशत) राज्यांश राशि के रूप में प्राप्त होगें। परियोजना मई, 2018 से प्रभावी होकर फरवरी, 2025 तक पूर्ण की जानी है।

इसका लाभ श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर, बीकानेर, झुंझुनू, सीकर, जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर जिलों को मिलेगा। इसकी मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैः–

1. इन्दिरा गाँधी फीडर आर.डी 496 से 671 तक 53.08 कि.मी. में रीलाईनिंग कार्य तथा इन्दिरा गाँधी मुख्य नहर आर.डी. 0 से 620 के मध्य 126.46 कि.मी. में रीलाईनिंग कार्य इस प्रकार कुल 179.53 कि.मी. के जीर्णोद्धार का कार्य।
2. इन्दिरा गाँधी मुख्य नहर के प्रथम चरण के अन्तर्गत वितरण प्रणाली के 2,498.69 कि.मी. में जीर्णोद्धार का कार्य।
3. 33,312 हैक्टेयर जल भराव वाले क्षेत्र में सेम की समस्या से निजात मिलेगी।
4. जल उपयोगिता संगमों का क्षमता वर्धन, सूक्ष्म सिंचाई, कृषि विविधीकरण आदि सहित कमांड क्षेत्र विकास गतिविधियां हैं।

इन्दिरा गाँधी फीडर, इन्दिरा गाँधी मुख्य नहर की री–लाईनिंग एवं वितरण प्रणाली के जीर्णोद्धार कार्यो के फलस्वरूप सीपेज लोसेस कम होने से पानी की बचत होगी जिससे नहरों के अंतिम छोर तक पूरा पानी उपलब्ध हो सकेगा एवं काश्तकारों को अतिरिक्त पानी उपलब्ध हो सकेगा।

इस परियोजना से इन्दिरा गांधी मुख्य नहर तथा नहरीतंत्र के जीर्णोद्धार के पश्चात् अंतिम छोर तक पानी सुगमता से पहुँच सकेगा। परियोजना पूर्ण होने पर इन्दिरा गांधी फीडर की मूल प्रवाह क्षमता (18,500 क्यूसेक) री–स्टोर हो सकेगी तथा फिरोजपुर फीडर से पाकिस्तान व्यर्थ बहकर जा रहे पानी का कुछ भाग राजस्थान के उपयोग में लाया जा सकेगा तथा सेम की समस्या का निराकरण हो सकेगा।

परियोजना अन्तर्गत इन्दिरा गांधी फीडर एवं मुख्य नहर की 112.81 कि.मी. लम्बाई में रिलाईनिंग और सभी वितरण प्रणाली नहरों 1,197.12 कि.मी. पर सिविल विस्तार नवीकरण और आधुनिकीकरण (ईआरएम) का काम पूरा हो चुका है। परियोजना के अर्न्तगत आरम्भ से माह नवम्बर, 2022 तक ₹1,602.21 करोड़ व्यय किये गये है। वित्तीय वर्ष 2022–23 में ₹497.92 करोड़ का प्रावधान किया गया था, जिसके विपरीत माह नवम्बर, 2022 तक ₹306.07 करोड़ व्यय किए गए हैं।

राजस्थान में सार्वजनिक वित्तीय प्रबन्धन के सुदृढीकरण की परियोजना– विश्व बैंक

यह परियोजना विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित है। परियोजना की कुल लागत ₹202.08 करोड़ है, जिसमें विश्व बैंक से ऋण राशि ₹141.46 करोड़ है (21.7 मिलीयन यू. एस. डॉलर) और

₹60.62 करोड़ (9.30 मिलीयन यू. एस. डॉलर) की राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जायेगी। परियोजना जुलाई, 2018 से चल रही है एवं मार्च, 2024 तक पूर्ण की जानी है।

राजस्थान में वित्तीय स्वास्थ्य, जवाबदेही एवं उत्कृष्ट सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन में सुधार हेतु राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर इस दिशा में सार्थक कदम उठाए गये है। इसी निरंतरता में वर्तमान में राजस्थान में सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन के सुदृढ़ीकरण हेतु राजस्थान सरकार द्वारा यह परियोजना विश्व बैंक के सहयोग से क्रियान्वित की जा रही है।

परियोजना के मुख्य घटक है:–

- सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन ढांचे को मजबूत करना
- व्यय और राजस्व प्रणाली को मजबूत करना
- परियोजना प्रबंधन और क्षमता निर्माण

वर्तमान में परियोजना के अन्तर्गत 19 अनुबंध निष्पादित किये जाकर सलाहकार फर्मो द्वारा कार्य किया जा रहा है। जिसमें से 10 अनुबन्ध से संबंधित कार्य पूर्ण हो चुका है व 09 अनुबन्ध से संबंधित कार्य निरन्तर प्रगति पर है।

परियोजना के अर्न्तगत आरम्भ से माह नवम्बर, 2022 तक ₹153.75 करोड़ व्यय किये गये है। वित्तीय वर्ष में 2022–23 में ₹78.25 करोड़ का प्रावधान किया गया था, जिसके विपरीत माह नवम्बर, 2022 तक ₹20.64 करोड़ व्यय किए गए हैं।

राजस्थान ग्रामीण जलापूर्ति एवं फ्लोरोसिस निराकरण परियोजना द्वितीय चरण–जे.आई.सी.ए.

यह परियोजना जापान इंटरनेशनल को–ऑपरेशन एजेन्सी (जे.आई.सी.ए.) द्वारा वित्त पोषित है। परियोजना की अनुमानित लागत ₹4,765.31 करोड़ है, जिसमें जल जीवन मिशन (भारत सरकार का हिस्सा) ₹1,985.17 करोड, राज्यनिधि (ग्रामीण) ₹577.14 करोड़, राज्यनिधि (शहरी) ₹28.35 करोड़ और जे.आई.सी.ए. ऋण ₹2,174.65 करोड़ है। परियोजना जुलाई, 2021 से प्रभावी होकर दिसंबर, 2024 तक पूर्ण की जानी है।

परियोजना का उद्देश्य राजस्थान राज्य के झुंझुनू और बाड़मेर जिले में जलशोधन प्लांट और जल आपूर्ति संबंधित सुविधाओं का निर्माण, ग्राम जल स्वच्छता समिति के क्षमता विकास के साथ–साथ सामुदायिक विकास गतिविधियों को लागू करके स्थायी और सुरक्षित पेयजल आपूर्ति करना है, जिससे क्षेत्र के निवासियों के जीवन स्तर, स्वच्छता और स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार के लिए योगदान मिलता है।

परियोजना के तहत झुंझुनू जिले के 2 कस्बों यथा सूरजगढ़ और उदयपुरवाटी में पेयजल जलापूर्ति एवं 3,50,239 घरेलू नल कनेक्शनों (एफएचटीसी) के माध्यम से बाड़मेर और झुंझुनू जिले के 1,173 गांवों और 4,184 बस्तियों में पेयजल उपलब्ध कराया जायेगा। कोविड–19 महामारी के कारण जे.आई.सी.ए सलाहकार द्वारा विस्तृत इंजीनियरिंग रिर्पोट तैयार करने एवं जे.आई.सी.ए द्वारा परियोजना के मूल्यांकन में देरी हुई है।

परियोजना के कार्यों को 4 निर्माण पैकेजों (झुंझुनू जिले का 1 पैकेज तथा बाड़मेर जिले के 3 पैकेज) के अंतर्गत क्रियान्वित किया जाना है, जिसमें से 26 दिसम्बर, 2022 को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा निविदा के आधार पर निविदा प्रपत्र के लिए जे.आई.सी.ए की सहमति प्राप्त हो गई है एवं झुंझुनू जिले के पैकेज निविदा प्रपत्र के लिए जे.आई.सी.ए की सहमति का इंतजार है। बाड़मेर जिले के शेष 2 पैकेज के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा निविदा पर निविदा प्रपत्र तैयार किए जा रहे है। परियोजना प्रबंधन एवं पर्यवेक्षण सलाहकार के चयन की अंतराष्ट्रीय स्पर्धा पर प्राप्त निविदा स्वीकृति की प्रक्रिया में है। वित्तीय वर्ष 2022–23 में ₹253.99 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

द्वितीय बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना–विश्व बैंक

यह परियोजना विश्व बैंक एवं एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेटमेन्ट बैंक (ए.आई.आई.बी.) द्वारा संयुक्त रूप से वित्त पोषित है। परियोजना की कुल लागत ₹503.02 करोड़ (70.27 मिलीयन यू एस डॉलर) है, जिसमें से ₹352.11 करोड़ (49.04 मिलीयन यू एस डॉलर) विश्व बैंक एवं एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेटमेन्ट बैंक और ₹150.91 करोड़ (21.23 मिलीयन यूएस डॉलर) राज्यांश ऋण राशि के रूप में प्राप्त होगें। परियोजना अक्टूबर, 2021 से प्रभावी होकर मार्च, 2027 तक पूर्ण की जानी है।

बांध पुनर्वास एवं सुधार परियोजना (ड्रिप) चरण–द्वितीय 13 राज्यों में प्रारंभ की गई है, जिसमें राजस्थान राज्य भी सम्मिलित है। यह परियोजना बांधों की सुरक्षा बढ़ाने, बांध सुरक्षा संस्थानों को मजबूत बनाने, सुरक्षा प्रबंधन, बांध सुरक्षा के वितीय पोषण एवं संस्थागत ढांचे को बढ़ाने के उद्वेश्य से प्रारंभ की गई है।

परियोजनान्तर्गत माननीय मुख्यमंत्री की बजट घोषणा (2020–21 के लिए 18 बाँध और 2021–22 के लिए 18 बाँध) अनुसार परियोजनान्तर्गत 36 बाँधों पर कार्य करवाया जाएगा।

वित्तीय वर्ष 2020–21 की बजट घोषणा के 18 बांधों में से 07 बांधों (बीसलपुर, माही बजाज सागर, जवाई, सुकली सेलवाड़ा, गंभीरी, मातृकुण्डिया एवं सोम कमला अम्बा) के ₹127.52 करोड़ रूपये के कार्यादेश दिये जा चुके है एवं कार्य प्रगतिरत है। वित्तीय वर्ष 2020–21 के 14 बांधों की प्रोजेक्ट स्क्रीनिंग टेम्पलेट (पी.एस.टी.) केन्द्रीय जल आयोग द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है। वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए लक्षित सभी बांधों की पी.एस.टी. तैयार कर, 13 बांधों की पी.एस.टी. केन्द्रीय जल आयोग को स्वीकृति हेतु प्रेषित की जा चुकी है। परियोजना के अर्न्तगत आरम्भ से माह नवम्बर, 2022 तक ₹71.58 करोड़ व्यय किये गये है।

वित्तीय वर्ष 2022–23 में ₹201.29 करोड़ का प्रावधान किया गया था, जिसके विपरीत माह नवम्बर, 2022 तक ₹33.76 करोड़ व्यय किए गए हैं।

सार्वजनिक निजी सहभागिता

आधारभूत संरचना उत्पादकता, विकास और निर्धनता में कमी का एक महत्वपूर्ण निर्धारक है। आधारभूत संरचना क्षेत्रों में पर्याप्त क्षमता उच्च उत्पादकता स्तर, परिवहन और लॉजिस्टिक लागत में कमी एवं प्रतिस्पर्धा में वृद्धि को बढावा देती है। तीव्र आर्थिक विकास, बढ़ती शहरी आबादी, गाँवो से शहरों की ओर बढता पलायन और सामाजिक एवं आर्थिक विकास की बढती हुई मांग से विद्यमान बुनियादी सुविधाओं पर भार बढा है। सरकार के बजटीय संसाधन बढती बुनियादी सुविधाओं की मांग को पूर्ण करने में कम पड रहे है।

राजस्थान सरकार का मानना है कि निजी पूंजी के द्वारा आधारभूत संरचना की व्यवस्था में नवाचारों और दक्षता को बढाने के समग्र उद्देश्य के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीति के रूप में सार्वजनिक निजी सहभागिता (पीपीपी) को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।

राजस्थान सरकार अपने नागरिकों को उपलब्ध करवाई जा रही सार्वजनिक सेवाओं के स्तर में सुधार एवं दक्षता सुनिश्चित करने तथा सम्पूर्ण राज्य में सार्वजनिक आधारभूत संरचना में निरंतर विस्तार एवं उन्नत करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस संदर्भ में सरकार द्वारा सार्वजनिक निजी सहभागिता (पीपीपी) के माध्यम से निजी क्षेत्र की दक्षता, उपक्रम एवं वित्त का भी उपयोग किया जा रहा है।

निजी सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए नीतिगत पहल

नवीन आधारभूत संरचना परिसम्पत्तियों के सृजन के साथ–साथ विद्यमान परिसम्पत्तियों के प्रबंधन में, पीपीपी को बढ़ावा एवं समर्थन देने के लिए राज्य सरकार की कई नीतियों और संस्थागत नवाचारों के फलस्वरूप, राज्य विशेषकर सड़क, ऊर्जा, शहरी आधारभूत संरचना और स्वास्थ्य क्षेत्रों में, सफल कार्यान्वयन के साथ विगत वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि का साक्षी रहा है।

राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र की सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए अनुकूल वातावरण बनाने के उद्देश्य से कई उपाय किए हैं, जो निम्न प्रकार हैः–

अ. संस्थागत व्यवस्था

राज्य में पीपीपी परियोजनाओं के सफल विकास और निष्पादन हेतु एक प्रभावी व्यवस्था प्रदान करने के लिए, राज्य सरकार ने एक त्रि–स्तरीय संस्थागत ढांचा अपनाया है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं: –

1) अनुमोदन समितियां –

क) काउन्सिल फॉर इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेन्ट (सी.आई.डी) – आधारभूत संरचना परियोजनाओं, विशेषकर सार्वजनिक–निजी सहभागिता आधार पर विकसित की जा रही परियोजनाओं के नीतिगत मुद्दों संबंधी निर्णय करने हेतु राज्य सरकार द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अध्यक्षता में काउन्सिल फॉर इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेन्ट (सी.आई.डी) का गठन किया गया है। सी.आई.डी विभिन्न नीतिगत मुद्दों पर निर्णय लेती है तथा उन सभी पी.पी.पी. परियोजनाओं को अनुमति प्रदान करती है यदि परियोजना लागत विभागों की वित्तीय शक्तियों से बाहर या जिनकी लागत ₹500 करोड़ से अधिक है।

ख) एम्पावर्ड कमेटी फॉर इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट (ई.सी.आई.डी) – राज्य सरकार द्वारा, सी.आई.डी के कार्यो के सुचारू संचालन में सहयोग के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक एम्पावर्ड कमेटी फॉर इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट (ई.सी.आई.डी.) का भी गठन किया गया है। ई.सी.आई.डी. द्वारा सी.आई.डी. को प्रस्तुत करने के लिए

प्रस्ताव तैयार करने, समीक्षा करने, नीतिगत पत्रों पर सिफारिशें प्रस्तुत करने के साथ सी.आई.डी. के निर्णयों के क्रियान्वयन का फॉलोअप एवं परीवीक्षण का कार्य भी किया जाता है। सी.आई.डी. के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु आवश्यकतानुसार अन्य कार्यवाही भी इस कमेटी के द्वारा सम्पन्न की जाती है। आयोजना विभाग का पीपीपी सैल, सी.आई.डी एवं ई.सी.आई.डी. के सचिवालय के रूप में कार्य करता है।

ग) **एम्पावर्ड कमेटी फॉर रोड सेक्टर प्रोजेक्ट्स्** –राजस्थान स्टेट हाइवे डवलपमेन्ट प्रोग्राम (आर.एस.एच.डी.पी.) के अन्तर्गत सम्मिलित सड़क परियोजनाओं पर विचार कर स्वीकृती प्रदान करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक एम्पावर्ड कमेटी का पृथक से गठन किया गया है। इस कमेटी का प्रशासनिक विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग है।

घ) **स्विस चैलेंज प्रस्तावों के लिए स्टेट लेवल एम्पावर्ड कमेटी (एस.एल.ई.सी.)** – राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता (संशोधित) नियम–2015 के प्रावधानों के अनुसार स्विस चैलेंज पद्वति के अन्तर्गत प्रस्तावित परियोजनाओं के लिए भी मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक स्टेट लेवल एम्पावर्ड कमेटी (एस.एल.ई.सी.) का गठन किया गया है। यह स्टेट लेवल कमेटी, स्विस चैलेंज पद्धति के अन्तर्गत प्राप्त परियोजना प्रस्तावों (पी.पी.पी. एवं गैर पी.पी.पी. दोनों) पर विचार व परीक्षण कर स्वीकृति प्रदान करती है। इस कमेटी का प्रशासनिक विभाग, आयोजना विभाग है।

2) **पीपीपी सैल (नोडल एजेंसी)** – सार्वजनिक–निजी सहभागिता परियोजनाओं में राज्य सरकार के प्रयासों में समन्वय के लिए वर्ष 2007–08 में आयोजना विभाग के अन्तर्गत राज्य नोडल एजेंसी के रूप में पीपीपी सैल का गठन किया गया। यह सैल पीपीपी से संबंधित उत्तम क्रियाविधियों, दिशा–निर्देशों, योजनाओं आदि समस्त सूचनाओं के संग्राहक के रूप में कार्य करता है। यह सी.आई.डी., ई.सी.आई.डी. एवं एस.एल.ई.सी. के सचिवालय के रूप में भी कार्य करता है। पीपीपी सैल, आयोजना विभाग के प्रभारी शासन सचिव जो राज्य पीपीपी नोडल अधिकारी के रूप में कार्यरत है, के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण के अधीन है।

3) **संबंधित प्रशासनिक विभाग/एजेंसी (कार्यकारी एजेंसी)** – राजस्थान सरकार के प्रशासनिक विभाग/एजेंसी, अपने क्षेत्राधिकार के सभी विषयों पर राज्य सरकार द्वारा जारी राजस्थान रूल्स ऑफ बिजनिस में यथा निर्धारित पीपीपी मोडैलिटी अन्तर्गत परियोजनाओं की पहचान, विकास और क्रियान्वयन करने के लिए सक्षम हैं।

ब. निजी क्षेत्र सहभागिता के साथ राज्य सरकार द्वारा उन्नत संयुक्त उपक्रम

1) **प्रोजेक्ट डेवलपमेंट कंपनी ऑफ राजस्थान (पीडीकोर)** को पीपीपी मोड में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को विकसित करने के लिए राज्य सरकार के विभागों और वैधानिक उपक्रमों की सहायता के लिए दिसंबर 1997 में एक संयुक्त उद्यम कंपनी के रूप में गठित किया गया था।

2) **रोड इन्फास्ट्रक्टचर डवलपमेंट कंपनी ऑफ राजस्थान (रिडकोर)** को राज्य में मेगा हाइवे प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन के लिए वर्ष 2004 में गठन किया गया था।

3) **सौर्य ऊर्जा कम्पनी ऑफ राजस्थान लिमिटेड (एसयूसीआरएल)** को भादला (जोधपुर) में 1,000 मेगावाट के सौर पार्कों के चरणबद्ध तरीके से विकास के लिए वर्ष 2014 में गठन किया गया था।

4) **एस्सेल सौर्य ऊर्जा कम्पनी ऑफ राजस्थान लिमिटेड (ईएसयूसीआरएल)** को जोधपुर और जैसलमेर में 750 मेगावाट के सौर पार्कों के विकास के लिए वर्ष 2014 में गठन किया गया था।

5) **अडानी रिन्यूएबल एनर्जी पार्क राजस्थान लिमिटेड (एआरईपीआरएल)** को जैसलमेर और भादला (जोधपुर) में 2,000 मेगावाट के सौर पार्कों के चरणबद्ध तरीके से विकास के लिए वर्ष 2015 में गठन किया गया था।

स. परियोजना विकास कोष (पीडीएफ)

निजी क्षेत्र की सहभागिता के साथ आधारभूत संरचना परियोजनाओं के विकास में सहायता के लिए वर्ष 2003 में प्रारम्भ में 5 वर्षो के लिए ₹4.50 करोड़ का एक कोष बनाया गया था, जिसे बाद में 1 वर्ष के लिए और बढ़ाया गया।

वर्ष 2011 में भी निजी क्षेत्र की सहभागिता के साथ राज्य में आधारभूत संरचना परियोजनाओं के विकास और सहायता के

लिए ₹25 करोड़ के प्रारम्भिक कोष से राजस्थान आधारभूत संरचना परियोजना विकास कोष (आर.आई.पी.डी.एफ.) बनाया गया। आर.आई.पी.डी.एफ. 18 जून 2015 से निष्प्रभावी/विघटित हो गया है।

वर्तमान में विभिन्न परियोजनाओं के लिए परियोजना विकास आवश्यकताओं की लागत की पूर्ति, संबंधित प्रशासनिक विभाग या तो उनके विशिष्ट/बजटीय प्रावधानों के अन्तर्गत अथवा इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड (आई.आई.पी.डी.एफ.) के तहत, केंद्रीय सहायता लेकर कर सकते है।

द. सौदा सलाहकार सेवाएं

राज्य के प्रशासनिक विभाग सौदा सलाहकार सेवाओं (वित्तीय परामर्शदाता, तकनीकी परामर्शदाता और कानूनी सलाहकार) की प्राप्ति के लिए राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता (आरटीपीपी) नियम, 2013 के तहत निर्धारित प्रक्रिया अनुसार खुले विज्ञापन मार्ग के माध्यम से सक्षम हैं। आरटीपीपी नियम, 2013 अन्तर्गत, प्राथमिकता पर, निम्नलिखित में से किसी एक से परामर्शदात्री सेवाएं लेने का भी प्रावधान हैः –

1. राजस्थान राज्य सड़क विकास निगम (रा.रा.स.वि.नि.)
2. वेपकोस, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय भारत सरकार के संरक्षण के अधीन एक पब्लिक सेक्टर उपक्रम।
3. नेबकॉन, नाबार्ड के पूर्णरूपेण स्वामित्व वाला एक समनुषंगी।
4. राईट्स लिमिटेड, भारतीय रेल, भारत सरकार के संरक्षण के अधीन एक पब्लिक सेक्टर उपक्रम।
5. पी.एफ.सी. कन्सल्टिंग लिमिटेड (पी.एफ.सी.सी.एल.), पावर फाईनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पी.एफ.सी.), भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली समनुषंगी।
6. एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ई.ई.एस.एल.), एन.टी.पी.सी. लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन (पी.एफ.सी), रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आर.ई.सी.) और पावरग्रिड की एक संयुक्त उद्यम कम्पनी।
7. पीडीकोर लिमिटेड सामाजिक आर्थिक/बुनियादी ढांचे के विकास, पर्यावरणीय सुधार, दक्षता सुधार आदि के लिए संसाधन जुटाने (जैसे पीपीपी परियोजनाओं/परिसंपत्ति पुनर्विकास/परिसंपत्ति मुद्रीकरण) सहित परियोजना/कार्यक्रम निर्माण और कार्यान्वयन के लिए एंड टू एंड आधार पर पेशेवर सेवाओं के लिए, परामर्श सेवाओं को छोड़कर जहां कार्यान्वयन की सफलता में बिना किसी भूमिका/हिस्सेदारी के केवल परामर्श की आवश्यकता होती है, बशर्ते (I) पीडीकोर लिमिटेड को देय शुल्क, सोपानों से जुड़े पेशेवर शुल्क और परियोजना/कार्यक्रम के पूरा होने से जुड़ी उपलब्धि/सफलता शुल्क का योग है। और (II) सभी मामलों में सफलता शुल्क के रूप में पीडीकोर लिमिटेड को कुल सेवा शुल्क का न्यूनतम 50 प्रतिशत देय है।
8. राजस्थान वित्तीय सेवा वितरण लिमिटेड (आ.एफ.एस.डी.एल.), राजस्थान सरकार की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी है।

य. वायबिलिटी गैप फंडिंग योजना

राज्य सरकार द्वारा सामाजिक क्षेत्र में पीपीपी को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2007 में एक सामाजिक क्षेत्र की वायबिलिटी गैप फंडिंग (वीजीएफ) योजना जारी की गई।

पीपीपी प्रारूप पर विकसित की जा रही ऐसी आधारभूत संरचना परियोजनाओं, जो आर्थिक रूप से न्यायसंगत हैं, लेकिन बड़े पूंजी–निवेश की आवश्यकताओं, दीर्घकालीन समायावधि और व्यावसायिक स्तर पर उपयोगकर्ता शुल्क बढ़ाने में असमर्थता आदि के कारण वाणिज्यिक रूप से वायबल नहीं हैं, के लिए भारत सरकार की ''आधारभूत संरचना में पीपीपी को वित्तीय समर्थन के लिए योजना'' के अन्तर्गत पूंजीगत अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता आकर्षित कर सकते हैं। भारत सरकार द्वारा नवंबर, 2020 में इस योजना को सामाजिक आधारभूत संरचना हेतु निम्नलिखित उप–योजनाओं अन्तर्गत अधिक वीजीएफ समर्थन देने के लिए पुनर्निर्मित किया गया हैः–

उप–योजना –1: भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा 100 प्रतिशत परिचालन लागत की वसूली के साथ सामाजिक क्षेत्र की अवसंरचना परियोजनाओं यथा अपशिष्ट जल उपचार, जल आपूर्ति, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्रों में पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) के लिए कुल परियोजना लागत (टीपीसी) का अधिकतम 60 प्रतिशत (30 प्रतिशत + 30 प्रतिशत प्रत्येक) संवर्धित वीजीएफ सहायता प्रदान की जा सकती है।

उप–योजना –2: यह केवल स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्रों में नमूना/पायलट परियोजनाओं का समर्थन करने तक ही सीमित है। इस श्रेणी के तहत पात्र परियोजनाओं में कम से कम 50 प्रतिशत परिचालन लागत वसूली होनी चाहिए। केंद्र सरकार परियोजना के कैपेक्स के लिए परियोजना की टीपीसी का अधिकतम 40 प्रतिशत तक और राज्य सरकार टीपीसी के अधिकतम 40 प्रतिशत तक वीजीएफ समर्थन, आगे प्रदान कर सकती है।

इसके अलावा, भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा कॉमर्शियल ऑपरेशन डेट (सीओडी) के बाद पहले 5 वर्षों के लिए परिचालन और रखरखाव (ओ एंड एम) लागत का अधिकतम 50 प्रतिशत (25 प्रतिशत + 25 प्रतिशत प्रत्येक) तक वीजीएफ समर्थन प्रदान किया जा सकता हैं।

इस योजना के अन्तर्गत शामिल किए गए अन्य सभी क्षेत्रों को परियोजना के कैपेक्स के लिए परियोजना की टीपीसी का अधिकतम 40 प्रतिशत तक वीजीएफ समर्थन मिलता रहेगा, जहां केंद्र सरकार परियोजना के कैपेक्स के लिए परियोजना के टीपीसी के अधिकतम 20 प्रतिशत तक वीजीएफ समर्थन प्रदान करेगी और राज्य सरकार कैपेक्स के लिए टीपीसी के अधिकतम 20 प्रतिशत तक का वीजीएफ समर्थन आगे बढ़ा सकती है।

र. मॉनिटरिंग क्रियाविधि

राज्य की पीपीपी परियोजनाओं की प्रगति की नियमित रूप से, दोनों, परियोजना प्राधिकारी के स्तर पर मासिक एवं विभागीय स्तर पर मासिक/त्रैमासिक आधार पर मॉनिटरिंग की जाती है। आयोजना विभाग के पीपीपी सैल द्वारा भी राज्य की पीपीपी परियोजनाओं की तीन श्रेणियों यथा पूर्ण की गई परियोजनाओं, प्रगतिरत परियोजनाओं और प्रक्रियाधीन/पाइपलाइन परियोजनाओं की स्थिति की त्रैमासिक समीक्षा की जाती है।

ल. अन्य समर्थककारी प्रयास

पीपीपी के लिए अनुकूल वातावरण बनाने में निम्नांकित द्वारा भी सहायता मिली है: –

1) सड़क विकास नीति, 2013

राजस्थान वर्ष 1994 में, राजस्थान राज्य सड़क विकास नीति, 1994 के तहत सड़क क्षेत्र में बिल्ड–ऑपरेट–ट्रांसफर (बीओटी) आधारित परियोजनाओं के लिए निजी क्षेत्र के प्रवेश को प्रशस्त करने की नीति तैयार करने वाला देश का प्रथम राज्य था।

हाल के वर्षों में सड़क क्षेत्र की कई परियोजनाओं को सफलतापूर्वक क्रियान्वित करने में राज्य अग्रणी रहा है।

2) राजस्थान राज्य सड़क विकास निधि अधिनियम, 2004

राज्य में सड़क विकास निधि अधिनियम, 2004 पारित किया गया। इस अधिनियम के अन्तर्गत पेट्रोल/डीजल पर ₹1 का उपकर (सैस) लागू कर एक स्थायी सड़क कोष बनाया गया। उपकर की दरों को समय–समय पर संशोधित किया जाता है। इस अधिनियम के तहत एकत्रित धनराशि का उपयोग राज्य में सड़कों के विकास और रखरखाव के लिए किया जा रहा है।

3) राजस्थान राज्य राजमार्ग अधिनियम, 2014

राजमार्गो की उद्घोषणा, विकास, संचालन, सुरक्षा, राजमार्गों के नियमन, भूमि के उपयोंग में सुविधा के साथ–साथ राजमार्गों एवं अन्य सड़कों के लिए भूमि के अधिग्रहण, राजस्थान राज्य राजमार्ग प्राधिकरण के गठन और इससे संबंधित आनुषंगिक मामलों के निस्तारण को सुविधाजनक बनाने के लिए वर्ष 2015 में एक व्यापक राजस्थान राज्य राजमार्ग अधिनियम बनाया गया।

4) क्षमतावर्द्धन (कैपेसिटी बिल्डिंग)

राज्य सरकार का मानना है कि स्थायी आधार पर पीपीपी परियोजनाओं के सफल प्रबंधन और क्रिर्यान्वयन के लिए सार्वजनिक संस्थानों, सरकारी अधिकारियों और अन्य सभी हितधारकों के बीच पर्याप्त क्षमता के विकास की आवश्यकता है। इसके लिए, आयोजना विभाग का पीपीपी सैल, पीपीपी परियोजनाओं की पहचान, उपापन और पोस्ट अवॉर्ड प्रबंधन में क्षमता विकसित करने हेतु प्रशासनिक विभागों के नोडल अधिकारियों की सहायता कर रहा है।

आर्थिक मामलात् विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा के.एफ.डब्ल्यू. (जर्मन विकास बैंक) के सहयोग से वर्ष 2010 में प्रारम्भ, नेशलन पीपीपी कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम (एन.पी.सी.बी.पी.), राजस्थान राज्य में सफलतापूर्वक लागू किया गया। इसका उद्देश्य सरकार के संबंधित प्रशासनिक विभागों/कार्यकारी एजेन्सियों के वरिष्ठ एवं मध्यम स्तर के अधिकारियों को पीपीपी परियोजनाओं की अवधारणा, संरचना,

अवॉर्ड, क्रियान्वयन और मॉनिटरिंग में सक्षम बनाने के लिए बड़े स्तर पर संबंधित प्रशासनिक विभागों/कार्यान्वयन एजेंसियों के वरिष्ठ और मध्यम स्तर के अधिकारियों की क्षमताओं को बढ़ाना था।

एन.पी.सी.बी.पी. की परिणति को चिह्नित करने के लिए, आयोजना विभाग के पीपीपी सैल, राजस्थान सरकार को आर्थिक मामलात् विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मार्च, 2014 में कार्यक्रम के कार्यान्वयन में सराहनीय योगदान के लिए सम्मानित किया गया।

आयोजना विभाग का पीपीपी सैल राज्य में उपलब्ध सभी राष्ट्रीय और राज्य प्रशिक्षण संस्थानों को पीपीपी पर रिसोर्स सपोर्ट प्रदान कर रहा है।

व. राज्य के लिए पीपीपी पॉलिसी

राजस्थान सरकार ने भी एक व्यापक पीपीपी पॉलिसी तैयार करने का निर्णय लिया है। माननीय मुख्यमंत्री की राजस्थान आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद (सीएमआरईटीएसी) द्वारा इन्फ्रास्ट्रक्चर में सार्वजनिक निजी सहभागिता नीति पर एक अध्ययन भी किया गया है। उनकी नीति रिपोर्ट ने राज्य में पीपीपी परियोजनाओं के कुशल और तीव्र विकास में आ रही बाधाओं को कम करने के लिए कार्य योजना की सिफारिश की है।

श. राज्य की पीपीपी परियोजनाओं की स्थिति

सड़क, ऊर्जा, शहरी आधारभूत अवसंरचना, पर्यटन और सामाजिक क्षेत्रों में उल्लेखनीय विकास हुआ है। राज्य की पीपीपी परियोजनाओं का तीन श्रेणियों में यथा पूर्ण परियोजनाओं, क्रियान्वित की जा रही परियोजनाओं और प्रक्रियाधीन/पाइपलाइन परियोजनाओं का दिनांक 30 सितम्बर, 2022 तक की स्थिति में समग्र संक्षिप्त विवरण तालिका–10.8 में दर्शाया गया है।

तालिका–10.8 क्षेत्रवार संचालित सार्वजनिक–निजी सहभागिता परियोजनाओं की 30 सितम्बर, 2022 तक की स्थिति

क्र. स.	सेक्टर	पूर्ण परियोजनाएं		क्रियान्वित की जा रही परियोजनाएं		प्रक्रियाधीन / पाईपलाईन परियोजनाएं	
		संख्या	₹करोड़	संख्या	₹करोड़	संख्या	₹करोड़
1	सड़कें (राज्य एवं राष्ट्रीय राजमार्ग)	74	8546.25	11	2812.27	-	-
2	शहरी आधारभूत ढांचा	27	560.67	8	505.97	19	7108.15
3	ऊर्जा	15	7449.37	5	1005.45	4	1631.92
4	जलापूर्ति	1	46.00	-	-	1	365.00
5	सूचना प्रौद्योगिकी	1	54.01	-	-	-	-
6	सामाजिक	61	542.37	4	18.27	5	747.53
7	अन्य	16	166.36	-	-	2	963.00
योग		**195**	**17365.03**	**28**	**4341.96**	**31**	**10815.60**

उपरोक्त सारांश यह दर्शाता है कि 30 सितम्बर, 2022 तक ₹17,365.03 करोड़ रुपये के निवेश वाली 195 परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी है, 28 परियोजनाएं जिनकी लागत ₹4,341.96 करोड़ है, के अन्तर्गत वर्तमान में कार्य प्रगति पर है और ₹10,815.60 करोड़ लागत की अन्य 31 परियोजनाएं प्रक्रियाधीन अथवा पाइपलाइन में हैं।

अध्याय 11

सतत् विकास लक्ष्य (एस.डी.जी.)

पृष्ठभूमि

संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपने 70वें सत्र के दौरान 25 सितम्बर 2015, को **''ट्रांसफॉर्मिंग अवर वर्ल्डः द 2030 एजेण्डा फॉर सस्टेनेबल डवलपमेंट''** शीर्षक वाले दस्तावेज को अपनाया, जिसमें 17 सतत् विकास लक्ष्य एवं 169 संबद्ध टार्गेट्स सम्मिलित थे। सतत् विकस लक्ष्य (एस.डी.जी.) सभी के लिये एक बेहतर एवं सतत भविष्य को प्राप्त करने का ब्ल्यू प्रिंट है। एस.डी.जी. 1 जनवरी, 2016 से प्रभावी हुए हैं। एस.डी.जी. विकास के तीन आयामों को एकीकृत करने वाले वैश्विक लक्ष्यों की एक व्यापक सूची है। इसके अलावा, एस.डी.जी. सार्वभौमिक (सभी विकसित, विकासशील व कम विकसित देशो के लिये), अन्तर्संबंधित एवं अविभाज्य है तथा इसलिये सभी को एक साथ लाने के लिये व्यापक एवं भागीदारी वाले दृष्टिकोण की आवश्यकता है ताकि **'कोई भी पीछे ना रहे।'** प्रत्येक लक्ष्य के टार्गेट्स को सकेंतको के साथ संबद्ध किया गया है जो मापने योग्य परिणामें पर केन्द्रित/आधारित है। प्रारम्भ में, वैश्विक एस.डी.जी. एवं संबद्ध टार्गेट्स की प्रगति को मॉनिटरिंग करने के लिये वैश्विक संकेतक फ्रेमवर्क (जी.आई.एफ.) में कुल 244 संकेतको की पहचान की गई थी। वर्तमान में वैश्विक संकेतक फ्रेमवर्क में 248 संकेतक सम्मिलित है।

सतत् विकास गोल्स वर्ष 2030 तक और अधिक न्याय संगत, शांतिपूर्ण, लचीले एवं समृद्ध समुदायों की ओर बढने हेतु एक अन्तर्राष्ट्रीय फ्रेमवर्क प्रदान करते है। एस.डी.जी. कानूनी रूप से बाध्यकारी नही हैं, लेकिन वास्तव में अन्तर्राष्ट्रीय दायित्व बन गये हैं और वर्ष 2030 तक देशों की स्थानीय व्यय प्राथमिकताओं को नई दिशा देने की क्षमता रखते है। देशों से इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये इन्हें अंगीकार करने तथा एक राष्ट्रीय फ्रेमवर्क स्थापित करने की अपेक्षा की गई है। इनका कार्यान्वयन एवं सफलता राष्ट्रों की अपनी सतत् विकास नीतियों, योजनाओं एवं कार्यक्रमों पर निर्भर करेगी। एजेण्डा 2030 द्वारा इस तथ्य को भी रेखांकित किया गया है कि टार्गेट्स पर हुई प्रगति को मापने तथा इसके मुख्य व परिवर्तनकारी वचन यथा 'कोई भी पीछे ना रहे' को सुनिश्चित करने के लिये गुणवत्तापूर्ण, विश्वसनीय एवं विसमूहित समंको की आवश्यकता होगी।

एजेण्डा 2030 के केन्द्र में 5 महत्वपूर्ण आयामः लोग (People), समृद्धि (Prosperity), ग्रह (Planet), भागीदारी (Partnership), एवं शांति (Peace) हैं जिन्हें 5 पीज् (5Ps) के नाम से जाना जाता है। परम्परागत रूप से, तीन प्रमुख तत्वोंः सामाजिक समावेश, आर्थिक विकास एवं पर्यावरण संरक्षण के आधार पर अवलोकन किया जाता था, सतत् विकास की अवधारणा ने एजेण्डा 2030 को अपनाने के साथ इसे एक समृद्ध अर्थो में लिया है जिसमें इस परम्परागत अवधारणा में दो महत्वपूर्ण तत्वोंः भागीदारी एवं शांति को जोड़ा गया है।

विश्व के नेताओं ने सितम्बर, 2019 में आयोजित एस.डी.जी. के शिखर सम्मेलन में सतत् विकास गोल्स् को प्राप्त करने में शेष रही 10 वर्ष से भी कम अवधि को कार्रवाई दशक (Decade of Action) के रूप में घोषित किया गया है और सतत् विकास गोल्स् को वर्ष 2030 तक प्राप्त करने हेतु वित्तीय संसाधनों को संचालित करने, राष्ट्रीय क्रियान्वयन को बढ़ाने तथा संस्थानो को सुदृढ करने हेतु कहा है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा समाज के सभी क्षेत्रों को **'कार्रवाई दशक'** के लिये निम्नलिखित तीन स्तरों पर कार्य करने हेतु आह्वान किया गया हैः

- **वैश्विक कार्रवाई** (Global Action) – एस.डी.जी. के लिये वृहत नेतृत्व को बनाये रखना, अधिक संसाधनों एवं बेहतर समाधान प्राप्त करना।
- **स्थानीय कार्रवाई** (Local Action) – सरकारों, शहरों एवं स्थानीय प्राधिकरणों की नीतियों, बजट प्रावधानों, संस्थानों तथा नियामक फ्रेमवर्को में आवश्यक सुधारो को लागू करना।
- **आमजन कार्रवाई** (People Action) – आवश्यक सुधारों हेतु अनवरत प्रयास करने के लिये युवाओं,

नागरिक संगठनों, मीडिया, निजी क्षेत्रों, संघों, शिक्षाविदों एवं अन्य भागीदारों को संगठित करना।

17 सतत् विकास लक्ष्य (एस.डी.जी.)

लक्ष्य 1: गरीबी का अंत

1 गरीबी का अंत		
	टार्गेट्स	7
	राष्ट्रीय संकेतक	17
	राज्य संकेतक	28
	जिला संकेतक	22

एस.डी.जी.–1 का केन्द्रीय विषय 'गरीबी का अंत करना' है जिसका उद्देश्य गरीबी का उसके सभी रूपों में सभी जगहो पर अंत करना है। गरीबी एक बहुआयामी स्थिति है जो न केवल आय की कमी या संसाधनो तक पहुँच को इंगित करती हैं जबकि भुखमरी व कुपोषण, संकुचित अवसरो, सामाजिक भेदभाव तथा निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग लेने में असमर्थता के रूपों में भी प्रकट होती है। गरीबी को उसके सभी रूपों में समाप्त करना मानवजाति के लिये विकट चुनौतियों में से एक है।

लक्ष्य 2: भुखमरी समाप्त करना

2 भुखमरी समाप्त करना		
	टार्गेट्स	8
	राष्ट्रीय संकेतक	19
	राज्य संकेतक	38
	जिला संकेतक	32

एस.डी.जी.–2 का उद्देश्य सभी लोगो विशेषकर कमजोर परिस्थितियों में रहने वालों लोगों के पास पर्याप्त पौष्टिक भोजन की उपलब्ध्ता सुनिश्चित करते हुये वर्ष 2030 तक भुखमरी एवं कुपोषण को समाप्त करना है। इसका उद्देश्य आम–जन केन्द्रित ग्रामीण विकास तथा पर्यावरण की सुरक्षा के साथ वर्ष 2030 तक कृषि उत्पादकता व आय को दोगुनी करना भी है। सतत् कृषि को बढ़ावा देना, छोटे किसानों का समर्थन करना तथा भू–प्रौद्योगिकी व बाजारों तक समान पहुँच बनाने जैसे उपाय भुखमरी एवं गरीबी के उन्मूलन के लिये आधारभूत है। कृषि उत्पादकता में सुधार हेतु बुनियादी ढांचे एवं प्रौद्योगिकी में निवेश सुनिश्चित करने के लिये अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग की भी आवश्यकता है।

लक्ष्य 3: आरोग्य एवं कल्याण

3 आरोग्य एवं कल्याण		
	टार्गेट्स	13
	राष्ट्रीय संकेतक	39
	राज्य संकेतक	47
	जिला संकेतक	29

एस.डी.जी.–3 का उद्देश्य सभी अवस्थाओं में स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करना एवं आरोग्य को बढावा देना है जो कि सतत् विकास के लिये महत्वपूर्ण है। एस.डी.जी.–3 सभी प्रमुख स्वास्थ्य प्राथमिकताओं के निवारण पर केन्द्रित है, जिनमें संक्रामक, असंक्रामक एवं पर्यावरणीय रोग, प्रजनन, मातृ व शिशु स्वास्थ्य, युनिवर्सल हेल्थ कवरेज तथा सुरक्षित, प्रभावी, गुणवत्तापूर्ण व किफायती दवाओं एवं टीकों तक पहुँच सम्मिलित है। एस.डी.जी.–3 के प्रयास बाल मृत्यु दर को कम करने, मातृ स्वास्थ्य में सुधार करने तथा एच.आई.वी/एडस्, तपेदिक, मलेरिया व अन्य रोगों से निपटने की दिशा में है।

लक्ष्य 4: गुणवत्तापूर्ण शिक्षा

4 गुणवत्तापूर्ण शिक्षा		
	टार्गेट्स	10
	राष्ट्रीय संकेतक	19
	राज्य संकेतक	28
	जिला संकेतक	21

सतत् विकास लक्ष्य–4 का उद्देश्य सभी के लिये समावेशी व समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना तथा जीवनभर सीखने के अवसरों को बढ़ावा देना है जो कि लोगो के जीवन व सतत् विकास के लिये मूलभूत है। इस लक्ष्य का उद्देश्य सभी लड़के एवं लड़कियों द्वारा प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा को पूर्ण करना है तथा सभी के लिये गुणवत्तापूर्ण तकनीकी एवं व्यवसायिक शिक्षा तक समान पहुँच के अवसर सुनिश्चित करना है। इसका उद्देश्य किफायती व्यवसायिक प्रशिक्षण तक समान पहुँच उपलब्ध करवाना, लैंगिक एवं धन संबंधी असमानताओं को समाप्त करना तथा गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुँच को प्राप्त करना भी है।

लक्ष्य 5: लैंगिक समानता

5 लैंगिक समानता		
	टार्गेट्स	9
	राष्ट्रीय संकेतक	28
	राज्य संकेतक	34
	जिला संकेतक	26

एस.डी.जी.–5 का उद्देश्य महिलाओं एवं लड़कियों के विरूद्ध होने वाले सभी प्रकार के भेदभावों का हर जगह से अंत सुनिश्चित करना है। महिलाओं एवं लड़कियों के विरूद्ध होने वाले सभी प्रकार के भेदभावों का अंत करना न केवल मूलभूत मौलिक अधिकार है बल्कि समाजों के सतत्/स्थायी भविष्य के लिये भी महत्वपूर्ण है। महिलाओं एवं लड़कियों को शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं, सम्मानजनक कार्य और राजनीति व आर्थिक निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में प्रतिनिधित्व के समान अवसर प्रदान कर स्थायी अर्थव्यवस्था को प्राप्त किया जा सकेगा और वृहद रूप में समुदायों व मानवता को लाभ होगा। महिलाओं को भूमि व सम्पति, यौन व प्रजनन स्वास्थ्य तथा प्रौद्योगिकी व इंटरनेट पर समान अधिकार देना महत्वपूर्ण है। आज सरकारी कार्यालयों में पहले से अधिक महिलाएं हैं जो कि लैंगिक समानता को अर्जित करने में सहायक होगी।

लक्ष्य 6: शुद्ध जल एवं स्वच्छता

6 शुद्ध जल एवं स्वच्छता		
	टार्गेट्स	8
	राष्ट्रीय संकेतक	13
	राज्य संकेतक	16
	जिला संकेतक	13

लक्ष्य–6 सभी के लिये जल एवं स्वच्छता की उपलब्धता और सतत् प्रबंध सुनिश्चित करने के लिये प्रयास करता है तथा वैश्विक राजनीति के क्षेत्र में इनके प्रति बढ़ते ध्यान को दर्शाता है। शुद्ध पानी एवं स्वच्छता लोगों को रोगों से बचाती है तथा उन्हें आर्थिक रूप से ओर अधिक मजबूत बनाती है। जल का अभाव व जल की खराब गुणवत्ता विश्वभर में कम आय वाले परिवारों की खाद्य सुरक्षा, आजीविका के विकल्पों तथा शिक्षा के अवसरों पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। एजेण्डा 2030 मानता है कि ताजा जल के स्त्रोतों व पारिस्थितिकी तंत्रों के सतत् प्रबंधन पर सामाजिक विकास व आर्थिक समृद्धता निर्भर है।

लक्ष्य 7: किफायती एवं स्वच्छ ऊर्जा

7 किफायती एवं स्वच्छ ऊर्जा		
	टार्गेट्स	5
	राष्ट्रीय संकेतक	5
	राज्य संकेतक	11
	जिला संकेतक	6

एस.डी.जी. –7 का उद्देश्य ऊर्जा दक्षता में सुधार करना, नवीनीकरणीय स्त्रोतों के उपयोग में वृद्धि करना तथा सभी के लिये सतत् व आधुनिक ऊर्जा को बढावा देना है। विकास के इंजन को ईंधन देने में ऊर्जा का योगदान केन्द्रीय है तथा समाजों के विकास में इसकी भूमिका को कम नही आंका जा सकता है। यह विश्व की प्रत्येक प्रमुख चुनौतियों व अवसरों के केन्द्र में है जो या तो व्यवसाय को प्रारम्भ करने या खाद्यान उत्पादन या आय बढाने से संबंधित है। सतत् ऊर्जा एक अवसर है जो जीवन, अर्थव्यवस्था एवं पृथ्वी को बदल सकता है।

लक्ष्य 8: सम्मानजनक कार्य एवं आर्थिक विकास

8 सम्मानजनक कार्य एवं आर्थिक विकास		
	टार्गेट्स	12
	राष्ट्रीय संकेतक	25
	राज्य संकेतक	31
	जिला संकेतक	18

सतत् विकास लक्ष्य 8 उत्पादकता के उच्च स्तर को अर्जित करके और प्रौद्योगिकी नवाचारो के माध्यम से सतत् आर्थिक विकास को बढावा देने पर केन्द्रित हैं। उद्यमिता व रोजगार सृजन को प्रोत्साहन देने वाली नीतियों को बढावा देना इस लक्ष्य की कुंजी है जैसे कि बंधुआ मजदूरी, दासता एवं मानव तस्करी के उन्मूलन हेतु प्रभावी उपाय करना। इस लक्ष्य में वर्ष 2030 तक पूर्ण एवं उत्पादक रोजगार और सम्मानजनक कार्य को अर्जित करना, अनौपचारिक रोजगार एवं लिंगात्मक वेतन भेद को कम करना तथा सभी महिलाओं एवं पुरूषो के लिये सुरक्षित एवं संरक्षित कार्य वातावरण को बढावा देना सम्मिलित है।

लक्ष्य 9: उद्योग, नवाचार एवं अवसंरचना

9 उद्योग, नवाचार एवं अवसंरचना		
	टार्गेट्स	8
	राष्ट्रीय संकेतक	17
	राज्य संकेतक	18
	जिला संकेतक	7

लक्ष्य 9 का उद्देश्य लचीले आधारभूत ढांचे का निर्माण करने, समावेशी एवं सतत् औद्योगिकीकरण को प्रोत्साहित करने तथा नवाचारों का बढ़ावा देना है। इस लक्ष्य में सतत् विकास के तीन महत्वपूर्ण पहलू– बुनियादी ढ़ांचा, औद्योगिकीकरण एवं नवाचार सम्मिलित है। यह गोल गुणवत्तापूर्ण, विश्वसनीय, टिकाऊ एवं लचीला आधारभुत ढांचा विकसित करने, आर्थिक विकास एवं मानव कल्याण को समर्थन देने, सभी के लिये किफायती एवं समान उपलब्धता पर ध्यान में रखकर सतत् व लचीले अवसंरचनागत विकास मे सहयोग करने तथा कई टार्गेट्स के साथ समावेशी एवं संधारणीय औद्योगीकीकरण को बढ़ावा देने का प्रयास करता है। कई देशों के सतत् विकास को सुनिश्चित करने के लिये परिवहन, सिंचाई, ऊर्जा सहित अन्य अवसंरचना क्षेत्रों में निवेश करना महत्वपूर्ण है।

लक्ष्य 10: असमानताओं में कमी लाना

10 असमानताओं में कमी लाना		
	टार्गेट्स	10
	राष्ट्रीय संकेतक	11
	राज्य संकेतक	6
	जिला संकेतक	2

सतत् विकास लक्ष्य–10 राष्ट्रों में उनके भीतर एवं उनके मध्य असमानता में कमी लाने पर केन्द्रित है। एस.डी.जी. 10 का उद्देश्य उम्र, लैंगिक, दिव्यांगता, धर्म एवं अन्य स्थिति के आधार पर देश के अन्दर के साथ–साथ देशो के मध्य आय की असमानताओं को कम करना है। आय एवं धन की असमानताएं गंभीर है तथा विश्वभर में फैली हुई है। असमानता न केवल प्रगति में बाधक है बल्कि लोगों को अवसरों से वंचित करती है और अंततः अत्यधिक गरीबी की स्थिति की ओर ले जाती है।

लक्ष्य 11: संधारणीय शहर एवं समुदाय

11 संधारणीय शहर और समुदाय		
	टार्गेट्स	10
	राष्ट्रीय संकेतक	13
	राज्य संकेतक	15
	जिला संकेतक	9

एस.डी.जी. 11 शहरों पर केन्द्रित है क्योंकि विश्व की आधी से ज्यादा आबादी उनमें रहती है। इस लक्ष्य का उद्देश्य शहरों एवं मानव बस्तियों को समावेशी, सुरक्षित, लचीला एवं संवहनीय बनाना है। शहरीकरण के परिणामस्वरूप नयी नौकरियों एवं अवसरों का

सृजन हुआ है एवं गरीबी में कमी आई है। शहरों का सतत् विकास राष्ट्रो के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि यह लोगों को आर्थिक एवं सामाजिक रूप से समृद्ध होने के अवसर प्रदान करता है। संसाधनों के उपयोग में सुधार तथा प्रदूषण व गरीबी को कम करने पर ध्यान केन्द्रित कर नगरीय क्षेत्र की तेजी से विकास करने की चुनौतियों को दूर किया जा सकता है जिसमें आधारभुत सुविधाओं, ऊर्जा, आवास की उपलब्धता तथा ग्रीन हाऊस गैसो के उत्सर्जन को कम करने के प्रावधान सम्मिलित है।

लक्ष्य 12: उत्तरदायी उपभोग एवं उत्पादन

12 उत्तरदायी उपभोग एवं उत्पादन	
टार्गेट्स	11
राष्ट्रीय संकेतक	15
राज्य संकेतक	9
जिला संकेतक	5

लक्ष्य 11 का उद्देश्य उत्तरदायी उपभोग एवं उत्पादन प्रतिमान सुनिश्चित करना है। यह गोल प्राकृतिक संसाधनों के प्रभावी उपयोग, ऊर्जा दक्षता व टिकाऊ आधारभूत संरचना को बढावा देने तथा सभी की बुनियादी सेवाओं तक पहुँच, हरित व सम्मानजनक कार्य एवं एक बेहतर गुणवत्तापूर्ण जीवन प्रदान करने पर केन्द्रित है। यह लक्ष्य लोगो में जागरूकता उत्पन्न कर एवं शिक्षा के माध्यम से सतत् उपभोग एवं अपशिष्ट कम करने को बढ़ावा देने का प्रयास करता है। यह गोल विशेष नीतियों एवं पर्यावरण के लिये हानिकारक पदार्थो के पर्यावरणीय ठोस प्रबंधन के नवीन वैश्विक अनुबंधों सहित विभिन्न उपायो के माध्यम से और अधिक सतत् उपभोग एवं उत्पादन प्रतिमानों को बढ़ावा देने का प्रयास करता है।

लक्ष्य 13: जलवायु कार्रवाई

13 जलवायु कार्रवाई	
टार्गेट्स	5
राष्ट्रीय संकेतक	6
राज्य संकेतक	2
जिला संकेतक	1

लक्ष्य 13 जलवायु परिवर्तन एवं इसके प्रभावों से निपटने के लिये तत्काल कार्यवाही करने का आह्वान करता है। जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक चुनौती के रूप में उभरा है क्योंकि दुनिया बढ़ते समुद्रीय स्तर, विषम चरम मौसम परिस्थितियों एवं ग्रीन हाऊस गैसों की बढ़ती सांद्रता का सामना कर रही है जो सभी के जीवन विशेषकर तटीय क्षैत्रो में रह रही आबादी के लिये खतरा है। ग्रीन हाऊस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिये वित्त की उपलब्धता व क्षमताओं को मजबूत करने सहित जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने व अनुकूलन से संबंधित महत्वाकांक्षी योजनाओं एवं त्वरित कार्यवाही की आवश्यकता है। यह लक्ष्य जलवायु से संबंधित खतरों के लिये लचीलेपन एवं अनुकूलन क्षमता के निर्माण करने तथा राष्ट्रीय नीतियों में ऐसे उपायो को एकीकृत करने के बारे में कहता है। यह न केवल प्रभावी प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली को स्थापित करने पर बल्कि प्रभावों को कम करने पर केन्द्रित है। यह इन्हीं कारणो से राष्ट्रो के मध्य साझेदारी एवं प्रतिबद्धता की भूमिका पर जोर देता है।

लक्ष्य 14: जल में जीवन

14 जल में जीवन	
टार्गेट्स	10
राष्ट्रीय संकेतक	11
राज्य संकेतक	3
जिला संकेतक	2

सतत् विकास लक्ष्य 14 का उद्देश्य सतत् विकास हेतु महासागरों, समुद्रों व सागरीय संसाधनो का संरक्षण एवं सतत् उपयोग करना है। एस.डी.जी. 14 जलीय जीवन के सामने आ रही चुनौतियों में से कुछ –समुद्री पोषक तत्वों के प्रदूषण व संसाधनो में कमी, जैव विविधता के क्षरण व हानि, माहसागरों के अम्लीकरण जिन सभी का प्राथमिक कारण मानव व्यवहार हैं का समाधान करना चाहता हैं। इस गोल में सुधारात्मक मानवीय उपायों से संबंधित लक्ष्य रखे गये है जिनमें उत्पादन व अधि मत्स्याटन को प्रभावी ढंग से विनियमित करना, समुद्र एवं तटीय पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित करना, महासागरों के स्वास्थ्य में सुधार करने से संबंधित वैज्ञानिक ज्ञान को बढाने तथा लघु स्तरीय मछुआरों की समुद्री संसाधनो एवं बाजारों तक पहुँच प्रदान करना सम्मिलित है।

लक्ष्य 15: भूमि पर जीवन

15 भूमि पर जीवन	
टार्गेट्स	12
राष्ट्रीय संकेतक	14
राज्य संकेतक	10
जिला संकेतक	8

एस.डी.जी. 15 का उद्देश्य स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र को सुरक्षित करना, पुनर्स्थापित करना व सतत् उपयोग करना, वनों का स्थायी प्रबंध करना, मरूस्थलीकरण को रोकना एवं भूमि क्षरण को रोकना व पुनर्स्थापित करना तथा जैव विविधता की हानियों को रोकना है जो कि हमेशा पर्यावरण से संबंधित नीतियों के निर्माण से संबंधित विचार–विमर्शो के दौरान केन्द्र में रहे हैं। वन एवं आर्द्रभूमि सहित स्थलीय पारिस्थतिकी तंत्र सभी को इमारती लकड़ी, निर्माण व ऊर्जा हेतु कच्चा माल तथा भोजन जैसी वस्तुएं प्रदान करते हैं। इसके अलावा पारिस्थितिकी तंत्र की सेवाओं की एक श्रंखला हैं जिनमें मिट्टी की गुणवत्ता बनाये रखना, जैव विविधता हेतु आवासों का प्रावधान, जल गुणवत्ता को बनाये रखने के साथ–साथ जल–प्रवाह के नियमन व कटाव नियंत्रण शामिल है जो कि स्थल

पारिस्थितिकी तंत्र द्वारा प्रदान की जाती है। गोल 15 इस पर भी प्रकाश डालता है कि किस प्रकार ये तंत्र बाढ़ व भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं की जोखिमो कम करने में योगदान करता है तथा जलवायु को नियंत्रित करते हुये कृषि तंत्र की उत्पादकता को बनाये रखता है। इसके अलावा यह स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण, पुनर्स्थापना एवं बढ़ावा देने के लिये ठोस कार्रवाई करने की आवश्यकता पर बल देता है।

लक्ष्य 16: शांति, न्याय एवं सुदृढ संस्थाएं

16 शांति, न्याय एवं सुदृढ़ संस्थाएं	
टार्गेट्स	12
राष्ट्रीय संकेतक	21
राज्य संकेतक	28
जिला संकेतक	23

एस.डी.जी. 16 सतत् विकास के लिये शांतिपूर्ण एवं समावेशी समुदायों को बढावा देने, सभी की न्याय तक पहुँच प्रदान करने तथा सभी स्तरों पर प्रभावी, जिम्मेदार एवं समावेशी संस्थानों के निर्माण करने की मांग करता है। शांति, न्याय तथा प्रभावी, उत्तरदायी एवं समावेशी संस्थान सतत् विकास के केन्द्र में हैं। विकास, वृद्धि एवं समाज के कल्याण के लिये हिंसा एवं सशस्त्र संघर्ष सबसे महत्वपूर्ण व विनाशकारी चुनौतियाँ है। वर्ष 2030 के वैश्विक सतत् विकास एजेण्डा पारदर्शी व प्रभावी स्थानीय शासन एवं न्यायिक प्रणाली को बढ़ावा देने, अपराध एवं यौन व लैंगिक आधारित हिंसा को कम करने, मानव हत्या व तस्करी के मामलों से निपटने तथा बाल अधिकारों से संबंधित हिसांओ का अंत करने का आह्वान करता है। यह सभी व्यक्तिगत, रिश्तेदारी, सामुदायिक एवं सामाजिक स्तरों पर हिंसा से संबंधित चुनौतियों के सामाधान करने की मांग करता है।

लक्ष्य 17: लक्ष्यों के लिये भागीदारीयां

17 लक्ष्यों के लिए भागीदारियां	
टार्गेट्स	19
राष्ट्रीय संकेतक	13
राज्य संकेतक	6
जिला संकेतक	2

गोल 17 सभी सतत् विकास लक्ष्यों को अर्जित करने के लिये महत्वपूर्ण हैं क्योंकि यह गोल सतत् विकास के लिये क्रियान्वयन के साधनों को सुदृढ करने तथा वैश्विक साझेदारियों को पुनर्जीवित करने की मांग करता है। यह सभी स्तरों पर लोगों एवं पृथ्वी को केन्द्र में रखने वाले सिद्धान्तों एवं मूल्यों, साझा विजन तथा साझा लक्ष्यों पर निर्मित समावेशी साझेदारियों को बढ़ावा देता है।

सतत् विकास लक्ष्यों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता

भारत भी विश्व के साथ–साथ 'कार्रवाई दशक' के पथ पर आगे बढ़ा है। इस कार्रवाई दशक में एजेण्डा 2030 को वैश्विक वास्तविकता में बदलने के लिये सामूहिक प्रयास के लिये आह्वान किया गया है। भारत सतत् विकास गोल्स् के सिद्धान्तों एवं टार्गेट्स के लिये प्रतिबद्ध है। वैश्विक दृष्टिकोण एवं अपने स्वयं के कारणों से भारत को इन टार्गेट्स को अर्जित करने की अनिवार्य आवश्यकता है। हाल ही के वर्षो में देश द्वारा पहले ही उल्लेखनीय प्रगति की गई है। भारत ने एस.डी.जी. को पूर्ण रूप से अर्जित करने के लिये साक्ष्य समर्थित तरीके से प्रगति को बनाये रखने हेतु पर्याप्त उपाय किये जा रहे हैं।

राष्ट्रीय स्तर पर नीति आयोग द्वारा देश में एस.डी.जी. के क्रियान्वयन का पर्यवेक्षण किया जा रहा है। नीति आयोग एजेण्डा 2030 को चलाने के प्रयासो में अग्रणी भूमिका निभा रहा है, जो कि सहयोगात्मक एवं प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद की भावना है। यह एस.डी.जी. को आत्मसात्, क्रियान्वयन एवं पर्यवेक्षण करने के अभियान में केन्द्रीय मंत्रालयों, राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों तथा अन्तर्राष्ट्रीय विकास संगठनों जैसे यू.एन. सिस्टम, थिंक टैंक व नागरिक समाज संगठनों के साथ मिलकर कार्य कर रहा है। नीति आयोग का लक्ष्य न केवल एस.डी.जी. पर आवधिक समंको का संकलन करना ही नहीं है बल्कि लक्ष्यों एवं टार्गेट्स को न केवल मात्रात्मक रूप से अर्जित करने के कार्य में बल्कि गुणवत्ता के उच्च मानकों को बनाये रखने में भी सक्रिय रूप से कार्य करता है।

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoS&PI) को राष्ट्रीय संकेतक फ्रेमवर्क (एन.आई.एफ.) को विकसित करने का उत्तरादायित्व सौंपा गया है जो एस.डी.जी. एवं संबद्ध टार्गेट्स की प्रगति की मॉनिटरिंग करने में सहायता करता हैं। राष्ट्रीय संकेतक फ्रेमवर्क के सांख्यिकीय संकेतक राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर एस.डी.जी. की मॉनिटरिंग करने के मुख्य आधार है तथा विभिन्न एस.डी.जी. के अन्तर्गत टार्गेट्स को अर्जित करने की नीतियों के परिणामों को वैज्ञानिक रूप से मापते हैं।

इस क्रम में सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय संकेतक फ्रेमवर्क बनाया गया है तथा यू.एन. इंडिया के सहयोग से राष्ट्रीय एस.डी.जी. डेशबोर्ड भी तैयार किया है। एन.आई.एफ. के एस.डी.जी. संकेतको की समीक्षा की एक अनवरत प्रक्रिया है तथा सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय अन्य हितधारकों के साथ विचार–विमर्श कर वर्तमान संकेतको की उपयुक्तता के साथ–साथ प्रासंगिक लक्ष्यों के लिये नये संकेतको का परीक्षण करता रहता है। वर्तमान में, एस.डी.जी. पर हुई प्रगति को मापने के लिये एन.आई.एफ. में 286 संकेतक सम्मिलित है।

राज्यों में विद्यमान स्थितियों पर संगत टिप्पणी के बिना राष्ट्रीय स्तर पर एस.डी.जी. पर कुछ भी कहना अधूरा है। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा राज्यों को एस.डी.जी. पर पर्याप्त तकनीकी सहयोग प्रदान किया जा रहा है। मंत्रालय द्वारा जुलाई, 2019 में राज्य स्तरीय मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क विकसित किये जाने में राज्यों/केन्द्र शासित राज्यों की सुविधा एवं सहायता हेतु राज्य संकेतक फ्रेमवर्क (एस.आई.एफ.) के निर्माण के संबंध में दिशा–निर्देश विकसित एवं प्रसारित किये गये है। ये दिशा–निर्देश एस.डी.जी. की प्रगति को मापने के लिये संस्थागत व्यवस्थाओं सहित वर्तमान राष्ट्रीय संकेतक फ्रेमवर्क के आधार पर एक राज्य स्तरीय मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क के विकसित किये जाने के संबंध में क्रमशः मार्गदर्शन प्रदान करते है।

एस.डी.जी. इंडिया इंडेक्स

नीति आयोग द्वारा एस.डी.जी. इंडिया इंडेक्स एवं डेशबोर्ड डिजाइन एवं विकसित किया गया है, जो एस.डी.जी. मॉनिटरिंग हेतु किये गये प्रयासो में से एक महत्वपूर्ण साधन है। यह इंडेक्स, राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर गोल्स एवं टार्गेट्स में की गई प्रगति को मापता है। इंडेक्स का उद्देश्य अधिक ध्यान दिये जाने की आवश्यकता वाले क्षेत्रों को प्राथमिकता देने, राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के सांख्यिकी तंत्रों के डेटा गेप्स को रेखांकित करने तथा उन क्षेत्रों की पहचान करने जिनमें सुदृढ़ एवं निरंतर अधिक डाटा संग्रहण की आवश्यकता हैं, में राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों का सहयोग करना है।

एस.डी.जी. इंडिया इंडेक्स में, प्रत्येक राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश के समग्र स्कोर की गणना प्रत्येक गोल में उनके प्रदर्शन के औसत के आधार पर की गई है। समग्र स्कोर की सीमा 0 से 100 है जो राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश की गोल्स् के अन्तर्गत टार्गेट्स को प्राप्त करने की उनकी समग्र उपलब्धियों को प्रदर्शित करता है। राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को उनके स्कोर के आधार पर 4 श्रेणियोंः अचीवर (Achiever): इंडेक्स स्कोर 100 के बराबर, फ्रंट–रनर (Front-Runner): इंडेक्स स्कोर 65–99, परफॉर्मर (Performer): इंडेक्स स्कोर 50–64 एवं एस्पिरेंट (Aspirant): इंडेक्स स्कोर 50 से कम में वर्गीकृत किया गया है।

एस.डी.जी. इंडिया इंडेक्स का प्रथम संस्करण दिसम्बर, 2018 में जारी किया गया, जिसमें 13 सतत् विकास गोल्स् के 62 संकेतको का उपयोग किया गया है, इसके बाद इंडेक्स का द्वितीय वर्जन दिसम्बर, 2019 में जारी किया गया, जिसमें 16 गोल्स् के 100 संकेतकों का उपयोग किया गया है। वर्तमान तृतीय संस्करण 2020–21 (वर्जन 3.0) 16 गोल्स् के कुल 115 संकेतको के आधार पर बनाया गया है। इनमें से अधिकाशं संकेतक सीधे राष्ट्रीय संकेतक फ्रेमवर्क में से लिये गये है तथा कुछ राष्ट्रीय संकेतक फ्रेमवर्क के संकेतको को सभी राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में डाटा उपलब्धता के आधार पर संशोधित कर उपयोग में लिया गया है।

एस.डी.जी. इंडिया इंडेक्स 3.0 में, भारत का समग्र स्कोर वर्ष 2019–20 के 60 से बढ़कर वर्ष 2020–21 में 66 हो गया है, जो एस.डी.जी. को प्राप्त करने की दिशा में देश की समग्र रूप से हुई प्रगति को दर्शाता है। राजस्थान का स्कोर वर्ष 2019–20 के 57 से बढ़कर वर्ष 2020–21 में 60 हो गया है और हालांकि अभी भी परफॉर्मर श्रेणी में बना हुआ है। वर्ष 2019–20 एवं वर्ष 2020–21 के सूचकांको के 16 गोल्स के लिये किये गये आंकलन के अनुसार, राजस्थान द्वारा गोल 7 (किफायती एवं स्वच्छ ऊर्जा) में अधिकतम प्रगति की है, जिसमें इसका स्कोर 100 रहा है। एस.डी.जी. इंडिया इंडेक्स 3.0 पर राज्यों के प्रदर्शन को चित्र 11.1 में प्रस्तुत किया गया है। एस.डी.जी. इंडिया इंडीसेज में भारत एवं राजस्थान के गोलवार स्कोर को तालिका 11.1 में प्रदर्शित किया गया है।

चित्र 11.1

एस.डी.जी. इंडिया इंडेक्स 3.0 में राज्यों का प्रदर्शन

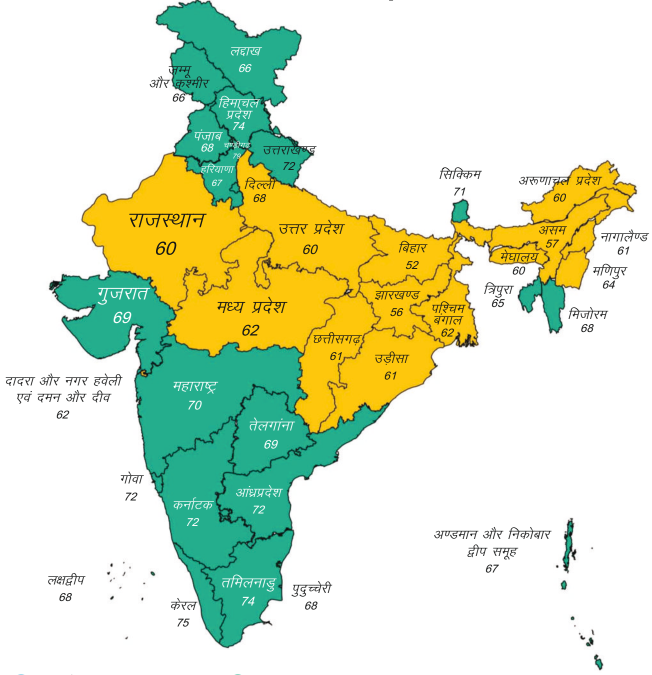

अचीवर (100) | फ्रंट रनर (65–99)
परफार्मर (50–64) | एस्पिरेंट (0–49)

तालिका 11.1: एस.डी.जी. इंडिया इंडीसेज में भारत एवं राजस्थान के गोलवार स्कोर

गोल संख्या	गोल	2018 (1.0)		2019-20 (2.0)		2020-21 (3.0)	
		भारत	राजस्थान	भारत	राजस्थान	भारत	राजस्थान
1	गरीबी का अंत	54	59	50	56	60	63
2	भुखमरी समाप्त करना	48	45	35	35	47	53
3	आरोग्य एवं कल्याण	52	49	61	58	74	70
4	गुणवत्तापूर्ण शिक्षा	58	73	58	51	57	60
5	लैंगिक समानता	36	37	42	39	48	39
6	शुद्ध जल एवं स्वच्छता	63	43	88	76	83	54
7	किफायती एवं स्वच्छ ऊर्जा	51	63	70	61	92	100
8	सम्मानजनक कार्य एवं आर्थिक विकास	65	57	64	65	61	57
9	उद्योग, नवाचार एवं अवसंरचना	44	62	65	38	55	45
10	असमानताओं में कमी लाना	71	79	64	70	67	45
11	संधारणीय शहर एवं समुदाय	39	45	53	61	79	81
12	उत्तरदायी उपभोग एवं उत्पादन	_	_	55	30	74	74
13	जलवायु कार्रवाई	_	_	60	60	54	49
15	भूमि पर जीवन	90	68	66	75	66	43
16	शांति, न्याय एवं सुदृढ़ संस्थाएं	71	81	72	76	74	73
समग्र स्कोर		**57**	**59**	**60**	**57**	**66**	**60**

सतत् विकास लक्ष्यों के प्रति राजस्थान की प्रतिबद्धता

राज्य के समग्र विकास के लिये राज्य सरकार पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है एवं वर्ष 2030 तक एस.डी.जी. को अर्जित करने के अपने प्रयासों को गति प्रदान की गई है। राज्य में एस.डी.जी. के क्रियान्वयन के संदर्भ में सम्पादित की गई कुछ प्रमुख गतिविधियां निम्न प्रकार हैं:

संस्थागत व्यवस्था

- राज्य में सतत् विकास लक्ष्यों (एस.डी.जी.) के लिये

आयोजना विभाग को नोडल विभाग घोषित किया गया है।

- राज्य में सतत् विकास लक्ष्य–2030 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय (डी.ई.एस.) में एक प्रकोष्ठ/केन्द्र स्थापित किया गया है।

- मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय एस.डी.जी. क्रियान्वयन एवं मॉनिटरिंग समिति का गठन किया गया है, जिसमें संबद्ध विभागो के अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिवों को सदस्य के रूप में नामित किया गया है। अब तक उक्त समिति की कुल 4 बैठके आयोजित की गई है।

- राज्य स्तरीय एस.डी.जी. क्रियान्वयन एवं मॉनिटरिंग समिति की अनुशंषाओं के अनुपालन में प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा राज्य में सतत् विकास लक्ष्यों के प्रभावी क्रियान्वयन में सहयोग हेतु 8 सेक्टॉरल वर्किंग ग्रुप्स का गठन किया गया है।

- जिला स्तर पर एस.डी.जी. के प्रभावी क्रियान्वयन, सामयिक समीक्षा तथा प्रगति के आंकलन हेतु संबंधित जिला कलक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय एस.डी.जी. क्रियान्वयन एवं मॉनिटरिंग समिति का गठन किया गया है। सभी 33 जिलो में जिला स्तरीय समितियों का गठन किया जा चुका है।

पर्यवेक्षण एवं प्रकाशन

- राजस्थान ने सतत् विकास लक्ष्यों पर राज्य की प्रगति को साझा करने के लिये **'राजस्थान एस.डी.जी. स्टेटस् रिपोर्ट'** के 4 संस्करण जारी किये हैं। 'राजस्थान एस.डी.जी. स्टेटस् रिपोर्ट' का प्रथम संस्करण वर्ष 2018 में जारी किया गया था। नवीनतम चतुर्थ संस्करण मार्च, 2022 में जारी किया गया है।

- राज्य के जिलो के मध्य एस.डी.जी. को अर्जित करने के लिये स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का निर्माण करने तथा राज्य में सतत् विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण व अधिक प्रभावी तरीके से लागू करने के लिये जिलेवार राजस्थान एस.डी.जी. इंडेक्स तैयार किये जा रहे हैं। उक्त सूचकांको का नवीनतम तृतीय संस्करण मार्च, 2022 में जारी किया गया है।

- सतत् विकास लक्ष्य केन्द्र द्वारा राज्य में सतत् विकास लक्ष्यों के प्रभावी क्रियान्वयन एवं मॉनिटरिंग हेतु राज्य की प्राथमिकताओं के अनुरूप राज्य संकेतक फ्रेमवर्क (एस.आई.एफ.) विकसित किया गया है। एस.आई.एफ. के नवीनतम संस्करण 2.0 में कुल 330 संकेतक सम्मिलित है।

- सतत् विकास लक्ष्य केन्द्र द्वारा जिला स्तर पर सतत् विकास लक्ष्यों की मॉनिटरिंग एवं प्रगति को मापने हेतु जिला संकेतक फ्रेमवर्क (डी.आई.एफ.) विकसित किया गया है। डी,आई.एफ. के नवीनतम वर्जन 2.0 में कुल 226 संकेतक सम्मिलित है। इन संकेतको के समंको की गणना एवं संकलन में सहायता हेतु मेटाडेटा भी तैयार किया गया है तथा जिलो के साथ साझा किया गया है।

- राज्य द्वारा सतत् विकास लक्ष्यों की प्रगति में किये गये प्रयासों को विभिन्न हितधारकों के साथ साझा करने के अनुक्रम में विभागीय प्रकाशन आथिक समीक्षा में वर्ष 2018–19 से नियमित रूप से एक अध्याय सम्मिलित किया जा रहा है।

- गोल्स/टार्गेट्स/संकेतकों की उनसे संबद्ध विभागों के साथ मैपिंग की गई है। इसके साथ ही राज्य/केन्द्र की योजनाओं के साथ भी गोल्स एवं टार्गेट्स को मैप किया गया है।

- बहुआयामी गरीबी सूचकांक (एम.पी.आई.) पर राज्य के प्रदर्शन एवं नीति आयोग द्वारा जारी किये जाने वाले आगामी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक– 4.0 की गणना में सम्मिलित किये जाने वाले संभावित संकेतको पर विचार–विमर्श हेतु दिनांक 07 अप्रेल, 2022 को होटल होलीडे–इन, जयपुर में एक कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला में राज्य के सभी 33 जिलो की एस.डी.जी. पर जिला स्तरीय स्थिति को साझा करने के लिये जिला एस.डी.जी. स्टेट्स रिपोर्ट्स भी जारी की गई।

- दिनांक 29 जून, 2022 को 16वें सांख्यिकी दिवस के अवसर एच.सी.एम. रीपा, जयपुर में 'डाटा फॉर सस्टेनेबल डवलपमेंट' विषय पर एक राज्य स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई है।

- सतत विकास लक्ष्यों के प्रभावी क्रियान्वयन तथा राज्य कार्मिकों में जागरूकता उत्पन्न करने के लिये शासकीय कार्मिकों के प्रशिक्षण के शीर्ष संस्थानो द्वारा आयोजित किये जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों में कम से कम एक सत्र एस.डी.जी. पर सम्मिलित करवाया गया है।

सतत् विकास लक्ष्यों को अर्जित करने के लिये राजस्थान द्वारा किये गये प्रयासों को चित्र 11.2 में प्रदर्शित किया गया है।

चित्र 11.2

एस.डी.जी. को अर्जित करने के लिये राजस्थान द्वारा किये गये प्रयास

राजस्थान एस.डी.जी. इंडेक्स

राजस्थान एस.डी.जी. इंडेक्स का उद्देश्य एस.डी.जी. पर जिलों के प्रदर्शन का आकलन करना तथा जिलो के मध्य एस.डी.जी. को अर्जित करने के लिये प्रतिस्पर्धा का निर्माण करना है। इस इंडेक्स में जिलो के स्कोर की गणना तथा प्रदर्शन के वर्गीकरण हेतु नीति आयोग द्वारा एस.डी.जी. इंडिया इंडेक्स में प्रयुक्त की गई गणनाविधि को अपनाया गया है।

राजस्थान एस.डी.जी. इंडेक्स–1.0, वर्ष 2020 में जारी किया गया, जिसमें 12 गोल्स् के 31 संकेतक सम्मिलित थे। राजस्थान एस.डी.जी. इंडेक्स का द्वितीय संस्करण मार्च, 2021 में जारी किया गया, जिसकी गणना 13 गोल्स् के 55 संकेतको पर की गई है।

राजस्थान एस.डी.जी. इंडेक्स का तृतीय संस्करण मार्च, 2022 में जारी किया गया, जिसकी गणना 14 गोल्स् के 75 संकेतको पर की गई है। डाटा की उपलब्धता न होने के कारण गोल 13, 14 एवं 17 को गणना में सम्मिलित नही किया गया है। राजस्थान एस.डी.जी. इंडेक्स 3.0 में, राजस्थान के 33 जिलों में जयपुर सूची में सबसे ऊपर है, जबकि बारां सबसे अंतिम स्थान पर रहा है।

केवल एक जिला–बारां 50 से कम समग्र एस.डी.जी. स्कोर के साथ 'एस्पिरेंट' श्रेणी में रहा हैं, जबकि शेष सभी जिलें 50 से अधिक या बराबर परन्तु 65 से कम स्कोर के साथ 'परफॉर्मर' श्रेणी में रहे है। राजस्थान एस.डी.जी. इंडेक्स, 2022 (वर्जन 3.0) पर जिलों के प्रदर्शन को चित्र 11.3 एवं 11.4 में प्रदर्शित किया गया है।

चित्र 11.3

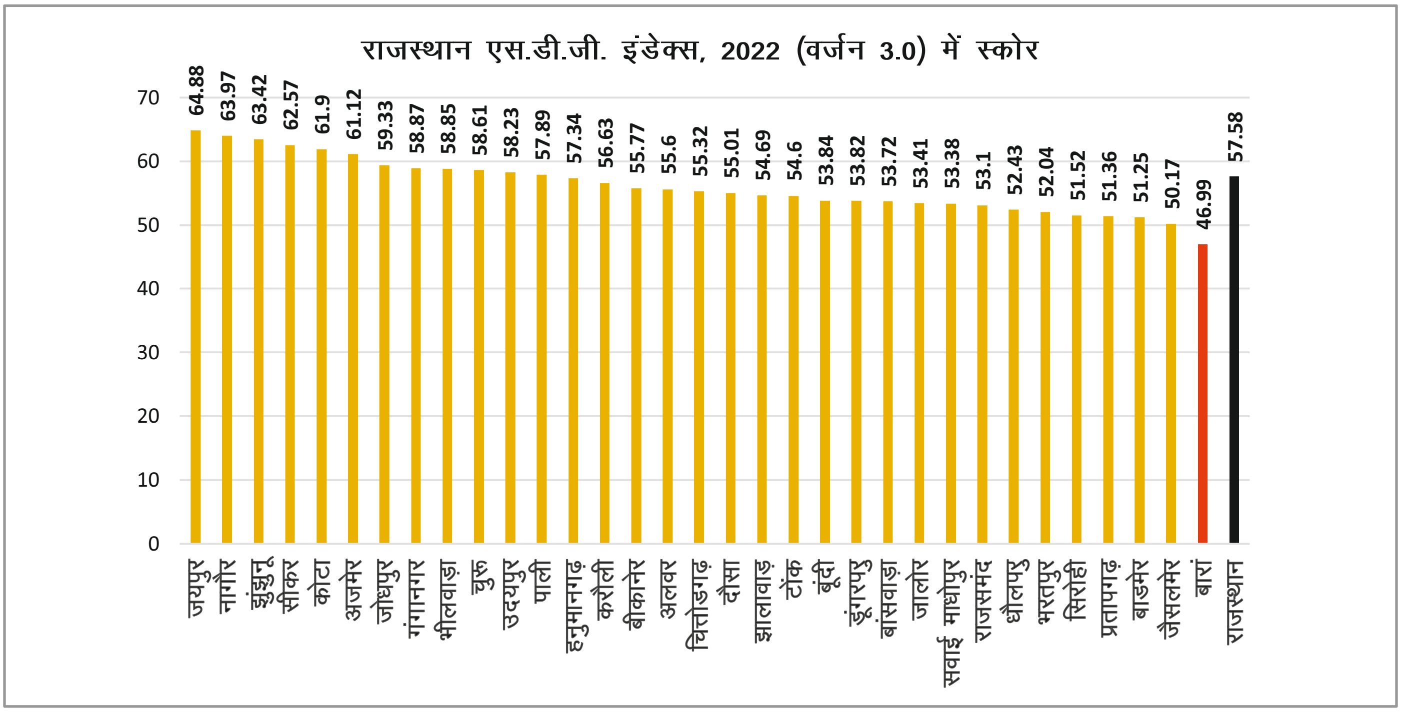

चित्र 11.4

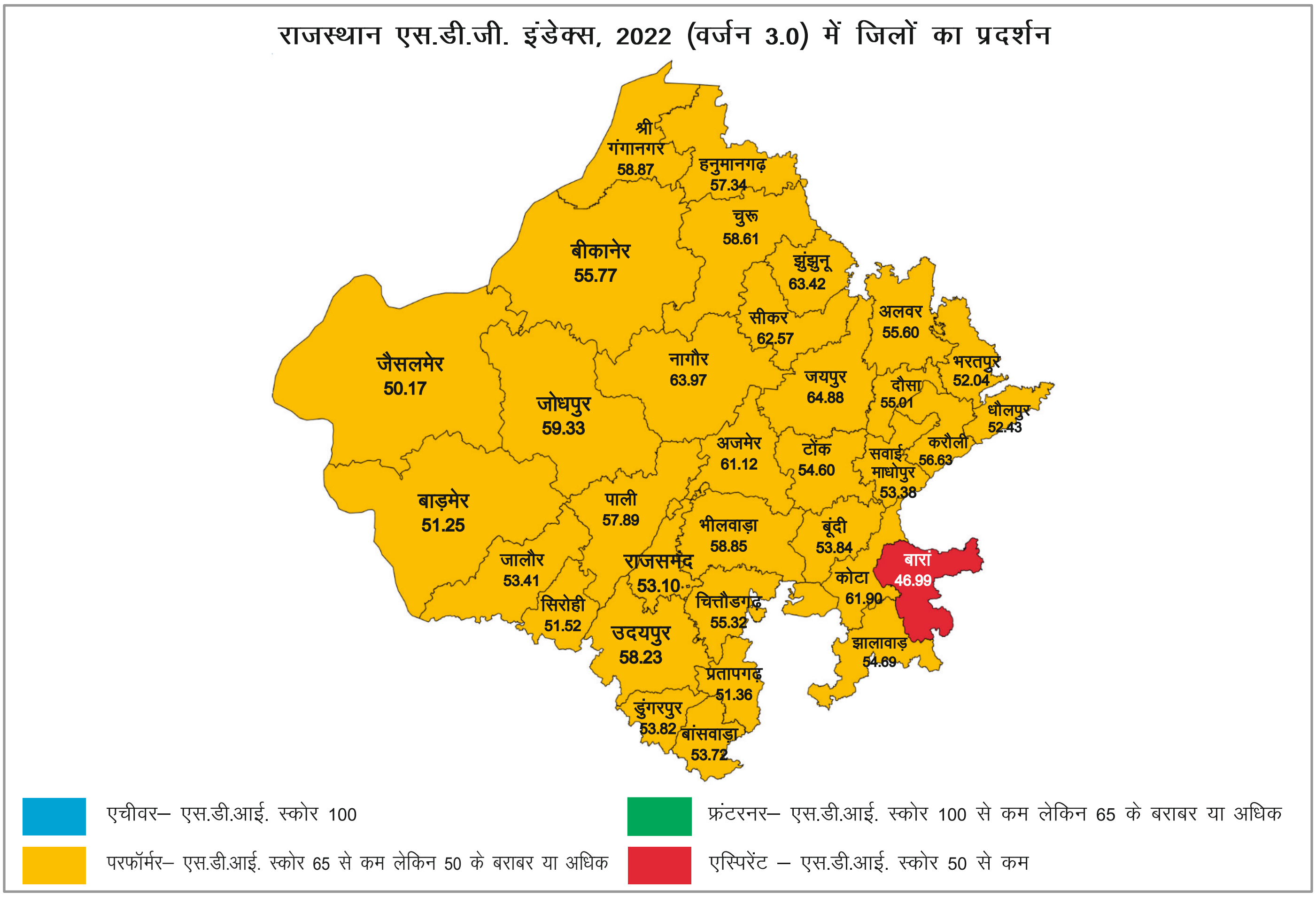

आर्थिक समीक्षा
2022-23

सांख्यिकीय परिशिष्ट

सांख्यिकीय परिशिष्ठ

परिशिष्ठ	पृष्ठ	विषय
1	प 1	महत्वपूर्ण आर्थिक सूचक
2	प 4	सकल/शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद एवं प्रति व्यक्ति आय
3	प 5	प्रचलित बुनियादी मूल्यों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन
4	प 6	प्रचलित बुनियादी मूल्यों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन का क्षेत्रवार अंशदान
5	प 7	प्रचलित बुनियादी मूल्यों पर क्षेत्रवार सकल राज्य मूल्य वर्धन की वृद्धि दर
6	प 8	स्थिर (2011–12) बुनियादी मूल्यों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन
7	प 9	स्थिर (2011–12) बुनियादी मूल्यों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन का क्षेत्रवार अंशदान
8	प 10	स्थिर (2011–12) बुनियादी मूल्यों पर क्षेत्रवार सकल राज्य मूल्य वर्धन की वृद्धि दर
9	प 11	प्रचलित बुनियादी मूल्यों पर शुद्ध राज्य मूल्य वर्धन
10	प 12	स्थिर (2011–12) बुनियादी मूल्यों पर शुद्ध राज्य मूल्य वर्धन
11	प 13	सकल स्थाई पूँजी निर्माण
12	प 14	बजट–अधिशेष (+)/घाटा (–)
13	प 15	बजट (प्राप्तियां)
14	प 17	बजट (व्यय)
15	प 19	योजनावार व्यय
16	प 21	कार्यक्रमवार बजट व्यय
17	प 22	राजस्थान के थोक मूल्य सूचकांक
18	प 23	औद्योगिक उत्पादन सूचकांक
19	प 24	संगठित क्षेत्र में रोजगार
20	प 25	कृषि उत्पादन सूचकांक
21	प 27	फसलवार उत्पादन
22	प 29	फसलवार क्षेत्रफल
23	प 31	स्रोतवार सकल सिंचित क्षेत्रफल
24	प 32	स्रोतवार शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल
25	प 33	ऊर्जा की अधिष्ठापित क्षमता
26	प 34	राज्य में सड़कों की लम्बाई
27	प 35	स्वास्थ्य सूचक
28	प 37	राज्य में साक्षरता दर
29	प 38	जिलेवार जनसांख्यिकीय जनगणना 2011
30	प 40	राजस्थान में अकाल/अभाव की स्थिति से हुई क्षति
31	प 41	राज्यवार महत्वपूर्ण आर्थिक सूचक

1. महत्वपूर्ण आर्थिक सूचक

सूचक	इकाई	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
1	2	3	4	5	6
1. सकल राज्य घरेलू उत्पाद प्रचलित मूल्यों पर	₹ करोड़	434837	493551	551031	615642
2. सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर (2011–12) मूल्यों पर	₹ करोड़	434837	454564	486230	521509
3. शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद प्रचलित मूल्यों पर	₹ करोड़	395331	446382	494236	551517
4. शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर (2011–12) मूल्यों पर	₹ करोड़	395331	409802	434292	465408
5. प्रति व्यक्ति आय प्रचलित मूल्यों पर	₹	57192	63658	69480	76429
6. प्रति व्यक्ति आय स्थिर (2011–12) मूल्यों पर	₹	57192	58441	61053	64496
7. सकल स्थाई पूंजी निर्माण ⊖	₹ करोड़	147946	161156	194011	200210
8. औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (2011–12=100)		147.66⊕⊕	108.92	115.89	117.98
9. कृषि उत्पादन सूचकांक ** (2005–06 से 2007–08)=100		153.49	147.50	156.16	143.34
10. कुल खाद्यान्न उत्पादन **	000 मै.टन	21925	20060	20719	19643
11. थोक मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 1999–2000=100)		222.67	253.21	259.88	267.97
12. उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ◇					
(i) जयपुर (आधार वर्ष 2001=100)		192	214	230	238
(ii) अजमेर (आधार वर्ष 2001=100)		191	215	233	240
(iii) भीलवाड़ा (आधार वर्ष 2001=100)		192	215	236	245
13. राजकीय स्वास्थ्य संस्थाऐं (आधुनिक चिकित्सा)	संख्या	13867	15212	17538	17553
14. स्कूल शिक्षण संस्थाऐं	संख्या	114371	114299	120174	133400

राज्य घरेलू उत्पाद समंक (1–7) 2011–12 श्रृंखला पर आधारित

◇ कलेण्डर वर्ष से संबंधित

⊕⊕ आधार वर्ष 2004–05=100 कलेण्डर वर्ष से संबंधित

⊖ प्रावधानिक

** कृषि वर्ष से संबंधित है।

लगातार....

1. महत्वपूर्ण आर्थिक सूचक

सूचक	इकाई	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
1	2	7	8	9	10
1. सकल राज्य घरेलू उत्पाद प्रचलित मूल्यों पर	₹ करोड़	681482	760587	832529	911519
2. सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर (2011–12) मूल्यों पर	₹ करोड़	563340	596746	628020	643278
3. शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद प्रचलित मूल्यों पर	₹ करोड़	610713	682626	748490	819185
4. शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर (2011–12) मूल्यों पर	₹ करोड़	501922	529650	557618	568452
5. प्रति व्यक्ति आय प्रचलित मूल्यों पर	₹	83426	91924	98698	106604
6. प्रति व्यक्ति आय स्थिर (2011–12) मूल्यों पर	₹	68565	71324	73529	73975
7. सकल स्थाई पूंजी निर्माण Θ	₹ करोड़	203488	211986	236069	265128
8. औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (2011–12=100)		119.25	122.11	133.08	140.37
9. कृषि उत्पादन सूचकांक** (2005–06 से 2007–08)=100		145.62	175.12	170.17	183.07
10. कुल खाद्यान्न उत्पादन**	000 मै.टन	18288	23140	22105	23160
11. थोक मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 1999–2000=100)		273.55	287.24	292.34	301.74
12. उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ◇					
(i) जयपुर (आधार वर्ष 2001=100)		245	257	268	282
(ii) अजमेर (आधार वर्ष 2001=100)		248	256	260	272
(iii) भीलवाड़ा (आधार वर्ष 2001=100)		259	269	274	278
13. राजकीय स्वास्थ्य संस्थाऐं (आधुनिक चिकित्सा)	संख्या	17550	17556	17564	17536
14. स्कूल शिक्षण संस्थाऐं	संख्या	135338	134077	98160	83742

राज्य घरेलू उत्पाद समंक (1–7) 2011–12 श्रृंखला पर आधारित

◇ कलेण्डर वर्ष से संबंधित

** कृषि वर्ष से संबंधित है

Θ प्रावधानिक

लगातार....

1. महत्वपूर्ण आर्थिक सूचक

सूचक	इकाई	2019-20	2020-21	2021-22		2022-23
1	2	11	12	13		14
1. सकल राज्य घरेलू उत्पाद प्रचलित मूल्यों पर	₹ करोड़	998679	1019442*	1218193#		1413620$
2. सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर (2011–12) मूल्यों पर	₹ करोड़	676785	663515*	738922#		799449$
3. शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद प्रचलित मूल्यों पर	₹ करोड़	898116	907861*	1084845#		1259527$
4. शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर (2011–12) मूल्यों पर	₹ करोड़	596689	576789*	642668#		694771$
5. प्रति व्यक्ति आय प्रचलित मूल्यों पर	₹	115360	115122*	135962#		156149$
6. प्रति व्यक्ति आय स्थिर (2011–12) मूल्यों पर	₹	76643	73140*	80545#		86134$
7. सकल स्थाई पूंजी निर्माण ϴ	₹ करोड़	278112	273910	346844		उ. न.
8. औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (2011–12=100)		126.90	122.34	133.97		134.65##
9. कृषि उत्पादन सूचकांक** (2005–06) से 2007–08)=100		202.56	207.85	201.40		उ. न.
10. कुल खाद्यान्न उत्पादन**	000 मै.टन	26635	27324	23152		उ. न.
11. राजकीय स्वास्थ्य संस्थाऐं (आधुनिक चिकित्सा)	संख्या	17536	17765	17774		17796ø
12. स्कूल शिक्षण संस्थाऐं	संख्या	84664	84885	86712		88823ø
13. थोक मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 1999–2000=100)		316.00	337.70	371.22		388.29ø
14. उपभोक्ता मूल्य सूचकांक		आधार वर्ष 2001=100	आधार वर्ष 2001=100	आधार वर्ष 2016=100	आधार वर्ष 2016=100	
(i) अजमेर (आधार वर्ष 2001=100)		296	300Ψ	-	-	-
(ii) जयपुर (आधार वर्ष 2001=100)		320	325Ψ	114.6^	116.5	124.8ø
(iii) भीलवाड़ा (आधार वर्ष 2001=100)		301	308Ψ	116.0^	120.1	128.4ø
(iv) अलवर (आधार वर्ष 2001=100)		-	-	117.3^	123.0	126.8ø

राज्य घरेलू उत्पाद समंक (1–7) 2011–12 श्रृंखला पर आधारित
उ.न. उपलब्ध नहीं
** कृषि वर्ष से संबंधित है
ϴ प्रावधानिक

* संशोधित अनुमान-II
\# संशोधित अनुमान-I
$ अग्रिम अनुमान
\## अक्टूबर 2022 तक (प्रावधानिक)

ø नवम्बर, 2022 तक
Ψ अप्रैल से अगस्त, 2020
^ सितम्बर से मार्च 2021

2. सकल/शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद एवं प्रति व्यक्ति आय

वर्ष	सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ करोड़)		शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद (₹ करोड़)		प्रति व्यक्ति आय (₹)	
	प्रचलित	स्थिर	प्रचलित	स्थिर	प्रचलित	स्थिर
1	2	3	4	5	6	7
2004-05	127746	127746	112636	112636	18565	18565
2005-06	142236	136285	125333	120202	20275	19445
2006-07	171043	152189	151428	134350	24055	21342
2007-08	194822	160017	172250	140471	26882	21922
2008-09	230949	174556	203939	152284	31279	23356
2009-10	265825	186245	233767	161159	35254	24304
2010-11	338348	213079	300907	185366	44644	27502
2011-12	434837	434837	395331	395331	57192	57192
2012-13	493551	454564	446382	409802	63658	58441
2013-14	551031	486230	494236	434292	69480	61053
2014-15	615642	521509	551517	465408	76429	64496
2015-16	681482	563340	610713	501922	83426	68565
2016-17	760587	596746	682626	529650	91924	71324
2017-18	832529	628020	748490	557618	98698	73529
2018-19	911519	643278	819185	568452	106604	73975
2019-20	998679	676785	898116	596689	115360	76643
2020-21*	1019442	663515	907861	576789	115122	73140
2021-22#	1218193	738922	1084845	642668	135962	80545
2022-23$	1413620	799449	1259527	694771	156149	86134

* संशोधित अनुमान–II

\# संशोधित अनुमान-I

$ अग्रिम अनुमान

राज्य घरेलू उत्पाद समंक 2004–05 से 2010–11, 2004–05 श्रृंखला पर आधारित

राज्य घरेलू उत्पाद समंक 2011–12 से 2022–23, 2011–12 श्रृंखला पर आधारित

3. प्रचलित बुनियादी मूल्यों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन

(₹ करोड़)

क्षेत्र	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21*	2021-22#	2022-23$
1	2	3	4	5	6	7
1. फसलें	92472	103966	128555	137394	159500	174538
2. पशुपालन	89678	94674	110114	132564	147660	176111
3. वानिकी	22986	22557	21115	21424	24991	27332
4. मत्स्य पालन	784	864	947	966	1163	1457
5. खनन	55792	28382	26990	32618	40492	45112
6. विनिर्माण	82415	96323	105767	105096	130817	147733
7. विद्युत, गैस तथा जल आपूर्ति एवं उपयोगी सेवाएं	27310	26686	31208	35903	39278	47885
i विद्युत, गैस एवं अन्य उपयोगी सेवाए	24171	22986	27580	32149	35235	42958
ii जल आपूर्ति	3139	3701	3628	3755	4043	4927
8. निर्माण	64713	74322	80313	78034	100696	117304
9. व्यापार, होटल तथा जलपान गृह	98664	114277	124927	100696	125300	158750
i व्यापार तथा मरम्मत सेवाएं	94111	108995	119411	98146	121691	154334
ii होटल तथा जलपान गृह	4553	5282	5517	2550	3609	4417
10. रेलवे	5336	5853	4955	5016	6175	7682
11. अन्य परिवहन	26339	30224	30244	23898	28433	34270
12. भंडारण	206	486	532	517	625	750
13. संचार	12162	12754	14792	16209	19952	24820
14. वित्तीय सेवाएं	29100	34172	38277	41370	46458	53148
15. स्थावर सम्पदा, आवासीय गृहों का स्वामित्व, वैधानिक एवं व्यावसायिक सेवाएं	87454	97015	102946	105416	123639	141117
16. लोक प्रशासन	24071	30102	29576	32045	37116	40528
17. अन्य सेवाएं	68232	86435	92937	87325	101819	112212
बुनियादी मूल्यों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन	787715	859091	944197	956492	1134115	1310750
कृषि क्षेत्र	205920	222061	260732	292349	333313	379439
उद्योग क्षेत्र	230230	225713	244278	251652	311283	358034
सेवा क्षेत्र	351566	411317	439188	412491	489518	573277

राज्य घरेलू उत्पाद समंक 2017–18 से 2022–23, 2011–12 श्रृंखला पर आधारित
* संशोधित अनुमान–II
# संशोधित अनुमान-I
$ अग्रिम अनुमान
पूर्णांकन के कारण योग मिलान नहीं है।

4. प्रचलित बुनियादी मूल्यों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन का क्षेत्रवार अंशदान

(प्रतिशत)

क्षेत्र	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21*	2021-22#	2022-23$
1	2	3	4	5	6	7
1. फसलें	11.74	12.10	13.62	14.36	14.06	13.32
2. पशुपालन	11.38	11.02	11.66	13.86	13.02	13.44
3. वानिकी	2.92	2.63	2.24	2.24	2.20	2.09
4. मत्स्य पालन	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.11
5. खनन	7.08	3.30	2.86	3.41	3.57	3.44
6. विनिर्माण	10.46	11.21	11.20	10.99	11.53	11.27
7. विद्युत, गैस तथा जल आपूर्ति एवं उपयोगी सेवाऍं	3.47	3.11	3.31	3.75	3.46	3.65
i विद्युत, गैस एवं अन्य उपयोगी सेवाऍं	3.07	2.68	2.92	3.36	3.11	3.28
ii जल आपूर्ति	0.40	0.43	0.38	0.39	0.36	0.38
8. निर्माण	8.22	8.65	8.51	8.16	8.88	8.95
9. व्यापार, होटल तथा जलपान गृह	12.53	13.30	13.23	10.53	11.05	12.11
i व्यापार तथा मरम्मत सेवाएं	11.95	12.69	12.65	10.26	10.73	11.77
ii होटल तथा जलपान गृह	0.58	0.61	0.58	0.27	0.32	0.34
10. रेलवे	0.68	0.68	0.52	0.52	0.54	0.59
11. अन्य परिवहन	3.34	3.52	3.20	2.50	2.51	2.61
12. भंडारण	0.03	0.06	0.06	0.05	0.06	0.06
13. संचार	1.54	1.48	1.57	1.69	1.76	1.89
14. वित्तीय सेवाऐं	3.69	3.98	4.05	4.33	4.10	4.05
15. स्थावर सम्पदा, आवासीय गृहों का स्वामित्व, वैधानिक एवं व्यावसायिक सेवाऐं	11.10	11.29	10.90	11.02	10.90	10.77
16. लोक प्रशासन	3.06	3.50	3.13	3.35	3.27	3.09
17. अन्य सेवाऐं	8.66	10.06	9.84	9.13	8.98	8.56
बुनियादी मूल्यों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
कृषि क्षेत्र	26.14	25.85	27.61	30.56	29.39	28.95
उद्योग क्षेत्र	29.23	26.27	25.87	26.31	27.45	27.31
सेवा क्षेत्र	44.63	47.88	46.52	43.13	43.16	43.74

राज्य घरेलू उत्पाद समंक 2017–18 से 2022–23, 2011–12 श्रृंखला पर आधारित

* संशोधित अनुमान–II

संशोधित अनुमान-I

$ अग्रिम अनुमान

पूर्णांकन के कारण योग मिलान नहीं है।

5. प्रचलित बुनियादी मूल्यों पर क्षेत्रवार सकल राज्य मूल्य वर्धन की वृद्धि दर

(प्रतिशत)

क्षेत्र	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21*	2021-22#	2022-23$
1	2	3	4	5	6	7
1. फसलें	-8.95	12.43	23.65	6.88	16.09	9.43
2. पशुपालन	18.59	5.57	16.31	20.39	11.39	19.27
3. वानिकी	-5.92	-1.87	-6.39	1.46	16.65	9.37
4. मत्स्य पालन	11.42	10.17	9.59	2.03	20.30	25.36
5. खनन	9.49	-49.13	-4.90	20.85	24.14	11.41
6. विनिर्माण	4.63	16.88	9.80	-0.63	24.47	12.93
7. विद्युत, गैस तथा जल आपूर्ति एवं उपयोगी सेवाऍं	16.31	-2.28	16.94	15.05	9.40	21.91
i विद्युत, गैस एवं अन्य उपयोगी सेवाऍं	17.34	-4.90	19.99	16.57	9.60	21.92
ii जल आपूर्ति	8.96	17.89	-1.97	3.50	7.69	21.86
8. निर्माण	8.81	14.85	8.06	-2.84	29.04	16.49
9. व्यापार, होटल तथा जलपान गृह	15.87	15.82	9.32	-19.40	24.43	26.70
i व्यापार तथा मरम्मत सेवाएं	16.11	15.81	9.56	-17.81	23.99	26.82
ii होटल तथा जलपान गृह	11.15	16.01	4.44	-53.77	41.51	22.37
10. रेलवे	-6.65	9.69	-15.34	1.23	23.10	24.40
11. अन्य परिवहन	8.64	14.75	0.07	-20.98	18.98	20.53
12. भंडारण	23.38	135.78	9.57	-2.90	20.98	19.90
13. संचार	-4.75	4.87	15.98	9.58	23.10	24.40
14. वित्तीय सेवाऐं	41.67	17.43	12.01	8.08	12.30	14.40
15. स्थावर सम्पदा, आवासीय गृहों का स्वामित्व,वैधानिक एवं व्यावसायिक सेवाऐं	11.23	10.93	6.11	2.40	17.29	14.14
16. लोक प्रशासन	5.80	25.05	-1.75	8.35	15.83	9.19
17. अन्य सेवाऐं	19.67	26.68	7.52	-6.04	16.60	10.21
बुनियादी मूल्यों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन	9.11	9.06	9.91	1.30	18.57	15.57
कृषि क्षेत्र	1.78	7.84	17.41	12.13	14.01	13.84
उद्योग क्षेत्र	8.25	-1.96	8.22	3.02	23.70	15.02
सेवा क्षेत्र	14.53	17.00	6.78	-6.08	18.67	17.11

* संशोधित अनुमान–II

\# संशोधित अनुमान–I

$ अग्रिम अनुमान

राज्य घरेलू उत्पाद समंक 2017–18 से 2022–23, 2011–12 श्रृंखला पर आधारित

6. स्थिर (2011–12) बुनियादी मूल्यों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन

(₹ करोड़)

क्षेत्र	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21*	2021-22#	2022-23$
1	2	3	4	5	6	7
1. फसलें	72618	77611	87260	85836	90997	96811
2. पशुपालन	56496	59738	68857	79579	86932	90331
3. वानिकी	18984	18653	19116	19803	19963	20998
4. मत्स्य पालन	593	613	638	661	721	849
5. खनन	59872	21363	18112	21164	22833	23680
6. विनिर्माण	73337	82654	90513	88813	99500	104461
7. विद्युत, गैस तथा जल आपूर्ति एवं उपयोगी सेवाएं	11027	11903	12076	12378	13086	14285
i विद्युत, गैस एवं अन्य उपयोगी सेवाएं	8742	9323	9704	10031	10719	11551
ii जल आपूर्ति	2285	2580	2372	2347	2367	2733
8. निर्माण	47651	50077	52651	49679	56050	61151
9. व्यापार, होटल तथा जलपान गृह	67036	75901	78784	60811	72634	86967
i व्यापार तथा मरम्मत सेवाएं	63943	72393	75305	59270	70541	84548
ii होटल तथा जलपान गृह	3093	3508	3479	1540	2092	2419
10. रेलवे	4023	4326	3010	2462	2736	3110
11. अन्य परिवहन	21105	23342	23000	16225	17929	20559
12. भंडारण	140	323	336	312	363	410
13. संचार	9749	9846	11236	11012	12581	14890
14. वित्तीय सेवाएं	25058	27510	29235	31353	32670	34761
15. स्थावर सम्पदा, आवासीय गृहों का स्वामित्व, वैधानिक एवं व्यावसायिक सेवाएं	59785	61917	63670	63076	70647	77293
16. लोक प्रशासन	17266	20980	19701	20507	22821	23493
17. अन्य सेवाएं	45268	53704	55022	50238	57223	59224
बुनियादी मूल्यों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन	590008	600462	633217	613909	679686	733273
कृषि क्षेत्र	148692	156615	175872	185879	198614	208989
उद्योग क्षेत्र	191886	165997	173352	172034	191470	203576
सेवा क्षेत्र	249430	277849	283993	255996	289602	320708

राज्य घरेलू उत्पाद समंक 2017–18 से 2022–23, 2011–12 श्रृंखला पर आधारित

* संशोधित अनुमान–II

संशोधित अनुमान-I

$ अग्रिम अनुमान

पूर्णांकन के कारण योग मिलान नहीं है।

7. स्थिर (2011–12) बुनियादी मूल्यों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन का क्षेत्रवार अंशदान

(प्रतिशत)

क्षेत्र	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21*	2021-22#	2022-23$
1	2	3	4	5	6	7
1. फसलें	12.31	12.93	13.78	13.98	13.39	13.20
2. पशुपालन	9.58	9.95	10.87	12.96	12.79	12.32
3. वानिकी	3.22	3.11	3.02	3.23	2.94	2.86
4. मत्स्य पालन	0.10	0.10	0.10	0.11	0.11	0.12
5. खनन	10.15	3.56	2.86	3.45	3.36	3.23
6. विनिर्माण	12.43	13.77	14.29	14.47	14.64	14.25
7. विद्युत, गैस तथा जल आपूर्ति एवं उपयोगी सेवाएं	1.87	1.98	1.91	2.02	1.93	1.95
i विद्युत, गैस एवं अन्य उपयोगी सेवाएं	1.48	1.55	1.53	1.63	1.58	1.58
ii जल आपूर्ति	0.39	0.43	0.37	0.38	0.35	0.37
8. निर्माण	8.08	8.34	8.31	8.09	8.25	8.34
9. व्यापार, होटल तथा जलपान गृह	11.36	12.64	12.44	9.91	10.69	11.86
i व्यापार तथा मरम्मत सेवाएं	10.84	12.06	11.89	9.65	10.38	11.53
ii होटल तथा जलपान गृह	0.52	0.58	0.55	0.25	0.31	0.33
10. रेलवे	0.68	0.72	0.48	0.40	0.40	0.42
11. अन्य परिवहन	3.58	3.89	3.63	2.64	2.64	2.80
12. भंडारण	0.02	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06
13. संचार	1.65	1.64	1.77	1.79	1.85	2.03
14. वित्तीय सेवाएं	4.25	4.58	4.62	5.11	4.81	4.74
15. स्थावर सम्पदा, आवासीय गृहों का स्वामित्व, वैधानिक एवं व्यावसायिक सेवाएं	10.13	10.31	10.05	10.27	10.39	10.54
16. लोक प्रशासन	2.93	3.49	3.11	3.34	3.36	3.20
17. अन्य सेवाएं	7.67	8.94	8.69	8.18	8.42	8.08
बुनियादी मूल्यों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
कृषि क्षेत्र	25.20	26.08	27.77	30.28	29.22	28.50
उद्योग क्षेत्र	32.52	27.65	27.38	28.02	28.17	27.76
सेवा क्षेत्र	42.28	46.27	44.85	41.70	42.61	43.74

राज्य घरेलू उत्पाद समंक 2017–18 से 2022–23, 2011–12 श्रृंखला पर आधारित पूर्णांकन के कारण योग मिलान नहीं है।

* संशोधित अनुमान–II
# संशोधित अनुमान-I
$ अग्रिम अनुमान

8. स्थिर (2011–12) बुनियादी मूल्यों पर क्षेत्रवार सकल राज्य मूल्य वर्धन की वृद्धि दर

(प्रतिशत)

क्षेत्र	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21*	2021-22#	2022-23$
1	2	3	4	5	6	7
1. फसलें	-4.39	6.88	12.43	-1.63	6.01	6.39
2. पशुपालन	8.10	5.74	15.27	15.57	9.24	3.91
3. वानिकी	-5.21	-1.75	2.48	3.60	0.81	5.18
4. मत्स्य पालन	7.65	3.36	4.11	3.48	9.19	17.65
5. खनन	2.06	-64.32	-15.22	16.85	7.88	3.71
6. विनिर्माण	2.08	12.71	9.51	-1.88	12.03	4.99
7. विद्युत, गैस तथा जल आपूर्ति एवं उपयोगी सेवाएं	11.21	7.95	1.46	2.50	5.72	9.16
i विद्युत, गैस एवं अन्य उपयोगी सेवाएं	12.55	6.65	4.08	3.37	6.86	7.76
ii जल आपूर्ति	6.39	12.93	-8.04	-1.08	0.85	15.50
8. निर्माण	2.80	5.09	5.14	-5.65	12.83	9.10
9. व्यापार, होटल तथा जलपान गृह	12.28	13.22	3.80	-22.81	19.44	19.73
i व्यापार तथा मरम्मत सेवाएं	12.51	13.21	4.02	-21.29	19.02	19.86
ii होटल तथा जलपान गृह	7.71	13.41	-0.83	-55.73	35.83	15.65
10. रेलवे	-8.54	7.54	-30.41	-18.21	11.10	13.70
11. अन्य परिवहन	6.02	10.60	-1.47	-29.46	10.50	14.67
12. भंडारण	19.55	130.51	4.04	-7.02	16.13	13.04
13. संचार	-7.15	1.00	14.11	-1.99	14.25	18.36
14. वित्तीय सेवाएं	31.50	9.78	6.27	7.24	4.20	6.40
15. स्थावर सम्पदा, आवासीय गृहों का स्वामित्व, वैधानिक एवं व्यावसायिक सेवाएं	4.51	3.57	2.83	-0.93	12.00	9.41
16. लोक प्रशासन	2.22	21.51	-6.10	4.09	11.29	2.94
17. अन्य सेवाएं	13.87	18.64	2.45	-8.70	13.90	3.50
बुनियादी मूल्यों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन	4.78	1.77	5.45	-3.05	10.71	7.88
कृषि क्षेत्र	-0.07	5.33	12.30	5.69	6.85	5.22
उद्योग क्षेत्र	2.73	-13.49	4.43	-0.76	11.30	6.32
सेवा क्षेत्र	9.62	11.39	2.21	-9.86	13.13	10.74

राज्य घरेलू उत्पाद समंक 2017–18 से 2022–23, 2011–12 श्रृंखला पर आधारित

* संशोधित अनुमान–II
# संशोधित अनुमान-I
$ अग्रिम अनुमान

9. प्रचलित बुनियादी मूल्यों पर शुद्ध राज्य मूल्य वर्धन

(₹ करोड़)

क्षेत्र	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21*	2021-22#	2022-23$
1	2	3	4	5	6	7
1. फसलें	80020	90466	113803	121156	140649	153909
2. पशुपालन	88595	93537	108921	131145	146079	174226
3. वानिकी	22768	22349	20929	21230	24765	27085
4. मत्स्य पालन	727	803	880	893	1074	1346
5. खनन	47070	23939	22162	25884	32133	35798
6. विनिर्माण	66918	78999	87772	86151	107235	121102
7. विद्युत, गैस तथा जल आपूर्ति एवं उपयोगी सेवाएं	18877	18144	21666	24346	26634	32470
i विद्युत, गैस एवं अन्य उपयोगी सेवाएं	17109	15965	19602	22229	24354	29692
ii जल आपूर्ति	1768	2179	2064	2117	2279	2778
8. निर्माण	60541	69406	74272	71259	91953	107119
9. व्यापार, होटल तथा जलपान गृह	93908	107890	117833	93006	115639	146543
i व्यापार तथा मरम्मत सेवाएं	89873	103211	112989	91171	113043	143366
ii होटल तथा जलपान गृह	4036	4680	4844	1835	2596	3177
10. रेलवे	4253	4588	3608	3591	4421	5500
11. अन्य परिवहन	21439	24623	23718	17189	20405	24586
12. भंडारण	173	443	483	464	562	673
13. संचार	8441	8255	9617	10476	12895	16041
14. वित्तीय सेवाएं	28552	33393	37405	40369	45334	51862
15. स्थावर सम्पदा, आवासीय गृहों का स्वामित्व, वैधानिक एवं व्यावसायिक सेवाएं	77107	83773	88684	89859	105392	120291
16. लोक प्रशासन	19812	24899	24628	26591	30800	33631
17. अन्य सेवाएं	64475	81248	87255	81302	94797	104472
बुनियादी मूल्यों पर शुद्ध राज्य मूल्य वर्धन	703676	766756	843634	844911	1000766	1156657
कृषि क्षेत्र	192110	207156	244532	274425	312567	356567
उद्योग क्षेत्र	193406	190488	205872	207639	257954	296489
सेवा क्षेत्र	318160	369113	393231	362847	430244	503601

राज्य घरेलू उत्पाद समंक 2017–18 से 2022–23, 2011–12 श्रृंखला पर आधारित पूर्णांकन के कारण योग मिलान नहीं है।

* संशोधित अनुमान–II
\# संशोधित अनुमान-I
$ अग्रिम अनुमान

10. स्थिर (2011–12) बुनियादी मूल्यों पर शुद्ध राज्य मूल्य वर्धन

(₹ करोड़)

क्षेत्र	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21*	2021-22#	2022-23$
1	2	3	4	5	6	7
1. फसलें	63427	67928	77047	75035	79546	84628
2. पशुपालन	55603	58858	67937	78513	85768	89122
3. वानिकी	18806	18493	18973	19659	19818	20845
4. मत्स्य पालन	542	560	582	600	655	771
5. खनन	52873	17912	14477	16249	17530	18180
6. विनिर्माण	59772	68018	75555	73305	82126	86221
7. विद्युत, गैस तथा जल आपूर्ति एवं उपयोगी सेवाएं	3653	4670	4045	2874	3039	3317
i विद्युत, गैस एवं अन्य उपयोगी सेवाएं	2366	3151	2695	1551	1704	1776
ii जल आपूर्ति	1287	1519	1350	1323	1334	1541
8. निर्माण	43690	45541	47083	43476	49052	53516
9. व्यापार, होटल तथा जलपान गृह	63002	70729	73104	54798	65384	78310
i व्यापार तथा मरम्मत सेवाएं	60346	67705	70161	53816	64050	76768
ii होटल तथा जलपान गृह	2656	3024	2943	982	1334	1543
10. रेलवे	3123	3319	1961	1380	1533	1743
11. अन्य परिवहन	16725	18425	17539	10958	12079	13847
12. भंडारण	113	289	296	272	315	357
13. संचार	6603	6154	7066	6416	7330	8676
14. वित्तीय सेवाएं	24591	26871	28532	30556	31839	33877
15. स्थावर सम्पदा, आवासीय गृहों का स्वामित्व, वैधानिक एवं व्यावसायिक सेवाएं	51491	51799	52866	51527	57712	63141
16. लोक प्रशासन	13508	16555	15565	16043	17854	18379
17. अन्य सेवाएं	42084	49517	50493	45522	51852	53665
बुनियादी मूल्यों पर शुद्ध राज्य मूल्य वर्धन	519606	525635	553121	527183	583432	628595
कृषि क्षेत्र	138378	145839	164539	173807	185787	195366
उद्योग क्षेत्र	159988	136140	141160	135904	151747	161234
सेवा क्षेत्र	221240	243657	247422	217472	245898	271995

राज्य घरेलू उत्पाद समंक 2017–18 से 2022–23, 2011–12 श्रृंखला पर आधारित पूर्णांकन के कारण योग मिलान नहीं है।

* संशोधित अनुमान–II
# संशोधित अनुमान-I
$ अग्रिम अनुमान

11. सकल स्थाई पूँजी निर्माण

(₹ करोड़)

वर्ष	सार्वजनिक क्षेत्र	निजी क्षेत्र	कुल
1	2	3	4
2004-05	8885	35948	44833
2005-06	9886	41492	51378
2006-07	15010	49363	64373
2007-08	25108	51051	76159
2008-09	29272	59479	88751
2009-10	34305	61727	96032
2010-11	47873	76044	123917
2011-12	27257	120689	147946
2012-13	33395	127761	161156
2013-14	47062	146949	194011
2014-15	51480	148730	200210
2015-16	56170	147318	203488
2016-17	59279	152707	211986
2017-18	61168	174901	236069
2018-19	66545	198583	265128
2019-20	64783	213329	278112
2020-21	65358	208552	273910
2021-22	82576	264269	346844

पूर्णांकन के कारण योग मिलान नहीं है।
वर्ष 2011–12 से वर्ष 2021–22 तक प्रावधानिक है।

12. बजट–अधिशेष (+)/घाटा (–)

(₹ करोड़)

वर्ष	राजस्व–अधिशेष (+)/घाटा (-)	बजट–अधिशेष (+)/घाटा (-)	प्रारम्भिक–अधिशेष (+) /घाटा (-)	राजकोषीय घाटा
1	2	3	4	5
2004-05	-2142.60	-124.92	-973.98	6145.98
2005-06	-660.02	205.75	59.93	5150.07
2006-07	638.38	272.13	1732.09	3969.73
2007-08	1652.98	-921.29	2534.62	3408.37
2008-09	-826.75	544.70	-749.07	6973.32
2009-10	-4747.18	-206.42	-3529.66	10298.79
2010-11	1054.86	546.98	3242.95	4126.05
2011-12	3357.45	61.79	4265.96	3625.86
2012-13	3451.22	-78.23	-194.46	8534.51
2013-14	-1039.21	49.10	-6126.08	15189.28
2014- 15	-3215.06	24.91	-8536.62	18999.51
2015-16*	-5954.12	458.02	-51061.65	63069.96
2015-16#	-5954.12	458.02	-11011.89	23020.19
2016-17*	-18114.14	-491.44	-28641.01	46317.95
2016-17#	-9114.14	-491.44	-6268.82	23945.75
2017-18*	-18534.34	6.79	-5621.62	25341.61
2017-18#	-6534.34	6.79	-5621.62	25341.61
2018-19*	-28900.16	-81.36	-12777.72	34472.92
2018-19#	-16900.16	-81.36	-12777.72	34472.92
2019-20*	-36371.30	98.84	-14011.09	37654.36
2019-20#	-22554.83	98.84	-14011.09	37654.36
2020-21	-44001.52	-82.08	-34173.61	59375.42
2021-22 (स.अ.)	-35689.36	34.44	-33759.97	62015.01
2022-23(ब.अ.)	-23488.56	119.39	-29373.44	58211.55

सं. अ. संशोधित अनुमान   * उदय योजना सहित

ब. अ. बजट अनुमान   # उदय योजना रहित

13. बजट (प्राप्तियां)

(₹ करोड़)

वर्ष	राजस्व प्राप्तियां			विविध पूंजीगत प्राप्तियां
	कर राजस्व	कर भिन्न राजस्व	केन्द्रीय सहायता	
1	2	3	4	5
2004-05	12720.43	2146.15	2897.01	-
2005-06	15180.31	2737.67	2921.21	0.81
2006-07	18368.61	3430.61	3792.96	-
2007-08	21802.33	4053.93	4924.36	1.16
2008-09	23942.22	3888.46	5638.17	4.21
2009-10	25672.41	4558.22	5154.39	8.94
2010-11	33613.75	6294.12	6020.33	13.42
2011-12	40354.10	9175.10	7481.56	15.73
2012-13	47605.50	12133.59	7173.92	8.12
2013-14	52150.77	13575.25	8744.36	10.27
2014- 15	58489.91	13229.50	19607.50	14.57
2015-16	70628.85	10927.88	18728.40	24.34
2016-17	77927.52	11615.56	19482.91	27.84
2017-18	87633.42	15733.72	23940.04	16.61
2018-19	99232.69	18603.01	20037.32	20.13
2019-20	95294.12	15714.15	29105.53	20.42
2020-21	95859.21	13653.02	24795.65	14.08
2021-22(सं. अ.)	127594.32	18547.38	43289.78	52.96
2022-23(बं. अ.)	147504.96	22154.66	45317.61	15.00

सं. अ. संशोधित अनुमान

ब. अ. बजट अनुमान

लगातार...

13. बजट (प्राप्तियां)

(₹ करोड़)

वर्ष	राजस्व प्राप्तियों के अतिरिक्त प्राप्तियां				कुल प्राप्तियां
	लोक ऋण	ऋण एवं अग्रिम	आकस्मिक निधि	सार्वजनिक लेखा (शुद्ध)	
1	6	7	8	9	10
2004-05	11791.40	124.63	0.00	911.21	30590.82
2005-06	5495.30	237.61	0.00	853.20	27426.11
2006-07	4222.14	513.90	0.00	1800.14	32128.36
2007-08	5063.33	1780.73	0.00	-730.44	36895.40
2008-09	7477.87	89.23	165.00	2472.78	43677.94
2009-10	8796.42	112.00	0.00	4241.02	48543.40
2010-11	7977.35	318.41	0.00	12.92	54250.30
2011-12	5918.40	1229.31	0.00	1259.66	65433.87
2012-13	9955.00	1101.56	0.00	3207.99	81185.68
2013-14	14491.44	315.53	0.00	4862.56	94150.18
2014- 15	18140.82	1004.44	300.00	5843.65	116630.39
2015-16*	60998.17	1447.34	0.00	7488.84	170243.81
2015-16#	20948.40	1447.34	0.00	7488.84	130194.04
2016-17*	43888.85	1713.52	0.00	6952.22	161608.44
2016-17#	21516.66	1713.52	0.00	6952.22	139236.24
2017-18*	28556.57	15133.41	0.00	8465.50	179479.26
2017-18#	28556.57	133.41	0.00	8465.50	164479.26
2018-19*	37846.81	15158.42	0.00	13459.55	204357.92
2018-19#	37846.81	158.42	0.00	13459.55	189357.92
2019-20*	46173.72	15669.75	0.00	11612.16	213589.86
2019-20#	46173.72	947.79	0.00	11612.16	198867.89
2020-21	89964.00	373.53	0.00	10352.32	235011.81
2021-22 (सं. अ.)	118824.95	2326.18	500.00	7993.11	319128.69
2022-23 (ब. अ.)	122818.82	264.26	0.00	8226.91	346302.22

सं. अ. संशोधित अनुमान

ब. अ. बजट अनुमान

* उदय योजना सहित

उदय योजना रहित

14. बजट (व्यय)

(₹ करोड़)

वर्ष	राजस्व व्यय					पूँजीगत परिव्यय				
	आयोजना भिन्न	आयोजना	केन्द्रीय प्रवर्तित योजना	राज्य निधि	कुल	आयोजना भिन्न	आयोजना	केन्द्रीय प्रवर्तित योजना	राज्य निधि	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2004-05	17164.22	2236.68	505.29	_	19906.19	67.79	3044.93	375.57	_	3488.29
2005-06	18367.68	2430.25	701.28	_	21499.21	60.59	3733.80	499.29	_	4293.68
2006-07	21153.68	2910.27	889.85	_	24953.80	141.78	3833.26	834.31	_	4809.35
2007-08	23993.98	4094.23	1039.43	_	29127.64	944.28	4576.18	1035.09	_	6555.55
2008-09	28524.99	4361.58	1409.03	_	34295.60	-195.85	4884.25	1211.55	_	5899.95
2009-10	33845.30	5027.69	1259.20	_	40132.19	-644.60	5275.61	543.72	_	5174.73
2010-11	36120.68	6938.75	1813.91	_	44873.34	20.06	4954.05	276.51	_	5250.62
2011-12	41237.77	10457.85	1957.69	_	53653.31	16.33	6828.25	274.67	_	7119.25
2012-13	49226.49	12105.71	2129.59	_	63461.79	1.36	10301.24	380.98	_	10683.58
2013-14	58145.26	15153.39	2210.94	_	75509.59	-12.23	13308.77	368.12	_	13664.66
2014-15	67098.09	27443.88	0.00	_	94541.97	15.31	16087.37	0.00	_	16102.69
2015-16*	74601.35	31637.88	0.00	_	106239.23	-9.75	21995.01	0.00	_	21985.26
2015-16#	74601.35	31637.88	0.00	_	106239.23	-9.75	16295.01	0.00	_	16285.26
2016-17*	79657.59	47482.55	0.00	_	127140.14	12.26	16967.46	0.00	_	16979.72
2016-17#	79657.59	38482.55	0.00	_	118140.14	12.26	13967.46	0.00	_	13979.72
2017-18*	0.00	0.00	0.00	145841.52	145841.52	0.00	0.00	0.00	20623.28	20623.28
2017-18#	0.00	0.00	0.00	133841.52	133841.52	0.00	0.00	0.00	17623.28	17623.28
2018-19*	0.00	0.00	0.00	166773.19	166773.19	0.00	0.00	0.00	19638.20	19638.20
2018-19#	0.00	0.00	0.00	154773.19	154773.19	0.00	0.00	0.00	16638.20	16638.20
2019-20*	0.00	0.00	0.00	176485.10	176485.10	0.00	0.00	0.00	14718.05	14718.05
2019-20#	0.00	0.00	0.00	162668.63	162668.63	0.00	0.00	0.00	13812.56	13812.56
2020-21	0.00	0.00	0.00	178309.41	178309.41	0.00	0.00	0.00	15270.49	15270.49
2021-22 (सं.अ.)	0.00	0.00	0.00	225120.84	225120.84	0.00	0.00	0.00	28088.25	28088.25
2022-23 (ब.अ.)	0.00	0.00	0.00	238465.79	238465.79	0.00	0.00	0.00	34809.26	34809.26

सं. अ. संशोधित अनुमान   * उदय योजना सहित

ब. अ. बजट अनुमान   # उदय योजना रहित

लगातार...

14. बजट (व्यय)

(₹ करोड़)

वर्ष	लोक ऋण	ऋण एवं अग्रिम	आकस्मिक निधि	कुल पूँजीगत व्यय	कुल व्यय
1	12	13	14	15	16
2004-05	6681.55	639.72	0.00	10809.56	30715.75
2005-06	992.48	434.18	0.00	5720.34	27219.55
2006-07	1780.43	312.65	0.00	6902.43	31856.23
2007-08	1845.81	287.69	0.00	8689.05	37816.69
2008-09	2432.63	340.06	165.00	8837.64	43133.24
2009-10	2945.08	497.82	0.00	8617.63	48749.82
2010-11	3317.24	262.12	0.00	8829.98	53703.32
2011-12	3490.42	1109.10	0.00	11718.77	65372.08
2012-13	4706.71	2411.83	0.00	17802.12	81263.91
2013-14	4115.62	811.21	0.00	18591.49	94101.08
2014- 15	4960.04	700.78	300.00	22063.51	116605.48
2015-16*	4959.03	36602.26	0.00	63546.55	169785.79
2015-16#	4959.03	2252.49	0.00	23496.78	129736.02
2016-17*	5014.57	12965.45	0.00	34959.74	162099.88
2016-17#	5014.57	2593.26	0.00	21587.54	139727.68
2017-18*	11673.66	1334.01	0.00	33630.95	179472.47
2017-18#	11673.66	1334.01	0.00	30630.95	164472.47
2018-19*	16914.80	1113.09	0.00	37666.10	204439.28
2018-19#	16914.80	1113.09	0.00	34666.10	189439.28
2019-20*	20032.68	2255.19	0.00	37005.92	213491.02
2019-20#	20032.68	2255.19	0.00	36100.43	198769.06
2020-21	41022.98	491.02	0.00	56784.49	235093.90
2021-22 (सं. अ.)	64768.61	616.55	500.00	93973.41	319094.26
2022-23 (ब. अ.)	72714.78	193.00	0.00	107717.04	346182.83

सं. अ. संशोधित अनुमान * उदय योजना सहित

ब. अ. बजट अनुमान # उदय योजना रहित

15. योजनावार व्यय

(₹ करोड़)

क्षेत्र	प्रथम योजना 1951-56	द्वितीय योजना 1956-61	तृतीय योजना 1961-66	वार्षिक योजना 1966-69	चतुर्थ योजना 1969-74	पंचम योजना 1974-79	वार्षिक योजना 1979-80	षष्ठम् योजना 1980-85
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I कृषि एवं सम्बद्ध सेवाएं	2.88	8.26	14.83	10.95	15.60	46.85	20.35	121.42
II ग्रामीण विकास	3.04	12.52	14.48	4.15	3.00	19.24	18.12	123.32
III विशेष क्षेत्रीय कार्यक्रम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IV सिंचाई एवं बाढ़ नियन्त्रण	31.31	27.86	87.88	46.59	105.26	271.17	76.31	553.29
V ऊर्जा	1.24	15.15	39.36	46.82	93.98	248.97	100.00	566.13
VI उद्योग एवं खनिज	0.46	3.37	3.31	2.06	8.55	34.53	11.87	83.65
VII परिवहन	5.55	10.17	9.75	4.41	9.99	84.20	22.57	251.04
VIII वैज्ञानिक सेवाएं	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
IX सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाएं	9.12	25.05	42.86	21.67	72.07	149.05	39.74	419.88
X आर्थिक सेवाएं	0.55	0.11	0.23	0.11	0.34	0.83	0.16	1.50
XI सामान्य सेवाएं	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	2.78	1.07	10.31
योग	**54.15**	**102.74**	**212.70**	**136.76**	**308.79**	**857.62**	**290.19**	**2130.69**

लगातार....

15. योजनावार व्यय

(₹ करोड़)

क्षेत्र		सप्तम् योजना 1985-90	वार्षिक योजना 1990-91	वार्षिक योजना 1991-92	अष्टम् योजना 1992-97	नवम् योजना 1997-02	दशम् योजना 2002-07	ग्यारहवीं योजना 2007-12	बारहवीं योजना 2012-17
1		10	11	12	13	14	15	16	17
I	कृषि एवं सम्बद्ध सेवाएं	203.41	79.56	95.27	1112.14	1050.07	1013.70	5610.22	16162.99
II	ग्रामीण विकास	210.41	73.60	101.84	871.40	1686.42	3004.22	8254.56	34865.23
III	विशेष क्षेत्रीय कार्यक्रम	1.73	0.40	1.00	39.03	149.41	237.67	526.80	1094.68
IV	सिंचाई एवं बाढ़ नियन्त्रण	690.51	177.49	218.14	1836.19	2259.65	3769.83	3760.16	6800.71
V	ऊर्जा	921.77	275.13	347.11	3253.90	5258.06	10699.24	37619.30	123502.63
VI	उद्योग एवं खनिज	145.57	88.72	62.22	638.98	646.79	567.41	888.50	1207.34
VII	परिवहन	142.48	42.40	60.30	868.20	1882.56	3105.56	5228.00	16914.47
VIII	वैज्ञानिक सेवाएं	2.41	1.76	2.46	16.65	10.10	7.17	75.19	160.38
IX	सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाएं	736.26	222.31	278.44	3095.79	6397.50	10164.93	29450.68	107556.70
X	आर्थिक सेवाएं	12.28	5.88	8.08	71.67	84.18	1020.19	1474.64	5949.85
XI	सामान्य सेवाएं	39.35	8.32	9.55	195.02	142.08	361.29	1066.29	3850.75
योग		**3106.18**	**975.57**	**1184.41**	**11998.97**	**19566.82**	**33951.21**	**93954.34**	**318065.73**

16. कार्यक्रमवार बजट व्यय

(₹ करोड़)

क्षेत्र	कार्यक्रमवार बजट व्यय					
	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22*	2022-23#
1	2	3	4	5	6	7
I कृषि एवं सम्बद्ध सेवाएं	3864.85	7288.73	8659.85	10523.36	10990.15	3645.69
II ग्रामीण विकास	12208.62	10413.97	11907.61	10885.57	17486.98	12012.04
III विशेष क्षेत्रीय कार्यक्रम	297.91	189.21	100.08	30.98	52.31	0.00
IV सिंचाई एवं बाढ़ नियन्त्रण	2268.18	2481.55	2560.99	2673.02	3750.77	1765.83
V ऊर्जा	16199.34	25183.88	26691.39	14695.43	24000.27	15905.11
VI उद्योग एवं खनिज	343.03	388.78	449.96	554.70	1389.06	1143.51
VII परिवहन	6027.74	6310.44	5335.53	4575.45	7795.31	3983.70
VIII वैज्ञानिक सेवाएं	16.44	15.44	9.33	8.54	9.74	17.34
IX सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाएं	34269.61	41765.08	42723.58	51641.00	66349.09	44173.29
X आर्थिक सेवाएं	1769.53	2426.15	1504.87	2056.51	2120.75	1230.17
XI सामान्य सेवाएं	852.09	3279.83	3587.61	4227.85	4193.83	3187.76
योग	**78117.34**	**99743.07**	**103530.80**	**101872.43**	**138138.26**	**87064.44**

*अनन्तिम व्यय # नवम्बर 2022 तक

17. राजस्थान के थोक मूल्य सूचकांक

आधार वर्ष (1999–2000=100)

वर्ष	प्राथमिक वस्तु समूह			ईंधन, शक्ति, प्रकाश उपस्नेहक समूह	विनिर्मित समूह	समस्त वस्तुऐं सामान्य सूचकांक
	कृषि	खनिज	संयुक्त			
भार	**29.933**	**3.961**	**33.894**	**16.253**	**49.853**	**100.000**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
2004-05	114.74	110.69	114.27	188.29	118.77	128.54
2005-06	118.29	120.11	118.50	216.78	120.87	135.68
2006-07	132.21	148.56	134.11	229.21	134.47	149.76
2007-08	145.29	153.56	146.26	227.65	149.42	161.06
2008-09	167.37	154.16	165.82	241.06	164.02	177.15
2009-10	182.67	180.05	182.37	239.79	166.00	183.54
2010-11	195.67	207.85	197.09	259.73	179.46	198.48
2011-12	220.38	226.65	221.11	281.16	204.66	222.67
2012-13	272.68	240.99	268.98	307.10	224.91	253.21
2013-14	269.58	252.29	267.57	360.51	221.83	259.88
2014-15	272.04	266.71	271.42	376.64	230.19	267.97
2015-16	291.06	283.91	290.22	372.72	229.89	273.55
2016-17	305.31	297.41	304.39	408.37	236.09	287.24
2017-18	291.61	309.01	293.64	433.14	245.55	292.34
2018-19	298.50	327.21	301.85	464.76	248.52	301.74
2019-20	320.30	339.58	322.55	468.66	261.77	316.00
2020-21	334.70	363.05	338.01	528.61	275.25	337.70
2021-22	392.13	393.50	392.29	575.00	290.47	371.22
2022-23*	419.15	430.28	420.45	579.81	303.98	388.29

* नवम्बर, 2022 तक

नोटः– अप्रैल–मई, 2020 के थोक मूल्य सूचकांक कोरोना–19 महामारी के कारण जारी नहीं किया जा सका।

18. औद्योगिक उत्पादन सूचकांक

कलेण्डर /वित्तीय वर्ष	विनिर्माण क्षेत्र	खनिज क्षेत्र	विद्युत क्षेत्र	सामान्य
1	2	3	4	5
2004	227.69	171.59	271.07	228.88
2005	101.76	110.24	103.04	102.09
2006	109.19	121.17	103.00	108.98
2007	111.71	141.92	101.43	111.62
2008	123.27	154.47	106.55	122.66
2009	140.77	164.96	107.21	138.55
2010	140.83	171.70	132.51	140.92
2011	145.79	193.77	153.17	147.66
2012-13	101.48	128.17	102.51	108.92
2013-14	108.72	134.04	110.67	115.89
2014-15	108.99	132.49	131.11	117.98
2015-16	110.29	134.49	130.53	119.25
2016-17	115.71	135.04	125.32	122.11
2017-18	134.71	132.85	124.96	133.08
2018-19	143.39	134.76	137.70	140.37
2019-20	125.93	125.60	135.15	126.90
2020-21	122.95	119.43	126.10	122.34
2021-22	136.14	124.53	144.93	133.97
2022-23*	140.41	113.29	155.03	134.65

2004 का आधार वर्ष 1993–1994 =100
2005 से 2011 तक आधार वर्ष 2004–2005=100
वर्ष 2012-13 से 2022-23 तक आधार वर्ष 2011–12=10
* अक्टूबर, 2022 तक (प्रावधानिक)

19. संगठित क्षेत्र में रोजगार

(संख्या लाखों में)

वर्ष	सार्वजनिक क्षेत्र	निजी क्षेत्र	योग
1	2	3	4
2004	9.28	2.45	11.73
2005	9.45	2.52	11.97
2006	9.52	2.65	12.17
2007	9.55	2.77	12.32
2008	9.59	2.91	12.50
2009	9.62	3.09	12.71
2010	9.54	3.21	12.75
2011	9.46	3.38	12.84
2012	9.51	3.55	13.06
2013	9.53	3.70	13.23
2014	9.60	3.86	13.46
2015	9.52	4.00	13.52
2016	9.65	4.05	13.70
2017	9.61	4.14	13.74
2018	9.69	4.40	14.08
2019	9.72	4.20	13.92
2020	9.88	4.17	14.05
2021	9.85	4.26	14.11
2022*	9.86	4.32	14.18

पूर्णांकन के कारण योग मिलान नहीं है।
स्त्रोतः रोजगार विभाग के रोजगार बाजार सूचना योजना पर आधारित है।
* सितम्बर, 2022 तक

20. कृषि उत्पादन सूचकांक

आधार वर्ष (2005–06 से 2007–08=100)

कृषि वर्ष	अनाज	दलहन	तिलहन	रेशे (कपास एवं सण)*	मसालें #
भार	**35.476**	**14.857**	**33.021**	**8.850**	**3.053**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
2004-05@	139.45	116.11	212.90	84.82	165.00
2005-06@	129.33	77.35	232.41	97.66	118.58
2006-07@	174.83	128.01	201.53	82.84	149.32
2007-08	113.27	118.75	83.45	103.90	134.62
2008-09	115.95	139.32	102.94	87.49	131.80
2009-10	95.48	53.38	87.16	108.85	143.47
2010-11	158.68	247.10	130.11	103.27	172.84
2011-12	152.73	181.05	116.72	208.57	245.51
2012-13	145.27	148.90	125.91	184.12	197.81
2013-14	147.21	188.66	119.67	155.05	218.16
2014-15	141.24	149.65	108.26	184.05	165.70
2015-16	133.52	154.17	111.25	146.37	274.42
2016-17	161.02	265.73	129.85	188.02	344.20
2017-18	150.37	282.66	123.52	228.11	338.60
2018-19	158.09	294.13	153.87	246.19	342.60
2019-20	180.30	348.87	152.08	335.93	371.91
2020-21	186.66	310.06	167.41	386.45	378.08
2021-22 (अ)	154.14	312.90	206.04	299.09	289.46

मिर्च, लहसुन, धनिया, अदरक, हल्दी सम्मिलित है।

* वर्ष 2007–08 से रेशे में सिर्फ कपास सम्मिलित है।

@ आधार वर्ष 1991–92 से 1993–94=100

अ (अन्तिम)

लगातार....

20. कृषि उत्पादन सूचकांक

आधार वर्ष (2005–06 से 2007–08=100)

कृषि वर्ष	फल एवं तरकारियां $	गन्ना	तम्बाकू/इसबगोल*	ग्वार बीज	समस्त फसलें
भार	0.575	0.962	0.055	3.150	100.000
1	7	8	9	10	11
2004-05@	250.69	23.65	39.68	94.46	154.24
2005-06@	318.00	41.25	30.45	165.61	153.84
2006-07@	317.83	53.76	26.72	183.81	167.63
2007-08	106.92	104.49	124.41	149.52	106.08
2008-09	95.74	68.21	174.40	151.61	115.77
2009-10	94.84	60.60	354.52	24.37	88.69
2010-11	124.18	64.96	288.06	185.21	158.77
2011-12	165.24	79.37	304.14	222.14	153.49
2012-13	120.42	74.64	252.97	243.65	147.50
2013-14	157.93	63.83	278.39	344.07	156.16
2014-15	224.78	71.17	297.76	330.34	143.34
2015-16	337.53	93.44	365.08	267.31	145.62
2016-17	310.62	85.95	467.76	168.89	175.12
2017-18	267.94	67.17	573.49	152.10	170.17
2018-19	163.74	78.82	490.49	124.01	183.07
2019-20	243.41	57.38	432.11	154.47	202.56
2020-21	281.06	69.25	536.40	136.92	207.85
2021-22(अ)	323.32	56.54	515.67	120.64	201.40

$ आलू, प्याज, शंकरकन्दी, सिंघाड़ा सम्मिलित है।

* वर्ष 2004–05 से वर्ष 2006–07 तक तम्बाकू एवं आगे के वर्षों के लिये इसबगोल का सूचकांक हैं।

@ आधार वर्ष 1991–92 से 1993–94=100

अ (अन्तिम)

21. फसलवार उत्पादन

(मैं. टन)

कृषि वर्ष	अनाज			दलहन		
	खरीफ	रबी	कुल	खरीफ	रबी	कुल
1	2	3	4	5	6	7
2004-05	4695452	6123545	10818997	500799	843413	1344212
2005-06	3599596	6324088	9923684	359209	540736	899945
2006-07	5100362	8348190	13448552	550571	929194	1479765
2007-08	6866501	7665427	14531928	949853	602654	1552507
2008-09	6701751	8165843	14867594	817100	1009157	1826257
2009-10	3535934	8121776	11657710	133407	568722	702129
2010-11	8961999	11360203	20322202	1603097	1648814	3251911
2011-12	8621619	10950717	19572336	1313399	1039429	2352828
2012-13	6378906	11725908	18104814	636970	1318342	1955312
2013-14	6284051	11964559	18248610	773380	1697502	2470882
2014-15	6904383	10789160	17693543	962955	987058	1950013
2015-16	5092507	11204241	16296748	1046966	943333	1990299
2016-17	6377020	13344122	19721142	1879235	1539463	3418698
2017-18	6277655	12193726	18471381	1870091	1763595	3633686
2018-19	6621882	12779625	19401507	1867668	1890887	3758555
2019-20	7179918	14961111	22141029	1775638	2718551	4494189
2020-21	9761633	13596196	23357829	1929163	2037459	3966622
2021-22 (अ)	7274353	11825609	19099962	1307386	2744360	4051746

अ (अन्तिम)

लगातार....

21. फसलवार उत्पादन

(मैं. टन)

कृषि वर्ष	खाद्यान्न			तिलहन			गन्ना	कपास (लिंट)
	खरीफ	रबी	कुल	खरीफ	रबी	कुल		
1	8	9	10	11	12	13	14	15
2004-05	5196251	6966958	12163209	1588523	3972926	5561449	276642	129988
2005-06	3958805	6864824	10823629	1516613	4418292	5934905	482634	149683
2006-07	5650933	9277384	14928317	1360196	3806737	5166933	628963	126956
2007-08	7816354	8268081	16084435	1866389	2362957	4229346	594056	146576
2008-09	7518851	9175000	16693851	1694516	3506119	5200635	387814	123424
2009-10	3669341	8690498	12359839	1481554	2955059	4436613	344559	153561
2010-11	10565096	13009017	23574113	2269595	4371908	6641503	369354	145690
2011-12	9935018	11990146	21925164	2787234	2977811	5765045	451282	294229
2012-13	7015876	13044250	20060126	2555573	3815597	6371170	424349	261022
2013-14	7057431	13662061	20719492	2240571	3799990	6040561	362881	218737
2014-15	7867338	11776218	19643556	2421530	2898996	5320526	404616	259645
2015-16	6139453	12147574	18287027	2244005	3267135	5511140	531267	206487
2016-17	8256255	14883585	23139840	2563053	3955656	6518709	488652	265245
2017-18	8147746	13957321	22105067	2567783	3546350	6114133	381868	321800
2018-19	8489550	14670512	23160062	2843321	4821104	7664425	448115	347311
2019-20	8955556	17679662	26635218	2566406	4753638	7320044	326262	473902
2020-21	11690796	15633655	27324451	3441089	4612860	8053949	393737	545174
2021-22 (अ)	8581739	14569969	23151708	2891925	7375812	10267737	321432	421932

अ (अन्तिम)

22. फसलवार क्षेत्रफल

(हैक्टेयर)

कृषि वर्ष	अनाज			दलहन		
	खरीफ	रबी	कुल	खरीफ	रबी	कुल
1	2	3	4	5	6	7
2004-05	6316950	2185889	8502839	2488817	1087496	3576313
2005-06	6714435	2326252	9040687	2363984	1126113	3490097
2006-07	6728402	2797723	9526125	2151465	1055749	3207214
2007-08	6933290	2841988	9775278	2603680	1265123	3868803
2008-09	6985633	2582221	9567854	2383203	1288045	3671248
2009-10	7210619	2618724	9829343	2483702	919903	3403605
2010-11	7541113	3365466	10906579	2915289	1836481	4751770
2011-12	6776318	3214516	9990834	2971521	1477714	4449235
2012-13	5794042	3372226	9166268	1956669	1288694	3245363
2013-14	6110864	3516534	9627398	2221340	1976445	4197785
2014-15	5852346	3664303	9516649	2038707	1323525	3362232
2015-16	5782024	3368429	9150453	2830818	1035964	3866782
2016-17	5902931	3628879	9531810	4100379	1645183	5745562
2017-18	5849553	3326318	9175871	4239817	1620991	5860808
2018-19	5866486	3225883	9092369	4274556	1631449	5906005
2019-20	6047238	3802008	9849246	3838773	2497233	6336006
2020-21	6136092	3502324	9638416	3994696	1918914	5913610
2021-22 (अ)	6058139	3042257	9100396	4122933	2333748	6456681

अ (अन्तिम)

लगातार....

22. फसलवार क्षेत्रफल

(हैक्टेयर)

कृषि वर्ष	खाद्यान्न			तिलहन			गन्ना	कपास
	खरीफ	रबी	कुल	खरीफ	रबी	कुल		
1	8	9	10	11	12	13	14	15
2004-05	8805767	3273385	12079152	1468348	3685927	5154275	5724	437776
2005-06	9078419	3452365	12530784	1615089	3669351	5284440	7922	471563
2006-07	8879867	3853472	12733339	1312317	3215383	4527700	10897	349602
2007-08	9536970	4107111	13644081	1518290	2498852	4017142	10401	369179
2008-09	9368836	3870266	13239102	1822203	2842098	4664301	6526	302687
2009-10	9694321	3538627	13232948	1843810	2314286	4158096	5986	444540
2010-11	10456402	5201947	15658349	1829587	3688814	5518401	5512	335871
2011-12	9747839	4692230	14440069	2119242	2507195	4626437	6415	567576
2012-13	7750711	4660920	12411631	2080205	2837943	4918148	5805	540644
2013-14	8332204	5492979	13825183	2197741	3081415	5279156	5261	393088
2014-15	7891053	4987828	12878881	1984087	2477568	4461655	5575	486553
2015-16	8612842	4404393	13017235	2283838	2559394	4843232	6141	447649
2016-17	10003310	5274062	15277372	2026160	2800416	4826576	6854	471167
2017-18	10089370	4947309	15036679	1927066	2222532	4149598	5427	584230
2018-19	10141042	4857332	14998374	1988121	2824991	4813112	5370	629244
2019-20	9886011	6299241	16185252	2341603	3485402	5827005	4466	760500
2020-21	10130788	5421238	15552026	2471969	2817860	5289829	4977	807839
2021-22 (अ)	10181072	5376005	15557077	2380324	4537122	6917446	4238	755858

अ (अन्तिम)

23. स्रोतवार सकल सिंचित क्षेत्रफल

(हैक्टेयर)

कृषि वर्ष	नहरें	तालाब	कुऐं एवं नल कूप	अन्य स्रोत	योग
1	2	3	4	5	6
2004-05	1957957	85534	4972511	77185	7093187
2005-06	2352358	82764	5293095	89819	7818036
2006-07	2370432	137194	5363387	87173	7958186
2007-08	2515493	103568	5382200	87194	8088455
2008-09	2460916	33631	5338314	77066	7909927
2009-10	2109132	18099	5107124	74418	7308773
2010-11	2463576	57635	5718997	81617	8321825
2011-12	2729980	72124	5999495	101289	8902888
2012-13	2885036	94113	6347171	129147	9455467
2013-14	2975815	70210	6649262	169581	9864768
2014-15	3067957	72149	6874357	156322	10170785
2015-16	3255513	66867	7116780	123285	10562445
2016-17	3219237	100588	7215168	189450	10724443
2017-18	3179567	68866	7232471	122598	10603502
2018-19	3336113	35536	7485631	164115	11021395
2019-20	3566473	79579	7963368	179220	11788640
2020-21	3441017	47410	7988133	178667	11655227

24. स्रोतवार शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल

(हैक्टेयर)

कृषि वर्ष	नहरें	तालाब	कुऐं एवं नल कूप	अन्य स्रोत	योग
1	2	3	4	5	6
2004-05	1457471	82407	4266653	73416	5879947
2005-06	1705767	76740	4426605	84834	6293946
2006-07	1703284	130791	4580694	80976	6495745
2007-08	1687753	101724	4572049	82534	6444060
2008-09	1583116	30565	4558657	72710	6245048
2009-10	1423923	16597	4338313	71081	5849914
2010-11	1628746	55676	4897427	78876	6660725
2011-12	1843797	68785	5111105	97888	7121575
2012-13	1900662	91686	5382149	124623	7499120
2013-14	1859107	67461	5561022	162037	7649627
2014-15	1928740	69699	5733278	149993	7881710
2015-16	1979480	66193	5775257	117067	7937997
2016-17	2018266	99296	5956495	182955	8257012
2017-18	1926523	68160	5870501	119753	7984937
2018-19	2016562	34978	6069433	161983	8282956
2019-20	2198456	78055	6368814	175651	8820976
2020-21	2145125	47051	6409749	176196	8778121

25. ऊर्जा की अधिष्ठापित क्षमता

(मेगावाट)

वर्ष	अधिष्ठापित क्षमता
1	2
2004-05	5296.11
2005-06	5453.88
2006-07	6089.43
2007-08	6420.69
2008-09	7019.48
2009-10	8076.51
2010-11	9188.22
2011-12	10308.45
2012-13	12275.88
2013-14	14371.61
2014-15	15907.81
2015-16	17439.78
2016-17	18677.18
2017-18	19552.77
2018-19	21077.64
2019-20	21175.90
2020-21	21978.90
2021-22	23452.35
2022-23*	23487.46

* नवम्बर, 2022 तक

26. राज्य में सड़कों की लम्बाई

(किलोमीटर)

वर्ष	राष्ट्रीय राज मार्ग	राज्य राज मार्ग	मुख्य जिला सड़कें	अन्य जिला सड़कें	ग्रामीण सड़कें	कुल
1	2	3	4	5	6	7
2004-05	5655	10139	6735	22615	117976	163120
2005-06	5655	11594	7328	21412	121139	167128
2006-07	5655	11668	7447	23681	125063	173514
2007-08	5714	11750	7658	24424	132914	182460
2008-09	5722	11758	7673	24418	137235	186806
2009-10	5724	11866	7829	24480	138635	188534
2010-11	5724	11873	10137	24062	137606	189402
2011-12	7260	10953	9900	25033	136854	190000
2012-13	7310	10937	10168	25761	137518	191694
2013-14	7310	11971	9509	25626	141434	195850
2014-15	8016	11421	9815	29603	149487	208342
2015-16	8168	15607	7646	30313	155973	217707
2016-17	8202	15438	8462	31431	163321	226854
2017-18	9079	15543	8802	32175	170971	236572
2018-19	10600	15518	8758	53432	175937	264244
2019-20	10618	15621	8780	53792	180217	269028
2020-21	10618	15545	8965	54746	183086	272959
2021-22	10618	17238	13271	51225	186462	278813

पूर्णांकन के कारण योग मिलान नहीं है।

27. स्वास्थ्य सूचक

वर्ष	अशोधित जन्म दर *		अशोधित मृत्यु दर **		शिशु मृत्यु दर #	
	भारत	राजस्थान	भारत	राजस्थान	भारत	राजस्थान
1	2	3	4	5	6	7
2004	24.1	29.0	7.5	7.0	58	67
2005	23.8	28.6	7.6	7.0	58	68
2006	23.5	28.3	7.5	6.9	57	67
2007	23.1	27.9	7.4	6.8	55	65
2008	22.8	27.5	7.4	6.8	53	63
2009	22.5	27.2	7.3	6.6	50	59
2010	22.1	26.7	7.2	6.7	47	55
2011	21.8	26.2	7.1	6.7	44	52
2012	21.6	25.9	7.0	6.6	42	49
2013	21.4	25.6	7.0	6.5	40	47
2014	21.0	25.0	6.7	6.4	39	46
2015	20.8	24.8	6.5	6.3	37	43
2016	20.4	24.3	6.4	6.1	34	41
2017	20.2	24.1	6.3	6.0	33	38
2018	20.0	24.0	6.2	5.9	32	37
2019	19.7	23.7	6.0	5.7	30	35
2020	19.5	23.5	6.0	5.6	28	32

स्त्रोतः– एस.आर.एस. बुलेटिन आरजीआई(संदर्भित वर्ष)
* प्रति हजार मध्यवर्षीय जनसंख्या में जीवित जन्मों की संख्या
** प्रति हजार मध्यवर्षीय जनसंख्या में मृत्युओं की संख्या
# प्रति हजार जीवित जन्मों में शिशु मृत्युओं की संख्या

लगातार...

27. स्वास्थ्य सूचक

वर्ष	जीवन प्रत्याशा दर (वर्षों में)	
	भारत	राजस्थान
1	8	9
2000-04	63.9	64.1
2001-05	64.3	64.5
2002-06	64.7	64.9
2003-07	65.0	65.2
2004-08	65.4	65.8
2005-09	65.7	66.2
2006-10	66.1	66.5
2007-11	66.5	66.8
2008-12	67.0	67.2
2009-13	67.5	67.5
2010-14	67.9	67.7
2011-15	68.3	67.9
2012-16	68.7	68.3
2013-17	69.0	68.5
2014-18	69.4	68.7
2015-19	69.7	69.0
2016-20	70.0	69.4

स्त्रोत :- एस. आर. एस. आधारित एब्रीज्ड जीवन तालिका आरजीआई (संदर्भित वर्ष)

28. राज्य में साक्षरता दर

(प्रतिशत)

जनगणना वर्ष	कुल			ग्रामीण			शहरी		
	पुरुष	महिला	व्यक्ति	पुरुष	महिला	व्यक्ति	पुरुष	महिला	व्यक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1951	13.88	2.66	8.50	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.
1961	28.08	7.01	18.12	21.74	3.19	12.95	59.93	26.89	44.55
1971	33.87	10.06	22.57	27.04	4.80	16.44	64.53	34.94	50.82
1981	44.77	14.00	30.11	35.32	6.78	22.47	72.29	41.46	58.05
1991	54.99	20.44	38.55	47.64	11.59	30.37	78.50	50.24	65.33
2001	75.70	43.85	60.41	72.16	37.34	55.34	86.45	64.67	76.20
2011	79.19	52.12	66.11	76.16	45.80	61.44	87.91	70.73	79.68

उ. न. उपलब्ध नहीं

स्त्रोतः भारत की जनगणना – (संदर्भ अवधि)

नोटः– साक्षरता दर 1951, 1961 तथा 1971 के लिए जनसंख्या आयु वर्ग 5 वर्ष एवं अधिक को सम्मिलित किया गया है तथा साक्षरता दर 1981 से 2011 के लिए जनसंख्या आयु वर्ग 7 वर्ष एवं अधिक को सम्मिलित किया गया है।

29. जिलेवार जनसांख्यिकीय जनगणना 2011

जिला	जनसंख्या (संख्या में)					लिंगानुपात (प्रति हजार पुरूषों पर महिलाओं की संख्या)		जनसंख्या घनत्व (प्रति वर्ग कि. मी.)	जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर 2001–2011 (प्रतिशत)
	पुरुष	महिला	कुल व्यक्ति	ग्रामीण	शहरी	समस्त	वर्ष 0–6		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
अजमेर	1324085	1258967	2583052	1547642	1035410	951	901	305	18.6
अलवर	1939026	1735153	3674179	3019728	654451	895	865	438	22.8
बांसवाड़ा	907754	889731	1797485	1669864	127621	980	934	397	26.5
बारां	633945	588810	1222755	968541	254214	929	912	175	19.7
बाड़मेर	1369022	1234729	2603751	2421914	181837	902	904	92	32.5
भरतपुर	1355726	1192736	2548462	2053363	495099	880	869	503	21.4
भीलवाड़ा	1220736	1187787	2408523	1895869	512654	973	928	230	19.2
बीकानेर	1240801	1123136	2363937	1563553	800384	905	908	78	24.3
बून्दी	577160	533746	1110906	888205	222701	925	894	192	15.4
चित्तौडगढ़	783171	761167	1544338	1259074	285264	972	912	197	16.1
चूरु	1051446	988101	2039547	1463312	576235	940	902	147	20.3
दौसा	857787	776622	1634409	1432616	201793	905	865	476	23.5
धौलपुर	653647	552869	1206516	959066	247450	846	857	398	22.7
डूंगरपुर	696532	692020	1388552	1299809	88743	994	922	368	25.4
गंगानगर	1043340	925828	1969168	1433736	535432	887	854	179	10.0
हनुमानगढ़	931184	843508	1774692	1424228	350464	906	878	184	16.9
जयपुर	3468507	3157671	6626178	3154331	3471847	910	861	595	26.2
जैसलमेर	361708	308211	669919	580894	89025	852	874	17	31.8
जालौर	936634	892096	1828730	1676975	151755	952	895	172	26.2
झालावाड़	725143	685986	1411129	1181838	229291	946	912	227	19.6
झुंझुनूं	1095896	1041149	2137045	1647966	489079	950	837	361	11.7
जोधपुर	1923928	1763237	3687165	2422551	1264614	916	891	161	27.7
करौली	783639	674609	1458248	1240143	218105	861	852	264	20.9
कोटा	1021161	929853	1951014	774410	1176604	911	899	374	24.4
नागौर	1696325	1611418	3307743	2670539	637204	950	897	187	19.2
पाली	1025422	1012151	2037573	1577567	460006	987	899	164	11.9
प्रतापगढ़	437744	430104	867848	796041	71807	983	933	195	22.8
राजसमन्द	581339	575258	1156597	972777	183820	990	903	248	17.7
सवाई माधोपुर	704031	631520	1335551	1069084	266467	897	871	297	19.6
सीकर	1374990	1302343	2677333	2043427	633906	947	848	346	17.0
सिरोही	534231	502115	1036346	827692	208654	940	897	202	21.8
टोंक	728136	693190	1421326	1103603	317723	952	892	198	17.3
उदयपुर	1566801	1501619	3068420	2459994	608426	958	924	262	23.7
राजस्थान	**35550997**	**32997440**	**68548437**	**51500352**	**17048085**	**928**	**888**	**200**	**21.3**

लगातार...

29. जिलेवार जनसांख्यिकीय जनगणना 2011

जिला	साक्षरता दर प्रतिशत में								
	कुल व्यक्ति			ग्रामीण			शहरी		
	पुरुष	महिला	कुल व्यक्ति	पुरुष	महिला	कुल व्यक्ति	पुरुष	महिला	कुल व्यक्ति
1	11	12	13	14	15	16	17	18	19
अजमेर	82.4	55.7	69.3	76.5	41.3	59.1	90.8	76.5	83.9
अलवर	83.7	56.3	70.7	82.1	52.2	67.9	91.0	74.7	83.4
बांसवाड़ा	69.5	43.1	56.3	67.7	40.1	54.0	91.0	79.3	85.2
बारां	80.4	52.0	66.7	78.4	47.8	63.6	87.8	67.5	78.0
बाड़मेर	70.9	40.6	56.5	69.4	38.6	54.8	88.6	66.6	78.2
भरतपुर	84.1	54.2	70.1	83.1	50.5	67.9	88.1	68.8	79.0
भीलवाड़ा	75.3	47.2	61.4	71.3	40.6	56.0	89.0	71.8	80.7
बीकानेर	75.9	53.2	65.1	70.6	44.3	58.1	85.7	69.5	78.0
बून्दी	75.4	46.6	61.5	72.3	41.2	57.3	87.7	67.4	77.9
चित्तौडगढ़	76.6	46.5	61.7	73.3	40.2	56.8	90.8	74.3	82.7
चूरु	78.8	54.0	66.8	76.9	51.1	64.4	83.4	61.3	72.6
दौसा	83.0	51.9	68.2	81.8	49.4	66.3	91.0	69.4	80.7
धौलपुर	81.2	54.7	69.1	81.2	52.4	68.1	81.3	62.9	72.7
डूंगरपुर	72.9	46.2	59.5	71.5	44.0	57.6	91.4	77.1	84.4
गंगानगर	78.5	59.7	69.6	75.9	55.3	66.2	85.3	71.3	78.7
हनुमानगढ़	77.4	55.8	67.1	75.9	53.1	65.1	83.3	66.8	75.4
जयपुर	86.1	64.0	75.5	82.5	51.7	67.6	89.2	75.1	82.5
जैसलमेर	72.0	39.7	57.2	69.4	35.5	53.8	87.4	66.2	78.0
जालौर	70.7	38.5	54.9	69.4	36.8	53.3	84.2	56.9	71.1
झालावाड़	75.8	46.5	61.5	73.0	41.5	57.6	89.5	72.1	81.1
झुंझुनूं	86.9	61.0	74.1	86.8	59.8	73.4	87.4	65.0	76.5
जोधपुर	79.0	51.8	65.9	74.6	41.2	58.5	86.7	71.3	79.4
करौली	81.4	48.6	66.2	80.9	46.5	65.0	84.1	60.0	72.8
कोटा	86.3	65.9	76.6	82.2	54.0	68.6	88.9	73.7	81.7
नागौर	77.2	47.8	62.8	76.0	45.2	60.9	81.9	58.8	70.6
पाली	76.8	48.0	62.4	73.6	43.5	58.4	87.1	63.9	75.8
प्रतापगढ़	69.5	42.4	56.0	67.3	39.0	53.2	92.2	77.1	84.8
राजसमन्द	78.4	48.0	63.1	75.9	43.3	59.5	91.1	72.3	81.9
सवाई माधोपुर	81.5	47.5	65.4	79.4	42.4	61.9	89.8	67.2	79.0
सीकर	85.1	58.2	71.9	84.9	56.4	70.8	85.8	64.3	75.4
सिरोही	70.0	39.7	55.3	64.6	32.7	49.0	89.3	66.9	78.7
टोंक	77.1	45.4	61.6	75.5	39.7	58.0	82.9	64.8	73.8
उदयपुर	74.7	48.4	61.8	69.6	39.8	54.9	93.4	81.2	87.5
राजस्थान	**79.2**	**52.1**	**66.1**	**76.2**	**45.8**	**61.4**	**87.9**	**70.7**	**79.7**

30. राजस्थान में अकाल/अभाव की स्थिति से हुई क्षति

कृषि वर्ष	प्रभावित जिलों की संख्या	प्रभावित ग्रामों की संख्या	प्रभावित जनसंख्या (लाखों में)	भू–राजस्व * निलंबित (₹लाख)
1	2	3	4	5
2004-05	31	19814	227.65	167.77
2005-06	22	15778	198.44	123.21
2006-07	22	10529	136.73	36.49
2007-08	12	4309	56.12	39.86
2008-09	12	7402	100.12	47.69
2009-10	27	33464	429.13	459.04
2010-11	2	1249	13.67	9.53 @
2011-12	11	3739	49.95	30.77 @
2012-13	12	8030	120.90	65.44 @
2013-14	17	10225	159.38	101.44
2014-15	13	5841	74.30	15.35
2015-16	19	14487	194.87	171.55 @
2016-17	13	5656	90.38	62.00 @
2017-18	16	6838	106.50	89.38 @
2018-19	9	5555	72.50	14.85 @
2019-20	21	14331	150.72	-
2020-21	6	2062	21.62	-
2021-22	10	6122	74.28	-
2022-23	1#	92	2.36	-

* वित्तीय वर्ष के समंक
@ संभावित
# तहसीलों की संख्या (तहसील पाली)

31. राज्यवार महत्वपूर्ण आर्थिक सूचक

राज्य	भौगोलिक क्षेत्रफल (लाख वर्ग कि.मी.) 2011	देश के कुल क्षेत्रफल में राज्य का प्रतिशत 2011	भारत की कुल जनसंख्या मे राज्य की जनसंख्या का प्रतिशत 2011	जनसंख्या का घनत्व (प्रति वर्ग कि.मी.) 2011	नगरीय जनसंख्या का कुल जनसंख्या से प्रतिशत 2011	साक्षरता दर (प्रतिशत) 2011
1	2	3	4	5	6	7
1 आन्ध्र प्रदेश	1.63	4.96	4.09	304	29.5	67.4
2 असम	0.78	2.39	2.58	398	14.1	72.2
3 बिहार	0.94	2.86	8.60	1106	11.3	61.8
4 गुजरात	1.96	5.97	4.99	308	42.6	78.0
5 हरियाणा	0.44	1.34	2.09	573	34.9	75.6
6 हिमाचल प्रदेश	0.56	1.69	0.57	123	10.0	82.8
7 कर्नाटक	1.92	5.83	5.05	319	38.7	75.4
8 केरल	0.39	1.18	2.76	860	47.7	94.0
9 मध्य प्रदेश	3.08	9.38	6.00	236	27.6	69.3
10 महाराष्ट्र	3.08	9.36	9.28	365	45.2	82.3
11 उड़ीसा	1.56	4.74	3.47	270	16.7	72.9
12 पंजाब	0.50	1.53	2.29	551	37.5	75.8
13 राजस्थान	**3.42**	**10.41**	**5.66**	**200**	**24.9**	**66.1**
14 तमिलनाडू	1.30	3.96	5.96	555	48.4	80.1
15 तेलंगाना*	1.12	3.41	2.89	312	38.9	66.5
16 उत्तर प्रदेश	2.41	7.33	16.50	829	22.3	67.7
17 पश्चिम बंगाल	0.89	2.70	7.54	1028	31.9	76.3
अखिल भारत	32.87	100.00	100.00	382	31.1	73.0

स्रोत : भारत की जनगणना 2011
*स्टेटिसटिकल एब्सट्रेक्ट तेलंगाना स्टेट, 2021

लगातार...

31. राज्यवार महत्वपूर्ण आर्थिक सूचक

राज्य	शिशु मृत्यु दर (प्रति हजार जीवित जन्म) 2020	जोतों का औसत आकार (हैक्टेयर) 2015—16	प्रति हैक्टेयर खाद का अनुमानित उपभोग (कि.ग्राम. /हैक्टर) 2019—20*	प्रति व्यक्ति आय प्रचलित कीमतों पर (₹) 2021—22 #
1	**8**	**9**	**10**	**11**
1 आन्ध्र प्रदेश	24	0.94	207.64	207771
2 आसाम	36	1.09	56.81	86857$
3 बिहार	27	0.39	202.83	49470
4 गुजरात	23	1.88	144.26	212821$
5 हरियाणा	28	2.22	221.02	274635
6 हिमाचल प्रदेश	17	0.95	64.68	201854
7 कर्नाटक	19	1.36	135.52	278786
8 केरल	6	0.18	39.62	230601
9 मध्य प्रदेश	43	1.57	96.40	124685
10 महाराष्ट्र	16	1.34	129.19	193121$
11 उड़ीसा	36	0.95	68.06	124669
12 पंजाब	18	3.62	246.71	162112
13 राजस्थान	**32**	**2.73**	**67.46**	**135218**
14 तामिलनाडू	13	0.75	157.88	241131
15 तेलंगाना	21	1.00	200.53	275443
16 उत्तर प्रदेश	38	0.73	188.96	68810
17 पश्चिम बंगाल	19	0.76	182.15	121267$
अखिल भारत	28	1.08	137.15	150007

स्त्रोतः— सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ($वर्ष 2020—21)

* कृषि सांख्यिकी, एट ए ग्लान्स 2021, भारत सरकार

लगातार...

31. राज्यवार महत्वपूर्ण आर्थिक सूचक

राज्य	प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग (कि.वा.) * 2021–22	प्रति लाख जनसंख्या@ पर मोटर वाहन $ की संख्या 31.3.2020	प्रति सौ वर्ग कि.मी. क्षेत्र में सड़कों की लम्बाई # (कि.मी.) 2018–19
1	**12**	**13**	**14**
1 आन्ध्र प्रदेश	1567.23	24888	108.21
2 आसाम	384.32	12493	508.84
3 बिहार	328.71	8095	316.69
4 गुजरात	2238.87	38669	127.07
5 हरियाणा	2186.44	29336	113.75
6 हिमाचल प्रदेश	1742.43	23216	131.54
7 कर्नाटक	1375.56	39200	186.82
8 केरल	844.10	40054	669.03
9 मध्य प्रदेश	1231.83	21328	118.42
10 महाराष्ट्र	1588.32	30482	206.97
11 उड़ीसा	2263.70	20012	196.29
12 पंजाब	2350.56	37489	293.60
13 राजस्थान	**1345.30**	**24392**	**91.59**
14 तामिलनाडू	1714.31	42089	208.47
15 तेलंगाना	2126.18	34327	125.41
16 उत्तर प्रदेश	662.91	15206	183.83
17 पश्चिम बंगाल	733.42	11153	319.84
अखिल भारत	1255.14	24042	165.23

* उपयोगिता तथा अनुपयोगिता से सम्बन्धित (स्त्रोत–सेन्ट्रल इलेक्ट्रिसिटी ऑथोरेटी मिनिस्ट्री ऑफ पॉवर)–पी.आई.बी. जी.ओ.आई.

$ (कुल परिवहन + गैर परिवहन)

@ आर्थिक सर्वे महाराष्ट्र स्टेट 2021–22

जे. आर. वाई. रोड के अलावा (स्त्रोत–बेसिक रोड स्टेटिसटिक्स ऑफ इंडिया, 2018–19 जी.ओ.आई.)

लगातार...

31. राज्यवार महत्वपूर्ण आर्थिक सूचक

राज्य	प्रति लाख जनसंख्या पर बैंक (संख्या) # (सितम्बर, 2022)	प्रति व्यक्ति बैंक जमा # (₹) (सितम्बर, 2022)	प्रति व्यक्ति बैंक ऋण # (₹) (सितम्बर, 2022)
1	**15**	**16**	**17**
1 आन्ध्र प्रदेश	14	77287	108551
2 आसाम	8	54513	27267
3 बिहार	6	34967	15832
4 गुजरात	12	135394	95888
5 हरियाणा	17	217659	120579
6 हिमाचल प्रदेश	23	173936	56575
7 कर्नाटक	16	204290	131386
8 केरल	19	192908	124249
9 मध्य प्रदेश	8	60790	41628
10 महाराष्ट्र	11	283360	281026
11 उड़ीसा	12	91723	39663
12 पंजाब	21	172998	91915
13 राजस्थान	**10**	**69257**	**54743**
14 तामिलनाडू	16	149942	156712
15 तेलंगाना	15	171062	172924
16 उत्तर प्रदेश	8	61091	27493
17 पश्चिम बंगाल	10	101692	47733
अखिल भारत	11	126538	94618

1 अक्टूबर, 2022 पॉपुलेशन प्रोजेक्शन फॉर इण्डिया एण्ड स्टेट्स 2011–2036, आर जी आई
अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक–आरबीआई की जमा और साख पर तिमाही सांख्यिकी (2022–23 क्वार्टर–2)– आर. बी. आई.

डाउनलोड के लिए स्कैन करें

योजना भवन, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर

वेबसाईट : statistics.rajasthan.gov.in • ई–मेल : dir.des@rajasthan.gov.in

फोन : +91 141 2222740